Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रङ्क 6] सप्तम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का पेंतीसवां दिवस [संख्या 26

बुधवार

दिनांक 23 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री रामकंवार बैरवा।

फागी तहसील के विद्युतीकरण से वंचित ग्राम

710. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) फागी तहसील में जिला जयपुर की ग्रन्य तहसीलों से कम गांवों में बिजली लगने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह भी सही है कि फागी तहसील की ग्रनुसूचित जातियों की बस्तियों को ग्राज तक रोड लाइट्स से वंचित रखा गया है ? यदि नहीं, तो कितने गांवों की ग्रनुसूचित जाति की बस्तियों में रोड लाइट जल रही हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) फागी तहसील के रोटवाड़ा, भीम पुरा, सावंल, कांसेल, मण्डौर, कुंजविहारी पुरा, कुन्चावास, किरतपुरा ग्रादि ग्रामों की स्वीकृति हो जाने पर भी बिजली नहीं देने का क्या कारण है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) फागी तहसील जिला जयपुर के कुल 151 ग्रामों में से 102 ग्राम विद्युतीकरण हेतु बैंक फाइनेंस विद्युतीकरण स्कीम के तहत स्वीकृत हैं एवं ग्रभी तक 43 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मण्डल के 82-83 में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत 10 ग्रामों का लक्ष्य रखा था जिसे माह फरवरी, 1983 तक पूर्ण कर लिया गया है। जयपुर जिले की ग्रन्य तहसीलों के मुकाबले फागी तहसील में कम गांवों में बिजली लगाने का कारण यह है कि इस क्षेत्र की विद्युतीकरण योजना फरवरी, 1980 में स्वीकृत की जा सकी व इसका क्रियान्वयन 81-82 में चालू हो सका। स्वीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण के बाद इस तहसील के 72.85 प्रतिशत ग्राम विद्युतिकृत हो जावेंगे।

Page No 2

(2)

(श्रीमती कमला)

(2) फागी तहसील के अन्तर्गत ग्राम फागी की 2, रेनवाल की 2 एवं माधोराजपुरा की 1, कुल 5 अनुसूचित जाति की बस्तियों की रोड लाइट स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिन्हें माह मार्च, 83 तक चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी के ग्रामों की बस्तियों के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने की स्थिति में विद्युतीकरण किया जा सकेगा।

(3) यह गांव अभी विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत नहीं होने के कारण इनमें बिजली देना संभव नहीं है।

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने फागी तहसील के जिन गांवों के लिये मुख्यतया प्रश्न पूछा है वे गांव सांगानेर तहसील से लगते हुए बोर्डर के गांव हैं। किसानों के कुओं में पानी की अधिक मात्रा होते हुए भी अविद्युतीकृत है। पिछले लंबे अर्से से किसानों की मांग है कि बिजली स्वीकृत की जाय। इस प्रकार का प्रश्न मैंने पूछा था लेकिन प्रश्न बनाने वालों ने बदल दिया। जो गांव स्वीकृत नहीं हैं, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एडवान्स डिपॉजिट स्कीम में आप उनको कितनी रियायत कर सकते हैं? क्या इसका आश्वासन देंगे? यह मैंने प्रश्न पूछा था। दूसरा, मेरा निवेदन है कि फागी तहसील में जो बड़ी बड़ी हरिजन बस्तियां हैं उन हरिजन बस्तियों के काफी प्रार्थना-पत्र पिछले काफी लंबे अर्से से विचाराधीन पड़े हुए हैं क्या उन बस्तियों को जल्दी से जल्दी विद्युतीकृत करवायेंगे?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो एडवान्स डिपॉजिट स्कीम में विद्युतीकरण का उल्लेख किया है, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि पूर्व में एडवान्स जमा योजना चालू की गई थी। उसके बाद काश्तकारों, उपभोक्ताओं की तरफ से काफी तादाद में पैसे जमा करवाये जाने लगे किन्तु उस परिमाण में विद्युत मण्डल काम करने की स्थिति में नहीं हो सका इसलिये एडवान्स डिपॉजिट स्कीम बन्द कर दी गई। लेकिन हर गांव को किसी न किसी स्कीम के अन्तर्गत लेकर विद्युतीकृत किया जा सकता है। चूंकि ये गांव उस योजना में नहीं हैं अतः मौजूदा योजना जो स्वीकृत है उसके अलावा बाकी बचे हुए गांव योजना में लिए जायेंगे तब ही उनको विद्युतीकृत किया जा सकेगा। दूसरा, आपने हरिजन बस्तियों के बारे में कहा है। इसके बारे में मैंने बोर्ड को निर्देश दिये हैं कि जहां पर गांव नगरपालिका की अन्डरटेकिंग में आयेंगे उनका जितना रेकरिंग खर्चा है उसका भुगतान करने की हम जिम्मेदारी लेते हैं। उन पर विद्युत विभाग द्वारा तत्परता से कार्य करवाया जायेगा।

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, सांगानेर तहसील में बस्सी गांव है उससे 1-2 किलोमीटर दूरी पर लाइन गई हुई है। क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे, जैसा पहले इस तरह के नियम बने थे कि बिजली की लाइन जहां 1-2 किलोमीटर की दूरी पर गई हुई हो वहां बिना स्वीकृति कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

श्रीमती कमला : पूर्व में विद्युत बोर्ड की तरफ से ऐसे निर्देश जारी किए गए थे, जिन गांवों के पास से बिजली की लाइन जा रही हो, या चारों तरफ बिजली आई हुई है और बीच में कोई गांव रह गया है, इसी तरह

(श्रीमती कमला)
की कुछ अलग अलग बातों का विवरण देते हुये यह निर्णय लिया था कि इस तरह के गांव जो लाइन से एक आधा किलोमीटर दूर हैं उनको कनेक्शन दे दें। लेकिन बाद में इस तरह की संख्या बहुत बढ़ी हुई नजर आई तो इस प्रकार कार्य करना संभव नहीं पाया गया, इसलिए एक मात्र व्यवस्था रखी गई कि जो गांव स्कीम के अन्तर्गत लिये जाते हैं उनका विद्युतीकरण किया जाय। अगर उसी क्राइटेरिया में तमाम गांवों को विद्युतीकृत करें तो हजारों गांव होते हैं जिनको लिया जाना संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, एक ओर सरकार यह कहती है कि जहां अनुसूचित जाति की घनी आबादी होगी, वहां प्राथमिकता दी जायेगी। इन गांवों, जो स्वीकृत नहीं हैं, के पड़ोस में सांगानेर तहसील में बिजली लगी हुई है और इनमें अनुसूचित जाति की घनी आबादी है, कुओं में पानी की मात्रा भी काफी है, तो क्या मंत्री महोदय इनका सर्वे करवा कर जल्दी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे?

श्रीमती कमला : जो मौजूदा स्कीम है उसके लागू हो जाने के बाद आपके यहां 72 प्रतिशत विद्युतीकरण हो जायेगा। बाकी गांव योजना आने के बाद ही तुरन्त लिये जा सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हरीश शर्मा !

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जमुवा रामगढ़ जिला जयपुर में ही आता है उसकी योजना कब तक बन जायेगी?

श्री अध्यक्ष : मैंने इजाजत नहीं दी है, कृपया बैठ जायं।

श्रीमती कमला : जमुवा रामगढ़ की लाइन......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मैंने इजाजत नहीं दी है। श्री हरीश शर्मा?

रिजर्व बैंक द्वारा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, कोटा को गन्ना विकास हेतु प्रदत्त ऋण

711. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1976, 77, 78 में रिजर्व बैंक द्वारा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, कोटा को गन्ना विकास हेतु लगभग तीन करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था? क्या यह सही है कि यह राशि शाहबाद, किशनगंज क्षेत्र के किसानों को गन्ना विकास हेतु ऋण में दी गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त राशि के वितरण का बैंक द्वारा भौतिक सत्यापन, सर्वेक्षण करवाया गया था? यदि हां, तो कब और क्यों? भौतिक सत्यापन में कौन-कौन सदस्य थे? कृपया सदस्यों की सूची व भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्रों में ऐसे किसानों को ऋण दिया गया जिनके पास जमीन ही नहीं है और अनेक किसानों

(श्री हरीश शर्मा)
के नाम फर्जी लोगों ने ऋण प्राप्त कर लिया ? उस समय बैंक के अध्यक्ष कौन थे ?

(4) क्या सरकार इस मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कदम उठायेगी ?

सहकारिता मंत्री (श्री हनुमान प्रभाकर): (1) जी नहीं। रिजर्व बैंक द्वारा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, कोटा को सन् 76, 77, 78 में गन्ना विकास हेतु कोई ऋण नहीं दिया गया। बैंक ने शाहबाद, किशनगंज क्षेत्र की समितियों के द्वारा किसानों को निम्न प्रकार गन्ना उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण दिया।

वर्ष 1976	13.30 लाख रुपये
वर्ष 1977	39.42 लाख रुपये
वर्ष 1978	4.62 लाख रुपये

(2) जी हां, बैंक द्वारा गन्ना उत्पादन हेतु दिये गये ऋण का भौतिक सर्वेक्षण सन् 1982 के प्रारम्भ में कराया गया था। भौतिक सर्वेक्षण निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा कराया गया:-

(1) श्री सतीश पाचौरी आत्मज श्री शिवराम,

(2) श्री अजय शर्मा आत्मज श्री सूरज मल शर्मा,

(3) श्री ओम प्रकाश मेहता आत्मज श्री रामनारायण,

(4) श्री प्रेमराज झाला आत्मज श्री डी. एस. झाला,

(5) श्री प्रमोद शर्मा आत्मज श्री मदनलाल शर्मा,

(6) श्री देवकीनन्दन गुप्ता आत्मज श्री बी. एस. – आगे कुछ नहीं है,

(7) श्री दीपक कुमार आत्मज श्री भास्कर,

(8) श्री कृष्णचन्द गौड़ आत्मज श्री जगदीश प्रसाद,

(9) श्री प्रेमशंकर मिश्रा आत्मज श्री रामकिशोर,

(10) श्री रमेश पाठक आत्मज श्री जे. डी. पाठक,

भौतिक सत्यापन हेतु लगाये गये उपरोक्त व्यक्तियों में बैंक, सहकारी विभाग अथवा सहकारी संस्थाओं का कोई कर्मचारी नहीं है।

(3) जी नहीं। उस समय बैंक के अध्यक्ष, श्री पुरुषोत्तम दास सोरल दिनांक 2-9-77 तक दिनांक 3-9-77 से श्री पी. एन. भंडारी, जिलाधीश, कोटा बैंक के प्रशासक थे।

(4) सहकारी विभाग द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत संयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) मुख्यावास जयपुर को दिनांक 10-3-83 को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिनांक 30-4-83 तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर बिल्कुल असत्य है। यह

(श्री हरीश शर्मा)
सत्यापन रिपोर्ट मेरे पास है। बैंक अध्यक्ष कोटा की रिपोर्ट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि अनधिकृत सत्यापन से क्या पता लगा? दूसरा सवाल है, आपने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा कोई लोन नहीं दिया गया। यह गलत है। तत्कालीन अध्यक्ष और वहां के अधिकारियों ने मिलकर 3 करोड़ रुपया दिया था उसमें से 2 करोड़ 73 लाख खा गये। इसको आप स्वीकार कर सकते हैं। जिनके पास जमीनें नहीं थीं उनको लोन दिया गया। जबरदस्ती साइन कराये गये। एक व्यक्ति, जिसका नाम बाबूलाल है, ने लिखा है कि मेरे नाम पर कोई जमीन नहीं है और मुझे पैसा भी नहीं मिला। तो यह सत्यापन रिपोर्ट है। ऐसी सैंकड़ों रिपोर्ट हैं, सत्यापन की। यह सत्यापन मैंने नहीं किया है। जो जिलाधीश थे वे ही चेयरमैन थे उन्होंने यह सत्यापन किया है।

एक बात यह बतायें कि लोन बांटने की क्या प्रक्रिया थी? क्या यह सही है कि जो भी लोन बैंकों के द्वारा दिया जाता है, लोन का जो वितरण होता है, वह सीधा नहीं होता है? क्या यह भी सही है कि यह लोन सीधा बैंक के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करके दिया गया और असली लोगों के पास वास्तव में पहुंचा ही नहीं? यह मेरे प्रश्न के भाग दो में स्पष्ट लिखा हुआ था कि भौतिक सत्यापन में कौन कौन सदस्य थे? सदस्यों की सूची और रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। ये क्यों नहीं रखी गयीं, इनको क्यों छुपाया गया? यह मंशा साफ है आपकी? आप क्या चाहते हैं? वह आदिवासी एरिया है। वहां पर लोगों को पैसा नहीं दिया गया। पैसे खा गये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): ये क्या कह रहे हैं?

श्री हनुमान प्रभाकर: रिजर्व बैंक के द्वारा जो ऋण वितरण के लिये राशि मिलती है वह केवल गन्ने के लिये नहीं मिलती है। गन्ने के उत्पादन के लिये कितनी राशि का उपयोग किया गया, वह जानकारी मैंने बताई है। यह प्रश्न तो बहुत बाद में आया था इससे पहले ही समाचार पत्रों में इस तरह का एक समाचार प्रकाशित हुआ था, करीब 6/11/82 को। जिस समय हमने यह देखा उसी दिन 24/11/82 को अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वितीय को जांच के लिये भेजा। उन्होंने अपनी प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट 19/2/83 को प्रस्तुत की। प्रथम दृष्टि में यह मालूम होता था कि ऋण का दुरुपयोग हुआ है और अवैध रूप से ऋण का समायोजन किया गया है यह साफ देखने को मिलता था, इसको ध्यान में रखते हुए सहकारी संस्था अधिनियम, 1965, की धारा 70 के अन्तर्गत संयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) मुख्यावास, जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त कर 30 अप्रैल, 83 तक जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।

इसके साथ साथ मैं यह भी जानकारी के लिये निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिन जिन समितियों को गन्ना उत्पादन के लिये ऋण दिया गया है उनका शत प्रतिशत सत्यापन कराने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं। दूसरा, बैंक में जो रिकार्ड उपलब्ध है उसको प्रबन्ध संचालक ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही साथ

(श्री हनुमान प्रभाकर)
संबंधित सहकारी समितियों के रिकार्ड को जब्त करने के आदेश दिये गये हैं। इसके साथ ही साथ वितरण संबंधी दोषी सहायक अधिकारी और ऋण पर्यवेक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने व उनको निलम्बित करने के आदेश दिये जा रहे हैं। जांच आने पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरीश शर्मा: यह बतायें कि आपने सत्यापन रिपोर्ट सदन के पटल पर क्यों नहीं रखी?

श्री अध्यक्ष: सब बातों की जांच करवा रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री हरीश शर्मा: यह बतायें, क्या सत्यापन 81 में हो चुका है? 81 की रिपोर्ट सरकार के पास है? अध्यक्ष महोदय, परिणाम यह हुआ कि गडबड़ी हो रही है, लोगों की कुड़कियां की जा रही है····

श्री अध्यक्ष: सब बातों पर विचार करके ही मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री हरीश शर्मा: आदेश कर दिये गये?

श्री हनुमान प्रभाकर: बैंक संचालक मंडल ने सत्यापन कराने का फैसला किया। सत्यापन के लिये जिन व्यक्तियों का चुनाव किया गया, दुर्भाग्यवश सहकारी विभाग का उसमें एक भी व्यक्ति नहीं था····

श्री हरीश शर्मा: ई. ओ. था, आप कह रहे हैं कि कोई नहीं था। मेरा अनुरोध है कि आप सही बात कहें।

श्री हनुमान प्रभाकर: कॉलेज के छात्रों को इसमें लगाया गया था। वह कोई रिपोर्ट नहीं थी। एक एक व्यक्ति के लिये उसमें कुछ जनरल दिया था, उसकी साइक्लोस्टाइल कापी है। बैंक अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था इसलिये उस रिपोर्ट में बैंक के अनुसार तथ्य नहीं मिले। हमें प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिस तारीख का मैंने कहा है निश्चित रूप से उस तारीख को रिपोर्ट आ जायेगी। जिस तरीके से अजमेर में ऋण दिया नहीं गया और समायोजन हुआ उसी तरह की बात यहां पर हुई है। 30/4/83 तक कार्यवाही करने की बात कही है। लगभग एक महीने का समय तो लग ही जायेगा सत्यापन के अन्दर, जांच के अन्दर। रिकार्ड जब्त करने के लिये कह ही दिया है। दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश भी दे दिये गये हैं। यह नहीं है कि सरकार प्रश्न प्राप्त करने के बाद ही सतर्क हुई है, समाचार पत्र में इस खबर के छपते ही अपने आप हमने कार्यवाही शुरू कर दी थी। 11 नवम्बर से ही कार्यवाही प्रारम्भ कर दी थी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न!

श्री हरीश शर्मा: रिकार्ड जब्त करने के अधिकार दे दिये हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न!

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): वे यह कह रहे हैं कि रिकार्ड जब्त करने के आदेश दिये हैं क्या?

Page No 7

(7)

श्री अध्यक्ष : मैंने अनुमति नहीं दी है ।

श्री हेमाराम चौधरी !

ग्राम कपूरडी में लिग्नाइट कोयले का भण्डार

712. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के ग्राम कपूरडी में लिग्नाइट कोयले के भण्डार मिले हैं ? यदि हां, तो कितने वर्ग किलोमीटर में एवं उसकी परत की औसत मोटाई क्या है ?

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम में लिग्नाइट कोयले के भण्डार की मात्रा एवं उसकी क्वालिटी के बारे में पता लगाने के लिए विशेष प्रयास करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, खनिज (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां, बाड़मेर के कपूरडी बोटिया क्षेत्र में 7.00 वर्ग मीटर क्षेत्र में औसतन 4.00 मीटर मोटाई के भण्डार करीब 50–120 मीटर की गहराई के बीच खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान द्वारा खोजे गये हैं ।

(2) इन भण्डारों का सर्वेक्षण छिद्रण द्वारा किया जा रहा है व अब तक 52 बोर होल में करीब 6500 मीटर छिद्रण किया जा चुका है । खनिज के नमूनों का रासायनिक विश्लेषण विभागीय एवं कोल सर्वे लेबोरेट्री जम्मू द्वारा किया जा रहा है । विभाग द्वारा इस क्षेत्र के विस्तार का पता लगाने व तकनीकी आंकड़ों के विश्लेषण हेतु भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन व निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से भी सहयोग लिया जा रहा है ।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए आपने कितनी धनराशि की व्यवस्था की है, एक तो यह बतायें ? जो बोर करने के लिए मशीनें लगी हुई हैं, क्या वे पर्याप्त हैं ? तीसरा, मेरा निवेदन यह था कि इसका पता आप कब तक लगा लेंगे कि यहां पर खोल है ? समय आपने नहीं बताया कि कब तक इसका पता लगा लेंगे ? बिजली राजस्थान में नहीं पहुंच रही है, उस समस्या का इससे हल हो सकेगा ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि केन्द्र सरकार के भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और खनिज निगमों से भी इस कार्य के अन्दर सहायता ली जा रही है । सिद्धान्ततया इस बात को मैंने स्वीकार किया है कि एक करोड़ रुपये के लिए जो अपनी सहमति केन्द्र सरकार ने प्रदान की है उतनी ही धन राशि राज्य सरकार इस कार्य में लगायेगी । जहां तक सवाल इस बात का है कि जो सर्वे करवाया जा रहा है उसके लिए मशीनें कम हैं, यह बात सत्य नहीं है । जितनी हमारे पास ड्रिलिंग मशीनें हैं, उनमें से ज्यादातर मशीनों को हमने लिग्नाइट की खोज करने के लिए लगा रखा है । इस सदन में हमेशा इस बात को कहा गया है कि लिग्नाइट आधारित जो भी उद्योग, हमारे राजस्थान की आशायें जिस पर लगी हुई हैं, यहां लगाया जायेगा उसके लिए राज्य सरकार अपनी ओर से

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

पूरा प्रयत्न कर रही है। जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा करने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं, मशीनें जो केन्द्र सरकार से मिली हैं वह कोई भी काम में क्यों नहीं आ रही हैं ? दूसरा, यह जानना चाहता हूँ कि कम से कम कितनी क्वांटिटी चाहिए जिससे आप इसके ऊपर कोई दूसरे कार्य चालू करा सकें, क्या मिनिमम····

श्री अध्यक्ष : मिनिमम का तो उनको क्या मालूम, कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : वहां मशीनें काम कर रही हैं, और भी ज्यादा मशीनें वहां लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। खुदाई होगी, सर्वे करवा लिया जायेगा तब ही पता लगेगा कि कितने भण्डार हैं, तब ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा। आज तो कहने की स्थिति में नहीं हैं लेकिन वहां काफी अच्छी तादाद में भण्डार मिले हैं। और भी अधिक मशीनें लगने की सम्भावना है इस कार्य पर इसलिए जल्दी से जल्दी सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट आने पर ही कोई कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न संख्या–713

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री लच्छूराम !

(अनुपस्थित ; कृपया आगे देखें)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे····

श्री अध्यक्ष : आपके पास लिखित में कोई अधिकार नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं निवेदन कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था। बीमारी के कारण यहां नहीं आ सके····

श्री अध्यक्ष : यह तो व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण ही आते हैं सब यहां पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह था कि दो ही मिनट····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह इजाजत नहीं दूंगा। अगला प्रश्न ! श्री नन्द लाल मीणा।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : हमारे गांव के विकास का इससे ताल्लुक है, हमें कुछ तो बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने इजाजत नहीं दी है, माननीय सदस्य, आपको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उन्होंने मुझे कहा था····

श्री अध्यक्ष : आप यहां स्वयं इस प्रश्न को पूछ सकते थे। ऑर्डर प्लीज। श्री नन्द लाल मीणा। कृपया समय न लें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत जनजाति व्यक्तियों को ऋण

714. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत जनजातियों को वर्ष 1980—81 से अब तक कितना उपभोक्ता एवं सामाजिक ऋण वितरण किया गया? लक्ष्य कितना निर्धारित था ? कृपया लैम्पसवार व वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(2) जयसमंद झील पर मत्स्य आखेट का कार्य वर्ष 1980 से अब तक किस व्यवस्था से किया जा रहा है ? मछली विक्रय किसके माध्यम से किया जा रहा है ?

(3) अब तक आखेट में लगे लोगों को कितनी नावें व जालें किस किस व्यक्ति को सौंप रखी हैं ? आखेट में कुल कितने गैर आदिवासी और गैर राजस्थानी हैं ? इनको कितनी नावें और जाल दे रखे हैं ? कृपया विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(4) मत्स्य आखेट से विपणन तक में क्या कोई ठेका प्रणाली भी चालू कर रखी है ?

उप मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री गोविन्द आमलिया) : (1) जन जाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत आदिवासियों को उपभोक्ता एवं सामाजिक ऋण वितरण करने हेतु वर्ष 80-81 व 81-82 में क्रमशः 3.70 लाख व 2.20 लाख का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से क्रमशः 3.23 व 2.26 लाख का ऋण वितरण किया गया । वर्ष 82-83 में जनवरी, 83 तक 1.19 लाख रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है । लैम्पस वार ब्यौरा सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(2) जयसमन्द झील में मत्स्य आखेट का कार्य राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा छः मत्स्य सहकारी समितियों एवं कुछ बाहर के मछुआरों के माध्यम से करवाया जा रहा है । मछली विक्रय राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ द्वारा जयसमन्द मत्स्य तोल केन्द्र पर उच्चतम निविदा दरों पर किया जा रहा है ।

(3) छः मत्स्य सहकारी समितियों को 197 नावें एवं 3717 किलो जाल उपलब्ध कराया गया है । सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

जयसमन्द झील में वर्ष 82-83 में 143 गैर राजस्थानी मछुआरे भी कार्य कर रहे हैं । इन लोगों को 43 नावें दी गयी हैं । जाल इनका स्वयं का होता है।

(4) मत्स्य आखेट में कोई ठेका प्रणाली प्रचलित नहीं है । विपणन हेतु निविदा आमंत्रित कर उच्चतम दरों पर मत्स्य विक्रय जयसमन्द तोल केन्द्र पर ही किया जाता है ।

(ब्यौरे एवं सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा प्रश्न के भाग-1 में मैंने यह जानकारी चाही थी कि कितना पैसा सामाजिक ऋण के रूप में दिया जाता है। माननीय मंत्री महोदय ने उपभोक्ता ऋण के बारे में वर्णन कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि आदिवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए अगस्त, 76 में सामाजिक ऋण वितरण की व्यवस्था की गई थी और उसके अन्तर्गत 77-78 में 63 हजार, 78-79 में 1.22 लाख, 79-80 में एक लाख रुपया प्रति वर्ष प्रति परिवार 750 रुपये के हिसाब से ऋण के तौर दिये गये थे ? कांग्रेस गवर्नमेंट के आने के बाद उस योजना को बन्द कर दिया गया, क्या यह सही है ?

श्री गोविन्द आमलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है 80-81 का और अब पूछ रहे हैं 78 का। प्रश्न यह है कि जो ऋण पहले से दिये जा रहे थे, उसी तरह से आज भी दिये जा रहे हैं। परिवार में बीमारी पर, मृत्यु पर ऋण दिया जाता है। इसी तरह से उपभोक्ता ऋण जो दिया जाता था, अब भी उसी तरह से उपभोक्ता ऋण दिया जा रहा है। इसको कम नहीं किया जा रहा है।

श्री नन्दलाल मीणा : उपभोक्ता और सामाजिक ऋण वितरण के सम्बन्ध में मैंने पूछा है, लक्ष्य कितना रखा है, कितना वितरण किया है ? यह भी कहा है कि 750 प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जाता था उसको बंद करके 250 रुपए किया है।

श्री गोविन्द आमलिया : यह गलत है कि 750 से 250 रुपए किया गया है। अब भी 750 दिया जा रहा है।

श्री नन्दलाल मीणा : दूसरा सवाल, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह है कि जयसमन्द झील पर आखेट, जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि ··

श्री अध्यक्ष : दो प्रश्न एक साथ···

श्री नन्दलाल मीणा : जनजाति सहकारी निगम से सम्बन्धित है। 77 में जयसमन्द झील का ठेका आदिवासी सहकारी निगम को सौंपा तब से जनता शासन के दौरान मच्छी विपणन में बराबर बढ़ोतरी होती रही। 79-80 में 32.37 लाख का विपणन हुआ था, 80-81 में यह राशि घट कर 18.85 हो गई और 81-82 में घटकर 9.73 लाख रह गयी। मैं, मंत्री महोदय, आपसे जानना चाहता हूं कि नावें और जाल देने के बाद कौनसी परिस्थितियां पैदा हो गई जिनकी वजह से मच्छी विपणन में कमी आ गयी ?

श्री अध्यक्ष : 78-79 में ज्यादा मछली निकाल ली होंगी।

श्री नन्दलाल मीणा : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह नीति से सम्बन्धित सवाल है। जब निगम के पास ठेका गया उससे पहले जो राज्य सरकार को लाभ मिल रहा था, उससे अधिक पैसा मिला, परन्तु ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गयी कि 80-81 के बाद लगातार प्रति वर्ष मछली विपणन में कमी आती गयी, जबकि नावें और जाल···

श्री गोविन्द आमलिया : 79-80 से लगातार पानी नहीं आने की वजह से मछलियां नहीं आ रही हैं इस कारण मछली वहां पूर्व वर्षों से कम पकड़ी जा रही हैं।

Page No 11

(11)

(श्री गोविन्द श्रामलिया)
79-80 में 959 मैट्रिक टन का उत्पादन था। यह सही है कि लगातार मछली पकड़ने में कमी आ गयी है लेकिन मछली कम आने के कारण कम पकड़ी जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री नन्दलाल मीणा : एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि आपके निगम के अधिकारियों द्वारा अखबारों में ठेके के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रसारित की गई थी कि जयसमन्द झील पर एक ट्रक मछली, जिनकी कीमत 15 हजार रुपये होती है, निकलती हैं ? ये दिल्ली से कलकत्ता और मद्रास जाती हैं। 15 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक महीने की लगभग साढ़े चार लाख और इसी प्रकार एक साल की 54 लाख रुपये की आमदनी होनी चाहिये, तो फिर साढ़े नो लाख रुपये की आमदनी होने का क्या कारण है ?

श्री गोविन्द श्रामलिया : अध्यक्ष महोदय, यह मेरी जानकारी में नहीं है कि निगम के अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की विज्ञप्ति.......

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये आधे घन्टे की चर्चा के लिये रख दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर विचार करूंगा।

अगला प्रश्न। श्री भैरूंसिंह गुर्जर !

पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन रानी व देसूरी में चलने वाली बसें

715. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन रानी व देसूरी (जिला पाली) के विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों से चलने वाली बसों का कृपया विवरण प्रस्तुत करें।

(2) किन किन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर बसें नहीं जा रही हैं ? वहां बसें चलाने हेतु सरकार क्या प्रयास करने जा रही है ?

(3) क्या क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों द्वारा इन पंचायत समितियों में बस व्यवस्था हेतु सरकार को शिकायतें की गईं ? यदि हां, तो कब कब और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

राज्य मन्त्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) विवरण परिशिष्ट 'क' में उपलब्ध है।

(2) जिन जिन ग्राम पंचायत मुख्यालयों से बसें नहीं जा रही हैं उनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

1. पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन—

(1) बोरनाड़ी

(2) चौकड़िया

(3) कराड़ी

(4) बासनी

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

2. पंचायत समिति रानी :

(1) इटन्द्रा चारणान

(2) जीवन कल्ला

(3) सालेरिया

3. पंचायत समिति देसूरी–

(1) कोठारी

(2) माडीगर

(3) केसूली

(4) वड़ोद

(5) इन्द्रवाड़ा

ग्राम पंचायत मुख्यालय को बस सेवा से जोड़ने हेतु जिला परिवहन अधिकारी पाली से सुझाव प्राप्त हुये हैं जिन पर विस्तारपूर्वक सर्वे कराकर मामला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के समक्ष रखा जायेगा।

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में दिनांक 23–6–1982 व 20–7–1982 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनके आधार पर सम्बन्धित मांगों का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जा रहा है। उसके उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री भैरूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को क्या यह जानकारी है कि आजादी के 35 साल के बाद आज भी इन ग्राम पंचायतों, जहां बसें नहीं जा रही हैं, में लोग पैदल आते-जाते हैं? घोड़े और गधों पर और पैदल चल कर जाते हैं तो आजादी के बाद 35 वर्ष में आपने क्या विकास किया?

मैं आपसे निवेदन करूं इस बारे में कि आपने जो सूचना दी है, प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं। मंत्री महोदय, 1980 में जब मैं चुन कर विधान सभा में आया तब से बराबर यह मांग करता आ रहा हूं। इसके अलावा और ग्राम पंचायतें हैं जिनको अभी तक बसों से नहीं जोड़ा गया है। खुद आप के 4 पत्र प्राप्त हुये हैं। एक पत्र मैंने लिखा था वह आपने गलती से रोडवेज को भेज दिया, उसने वापस आपको भेज दिया। कम से कम 8 पत्र आर. टी. ओ. और डी. टी. ओ. के प्राप्त हुये हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि पिछले 3 साल के अन्दर जिस गति से चले हैं तो कैसे बसों से जोड़ देंगे?

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य, आपकी जानकारी के लिए कहता हूं कि बसों से सम्बन्धित...

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि गांव वाले मुफ्त में बसों से यात्रा करना चाहते हैं...

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बसों को चलाने के लिए रास्ता, सड़कें और उस रूट पर बस चलाने के लिये बस आपरेटर्स उपलब्ध हैं या नहीं, यह सब देखना होता है। पूरे देश के अन्दर 100 पर्सेन्ट नेशनलाइजेशन हो नहीं पाया है। हर एक गांव पंचायत को जोड़ने का सवाल थोड़े ही है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आपने जो प्रतिवेदन 1980 से रखे, मेरे पास जो बस आपरेटर्स उपलब्ध थे मैंने उनके आधार पर आपके प्रतिवेदनों को देखा।

(श्री जय कृष्ण शर्मा)

जैसा रोडवेज के बारे में आपने कहा, मैंने वह पत्र रोडवेज को इस जानकारी के लिये भेजा था कि कोई ऐसी पंचायत या गांव जो नेशनलाइज्ड रूट्स पर पड़ते हों उनको शामिल कर लिया जाय। और आप कह रहे हैं अनभिज्ञता से या गलती से भेज दिया। मेरी अनभिज्ञता और गलती बता रहे हैं इसका मुझे बड़ा अफसोस है। यह आपको खुद मालूम होना चाहिये कि बस से हर गांव, हर पंचायत को जोड़ने के लिए सर्वे करा लिया गया है। जहां जहां बस चल पायेंगी, जहां जहां सड़कें उपलब्ध हुई, रास्ता उपलब्ध हुआ वहां पर बसें चलाने के लिये मैं कोशिश करूंगा। सर्वे करा लिया गया है। आपके यहां जिन जिन पंचायतों को जोड़ना है उसके सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही कर ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। 3 साल से मैं यह मांग कर रहा हूं कि लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। इसके लिये 3 साल से बराबर लिख रहा हूं। मैंने पत्र में स्पष्ट लिखा था कि निजी बस मालिकों द्वारा बार बार कोशिश की जा रही है। कई गांव ऐसे हैं जो सूची में नहीं दिये हैं जहां रूट्स सेंक्शन हैं, उन रूट्स पर भी बसें नहीं चल रही हैं। चवाड़िया, करेली, कोट सोलंकियान (देसूरी) में बसें नहीं जा रही हैं, उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेंगे ?

मैं आपकी जानकारी के लिये कह रहा हूं कि हमारे यहां फेमिन में 3 साल से सड़क बनी हुई है रूट्स कच्चे हो गये हैं। बस मालिक उपलब्ध करवाने की मेरी जिम्मेदारी है। क्या आप इस सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन करायेंगे ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य, मैं आपको जानकारी दे दूं कि गजट नोटिफिकेशन करने का जहां तक सवाल है उसकी एक प्रक्रिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सर्वे करा लिया गया है और सर्वे कराने के बाद गजट नोटिफिकेशन तो होगा।

जहां तक यह कह रहे हैं कि परमिट दिये हुये हैं, रूट्स सेंक्शन है, बसें वहां जाती नहीं हैं। ऐसी कोई जानकारी दें तो उसके बारे में मैं कार्यवाही करूंगा . .

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : तीन साल से पत्र भेज रहा हूं। लोग बसों को तरस रहे हैं उसके बावजूद आप यह जवाब देते हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : 3 साल बाद भी यह जवाब मिला है कि मैं कार्यवाही करूंगा लोग बसों के लिए तरस रहे हैं, गजट नोटिफिकेशन निकालने के बारे में जवाब देने से या कार्यवाही करने से . . .

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री रामकिशोर मीणा।

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे यहां भी इसी प्रकार की समस्या है। मैं बार बार मंत्री महोदय के निवास स्थान पर जाकर के निवेदन करता हूं कि बसों की व्यवस्था करें, लोग परेशान हो रहे हैं लेकिन कोई

(श्री देवीलाल)
सुनवाई नहीं होती है। मंत्री महोदय के दरवाजे पर जाकर वापस आ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो मारवाड़ जंक्शन के सम्बन्ध में प्रश्न है, जनरल प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर। अगला प्रश्न !

श्री रामकिशोर मीणा !

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : प्रश्न संख्या 716.

श्री अध्यक्ष : आपके बारे में लिख कर के उन्होंने नहीं दिया है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम इस प्रश्न के ऊपर है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। आपका नाम लिखा है।

राजस्व मण्डल की बैंच की स्थापना

716. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) एवं **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने पूर्व में राजस्व मण्डल को खण्डित नहीं करने एवं उसकी सर्किट बैंच अन्यत्र नहीं लगाने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो इसका आधार क्या था ?

(2) क्या यह भी सही है कि अब सरकार द्वारा राजस्व मण्डल की सर्किट बैंच खोलने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और इसका आधार क्या है ? यह बैंच कहां स्थापित होगी एवं इसके गठन की क्या व्यवस्था होगी ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) राजस्व मण्डल को खण्डित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया।

(2) जी हां। राजस्व मण्डल की सर्किट बैंच जयपुर, उदयपुर व जोधपुर में खोलने का निर्णय सन् 1971 में लिया गया। जयपुर में वाणिज्य कर वादों की सुनवाई हेतु तथा उदयपुर में आदिवासी क्षेत्र होने से राजस्व वादों की सुनवाई हेतु सर्किट बैंच लगती है। जोधपुर में पक्षकारों के रजामन्दी होने पर तथा वाद नियत होने पर सर्किट बैंच लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि 1978 में सर्किट बैंच लगाने का किया गया निर्णय 1980 तक लागू नहीं हुआ और 1981 में जब इसकी चर्चा चली, किसी ने सवाल उठाया तो तत्कालीन राजस्व मन्त्री, श्री रामपालजीउपाध्याय ने जवाब दिया कि यह निर्णय अनुचित है इसको लागू नहीं किया जायगा ? नम्बर एक।

दूसरा क्या यह सही है कि राजस्व मण्डल की सर्किट बैंच में राजस्व मण्डल के दो मैम्बर नहीं जाते हैं, केवल एक मैम्बर ही जाता है और वहीं से किसी अधिकारी को भेज दिया जाता है, जो अनुचित बात है?

(श्री कैलाश मेघवाल)

तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि जब इस बारे में निर्णय ले लिया गया था तो अब सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, 1971 में यह फैसला किया गया था कि उसको वापस नहीं लिया जाय। माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि सर्किट बेंच का निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में लागू नहीं होता है और वह फैसला राजस्व मण्डल का फैसला नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जहां सिंगल जज की आवश्यकता होती है वहां सिंगल जज को भेजा जाता है और जहां डबल जज की आवश्यकता हो तो वहां डबल जज भेजते हैं। जयपुर में जो बेंच है वह वाणिज्य कर वालों के लिये है, उदयपुर की बेंच आदिवासी इलाका होने से उनके केसेज निपटाने के लिए है और तीसरी बेंच जो जोधपुर में स्थापित है, दोनों पार्टियां अगर एग्री हो जाती हैं तो वह मामला जोधपुर की बेंच में जाता है। अब जहां तक खण्डित होने का प्रश्न है, अभी तक हमारी जानकारी में कोई भी फैसला खण्डित नहीं हुआ है। हाई कोर्ट की बेंच जयपुर में भी है जब कि हाई कोर्ट जोधपुर में है। राजस्व मण्डल का हैडक्वार्टर अजमेर में है, राजस्व मण्डल की बेंच रेगुलरली कहीं पर भी नहीं बैठती है, समय समय पर अलग अलग जगह बैठती है इसलिये किसी प्रकार की दुविधा का सवाल नहीं है। मेरे पूर्व के मन्त्री महोदय ने क्या आश्वासन दिया यह मुझे अभी ज्ञात नहीं है। आज की स्थिति जो है उसके हिसाब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वापस लेने का कोई इरादा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह बेंच कब से चलती है जोधपुर और जयपुर में ? उदयपुर...

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में निर्णय लागू इसलिए नहीं हुआ कि यहां पर चर्चा हो गई। ये क्या करते हैं कि एक मेम्बर राजस्व मण्डल का रखते हैं और एक मेम्बर वहीं का जो कमिश्नर लगा हुआ है उसको ऐड करके बेंच बना देते हैं। इसलिए मैंने पूछा कि इसकी प्रक्रिया क्या है। मेरा कहना यह है कि यह जो आपकी बेंच बनाने की प्रक्रिया है, अनुचित है। अच्छे, जानकार लोगों के आधार पर जो पेशियां होती हैं वह अधीनस्थ न्यायालयों के लिए ज्यादा उचित होगा, इसलिए क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करने का विचार रखती है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया है, कोई नई बात है क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक दूसरे मेम्बर को लेने का प्रश्न है, राजस्व मण्डल में आई. ए. एस. अधिकारी भी लगाये जाते हैं, वह वहां मेम्बर बन सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति नहीं है कि वह कैडर का नहीं होता हो। जरूरत पड़ जाती है तो हम उसको बैठा लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री दीपेन्द्र सिंह।

बहुत ही विस्तृत जानकारी चाही गई है इसमें।

(16)

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर): महत्व-पूर्ण प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, हमारा तो भविष्य इसी के साथ जुड़ा हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। प्रश्न-कर्त्ता।

प्रदेश में शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या

717. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर): क्या रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 1983 तक प्रदेश में शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगार युवकों की संख्या कितनी थी ?

(2) उपरोक्त में से स्नातकोत्तर, स्नातक हायर सैकन्डरी, मिडल योग्यता के बेरोजगार युवकों की संख्या जिलेवार बताने की कृपा करें।

(3) गत तीन वर्षों में बेरोजगारों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई ? वार्षिक आंकड़े प्रस्तुत करने की कृपा करें।

शिक्षा मंत्री, (श्रीमती कमला) : (1) दिसम्बर, 1982 तक प्रदेश में शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगार पंजीकृत युवकों की संख्या क्रमशः 1,95,490 तथा 2,07,358 थी।

(2) जिलेवार सूचना तालिका सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) पंजीकृत बेरोजगारों के सम्बन्ध में आंकड़े निम्न प्रकार है :—

वर्ष	संख्या	प्रतिशत
31-12-1980	3,61,710	7.05
31-12-1981	3,96,791	9.59
31-12-1982	4,02,848	1.52

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्पेसिफिक तीन प्रश्न माननीय मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह संख्या तो नियोजन कार्यालय में जो रजिस्टर्ड हैं, उनकी है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : ये आंकड़े जो प्रस्तुत किये हैं, नियोजन कार्यालय से जो सरकार को प्राप्त हुए हैं वह हैं। मेरी मान्यता है सरकार युवकों,...

श्री अध्यक्ष : यही तो मैंने निवेदन किया था।

श्री दीपेन्द्र सिंह : उसी के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। जिनके नाम नियोजन कार्यालय में नहीं हैं, उनके बारे में सरकार क्या करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : जनगणना में यह सब आया होगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह : जनगणना में है तो रिपोर्ट इस प्रश्न के जवाब में आनी चाहिये।

श्रीमती कमला : सेन्सज के अन्दर आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं। जो पंजीकृत नवयुवक हैं उनकी संख्या मैंने पढ़ कर बताई।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, इसको इस तरह से टाला जा रहा है।

(व्यवधान)

सम्पलीमेण्ट्री पूछने का अधिकार तो प्रश्नकर्ता को होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 1981 के आंकड़े छिपाये जा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, तीन साल में 40 परसेन्ट संख्या बढ़ी है

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : राजस्थान सरकार भविष्य में इन बेरोजगार युवकों के लिये क्या योजना बना रही है, यह तो कम से कम सामने आना चाहिये।

(व्यवधान)

एक तरफ तो नवयुवक बेरोजगारों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। प्रजातांत्रिक सरकार को रोजगार देने की गारन्टी देनी चाहिये।

(व्यवधान)

गलत आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है प्रदेश में, केवल आंकड़ों से पेट नहीं भरता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है।

ऑर्डर ऑर्डर। बैठ जाइए।

श्री दीपेन्द्र सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हो सकती।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया, बिराज जायें।

(व्यवधान)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 18

(18)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया, स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है, कृपया बैठ जायं। ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठ जायं, ऑर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

सरकार की ओर से कुछ कहा जा रहा है। यह बड़ा विस्तृत प्रश्न है।

ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

बेरोजगारी से भारत की ही नहीं दुनिया की अधिकतर आबादी प्रभावित है।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। इस प्रश्न के बारे में यदि माननीय सदस्यों को चिंता है तो जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है उस वक्त राज्य सरकार किस तरह से हल करना चाहती है····

(व्यवधान)

माननीय सदस्य !

प्रश्न के माध्यम से उत्तर नहीं आ सकता। हमारी आर्थिक स्थिति, योजना··

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें, बैठ जायं। अगला प्रश्न। स्थगित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह नहीं आ सकता। पूरक प्रश्नों की इसमें गुंजाइश नहीं है। स्थगित प्रश्न।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मसला कितना गम्भीर है, यह तो आप भी अनुमान लगा सकते हैं..

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, आप अपनी निष्पक्ष राय दीजिए। यह बताइए कि मसला इस तरह प्रश्न के माध्यम से हल हो सकता है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं।

श्री अध्यक्ष : तो मैं सही हूँ ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो हम हमेशा सही मानते हैं। मेरा निवेदन है कि मसला गम्भीर है, माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों के उत्तर से पूरा समाधान नहीं हो सकता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस मसले पर गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट देने की स्थिति में है ? यहां दो तीन प्रश्न खड़े किए गए। पहला प्रश्न था कि सरकार ने नई भर्ती पर बैन लगा रखा है, केवल गवर्नमेंट सर्विसेज पर ही नही..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चीफ व्हिप कुछ डिस्कस कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : चीफ व्हिप साहब के लिए बहुत बड़ी समस्यायें हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो पहला प्रश्न यह है कि सरकार ने बैन लगा रखा है उस सम्बन्ध में सरकार क्या विचार कर रही है, वह बैन रहेगा या हटेगा ? दूसरे, बैन जो लगाया था कुछ अंश में हटाया भी है, उसका

(श्री भैरोंसिह शेखावत)
प्रभाव कितने दिनों तक रहा और रहेगा ? सरकार ने निगमों में भी नई भर्ती पर बैन लगा रखा है, क्या सरकार ने वास्तव में जितने बेरोजगार हैं उनके आंकड़े उपलब्ध कराने की चिंता करने की कोशिश की है ? रजिस्टर्स में जो आंकड़े होते हैं वह तो बेकारों की वास्तविक संख्या, सही अनुमान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यही तो मैंने निवेदन किया था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इस जवाब से न आपको संतोष हो सकता है, न सरकार ही सबके जवाब दे पाएगी। ऐसे गम्भीर मसले, बेरोजगारी की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है, क्या कार्यक्रम है, 20 सूत्री कार्यक्रम में यह जो बात आई है उसको किस रूप में आप पूरा करना चाहते हैं, इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य देने की स्थिति में हैं ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में विपक्ष के नेता महोदय ने दो-तीन प्रश्न किये हैं और कुछ माननीय सदस्यों ने इसको बहुत गम्भीरता का मामला बताते हुए काफी कुछ बोला भी है। मैं इसमें दो बात कहना चाहती हूं। आज विभाग के पास में जो बेरोजगार नवयुवकों की संख्या है वह तो मैंने बताई है और जो नवयुवक और बेरोजगार हैं, जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है, उनके बारे में मैंने स्वयं ने कहा है कि हमारे पास इस वक्त तत्काल कोई संख्या उपलब्ध नहीं है। अभी जो सेंसस की गई है उसमें यह आंकड़े इकट्ठे करने के आदेश दिये गये थे वह इकट्ठे किये जा रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 40 प्रतिशत हैं।

श्रीमती कमला : उन आंकड़ों के मुताबिक कितने और बेरोजगार नवयुवकों की संख्या सामने आती है उसको देखने से संख्या की बात कही जा सकती है। जहां तक यह बात है कि बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए सरकार क्या कर रही है, उसके बारे में, माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि राज्य सरकार ने एवं भारत सरकार ने बहुत सारी ऐसी परियोजनायें और योजनायें राज्य के अन्दर दे रखी हैं जिनके माध्यम से बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने का कार्यक्रम जारी है। सबसे बड़ी रोजगार की योजना जो है, आई. आर. डी. पी. की ट्राइसम ट्रेनिंग योजना और दूसरी योजना के तहत उनको लोन वगैरह देकर एस्टेबिलश करने की योजना है दूसरा, एन. आर. ई. पी. के माध्यम से भी यह व्यवस्था की जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। उद्योग विभाग के अन्दर भी यंग एन्टरप्रिन्योर्स को एनकरेज करके कुछ रियायतें देकर के एस्टेब्लिश किया जाये, इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जैसा विपक्षी दल के माननीय नेता महोदय ने पूछा कि राज्य सरकार के विभागों और संस्थानों पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है उसको खोलने या नहीं खोलने के बारे में सरकार का निर्णय क्या है। यह बात सही है कि अभी विभागों और संस्थानों में भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि जिन जगहों पर आप जरूरी समझते हैं कि इस पर अगर नई भर्ती नहीं की

Page No 20

(20)

(श्रीमती कमला)
गई तो कार्य की कुशलता की दृष्टि से, कार्य को अंजाम देने की दृष्टि से बहुत परेशानी होगी, उसका विवरण प्रस्तुत करें जिससे कि जो प्रतिबन्ध है वह हटाया जाये और उन विशेष स्थानों पर भर्ती की कार्यवाही की जाये।..

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 40 प्रतिशत बेकारी बढ़ी है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मंत्री महोदया का उत्तर आने दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 1981 के अनुसार 41 प्रतिशत बेरोजगारी बढ़ी है इन योजनाओं के रहते हुए, अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती कमला : इसके अलावा अनुसूचित जाति के जितने भी..

श्री अध्यक्ष : उनके लिए कुछ बड़े बांध बनाये जायें। बड़े कारखाने, छोटे कारखाने हैं उन सभी में काम कर रहे हैं

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनको नौकरी नहीं दिलाई गई। 40 प्रतिशत बेरोजगारी एन. आर. ई. पी. और आई. आर.डी.पी. के होते हुए भी बढ़ी है। 1981 की जनगणना रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है।

श्री अध्यक्ष : इस लम्बे चौड़े प्रश्न का हल...

व्यवधान

आर्डर, आर्डर। बैठ जायं, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : बैन लगाने से करप्शन बढ़ा है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

स्थगित प्रश्न संख्या 425

श्री रतनलाल ताम्बी।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर): यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा। उन्होंने उसको पूछ लिया और पूछने के बाद गैर हाजिर हो गये। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सीकर का बाई पास

713 श्री लच्छराम (मण्डावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

क्या सरकार सीकर का बाई पास ग्राम गोकुलपुरा से सांवली से सबलपुरा (नेशनल हाई वे 11) से ग्राम कुडली होकर निकालने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या सरकार, सीकर शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या व यातायात के भारी आवागमन को ध्यान में रखते हुए इस बाई पास का शीघ्र निर्माण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। सीकर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग नंबर 11 पर स्थित है। अतः सीकर बाई पास बनाने का कार्य भारत सरकार (परिवहन मंत्रालय) की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 मार्च, 1983)

स्पेशल रोड टैक्स पर पुर्नविचार

425. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यातायात व्यवस्था के लिए विभिन्न वर्गों के मार्गों की श्रेणी निर्धारित है? यदि हां, तो इन श्रेणी के मार्गों पर "स्पेशल रोड टैक्स" नामक नया कर एवं प्रणाली लागू की गई है?

(2) स्पेशल रोड टैक्स अक्टूबर, 1982 से लागू होने के बाद प्रत्येक जिले में कितना टैक्स निर्धारित हुआ और कितना वसूल हुआ? कृपया विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि स्पेशल रोड टैक्स पर पुर्नविचार हेतु विधायकों, वाहन स्वामियों ने ज्ञापन, मांग-पत्र तथा विरोध प्रदर्शन किया था? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अक्टूबर, 82 से जनवरी, 83 तक प्रत्येक जिले में मंजिली निजी बसों से अनुमानित कर वसूली का जिलेवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में उपलब्ध है।

(3) जी हां। कुछ बिन्दुओं पर विचार किया जा रहा है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वाला वाला से कपूरा वाला (सांगानेर) सड़क निर्माण

898. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) सांगानेर तहसील की वाला वाला से कपूरा वाला की सड़क कब स्वीकृत हुई? उस पर अभी तक कितनी धन राशि व्यय की गई?

(2) क्या यह सड़क अभी पूरी नहीं हुई? यदि हां, तो क्यों? उक्त स्वीकृत सड़क को राज्य सरकार अब कब तक पूरा करवा देगी?

उत्तर

(1) सांगानेर तहसील में वाला वाला से कपूरा वाला सड़क की स्वीकृति वर्ष 74-75 में हुई। इस कार्य पर अभी तक 1,01,538/- रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(2) जी हां। धनाभाव के कारण सड़क पूरी नहीं कराई जा सकी है। धन की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जायेगा।

अलवर में शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये स्थानान्तरण

900. श्री जीतमल जैन (अलवर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1981–82 में जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर द्वारा कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये ?

(2) उक्त स्थानान्तरणों में से कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण इच्छित स्थान पर एवं कितने प्रशासनिक कारणों से एवं कितने अन्य कारणों से किये गये ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981–82 में जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर द्वारा 293 अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये।

(2) उक्त स्थानान्तरणों में 273 अध्यापकों के स्थानान्तरण इच्छित स्थान पर, एवं 20 अध्यापकों के स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किये गये।

विद्युत् मण्डल में हड़ताल के दौरान सुरक्षा पर व्यय

901. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विद्युत मण्डल में 1982 में 57 दिनों की हड़ताल में हड़ताल से निपटने हेतु सुरक्षा में कितना खर्चा आया ? कृपया पृथक पृथक वृत्तवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस हड़ताल में तोड़फोड़ से कितनी हानि हुई ?

उत्तर

(1) सुरक्षा एवं कानून व व्यवस्था के लिये राज्य सरकार द्वारा सामान्य मद से ही व्यय किया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार मण्डल द्वारा अपनी सम्पत्ति एवं कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु प्राप्त की गई होम गार्ड्स की सेवाओं पर लगभग 25.37 लाख रुपये व्यय किये गये जिसकी वृत्तवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रसारण लाइनों की पैट्रोलिंग पर भी धनराशि व्यय की गई थी जिसमें गाड़ियों के संचालन एवं दैनिक वेतन पर रखे गये कर्मचारियों पर किया गया व्यय भी शामिल था; किन्तु उसमें "सुरक्षा" पर कितना अंश तथा सामान्य व्यवस्था पर कितना अंश व्यय किया गया इसके आंकड़े पृथक् से दिया जाना सम्भव नहीं है।

(2) इस हड़ताल के दौरान 220 के. वी. के 3 टावर व 132 के. वी. के 22 टावर क्षतिग्रस्त किये गये। इसके अलावा 45 टावर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त किये गये। हड़ताल के दौरान तोड़फोड़ से हुई हानि का निश्चित अनुमान लगाना कठिन है तथापि इस तोड़फोड़ से हुई क्षति को सुधारने हेतु अनुमानतः 8 लाख 65 हजार रुपये व्यय किये गये। उच्च प्रसारण लाइनों में 311 घटनाएं 33 के. वी. लाइन एवं 294 घटनाएं 11 के. वी. लाइन में तोड़फोड़ (सेबोटेज) की हुईं। इसी हड़ताल के दौरान 33/11 के. वी. विद्युत उप-चौकियों पर 3 जगह एवं 11/0.4 के. वी. उप-चौकियों पर 81 जगह तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं जिन्हें उपलब्ध संसाधनों से सुधारा गया। इसके

(ऊर्जा मन्त्री)

पृथक् से व्यय के आंकड़े संकलित नहीं किये गये। इन घटनाओं में 33/11 के. वी. का 5 एम. वी. ए. का एक ट्रांसफार्मर एवं 11/0.4 क. वी. ए. के 100 के. वी. ए. के पांच ट्रांसफार्मर, 63 के. वी. ए. के दो ट्रांसफोर्मर, 50 के. वी. ए. के नो ट्रांसफार्मर व 25 के. वी. ए. के पांच ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए। यदि इन ट्रांसफार्मर्स को पूर्णतया क्षतिग्रस्त मान लिया जावे तो इनकी वर्तमान मूल्य पर कीमत लगभग 5.89 लाख रुपये आती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

सवाई माधोपुर में संस्कृत विषय की पढ़ाई

982. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उप खण्ड सवाई माधोपुर में सैकेण्डरी तथा हायर सैकण्डरी स्कूलों में संस्कृत वैकल्पिक रूप में पढ़ाई जाती है? यदि हां, तो किन-किन स्कूलों में? उनमें संस्कृत के छात्रों की संख्या इस वर्ष कितनी रही?

(2) क्या यह भी सही है कि सवाई माधोपुर कालेज में संस्कृत वैकल्पिक विषय की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा सवाई माधोपुर में इस वर्ष संस्कृत का नया विषय खोलने का इरादा है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उप खण्ड सवाई माधोपुर में सैकण्डरी तथा हायर सैकण्डरी स्कूल में संस्कृत वैकल्पिक विषय पढ़ने वाले छात्रों की शालावार सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। वर्ष 1983-84 में महाविद्यालयों में नये विषय खोलने का बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

बाणगंगा नदी, कोटा पर विद्युत उत्पादन की योजना

903. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के मांगरोल कस्बे में बाणगंगा नदी पर विद्युत पैदा करने की सरकार की योजना है? यदि हां, तो उक्त योजना की विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें।

(2) उक्त योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च करने का प्रावधान है, कितनी विद्युत पैदा की जायेगी, इसका उपयोग क्या होगा और इस पर कार्य कब प्रारम्भ किया जावेगा?

(3) क्या सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए उक्त योजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगी?

उत्तर

(1) कोटा जिले के मांगरोल कस्बे में बाणगंगा एक्वाडक्ट के पास चम्बल की दाई मुख्य नहर पर एक लघु-पन-विद्युत

(ऊर्जा मन्त्री)

गृह लगाने की योजना है। इस योजना के अधीन दो-दो मेगावाट क्षमता के तीन संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है।

(2) चम्बल की दाईं मुख्य नहर पर प्रस्तावित इस योजना की वर्तमान में अनुमानित लागत 611.15 लाख रुपये है तथा इसकी प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता छः मेगावाट की होगी। इससे उत्पादित बिजली का उपयोग राज्य के विद्युत् तंत्र के माध्यम से मांगरोल क्षेत्र सहित समूचे राज्य में किया जावेगा। केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा माह नवम्बर 1981 में इस योजना को तकनीकी एवम् आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस योजना का विस्तृत सर्वेक्षण करा लिया गया है तथा योजना के क्रियान्वयन के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण व केन्द्रीय जल आयोग को परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। विद्युत गृह के लिये विस्तृत सर्वेक्षण भी करा लिया गया है तथा जेनेरेटर व टरबाइन के स्पेसिफिकेशन बनाने का कार्य चल रहा है। इस योजना के निर्माण का कार्य वित्तीय वर्ष 1983–84 में प्रारम्भ किये जाने की संभावना है।

(3) जी हां! उक्त योजना के लिये पचास लाख रुपये का प्रावधान सन 1983-84 की योजना में रखा गया है।

नगर वाहन सेवा आगार, जयपुर में गबन

904. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां), **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या नगर वाहन सेवा आगार, जयपुर में एफ. एस. आई. शाखा में 1982 में राजस्व का गबन हुआ है? यदि हां, तो कितना एवं अब तक कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि नगर वाहन सेवा आगार, जयपुर में रेजगारी भण्डार से तीस हजार का गबन हुआ है? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(i) जी हां। 33,343.65 रुपये का गबन हुआ। इस मामले की एफ. आई. आर. पुलिस में दर्ज करवाई है। विभागीय तौर पर श्री सीताराम बांगड़ पत्रक वितरण के विरुद्ध कार्यवाही कर उन्हें निगम सेवा से पृथक कर दिया गया है तथा अन्य 5 अधिकारियों एवं 1 कर्मचारी से स्पष्टीकरण तलब कर जांच कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। इस मामले की भी पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है और उप प्रधान प्रबन्धक (लेखा) को विभागीय जांच करने के लिये नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

समय पर पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध कराना

905. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा सत्र 1982-83 के आधा बीत जाने के और अर्द्ध वार्षिक परिक्षाएं समाप्त हो जाने के बावजूद भी राजस्थान माध्यमिक

(श्री रंगजी मीणा)
शिक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा था ?

(2) क्या यह भी सही है कि बोर्ड व प्रकाशकों के बीच अनुबन्ध की यह भी एक महत्वपूर्ण शर्त है कि प्रकाशक द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक पुस्तक की वांछित प्रतियां निर्धारित अन्तिम तिथि तक सप्लाई न किये जाने की हालत में प्रकाशक से दो सौ रुपये प्रति दिन हर्जाना जुर्माना वसूल किया जायेगा ? यदि हां, तो अनुबन्ध के इस प्रावधान के अन्तर्गत किस किस प्रकाशक के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

(2) बोर्ड में वांछित संख्या में पुस्तकें उपलब्ध करवाने की देख रेख के उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध इस लापरवाही के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ! सन् 1982-83 में बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम की सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें यथा समय उपलब्ध हो गई थीं ।

(2) जी हां । श्रम समस्याओं, बिजली की कटौती आदि के आधार पर जुर्माने की राशि पर पुनर्विचार करने के लिये प्रकाशकों से प्रतिवेदन प्राप्त हुये थे जिनके आधार पर 200/- रुपये प्रतिदिन के स्थान पर 50/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूल करने का निर्णय लिया गया । इस निर्णय के तहत निम्न प्रकाशकों को निर्धारित तिथि तक पुस्तकें उपलब्ध न कराने के लिए दण्डित किया गया ।

1. मै. श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा ।
2. मै. स्टूडेण्ट बुक कम्पनी, जयपुर ।
3. मै. कृष्ण जन सेवी एण्ड कम्पनी, बीकानेर ।
4. मै. श्री हिन्दी प्रकाशन मन्दिर, सीकर ।
5. मै. मिश्रा ब्रादर्स, अजमेर ।
6. मै. राजस्थान प्रकाशन, जयपुर ।

(3) पुस्तकें देर से उपलब्ध होने के लिये बोर्ड का कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं था ।

पंचायत समिति नागौर, डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण

906. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) विकास अभिकरण, नागौर डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति नागौर के किन किन गांवों को विद्युतीकृत करने के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक और फाइनेन्शियल स्वीकृतियां विद्युत मण्डल द्वारा की गईं ?

(2) उक्त विद्युतीकरण के लिए कितना धन कब कब किस एजेन्सी से प्राप्त किया गया और कितना धन व्यय किया गया ?

(3) उक्त विद्युतीकरण में से किन किन ग्रामों को दिनांक 15-1-1983 तक बिजली पहुंच गई एवं ग्रामीण जलदाय योजनाओं को कनेक्शन दे दिया गया ?

Page No 26

26

(श्री महाराम चौधरी)

(4) उक्त विद्युतीकरण के लिए बचे हुए गांवों को कब तक कनेक्शन दे दिया जायेगा ?

(5) क्या विद्युत् मण्डल जो गांव स्वीकृत नहीं हैं और बिजली की लाइन उस गांव के अन्दर से खींची गई है उन समस्या मूलक एवं अभावग्रस्त गांवों के सार्वजनिक कुओं को कनेक्शन देकर पानी उपलब्ध करायेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1979-80 में पंचायत समिति नागौर के 13 ग्रामों को विद्युतीकरण करने हेतु डी. डी. पी. योजना के अन्तर्गत तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां मण्डल द्वारा दी गई हैं। गावों की सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु राज्य सरकार से 20 लाख रुपये प्राप्त हुये थे, तथा कुल व्यय 20 लाख 52 हजार रुपये हो चुके हैं।

(3) उक्त योजना में सम्मिलित 13 ग्रामों में से दिनांक 15-1-1983 तक 12 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका था तथा शेष एक ग्राम करुण का भी विद्युतीकरण दिनांक 17-3-1983 को किया जा चुका है। इन ग्रामों में से 7 ग्रामों को जनदाय योजना के लिए विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

(4) सभी ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है।

(5) अस्वीकृत गांवों में सार्वजनिक कुओं को विद्युत कनेक्शन देने हेतु सम्बन्धित कार्यालय द्वारा मांग पत्र आने पर एवं उस कार्य के लिये पूर्ण अनुमानित व्यय राशि मण्डल को जमा कराने पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल वर्क्स में विद्युत की बकाया

907. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य विद्युत् मण्डल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल वर्क्स की कुल कितनी बकाया है ?

(2) बी. एच. ई. एल. से किस-किस प्रकार का किस-किस मूल्य का कितना-कितना सामान्य राज. विद्युत् मण्डल द्वारा सप्लाई आर्डर देने के उपरान्त भी नहीं लिया और क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि प्रश्न संख्या (2) से संबंधित सामान में से कुछ सामान आर. एस. ई. बी. ने उस अवधि में अन्य संस्थानों से खरीदा ? यदि हां, तो किस-किस से, क्या-क्या और किस-किस मूल्य का ?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई किये गये सामान के लगभग 421 लाख रुपये राज्य विद्युत् मण्डल की ओर बकाया है। इसके अलावा लगभग 250 लाख रुपयों के क्लेम हैं जो इरेक्शन चार्जेज, इन्शोरेन्स तथा फ्रेट की राशि के हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

(ऊर्जा मन्त्री)

(2) पूर्व में लगभग 158 लाख रुपये के मूल्य के, 30 आटोरिक्लोजर व 4 आटो-ट्रांसफार्मर की सप्लाई सामयिक अर्थाभाव (केश फ्लो स्थिति) के कारण स्थगित कर दी गई थी, जो वाद में पुनः प्रभावित कर दी गई है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

ग्रामीण क्षेत्रों में गृह उपयोगार्थ विद्युत् उपलब्धता

908. श्री हरीसिंह (कुम्हेर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गृह उपयोग हेतु बिजली रात्रि में केवल 4 घन्टे दी जाती है ? क्या यह भी सही है कि शहरी क्षेत्रों में विद्युत् सप्लाई लगातार 24 घन्टे की जाती है ? यदि हां, तो यह भेदभाव क्यों किया जाता है तथा इसको कब तक मिटा दिया जावेगा ?

उत्तर

विद्युत् की मांग के पेटे राज्य की विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध विद्युत् की मात्रा काफी कम होने से उपलब्ध विद्युत् के समुचित वितरण हेतु प्रतिबन्ध एवं कटौतियां लागू की जाती रही हैं। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों को प्रतिदिन सात घन्टे तीन फेस पर चार ब्लाक्स में, तथा इसके अतिरिक्त इन सभी क्षेत्रों को रात्रि में गृह उपयोग हेतु प्रतिदिन पांच घन्टे एक फेस पर सायं 6.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक विद्युत् की सप्लाई दी जा रही है। बड़े शहरी क्षेत्रों में विद्युत् वितरण लगातार 24 घन्टे किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं के उपभोक्ता अधिक तथा विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों की तरह ही बिजली विभिन्न स्रोतों से मांग के अनुरूप पूरी बिजली मिलने पर दिया जाना संभव होगा।

ग्राम लुहारकी व मावां (पोकरण) को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल करना

909. श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी(जैसलमेर): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम लुहारकी व मावां तहसील पोकरण में बिजली पहुंचने के बावजूद उक्त ग्रामों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) ग्राम लुहारकी व मावां की सीमाओं से होकर 11 के.वी. लाइन रामदेवरा से वरडाना को जाती है। ग्राम लुहारकी ओर मांवा को सम्मिलित करते हुये ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का प्रारूप तैयार किया गया था, परन्तु निगम के मानदण्डों के अनुसार योजना साध्य नहीं होने के कारण योजना स्वीकृत नहीं कराई जा सकी। अब केवल ग्राम लुहारकी के ग्रामवासियों द्वारा मण्डल को 100/ रुपये प्रति भावी उपभोक्ताओं ने सर्व हेतु अग्रिम राशि जमा कराई है, जिसके अनुसार उक्त

(ऊर्जा मन्त्री)
ग्राम को मण्डल के सामान्य ग्रा. वि. कार्यक्रम के तहत योजना बनाई गई है जिसकी स्वीकृति आगामी वर्षों में धन की उपलब्धि पर निर्भर करेगी। स्वीकृति से पूर्व इस ग्राम के विद्युतीकरण के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ व चौमू के विद्यालय को आदर्श स्कूल घोषित करना

910. श्री तेजपाल यादव (चौमू): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति, गोविन्दगढ़, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र चौमू में कौन कौन से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं को आदर्श स्कूल घोषित किया गया है ?

(2) आदर्श शालाओं में क्या क्या सहायता सामग्री उपलब्ध कराई गयी है ? सूची देने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि आदर्श शालाओं में सरकार की ओर से सामग्री जो दी गई हो अत्यन्त घटिया किस्म की थी ? और जो पुस्तकें इस योजना के तहत विभाग व पंचायत समितियों द्वारा खरीद कर दी गई वे अनुपयोगी व बेकार थीं ?

(4) क्या यह सही है कि इन शालाओं में इस योजना के तहत पाठ्य पुस्तकों की जगह केवल मात्र कहानियों की, रामायण, गीता व अंग्रेजी की बड़ी पुस्तकें, जो बाजार में अंकित कीमत के 1/6 मूल्य पर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, दी गई हैं ? यदि हां, तो सरकार दोषियों के खिलाफ क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं तो विभाग व पंचायत समिति ने कौन कौनसी पाठ्य पुस्तकें व सामग्री शालाओं में दी है जो आदर्श शिक्षा के लिये उपयुक्त थी ?

उत्तर

(1) सत्र 1981-82 में 20 संकल्प कार्यक्रम के बढ़िया शिक्षा संकल्प के अन्तर्गत पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के चयनित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) "बढ़िया शिक्षा" के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों को निम्नलिखित सामग्री दी गई है:–

(क) दरी पट्टियां

(ख) 21 पुस्तकों का सेट

(ग) लोहे की कुर्सी

(घ) लोहे की टेबल

(ङ) ब्लैक बोर्ड

चयनित उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों को दी गई सामग्री का उल्लेख सदन के पटल पर रखी गई इन विद्यालयों की सूची में अंकित कर दिया गया है।

(3) जी नहीं। बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत पुस्तकों का चयन राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति की अभिसंशाओं के आधार पर किया गया है।

(4) जी नहीं। बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकें नहीं दी जानी थी वरन्

(शिक्षा मन्त्री)
पुस्तकालयों के लिये पुस्तकें देने की योजना थी। इन पुस्तकों का क्रय शिक्षा विभाग के पुस्तकों के बालक पचंज के नियमों के अनुसार किया गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पुस्तकालय हेतु दी गई पुस्तकों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

राजस्व अभियान के अन्तर्गत आवंटित भूमि के कब्जे

911. श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाडा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

भीलवाड़ा जिला में हाल ही के राजस्व अभियान में जो भूमि आवन्टित की गई है उनमें किन किन आवन्टियों को कब्जे नहीं मिले ? जिन्हें कब्जे नहीं मिले उनमें अनुसूचित जाति के कितने हैं व अन्य सवर्ण जाति के कितने हैं ? कृपया यह भी बतावें कि जो मामले निपटाये गये हैं, उनमें कितनों की क्रियान्विति नहीं हुई ?

उत्तर

इस जिले में राजस्व अभियान के दौरान 1291 अनुसूचित जाति, 732 अनुसूचित जन जाति एवं 3478 सवर्ण जाति के व्यक्तियों को आवंटित भूमि का कब्जा दिया जाना शेष है तथा राजस्व अभियान में निपटाये गये अन्य मामलों की क्रियान्विति हो चुकी है।

सवाई माधोपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में कृषि कनेक्शन

912. श्री भरोसीलाल (हिन्डौन) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) सवाई माधोपुर जिले की करौली, हिन्डौन, महुवा तहसील में कृषि कनेक्शन के सन् 1978 से 15 फरवरी, 1983 तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ? सूची मय नाम एवं ग्राम के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदन-पत्रो में से कितने कृषकों को 15 फरवरी, 1983 तक कनेक्शन दिये गये हैं ? मय नाम के सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अनुसूचित जाति, जन जाति एवं लघु कृषकों को कितने कनेक्शन दिये गये हैं ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले की निम्न तहसीलों में कुल 3454 कृषि कुओं के प्रार्थना-पत्र जनवरी, 1978 से 16 फरवरी, 83 तक प्राप्त हुए:-

1. तहसील महुआ	405
2. तहसील करौली	1051
3. तहसील हिन्डौन	1998
योग:--	3454

सभी 3454 आवेदकों की ग्रामवार एवं नामवार सूची तैयार करने में समय लगेगा।

(2) उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों में से 15 फरवरी, 83 तक 1714 कनेक्शन दिये जा

(30)

(ऊर्जा मन्त्री)
चुके हैं, जिनका तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है:–

1.	तहसील महुआ	198
2.	तहसील करौली	459
3.	तहसील हिन्डौन	1057
	योग:–	1714

ग्रामवार एवं नामवार सूची तैयार करने में समय लगेगा।

(3) उपरोक्त कनेक्शनों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं लघु कृषकों को फरवरी, 1983 तक कुल 350 कनेक्शन दिये जा चुके हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

1.	तहसील महुवा	32
2.	तहसील करौली	95
3.	तहसील हिन्डौन	223
	योग:–	350

सहायक अभियन्ता, बांदीकुई के अधीन रकबा फीडर पर विद्युत सप्लाई बन्द होने की जांच

913. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता (आर. ई. सी.), बांदीकुई के अधीन रकबा फीडर पर दिनांक 14-1-83 से 20-1-1983 तक विद्युत सप्लाई पूर्णतः बन्द रही ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता दौसा से ग्रामीणों ने जांच की मांग की थी ? यदि हां, तो किस के द्वारा जांच कराई गई तथा जांच परिणाम क्या रहे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सहायक अभियन्ता (आर. ई. सी.) बांदीकुई के अधीन रकबा फीडर पर दिनांक 14-1-83 से 20-1-83 के दौरान औसतन 5 घन्टे 17 मिनट प्रति दिन तीन फेस पर बिजली दी गई।

(2) जी हां। दिनांक 20-1-83 को रकबा फीडर के किसानों ने अधिशासी अभियन्ता, दौसा से बिजली ठीक नहीं मिलने की शिकायत की यथा श्री रामकिशोर मीणा माननीय विधायक व तहसीलदार, दौसा को हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन भी दिया गया। अधिशासी अभियन्ता, दौसा ने तत्काल सहायक अभियन्ता बांदीकुई व कनिष्ठ अभियन्ता, सिकन्दरा, जो कि रकबा फीडर के इन्चार्ज हैं, को मौके का अध्ययन करने हेतु दिनांक 21-1-83 को भेजा व दिनांक 22-1-83 को अधिशासी अभियन्ता स्वयं ने सहायक अभियन्ता/कनिष्ट अभियन्ता के साथ मौके का निरीक्षण किया एवं पाया कि लगभग रोस्टरिंग प्रोग्राम के अनुसार विद्युत प्रवाह हो रहा है। 33 के. वी. जी.एस.एस. भांडारेज, सब-स्टेशन पर नियुक्त कर्मचारियों को रोस्टरिंग प्रोग्राम के अनुसार बिजली देने के आदेश दिये गये।

Page No 31

(31)

गंगाशहर व भीनासर में उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाना

914. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1981-82 व 82-83 में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय खोले गये ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार का गंगाशहर, भीनासर जिला बीकानेर में वर्ष 1983-84 में छात्राओं के उच्च माध्यमिक विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार का जिला बीकानेर तहसील कोलायत की ग्राम पंचायत, अकासर के ग्राम चांनी में सन् 1952 से स्थापित प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए क्रमोन्नत करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 में खोले गये प्राथमिक विद्यालयों की जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। वर्ष 1982-83 में कोई नया प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला गया है।

(2) वर्ष 1983-84 में माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया गया है।

(3) वर्ष 1983-84 में प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करते समय ही इस प्रकार के मामलों को तय किया जायेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

जिला कोटा में नये स्कूल

915. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

इस वर्ष कोटा जिले में कितने स्कूल किस-किस श्रेणी के कहां-कहां खोले गये ? नये विषय कौन से स्कूल में प्रारम्भ किये तथा कौन-कौन से ? विषय ग्राम, तहसील व शाला की श्रेणी दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1982-83 में कोटा जिले में निम्न प्रकार से नये स्कूल खोले गये:—

(क) उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्र. सं.	ग्राम	तहसील
1.	हांथाहड़ी	अन्ता
2.	बालापुरी	किशनगंज
3.	मालकमोरा	मांगरोल

(ख) उच्च माध्यमिक विद्यालय

क्र. सं.	ग्राम	तहसील
1.	छबड़ा	छबड़ा
2.	मांगरोल	मांगरोल
3.	किशनगंज	किशनगंज
4.	केथून	लाडपुरा
5.	सुलतानपुर	दीगोद
6.	इन्द्रगढ़	पीपल्दा

Page No 32

(32)

(शिक्षा मन्त्री)

(ग) नये विषय

1. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, देवली (सांगोद) — कृषि
2. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, थाना — गणित
3. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सांगोद — गृह-विज्ञान (कला)
4. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सूरजपोल, कोटा — सिन्धी (तृतीय भाषा)
5. राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीपुरा, कोटा — वाणिज्य वर्ग कक्षा 11 में
6. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, केवलनगर, कोटा — बैंकिग
7. महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा, कोटा — धातुकला
8. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुरा, कोटा — गणित विज्ञान
9. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बारां — बैंकिग
10. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीममण्डी, कोटा — संस्कृत

सकतपुरा (कोटा) में परिगणित जाति के लोगों को आवासीय मकान

916. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर में सतकपुरा में आवासन मन्डल द्वारा बनाये गये मकान परिगणित जाति के व्यक्तियों को आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने मकान बनाये गये व किस-किस को दिये गये ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उन मकानों में से अनेकों की छतों की पट्टियां, खिड़कियां व दरवाजे टूटे हुए थे ? यदि हां; तो कितने मकानों की मरम्मत कब-कब करवाई गई और उन पर कितना व्यय हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां। कुल 144 मकानों का निर्माण किया गया है। उनमें से 109 मकान आवंटित किये गये। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। कुल 44 मकानों में मरम्मत का कार्य किया गया जिसमें ठेकेदार की लागत पर हुए वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र.सं.	माह	खर्च का विवरण (रु.)
1.	मार्च, 82	400.00
2.	जुलाई, 82	1791.00
3.	अगस्त, 82	6232.00
4.	दिसम्बर, 82	1000.00
5.	जनवरी, 83	2846.00
6.	फरवरी, 83	2754.00
	कुल व्यय	15023.00

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

सोजत, जिला पाली में 33 के. वी. सब-स्टेशन

917. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले के सोजत उप-खण्ड में 1977 के बाद किस किस जगह 33 के. वी. के सब स्टेशन्स बने ?

(2) प्रश्न के भाग (1) में बताये सब-स्टेशन्स पर निर्माण कार्य किस किस तारीख को पूरा हुआ व कितनी कितनी राशि व्यय हुई ?

(3) उक्त सब-स्टेशन्स पर किस किस तारीख में ट्रान्सफार्मर्स लगाये गये व किस किस तारीख को उक्त सब-स्टेशन्स ने काम शुरू किया ?

(4) जिन जिन सब-स्टेशन्स पर ट्रान्सफार्मर्स नहीं लगे उसका क्या कारण है ?

(5) जिन जिन सब-स्टेशन्स पर विद्युत् सप्लाई कार्य शुरू नहीं हुआ उन पर लगी लागत पर प्रश्न के (भाग-2) में बताई तारीख से 31-8-1982 तक कितनी-कितनी राशि ब्याज की राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल को देनी पड़ी व उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

(6) अब उक्त सब-स्टेशन्स कब तक काम शुरू कर देंगे ?

उत्तर

(1) पाली जिले के सोजत उप खण्ड में 1977 के बाद बनाये गये 33 के. वी. सब स्टेशनों का विवरण दर्शाते हुए तालिका (अ) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वांछित सूचना तालिका (अ); जो सदन के पटल पर रख दी गई है, में दर्शा दी गई है।

(3) वांछित सूचना तालिका (अ), जो सदन के पटल पर रख दी गई है, में दर्शा दी गई है।

(4) वांछित सूचना तालिका (अ), जो सदन के पटल पर रख दी गई है, में दर्शा दी गई है।

(5) सरदार समन्द में 500 के. वी. ए. का ट्रांसफार्मर जून, 1979 में लगाया गया है जो खराब होने पर हटा लिया गया। यहां अनुमानित विद्युत-भार नहीं आने के कारण नया ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी तथा वहां पर विद्युत् की सप्लाई 11 के. वी. पर दी जा रही है। सोजत रोड पर 1600 के. वी. ए. का ट्रांसफार्मर प्रस्तावित था परन्तु 1600 के. वी. ए. का ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं होने के कारण वहां 500 के. वी. ए. का ट्रांसफार्मर लगाकर मार्च, 1981 में टैस्ट कर लिया गया। चूंकि यह ट्रांसफार्मर वहां विद्यमान लोड के लिये पर्याप्त नहीं था, इसे चालू नहीं किया गया। इस सब-स्टेशन से जिस 11 के. वी. फीडर को बिजली दी जाती थी उसे पुराने सब-स्टेशन से बिजली यथावत् मिल रही है। इन दोनों सब स्टेशनों पर किये गये अनुमानित पूंजीगत व्यय की राशि पर 7.25 प्रतिशत से ब्याज की राशि 44,031.66

(विद्युत मंत्री)

बनती है। सीमित वित्तीय साधनों के परिप्रेक्ष्य में नये ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं किये जाने के, लिए कोई व्यक्ति विशेष जिम्मेदार नहीं है।

(6) धन की उपलब्धि और कार्यों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए ही सोजत रोड पर उपयुक्त क्षमता का ट्रांसफार्मर आगामी वर्षों में लगाया जा सकेगा।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

बीकानेर में दोष युक्त वाहनों का संचालन

918. श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर आगार कार्यशाला प्रभारी द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करके दोषयुक्त वाहनों को मार्ग पर भेजा जाता है ?

(2) बीकानेर आगार में कुल कितनी बसें हैं व कितनी बसें दोषयुक्त हैं ? कृपया वाहनों की पृथक् पृथक सूची मय रजिस्ट्रेशन नम्बर सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त विषय की शिकायतें विभाग को भी की गई हैं ? यदि हां, तो अब तक सुधार क्यों नहीं हो रहा है ?

(4) उपरोक्त प्रकार की डिफेक्टिव बसों को भेजने से यात्रियों की जान व माल की सुरक्षा का जिम्मेवार कौन है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) बीकानेर आगार में कुल 61 बसें हैं। वर्तमान में 4 बसें यंत्र-दोष के कारण ऑफरोड हैं। वांछित सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। यथासमय सुधार किया जाता है।

(4) डिफेक्टिव बसों को मार्ग पर नहीं भेजा जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

चाकसू में द्रुतगामी बसों का स्टोप

920. श्री रामकंवार बेरवा (फागी) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चाकसू जयपुर से 35 किलोमीटर दूरी पर पंचायत समिति एवं तहसील का मुख्यालय है ? यदि हां, तो क्या यहां राज्य पथ परिवहन की कोटा, बूंदी व झालावाड़ को जाने वाली एक्सप्रेस बसें रुकती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या एक्सप्रेस बसों के स्टोपेज हेतु जनता और जनप्रतिनिधियों ने मांग की है ? यदि हां, तो फिर भी बसों के स्टोपेज नहीं रखने के क्या कारण हैं ?

Page No 35

(35)

(श्री रामकंवार बैरवा)

(3) क्या सरकार जनहित में एक्सप्रेस बसों का स्टोपेज चाकसू में रखने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हाँ। चाकसू में राज्य पथ परिवहन की कोटा, बून्दी व झालावाड़ जाने वाली एक्सप्रेस बसें नहीं रुकती है क्योंकि 40 कि. मी. से पूर्व एक्सप्रेस बसों के ठहराव-स्थल घोषित नहीं किये जाते। वर्तमान में चाकसू में 32 बसें प्रतिदिन रुकती हैं।

(2) जी हां। कारण प्रश्न के भाग संख्या (1) के उत्तर में दे दिया गया है।

(3) जी नहीं।

प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बड़ी सादड़ी, चित्तौड़, मन्दसोर व रतलाम मार्गों का राष्ट्रीयकरण

921. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा, धरियावद, बड़ी सादड़ी, चित्तौड़गढ़, मन्दसोर, रतलाम मार्गों में से किन किन मार्गों की राष्ट्रीयकरण की योजना सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और इस योजना का क्रियान्वयन कब तक होगा ?

उत्तर

प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा, धरियावद तथा चित्तौड़ मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजना दिनांक 13-4-79 एवं 21-1-80 से राज्य सरकार के संयुक्त विधि परामर्शी के समक्ष विचाराधीन है। इन योजनाओं का प्रकाशन राज्य सरकार द्वारा मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 68-घ (3) में किये जाने के पश्चात् ही इनका क्रियान्वयन सम्भव होगा। प्रतापगढ़ से मन्दसौर मार्ग अन्तर्राज्यीय मार्ग है जिस पर मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों के बीच सम्पन्न पारस्परिक परिवहन समझौते के अनुसार दोनों राज्यों द्वारा 12-12 सेवाएं निजी वाहनों द्वारा संचालित की जा रही हैं।

प्रतापगढ़ से रतलाम मार्ग भी अन्तर्राज्यीय मार्ग है जिस पर दोनों राज्य परिवहन निगमों द्वारा 2-2 सेवाएं संचालित की जा रही हैं।

चौमू से सामोद व चौमू से कालाडेरा में मिनी बसेज के परमिट

922. श्री तेजपाल यादव (चौमू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार चौमू से सामोद व चौमू से कालाडेरा यात्रियों की मांग के अनुसार बस सेवा के अभाव में मिनी बस सेवा में परमिट देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। क्योंकि इन मार्गों पर पर्याप्त बस सेवायें उपलब्ध हैं।

Page No 36

(36)

सहकारी भूमि विकास बैंक, झालावाड़ के निरीक्षक के विरुद्ध शिकायतें

923. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि श्री मोहन लाल शर्मा; निरीक्षक, झालावाड़ सहकारी भूमि विकास बैंक लि. झालावाड़ ने—

(क) जसवन्तसिंह वल्द मांगीलाल जी राजपूत ग्राम सेमली कल्याण तहसील पिड़ावा,

(ख) देवीसिंह वल्द रतनसिंह हिन्दू राजपूत ग्राम सेमली कल्याण तहसील पिड़ावा,

(ग) रामसिंह वल्द मोतीसिंह (हिन्दू) राजपूत ग्राम सेमली कल्याण तहसील पिड़ावा, व

(घ) शिवसिंह वल्द भावरजी (हिन्दू) राजपूत ग्राम सेमली कल्याण (तहसील पिड़ावा, से उन्हें ऋण दिलाने हेतु प्रत्येक से 150 रु. की रिश्वत ली ?

(2) क्या सरकार इस केस की जांच करवा कर दोषी अधिकारियों को दण्ड देने का विचार रखती है ? यदि हां; तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, राज्य सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। परन्तु ऋण आवेदकों ने भूमि विकास बैंक, झालावाड़ को दिनांक 31-12-82 को इस प्रकार की शिकायत प्रस्तुत की थी। श्री मोहनलाल शर्मा चूंकि भूमि विकास बैंक झालावाड़ के, ही कर्मचारी हैं अतः बैंक ने तत्काल स्वयं अपने कर्मचारी के विरुद्ध जांच करवाई थी। जो प्राथमिक जांच दिनांक 3-1-83 को बैंक को प्राप्त हो गई थी। प्राथमिक जांच में श्री शर्मा को दोषी पाये जाने पर बैंक द्वारा दिनांक 6-1-83 को ही निलम्बित कर दिया गया एवं दिनांक 7-1-83 को विस्तृत जांच हेतु श्री जसवंतसिंह हाड़ा वसूली अधिकारी बैंक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, एवं जांच रिपोर्ट दिनांक 3-3-83 तक चाही गई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

चाड़वास ग्राम सेवा सहकारी समिति (चूरू) के विरुद्ध विभिन्न शिकायतें

924. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही हैं कि चाड़वास ग्राम सेवा सहकारी समिति तहसील, सुजानगढ़, जिला चूरू में फर्जी सदस्य बनाकर, नाबालिग सदस्य बनाकर ऋण का चुकारा न कर फर्जी लोगों के नाम ऋण चुकाना, अर्द्ध विक्षिप्त को सदस्य बनाकर, समिति क्षेत्र के बाहर के लोगों को ऋण देकर की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के बारे में वहां के सरपंच एवं अन्य अन्यों ने शिकायतें की हैं ?

Page No 37

(37)

(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) समिति के सदस्यों से शिकायत प्राप्त होने पर सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, चूरू ने प्राथमिक जांच की। जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री हुलास पुत्र दानाराम भार्गव, मन्त्री, श्री भोलाराम पुत्र मुकनाराम जाट, कोषाध्यक्ष एवं श्री भीखाराम पुत्र मुकनाराम स्वामी के विरुद्ध थाना छापर में दिनांक 1-5-82 को एफ. आई. आर. दर्ज करवाई गई। अब यह मामला सहकारिता पुलिस प्रकोष्ठ, बीकानेर में अनुसंधानान्तर्गत विचाराधीन है। सरपंच व ग्राम के अन्य व्यक्तियों से प्राप्त शिकायत पर संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बीकानेर के आदेशानुसार सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, चूरू द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही चल रही है।

ग्राम सेवा सहकारी समिति पृथ्वीपुरा (श्री माधोपुर) के चुनावों के बारे में शिकायतें

925. श्री लच्छूराम (मण्डावा): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि पंच निर्णायक आर. एस. बोड़वाल तकनीकी सहायक, कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां (सीकर) ने ग्राम सेवा सहकारी समिति, पृथ्वीपुरा (श्रीमाधोपुर) के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जयपुर के क्रमांक पा. 15/4/सविरा/रूल्स/80-, तृतीय दिनांक 19-11-81 का झूठा हवाला दिया कि दिनांक 5-12-81 से 21-12-81 के मध्य चुनाव नहीं होंगे जब कि असल आदेश में उक्त चुनाव के लिये 10-12-81 से 18-12-81 का निर्देश था ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी हाँ। जिलाधीश सीकर द्वारा ग्राम पंचायतों के निर्वाचन के कारण पत्र क्रमांक 2662/निर्वाचन/81 दिनांक 21-11-81 के अनुसार यह निर्देश दिये गए थे कि 5-12-81 से 20-12-81 की अवधि में यदि कोई चुनाव कार्यक्रम ग्राम सेवा सहकारी समिति का हो तो उसे उक्त अवधि से आगे पीछे रख कर पूर्ण करवाया जावे। अतः सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

उदयपुर सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक द्वारा कर्मचारी सहकारी समितियों को ऋण

927. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर), श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर सैन्ट्रल को-आॅपरेटिव बैंक द्वारा उदयपुर जिले की कर्मचारी सह-

Page No 38

(38)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
कारी समितियों को ऋण दे रखा है ? यदि हां, तो किस किस समिति को कितनी कितनी राशि का ऋण दे रखी है ?

(2) किन किन समितियों में उक्त ऋण अवधिपार है ?

(3) अवधिपार ऋण के सन्दर्भ में वसूली की क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। 29 कर्मचारी सहकारी समितियों को ऋण दे रखा है जिसकी सूची परिशिष्ट -'अ" पर संलग्न है।

(2) सभी समितियों के ऋण अवधिपार हैं। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) 29 समितियों में से 18 को अधिनियम की धारा 41 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये हैं एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। शेष 11 समितियों में से एक समिति का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है, दो समितियां अवसायनाधीन हैं तथा आठ समितियों के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

बांसवाड़ा जिले में राहत कार्य

928. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में कुल कितने अकाल राहत कार्य वर्तमान में चल रहे हैं ? इनमें से कितने कार्य पुराने तथा कितने नये कृपया हैं ? पंचायत समितिवार अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन राहत कार्यों पर कुल कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं ? कृपया पंचायत समितिवार संख्या-सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राहत कार्यों पर कार्यरत श्रमिकों को भुगतान किस तरह किया जा रहा है, दैनिक मजदूरी द्वारा अथवा मेजरमेन्ट के हिसाब से ?

(4) क्या इन राहत कार्यों के स्थानीय निरीक्षण हेतु कोई निरीक्षण दल बने हुये हैं ? यदि हां, तो क्या इनमें जन प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में कुल स्वीकृत 189 कार्यों में से इस समय 132 कार्य चालू हैं। चालू कार्यों की पंचायत समितिवार सूची संलग्न है जो समस्त पुराने अधूरे कार्य हैं।

(2) चल रहे राहत कार्यों पर कुल 15841 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। पंचायत समिति वार सूची सदन के पटल रख दी गई है।

(3) राहत कार्यों पर मजदूरों को भुगतान दैनिक मजदूरी के आधार पर किया जा रहा है जो टास्क से सम्बद्ध है।

(4) निरीक्षण हेतु जिलाधीश ने उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदारगण को

(अकाल राहत मंत्री)
निर्देश दे रखे है। जन प्रतिनिधियों हेतु कोई आदेश नहीं हैं। सम्बन्धित अभिकरण तो निरीक्षण एवं संभाल करते ही हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

रामगंज मण्डी में आवासन मण्डल द्वारा भवन निर्माण

929. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की रामगंज मन्डी में आवासन मण्डल द्वारा मकान बनाना प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से एवं किस किस साइज के ? अभी बनने वाले मकान आवेदकों को कब तक दे दिये जावेंगे ?

(2) क्या सरकार का रामगंज मंडी में पुनः पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित करने का विचार है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह कार्य 1 अक्टूबर, 82 से प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रथम चरण में निम्न साइज के मकान बनाये जा रहे हैं :-
मकान की साइज (मीटर में)

3×10.50
6×11.25
6×15.00

इन्हें वर्ष 1984 के अन्त तक उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे।

(2) जी नहीं। क्योंकि रामगंज मण्डी के लिए वर्ष 1980-81 में पंजीकरण खोला गया था इसलिए वर्ष 1982 में पंजीकरण नहीं खोला गया है। भविष्य में जब अन्य स्थानों के लिए पुनः पंजीकरण खोला जायेगा उस समय रामगंज मण्डी में भी पंजीकरण खोलने पर विचार कर लिया जायेगा।

तहसील सांगानेर व चाकसू की सहकारी समितियां

930. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सांगानेर व चाकसू तहसील, जिला जयपुर में चल रही सहकारी समितियों में से कितनी चल रही हैं और कितनी अभी डिफंक्टिव हैं ? उनमें से प्रत्येक के चुनाव कब कब हुए ? उन सभी सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के नाम सहित पंचायतवार उक्त विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सांगानेर व चाकसू तहसील जिला जयपुर में सहकारी समितियों की स्थिति निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	नाम तहसील	चालू	बन्द	योग
1.	सांगानेर	25	47	72
2.	चाकसू	45	41	86

पंचायत वार चाही गई सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)।

Page No 40

(40)

पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा क्षेत्र के अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कें

931. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1979 से 31 जनवरी, 1983 तक पंचायत समिति क्षेत्र नागौर, तथा मूण्डवा, जिला नागौर में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कितनी व कौन कौन सी सड़कें स्वीकृत हुईं ?

(2) क्या उपरोक्त क्षेत्र में हर अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत यही सड़कें स्वीकृत होती हैं ? यदि हां, तो इन सड़कों का कार्य सम्पूर्ण क्यों नहीं हुआ ?

(3) क्या सरकार अकाल राहत कार्य में अधूरी रही सड़कों पर कार्य शुरू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सम्वत् 2036, 2037, 2038 व 2039 में पंचायत समिति क्षेत्र नागौर तथा मूण्डवा में अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों की सूची संलग्न है।

(2) जिन जिन वर्षों में कार्य किये गये हैं उनका उल्लेख कार्य के सामने अंकित कर दिया गया है।

(3) पंचायत समिति मुण्डवा, एवं नागौर के अभावग्रस्त क्षेत्रों में सम्वत् 2039 में सड़कों का जो कार्य स्वीकृत किया है वह गत साल अधूरी रही सड़कों का कार्य है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

राज्य में भूमि विकास बैंक खोलने के आधार

932. श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में भूमि विकास बैंक की शाखा नहीं है, यदि हां तो क्यों ?

(2) भूमि विकास बैंक की शाखा खोलने के क्या मापदण्ड हैं ?

(3) राज्य में कितने भूमि विकास बैंक खोले गये हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां यह सही है। जिले में प्राथमिक भूमि विकास बैंक नहीं होने की वजह से शाखा का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) भूमि विकास बैंक की वर्तमान सदस्यता, ऋण वितरण, वर्तमान शाखाओं की संख्या, बैंक द्वारा क्रियान्विति की जा रही योजनाओं एवं आगे सम्भावित वृद्धि आदि की सूचानायें राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक (पूर्व में भारतीय रिजर्व बैंक) को पठाई जाती हैं। साथ ही बैंक की शाखा खोलने का प्रस्ताव भी सिफारिश सहित उक्त बैंक को पठाया जाता है एवं उक्त बैंक से स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् सहकारी विभाग द्वारा शाखा खोलने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है।

(3) राज्य में वर्तमान में 35 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक हैं, जिनकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

पीपल्दा, सुल्तानपुर एवं सांगोद क्षेत्र में विकलांग सहायतार्थ शिविर का आयोजन

933. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा),

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पीपल्दा, सुल्तानपुरा व सांगोद क्षेत्र में विकलांगों को सहायता देने हेतु वर्ष 1981–82, 1982–83 में विकलांग शिविर का आयोजन कब किया गया तथा उसमें कुल कितने प्रार्थना-पत्र किस-किस हेतु तैयार किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि शिविर में प्रार्थना-पत्र तैयार किये जाने के बाद भी किसी विकलांग को लाभान्वित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए कौन व्यक्ति दोषी है, तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 में पंचायत समिति, इटावा (पीपल्दा) में दिनांक 12-11-81 सुल्तानपुर में दिनांक 9-11-81 तथा सांगोद में दिनांक 15-11-81 को विकलांग शिविरों का आयोजन किया गया। पंचायत समिति इटावा में छात्रवृति हेतु 76, उपकरणों हेतु 6, अंग-सहायता हेतु 12, रोजगार एवं धन्धे हेतु 22 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। पंचायत समिति सुल्तानपुर में छात्रवृति हेतु 80, उपकरणों हेतु 7, अंग सहायता हेतु 15, नौकरी हेतु 31 तथा पंचायत समिति, सांगोद में छात्रवृति हेतु 119, नौकरी हेतु 8 एवं उपकरण हेतु 9 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। पेन्शन हेतु पंचायत समिति इटावा में 23, सांगोद में 128 तथा सुल्तानपुर में 77 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए।

(2) जी नहीं। पंचायत समिति सुल्तानपुर में 35 छात्रों को छात्रवृति, एक व्यक्ति को श्रवण यंत्र, दो व्यक्तियों को तीन पहिये की साइकिल, एक व्यक्ति को कृत्रिम पैर एवं 9 व्यक्तियों को नौकरी पर लगाया गया। पंचायत समिति, सांगोद के 2 व्यक्तियों को कृत्रिम पैर, 3 व्यक्तियों को नौकरी दिलाई गई। इटावा पंचायत समिति के 36 छात्रों को छात्रवृति, 2 को श्रवण यंत्र, एक व्यक्ति को सिलाई मशीन, 2 व्यक्तियों को कृत्रिम पैर तथा 4 व्यक्तियों को नौकरी पर लगाया गया। इसके अतिरिक्त सुल्तानपुर पंचायत समिति के 19, सांगोद पंचायत समिति के 32 व पीपल्दा (इटावा) पंचायत समिति के 15 विकलांग व्यक्तियों को अपाहिज पेन्शन स्वीकृत की गई।

मोती कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, अजमेर की ठेकेदार फर्म द्वारा निर्माण कार्य में क्लेम करने से उत्पन्न विवाद सम्बन्धी प्रकरण

934. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मोती कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, अजमेर की एक ठेकेदार फर्म द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग में किये गये किसी निर्माण कार्य में क्लेम करने से उठे विवाद को आर्बिट्रेटर को सौंपा जाने

(श्री कैलाश मेघवाल)
के बाद एक लाख पच्चीस हजार रुपये का अवार्ड ठेकेदार के पक्ष में दिया गया ? यदि हां, तो कृपया अवार्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस अवार्ड को डिक्री कराने के लिये ठेकेदार ने ए. डी. जे. कोर्ट अजमेर में दावा प्रस्तुत किया जो सिविल सूट नं. 48 सन् 1982 दर्ज किया जाकर वहां से जारी नोटिस दिनांक 13-5-82 को सरकार को मिल गया ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकरण में सरकार पेशियां बदलवाती रही और लिमिटेशन की अवधि में ओब्जेक्शन प्रस्तुत नहीं किया, जिससे उस अवार्ड पर सरकार के हितों के प्रतिकूल डिक्री हो गई ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ? इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अजमेर खण्डों में मोती कन्स्ट्रक्शन कम्पनी अजमेर के क्लेम के अवार्ड का कोई केस नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

कोटा जिले के सी. ए. डी. कमाण्ड एरिया विकास कार्यक्रम के II फेज में प्रस्तावित सड़कें

935. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में सी. ए. डी. कमाण्ड एरिया विकास कार्यक्रम के दूसरे फेज में कौन-कौन सी सड़कें प्रस्तावित थीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सड़कों का निर्माण अभी तक नहीं होने का क्या कारण है ? तथा अब कब तक कार्य आरम्भ किया जावेगा ?

उत्तर

(1) प्रस्तावित सड़कों की सूची (प्रपत्र—"क") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) धनाभाव के कारण इन सड़कों का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है और धन की उपलब्धता के अनुसार ही कार्य हाथ में लिए जायेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें।)

नवीन सड़कों के निर्माण पर खर्चा

936. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में नवीन सड़कों के निर्माण पर 82-83 में 31-1-83 तक कितनी धन-राशि व्यय की गई है ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1982-83 में स्वीकृत नई सड़कों के निर्माण पर 31-1-83 तक किये गये व्यय की सूचना निम्न प्रकार है:—

	(लाख रुपये)
1. सवाई माधोपुर	7.70
2. झुंझुनूं	1.02
3. चित्तौड़गढ़	0.41
4. बून्दी	0.06

विभाग द्वारा कोटा जिले में विकलांग चयन हेतु शिविरों का आयोजन

937. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में समाज कल्याण विभाग ने विकलांगों के चयन के लिये इस वर्ष कितने शिविर आयोजित किये ?

(2) उक्त शिविरों में कितने विकलांगों का चयन किया गया ?

(3) चयनित विकलांगों में से कितने विकलांगों को लाभान्वित किया गया ?

(4) क्या "प्रशासन गांवों की ओर" अभियान के अन्तर्गत भी विकलांगों का चयन किया गया है ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ? क्या चिकित्सक का प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर लिया गया है ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में समाज कल्याण विभाग ने विकलांग के चयन के इस वर्ष कोई शिविर आयोजित नहीं किए।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) वर्ष 81-82 में 12 पंचायत समितियों में शिविर आयोजित किये गये थे जिनसे लाभान्वित व्यक्तियों की सूचना संलग्न है।

(4) जी नहीं। पर कोटा जिले के 333 व्यक्तियों को अपाहिज पेन्शन स्वीकृत की गई।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें।)

अलवर नगर में भूमि रूपान्तरंण एवं उगसे ई अ.य

938. श्री जीतमल जैन (अलवर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर नगर में भूमि रूपान्तरण से अब तक राज्य सरकार को कितना धन प्राप्त हुआ है एवं कितने व्यक्तियों द्वारा ?

(2) 15 फरवरी, 1983 तक कितने व्यक्तियों के मामले निपटा दिये गये हैं एवं आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं ?

उत्तर

(1) अलवर नगर में माह फरवरी, 1983 तक 1,36,25,826.27 रुपये, अक्षरे एक करोड़ छत्तीस लाख पच्चीस हजार आठ सौ छब्बीस रुपये 27 पैसे, 3794 व्यक्तियों द्वारा प्राप्त हुए हैं।

(2) दिनांक 15-2-83 तक भूमि रूपान्तरण के 22 मामले निपटा दिये गये हैं। इन 22 मामलों में से 14 मामले खारिज किये गये हैं। 8 मामलों में नियमन का निर्णय लिया गया है। उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों को समय दिया गया है कि वे स्वामित्व व नामान्तरकरण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें जिससे आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी किये जा सकें।

जमुवारामगढ़ क्षेत्र में विविध खनिजों की खदानें

940. श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमुवा रामगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जमुवारामगढ़ क्षेत्र में कितनी कितनी खानें किन-किन धातुओं की किन-

Page No 44

(५५)

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)
किन लोगों द्वारा चलाई जा रही हैं ? और इनसे सरकार को कितनी रायल्टी प्राप्त होती है ?

(2) इस खनिज क्षेत्र में खनिजों के लाने-ले जाने के लिए कौन सी नयी सड़कें बनाई गई हैं ? कृपया उक्त सड़कों की हालत और सम्पूर्ण निर्माण कार्य की प्रगति का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" व "ब" पर दी गई है। इन खनिजों से सरकार को प्रति वर्ष लगभग रु. 14.50 लाख रायल्टी व स्थिर भाटक के रूप में प्राप्त होते हैं।

(2) जमुवारामगढ़ क्षेत्र में खनिजों को ले जाने के लिए नकची घाटी से बूज तक 11 कि. मी. की सड़क बनाई गई है। उक्त सड़क पर मेंटलिंग का कार्य पूरा हो चुका है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

अध्यक्ष, जन अभाव अभियोग समिति, बाड़मेर को पटवारी हल्का कपूरड़ी के सम्बन्ध में की गई शिकायत

941. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में पटवारी हल्का कपूरड़ी के पटवारी श्री रामसिंह व हल्का आर. आई. श्री नाथूसिंह ने क्रमशः 50 रु. व 170 रु. रिश्वत लेकर मुरताराम पुत्र डूंगराराम के खेत खसरा नं. 9 सरहत मौजा कपूरड़ी का नामान्तरकरण भरा जिसकी शिकायत मुरताराम ने अध्यक्ष, जन अभाव अभियोग समिति, बाड़मेर को पेश की जिस पर तहसीलदार बाड़मेर ने जांच की एवं जांच करने पर उक्त तथ्य सही पाये गये ? यदि हां, तो उक्त पटवारी व आर. आई. के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त पटवारी व आर. आई. के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पटवारी व गिरदावर हल्का (आर. आई.) के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही जारी है।

(2) उक्त दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्पूर्ण होने पर उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

सीकर तथा झुंझुनूं में मेजर तथा मिनरल के तहत दी गई लीज

942. श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर तथा झुंझुनूं जिले में मेजर तथा माइनर मिनरल के तहत कहां कहां पर कितनी कितनी लीज किस किस को दी हुई है ? नक्शे सहित सदन की मेज पर रखें।

Page No 45

(45)

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

(2) पिछले पांच वर्षों में इनके द्वारा राज्य सरकार को रायल्टी के रूप में कितनी कितनी आय हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर तथा झुंझुनू जिलों में मेजर व माइनर मिनरल के क्रमशः 84 व 130 पट्टे स्वीकृत हैं। पट्टों के संबंध मे वांछित अन्य सूचना परिशिष्ट "अ" व "ब" में दी गई है।

(2) वर्ष 1977-78 से 1981-82 तक वर्षवार आय, जो खनिजों से रायल्टी व डेडरेन्ट आदि के रूप में प्राप्त हुई, परिशिष्ट "स" में दी गई है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

अजमेर स्थित बीड़ी कारखाना द्वारा वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना

943. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व): क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अजमेर नगरपरिषद् सीमा में स्थित किस किस बीड़ी कारखाने के मालिक ने राजस्थान बीडी एण्ड सिगार वर्क्स (कंडिशन्स आफ एम्पलायमेन्ट) रूल्स, 1969 के नियम 32 के अन्तर्गत फार्म नम्बर XII के द्वारा कब कब अन्तिम बार का वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया ? कृपया तारीख सहित प्रत्येक द्वारा अन्तिम बार प्रस्तुत फार्म XII की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अजमेर नगर परिषद् सीमा में स्थित जिस जिस बीड़ी कारखाने के मालिक ने राजस्थान बीड़ी एण्ड सिगार वर्क्स (कन्डीशन्स आॅफ एम्पलायमेन्ट) रूल्स, 1969 के नियम 32 के अन्तर्गत फार्म नम्बर 12 का अन्तिम बार वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया उसका विवरण तिथि सहित निम्न प्रकार से है :—

फर्म का नाम	वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष	प्राप्ति दिनांक
1. मै. रामसिंह शंकर सिंह, अजमेर।	198182	27-4-82
2. मै. चूहड दो शेर बीड़ी वर्क्स, अजमेर	,,	27-1-83
3. मै. गोपाल बीड़ी वर्क्स, अजमेर	,,	6-12-82
4. मै. खण्डेलवाल ब्रादर्स, अजमेर	,,	21-9-82
5. मै. सेवक बीड़ी वर्क्स, अजमेर	,,	16-9-82
6. अमोलक बीड़ी ट्रेडिंग कं., अजमेर	,,	21-9-82
7. मै. सूरजमल शिव-वर्क्स, अजमेर	,,	21-9-82
8. मै. मोतीलाल संपत लाल, अजमेर	,,	दिनांक अंकित नहीं है
9. मै. जनता बीड़ी वर्क्स, अजमेर	,,	,,
10. मै. त्रिलोकचंद हंस राज, अजमेर	,,	,,

उपरोक्त संस्थानों के वार्षिक रिटर्न की प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

(रिटर्न की प्रतिलिपियों के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

Page No 46

(46)

उदयपुर डिविजन में खनन कार्य करने वाली आदिवासी सहकारी समितियां

944. श्री मेघराज लोवड़ (गोगुन्दा): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर डिविजन के कौन कौन से वन खनिज सम्पदा में आये हुये हैं? कृपया खनिजवार क्षेत्र की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उदयपुर डिवीजन में आदिवासी सहकारी समितियां कितनी हैं? जो खनन का कार्य कर रही हैं और कहां कहां पर? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर डिविजन (जिला भीलवाड़ा को छोड़कर) में जो वन खनिज संपदा में आये हुये हैं उनकी सूची संलग्न है (परिशिष्ट "अ")

(2) उदयपुर डिविजन (भीलवाड़ा जिले को छोड़कर) में निम्न सात आदिवासी सहकारी समितियां खनन कार्य कर रही हैं:—

क्र. सं. समिति का नाम	क्षेत्र
1. सर्वश्री आदिवासी खान श्रमिक ठेका सहकारी समिति, लि,. बीरपुरा पंचायत समिति सराड़ा, जिला उदयपुर।	गोमती नदी तह. सराड़ा जिला उदयपुर।
2. सर्वश्री आदिवासी खान श्रमिक ठेका सहकारी समिति लिमिटेड, भेसड़ा कलां तहसील गिर्वा जिला उदयपुर	भेसडा, भलो का गुडा तुलसीराम की सराय, करणपुर, करावड, विजनवास, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर एवं नारहमगरा, मावली तहसील मावली, थाना तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
3. सर्वश्री पनिवाला वन श्रमिक ठेका सहकारी समिति लिमिटेड, पनिवाला।	जगता रावत का पाडलिया।
4. सर्वश्री पत्थर उत्पादक सहकारी समिति कुशलपुरा।	कुशलपुरा व नया तालाब।
5. सर्वश्री भीम कुण्ड खनन उत्पादक सहकारी समिति।	कुशलपुरा व नया तालाब।
6. सर्वश्री छोटी बदरेल आदिवासी श्रमिक ठेका सहकारी समिति।	बड़ी बदरेल।
7. सर्वश्री शिव शक्ति श्रमिक ठेका सहकारी समिति, घाटोल।	हिम्मतसिंह का गुड़ा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

सन् 1956 से पूर्व अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों से क्रय की गई कृषि भूमि

946. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां), **श्री महावीर प्रसाद** (टौंक) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

1956 के पूर्व जिन व्यक्तियों ने रजिस्टरी के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की कृषि भूमि क्रय की थी या इस प्रकार के अन्य हस्तान्तरण के अवधिपार मामलों में ऐसे व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारियों को क्या कोई निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का श्रम करें।

उत्तर

जी, नहीं।

टौंक शहर को बाढ़ से बचाने हेतु ड्रेन स्कीम

948. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि वर्ष 1981 में टौंक शहर को बाढ़ से बचाने की दृष्टि से सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग से अलग अलग मोती बाग से रेडीबास तक ड्रेन स्कीम बनाई गयी थी ? यदि हां, तो किस विभाग द्वारा यह कार्य पूर्ण करवाया जा रहा है और इसमें कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है एवं यह कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

टौंक शहर को बाढ़ से बचाने हेतु मोतीबाग तालाब से रेडीबास तक नालों को गहरा व पक्का करवाने का कार्य कराने का प्रस्ताव है जिनका अनुमानित व्यय 8.30 लाख रुपया है। जिलाधीश टौंक ने यह सूचित किया है कि इसका कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के सीवरेज एण्ड ड्रेनेज डिविजन के माध्यम से कराया जायेगा। इस कार्य से सहायता विभाग का सम्बन्ध नहीं है।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों की जीप व कारों पर बिना रजिस्ट्रार की अनुमति से अपने क्षेत्र से बाहर ले जाने पर रोक

949. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग राजस्थान द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों को निर्देश दिये गये थे कि बैंकों की जीपों एवं कारों का कार्य क्षेत्र से बाहर बिना रजिस्ट्रार की स्वीकृति के उपयोग नहीं किया जावेगा।

(2) अलवर सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक की जीप एवं कार दिनांक 1-7-1981 से 31-1-1983 तक कितनी बार कार्य क्षेत्र से बाहर कहां कहां ले जाई गई ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कार्य क्षेत्र से बाहर वाहन को ले जाने के लिए

Page No 48

(48)

(श्री जीतमल जैन)
रजिस्ट्रार से स्वीकृति नहीं ली गई ? यदि हां, तो किस किस अधिकारी द्वारा आज्ञा का उल्लंघन किया गया है ?

(4) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अलवर सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक की जीप एवं कार दिनांक 1-7-1981 से 31-1-1983 तक कितनी बार कार्य क्षेत्र से बाहर कहां कहां ले जाई गई, का पूर्ण विवरण संलग्न है।

(3) जी हां। प्रबन्ध संचालक द्वारा आज्ञा का उल्लंघन किया गया।

(4) जी हां, नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 25 देखें)

समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों का पंचायत विभाग को हस्तान्तरण

950. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार ने विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावास पंचायत समितियों को हस्तांतरित कर दिये हैं ? यदि हां, तो हस्तांतरित छात्रावासों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों, जिन्हें पंचायत समिति को स्थानान्तरित कर दिया गया है, की जिलेवार सूचियां संलग्न हैं।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 26 देखें)

पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालयों पर कन्या विद्यालय खोलना

951. श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यावास पर कन्या प्राथमिक विद्यालय खोलने के बारे में विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार मिडिल स्कूल तक शिक्षा के विद्यालय हायर सैकण्डरी स्कूल से अलग खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्राथमिक विद्यालय के स्तर तक बालक एवं बालिकायें साथ-साथ एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। अतः बालक और बालिकाओं के अलग अलग प्राथमिक विद्यालय खोलने की शिक्षा विभाग की नीति नहीं है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी नहीं। राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों से मिडिल कक्षायें हटाने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 मार्च, 1983)

देवस्थान विभाग के भवन

477. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग द्वारा विभाग के अनेकों भवनों को किराये पर उठा रखा है ?

(2) यदि हां, तो क्या इन भवनों के किराये की राशि लगातार वसूल हो रही है ?

(3) कृपया दिनांक 31-3-1982 को किरायेदारों में किराये की रकम की बकाया का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कुछ भवनों के किराये की राशि नियमित रूप से वसूल हो रही है, कुछ की नहीं। जिनकी नहीं हो रही है, उनके सम्बन्ध में न्यायिक कार्यवाही की जा रही है।

(3) किरायेदारों में दिनांक 31-3-82 तक की बकाया किराया राशि की जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 27 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 मार्च, 1983)

जिला बांसवाड़ा में वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति

455. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में राजस्व अभियान के अन्तर्गत वृद्धावस्था, विधवाओं एवं अपाहिजों को पेंशन हेतु कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ? अलग अलग ब्यौरा प्रस्तुत करें।

(2) प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में से कितनों को पेंशन स्वीकृत की गई ? पंचायतवार ब्यौरा प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) राजस्व अभियान के अन्तर्गत जिला बांसवाड़ा में कुल 393 प्रार्थना-पत्र पेंशन दिलाने हेतु प्रस्तुत हुए। जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

वृद्धा	अपंग	विधवा	कुल
219	82	92	393

(2) इस जिले में राजस्व अभियान के अन्तर्गत 214 व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई है जिसमें से वृद्धावस्था 148, अपंग 21 एवं विधवा 45 को पेंशन स्वीकृत की गई है। जिन-जिन पंचायतों के जिन-जिन व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की

Page No 50

(50)

(. . अस्त्र मंत्री)
गई है उसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 28 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15 मार्च, 1983)

भारत स्काउट गाइड संस्था, जयपुर में प्रतिनियुक्त अध्यापक

620. श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की करेंगे :–

(1) भारत स्काउट व गाइड संस्था, जयपुर में शिक्षा विभाग के कौन कौन शिक्षक, अधिकारी के रूप में कब से प्रतिनियुक्ति पर हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जो अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर हैं उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि कब से कब तक थी तथा मूल विभाग में उन्हें वेतन एवं भत्ते आदि की कितनी राशि मासिक दी जाती थी तथा प्रतिनियुक्ति के बाद वेतन एवं भत्ते के रूप में कितनी राशि दी जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सच है कि प्रतिनियुक्ति पर आये अध्यापकों को संस्थान में पदोन्नति देकर उच्च पदों पर पदासीन किया गया है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ऐसा किया गया है और इस प्रकार की पदोन्नति में से संस्थान को अब तक मूल विभाग के वेतन एवं भत्ते से कितनी अधिक राशि का भुगतान करना पड़ा ?

(4) क्या यह भी सही है कि संस्थान में जिन व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया है उनके समकक्ष व्यक्ति जो संस्थान में कार्यरत हैं उन्हें इन पदों पर नहीं लगाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने इन अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति अवधि न बढ़ाये जाने के संदर्भ में आदेश दिये थे ? यदि हां, तो इन आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विवरण सदन के पटल रखा दिया गया है।

(3) जी हां। संस्थान की सर्वोच्च प्रशासनिक समिति द्वारा निर्धारित नियम अर्हता आदि के अनुसार केवल तीन पदों पर पदोन्नति दी गई है। पदोन्नति से पहले एवं बाद के वेतन एवं भत्ते का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। संगठन के विशेष अनुरोध पर प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची व विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 29 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(श्री अध्यक्ष)

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामकंवार बैरवा : गुजरात से मथुरा जाने वाली इण्डियन आयल की पाइप लाइन से चाकसू में तेल का स्टाक रखने का जो प्लान बनाया गया वह हटा कर मथुरा ले जाने के विषय में,

(2) श्री मालाराम : खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र के गांव बूरका दबाई व खेतड़ी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध न होने के विषय में,

(व्यवधान)

आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य। अपने स्थान पर बैठ जायें। आसन पैरों पर है।

(3) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल जेलिया : चम्बल की लिफ्ट मेन कैनाल से निकलने वाली बूंदी ब्राच कैनाल का इन्द्रगढ़ होते हुये सवाई माधोपुर तक विस्तार किए जाने की योजना अभी तक स्वीकार न करने के विषय में,

(4) श्री गोपाल पचेरवाल व श्री नाथूसिह: श्री गोपालकृष्ण शर्मा, जो विधि विभाग में कार्यरत थे, कार्यकाल सेवा निवृत्त होने के बाद भी बढ़ाने के विषय में,

(5) श्री मेघराज तावड़ व श्री त्रिलोक सिंह : जोधपुर शहर के मालसागर क्षेत्र के खसरा नम्बर 1805 व 1893 की जमीन, जो सीलिंग कानून के अन्तर्गत सरेण्डर कर दी गई थी, पर प्राइवेट लोगों द्वारा व गैर कानूनी निर्माण कार्य कराने के विषय में,

(6) श्री हीरालाल आर्य : पीपल्दा क्षेत्र के खातोली पुलिस स्टेशन के ए. एस. आई. व कुछ सिपाहियों द्वारा बोरदा के अनुसूचित जाति के कुछ लोगों के विरुद्ध मुकदमे लगाने व उन्हें तंग करने व उनसे रिश्वत लेने के विषय में,

(7) श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री अनंगकुमार जैन : झालावाड से पिड़ावा; डग से पिड़ावा आदि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन निगम की बस सेवा चालू न होने के विषय में,

(8) श्री हरिश शर्मा : रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र की रामगंज मण्डी तहसील तथा लाडपुरा तहसील के कुछ गांवों में हैण्ड पम्प न लगाने से पेयजल की समस्या के विषय में,

(9) श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा जिले के सुल्तानपुर गांव में चम्बल की नहरों से पानी सड़क पर बहने के विषय में,

(10) श्री रघुवीरसिंह कौशल : प्रदेश की विभिन्न मण्डियों में कृषि मूल्य आयोग द्वारा समर्थित मूल्य पर किसानों से चना खरीदने की व्यवस्था न होने के विषय में,

(11) श्री नन्दलाल मीणा व श्री रामकिशोर मीणा : माही बजाज सागर बांसवाड़ा के डूब में आने वाली जमीन में से अनेक खातेदारों को भूमि आवंटित न

(श्री अध्यक्ष)
करने और आवंटित भूमि का कब्जा न देने के विषय में,

(12) श्री बंसीलाल पटवा : भीलवाड़ा तहसील में तहसील कर्मचारियों की मिलीभगत से ठेकेदारों द्वारा ढाक के पेड़ों का गौन्द निजी कृषकों की भूमि से निकालने के विषय में,

(13) श्री घनश्याम तिवाड़ी : जिला शिक्षा अधिकारी सीकर द्वारा सामग्री की खरीद में भारी अनियमितताओं के विषय में,

(14) सर्व श्री जीतमल जैन, समर्थलाल, भंवरलाल शर्मा : स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राज्य की 121 नगरपालिकाओं को विशेष अनुदान देने में राजनैतिक आधार पर भेदभाव बरतने के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है :—

(1) श्री राजबहादुर : राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित 42 सहायक अभियंताओं की अभी तक नियुक्ति न होने के विषय में,

सरकार ने सूचित किया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया गया है और सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होने वाले सहायक अभियन्ताओं की संख्या निर्धारित कोटे से अधिक है ।

(2) श्री महावीर प्रसाद जैन : टौंक जिलाधीश के आदेश के अंतर्गत सन् 1980 में शामलाती खातों के विभाजन की कार्यवाही को अमल में न लाने के विषय में ।

सरकार ने सूचित किया है कि वांछित राशि के मुद्रांक शुल्क आवेदन पत्र के साथ न लगाने के कारण 207 प्रार्थना पत्रों का विभाजन स्वीकार नहीं किया गया है ।

(3) श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से सड़े-गले गेहूं का वितरण करने के विषय में ।

सरकार ने सूचित किया है कि खाद्य निगम से जो गेहूं प्राप्त हुआ है, उसका रंग वर्षा से भीगा होने के कारण फीका है, परन्तु वह खाने के योग्य है और उसके उपयोग से किसी प्रकार की बीमारी होना नहीं पाया गया है ।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

(4) श्री गुलाबचन्द कटारिया : संजीवन सहकारी क्रय विक्रय समिति, फतेहनगर, जिला उदयपुर में गबन व अनियमितताएं ।

इस प्रस्ताव पर प्राप्त तथ्यात्मक सूचना का अध्ययन किया जा रहा है। बाद में निर्णय लिया जायेगा ।

जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् अस्वीकार कर दिये गये हैं उनसे सम्बन्धित माननीय सदस्य दो दो या चार चार मिनट में अपनी बात कह सकेंगे ।

श्री राजबहादुर ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री समरथलाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर.....

श्री अध्यक्ष : मैं सदैव निवेदन करता रहा हूं कि जितने स्थगन प्रस्तावों के उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त हो जाते हैं उनके बारे में व्यवस्था कर देता हूं। उसके पश्चात् यदि किसी स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को कठिनाई हो तो, माननीय सदस्य जानते हैं, मेरा हमेशा रुख बहुत ही सहानुभूति का रहा है। समय का अभाव रहता है, कई तरह की समस्यायें हैं। लेकिन क्योंकि सत्र समाप्त होने को है इसलिये अधिक से अधिक, यथा सम्भव मैं आपकी सेवा कर सकूं यह मेरी कोशिश रहेगी। आप अपनी कठिनाइयों के बारे में जब मैं अपने चैम्बर में जाऊं, कृपया उस समय मिलने का कष्ट करें।

श्री समरथलाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार तो दो-तीन दिन में जा रही है फिर जवाब कैसे आयेगा? सरकार तो जा रही है दो-तीन दिन में।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची): सरकार कहाँ जा रही है?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय सदस्य, सरकार न तो कहीं जाती है और न कहीं से आती है। आपके उत्तर हैं. उनमें मैं ताकीद कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी..

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर

इस बात की कोशिश की जा रही है कि कम से कम आज तक जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत हुये हैं या प्राप्त हुए हैं उनका तत्काल जवाब मंगाया जाये ताकि माननीय सदस्यों को यहां पर अपनी बात कहने का अवसर मिल सके। यद्यपि पहले से बहुत से इस तरह के प्रस्ताव विचाराधीन हैं और उनमें वक्तव्य सरकार की ओर से दिलाने की व्यवस्था भी की गई है, और एक दो प्रस्ताव अधिक महत्वपूर्ण होंगे उसके लिये मैं कोशिश करूंगा।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर; सर।

श्री बन्सीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : काफी दिनों से कई प्रस्तावों के उत्तर आये हुए हैं हमारे...

श्री अध्यक्ष : अध्ययन कर रहा हूँ।

श्री बन्सीलाल पटवा : अध्ययन में ही काफी समय लग जायेगा। फिर क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : आपके लाठी चार्ज वाले प्रस्ताव का उत्तर आया है...

श्री बन्सीलाल पटवा : लाठी चार्ज का भी है और उसके पहले भूमि रूपान्तरण का है, और दूसरे और हैं

श्री अध्यक्ष : सब आये हुये हैं, माननीय सदस्य। एक दो दिन हमें खाली भी रखने पड़ते हैं। यह सारी बातें चैम्बर में हो चुकी हैं। एकाध दिन खाली भी रखने पड़ते हैं क्योंकि अन्तिम दिन कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाये। लेकिन मैंने निवेदन किया, यथा सम्भव, सरकार की ओर से स्थगन प्रस्तावों पर नियमों में कुछ ढील देकर दो, तीन, चार, वक्तव्य लाये जा रहे हैं। यह मेरी कोशिश है।

श्री समरथ लाल : अध्यक्ष महोदय, सत्र समाप्ति से पहले इसका जवाब आ जाये, यह तो व्यवस्था कर दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सत्र समाप्ति तक ही है सब बात। उससे पहले मेरी यह कोशिश होगी कि माननीय सदस्यों के जो इस प्रकार के प्रस्ताव हैं उनमें अधिक से अधिक के उत्तर प्राप्त हो सकें।

श्री राजबहादुर !

व्यवस्था का प्रश्न

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी द्वारा विधान सभा परिसर में भूख हड़ताल

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : अब एक दफा शुरू करने दें। फिर बाद में ही पाइन्ट ऑफ आर्डर रेज कर दो तो अच्छा है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 269 के तहत यह व्यवस्था का प्रश्न उठाकर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस विधान सभा का कोई माननीय सदस्य या इस सदन का सदस्य इस विधान सभा परिसर के अन्दर भूख हडताल, धरने या डिमान्सट्रेशन पर बैठ सकता है ? इस बारे में मैं व्यवस्था चाहता हूं। श्री ललितकिशोर जी चतुर्वेदी ने इन नियमों का उल्लंघन करके हाउस के परिसर में धरना दे रखा है। यह जो नियमों के विरुद्ध किया है इस बारे में मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : और हथकड़ी लगाना नियमों के विरुद्ध नहीं है ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं इस बारे में आपसे व्यवस्था चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोल एण्ड शकधर की पार्लियामेन्ट की प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर पर जो बुक है उसके पेज 254 पर स्पष्ट लिखा है, अध्यक्ष महोदय।

"A member is not to resort to hungerstrike, dharna or any demonstration or perform any religious function in the precincts of the Parliament House and the Parliament House Estate.

A member can remain within the precincts of the House only for an hour after the House is adjourned for the day. After that he can not remain in any part of the Parliament House Estate unless specific permission of the Speaker has been obtained."

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है, इस सदन को जानकारी है इस प्रकार की कोई भी परमिशन आपसे नहीं ली गई और न सत्तारूढ़ दल की ओर से आपको किसी प्रकार की सलाह दी गई है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उनको यहां धरने से उठायें। और धरना लगाना ही है तो बाहर सड़क बहुत है, मैदान बहुत है ..

श्री अध्यक्ष: ऐसा है कि आपने जो स्थिति बताई, ठीक है। कल मेरे ध्यान में इतनी बात नहीं आई होगी। जब सत्र चल रहा है तब तो माननीय सदस्य रह सकते हैं ना ? वर्तमान में यह तो मानते हैं ?

ऑर्डर, ऑर्डर। वर्तमान में जाकर वहां सो भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। अभी सत्र चल रहा है। 'बैठक प्रारम्भ होने के एक घन्टे पश्चात्' यह प्रश्न महत्वपूर्ण होगा तो उस वक्त मैं विचार करूंगा इस पर।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हम स्ट्राइक पर नहीं बैठ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : खाना खाकर आये या नहीं, अपन इसको कैसे डिसाइड करेंगे ?

(व्यवधान)

ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : उन्होंने विधान सभा में इस बात की घोषणा की कि मैं यहां पर भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूं, पीपाड़ के मामले को लेकर। विधान सभा में घोषणा करने के बाद और इस सदन की जानकारी में आने के बाद यदि कोई माननीय सदस्य 24 घन्टे तक लगातार वहां बैठा रहे तो नियमों के विरुद्ध है। इसलिये मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा(जयपुर ग्रामीण): सुखाड़िया जी ने जब शासन हथियाना चाहा था 1967 में, सारा विपक्ष यहां धरने पर बैठा था।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि आपने स्वयं जो नियम पढ़ा है उसमें यह है कि सदन की बैठक प्रारम्भ होने से एक दो घंटे पूर्व और एक दो घंटे पश्चात् तक तो ठहर सकते हैं। कल यह प्रश्न था, काफी लेट सदन की कार्यवाही स्थगित की गई उसके बाद में मैं भी चला गया। उसके बाद में अब प्रश्न यह आता है कि वर्तमान में क्या स्थिति है। तो मैंने आपको निवेदन किया, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि सदन के अन्दर तो उठने-बैठने के कुछ नियम हैं लेकिन गैलेरीज के अन्दर, लॉबीज के अन्दर सो भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, भूखे भी बैठ सकते हैं, आधा खाना खाकर भी बैठ सकते हैं, पूरा खाकर भी बैठ सकते हैं। इसलिए वर्तमान में अभी यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। जब सदन की बैठक समाप्त हो जायेगी उस समय इस समस्या पर विचार किया जायेगा। अभी वर्तमान में ऐसा है, जो व्यवस्था का प्रश्न आता है जब कार्यवाही चल रही हो, उस समय नियमों का उल्लंघन हो रहा हो अथवा अपने से संबंधित जितने भी संविधान के अनुच्छेद हैं उनका उल्लंघन हो रहा हो तब आता है। वर्तमान में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है इसलिए अभी इस पर कोई व्यवस्था मैं नहीं दे रहा हूं। अब मैं माननीय श्री राजबहादुर जी को आमंत्रित करता हूं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : नियमों का उल्लंघन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी। ऑर्डर प्लीज। मैंने निवेदन कर दिया आपको कि जब मीटिंग शुरू होती है उस वक्त कोई भी माननीय सदस्य भूखा, आधा खाना खाये हुये, पूरा खाना खाये हुये सदन में रह सकते हैं। मुझे ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि मैं उनको बाहर निकाल सकूं। आप कोई नियम बता दीजिए।

श्री यदुनाथसिंह : चिंता तो हो रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में··

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : आपकी व्यवस्था से, अध्यक्ष महोदय, यह लगता है कि माननीय श्री ललित किशोर चतुर्वेदी···

श्री अध्यक्ष : दो नहीं बोलें एक साथ। यह नियमों में है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत: ···की घोषित भूख हड़ताल नहीं है। जब आपने व्यवस्था दी उसमें आपने कहा कि आधा खाकर भी आ सकते हैं, खाना खाकर भी आ सकते हैं। तो क्या सदन यह समझे कि श्री ललित-किशोर चतुर्वेदी खाना खाकर यहां बैठे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। मैंने कहा है खाना खाने का, नहीं खाने का माननीय सदस्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसा न तो यहां कोई रजिस्टर रखा जाता है या पुस्तिका रखी जाती है कि कौन खाकर आया, कितना खाकर आया है।

(व्यवधान)

आॅर्डर, आॅर्डर। वर्तमान में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह चिन्ता का विषय बनता है, यहां घोषणा की है। हमें उनके स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता हो रही है इसलिए सदन की ओर से उनसे आग्रह किया जाये कि वह भूख हड़ताल समाप्त करें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, अखबारों में छपा है, वह स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि वह माला पहन कर भूख हड़ताल पर हैं। जब एक माननीय सदस्य इस बात की घोषणा कर दे, इस सदन में घोषणा कर दे कि मैं कल से भूख हड़ताल पर बैठूंगा तब तो सदन की जानकारी में आ गया। दूसरा, माला पहनकर बैठे हैं। क्या माला पहनकर परिसर में आ सकते हैं ! नियमों का इन्होंने हनन तो किया है···

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि सदन में कौनसी वस्तुएं लाई जा सकती हैं इसके भी नियम हैं। घातक हथियार हो कोई भारी चीज हो जो फेंकी जा सके। यहां जो सुरक्षा के नियम हैं उनका कोई हनन नहीं होता है माला लाने से।

श्री वीरेन्द्रसिंह : यह घोषित हड़ताल है या नहीं आपकी जानकारी में, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि यह प्रश्न तब उठेगा कि जब सदन की बैठक स्थगित हो जायेगी।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : फिर हम कहां उठायेंगे ?

श्री अध्यक्ष :···और उसके पश्चात् कौन व्यक्ति प्रांगण में या परिसर में रहता है उसके बारे में बाद में व्यवस्था की जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मैं आभारी हूं कि उन्होंने किसी रूप में श्री ललित किशोरजी का मामला इस सदन में पेश किया। माननीन सदस्यों की सहानुभूति है उसके लिये निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, परिसर में क्या क्या होता है, आप भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किन्तु यहां मन्त्रियों के थप्पड़ मारे जाते हैं वह तो लोगों को याद नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है उसके लिए तो उनका आभारी हूं। लेकिन सरकार इस सम्बन्ध में कुछ तो बोले। सरकार मौन बैठी रहती है। आखिर ललित किशोर चतुर्वेदी भूख हड़ताल पर बैठे हैं; अपने शरीर को किस कारण से क्षीण करने की तैयारी में है? सरकार क्यों मौन है? सरकार इस सम्बन्ध में मौन बैठी है। इस संबंध में चुप क्यों बैठी है? सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य आये, सरकार कोई जानकारी दे उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, यह सवाल माननीय सदस्यों के सामने पैदा होगा। अभी तो आप सभी लोगों की सहानुभूति है उसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भाटी!

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। मैं बहुत खुश हूं कि विपक्ष के नेता ने यह सब्जेक्ट उठा लिया और आपने इस पर बोलने की...

श्री यदुनाथसिंह : माननीय भैरूंसिंह जी गुर्जर विपक्ष के नेता नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : असन्तुष्टों के नेता...

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : विपक्ष के नेता अभी बोले। जैसे ही इन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में यह प्रश्न उठाया, अध्यक्ष महोदय, सूचना की परिभाषा में यह सब्जेक्ट आ जाता है। आपके नोटिस में हंगर स्ट्राइक..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, आप बाद में आये हैं। यहां एक धरना चला था, परिसर में बहुत लम्बे समय तक चला है। अभी धरना है या नहीं है, मैंने कहा, अभी तो सदन की कार्यवाही चल रही है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अब यह मामला उठ गया है, इन्होंने आपको सूचित कर दिया है कि ललित किशोर चतुर्वेदी यहां पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। अब आप इस सब को इग्नोर...

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, हमारे नियमों में प्रावधान हैं कि एक दिन के लिये आसन को यह अधिकार है कि वह किसी माननीय सदस्य को सदन से बाहर जाने को कह सकता हैं। उसके बाद का अधिकार जो है, वह पूरे सदन का है। प्रस्ताव लाइये कोई, उस पर विचार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्होंने भैरूंसिंह जी को ब्रीफ गलत किया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनकी सलाह पर मत चलना।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं विपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि उनकी सलाह पर कतई नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने बहुत बढ़िया पाइन्ट उठाया है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : क्या भैरोंसिंह जी भैरूंसिंह जी से करेंगे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इनको कह रहा हूं मेरा नाम कहीं फीका नहीं पड़े, कहीं आप चक्कर में आकर मिस गाइड न हो जायें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको शायद अपना नाम आपके कारण चेन्ज नहीं करवाना पड़े।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूँ, नाम तो आप अपनाना चाहते हैं ··

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे आज्ञा दें तो जो प्रश्न चल रहा था उस पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि खेतसिह जी, चीफ व्हिप को रिएक्ट करना चाहिये, इस सवाल को छोड़ना नहीं चाहिये और इसको निपटाना चाहिये। कोई ऐसी बात नहीं है।

जहां तक मुझे मेरे स्थगन प्रस्ताव के संबंध में बोलने को कहा, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि 42 नवयुवकों ने यूनिवर्सिटी मे योग्यता प्राप्त की। कठिन कठिन जो परीक्षायें होती हैं, जिनमें उत्तीर्ण होना बहुत कठिन होता है, पहले तो रिटन एग्जामिनेशन होता है, रिटन एग्जामिनेशन के बाद वायवा होता है। फिर जब वे सलेक्ट हो जाते हैं तो सलेक्ट होने के बाद उनको आशा होती है कि जो अपने जीवन का लक्ष्य है वह पूरा होगा और उनको एम्पलायमेन्ट मिलेगा। 42 लोगों ने एग्जाम पास किया। जवाब यह आया, जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय ने पढ़ कर बताया, कोई अनियमितता नहीं हुई है। मैं अर्ज करूंगा, जब यह डिमाण्ड की गई थी कि इतने आदमी चाहिये, सम्बन्धित विभागों ने लोक सेवा आयोग को लिखा तो क्या वह डिमाण्ड प्रिसॉइज नहीं की गई थी या डिमाण्ड झूठ थी, या डिमाण्ड कम की गई थी। डिमान्ड कम से कम पक्की होनी चाहिये थी। डिमाण्ड अगर पक्की नहीं थी उन 42 आदमियों की, तो इन्होंने क्यों की ?

(12.22 म. प.)
(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

जब वे सलेक्ट हो गये तो उन लोगों के कैरियर के ऊपर क्यों कुठाराघात किया जा रहा है ? आखिर बड़ी मुश्किल से पास होते हैं। एग्जामिनेशन चाहे आर.ए.एस. का हो, चाहे आर. जे. एस. का हो, चाहे आई. ए. एस. का हो, बहुत ही कठिन परिश्रम से पास होते हैं। पास होने के बाद निराश कर उन्हें निकाल दिया। कहां जायेंगे, किधर जायेंगे? यह आप जानते हैं। विधि मंत्रीजी बैठे हैं, बड़े गौर से सुन रहे हैं, वे बता दें कि किन कारणों से उनको हटाया जायेगा ? आपकी डिमाण्ड फार्म थी या नहीं थी। अगर प्रिसाइज नहीं थी तो जिम्मेदारी आपकी हैं। अगर डिमाण्ड आपने की है तो जिम्मेदारी आपकी है। डिमाण्ड करके अब लेने की जिम्मेदारी आपकी हैं, किसी प्रकार से उसको आप टाल नहीं सकते। जहां तक आर. एस. ई. बी. का सवाल है, वहां तो ले लिये गये हैं लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. में नहीं लिये गए हैं। क्या काम कम हो गया है ? यह 42 का जो फिगर दिया है, लोक सेवा आयोग द्वारा इनको सलेक्ट किया गया। उनका क्या हुआ ? क्या आपकी तरफ से डिमाण्ड नहीं आयी, लोक सेवा आयोग ने अपने आप सलेक्शन कर डाला ? सभापति महोदया, कोई किसी किस्म का जवाब आता नहीं है। सरकार की तरफ से जो जवाब आया, अध्यक्ष महोदय ने पढ़ कर सुनाया, वह अपर्याप्त है और वह चल नहीं

(श्री राज बहादुर)

सकता। इस प्रकार एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। मैं अर्ज करूंगा कि विधि मंत्रीजी या कोई दूसरे मंत्री इस पर प्रकाश डालें। प्रकाश डाल कर कहें कि जो 42 लोग सलेक्ट हुए हैं उनका क्या हुआ? आपकी खामोशी से क्या यह माना जाये कि आप अन्याय करेंगे और अन्याय करने के बाद जो प्रोटेस्ट किया जायेगा वह भी आपको महसूस नहीं होगा? कहा जाता है जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कोई चीज सताती नहीं है। मैं चाहूंगा, यह अभियोग आप पर न लगे। बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके इसका कोई जवाब दें कि उन 42 नवयुवकों, जिन्होंने परिक्षायें पास की हैं, के लिये आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री सभापति : श्री महावीर प्रसाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : सभापति महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था आपस में समझौते के आधार पर खातों में विभाजन के बारे में। मैं निवेदन करूंगा कि इसी सत्र में कुछ दिन पहले माननीय सदस्य, श्री रघुवीरसिंह जी के सवाल के उत्तर में माननीय राजस्व मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि 5 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर खाते का विभाजन किया जा सकता है। इसी डाइरेक्शन के अनुपालन में सन् 1980 में टोंक जिलाधीश ने सारी तहसील कार्यालयों पर सब तहसीलदारों को इस प्रकार के आदेश वायरलैस से, टेलीग्राम से और लिखित में दिये। इसके आधार पर सन् 80 में पूरे जिले में कैम्प लगे। टोंक तहसील में 1-8-80 को झिराना में, 2-8-80 को, पीपलू में, 3-8-80 को सोयला में, 4-8-80 को डालडा तुर्की में, 5-8-80 को डोडवाली में, 7-8-80 को बम्बोर में, 11-8-80 को घाघ और चन्दलाई में, 12-8-80 को मेहदवास और छान में कैम्प लगवाये गये। लोगों से पांच-पांच रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प खरीदवायें गये और खरीदवाकर वहां सारे स्टाम्पों पर प्रतिज्ञा पत्र लिखवाये गये। माननीय सभापति महोदय, वहां पर 5817 खातों के विभाजन के लिये स्टाम्प पर प्रतिज्ञा पत्र वगैर लिखवाये। जब पांच रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प बाजार में उपलब्ध नहीं हुआ तो लोगों ने 50-50 रुपया देकर स्टाम्प खरीदे और एक-एक काश्तकार ने 250-250 रुपया वकीलों और पटवारियों पर खर्च किया। उसके बाद इस कार्यवाही को जिलाधीश के आदेश से स्थगित कर दिया गया। जिस प्रकार का जवाब राजस्व विभाग ने हाउस में दिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय को जो सूचना दी है उसमें यह स्वीकार किया है कि भूमि का खातों में विभाजन कराने के लिये न्यायालय में जाने से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से पांच रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर काश्तकारों की ओर से प्रतिज्ञा-पत्र और प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर विभाजन स्वीकार करने के आदेश दिनांक 24-4-80 को जिला स्तर पर प्रसारित किये गये थे। उसके अनुसरण में विभिन्न तहसीलों में प्रार्थना-पत्र आये तथा तहसील टोंक में 7 व टोडारायसिंह में 35 काश्तकारों का विभाजन स्वीकार किया गया ...

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आपस में बात नही करें, कृपया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस प्रकार खातों में 42 विभाजन स्वीकार कर लिये। मैं पूछना चाहता हूं कि 42 काश्तकारों के खातों में आपने विभाजन स्वीकार कर लिये वह तो किस आधार पर कर लिये और जो 5,800 काश्तकारों को महरूम रखा गया, उनका 250-250 रुपया खर्च करवाया गया जो लाखों रुपये की उन किसानों के साथ खुली लूट की गई उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? मैं यह चाहता था और माननीय अध्यक्ष महोदय को मैंने निवेदन भी किया था कि इस बारे में सरकार वक्तव्य दे। मैं नहीं समझ पाया कि किन कारणों से सरकार वक्तव्य देने से कतरा रही है। इसी सत्र में यह घोषणा की गई थी 5 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर प्रतिज्ञा-पत्र लेकर उनके खातों का विभाजन किया जा सकता है। उसके बाद ऐसे कौन से कारण थे कि इनको रिकार्ड नहीं किया गया। आज रिकार्ड रिक्त है, किसान परेशान हैं, उनसे सरचार्ज वसूल किया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बिना देखे खातों की पाबन्दी को स्वीकार किया जाय, अन्यथा किसान आन्दोलन करने के लिए बाध्य होगा और उसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : सभापति महोदय, मेरा एक क्वेश्चन था इस संबन्ध में। मैं इसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ी मिस अण्डरस्टेंडिंग हो रही है। माननीय सभापति महोदया, राजस्व मन्त्रीजी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में यहां यह बताया था कि 5 रुपये के नान-जुडिशियल स्टाम्प पर यदि बंटवारे की एप्लीकेशन आती है तो उसमें बंटवारा कर दिया जाना तय किया जा सकता है। यह आदेश सैक्रेटेरिएट से इश्यू नहीं हुआ। यह एक परम्परा थी, उस परम्परा के अनुसार यह होता रहा लेकिन सरकार ने एक आदेश यहां से निकाला कि जिस जमीन का का बंटवारा करना है, उस जमीन का जितना लगान है उसकी पांच गुणा स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। यह एक आदेश यहां से चला गया। तीसरा एक आदेश गया कि उस जमीन के लगान का पांच गुणा नहीं है, उस जमीन की जितनी कीमत है, उसमें जितना उसका हिस्सा है, एक हिस्से की जितनी कीमत है, उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। यह तीन आदेश यहां से गये। इनके आधार पर तहसीलदारों ने पैसा लिया। इन आदेशों में यदि पैसा मिल गया तो 5 रुपये के स्टाम्प पर मान लिया, कम पैसा मिला तो लगान के पांच गुणा पर मान लिया और यदि नहीं मिला तो वह आदेश बता दिया कि कीमत पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। इस कारण यह खातों के बंटवारे नहीं होकर आज भी बंडल उनके बस्ते में बंधे हुए रखे हैं और किसान चक्कर लगा रहे हैं। जो पैसा दे जाता है उसका काम हो जाता है बाकी तो सर्क्यूलर का एक बहाना बनाकर किसानों को तंग कर रहे हैं।

श्री सभापति : डा. उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदया, मैंने आज से कोई 10-15 दिन पहले एक स्थगन प्रस्ताव रखा था, जिसका उत्तर यह आया है कि गेहूं खराब नहीं था। मैंने सदन के पटल पर गेहूं का नमूना रखा था, अगर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कोई समिति बनाकर उसकी जांच करा ली जाय तो, मैं कहना चाहूंगी, अनेकों लोग यहां बीमार पड़े हुए हैं अस्पतालों में, उसकी स्पष्ट रूप से रिपोर्ट आयेगी कि यह खाने लायक गेहूं नहीं है। मैं कहना चाहूंगी, जयपुर में 351 राशन की दुकानें हैं। अनेकों राशन की दुकानें•••

श्री सभापति : माननीय सदस्या, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि खाद्य निगम से जो गेहूं प्राप्त हुआ है उसका रंग वर्षा से भीगा होने के कारण फीका हो गया है परन्तु वह खाने के योग्य है और उसके उपयोग से किसी प्रकार की बीमारी होना नहीं पाया गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदया, आप स्वयं महिला हैं, आप जानती हैं कि वर्षा में जो चीज बिगड़ जाती है उसका रंग ही खराब नहीं होता, उसके गुण भी खराब हो जाते हैं। मैं आपसे इसलिए कहना चाहूंगा कि वह गेहूं खाने के काबिल नहीं है। मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो सरकार एक कमेटी बनाकर उसकी जांच करा ले। खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच के बारे में तो यहां कल कह रहे थे कि बड़े पैमाने पर होती है। मैं कहना चाहूंगी, 351 दुकानों में से आधे से अधिक वह गेहूं उठा रहे हैं बाकी दुकानें नहीं उठा रही हैं। गरीबों को गेहूं नहीं दिया जा रहा है। इनके पास 2 लाख 60 हजार परमिट हैं, यह सरकार की ओर से उत्तर मुझे पिछले सत्र में दिया गया था। तब भी मैंने आपको बताया था कि 14 लाख यूनिट हैं जब कि यहां पर जनसंख्या दी गयी उसमें 10 लाख यूनिट बताये थे। 14 लाख यूनिट के बारे में वर्तमान डी.एस.ओ., जब वह आये, उन से मैंने कहा था इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिये और यह जो नकली, जाली राशनकार्ड दुकानदारों ने रखे हैं जिनके माध्यम से वह ब्लैकमैलिंग कर रहे हैं, लोगों को ब्लैक में सामान बेच रहे हैं, उनको समाप्त करके वास्तविक रूप से जो उपभोक्ता हैं, उनको सामान मुहैया कराना चाहिये। मैं कहना चाहूंगी कि जो अच्छा गेहूं है वह ब्लैक में मिल रहा है। तारीख 20 को ही 30 बोरी गेहूं झोटवाड़ा में पकड़ा गया। इसी तरह बहुत से लोग अपनी दुकानों पर माल तो ले रहे हैं लेकिन उस माल को बाहर ब्लैक कर रहे हैं। यही नहीं कि गेहूं की बोरी पकड़ी गयी, यहां पर मिट्टी के तेल के ड्रम भी पकड़े गये, चीनी की बोरियां भी पकड़ी गयीं। मैं समझती हूं, यह विभाग पता नहीं क्या कर रहा है, जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदया, लेवी की चीनी यहां अभी तो 30 पर्सेन्ट•••

श्री सभापति : माननीय सदस्या, गेहूं तक अपनी बात सीमित रखें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं नमूना बता रही हूं इनकी योग्यता का केवल 30 पर्सेंट मिट्टी का तेल मिले तब तो तेल बांटने वाले 15 लीटर दे देंगे, जब उन्हें 70 पर्सेन्ट तेल मिल रहा है तो उस समय यह दो आदमी के घर में केवल दो लीटर देंगे। जयपुर में तमाशा मचा रखा है। कोयला नहीं है। झोटवाड़ा में कोयले का एक डिपो है। जवाहर नगर का आदमी झोटवाड़ा कोयला लेने जायेगा? यह क्या नमूना है, क्या दिमाग है, समझ

Page No 62

(62)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

में नहीं आ रहा। लकड़ी के केवल दो डिपो हैं, जहां पर कोई वितरण व्यवस्था नहीं। मैं कहना चाहूंगी, जयपुर के साथ यह मजाक अच्छा नहीं है। जयपुर के अन्दर खाली अंगीठी है, कोयला नहीं मिलता, खाली पीपे हैं, घरों में आटा नहीं है। मिट्टी के तेल की पीपियां और चकला बेलन लेकर औरतें मर्द नीचे खड़े हैं, हजारों की संख्या में। मैं कहना चाहूंगी, जयपुर में समस्या नहीं तो यह लोग कैसे आये? मन्त्री महोदय हैं नहीं, यह जो मन्त्री हैं अपने श्री घासीरामजी यादव, इन्होंने गत सितम्बर को यह आश्वासन दिया था, खाद्य तेलों की कोई कमी नहीं आयेगी। इन्होंने आश्वासन दिया था, घी की कमी नहीं आयेगी। अशोका का जो घी है उस पर कितना ब्लैक हो रहा है? मैं कहना चाहूंगी, पैसों का कलेक्शन होता है, नीचे के पैमाने पर...

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस अव्यवस्था में भागीदार कौन कौन हैं? पहले एक आदमी आया था अब नासमझी के कारण 5 शत्रु और पैदा हो गये। आप कहें तो मैं नाम बता दूं जो इस व्यवस्था को फेल करना चाहते हैं। खाद्य मिनिस्टर और डी.एस.ओ. को समझना चाहिये कि कौन कौन सारी व्यवस्थाओं को बदल रहे हैं, कौन इन व्यवस्थाओं को बिगाड़ने में घातक सिद्ध हो रहे हैं। मूलचन्द सोनी, श्री किशन-सिंह श्रीवास्तव....

श्री सभापति : माननीय सदस्या, गेहूं से सम्बन्धित मामले में कहिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदया, एक बात बता दें मुझे आप, अगर मिट्टी का तेल नहीं मिलेगा तो रोटी काहे से बनेगी, अगर कोयला नहीं मिलेगा तो रोटी काहे की बनेगी, आटा नहीं होगा तो खायेंगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप स्वयं महिला हैं, अगर आप के घर में बच्चे बिलबिलायें तो क्या स्थिति होगी? अभी परसों कहा जा रहा था कि भूख के कारण मौत नहीं हुई शेरगढ़ में मैं कहना चाहती हूं, यह जयपुर में वही स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं जो शेरगढ़ में पैदा हुई। इस तरह का गला-सड़ा गेहूं यहां दिया जा रहा है लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं समझती हूं, आपको होश आना चाहिये। दिल्ली का यहां से पांच घन्टे का रास्ता है। दिल्ली में दस किलो गेहूं बड़ा सफेद, बड़ा बढ़िया चुनाव के टाइम में देखकर आयी हूं। दिल्ली में चीनी की कोई कमी नहीं है, दिल्ली में तेल की कमी नहीं है। इन्दिरा गांधी की नाक के नीचे सब काम होता है। माथुर सरकार पानी दे नहीं सकती, राशन दे नहीं सकती, मिट्टी का तेल दे नहीं सकती। गैस की एजेन्सियां दी हुई हैं, कोई शान्ति पहाड़िया को, कोई मिसेज माथुर को, कोई डांगी के भतीजे को, जिन में गैस नहीं मिलती। मैं कहना चाहूंगी राज्य सरकार से कि मिलीभगत के कारण जयपुर में, राजस्थान की पूरी स्थिति मुझे मालूम नहीं, मैं केवल जयपुर का सामान उठाती हूं, हर आदमी को परेशान किया जा रहा है। जो अधिकारी हैं उनके लेवी की सीमेन्ट से बंगले बन रहे हैं लेकिन आम आदमी को सीमेन्ट उपलब्ध नहीं कराया जा रहा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

एक-एक आदमी एक-एक कट्टा सीमेंट पाने के लिए परेशान है। बाढ़ में बहे लोगों को अभी तक सीमेंट नहीं दिया गया। मैं कहना चाहूंगी, सारी वितरण की व्यवस्था खराब हो रही है, इसको पुनः बनाना चाहिये। 14 लाख यूनिट के राशन कार्ड गलत दिये गये हैं। 10 लाख वास्तविक यूनिट हैं। अगर 14 लाख यूनिट हैं सैन्ट्रल सेल करे। वास्तव में 10 लाख यूनिट हैं तो 4 लाख का गबन घोटाला कहां हो रहा है? इसकी जांच विभाग क्यों नहीं करता? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी मन्त्री महोदय से ...

श्री सभापति : समाप्त करिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कि आप भी नीचे उतरकर जरा देखें और उनको सम्बोधित करें। माननीय सभापति महोदय, आप भी महिला हैं, आपका भी कर्त्तव्य है कि जो महिलाएं खाली पीपे, खाली मटके, मिट्टी के तेल के खाली पीपे, अंगीठी और चकला-बेलन लेकर सरकार से मांग करने आयी हैं, इस सरकार से मांग करने आयी हैं, तो क्यों नहीं आप समुचित व्यवस्था करें। अन्यथा घर के लोगों को पैकेट बना बनाकर भेज दो या एक काम करो, खेतसिंहजी, कोई ऐसी गोली ईजाद करो जिससे लोगों को भूख नहीं लगे और बेचारे मस्ती मारें...

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, सदन का काफी समय ले लिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा ; माननीय सभापति महोदय, मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं, व्यवस्था करनी चाहिए या नहीं? मुझे केवल एक उत्तर आपका चाहिए ; सरकार ने दोहरी नीति वितरण व्यवस्था की की है, तो क्या समुचित व्यवस्था करनी चाहिये या नहीं? आप अगर ना कहती हैं तो मैं बैठ जाती हूं। अगर आप हां कह देती हैं तो इनको ताड़ना दीजिए, यह ठीक व्यवस्था करें। जयपुर के साथ यह खिलवाड़ बड़ा गलत है। डी. एस. ओ. साहब और जो विभाग जयपुर में काम कर रहा है, उनको चौकन्ना होकर इन कारनामों को ठीक करके समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। इन सब चीजों को मुहैया कराना चाहिए वरना जो दोहरी नीति के नाम पर जालसाजी करके कुछ लोगों का पेट भरने की कोशिश की जा रही है, उस नीति को समाप्त कर देना चाहिये।

श्री सभापति : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। सहकारिता मंत्रीजी।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : सभापति महोदया, आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू का शहीद होने का दिवस है। बड़े शर्म की बात है कि कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संजय गांधी की मृत्यु पर दो-दो, तीन-तीन दिन की छुट्टी आपने की है, आज हमारे देश के लिये यह दुर्भाग्य का विषय है कि जब आज उनका शहीद दिवस है तो हमने उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। हमें चाहिये कि इस सदन में उनको श्रद्धांजलि दें। शहीद भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरू ने देश की आजादी के लिये लड़ाई लड़ी और लड़ते लड़ते कुर्बान हो गये। उनको फांसी के फन्दे पर

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

चढ़ाया गया। सभापति महोदया, आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस सदन में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाय। यह सर्वोत्तम रहेगा।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री हनुमान प्रभाकर (सहकारिता मंत्री) : सभापति महोदया, मैं भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (11) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखों के विवरण, 1981-82 सदन की मेज पर रखता हूँ।

समिति का प्रतिवेदन

जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग विषयक प्राक्कलन समिति, 1982-83 का प्रथम प्रतिवेदन

श्री सभापति : प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री रामपाल उपाध्याय।

श्री रामपाल उपाध्याय [सभापति, प्राक्कलन समिति (ख)] : सभापति महोदया, मैं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग विषयक प्राक्कलन समिति, 1978-79 के तृतीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति (ख), 1982-83 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

भरतपुर जिले की रूपारेल नदी के पानी को घाट खूंटेटा पर अलवर में रोक देने से भरतपुर के किसानों को सिंचाई से वंचित रखना

श्री सभापति : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : कौनसा सभापति महोदया ?

श्री सभापति : भरतपुर जिले की रूपारेल नदी के पानी को घाट खूंटेटा पर रोकना।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, भरतपुर जिला सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की दृष्टि से एक दुर्भाग्यपूर्ण जिला रहा है। जो आजादी के पहले के इंजीनियर्स थे उन्होंने एक स्किलफुल डिजाइन भरतपुर के इरिगेशन की बनाई थी। भरतपुर में जो भी नदियां आती हैं वे सिल्ट लाती हैं और उनकी वजह से भरतपुर बरबाद है। दिन प्रतिदिन उन नदियों के बेड ऊंचे होते चले जा रहे हैं और वे नदियां व नहरें कोर्स बदल रही हैं। जब हिन्दुस्तान आजाद नहीं हुआ था उससे पहले रूपारेल नदी से भरतपुर को पानी आता था आम तौर पर तीन नदियों से भरतपुर में पानी आता है, सभापति महोदया, जो हैं बांण गंगा, गंभीर और रूपारेल। रूपारेल का पानी नगर और कामां के कुछ क्षेत्रों में जाता है। तो, सभापति महोदया, जब स्टेट का मर्जर नहीं हुआ था, हिन्दुस्तान आजाद नहीं हुआ था तब भूतपूर्व अलवर रियासत और भरतपुर रियासत के बीच झगड़ा चला। रूपारेल का पानी घाट खूंटेटा से हमको मिलना था। जब यह झगड़ा

(श्री यदुनाथसिंह)

ज्यादा चला तो मामला प्रीवि कौन्सिल में भी गया। प्रीवि कौन्सिल के फैसले के मुताबिक इस नदी का पानी घाट खूंटेटा पर नहीं रोका जायेगा और अलवर रियासत के अन्दर इस तरह का कोई बान्ध नहीं बनाया जायेगा जिससे कि पानी को रोका जाय। यह व्यवस्था आज तक लागू थी, थोड़े दिनों पहले तक लागू थी, कुछ वर्ष पहले तक लागू थी। लेकिन, सभापति महोदया, अलवर में घाट खूंटेटा पर बान्ध बनाया जा रहा है और उस पानी को रोका जा रहा है। उससे, सभापति महोदय, एक ओर तो नदी के साथ, वर्षा के पानी के साथ जो खाद और दूसरी तरह की चीजें आती हैं वह वहां पर रुक जायेंगी और दूसरी ओर जो रूपारेल से भरतपुर का जो इरिगेशन सिस्टम है उसकी बरबादी होगी। इसलिए मैं चाहूंगा सरकार से कि अलवर को पानी दें, निश्चित रूप से दें लेकिन उस पानी से कहीं भरतपुर जिला वंचित न रहे। इतना ही निवेदन मैं राज्य सरकार से करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार का अपना जो भी दृष्टिकोण इस बारे में है उसे स्पष्ट करे। रूपारेल के सिस्टम से जो भरतपुर को घाट खूंटेटा से जो पानी मिलता था पानी रोकने मे जहां एक ओर पानी की जो हानि हो रही है वह तो हो ही रही है, साथ ही पानी के साथ जो खाद कचरा और गोबर के रूप में आती है उसकी भी हानि हो रही है। उस खाद से भरतपुर का काश्तकार, भरतपुर की जमीन कहीं महरूम नहीं रहे, इस बारे में राज्य सरकार अपनी ओर से घोषणा करेगी। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदया, मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है।

श्री सभापति : आपका नाम नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : सभापति महोदया, आदेश जो आसन ने दिया है वह केवल आपके प्रस्ताव पर है लेकिन माननीय सदस्य इस पर बोल सकते हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय सभापति महोदया, यह जो विषय ध्यान आकर्षण के प्रस्ताव के माध्यम से उठाया गया है, निश्चित रूप से भरतपुर जिले के लिये एक महत्वपूर्ण विषय है। यह हमारे भरतपुर जिले के जीवन और मरण का प्रश्न है। रूपारेल नदी का नाम ही रूपारेल इसलिए पड़ा है कि रूपा की रेल है। रूपा का मतलब चान्दी होती है। एक चान्दी की रेल है, वह नदी हमारे जिले में एक प्रकार से चान्दी लेकर आती है। चान्दी से मेरा मतलब यह है कि सिंचाई का पानी लेकर आती है। हमारे जिले में नगर तहसील, डीग तहसील और कामां तहसील के लिए आदि काल से, बहुत पुराने जमाने से इस नदी से निरन्तर पानी चला आता है। जब अलवर और भरतपुर रियासतें थीं तब भी यह प्रश्न उठा था। एक बार प्रयत्न किया था अलवर रियासत ने कि इस पानी को रोका जाय। भरतपुर के तत्कालीन नरेश उस समय प्रीवि कौन्सिल तक गये थे। भरतपुर की जनता बड़ी उद्वेलित हुई

(श्री हरिसिंह)

थी। इस मामले में उस समय की हाईएस्ट कोर्ट ने यह तय किया कि अलवर रियासत को कोई अधिकार इस प्रकार का नहीं है कि वह उस पानी को रोके। उस समय यह फैसला हुआ एक जुडिशियल फैसला हुआ दोनों रियासतों के बीच में, उसके मुताबिक अलवर को पाबन्द किया गया, अलवर रियासत को रोका गया कि वह पानी को नहीं रोके। वह इसलिये हुआ कि हमारी जितनी तहसीलें हैं डीग है, नगर है, कामां है, उनके बान्ध उस पानी से भरते हैं। उस पानी से सीकरी का बान्ध भरता है, नगर का बान्ध भरता है, डीग का बान्ध भरता है, कामां के कई बान्ध भरते हैं। उन बान्धों में वह पानी आता है। अगर उस पानी को रोक देते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि उन बान्धों में पानी नहीं आयेगा और वहां की कई हजार हैक्टेयर कृषि की भूमि पानी से महरूम रह जायेगी। वहां की जनता कृषि नहीं कर पायेगी और वहां पर एक प्रकार से भुखमरी फैल जायेगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो स्टेप उठाया जा रहा है राजस्थान के अन्दर, अभी कुछ दिन पहले भी चर्चा हुई थी, चर्चा उस समय हुई थी जब राजस्थान के पानी को पंजाब रोक रहा था, उस समय यह सदन कितना उद्वेलित हुआ था और सबकी एक राय यह हुई थी कि किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि जो पानी वहां से चलता हुआ आ रहा है उसको पंजाब या अन्य कोई सरकार रोक सके। अब यह राजस्थान सरकार का एक आन्तरिक मामला हो गया है तो यहां भी किसी जिले को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि एक जिला उस पानी, जो दूसरे जिले में जा रहा है, को रोके। जिसके लिए एक अधिकार प्राप्त हो गया है, न केवल ईजमेंट राइट है बल्कि एक ऐसा अधिकार है जो कानून के तहत तत्कालीन हाइएस्ट कोर्ट ने दिया है उसके विपरीत जाकर पानी रोका जा रहा है घाट खूंटेटा पर। यह कहना यह चाहते हैं कि घाट खूंटेटा पर हम पानी को रेगुलेट कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर रेगुलेशन का सवाल नहीं है। आप रेगुलेशन की आड में, रेगुलेशन के नाम पर भरतपुर जिले को महरूम करना चाहते हैं और अलवर को पानी देना चाहते हैं, मैं समझता हूं ऐसा अन्याय भरतपुर की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अभी कुछ दिन पहले हमारे मंत्री महोदय, प्रद्युम्न सिंह जी भरतपुर गये थे, पहाड़ी में एक आम सभा हो रही थी वहां भी जनता ने एक स्वर से यह आवाज उठाई कि हम यह सुन रहे हैं कि पानी को अलवर में रोका जा रहा है। उस समय प्रद्युम्नसिंह जी ने भी यह बात कही थी कि मैं राज्य सरकार को इस बात से अवगत कराऊंगा, जनता की भावना से अवगत कराऊंगा। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारे अधिकारों पर कुठाराघात होगा। वहां की जनता इस कुठाराघात को बर्दाश्त नहीं कर पायेगी। बर्दाश्त इसलिए नहीं कर पायेगी, जब आप किसी की रोजी-रोटी के साधन को छीनते हैं, किसी के सिंचाई के साधन को छीनते हैं, तो वहां के लोगों में भुखमरी फैलेगी उसे कौन बर्दाश्त कर सकेगा? हम भी वहां के जन-प्रतिनिधि होने के नाते आप से इस सदन में पुरजोर अपील करना चाहते हैं

(श्री हरिसिंह),

कि इस प्रकार का षडयन्त्र करके हमें हमारे अधिकारों से वंचित मत करिये। आप रेगुलेशन क्या करना चाहते हैं ? रेगुलेशन तो सैंकड़ों वर्षों से होता चला आ रहा है इस पानी का। आधा पानी भरतपुर में आता है और आधा पानी अलवर को जाता है। अब आप उसको रोक रहे हैं। जैसे आपका बी. बी. एम. बी. पर कन्ट्रोल नहीं रहा, पंजाब का कन्ट्रोल है वह पानी को रोक देता है, वैसे ही एक बार जब अलवर के इन्जीनियर्स का कन्ट्रोल होगा तो वे जब चाहेंगे तब पानी देंगे, जब चाहेंगे तब पानी नहीं देंगे। एक नेचरल फ्लो से नदी में पानी चलता हुआ चला आ रहा है उस फ्लो को आप रोकना क्यों चाहते हैं ? इसके लिये कहा किसने है आपसे ? अगर हमारे यहां पानी ज्यादा आता तो हम आपसे मांग करते कि आप पानी को रेगुलेट करिये। हमारी कोई मांग नहीं है। हम चाहते हैं पानी आये लेकिन आप जबरदस्ती अपनी कुछ विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए, राजस्थान के एक एरिया विशेष को अधिक लाभ देने के लिए यह सब काम कर रहे हैं। मुझे सिंचाई मंत्रीजी से पूरी आशा है कि वे इस मामले में पूरा ध्यान देंगे और भरतपुर जिले की जनता के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं होने देंगे। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ऐसी बात हुई तो वहां की जनता को, बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, उद्वेलित होना पड़ेगा और जो कुछ भी हम कर सकेंगे, करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूर्ण आशा रखता हूं सिंचाई मंत्री जी से कि वह स्पष्ट करेंगे। जो भी नक्शे या एस्टीमेट बनाये जा रहे हैं और सरकार का जो फिजूल का खर्चा इस पर किया जा रहा है, उसे आप तत्काल रोकें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी !

श्री चाव खां (कामां) : सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र का मामला है....

श्री सभापति : आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नाम नहीं है।

श्री चाव खां : मैं सुझाव देना चाहूंगा।

श्री समरथलाल (राजगढ़) : अलवर जिले से सम्बन्धित है। मुझे भी दो मिनट समय दे दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका नाम नहीं है।

श्री चाव खां : दो मिनट का समय दे दें।

श्री समरथलाल : अलवर और भरतपुर का मामला है.....

श्री सभापति : इसमें जिनके नाम हैं उन्हीं को बोलने दिया जायगा।

श्री समरथलाल : दो दो मिनट का टाइम दे दीजिए, साहब।

श्री चाव खां : सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपना सुझाव दे देता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका इसमें नाम नहीं है। माननीय मंत्रीजी के बोलने के बाद, मैं उनका वक्तव्य होने के बाद आपको स्पष्टीकरण का समय दे दूंगी।

श्री चाव खां : मैं एक मिनट मैं अपनी बात कह देता हूं।

श्री सभापति : कृपया आप स्थान ग्रहण करिये, माननीय सदस्य ! माननीय मंत्रीजी !

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, नदवई से आने वाले माननीय सदस्य और कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत रूपारेल नदी पर बांध का जो सर्वे और इन्वेस्टीगेशन किया जा रहा है उस सम्बन्ध में उत्पन्न स्थिति और एक्सपेक्टेड जो उनकी शंकायें हैं उस सम्बन्ध में, राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। राज्य सरकार का वक्तव्य इस प्रकार है :—

रूपारेल नदी अलवर जिले में थानागाजी क्षेत्र की पहाड़ियों से निकलती है तथा अलवर जिले में बहती हुई अलवर, भरतपुर जिलों की सीमा पर भरतपुर जिले में सीकरी बांध पर समाप्त हो जाती है। सामान्य वर्ष में इस नदी का पानी सीकरी बांध व इससे निकलने वाली 28 नहरों से भरतपुर जिले की कामां, डीग एवं नगर तहसीलों की करीब 40,000 एकड़ भूमि में जल प्लावन द्वारा सिंचाई होती है।

भूतपूर्व अलवर व भरतपुर रियासतों में इस नदी के जल के उपयोग हेतु विवाद था। इस विवाद को निपटाने के लिए भारत सरकार द्वारा श्री टी. टी. बालों, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थ वृत्त सिंचाई, उत्तर प्रदेश को बंटवारे हेतु सौंपे जाने पर 1910 में निर्णय दिया गया था।

इस निर्णय के अनुसार रूपारेल नदी के शीतकालीन बहाव का पूरा उपयोग सीलीसेढ़, मोचरी एवं पिनिच बालेटा बंध तथा उमरेन नहर द्वारा अवरुद्ध दो नालों के पानी का उपयोग भूतपूर्व अलवर रियासत द्वारा किया जावेगा। रूपारेल नदी के वर्षाकालीन जल को बारां नामक स्थान पर 1: 1.234 के अनुपात में अलवर और भरतपुर में विभाजित किया जाकर अलवर रियासत द्वारा एक भाग एवं भरतपुर रियासत द्वारा 1.234 भाग तथा इस स्थान से नीचे बहने वाले पानी का पूरा उपयोग किया जायेगा।

उक्त निर्णय के अनुसार अलवर रियासत द्वारा रूपारेल नदी पर बारां एवं घाट नामक स्थानों पर अलग अलग दो वीयर्स का निर्माण किया गया। बारां वीयर से वर्षा ऋतु में अलवर राज्य के हिस्से का पानी एक फीडर द्वारा जयसमन्द जलाशय में ले जाकर सिंचाई हेतु उपयोग में लाया जाता रहा है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में भरतपुर जिले के हिस्से का पानी सीकरी बांध के माध्यम से उपयोग में आता है तथा घाट वीयर से केवल शीतकालीन बहाव को सिंचाई हेतु अलवर में उपयोग में लाया जाता रहा है।

पिछले कई वर्षों से भरतपुर क्षेत्र में रूपारेल नदी की बाढ़ से भयंकर नुकसान होता रहा है। जब इस नदी में बाढ़ आती है तो भरतपुर जिले में कामां, पहाड़ी एवं नगर क्षेत्र में भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस नदी से बाढ़ की समस्या के स्थाई निदान हेतु नदी पर घाट खुटेटा स्टोरेज बांध बनाने की योजना प्रस्तावित है। इस प्रकार पानी की वर्षा

Page No 69

(69)

(श्री परसराम मदेरणा)

ऋतु में एकत्रित किया जावे ताकि बाढ़ के समय पानी को रोक कर बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके। प्रस्तावित योजना का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य प्रगति पर है जिसकी अनुमानित लागत दस करोड़ रुपये होगी।

घाट बांध का प्रस्ताव इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि सीकरी बांध प्रणाली से भरतपुर जिले की कामां, नगर व डीग तहसीलों में जल प्लावन से वर्तमान में प्राप्त हो रही सिंचाई सुविधा में कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा...

श्री यदुनाथसिंह : पड़ रहा है। उस पानी को आगे ले जाकर नहर बनाने से...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्पष्टीकरण के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : You are obstructing my speach.

श्री यदुनाथसिंह : Sorry.

श्री परसराम मदेरणा : सिंचाई सुविधा में कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में अधिक बाढ़ के पानी से जो क्षति होती है उसी पानी को नियंत्रित किया जा सकेगा।

श्री यदुनाथसिंह : सभापति महोदया, मुझे दुःख हुआ, जैसी शंका मैंने पिछले दिनों में सदन में प्रकट की थी, मंत्री महोदय के वक्तव्य से वही तस्वीर फिर उभर रही है। भरतपुर को लगातार कोई सिंचाई की सुविधाएं, आपको आश्चर्य होगा; सभापति महोदया, आजादी के बाद...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्ट्रेट पाइन्टेड स्पेसिफिक प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री यदुनाथसिंह : स्ट्रेट पाइन्टेड ही है। जिस पानी को आप घाट खूंटेटा पर रोक कर रेगुलेट करना चाहते हैं, उससे आगे के स्तर पर भरतपुर जिले में जहां यह पानी घुसता है वहां पर सिंचाई सुविधायें बढ़ाने के लिए इस पैसे को लगा कर क्यों नहीं उससे ज्यादा सिंचाई करायें ताकि बाढ़ की लीला का जो आपने वर्णन किया है वह स्वतः ही समाप्त हो जाये।

सभापति महोदया, भरतपुर की जमीन के नीचे पानी खारी है। अगर इनन्डेशन से पानी नहीं जाएगा, बाढ़ से इतनी तबाही नहीं है, सभापति महोदया, जितना फायदा होता है, लेकिन उस तबाही को रोकने के लिए आप पानी को वहीं चैनेलाइज नहीं करेंगे तो जमीन के नीचे पीने के पानी की समस्या बहुत जल्दी पैदा होगी। वाटर टेबल बिलकुल नीचे चला जाएगा और खारी पानी भी जमीन के अन्दर हो जाएगा, इस चीज को भी मंत्री महोदय दृष्टि में रखें। आपको मालूम होगा, मंत्री महोदय, भरतपुर की अधिकांश जमीन के नीचे पानी खारा है, पीने योग्य नहीं है। आप पानी कम करेंगे तो वहां पर वाटर टेबल एक साथ नीचे चला जाएगा और पानी खारी होगा। इसलिए क्यों नहीं आप आगे नहर बना कर उस पानी को भरतपुर जिले में ही यूटिलाइज करें ताकि जिन भागों में समस्या है उस का निदान हो सके।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन

(श्री हरिसिंह)

करना चाह रहा था कि आपने यह जो घाट पर बांध बनाने की योजना बनाई है, आप यह फरमाते हैं कि बाढ़ के पानी को रेगुलेट करने के लिए, भरतपुर जिले को बाढ़ से, क्षति से बचाने के लिए यह योजना तैयार की है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर जिले के किसी जन प्रतिनिधि ने, भरतपुर जिले के किसी व्यक्ति ने सरकार को यह निवेदन किया है कि आप इस प्रकार से हमारी क्षति को रोकने के लिए घाट खूंटेटा पर बांध का निर्माण करें अथवा यह अलवर जिला वालों का ही षड्यंत्र है और वहां के इंजीनियर्स से आपने मिल कर यह योजना तैयार की है? एक बात। मेरा निवेदन तो इसके अन्दर यह है कि हमें कोई क्षति रूपारेल के पानी से नहीं होती है। सरकार अपने दिमाग से इस बात की आशंका को बिल्कुल निकाल दे। वह आशंका आपकी निराधार और निर्मूल है। आप उस नदी में पानी को आने दीजिए और जितना और अधिक पानी आप देना चाहते हैं अलवर जिले से रूपारेल नदी में डाल कर और दे दीजिए, हम अपने जिले के अन्दर उस पानी का उपयोग कर लेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी पानी जा रहा है, जैसा भाई यदुनाथसिंह जी बता रहे थे, आगे चल कर नहर बना कर आगे तक पानी ले जायें। हमारा तो पूरा जिला सूखा पड़ा हुआ है। हमारे यहां तो डीग से आगे कुम्हेर तहसील, उसके बाद भरतपुर तहसील, सब पानी चाहते हैं। आप रूपारेल नदी में पानी और जितना ज्यादा डाल सकें उतना डाल दीजिए। आप किस प्रकार से यह सुनिश्चित करेंगे यह जो पानी हमारे यहां आता है, 1.234 का जो हमारा प्रपोर्शन है, उस पानी को इधर-उधर नहीं ले जायेंगे? यह कैसे सुनिश्चित करते हैं? जब आपके सामने एक उदाहरण मौजूद है पंजाब का और राजस्थान का पंजाब का बी.बी. एम. बी. पर कण्ट्रोल है, भाखरा नांगल कण्ट्रोल बोर्ड का जो कण्ट्रोल है वह राजस्थान के हाथ में नहीं है इसलिये राजस्थान उद्वेलित रहता है, राजस्थान को पानी की जरूरत होते हुए भी पंजाब का पानी राजस्थान में नहीं आता है। तो आप किस प्रकार से एश्योर करना चाहते हैं कि हमारा पानी वहां पर नहीं रोक पायेंगे? केवल यह बहाना लेकर करें कि वहां की क्षति को रोकने की दृष्टि से ऐसा करना चाहते हैं, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है नुकसान हमारा हो रहा है हम आप से कह नहीं रहे हैं। जिनका नुकसान नहीं हो रहा है उनके कहने से आप यह बनाना चाहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? या क्या ऐसे तर्क हैं जिसके कारण आप यह बनाना चाहते हैं? यह आप से यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, केवल प्रश्न पूछें। भाषण नहीं दें।

श्री चाव खां (कामां) : भाषण नहीं दूंगा। जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने बताया रूपारेल नदी पर बांध बनाने के बारे में, उससे भरतपुर क्षेत्र के नुकसान के बारे में कहा। मैं आप को यकीन के साथ कहता हूँ कि उस पानी से नुकसान नहीं होता है। हमारी तीन चार तहसीलों में हद से ज्यादा पैदावार होती है। दो-तीन साल से पानी की कमी है, पानी वहां पहुँच नहीं रहा है,

(श्री चाव खां)
इसलिए हमारे इलाके में सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, मवेशी प्यासे मर रहे हैं। इसलिए पहली बात यह है कि वहां का पानी अगर रोका गया तो इलाका वाकई वरबाद हो जायगा, वहां पर न कोई व्यवस्था मवेशी के पानी पीने की रहेगी और पैदावार का सिलसिला सारा बन्द हो जायेगा। सरकार अपने दस करोड़ रुपये घाट खूंटेटा पर खर्च करना चाहती है, जैसा मैंने कहा हमारे राजस्थान का पानी, जिसको लंडुवा नाम से पुकारा जाता है, हरियाणा में जाकर वहां की लाखों एकड़ जमीन को सैराब करता है, हरियाणा में उस पानी को रोकने के लिए कामेड़ा बन्ध और रावली बन्ध बांधा हुआ है, उस पैसे को वहां खर्च किया जाये ताकि हमारे इलाके की ज्यादा उन्नति हो, सैराबी ज्यादा हो। इसी प्रकार एक नदी साबी नाम की है, उसका पानी भी कोट कासिम की तरफ से हरियाणा में जा रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सिर्फ रूपारेल नदी के बारे में कहें।

श्री चाव खां : उस पानी को रोका जाए, उस पैसे को वहां खर्च किया जाये। माननीय मन्त्री महोदय, इस पानी को अगर आपने रोक दिया तो हमारी तीन-चार तहसील बिलकुल तबाह और बरबाद हो जायेंगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समर्थलाल ! आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे ?

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : माननीय सभापति महोदया, जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने वक्तव्य दिया, उससे सही आभास होता है कि भरतपुर को उससे कोई नुकसान नहीं होगा। भरतपुर में बाढ़ आती है उसके लिये सरकार हमेशा चिन्तित रहती है, करोड़ों रुपया उस पर खर्च होता है। इसके लिये मैं समझता हूं सरकार को धन्यवाद देना चाहिये कि आपके यहां आने वाली बाढ़ से सुरक्षा के लिये सरकार पहले से ही जागरूक है।

(1.02 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य, कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य और कामां से आने वाले माननीय सदस्य ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि अगर कोई बांध रूपारेल नदी पर बना दिया गया, घाट खूंटेटा, तो भरतपुर का वह क्षेत्र, जिसमें इनन्डेशन होता है, बरबाद हो जायेगा, में बहुत बड़ा नुकसान होगा। राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सरकार को धन्यवाद दिया उसके लिये मैं उनका बहुत आभारी हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री यदुनाथ सिंह : उनका स्वार्थी धन्यवाद था। इससे बचकर रहना आप। स्वार्थी धन्यवाद नहीं होना चाहिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : यह तो अलवर की और सरकार की मिलीभगत मालूम पड़ रही है।

श्री परसराम मदेरणा : सरकार न अलवर से मिलती है, न भरतपुर से मिलती

(श्री परसराम मदेरणा)
है। राजस्थान के 27 जिलों में रहने वाली 3 करोड़ 41 लाख जनता, जो 1981 की सेंसस है, के हित में कार्य करती है। सरकार बहुत निष्पक्ष रहती है ऐसे मामलों में।

एक माननीय सदस्य : मिलती भी है।

श्री परसराम मदेरणा : ट्रिब्यूटरीज नदियां वगैरह यह मिलती मिलती आगे ड्रेन में जाती हैं, ड्रेन से खारी नदी में मिल जाती हैं, खारी नदी से आगे जाकर यमुना में मिल जाती हैं। मिलती तो हैं, पानी तो मिलता है। इसी का अभी कामां से आने वाले सदस्य कह रहे थे, लेकिन जब इनन्डेशन और ज्यादा पानी होता है, इसी क्षेत्र को बचाने के लिये जहां दूसरी ओर हरियाणा से सीधी उच्चैन और ड्रेन उसके बाद आगे जो कामां पहाड़ी ड्रेन है, वह फिर आगे जाकर गोरधन ड्रेन बन जाती है, गोरधन ड्रेन बनने के पहले कामां पहाड़ी की जो मेन ड्रेन है उसमें एक पहाड़ी की ड्रेन और है, कामां से आने वाले माननीय सदस्य जानते होंगे। यह क्षेत्र जिसकी बात कहते हैं, यहां पर भी जब इनन्डेशन होता है तो उस पानी को निकालने के लिये और इस एरिया में खेती हो सके, इससे पहाड़ी ड्रेन बनाकर एक इनलेस के अन्दर जाकर वह पहाड़ी कामां ड्रेन में जाकर मिलती है। इसलिये पानी तो मिलता है इधर से जाकर के। फिर यह तीनों ड्रेन, जो तीनों स्टेट्स में बनी हुई हैं, खारी नदी में मिलती है। वहां पड़ता है पानी। खारी नदी का पानी जाकर यमुना में गिरता है। इसलिये नदियां मिलती हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं उनका पानी बहता हुआ ग्रेविटी से जाकर मिलता है नीचे।

जहां तक इस क्षेत्र का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र कामां पहाड़ी और नगर वाला तश्तरी की तरह से आया हुआ है। जब तश्तरी की तरह से आया हुआ है, थोड़ा पानी अगर इनन्डेट हो तो निश्चित रूप से रबी की फसल अच्छी होगी। लेकिन ज्यादा पानी आने के बाद में यह पानी तबाही मचाता है। आज एक रूपारेल का पानी तबाही नहीं मचाता लेकिन बाण गंगा और गंभीरी का पानी भी एक तबाही मचाता है। इसलिये भरतपुर जिले में जो पानी आता है इन नदियों से और जो फैलाव करता है जगह जगह, उस संबंध में सरकार ने एक मास्टर प्लान बनाया है ताकि इस पानी का सदुपयोग करके बांध, नहरों, ड्रेनों के द्वारा जब कभी ज्यादा पानी आये तो आवश्यक पानी को तो रोका जा सके जिससे कृषि उत्पादन बढ़े और ज्यादा पानी जो है उसको आगे निकाला जा सके। इस प्रकार एक बहुत बड़ी योजना भरतपुर जिले के लिये बनायी जा चुकी है। यहां पर प्रस्तावित बांध के इन्वेस्टीगेशन और सर्वेक्षण के सम्बन्ध में जो संशय और आशंकाएं माननीय सदस्य, कुम्हेर, नदबई और कामां से आने वालों ने प्रकट की हैं उस संबंध में यह सदन जानता है कि 17 तारीख को जब इरिगेशन की डिमाण्ड पर चर्चा हो रही थी, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसी प्रश्न को उठाया था घाट खूंटेटा बांध बनाने का, तो मैंने सदन में कुछ आश्वासन भी दिया था। उस आश्वासन के संदर्भ में मैं नहीं समझता जब मैंने बहुत विवेचन करके आश्वासन यहां दे दिया था तो अब ज्यादा सरकार से आप क्या आश्वासन चाहते हैं ? मैंने यह बात निश्चित तौर से कही थी कि

(श्री परसराम मदेरणा)

घाट बूंटेटा पर अभी तक तो सर्वे एवं इनवेस्टीगेशन का प्रश्न है। अभी तक वहां पर सर्वेक्षण का ही मामला है। यह जो मैंने एस्टीमेट्स वगैरह बनाये हैं, आज वह योजना एप्रूव नहीं हुई है। दस करोड़ की कोई भी योजना होगी, सैन्ट्रल वाटर कमीशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और उसके टैक्निकल लोगों के पास जायगी। पानी की जितनी क्वांटिटी है वह एक्सेस रहती है या नहीं रहती है, अगर पानी की क्वांटिटी एक्सेस नहीं रहेगी तो प्रश्न नहीं है उस पानी के रोकने का, यह भी इसमें प्रावधान है। जब कभी बाढ़ आ जाय, ज्यादा पानी का प्रेसीपिटेशन हो, उसके बाद यह पानी है, आपका हिस्सा तय है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, जो फैसला यू. पी. के एक अंग्रेज सुपरिन्टेंडिंग इन्जिनियर ने किया, जो वहां के चौथे सर्किल का इन्चार्ज था, उत्तर प्रदेश का, उसको लगाया सैक्रेटरी आफ इण्डिया ने। प्रिवी-कौंसिल कौंसिल का तो मेरे सामने कोई आया नहीं है, आपके पास रिकार्ड हो तो मुझे बता देना, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की प्रिवी कौंसिल का उसमें कोई रिकार्ड नहीं है। सैक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया, जो इंगलैंड में बैठते थे प्रिवी कौंसिल के कोई लार्ड वार्ड होंगे तो मुझे कुछ पता नहीं है लेकिन मुझे मिले नहीं कागज। उसके पहले एक फैसला भी और हुआ था, शायद आपको मालूम होगा, 1904 में। लेकिन उन्होंने जो बंटवारा किया वह 44.75 फीसदी अलवर के लिए 55.25 फीसदी भरतपुर रियासत के लिए था। उसी तरह से इस बंटवारे के अनुसार आपका जो हक है पानी का आपके पानी के हक पर कहीं कुठाराघात नहीं किया जा रहा है। यह तो केवल फ्लड्स आते हैं और फ्लड्स नुकसान कर रहे हैं, फ्लड के पानी को किस तरह कन्ट्रोल किया जाये, कन्ट्रोल करके किस तरह उसका उपयोग किया जाय। आज भी सीकरी बन्ध में जब पानी ज्यादा बढ़ जाता है, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं यहां कई नहरें निकाली हुई हैं, उसके बाद बहुत से तालाब हैं। कांमा से आने वाले माननीय सदस्य उस दिन काफी बात कर रहे थे गुड़गावां फीडर से तालाब भरने की, और दूसरा मामला और हैं, लेकिन जब तालाब निश्चित तौर से भरते हैं तो सिंचित एरिया में फर्क पड़ता है। पीने का पानी भी, अध्यक्ष महोदय, इतना पोटेबल नहीं है उस क्षेत्र में, यह मुझे स्वयं को साल भर पहले जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। खास तौर से मैं जब भरतपुर में रहा, कई दिनों तक, मुझे कई गांवों में जाने का मौका मिला तब मुझे इस बात की जानकारी मिली कि भरतपुर का बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके नीचे कड़वा पानी है, खारा पानी है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था उसी आश्वासन के सन्दर्भ में, इस सम्बन्ध में पूरा इन्वेस्टीगेशन और सर्वे जो हो रहा है उससे तो बांध नहीं बन रहा है लेकिन इस सम्बन्ध में जो आपकी शंकाएं हैं, मैं उनके सम्बन्ध में इन्जिनीयर्स की टीम बनाकर उनको दुबारा टैक्नीकल रिपोर्ट दूंगा। क्योंकि भरतपुर के कोई माननीय सदस्य नहीं कह रहे हैं, मांग करें या नहीं करें, सरकार निष्पक्षता से देखती है कि किसी क्षेत्र की उससे क्षति होती है, फसल बोई नहीं जा सकती, तो ऐसे मामलों में जन प्रतिनिधि जो बात कहते हैं उस बात को हम ध्यान में रखते हैं लेकिन

(श्री परसराम मदेरणा)
टेक्निकल मामलों में राज्य सरकार स्वयं ही निर्णय लेती है। यह उनकी भी मांग है कि बान्ध बने।

श्री यदुनाथ सिंह : मन्त्री महोदय, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ भरतपुर में, फर्टिलिटी पानी के साथ आती है, अध्यक्ष महोदय, समस्या वह और खड़ी होगी।

श्री परसराम मदेरणा : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मुझे वहां पर एक दफा दौरे का कार्यक्रम बनाना चाहिये। मैं ऐसे आदेश दे रहा हूं कि भरतपुर का दौरा कर लूं पहले इसके बाद सर्वे और इन्वेस्टीगेशन का काम चालू रखा जाय, फिलहाल उसकी प्रोग्रेस धीमी कर दी जाय। मैं टैक्निकल लोगों की कमेटी बनाकर इसकी जांच कराऊंगा। जांच करवाने के बाद आगे प्रोसीड करने की आवश्यकता हुई तो सरकार आगे प्रोसीड करेगी। आपकी जो शंकाएं हैं अगर वह निराधार और निर्मूल नहीं हैं, उनमें सत्यता का कोई भी अंश है तो निश्चित तौर पर भरतपुर के लोगों के कृषि उत्पादन, उनकी बहबूदी की कीमत पर सरकार कोई भी फैसला नहीं करेगी।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बात फिर शंका की रह गई। मन्त्री महोदय ने कहा, भरतपुर का मास्टर प्लान बना लिया गया है इर्रिगेशन का···

(व्यवधान)

क्यों आपको तो कोई दुःख नहीं है, आपको पानी की क्या जरूरत है। खेती से कुछ पैदा होता है या नहीं होता है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह: मैं अभी वहां पर जाकर आया हूं, श्रीमान्। मैं तो आपकी पैरोकारी कर रहा हूं, जनाब!

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने स्पष्ट उत्तर दे दिया। सभी परिस्थितियों पर विचार करके···

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मास्टर प्लान है उसमें पानी को चैनेलाइज करने के लिए आलरेडी प्रपोजल्स हैं। जो एक्सेस पानी आता है भरतपुर का जो मास्टर प्लान बना है।

श्री अध्यक्ष : इस नदी के नाम का जो इतिहास है, नाम क्यों पड़ा है उसके बारे में भी विचार करके·······

श्री यदुनाथ सिंह : वही तो मैंने कहा। वहां बांध बनाने से, अध्यक्ष महोदय, फर्टिलिटी भी हमारी भी वहीं रह जायेगी। अध्यक्ष महोदय, जितनी भी खाद आदि जो बह कर आती है जमीन में, दोनों तरह का नुकसान हमें होगा। अध्यक्ष महोदय जितने भी फर्टाइल तत्व बरसात के पानी के साथ साथ आते हैं, वह पानी बांध में रुकने से वहीं रह जायेंगे और हमारी प्रोडक्टिविटी घटेगी।

श्री परसराम मदेरणा : भरतपुर के मास्टर प्लान में जो उल्लेख है वह इस बात का उल्लेख नहीं है। जो कुछ भी उल्लेख पृष्ठ 18 और 122 पर दिया गया है, वह इस सम्बन्ध में है कि भरतपुर के आगे इस क्षेत्र का नहीं, गंभीरी और बाण गंगा नदियों में जब फ्लड आता है उस वक्त एक्सेस पानी और सरप्लस पानी जिस तरह

(श्री परसराम मदेरणा)

से तबाही मचाता है। उस सबके सम्बन्ध में मास्टर प्लान में बात है। यह तो होती दीखती बात है, यह तीनों नदियों का ही मामला है।

पांचना प्रोजेक्ट से काश्तकारों को पानी

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री हंसराज शर्मा, श्री चुन्नीलाल जेलिया, श्री रंगजी मीणा, सदस्य विधान सभा सवाई माधोपुर जिले के पांचना प्रोजेक्ट से काश्तकारों को पानी नहीं देने की ओर सिंचाई मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। संक्षेप में कहें कृपया, और विषय पर नहीं कहें।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान पांचना प्रोजेक्ट से अब तक काश्तकारों को पानी नहीं देने के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, 1977-78 में जिस समय पांचना प्रोजेक्ट चालू किया गया उस समय से लेकर आज की तारीख तक इस बान्ध की क्या स्थिति है? जहां तक पानी का सम्बन्ध है, बान्ध की प्रोग्रेस के सम्बन्ध में ...

श्री अध्यक्ष : बान्ध बन गया या नहीं?

श्री हंसराज शर्मा : यही तो मैं निवेदन कर रहा था।

श्री अध्यक्ष : यही तो मैं जानना चाहता हूं कि बान्ध बन गया या नहीं?

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जिस समय...

श्री अध्यक्ष : बांध बन गया या नहीं, इसका उत्तर दीजिये ना?

श्री हंसराज शर्मा : बान्ध तो 81 में ही तैयार हो गया लेकिन उसकी कैनाल और वेस्ट वीयर नही बनाई जिसके कारण काश्तकारों को पानी नहीं मिल रहा है। इनके नहीं बनाने के क्या कारण हैं उस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब वह बान्ध बनाया गया तो इसके लिए राज्य सरकार ने 1.20 करोड़ सेंक्शन किया गया था। उसके बाद बान्ध का कार्यक्रम चालू किया गया बान्ध को बराबर यह तैयार करते गये और अब तक उस पर इन्होंने 6 करोड़ का खर्चा कर दिया। बान्ध तो पहले बना दिया लेकिन उसकी वेस्ट वीयर और कैनाल नहीं बनाई इस कारण इतनी बड़ी योजना से काश्तकारों को जो सिंचाई का साधन मिलना चाहिये था, पानी मिलना चाहिये था वह नहीं मिला। पानी नहीं मिलने का कारण क्या है, नहर क्यों नहीं बनाई, वेस्ट वीयर क्यों नहीं बनाई इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आपने अपने प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 में कहा है कि पांचना प्रोजेक्ट की जो लागत है वह 6 करोड़ नहीं है। वह बढ़ कर 966 करोड़ कर दी गई है...

श्री अध्यक्ष : 966 लाख होगी।

श्री हंसराज शर्मा : जो 1.60 करोड़ का एस्टीमेट था, 1980-81 में 6 करोड़ खर्च हो चुका था। इन्होंने उसका पूरा काम,

(श्री हंसराज शर्मा)

नहीं कराया और घोटाले किए। उसकी जो टोटल कास्ट थी वह 9.66 करोड़ तक बढ़ा ली। इसके अन्दर उन्होंने सिंचाई बताई 6500 हैक्टेयर। वर्ष 1980-81 में 6500 हैक्टेयर में सिंचाई बताई। इसके बाद 81-82 में बान्ध का प्रोग्राम आगे बढ़ाया उस समय कास्ट बता दी 15.50 करोड़। पानी नहीं मिल रहा है। उसकी कास्ट बताई 15.50 करोड़ और सिंचाई बता दी 9980 हैक्टेयर। बान्ध बन गया, नहरें बनी नहीं। 6500 हैक्टेयर से एकदम आगे बढ़ गये। बान्ध की कास्ट 6 करोड़ है, 4 करोड़ लगाने के बाद 15 करोड़ की कास्ट बनाई और 4600 हैक्टेयर से एकदम 9980 हैक्टेयर में सिंचाई का साधन बना दिया जबकि एक बिस्वा में भी सिंचाई नहीं की गई। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बांध से पानी नहीं दिया, पानी नहीं मिला, काश्तकारों को एक बूंद पानी नहीं दिया गया और एक करोड़ से बढ़ा कर साढ़े पन्द्रह करोड़ की योजना बना दी। साढ़े पन्द्रह करोड़ ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह 22 करोड़ की योजना तैयार हो गई है और बान्ध यथास्थिति में है। इसके कारण क्या हैं? अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकारी इसमें पानी क्यों नहीं भरना चाहते हैं, इसकी कैनाल और वेस्ट-वीयर क्यों नहीं तैयार करना चाहते हैं? जो इसमें मिट्टी डाली गई, जो इसमें काम किया गया वह बिल्कुल गलत था। जहां से मिट्टी लेनी थी वह नहीं ली। केवल एक घनश्यामदास लाहोटी कांट्रेक्टर को, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय सदस्य; आपके स्थगन प्रस्ताव में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। एक ठेकेदार का है।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, उस ठेकेदार से सांठ-गांठ की। उसने थोड़ी दूर से मिट्टी ली। दो कि. मी. का उसको लीड का केस दिया गया! जो हार्ड सोइल, काली मिट्टी लेनी चाहिये थी वह नहीं ली गई और साफ्ट सोइल बान्ध में लगाई उसका पेमेन्ट किया गया। जो उसका पेमेन्ट किया है उसमें करीबन 25 लाख का डिफरेन्स है। घोटाला किया है अधिकारियों ने। अधीक्षण अभियन्ता से लेकर नीचे के लोगों ने घोटाला किया है। जब इतना पैसा खर्च कर दिया तो उन्होंने, भारत सरकार को उसकी स्वीकृति के लिये लिखा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान नियंत्रक लेखा अधिकारी ने अपने ड्राफ्ट पैरा में चेतावनी दी है कि पांचना में विधिवत नियमानुसार काली मिट्टी लेकर डेंसिटी के आधार पर पेमेन्ट करना चाहिये था। आपने पेमेन्ट कर दिया। लेकिन उसमें कुटाई नहीं कराई गई है, काली मिट्टी नहीं डाली गई है, बजरी का उसमें ज्यादा उपयोग किया और आप स्वीकृति लेना चाहते हो। काम 80 प्र. श. समाप्त हो गया था, मिट्टी का काम समापन पर था उसके बाद इन्होंने भारत सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति मांगी। तब उन्होंने यह आबजेक्शन लगाया। आज की तारीख में 80-81 की कार्यवाही में इनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। सरकार अन्धकार की निद्रा में सो रही है। किसी ने कोई जांच नहीं की।

(श्री हंसराज शर्मा)

अधिकारियों ने ठेकेदार से मिल कर गलत ढंग से पेमेन्ट किया और कम से कम 10 लाख रुपये का घोटाला किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जिस नदी को रोका गया है; कैनाल और वेस्ट वीयर तैयार करने के बाद नदी को रोका जाना चाहिये। यह काम एक करोड़ रुपये की लागत से होना चाहिए था। इसमें इन्होंने पहले कुछ नहीं किया और तीन करोड़ रुपया इस नदी पर खर्च कर दिया। यानि एक करोड़ रुपये में जो काम होने वाला था वह तीन करोड़ रुपये खर्च करके किया गया। जिस नदी का लेवल लिया, लेवल लेने के बाद उच्चाधिकारियों द्वारा इसका चैकिंग नहीं किया गया। चैकिंग तब किया गया जब इस पर तीन करोड़ रुपये की मिट्टी डल गई। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने राष्ट्रपति पदक प्राप्त किया है डिजाइन बनाने में उन अधिकारी महोदय ने साठ गांठ करके कान्ट्रेक्टर को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से कम से कम 15 लाख रुपये किये। अध्यक्ष महोदय, इससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। 15 लाख रुपये तो उच्च अधिकारियों ने खाये और नीचे के लोगों ने कितना खाया है, यह मालूम नहीं। अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा, वेस्ट वीयर जिस जगह निकलती है, वहां हार्ड रॉक होनी चाहिये लेकिन वहां हार्ड रॉक नहीं है। जब वेस्ट वीयर चलेगी तो वह बह जायेगी। आप वेस्ट वीयर क्यों नहीं बना रहे हैं? इसलिये, आपको भय है, वेस्ट वीयर बन जाने पर काश्तकारों को नहर से पानी देना पड़ेगा। खास खतरा तो यह है कि भरतपुर को बाढ़ से बचाया जाय। अगर बांध तैयार हो गया और पानी पूरा भर गया तो पोल खुलेगी, बंध बह जाएगा और भरतपुर का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिये अपनी गलती को छिपाने के लिये, अपना बजट बढ़ा रहे हैं और खर्चा करते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस जगह कैनाल खुदेगी, बांध के पीछे 6 किलो मीटर तक मिट्टी है, पत्थर नहीं है, 90 फीट गहरी मिट्टी खुदेगी। वहां पर बालू रेत है। वहां पर उन्होंने एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के बुलडोजर और मशीनें मंगाई जब कि एग्रीमेन्ट के अनुसार कान्ट्रेक्टर को ही सारा काम करना था। लेकिन उससे नहीं कराया गया। एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन की मशीनें मंगाई और उन मशीनों से सारा काम किया गया। इसमें जो काम किया गया वह सारा कान्ट्रेक्टर की मदद के लिये किया गया। एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन को सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने 43 लाख रुपयों का पेमेन्ट राज्य कोष से किया और ठेकेदार को सारी मिट्टी सौंप दी। एक पैसे का विभाग को रिटर्न नहीं मिला। इस प्रकार कान्ट्रेक्टर से मिल कर जो किराये का पैसा दिया है, उसमें अधिशाषी अभियन्ता से लेकर उच्च पद पर बैठे हुए सारे लोगों ने 43 लाख रुपये का घोटाला किया है। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, आपको आश्चर्य होगा, सरकारी मशीनें चलाई। एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन अपनी मशीनों से कमाता है, कान्ट्रेक्टर भी अपनी मशीनों से कमाता है, दूसरे लोग भी किराया पर देकर कमाते हैं। उसके पास भारी तादाद में मशीनें थी, इतनी मशीनें थीं कि राज्य सरकार ने उसको छोटे-छोटे

(श्री हंसराज शर्मा)

पुर्जे डीजल और आयल के लिये 14 लाख 80 हजार का राज्य कोष से पेमेन्ट किया। सरकारी मशीनों के मेन्टीनेन्स, डीजल और आयल के लिये यह पैसा दिया गया अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें सरकार को पैसा मिला है, ठेकेदार से जो रिटर्न मिला है वह केवल 4 लाख रुपया मिला है जब कि डीजल और आयल का 14 लाख 80 हजार का पेमेन्ट किया। इन मशीनों का कितना किराया हुआ होगा? इस प्रकार 10 लाख 80 हजार का पेमेन्ट गवर्नमेन्ट ने एक्सेस किया, 14 लाख 80 हजार का पेमेन्ट किया और रिटर्न 4 लाख मिला। दस लाख का सारी मशीनों का घपला है। हमारी मशीनों का जो किराया था उसको भी खा गये और ठेकेदार को पेमेन्ट कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मशीनों का किराया, डीजल और आयल के मामले में कम से कम 30 लाख रुपये का घपला किया। अध्यक्ष महोदय, इस सारे मामले की माननीय मंत्री महोदय गंभीरता पूर्वक जांच करायेंगे। गत वर्ष भी मैंने निवेदन किया था और उन्होंने जांच का आश्वासन दिया था। वह जांच कहां हुई, यह तो मंत्री महोदय जब जवाब देंगे तब बतायेंगे कि क्या जांच हुई है?

अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वहां पर नहर नहीं बनी, वेस्ट वीयर नहीं बनी और एक नया प्लान बनाया गया। वहां पर डाक बंगला तैयार करवाया गया। कर्मचारियों के लिये 29 मकान तैयार करवाये गये। गांव बसा नहीं और चोर पहले आ गये। 15 लाख रुपया केवल मकानों को बनाने में खर्च कर दिया। चार लाख रुपया डाक बंगला में ऐशो-आराम करने की दृष्टि से खर्च कर दिया। कोटा के एक कान्ट्रेक्टर को ठेका देकर बढ़िया डनलप के गद्दे, फर्नीचर ऐशो-आराम करने के लिये उसमें लगा दिये। अध्यक्ष महोदय, इससे जो सामान आया अधिकांशतः वह अधिकारियों की सांठ गांठ से आया। मकानों में, डाक बंगले में करीब 5 लाख रुपये का घोटाला किया गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अधिक विस्तार में जा रहे हैं।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। मैं तो थोड़ा यह और निवेदन करना चाहता हूं..

श्री अध्यक्ष : नहर, बांध, बन्धे तक तो ठीक है। डाक बंगले तक भी ठीक है लेकिन डनलप के गद्दे यह बहुत छोटी चीज है।..

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मैं आपका एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बांध पर जो बोरों एरिया तय कर रख था, यह कहते है हमने इस बांध से सिंचाई की, बंध में पानी 6 फीट आता है बांध का भराव 80 फीट है। बांध में पानी 6 फीट आया। वहां कैनाल से पानी आयेगा। जो नदी है उस नदी से पानी आयेगा। नदी का पानी बहकर भरतपुर चला गया? सिंचाई विभाग वाले कहते हैं, हमारी नदी का पानी गया उससे भरतपुर की काश्त को लाभ हुआ। कहां भरतपुर, कहां करौली, कहां नाचना और पानी है सिर्फ 6 फीट।

(श्री हंसराज शर्मा)
दो ग्राना की चड्डी ग्रौर दो ग्राना का नाड़ा। यह क्या सरकार है? बांध में पानी नहीं है....

श्री ग्रध्यक्ष : कम से कम दोनों तरफ जो बैंक बने हैं उनके बीच में से तो गया है न। चुंगी चौकी के बीच में से निकलेंगे तो टैक्स तो लगेगा ही।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, नहर नहीं खुदवाई। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से इस सरकार को निवेदन करना चाहूंगा, चार्ज नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन ग्रगर इस बात को स्वीकार करें तो मैं चार्ज लगाने को तैयार हूं, वह भी निवेदन के रूप में कि ग्राने वाले दस वर्ष तक ये पांचना प्रोजेक्ट को तैयार नहीं कर सकते। मेरा यह चेलेन्ज है।..

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री हंसराज शर्मा : इसका कारण है। 12 किलोमीटर के बाद जाकर के इससे सिंचाई होगी। 12 किलोमीटर पर जहां काश्तकारों को पानी देंगे वहां पर रेल की बड़ी लाइन है। रेल विभाग से वर्षों इनको सम्पर्क करना पड़ेगा। रेल विभाग ब्रिज बनायेगा फिर कैनाल निकलेगी। वे परमीशन देंगे जब जाकर नहर निकलेगी लेकिन इस प्रकार की इनकी कोई योजना नहीं है। सरकार ने कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया है। ग्रागे के लिये, ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसमें एक नई प्रोग्रेस कर रहे हैं। उन्होंने इस काम को बन्द कर दिया। कैनाल के काम को बंद कर दिया। वेस्ट वीयर के काम को भी बन्द कर दिया। जितना घोटाला करना था वह किया। इस प्रकार एक करोड़ 36 लाख का घोटाला इस प्रोजेक्ट में किया। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि ग्राप में साहस है, जिस प्रकार का ग्रापका व्यक्तित्व इस विधान सभा में है उस व्यक्तित्व को यदि निस्कलंकित रखना चाहते हैं ग्रौर हिम्मत है तो ईमानदार जांच ग्रधिकारियों को बिठाइये ग्रौर इसकी जांच करवाइये। जांच करवायेंगे तो ग्रापके सामने सारा सत्य ग्रा जाएगा।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज। पर्याप्त है।

श्री हंसराज शर्मा : ग्रध्यक्ष महोदय, पांचना प्रोजेक्ट की एक नई योजना बनी है। पांचना में नहर नहीं बनी, पांचना में वेस्ट वीयर नहीं बना ग्रौर कहने लग गये कि करौली डूब जाएगा। करौली कैसे डूब जायेगा? जब ग्रापने प्लान बनाया, योजना बनाई तो ग्रब करौली कैसे डूब जायेगा? बांध हमने रेज कर दिया है। रेज क्यों कर दिया, क्योंकि कमीशन मिट्टी में ही मिलता है। सारा मिट्टी का काम कर दिया ग्रौर बांध को ऊंचा कर दिया। करौली डूबेगा। करौली डूबेगा तो क्या करें। कहने लगे, एक करोड़ रुपया मंजूर करो ताकि पांचना प्रोजेक्ट का पानी करौली नहीं जाये। ग्राश्चर्य की बात है, ग्रध्यक्ष महोदय, यहां पर नहर नहीं है, वेस्ट वीयर नहीं है ग्रौर कहते हैं कि करौली डूब जायेगा। करौली को बचाने के लिए एक करोड़ की स्वीकृति दी। स्वीकृति किस बात की दी? एक मिट्टी का गाइड बैंक बनेगा, क्योंकि उनको कहीं ग्रच्छा माल मिलता है..

श्री अध्यक्ष । इसमें तो फिर पुल की भी जरूरत पड़ेगी।

श्री हंसराज शर्मा : तो मिट्टी में मिलता है । अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के जो घपले होते हैं उन घपलों को अगर राज्य सरकार समय पर नहीं रोकेगी तो हमारा क्या होगा । सरकार पांच गांवों के लिए बांध की योजना के लिए बार बार कहती है कि इससे सिंचाई करेंगे । वह परियोजना बनायेंगी, बिजली भी देंगे पांचना प्रोजेक्ट से...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये । आॅर्डर, आॅर्डर ।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : बहुत लम्बा कर रहे हैं आप ।

श्री हंसराज शर्मा : एक आखिरी बात मेरी यह है, पांचना पर अधिकारियों ने एक नया नाटक और रचा सन् 1982 में । अध्यक्ष महोदय, 4-6-1981 को ठेकेदार का काम फाइनल हो गया और 19-9-81 को ठेकेदार का जो पांच प्रतिशत दस प्रतिशत अरनेस्ट मनी रहता है वह ठेकेदार ले गया, 81 में ही ले गया, लेकिन अधिकारियों ने सन् 1982 में उस ठेकेदार द्वारा मिट्टी की लीड का छः लाख रुपये का फर्जी केस बनाया । उसकी कोई डिमाण्ड नहीं है, कोई मांग नहीं है ...

श्री अध्यक्ष : आप बहुत ज्यादा विस्तार में न जायें, माननीय सदस्य । आॅर्डर प्लीज ।

श्री हंसराज शर्मा : मैं एक सैकेण्ड में इस बात को कहकर पूरा करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : जहां तक पेमेन्ट का प्रश्न है उसका कोई उत्तर आ नहीं सकता । आप तो इस योजना के बारे में कह दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा : और जब एडवान्स मनी जमा हो गया केस फाइनल हो गया उसके बाद अधिकारियों द्वारा छः लाख रुपये का लीड का फर्जी केस बनाया और उस समय के जो उच्च अधिकारी थे...

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर । कृपया आप स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री चुन्नीलाल : कोई नए तथ्य हों तो कह दें ।

श्री चुन्नीलाल (खन्डार): अध्यक्ष महोदय पांचना प्रोजेक्ट के बारे में जो सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया है इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने बहुत सारे तथ्य इस सदन के समक्ष रखे हैं । इस सम्बन्ध में पिछले सत्र में विधान सभा में एक क्वेश्चन रखा था उस समय सिंचाई मन्त्री जी ने जांच करने के आदेश दिये थे । वह जांच उस समय चालू हो जाती तो इस प्रश्न को दुबारा लाने की आवश्यकता नहीं होती । कुल मिलाकर बात यह है कि जिस तरह इस बांध के अन्दर करोड़ों रुपये का जो घपला किया गया है, सरकार के ध्यान में इस मामले को लाया जाये फिर भी सरकार इसकी जांच नहीं कराये तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है ।

(श्री चुन्नीलाल)

है। इस पांचना प्रोजेक्ट के बारे में मुख्य मन्त्री सवाई माधोपुर पधारे थे वहां पर विशेष सिंचाई परियोजना में इस योजना को जोड़ा गया था। जैसा माननीय सदस्य ने यह कहा कि एक बिस्वा जमीन भी उस बांध से आज तक सिंचित नहीं की गई और न वहां पर कैनाल, माइनर कैनाल, मेन कैनाल वगैरह बनाई गई है। इस तरह से सरकार के सामने अधिकारियों द्वारा दिये गये गलत आंकड़े सदन के सामने रखे जाते हैं। मुख्य मन्त्री जी जिस समय गये थे उस समय भी विशेष सिंचाई सुविधा के इस माध्यम से कितने ही एकड़ जमीन को जोड़ रखा था। मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी माननीय सदस्य ने इस सदन के सामने तथ्य रखे हैं उनकी जांच कराई जाय और दोषी अधिकारियों को दण्डित व निलम्बित किया जाय।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कुछ बातों के मामले में जानना चाहूंगा। पांचना परियोजना हमारे राजस्थान की ही नहीं, हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी योजनाओं के अन्दर एक है। पांचना परियोजना राजस्थान के लिए है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र से यह प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है। पांचना परियोजना का जितनी मुस्तैदी से राजस्थान के सिंचाई विभाग ने काम किया, मैं सोचता हूं कि यह राजस्थान सरकार के लिए गौरव की बात है। हमें खुशी है इस बात को कहते हुए कि सिंचाई विभाग ने कम से कम इस योजना का इतनी जल्दी, मुस्तैदी से इतने बड़े पैमाने पर काम किया, मैं सोचता हूं, राजस्थान के लिए इससे बड़ा गौरव हो नहीं सकता। वर्ल्ड बैंक का जो पैसा इस योजना के अन्दर लिया जायेगा और इस योजना को और बढ़ाने की जो बात की जा रही है वह हमारे लिए एक खुशी की बात है। आज हम देखते हैं कि दूसरे प्रान्तों में हमारे पड़ोस में हरियाणा के अन्दर जिस प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित होती हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर और भी कोई ऐसी योजनाएं जहां जहां भी हैं उन योजनाओं को जितना जल्दी पूरा कर सकें तो हमारे यहां के किसानों को सिंचाई के साधनों की दृष्टि से फायदा हो सकेगा। किसी योजना को हाथ में लेने के बाद उसको लिंगर आन करना सही मायने में हमारे प्रदेश के लिए नुकसानदायक है। मैं देख रहा हूं कि पिछले एक साल से इस काम को करने में सिंचाई विभाग के अन्दर सुस्ती आई है। पांचना परियोजना का काम जितनी मुस्तैदी से चल रहा था, पिछले एक साल से बन्द होने की स्थिति में है। वहां पर कोई काम नये ढंग से नहीं चल रहा है। आपस में रस्सा-कशी है। यह बात दूसरी है, जैसा सदन के दो माननीय सदस्यों ने कहा, अगर वहां पर घपले हैं तो हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते। कोई अधिकारी अगर बेइमानी करता है तो उसको हम रोकना चाहते हैं, उनके प्रति हमारी कोई सिम्पेथी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार इस योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर नागौर और हिण्डौन एरिया

Page No 82

(82)

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

के अन्दर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी वहां करौली तहसील का बहुत कम हिस्सा इसमें सिंचाई के काम आयेगा। जहां पांचना बांध बना है उसके पानी का बहाव दूसरी तहसीलों की ओर है। इस उद्देश्य से आज यह कहा जाय कि वहां पर पानी नहीं है, मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं हर हफ्ते वहां देखकर आता हूं, पानी काफी है। यह दूसरी बात है कि पिछली बार बाढ़ के कारण पांचना बांध के टूटने की सम्भावना थी इसलिए उस पानी को वहां से निकाल दिया गया था। इस योजना पर राजस्थान सरकार और वर्ल्ड बैंक का जो पैसा लगा हुआ है वह पैसा कहीं बरबाद न हो जाय इसलिए उस पानी को कुछ हिस्सों से निकाला गया। माननीय हंसराज जी ने कहा कि करौली के डूबने के खतरे के नाम पर कुछ नया पैसा लगाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर इस पांचना बांध को ऊंचा नहीं किया गया या कोई नया बांध नहीं बनाया गया तो निश्चित तौर पर करौली का बहुत बड़ा हिस्सा डूब जायेगा। 12-12 फीट पानी इस पांचना परियोजना के ऊपर से करौली शहर के अन्दर जाता है। सिंचाई विभाग ने चुलिंदा की योजना इसलिए बनाई कि पांचना के साथ चुलिंदा का बांध बनने से वह पानी वहां रुक सकेगा और आगे सिंचाई के लिये पांचना को भेजा जायगा। मैं सोचता हूं, माननीय मंत्री महोदय चुलिंदा की योजना को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करायेंगे, नहीं तो निश्चित तौर से करौली डूब में आयेगा, डोली खार का एरिया और करौली का एक चौथाई हिस्सा डूब में आयेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसा दूसरे माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि चुलिंदा का बांध बनायें। इसके साथ दुरघमीघटा योजना को अगर जोड़ लिया जाय तो पांच मेगावाट बिजली वहां पर पैदा हो सकेगी। राजस्थान में आज बिजली का अभाव है। बिजली का प्रोडक्शन हमारे यहां बहुत कम है पांच मेगावाट बिजली वहां पैदा हो सकती है। इससे करौली तहसील के किसानों को फायदा हो सकता है। अगर कोई भी योजना हो उसको जल्दी से जल्दी, मुस्तैदी से पूरा करायें। केवल मात्र छींटा कशी के उद्देश्य से। यह बात दूसरी है कि हमारे कई अधिकारियों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर कई विवाद वहां खड़े होते रहे हैं, कई झगड़े वहां होते रहे हैं। ठेकेदारों की स्थिति यह है कि बाहर से कोई ठेकेदार वहां पर काम करने के लिए उपलब्ध नहीं होता। आज हालत यह है कि करौली, सवाईमाधोपुर जिले में ठेकेदार जो भी हैं वह छोटे ठेकेदार हैं। बड़े पैमाने पर काम कराने के लिये बड़े ठेकेदार की आवश्यकता होती है जो बाहर से उपलब्ध कराना मुश्किल है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो भी अधिकारी इसके अन्दर बेइमानी करें, गड़बड़ी करें, उसके खिलाफ जांच करने के लिए हम भी आपकी बात का समर्थन करते हैं लेकिन जांच का कोई आधार होना चाहिये। बेबुनियाद आरोपों के आधार पर जांच की बात कह कर, केवल हल्ला मचा कर हमारे अधिकारी को डिमोरलाइज किया जाय, यह उचित नहीं है। मैं एक साल से देख रहा हूं, तीन अधिकारी वहां पर गये और वे लौट

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

कर आ गये। जो जाते हैं वे लौट कर कहते आते हैं कि साहब, हमको तो यहां से बुला लीजिये। अभी कौन लगा हुआ है मुझे नाम तो मालूम नहीं है लेकिन उनके बारे में मुझे जानकारी मिली है कि वे भी छोड़-कर जाना चाहते हैं। इस प्रकार की रस्सा-कशी से हमारी योजना निश्चित तौर से पचले में पड़ जायेगी और उसकी समयबद्ध जो क्रियान्वित होनी चाहिए वह नहीं हो पायेगी। इसलिए इस बात की व्यवस्था की जाय कि जो प्रोजेक्ट आपके सामने हो टाइम बाउंड प्रोग्राम के आधार पर अधिकारियों को काम दिया जाय और उनसे यह कहा जाय कि इस निर्धारित टाइम के अन्दर इसको पूरा करें ताकि हमारी योजना से किसानों को फायदा हो सके। करौली का जो डूब के अन्दर आने वाला हिस्सा है उसको बचाने के लिए चुलिंदा के बांध की योजना को निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करायें।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो अधिकारी गड़बड़ी करते हैं उनकी जांच कराकर दोषियों को सजा दी जाय लेकिन ऐसा नहीं हो कि इस रस्साकशी के अन्दर जो वर्ल्ड बैंक का पैसा है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाये। अगर यह ठीक प्रकार से खर्च नहीं किया गया तो योजना निश्चित रूप से खटाई में पड़ जायेगी। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप इस पर जल्दी से कार्यवाही करें और अधिकारियों को टाइम बाउंड प्रोग्राम देकर भेजें कि तुमको इतने समय तक वहां पर रहना है और इतना काम पूरा करना है। मैं तो, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को आमंत्रित करता हूं कि वे वहां पर चलें और सारी स्थिति को अपनी आंखों से देखें, स्वयं अवलोकन करें। हमारी जो इतनी बड़ी योजना है वह खटाई में नहीं पड़ जाये छोटे-छोटे विवादों के कारण। ऐसा नहीं होना चाहिये। अगर सरकारी अधिकारी दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये, उनको सस्पेंड किया जाय। अगर वैसे ही अधिकारियों को डिमोरलाइज करके योजना को खटाई में डालना चाहते हैं तो यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय !

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य और खंडार से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत पांचना बांध के निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। सरकार का वक्तव्य, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार है :-

पांचना परियोजना के अन्तर्गत करौली के समीप पांचना नदी पर एक 85 फीट का बांध बनाकर टोडा भीम, गंगापुर तथा नादोती तहसीलों की 9985 एकड़ भूमि में सिंचाई करने का प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष : हैक्टेयर है या एकड़ है ?

श्री परसराम मदेरणा : एकड़ है। इस योजना की अनुमानित लागत:--

(विराम)

Page No 84

(84)

(श्री परसराम मदेरणा)

अध्यक्ष महोदय, मैं दुरुस्त करता हूं यह हैक्टेयर है। 9985 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई करने का प्रावधान है। इस योजना की अनुमानित लागत 22 करोड़ रुपये है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति सन् 1977 में प्राप्त हुई तथा सन् 1978 में इस बांध की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई। सन् 1976-77 से लेकर इस योजना पर प्रारंभिक कार्य, जिसमें सर्वेक्षण, अनुसंधान, बांध के निर्माण स्थल पर सड़कें बनाना और कर्मचारियों के लिए कुछ मकान बनाने का कार्य किया। बांध के निर्माण का कार्य नवम्बर, 1979 में शुरू हुआ था। सन् 80 की बरसात के पहले मिट्टी का बांध बनाकर पानी रोक लिया गया तथा बांध का पानी निकालने के लिए ओगल का प्रबन्ध कर लिया गया। साथ ही नहर बनाने के लिए कमाण्ड एरिया का सर्वेक्षण कर नहर का तखमीना 1980 में स्वीकृत हुआ। परन्तु भूमि अवाप्ति की कठिनाइयों तथा धन के अभाव में नहर का कार्य बांध के कार्य के साथ पूरे वेग से नहीं किया जा सका। फिर भी आपसी सहमति द्वारा जहां तक सम्भव हुआ मुआवजे का भुगतान कर नहर की खुदाई का कार्य सन् 1980 में प्रारम्भ कर दिया गया था और अब तक 30 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। आज तक इस कार्य के लिए इस योजना पर 485 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है।

इस बांध से सिंचाई के लिए एक मुख्य नहर जो 12 किलोमीटर लम्बी है, जो 50 से 80 फीट गहराई में बनेगी, तथा दो वितरिकाएं महावीरजी तथा पीलोदा एवं माइनर एवं वाटर कोर्सेज का निर्माण कराया जावेगा जिसकी अनुमानित लागत 6 करोड़ रुपये होगी।

धनाभाव के कारण यह आवश्यक हो गया कि पहले मिट्टी का बांध पूरा कर जल संग्रहित कराया जाय। इस वर्ष इस योजना पर पहले के वर्षों से अधिक धन राशि का प्रावधान किया है तथा भूमि अवाप्ति का कार्य अधिकतर पूरा हो गया है। मुआवजे का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में पूरा कर दिया जावेगा। रेलवे को नहर पर दो पुल बनाने के लिए भी भुगतान कर दिया गया है। सिंचित क्षेत्र का मुख्य भाग रेलवे लाइन को पार करने के बाद ही है इसलिये रेलवे अधिकारियों से इन पुलों को बनाने के लिये आग्रह किया जा रहा है। इस तरह आशा है कि सन् 84-85 में इस बांध की नहरों से सिंचाई कर दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न है, प्रारम्भ' में जब एस्टीमेट बनाये गये उस वक्त इसकी क्या लागत थी ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में जो एस्टीमेट बनाये गये उस वक्त इस बांध की ऊंचाई बहुत कम रखी गई थी। उस वक्त इस बांध की कीमत 1 करोड़ और तीन लाख रुपये थी। किन्तु जब इसका डिजाइन रिवाइज कर दिया गया और 28 फीट ऊपर बना दिया गया तो इसका एस्टीमेट 9 करोड़ 66 लाख रुपये हो गया। एक बात यहां पर यह भी कही गई कि बांध बनाने के मामले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, खासतौर से मिट्टी के काम के सम्बन्ध में

(श्री परसराम मदेरणा)

घोटाला हुआ है। इस सम्बन्ध में जो ठेकेदारों ने प्लेज पेश किये हैं उसको एक्स्ट्रा केरेज का, अध्यक्ष महोदय, भुगतान रोक दिया गया है और चीफ इन्जीनियर स्वयं इस मामले की जांच कर रहे हैं, चीफ इन्जीनियर, इरिगेशन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौनसे ?

श्री परसराम मदेरणा : जो अभी वर्तमान में हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या नाम है ?

श्री परसराम मदेरणा : मिस्टर कैलाश। अभी विधान सभा में व्यस्त रहने की वजह से नहीं जा सके वरना पहले ही जाने वाले थे। इसके साथ, अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की टीम भी परसों यहां आई थी, इसी बांध के सम्बन्ध में भारत सरकार के सी.डब्ल्यू.सी. के मेम्बर, प्लान और प्रोजेक्ट के गोकुलप्रसाद आये थे। मुझे कल यहां असेम्बली में भी मिले थे। एडवाइजर प्लानिंग कमीशन, श्री नटराज भी उनके साथ थे। जे. आर. खन्ना, डायरेक्टर सी डब्ल्यू. सी. भी आये थे। कमिश्नर वाटर मैनेजमेन्ट, मिनीस्टरी आफ इरिगेशन उनके साथ थे। डाक्टर वी. एस. तोमर, एग्रोनोमिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया भी उनके साथ थे। राज्य सरकार ने भारत सरकार से निवेदन किया था क्योंकि इस प्रोजेक्ट की लागत 22 करोड़ के आस पास है इसलिए धनराशि के सम्बन्ध में कोई हमको एड दी जानी चाहिये। यू. एस. एड से भारत सरकार बात कर रही है। यू. एस. एड के भी तीन रिप्रेजेंटेटिव भी पांचना आये थे। उसके बाद में कल 22 तारीख को यहां पर उनकी मीटिंग हुई थी। अध्यक्ष महोदय, जो एप्रेजल कमेटी की मीटिंग हुई उस मीटिंग में भारत सरकार के मेम्बर, जो वाटर मैनेजमेंट, मिनीस्टरी आफ इरिगेशन के हैं, सीधे यहां आकर सम्मिलित हुए। इस पर विचार किया गया। विचार करने के बाद उन्होंने इस के सम्बन्ध में कुछ सजेशन भी दिए हैं। जिस समय सी. डब्ल्यू. सी. के पास यह सब मामला गया था उस वक्त, अध्यक्ष महोदय, नहरों को पक्की करना स्पील ओवर का जो डिजाइन में नहीं था उसको बनाना, वाटर कोर्सेज और सी. ए. डी. का काम भी हाथ में लेना नहीं था, इसलिए यह एस्टीमेट बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि इन सब कामों को इसके साथ में किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : प्रारम्भ में 1 करोड़ और तीन लाख की योजना थी उस वक्त सिंचित क्षेत्र कितना होना था ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, वह तो मुझे जानकारी नहीं है कि उस वक्त सिंचित क्षेत्र क्या था। प्रोजेक्ट रिपोर्ट...

श्री हरिसिंह (महुआ) : मुझे जानकारी है, सिर्फ 2200 बीघा।

श्री परसराम मदेरणा : पहले यह छोटी योजना थी। जहां पर, अध्यक्ष महोदय, यह बांध बन रहा है...

श्री अध्यक्ष : मतलब 400 हैक्टेयर।

श्री परसराम मदेरणा : अगर इसको टोपोग्राफी से देखा जाय तो इसमें बीसियों

(श्री परसराम मदेरणा)
छोटी नदियां हैं उस एरिया में, उसका गंभीरी में होकर आगे जाकर तबाही करता है। इसलिए इसका दूसरा तखमीना बनाया गया। उस तखमीना की जांच सी. डब्लू. सी. ने की है। सी. डबलू. सी. के अधिकारी और उसको देख रहे हैं। यह बात सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उस पर 6 करोड़ का खर्चा हो गया है, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, 6 करोड़ नहीं 4 करोड़ 85 लाख का खर्चा हुआ है। यहां पर, अध्यक्ष महोदय, एक बात और कही गयी, 17 तारीख को भी कही थी और माननीय सदस्य कह रहे थे कि करोली में कोई रैस्ट हाउस बन गया है उस पर 4 लाख का खर्चा हुआ है। उसमें केवल एक लाख 58 हजार का खर्चा हुआ है। यही की यही बात जो इन्होंने अभी यहां कही है, उस दिन भी इस सम्बन्ध में उठायी थी और मैंने उत्तर दिया था।

श्री अध्यक्ष : वह इससे संबंधित नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय, आप केवल बांध, डिजाइन वगैरह के बारे में बता दें। बाकी अगर वित्तीय कोई इर्रेगुलेरिटी है तो देखते रहते हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, डाक बंगले की बात नहीं है बल्कि राज्य सरकार ने एक डाक बंगला 5 वर्ष के बाद प्रोजेक्ट बनाकर कॉटेजेज बनाने की बात मुख्य मन्त्रीजी ने वहां स्पॉट पर कही है। पिकनिक स्पॉट बन सके, नावें चल सकें, रमणीक स्थान बन जायगा....

श्री अध्यक्ष : यह सब चीजें इससे जुड़ी हुई रहती हैं, माननीय सदस्य, इस गहराई में न जावें।

श्री परसराम मदेरणा : बांध के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, और कुछ नहीं कहना। एक बात जो सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठायी, बांध बन गया, पानी रिलीज कर दिया गया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : एक प्रश्न।

श्री परसराम मदेरणा : आप पहले बैठिये। बांध से नहर निकली है, नहर के ऊपर एक एस्केप बनाया है। वह इसीलिए बनाया है कि नहर, अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : बड़े बांधों में कई तरह की डिजाइन होती हैं। टैक्निकल है सब चीजें।

श्री परसराम मदेरणा : सी.सी.ए. एरिया और बांध के बीच में इतनी ऊंचाई है कि नहर को पहले 80 फीट तक गहरा खोदना पड़ा....

श्री अध्यक्ष : टैक्निकल प्रश्न है।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए एस्केप से पानी निकालकर नदी में डाला ताकि बैंड कल्टीवेशन कर सकें और नदी का पानी आगे जाकर भरतपुर में इनन्डेट करके वहां खेती कर सकें। अगर उस पानी को नहीं निकालते हैं तो बंधे में रखने से क्या मतलब है।

श्री अध्यक्ष : वह सब टैक्निकल प्रश्न है। चर्चा समाप्त हुई।

शासकीय वक्तव्य
कुछ गांवों की भूमि की फायरिंग रेंज के लिये अवाप्ति

नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मन्त्री, श्री प्रद्युम्न सिंह, जयपुर विकास

(श्री अध्यक्ष)

प्राधिकरण द्वारा कुछ गांवों की भूमि फायरिंग रेन्ज के लिये अवाप्त करने की कार्यवाही के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, नगरीय विभाग एवं आवासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्मी फायरिंग रेन्ज पहले झोटवाड़ा सरकारी फार्म, महापुरा कुकरखेड़ा में स्थित थी। इसका क्षेत्रफल 518.18 एकड़ था, यह भूमि जयपुर नगर के अत्यन्त समीप आ चुकी है एवं जयपुर नगर की बढ़ती हुई आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये इस भूमि को आवासीय उपयोग के लिये लिया जाना नगरीय विकास के लिये आवश्यक था। अतः सेना अधिकारियों तथा रक्षा मंत्रालय से इस भूमि को नगरीय विकास के लिये लेने तथा इसके बदले जयपुर नगर से दूर फायरिंग रेन्ज के लिये भूमि देने का प्रस्ताव किया गया। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर झोटवाड़ा स्थित 518.18 एकड़ भूमि फायरिंग रेन्ज से ली जाकर कब्जा नगर विकास न्यास, जयपुर (जयपुर विकास प्राधिकरण) को दिया जा चुका है।

उक्त भूमि के बदले में फायरिंग रेन्ज के लिये सेना अधिकारियों से विचार विमर्श के पश्चात् भूमि जिन गांवों में अवाप्त की जा रही है, उनका विवरण निम्नलिखित है:—

क्र.सं. ग्राम	तहसील	क्षेत्रफल बीघा	क्षेत्रफल बिस्वा
(1) निवारू	जयपुर	602	02
(2) मंशारामपुरा	जयपुर	—	11
(3) बोयतावाला	जयपुर	725	15
(4) सरनाडूंगर	जयपुर	2	13
(5) बेनाड़	आमेर	38	12

(1.55 म.प.)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

भूमि अवाप्ति की कार्यवाही किये जाने के लिये राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ 3/181.न.अ./074, दिनांक 8-5-81 द्वारा राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1955 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत आदेश जारी कर उपरोक्त भूमि को अवाप्त करने का आदेश दिया। इसके पश्चात् दिनांक 11-9-81 को राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 की धारा 6 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी की। उक्त विज्ञप्ति के द्वारा धारा 17 उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 5 (ए) के प्रावधान पूर्वोक्त भूमि के लिये लागू नहीं किये गये तथा साथ ही उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अनुसरण में राज्य सरकार ने भूमि अवाप्ति अधिकारी (जिलाधीश कार्यालय), जयपुर को धारा 9 की उपधारा (1) में उल्लिखित नोटिस के प्रकाशन से 15 दिवस की समाप्ति पर भूमि का कब्जा लेने का निर्देश दिया। उक्त आदेश के तहत भूमि हितधारियों को राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत दिनांक 9-11-81 को नोटिस जारी किये गये। ग्राम बेनाड़, तहसील आमेर की 38 बीघा 12 बिस्वा का कब्जा तहसीलदार आमेर द्वारा सैनिक सम्पदा अधिकारी को दिनांक 11-1-82 को संभला दिया गया। लेकिन तहसील जयपुर के ग्राम निवारू, बोयतावाला, मंशारामपुरा एवं सरनाडूंगर में अवाप्त की जा रही भूमि का कब्जा नहीं दिया जा सका क्योंकि उस समय उक्त भूमि पर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

फसल खड़ी हुई थी एवं लगभग 33 कच्चे पक्के मकान बने हुए थे। अतः खाली भूमि का कब्जा देने के लिये पहले भूमि हितधारियों को मुआवजा दिलाना उचित समझा गया। अभी अवाप्त की जा रही भूमि में हितधारियों को मुआवजा दिलाने की कार्यवाही चल रही है एवं शीघ्र ही कार्यालय द्वारा अवार्ड जारी होने की आशा है।

तहसील की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार तहसील जयपुर में उक्त अवाप्त की जाने वाली कुल 1329 बीघा 1 बिस्वा भूमि में 387 बीघा 12 बिस्वा भूमि राजकीय है एवं 941 बीघा 9 बिस्वा भूमि खातेदारान की है। तहसील आमेर में अवाप्त की जा रही भूमि में 16 बीघा 19 बिस्वा भूमि राजकीय एवं 21 बीघा 13 बिस्वा भूमि खातेदारान की है। अवाप्त की जा रही भूमि में खातों की संख्या केवल 52 है। कुल कच्चे पक्के मकानों की संख्या केवल 33 है जो ग्राम निवारू एवं ग्राम बोयतावाला में अवाप्त की जा रही भूमि में स्थित हैं। इनमें से 9 पक्के एवं 24 कच्चे मकान हैं जिनमें निवास करने वालों की संख्या 250 के करीब है। शेष ग्रामों में कोई मकानात नहीं है। कुल अवाप्त की जा रही भूमि में से चाही भूमि भी तहसील की सर्वे रिपोर्ट एवं रिकार्ड के अनुसार केवल 39 बीघा 2 बिस्वा है। शेष बारानी एवं बंजड़ भूमि है। यह सही नहीं है कि अवाप्त की जाने वाली 700 बीघा भूमि चाही है और उसके आसपास 20 हजार लोग रहते हैं। वास्तव में अवाप्त की जाने वाली 52 खातों की भूमि में से भू-अभिलेख के अनुसार केवल 39 बीघा 2 बिस्वा भूमि चाही है। इसमें 9 पक्के एवं 24 कच्चे मकान हैं जिनमें लगभग 250 व्यक्ति रहते हैं।

दिनांक 10-3-83 को न्यायालय मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर, जिला जयपुर द्वारा श्री महेन्द्र कुमार एवं श्री श्रवण कुमार बनाम राज्य सरकार में यथास्थिति कायम रखने के लिये आदेश दिये हैं।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : माननीय सभापति महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने स्वयं बताया कि ढेर के बालाजी के पास चादमारी पॉइन्ट है, उसको इसलिये हटाना पड़ा कि शहर के अत्यधिक समीप आ चुका था। अब समझ में नहीं आ रहा, एक जगह शहर के बहुत करीब आ जाने के कारण फायरिंग रेन्ज हटाना पड़ रहा है, दूसरी जगह वही कारण होने के बावजूद उस जमीन को आप अवाप्त कर रहे हैं। आपने अभी बताया कि तहसीलदार की रिपोर्ट है। मेरी समझ में नहीं आया, सभापति महोदय, गरीब काश्तकारों की करीब 1200 बीघा जमीन, जिससे वह अपनी रोजी रोटी कमाते हैं उसके अलावा उनके पास रोजी-रोटी का दूसरा जरिया नहीं है, आप अवाप्त कर रहे हैं। वह जरिया दिखवाया किसने ? बेहतर होता, मंत्री महोदय, स्टेटमेन्ट देने से पहले एक बार आप उस जगह का मुलाहिजा फरमाते। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी, झोटवाड़ा से करीब साढ़े तीन या चार किलोमीटर दूर निवारू, मंशारामपुरा, बोयतावाला, सरनाडूंगर, बेनाड़ ग्राम बसे हुए हैं। सभापति महोदय, सोसायटीज ने यह जमीन खरीद ली, प्लॉट काट दिये।

(सुश्री पुष्पा जैन)

वहां काश्तकारों के पक्के मकान बने हुए हैं, झोंपड़ी बनी हुई हैं, खेती है, जो उनकी रोटी रोजी का एकमात्र जरिया है। जैसे आपने चरागाह भूमि के बारे में कहा, हजारों पशु चरते हैं। आपने पता नहीं कौनसे समय के आंकड़े बता दिये कि वहां की आबादी इतनी नहीं इतनी है। आज मौजूदा वक्त में आबादी कितनी है ? यह कोई सरकार से सुविधा देने का मसला नहीं है जो आपने 1971 की सेंसस के आंकड़े उठाकर आबादी का आंकड़ा बता दिया। सभापति महोदय, वहां हजारों की तादाद में पशु चरते हैं, लाखों की तादाद में इंसान बसते हैं, पक्के मकान बने हुये हैं, कच्चे मकान बने हुये हैं, झोंपड़ियां बनी हुई हैं। इस सब के बावजूद आपने नजर-अंदाज करके महज इसलिये कि आपको एक जमीन के बदले में दूसरी जमीन देनी थी, आपने दूसरी जगह बिना सोचे समझे बिना वहां के सरपंच की राय लिये, बिना वहां के लोगों की राय लिये, बिना उनके दुःख-दर्द को सुने जमीन अवाप्ति के लिये मुहैया करवाई। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, राज्य सरकार का आर्मी के लोगों के लिये फर्ज है, तो क्या गांव के गरीब लोगों के लिये राज्य सरकार का कोई फर्ज नहीं है ? जब आप आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह बदलने के लिये जमीन दे सकते हैं, तो क्या उन गरीब लोगों के लिये नहीं सोच सकते थे ? आप उनके लिये एक जगह से दूसरी जगह कोई जमीन मुहैया करवा देते तब तो मैं समझती कि उनके साथ न्याय हुआ है लेकिन आपने उनके लिये कुछ नहीं सोचा।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगी कि वह जमीन आज 20 हजार रुपये बीघा में बिक रही है। सोसायटी ने खरीदी है लेकिन उनको 2 हजार रुपये, 3 हजार रुपये बीघा के हिसाब से उनको यह ऑफर किया जा रहा है आपकी जमीन अवाप्त की जायेगी, उसके बदले यह पैसा दिया जायगा। गरीब काश्तकारों ने कहा कि यहां जमीन का भाव यह है, यह नहीं। तो उनसे कहा गया, इसका सबूत लाइये। मैं पूछना चाहती हूँ, सभापति महोदय, आज मुख्य मन्त्री जी के कर्म से सोसाइटीज कितनी हावी हो गई हैं ? सोसाइटी एक लाख रुपये बीघा में जमीन खरीदेगी तो 10-20 हजार रुपये बीघा में उसकी रजिस्ट्री करवायेगी। इन हालात में बेचारे गरीब काश्तकार आपको सबूत कहां से दें कि जमीन की रेट आज यह है। सभापति महोदय, न्याय के हित में यह उचित होगा कि एक बार कोई निर्णय आपने ले लिया वह प्रतिष्ठा का सवाल नहीं हो। गरीबों के हित में मुख्य मन्त्री महोदय एक बार उस जगह का स्वयं मुलाहिजा करें या और किसी अधिकारी से या मंत्री से करवायें लेकिन उस जगह का आपको मुलाहिजा करवाना चाहिये। मैं चुनौती देकर आपको कह रही हूँ कि जिन कारणों को लेकर मिलिट्री वालों को हेर के बालाजी के पास से चांदमारी बट हटाना पड़ा निश्चित रूप से यह जगह पूरी बनाने के पहले ही आपको यह निर्णय लेना पड़ेगा कि आबादी के कारण, जिन कारणों से पहले वाली जगह छोड़नी पड़ी, उन्हीं कारणों से आपको यह जगह भी छोड़नी पड़ेगी। सवाल यह है कि

(सुश्री पुष्पा जैन)
देश का करोड़ों रुपया बर्बाद क्यों कर रहे हो ? गरीबों को आप मोहताज क्यों कर रहे हो रोटी-रोजी से ? इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। निश्चित रूप से उन गरीबों के लिये आपको सोचना पड़ेगा। मेरा सुझाव यह है, यह नहीं है कि सरकार ने जो बयान दिया उसको झूठा बताने के लिये या आपको चुनौती देने के लिये मैं आपको कुछ सुझाव दे रही हूँ, गरीबों के हित में दे रही हूं। वह गरीब न आपके हैं, न मेरे हैं, राजस्थान की जनता है। राजस्थान की जनता के हित में सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह महज पटवारी, तहसीलदार की दी हुई रिपोर्ट पर विश्वास न करे। आप स्वयं विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त करवायें कि जिस जमीन को फायरिंग रेन्ज के लिये अवाप्त करवा रहे हैं वह फायरिंग रेन्ज के लिये उचित है या नहीं। यदि नहीं है, तो उन गरीबों को बेघरबार मत कीजिये। यदि है, तो निश्चित रूप से आप उनके लिये भी दूसरा जरिया सोचें। उसके लिये मैं आपको सुझाव दूंगी। मेरे कहने के बावजूद यदि आप तहसीलदार, पटवारी की दी हुई रिपोर्ट पर विश्वास करके इस बात का दृढ़ निश्चय बना चुके हैं कि उन गरीब काश्तकारों की जमीन अवाप्त करनी है ही तो जयपुर तहसील में हाथोड़ पंचायत में गोविन्दपुरा में गोविन्दपुरा सहकारी बीड़ करके सात सौ बीघा जमीन मौजूद है, वह जमीन खाली पड़ी हुई है, उचित होगा, न्याय के हित में होगा गरीबों के हक में होगा कि आप जहां उनकी करीब 12 सौ बीघा जमीन अवाप्त कर रहे हैं उसके बदले में अगर आप गोविन्दपुरा बीड़ हाथोड़ की सरकारी जमीन उनको दे देंगे तो उनका बहुत हद तक कुछ भला कर सकेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभापति महोदय, आमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने 2-3 मुद्दे खास तौर से उठाये। यह जमीन जो 1367 बीघा अवाप्त की जा रही है उसमें से आमेर और जयपुर तहसील को मिलाकर के करीब 4 सौ बीघा जमीन सरकारी है। अब रह जाती है करीब 9 सौ बीघा जमीन। आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उसमें यह बात भी कही थी कि यह जमीन काफी कीमती है और चाही है। उसके बारे में भी रेवेन्यू रिकार्ड के आधार पर जो स्थिति थी, कौनसी जमीन चाही है, बंजर है या बारानी है वह भी मैंने आपको निवेदन कर दिया।

सुश्री पुष्पा जैन : खेती की जमीन है या नहीं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने जो फरमाया है उसी के आधार पर मैंने निवेदन किया है। जहां तक प्रश्न है, तहसीलदार, पटवारी या अन्य अधिकारियों की राय से भूमि अवाप्त की गई है, इसमें इतना संशोधन करना चाहूँगा कि यह जमीन ग्रामीं वालों को दिखा दी गई थी और ग्रामीं वालों की राय से ही इस जमीन को अवाप्त किया गया है। उन्होंने इस जमीन को देखा और जमीन देखने के बाद कहा कि यह हमारे फायरिंग रेन्ज के लिये सूटेबल लैण्ड है। वह इसको लेने को तैयार है यह कहना कि सिर्फ तहसीलदार और पटवारी की राय से ही कोई जमीन को अवाप्त किया जा रहा है, उचित नहीं है।

Page No 91

(91)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

आपने कहा कि उस इलाके के अन्दर लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, शायद आपके मुंह से कहते हुये गलत निकल गया होगा। मैंने आपको आबादी के फिगर्स भी दिये हैं, मकानों की संख्या भी दी है कि इतने मकान हैं, इतने आदमी इससे प्रभावित होंगे। यह मैंने आपको निवेदन किया। अध्यक्ष महोदय, चूंकि आर्मी वालों के लिये आवश्यकता है, आर्मी वालों ने अप्रूव किया है। अब रह जाती है बात निवासियों की। उनको मुआवजा भी दिया जा रहा है। मुआवजे की दर के बारे में भी आपने कहा, उसे मैं दिखवा लूंगा कि उनको मुआवजे की दर उचित दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। इस बात को मैं दिखवा लूंगा। चूंकि अब यह जमीन फाइनेलाइज हो चुकी ...

श्री सभापति : को-आपरेटिव सोसाइटीज को पर प्लाट ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, तो आप्शन क्यों कम नहीं दिया जा रहा है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, को-आपरेटिव सोसाइटीज खरीदती है तब ज्यादा देती है। यह को-आपरेटिव सोसाइटीज को नहीं दिया जा रहा है। सोसाइटीज जब जमीन लेती हैं तो वह दर ज्यादा देती हैं। बीघों के हिसाब से जमीन लेती हैं और गजों के हिसाब से बेचती हैं वह .....

श्री सभापति : वह तो फिक्टीशियस रेट्स में बताते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : फिक्टीशियस रेट्स बताते हैं पर असली चीज साबित तो हो नहीं पाती है। रेट देते हैं; मान लीजिये, 2 हजार, 3 हजार, 4 हजार, 10 हजार रुपये बीघे की। कागज में दिखाते हैं। बेनामी सौदे होते हैं, या फिक्टीशियस सौदे होते हैं, 40 हजार, 30 हजार रुपये बीघा के। इसके बारे में मुझे जो जानकारी है जो बाजार भाव हैं वह यह हैं। कम्पेन्सेशन अवार्ड करने के नियम बने हुये हैं उन नियमों के तहत ही उनको कम्पेन्सेशन दिया जा सकेगा; यही मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। बाकी माननीय सदस्यों ने कहा कि इसका आल्टरनेटिव क्या हो सकता है, इसको दिखवाना पड़ेगा। इनके लिये क्या व्यवस्था और हो सकती है उसके सम्बन्ध में तो मैं यहां अभी कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ, श्रीमान्।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप चाहे लैंड एक्वीजिशन कर लें और चाहे फायरिंग रेन्ज एस्टेब्लिश कर दें लेकिन दो वर्ष के बाद आपको फायरिंग रेन्ज वहां से हटानी पड़ेगी। वह इसलिये हटानी पड़ेगी जो चांदमारी पहले थी, उस एरिया के चारों तरफ जिस प्रकार आबादी बस गई है उसी प्रकार से आपके प्रपोज्ड फायरिंग रेन्ज के चारों तरफ आबादी बस गई। अब आप यह कह दें कि हमने तो लैन्ड एक्वीजिशन की कार्यवाही कर ली और आर्मी वालों ने जगह का सलेक्शन कर लिया। मैं ऐसा समझता हूँ कि राज्य सरकार आर्मी वालों के सामने यह परिस्थिति रखेगी तो क्या

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चांदमारी को भी छोड़ने को आर्मी तैयार नहीं होगी ? सभापति महोदय, आपको जानकारी होनी चाहिये कि चांदमारी में जब फायरिंग एक्सरसाइजेज की जाती थी तो पहले नोटिफिकेशन इश्यू किये जाते थे, जनता को सावधान किया जाता था। उस सावधानी के बाद जिस दिन फायरिंग होता था उस दिन कई मवेशी मरते थे। कई आदमी उस फायरिंग से मर गये। आर्मी के सामने भी समस्या थी, सरकार के सामने भी समस्या थी। चारों तरफ आबादी हो जाय और बीच में चांदमारी की जाय, यह उस समय भी उचित नहीं था। मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप चाहे कितनी ही कोशिश करलें वहां फायरिंग रेन्ज नहीं बनेगी। कम्पेन्सेशन देने का सवाल नहीं है, क्या आप लोगों को मरवाना चाहते हैं ? चारों तरफ गांव बन गये हैं, बस्तियां बसी हुई हैं, हाउसिंग को-आपरेटिव सोसाइटीज ने मकान बना लिये हैं। वहां लोगों ने कुएं खुदवाये हैं अपने पैसों से नहीं, उसके लिये बैंक से लोन लिया है। बैंक के लोन से कुआं बनवाकर जमीन सिंचित की है। माननीय मन्त्री महोदय ने सिंचाई के आंकड़े दिये। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आंकड़े गलत हैं। गलत इसलिए कि सिंचाई के लिये कुआं कोई बन जाय तो तत्काल उसकी रेवेन्यू रिकार्ड में कोई एन्ट्री नहीं होती क्योंकि लगान उसको देना नहीं पड़ता। लगान तो बारानी जमीन का वसूल करते हैं। रेवेन्यू रिकार्ड में तो बारानी जमीन लिखी हुई है लेकिन वास्तव में वह चाही जमीन है। मन्त्री महोदय, इसकी जानकारी कर लेवें कि पिछले पांच-सात वर्षों में कितने कुएं बने, कितनी जमीन चाही बनी। मेरी बात पर यदि उनको सन्देह हो तो मैं उनको ले चलता हूँ, उनसे जो स्टेटमेन्ट दिलवाया कि कि चाही जमीन इतनी नहीं है, उससे ज्यादा चाही जमीन दस मिनट में बता दूंगा इतने इतने नये कुए बने जिनका रेवेन्यू रिकार्ड में किसी भी प्रकार का इन्द्राज नहीं है। सभापति महोदय, क्वेश्चन कम्पेनसेशन का नहीं है। सरकार के पास और भी जमीन है, क्या सरकार यह घोषणा कर सकती है कि जिन काश्तकारों की हम रोटी रोजी छीन रहे हैं उन काश्तकारों को अल्टरनेटिवली जो सरकार के पास पड़त जमीन है वह देगे ?

सभापति महोदय, वहां लोगों ने पक्के मकान बना रखे हैं। कई स्कूल और दवाखाने हैं। सरकार ने खुद डवलपमेन्ट किया है, रोड्स वगैरह सरकार की बनी हुई हैं। वह सारी चीजें तो खतम की जा रही हैं। इस आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें आप जल्दी नहीं करें। आप आर्मी वालों से कन्सल्ट करना चाहें, कन्सल्ट कर लें लेकिन वहां के लोगों की भी सुनें। सुनने का उनको मौका दें। मैं आपको साथ चलकर बता सकता हूं और आप एग्री करेंगे कि यह जमीन फायरिंग रेन्ज के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह व्यक्तिशः मौके को देख लें। वहां के सरपंच, पंच पंचायत समिति के प्रधान, एम. एल. ए. इन सबको भी साथ लें। यदि जनता एग्री करती है और आपके सामने ऐसी विवशता हो कि फायरिंग रेन्ज के लिए हमारे पास

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कोई ग्राल्टरनेटिव जमीन नहीं है तो विचार किया जा सकता है। ग्राज तो गोविन्दपुरा में भी जमीन है ग्रौर गोविन्दपुरा के ग्रलावा हरमाड़ा के ग्रागे बीड है, जिसका मैं नाम भूल गया, उस बीड़ में भी काफी जमीन है। सभापति महोदय, एक तरफ हम जयपुर की ग्राबादी बढ़ाते जा रहे हैं, कोग्रापरेटिव सोसायटीज बन रही हैं। ग्रापने कभी नक्शा देखा हो, को-ग्रापरेटिव सोसायटी की जमीन ग्राप ले सकते हैं। ग्रब ताज्जुब यह है, ग्रध्यक्ष महोदय, गरीब काश्तकार, जिसने ईमानदारी से जमीन पर ग्रपना कब्जा कर रखा है को तो डिस्पजेस किया जा सकता है किन्तु बेरी कमीशन की रिपोर्ट उठाकर देखें 500 करोड़ रुपये की जमीन जो लोग जबरन ग्रपने कब्जे में करके ले गये उनके खिलाफ ग्रापको लेण्ड एक्वीजिशन की कार्यवाही करने में संकोच होता है। मेरी समझ में नहीं ग्राता, यह गरीब ग्रौर प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? मैं इस दलील में ग्रभी नहीं जाना चाहता, केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों की रोटी-रोजी छीननी पड़ेगी। ग्राल्टेरनेटिव कोई जगह ढुंढ़वा सकते हैं तो ढुंढवाइये। यह जगह न तो ग्राज उपयुक्त है, न दो वर्ष के बाद में उपयुक्त रहेगी, दो वर्ष के बाद में फायरिंग रेन्ज वहां से भागेगी ग्रौर फिर वही की वही स्थिति पैदा होगी। मैं चाहूंगा कि कुछ समय के लिए इस डिसीजन को पोस्टपोन करें। मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे स्वयं मौके पर जाकर स्थिति का ग्रध्ययन कर लें जो सरकारी रिकार्ड पेश किया गया है उसको ग्राधार बनाकर इस प्रकार का निर्णय नहीं लें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने जो बात कही, इस बात में तो तथ्य हो सकता है कि लोग कभी नये कुएं जो बना लेते हैं उनका इन्द्राज रेवेन्यू रिकार्ड में नहीं रहता है। इसको मैं इन्कार नहीं करता, यह तथ्य है, ऐसा ग्रक्सर होता है। लेकिन साथ-साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जब कम्पेन्सेशन के क्लेम पेश होते हैं तो लोग ग्रपने उन क्लेम्स के फार्म्स के ग्रन्दर इन चीजों का निश्चित रूप से इन्द्राज करते हैं, इस बात को भी ग्रापको मानना पड़ेगा। जब मुग्रावजा दिया जाता है तो मकान, जमीन के ग्रन्दर कोई कुंग्रा है वह, या ग्रौर कोई चीज, उसका कोई कन्स्ट्रक्शन है, कच्चा या पक्का, मुग्रावजे की दर निश्चित करते वक्त उसको कन्सीडरेशन में रखा जाता है। यह बात तो रही कि रेवेन्यू रिकार्ड के ग्राधार पर ही कम्पेन्सेशन देने की बात है वह बात तो इस तरह से समाप्त हो जाती है।

माननीय सभापति महोदय, ग्रब जहां तक सवाल है, मैं स्वयं देखूं वहां पर जाकर मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं निश्चित रूप से जाकर उसको देख लूंगा। लेकिन ग्रपरेन्टली जो रेवेन्यू रिकार्ड के ऊपर ग्रा रही है, माननीय सभापति महोदय, कुल 33 मकान इस जमीन के ग्रन्दर हैं 24 कच्चे ग्रौर 9 पक्के मकान बने हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल गलत।

सुश्री पुष्पा जैन : बिलकुल गलत ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जब आप भी किसी आशय और आधार पर किसी बात को कह रहे हैं उस बात को मैं यहां पर काटना भी मुनासिब नहीं समझता । कोई शिकायत मुझे जाना नहीं है, जयपुर के पास में जमीन है । मैं जिलाधीश को ले जाकर के उसको देख लूंगा । अगर वहां बहुत बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है या काफी कीमती जमीन है तो उस पर विचार कर सकते हैं । आर्मी वालों से भी इसके बारे में चर्चा की जा सकती है । इस बारे में सरकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं है । माननीय सभापति महोदय, यही मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहूँगा ।

राजपूताना आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी कॉलेज जयपुर के छात्रों द्वारा आन्दोलन

श्री सभापति : काफी आश्वासन है ।

आयुर्वेद राज्य मन्त्री राजपूताना आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज जयपुर के छात्रों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे ।

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, आयुर्वेद): सभापति महोदय, राजपूताना आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर के छात्रों द्वारा उनकी मांगों के सम्बन्ध में तथ्य यह है कि राज्य में तीन यूनानी तिब्बी कॉलेज चल रहे हैं-(1) राजपूताना आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी कॉलेज (2) राजस्थान तिब्बी कॉलेज, जयपुर एवं (3) जुबेरिया तिब्बी कॉलेज, जोधपुर ।

राजपूताना आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी कॉलेज के छात्र संघ ने राज्य सरकार के सामने निम्नांकित मांगें रखी हैं :-

1. कालेज का एफिलिएशन विश्वविद्यालय से किया जावे ।

2. कालेज को सरकार तुरन्त अपने अधीन ले ।

3. कालेज का निजी भवन, छात्रावास व चिकित्सालय शीघ्र तैयार किया जाय ।

4. सुच्चरित्र प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाय ।

5. अध्यापकों की विषय अनुसार उचित नियुक्ति की जाय ।

6. प्रवेश शुल्क व ट्यूशन फीस यथासंभव कम की जाय ।

7. डोनेशन फीस बंद की जाय । अब तक जो डोनेशन लिया गया है उसकी रसीद दी जाय ।

8. छात्रों का मेन कोर्स के बाद होने वाला हाउस जोब 6 माह के स्थान पर एक वर्ष किया जावे ।

9. यूनानी पद्धति को आयुर्वेद पद्धति के समान ग्रान्ट दी जाय ।

उक्त मांगों के सम्बन्ध में निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर को इस सम्बन्ध में परीक्षण कर टिप्पणी देने हेतु कहा गया है जो अपेक्षित है ।

जहां तक उक्त तीनों कालेजों का विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना, एफिलियेशन का प्रश्न है, अध्यक्ष राजस्थान इण्डियन मेडिसन

(श्री दिनेश डांगी)

बोर्ड, जयपुर भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के रजिस्ट्रार से दिनांक 11-3-83 को मिले हैं तथा उन्होंने राजस्थान में चल रहे इन तीनों यूनानी कालेजों को मान्यता देने हेतु अनुरोध किया है। उन्होंने परिषद् के सचिव को अवगत कराया कि इण्डियन मेडिसन बोर्ड, राजस्थान तथा प्रशासन ने कालेजों की परीक्षाओं को राज्य के विश्वविद्यालय द्वारा कराये जाने का निश्चय किया है तथा यह परीक्षायें अपने इच्छित स्तर को प्राप्त कर सकें और अध्ययन करने वाले छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके, इस हेतु यह आवश्यक है कि भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् द्वारा बी. यू. एम. एस. की डिग्री को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया जावे तथा बोर्ड द्वारा ली गई बी. यू. एम. एस. परीक्षा को परिषद् मान्यता प्रदान करे।

एकेडेमिक कौंसिल राजस्थान विश्वविद्यालय के दिनांक 1 मार्च, 1977 के प्रस्तावानुसार यूनानी पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नियुक्ति समिति की बैठक दिनांक 20 मई, 77 में यह निर्णय लिया गया कि आयुर्वेद संकाय के अनुसार यूनानी सदस्यों के समावेश की अपेक्षा एक स्वतन्त्र यूनानी संकाय का गठन अन्य संकायों की तरह पृथक रखा जावे। यह निश्चय किया गया कि यूनानी पाठ्यक्रम समिति का गठन किया जावे तथा तदनुसार समिति का गठन भी कर दिया गया था। और यह निश्चय किया गया कि पाठ्यक्रम को जुलाई, 77 से आरम्भ किया जावे, किन्तु इसके पश्चात् कालेजों ने विश्वविद्यालय में सम्बद्धता, एफिलियेशन हेतु नियमानुसार प्रार्थना-पत्र न तो विश्वविद्यालय में और न ही राज्य सरकार को भेजे। अब राजपूताना आयुर्वेदिक तिब्बी कालेज ने विश्वविद्यालय को अग्रेषित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 15-3-83 को प्रस्तुत किया है तथा राजस्थान तिब्बी कालेज, जयपुर ने अपना प्रार्थना-पत्र दिनांक 18-3-83 को प्रस्तुत किया है। जुबेरिया तिब्बी कालेज, जोधपुर ने विश्वविद्यालय को दिनांक 20-11-82 को सीधे ही सम्बद्धता हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। अतः राज्य सरकार इनको विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये सिफारिश करने के पूर्व निदेशक आयुर्वेद से शीघ्र टिप्पणी प्राप्त कर अपनी सहमति के साथ विश्वविद्यालय को भेजने के लिये विचार करेगी। राज्य सरकार द्वारा पत्र लिखा गया जिसमें विश्वविद्यालय को यह निवेदन किया गया है कि इन तीनों कालेजों के प्रस्ताव एवं छात्रों की मांगों को दृष्टिगत रखते हुए कालेजों की सम्बद्धता विश्वविद्यालय से स्थापित होनी चाहिये और समस्त परीक्षायें इस वर्ष से विश्वविद्यालय द्वारा नियमित रूप से ली जावें। आशा है, विश्वविद्यालय इस पर विचार कर शीघ्र अग्रिम कार्यवाही करेगा।

राज्य सरकार स्वयं भी इन कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों की इस मांग को देखते हुए कि इनकी परीक्षाएं नियमित रूप से ली जावें तथा कालेजों की सम्बद्धता विश्वविद्यालय द्वारा हो, प्रयत्नशील है। किन्तु इस ओर तीनों कालेजों के अधिकारियों ने स्वयं कोई रुचि नहीं दिखाई तथा अब नियमानुसार प्रार्थना-पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किए हैं, जिस पर कार्यवाही जारी है।

(90)

(श्री दिनेश डांगी)

जहां तक राजपूताना तिब्बी कालेज को राज्य सरकार के अधीन लेने का प्रश्न है, यह वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

जहां तक कालेजों द्वारा अनियमित रूप से कोई डोनेशन प्राप्त किया जा रहा है या अन्य कोई अनियमितताएं कालेजों में हैं, इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है तथापि अब छात्रों की शिकायत पर इसकी जांच करवाई जा रही है।

जहां तक छात्रों की इंटर्नशिप की अवधि को 6 माह से बढ़ाकर एक वर्ष करने का प्रश्न है, इस संबंध में निर्णय भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एवं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार ही किया जा सकता है।

इन कालेजों को अनुदान देने का जहां तक प्रश्न है, समय समय पर अनुदान दिया गया है और अनुदान नियमों के अन्तर्गत जो राशि देय है वही दी जा सकती है। इस संबंध में मुझसे उक्त कालेजों के छात्र मिल भी चुके हैं तथा मैंने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार द्वारा जो भी संभव होगा, छात्रों की अन्य मांगों के संबंध में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री सभापति : माननीय श्री दाऊदयाल जोशी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मेरा इसमें स्थगन प्रस्ताव है।

श्री सभापति : हां, बाद में लिया जाएगा।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : पहले आप बोल लें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जिन मांगों के लिए आपने कहा है उनको दोहराने की प्रक्रिया में मैं नहीं जाना चाहती। मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह तकनीकी ज्ञान की संस्था है, क्या आपको यह ज्ञान था कि इन तीनों संस्थाओं जो तिब्बी कालेज है दो जयपुर के और एक जोधपुर का, में असंतोष चल रहा है? 32 दिन हो गये, छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों से 5-5 हजार रुपये डोनेशन लिया गया? किसी से 5 हजार, किसी से 4 हजार, किसी से 3 हजार, किसी से दो हजार रुपये मनमाने ढंग से डोनेशन के लिये गये। मेरे पास रसीद है, मूल रसीद मैं दिखा दूंगी। जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् है यदि उससे इसका एफीलिएशन नहीं है तो छात्र परीक्षा तो दे देंगे लेकिन उनको प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होंगे। बोर्ड को केवल परीक्षा लेने के लिए आपने सक्षम किया है। आज तक बोर्ड प्रमाण-पत्र देने के लिए सक्षम नहीं है। छात्रों से झूठ कहा गया, जिस समय उनको प्रवेश दिया गया, मेरे पास पत्र है, कि हमारा एफीलिएशन भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से है। यह इन तीनों संस्थाओं ने कहा। तिब्बी कॉलेज ने कहा कि हमारा एफीलिएशन है। मैं कहना चाहती हूं, एफीलिएशन नहीं है। इस बारे में जिन्होंने छात्रों को धोखा दिया, 5-5 हजार डोनेशन लेकर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया उनके खिलाफ आप क्या करने वाले हैं, यह तो आप बतायेंगे लेकिन जिन्होंने अपना जीवन बरबाद किया और जो फाइनल परीक्षा दे रहे हैं कम से कम आप उनको प्रमाण-पत्र

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

दिलवाने की व्यवस्था करें। आपकी पूरी व्यवस्था केवल एक ही चक्कर पर टिकी हुई है, जो अजमेर में डाइरेक्टर, आयुर्वेद बैठते हैं उनकी टिप्पणी मिल जाए तब करेंगे। मंत्री महोदय, आप सक्षम हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपने सारा इतना लम्बा भाषण दिया और सारे को टिका दिया एक टिप्पणी पर कि जब टिप्पणी मिलेगी डाइरेक्टर को तब हम इनकी राजस्थान विश्वविद्यालय से परीक्षा लिवायेंगे और तभी इनकी आठों मांग पूरी करवायेंगे।

मेरी तो एक ही मांग है, आठों मांग पूरी करवायें या नहीं करवायें किन्तु आप इसका एफीलिएशन भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से करा दें जिससे छात्रों की डिग्री प्रमाणित हो जाए। मैं निवेदन करूंगी, पूरे भारतवर्ष में एक तरह का पाठ्यक्रम हो, और एक ही तरह का प्रमाण-पत्र मिले। जिस ढंग से यह भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् कार्य कर रही है, राजस्थान में उस ढंग का कार्य आपके विभाग द्वारा नहीं कराया गया। छात्र परिषद् ने जब यह देखा, धीरे धीरे चर्चा चली कि एफीलिएशन नहीं हो रहा है तो छात्र परिषद् ने पत्र डाला। ये लोग तो कहते रहे कि एफीलिएशन है। यह इनका छपा हुआ पत्र मेरे पास है इसमें इन्होंने लिखा है, प्रवेश देते समय लिखा है कि हमारा एफीलिएशन भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से है। जब छात्र परिषद् ने यह देखा कि परीक्षा लिवाने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई गतिविधि नहीं हो रही है तो वे इसकी जानकारी के लिये गए। उन्होंने सीधा भारतीय चिकित्सा परिषद् को पत्र लिखा तो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने छात्रों को यह लिखा कि एफीलिएशन हमारे द्वारा नहीं किया गया है। पत्र इस प्रकार है।

"अध्यक्ष, छात्र परिषद्,

राजपूताना आयुर्वेद और यूनानी तिब्बिया कालेज, जयपुर, राजस्थान।

बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन्स राजस्थान द्वारा प्रदत्त अर्हताओं की मान्यता।

उपरोक्त विषय में आपके दिनांक 12-1-83 के पत्र के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रदत्त कोई भी अर्हता भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को मान्य नहीं है।"

जो छात्र यहां पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनकी स्थिति यह है, लोगों को 4-4 साल, 5-5 साल पढ़ा लिया उसके बाद कह रहे हैं कि आपको हम डिग्री नहीं देंगे। तो जो लोग परीक्षा दे रहे हैं, जो अपने मां-बाप की गाढ़ी कमाई का पैसा लगा रहे हैं, अपने यौवन काल के दिन परीक्षा देने में लगा रहे हैं उनका भविष्य अंधकार में क्यों करने जा रहे हैं? केवल एक टिप्पणी के लिए? आपके हाथ लम्बे हैं, मंत्री महोदय, आप डाइरेक्टर साहब को यहां बुलाइए। आपने आज तक उनको क्यों नहीं बुलाया? मेरे स्थगन प्रस्ताव को आये 22-24 दिन हो गए, आन्दोलन 32 दिन से चल रहा है उसके बाद आपने आज तक उस पर जानकारी प्राप्त नहीं की। डाइरेक्टर महोदय आयुर्वेद की डिमांड के दिन आये थे तब आपने उनसे क्यों नहीं पूछा? क्या कर रहे

98

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हैं ? आप उनको मान्यता देंगे या नहीं ? ये आठों डिमांड बाद की चीज है। जब आदमी का जीवन रहेगा तब ही उसको भूख-प्यास लगेगी। जब आपकी परीक्षा की मान्यता नहीं तो फिर इस कालेज की आवश्यकता क्या है ?

आप कहते हैं कि आपको शिकायतें नहीं मिलीं। जो रजिस्ट्रार हैं तीनों कॉलेज के, उनको शिकायतें मिलीं हैं कि वह डोनेशन ले रहे हैं, जाली ढंग से छात्रों को बहका भी रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने मान्यता दे दी। मान्यता नहीं दी है, यह आपके नोटिस में है। मन्त्री महोदय, छात्र निरंतर आपके सम्पर्क में रहे हैं किन्तु अब तक आपने यह काम नहीं किया। कब तक इस काम को निपटा देंगे ? टिप्पणी पर छोड़ेंगे तो ठीक नहीं होगा, यह यूनानी पद्धति, देशी पद्धति के साथ अन्याय होगा। आपको राजस्थान तो क्या भारतवर्ष भी माफ नहीं करेगा। आप आश्वासन दें अपने उत्तर में कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् से एफीलियेशन एक दो दिन में करायेंगे परीक्षा नजदीक आ गई उनका भविष्य अधरझूल में है।

एक तो इसका उत्तर दें। दूसरा प्रश्न यह है कि जिन्होंने जाली गलत ढंग से यह कहकर डोनेशन लिया कि एफीलिएशन है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? साथ ही यह बतायें कि 8 मांगें, जिनसे यह चिकित्सा पद्धति सफल हो सकती है, कब तक पूरी कर देंगे ? आपने कहा, मानदंड निर्धारित हैं, इतना पैसा मिलना चाहिए। आप एलोपैथी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी दवाइयां भी बाजार की लिखते हैं और फीस लेते हैं बड़ी-बड़ी, जाली इन्जेक्शन लगाकर पैसा ज्यादा लेते हैं। उस चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दे रहे हैं। उसको भी दो। हम नहीं कहते कि नहीं दो। वह भी वर्तमान में विज्ञान के हिसाब से, शल्य चिकित्सा के हिसाब से जरूरी है लेकिन देशी पद्धति के लिए सामान्य सा पैसा लेकर आते हैं ? आप अपने में सक्षमता पैदा करें। आपने भारतीय संस्कृति की दुहाई दी है। भारतीय संस्कृति के आधार पर भारतीय चिकित्सा की पद्धति को बढ़ावा देने के लिए, यूनानी और आयुर्वेदिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिये आप कितना बजट देने वाले हैं, इस बारे में आप उत्तर दें ? यह व्यवस्था कब तक कर देंगे, इसका भी उत्तर दें ?

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (डीगोद) : मेरे 4-5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है कि तीनों यूनानी कॉलेजों में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और कब से अध्ययनरत हैं। दूसरा, उनको क्या-क्या डिग्रियां दी जाती हैं ? तीसरा, वह डिग्रियां क्या राजस्थान सहित सारे भारतवर्ष में मान्यता प्राप्त हैं ? चौथा, इनकी परीक्षाओं की व्यवस्था कौन करता है और उसमें कौन-कौन यूनानी चिकित्सक सम्मिलित हैं ? पांचवां, यह परीक्षा जो ली जाती है उसको क्या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने मान्यता दी है ? क्या स्नातक स्तर की परीक्षायें कोई प्राइवेट संस्था लेने में समर्थ है ?

क्या 1977 में जनता शासन में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा यूनानी सकाय

(श्री दाऊदयाल जोशी)

का गठन किया गया था और 10 छात्रों को प्रवेश देने की बात कही गई थी ? क्या 1977 में जनता शासन में ही वैद्य वासुदेव शास्त्री के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था जिसमें भारत सरकार के यूनानी के परामर्शदाता और अलीगढ़ तिब्बिया कॉलेज के प्रिन्सिपल को नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो उन्होंने समय समय पर क्या रिपोर्ट दी ?

क्या यह सही है कि यूनानी कालेज की परीक्षाओं की व्यवस्था करने हेतु एक समिति को अधिकार दिया गया था ?

अन्तिम प्रश्न यह है, क्या राज्य सरकार इनको जो ग्रांट दे रही है, वर्तमान में, वह पर्याप्त है ?

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री दिनेश डांगी : सभापति महोदय, जयपुर हवामहल से आने वाली माननीय सदस्या या शायद ग्रामीण....

श्रीमती उजला अरोड़ा : वहां से भंवरलालजी आते हैं, आप संशोधन कर लें।

श्री दिनेश डांगी : आपने कहा है कि तीनों कालेज के जो छात्र अन्तिम वर्ष में पढ़ रहे हैं उनके सर्टिफिकेट का कैसे इन्तजाम किया जायेगा ? मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि अभी तक इन तीनों कालेज के जो व्यवस्थापक हैं उन्होंने कभी भी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय से इस बात की मांग नहीं की कि...

श्री दाऊदयाल जोशी : वह नहीं करेंगे। सरकार को मालूम नहीं था ? कमाल कर रहे हो दुकान लगाकर बैठ जायेगा, लूट लोगे...

श्री दिनेश डांगी : मेरे पास चार मांग-पत्र आये हैं। उन्होंने अपना धरना विधान सभा के सामने दिया, इससे पता चला कि उनकी क्या मांग है। इतने वर्ष तक छात्र भी सोये हुए थे। उनको पता नहीं था कि उनकी क्या मांग है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपके विभाग को जानकारी नहीं थी कि आपका विभाग कहां-कहां कार्य करता है ?

श्री दिनेश डांगी : मैं चार माह से इस विभाग को सम्भाल रहा हूं। मेरे पास मांग-पत्र आया है, मुझे पूरी सहानुभूति है, मेरी पूरी कोशिश है। राजस्थान सरकार की ओर से इण्डियन मेडिसन बोर्ड के चेयरमैन को दिल्ली भेजा है और वहां की कौंसिल के सामने प्रश्न रखवाया है कि इनको मान्यता दी जाये। मुझे अभी छात्रों के मांग-पत्र मिले हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : इण्डियन मेडिसन बोर्ड के चेयरमैन क्या यूनानी पद्धति के ज्ञाता हैं ?

श्री दिनेश डांगी : इण्डियन मेडिसन बोर्ड इन दोनों का है...

श्री दाऊदयाल जोशी : वह तो मुझे मालूम है।

श्री दिनेश डांगी : मालूम है तो फिर प्रश्न क्यों पूछते हो। जो छात्र अन्तिम वर्ष में आये हैं उनकी नींद अब खुली है कि हमारा सर्टिफिकेट हमको नहीं मिलेगा।

(श्री दिनेश डांगी)
वह दिल्ली गये हैं वहां मिलकर आये हैं। उन्होंने धरना दिया यहां आकर, इस तरीके से समस्या हल नहीं हो सकती। मैं अपनी ओर से यह कह सकता हूं कि मैंने बोर्ड को आदेश भेजा है, इस संबंध में, बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें भी कहा है कि आप यहां से प्रस्ताव पास कर लिखित में भेजो। उन्होंने प्रस्ताव भी भेजा है। मैं कोशिश करूंगा, उन कालेज के व्यवस्थापकों ने आज तक कुछ नहीं कहा, कोई मांग नहीं की फिर भी, यूनिवर्सिटी को मैंने लिखा है। अब यूनिवर्सिटी को इसमें समय लग सकता है। इण्डियन मेडिसन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा बी. यू. एम. एस. की डिग्री को मान्यता मिल जाये, इसकी मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि उसके अधीन परीक्षायें ली जा सकें।

जहां तक यूनिवर्सिटी के अन्दर पहले इसके लिये जो कार्यवाही हुई है, उसके बारे में जैसा मैंने निवेदन किया, वहां की जो कार्यसमिति है उस कार्यसमिति ने वाइस चान्सलर के आदेशानुसार जो अपनी मीटिंग की थी उसमें यह तय किया था कि राज्य सरकार इन कॉलेज में से एक कॉलेज को अपने हाथ में ले और इसकी फैकल्टीज का सिस्टम अपने हाथ में ले। यह हमारे लिए कठिन है। धनराशि के बिना किसी भी कालेज को हाथ में लेना सम्भव नहीं है। हमने यह कोशिश की है कि यूनिवर्सिटी अपना यूनानी संकाय स्थापित करे। दिल्ली से हमें मान्यता मिल जायेगी ताकि जो लड़के फाइनल में यहां आये हैं, राजस्थान में या बाहर से आये हैं वह वहां अपना काम धन्धा कर सकें, सरकारी नौकरी में जा सकें।

जहां तक आपने डोनेशन के बारे में कहा है, यह बात सही है लेकिन यह बात सभी कॉलेज में नहीं होती है। राजस्थान कॉलेज, जोधपुर में, जैसी आपने शिकायत की, छात्रों को रसीद देते हैं, उन्होंने बैंक में अपना एकाउन्ट खोल रखा है। लेकिन राजपूताना कॉलेज में कोई डोनेशन की रसीद नहीं देते, नाही कोई रजिस्टर मेन्टेन किया गया है, ना छात्रों को सुविधा उपलब्ध है।

श्री सभापति : एफीलिएशन हो गया ?

श्री दिनेश डांगी : परीक्षाओं की व्यवस्था का प्रश्न दाऊदयाल जी ने पूछा है, यह व्यवस्था इण्डियन मेडिसन बोर्ड करता है। मान्यता नहीं मिलने की वजह से छात्रों में असन्तोष है, इसके लिए मैं उत्तर दे चुका हूं कि सेन्टर से इसकी मान्यता प्राप्त कराने जा रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं के बारे में बताइये ?

श्री दिनेश डांगी : उसके बारे में एक कण्डीशन लगा रखी है, हम एक कॉलेज को अपने हाथ में लें और सारा सिस्टम चलायें। राजस्थान सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। मेरे हाथ में पैसा नहीं है कि वह कॉलेज हाथ में लिया जा सके। आपने कहा कि राज्य सरकार ने अनुदान के बारे में क्या व्यवस्था की है ? अभी इनको जो अनुदान दे रहे हैं वह दो वर्ष से दिया जा रहा है 1980-81 और 1981-82। राजस्थान यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर और जुबेरिया तिब्बी कॉलेज, जोधपुर पिछले दो साल से चल रहे हैं। इनको जो अनुदान मिलता है··

श्री दाऊदयाल जोशी : तीन हजार रुपया साल देते हैं यह कोई बात है, थोड़ी लज्जा महसूस होती है आपको ? आपको मालूम नहीं था, आज मालूम पड़ा ।

श्री दिनेश डांगी : मैं कह रहा हूं, कम है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप तो कह रहे हो कि मुझे मालूम नहीं ।

श्री दिनेश डांगी : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि मुझे इस विभाग को लिए चार महीने हुए हैं । अनुदान देने का पहला मौका है मेरा, हम इसको बढ़ा रहे हैं । इसको दुगुना-तिगुना और जितनी गुंजाइश होगी उतना करेंगे । जिस कॉलेज ने अनियमितता की है और कॉलेज के छात्रों को परेशान किया है उसका अनुदान में काट भी सकता हूं और करूंगा । इसलिये मेरी ओर से इस बारे में यह आश्वासन है कि सन् 1982-83 में अनुदान समिति में इस मामले पर विचार करके इसको बढ़ाना है, पूरी कोशिश करनी है ।

आपने कहा है कि इन कॉलेजों में कितने-कितने लड़के हैं ? वैसे मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान कॉलेज में 1980-81 में 204 लड़के थे । राजपूताना कॉलेज, जो पहले से चल रहा है, उसमें 174 लड़के हैं । और जोधपुर तिब्बी कालेज में लड़कों की संख्या 170 से 174 के आसपास है । जो अन्तिम वर्ष में इनके सर्टिफिकेट · ·

(व्यवधान)

श्री सभापति : पहले शान्ति से सुनें ।

श्री दिनेश डांगी : यूनिवर्सिटी से मिले, मैं इसकी व्यवस्था करूंगा । इन व्यवस्थापकों और छात्रों ने पिछले वर्षों में कुछ नहीं किया वरना कभी का यह मसला हल हो सकता था । फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जो उनकी मांग है उनके लिये बोर्ड को हिदायत दूंगा ताकि काम चालू रहे और छात्रों में असंतोष न रहे ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरे एक प्रश्न का भी जवाब नहीं आया । मैंने जो प्रश्न पूछे उनका जवाब दिया ही नहीं ।

श्री सभापति : पहले माननीय तावड़ साहब, जिनका स्थगन प्रस्ताव था, अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो करें । क्या आप संतुष्ट हैं ?

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदय, यह कॉलेज जो लम्बे समय से चल रहा है, जैसा आपने बताया · ·

श्री सभापति : संक्षेप में प्रश्न करें ।

श्री मेघराज तावड़ : मैं प्रश्न ही कर रहा हूं । माननीय सभापति महोदय, तीन हजार रुपया लिया जा रहा है यह तो जायज है लेकिन उसके बाद भी पैसा लिया जाता है इस प्रकार के कॉलेज हैं । दूसरी बात, इण्डियन मेडिसन बोर्ड से यह मान्यता प्राप्त नहीं । इतने लम्बे समय से यह कॉलेज चल रहा है, राज्य सरकार के ध्यान में यह क्यों नहीं आया ? अब आप कह रहे हैं कि विचार करके, जांच करवाकर सारा फैसला किया जायेगा ।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी के बाद में ध्यान में लायें।

श्री मेघराज तावड़ : अब हस्तक्षेप करके क्या खुद जांच करवायेंगे ? जो 400-500 लड़के हैं उनका इण्डियन मेडिसिन बोर्ड मे एफीलियेशन हो जाये, उनको डिग्री मिल सके, कितने समय में इसका प्रयास करेंगे ?

श्री सभापति : माननीय दाऊदयाल जी, केवल एक प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरे दो प्रश्न अभी बाकी हैं।

श्री दिनेश डांगी : श्री रप्रश्न बाकी है ? आपके तो हो चुके।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, मुझे आज पता लगा कि 470 विद्यार्थी इन कॉलेजों में तीन साल से पढ़ रहे हैं। सन् 1977 में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपने अधीन परीक्षायें लेने का दायित्व लिया था। उसने लिखा था कि हम इन परीक्षाओं को लेने की व्यवस्था कर रहे हैं। आपने जवाब दिया क्या ? क्या एक समिति वैद्य वासुदेव शास्त्री के नेतृत्व में 2 मई, 1977 को इस यूनानी की चिकित्सा पद्धति की परीक्षा लेने के लिए बनाई थी ? बनाई थी तो उसने क्या रिपोर्ट दी ?

अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप जो बात कर रहे हैं उनकी तो डिमाण्ड ही चार रह गई हैं। पहली मांग है कि तीनों यूनानी विद्यालयों की स्नातक स्तर की परीक्षायें विश्वविद्यालय द्वारा कराई जायें। इसका जवाब आप दें। दूसरा, राज्य के तीनों यूनानी विद्यालयों को सरकार अपने अधीन ले···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप सारी बातें री-ओपन कर रहे हैं।

श्री दिनेश डांगी : आप रिपीट कर रहे हैं। कह दिया ना, मैं किसी कॉलेज को राज्य सरकार के अधीन नहीं लेने जा रहा हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप तो बता दीजिए कि इन कॉलेजेज को हाथ में ले रहे हैं या नहीं ? मान्यता का क्या होगा ? इनका भविष्य क्या होगा··

श्री सभापति : एक ही बात को बार-बार कह रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री दिनेश डांगी : बैठिये, बैठिये। मैंने आपको मेम्बर ले लिया परामर्शदात्री समिति में। स्टेट लेवल पर आप राय वहां भी दें।

(व्यवधान)

श्री सभापति । माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज। अंकित न हो···

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे दो प्रश्नों का जवाब दे दें। 11-3-1983 को इण्डियन मेडिसिन बोर्ड के अध्यक्ष या जो भी दिल्ली गए हैं वह क्या उत्तर लाए हैं ?

××× माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
क्या उन्होंने सम्बद्धता वहां से हासिल कर ली ?

दूसरा आप राजस्थान विश्वविद्यालय या जोधपुर विश्वविद्यालय, कहां से परीक्षा दिलायेंगे ? क्या वहां के कुलपति या उप-कुलपति से कोई चर्चा की है आपने ? आप स्पष्ट उत्तर दे दीजिए । छात्रों के भविष्य का सवाल है । इन दोनों बातों का उत्तर दीजिए मुझे ।

श्री दिनेश डांगी : माननीय सभापति महोदय, मैंने आपकी मार्फत पूरा जवाब दिया है, डिटेल में दिया है । तीनों माननीय सदस्य ने जो प्रश्न रेज किये हैं उनका उत्तर दिया है । छात्र संघ ने जो मांगें 9 तारीख को रखी हैं, एक-एक पॉइन्ट के बारे में कहा है । फिर भी, मैं आपको बताता हूं कि जहां तक परीक्षाओं की सम्बद्धता का प्रश्न है, इण्डियन मेडिसन बोर्ड के चेयरमैन; जो बहुत बुजुर्ग आदमी हैं और यूनानी पद्धति और आयुर्वेदिक पद्धति, दोनों पद्धति के जानकार है, ने 11 तारीख को दिल्ली जाकर कौन्सिल से बात की है । कौंसिल को कहा है कि इनको दिया जाये । उसके बाद वह आश्वासन लेकर आए । 15 मार्च को जो बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें बोर्ड के मेम्बर्स ने बैठकर तय किया है कि इस मामले को कौंसिल को भेज दिया जाये ।

जहां तक यूनिवर्सिटी का प्रश्न है, यूनिवर्सिटी को बोर्ड नहीं लिखता । यूनिवर्सिटी को इन तीनों कॉलेजेज के व्यवस्थापक सीधे लिखें और कापी राज्य सरकार को दें तो राज्य सरकार की ओर से इसके लिए सिफारिश की जा सकती है । इन्होंने अभी प्रस्ताव दिया है, राजपूताना आयुर्वेद तिब्बी कॉलेज जयपुर ने 15-3-83 को दिया है और जोधपुर के जुबेरिया तिब्बी कॉलेज ने 20-11-82 को सीधा यूनिवर्सिटी को लिखा है । राज्य सरकार की ओर से भी यूनिवर्सिटी को लेटर मैंने भिजवाया है जिसको मैंने अभी आपको बताया है.....

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या पत्र है, जरा सुना दें ।

श्री दिनेश डांगी : उपकुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा पत्र लिखा गया है जिसमें विश्वविद्यालय को निवेदन किया गया है कि इन तीनों कॉलेजों की ओर से जो प्रस्ताव अभी भेजा गया है, छात्रों की मांगों को दृष्टिगत रखते हुए कॉलेज की सम्बद्धता विश्वविद्यालय से स्थापित होनी चाहिए और समस्त परीक्षायें इस वर्ष से विश्वविद्यालय द्वारा नियमित रूप से ली जायें । आशा है कि विश्वविद्यालय इस ओर विचार करके शीघ्र कार्य करेगा । यह हमने लिख दिया ।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या आप उनको बन्द करेंगे या ताला लगायेंगे ?

श्री दिनेश डांगी : मैंने पहले ही कहा है कि मैं किसी कॉलेज को राज्य सरकार के अधीन नहीं लेना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

जहां तक गोगुन्दा के माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि 3 हजार रुपया ग्रान्ट इन ऐड मिलती है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज !

श्री दिनेश डांगी : ...जहां तक अनुदान का प्रश्न है, सभापति महोदय, मैंने पहले ही निवेदन सदन के सदस्यों को किया है कि मैं ग्रान्ट इन ऐड को बढ़ाने जा रहा हूं क्योंकि वास्तव में 3 हजार रुपया देना तो नहीं के बराबर है।

श्री सभापति : बहुत अच्छा विचार है।

श्री दिनेश डांगी : ... मैं इसको दुगना या तिगुना करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपके आने से पहले आश्वासन दे चुका हूं। अब आप आ गये हैं और आपका स्थगन प्रस्ताव था इसलिए मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इसको और बढ़ाने की व्यवस्था करने के लिए जो समिति अनुदान की बनी हुई है मैंने उसको कह दिया है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यता कब तक दिला देंगे ? 11 तारीख की आज 23 तारीख हो गयी ....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या। अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ××××

श्री सभापति : काफी सन्तोषजनक जवाब आ गया है। ऑर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त हो गयी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। बहुत सन्तोषजनक जवाब आ चुका है।

विधायी कार्य विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1983

ऑर्डर प्लीज। विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक। राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1983।

श्री बृजसुन्दर शर्मा, प्रभारी मन्त्री जी राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मन्त्री): माननीय सभापति महोदय, प्रभारी मन्त्री, जो वित्त मन्त्री जी हैं, ने आपको सूचित किया है कि वह अस्वस्थ हैं इसलिए आपकी अनुमति मैंने चाही है कि मैं इसको प्रस्तुत करूं।

श्री सभापति : अनुमति दी जाती है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : माननीय सभापति महोदय, भारतीय संविधान की धारा 46 में जो नीति निर्देशक सिद्धान्त हैं उसके अन्तर्गत राज्यों के कमजोर वर्गों के उत्थान के बारे में विशेष दायित्व देश के राज्यों को सौंपा गया है। राजस्थान सरकार कमजोर तबकों के लोगों के बारे में, उनकी आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति के

××× माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

105

(श्री नन्दलाल मीणा)

बारे में, उनकी सामाजिक उन्नति के बारे में क्या चार पाई है और क्या कर रही है, इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, समय-समय पर इस सदन में राजस्थान के आदिवासियों के बारे में, राजस्थान के पिछड़े हुए वर्ग के बारे में चर्चा होती रही है। मैं उस क्षेत्र के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत 23 पंचायत समितियां आती हैं, 1951 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जिसमें समाविष्ट है, जिसकी आबादी 10.65 लाख 1971 की जनगणना के अनुसार है और जिस क्षेत्र की आबादी का 65 प्रतिशत भाग जनजाति क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, यह जातियां इसमें सम्मिलित होती हैं। सभापति महोदय, जैसा आज ही जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के मन्त्री ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि आदिवासियों को, उपयोजना क्षेत्र के अन्दर निवास करने वाले आदिवासियों को साहूकारों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए राजस्थान सरकार ने सामाजिक ऋण के बतौर वर्ष 80 से अब तक कितना प्रावधान किया और उस प्रावधान के अनुरूप कितना ऋण दिया गया। जो मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया उससे ऐसा लगता है कि राजस्थान की सरकार ने न लक्ष्य रखे है और ना ही आदिवासियों को किसी प्रकार का ऋण उपलब्ध कराया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि कमजोर वर्ग को कर्ज देने के लिये जो पैसा दिया गया है उस से भी उन आदिवासियों को वंचित कर दिया गया है।

सभापति महोदय, एक उदाहरण के जरिये, आदिवासियों की ऋण स्थिति किस प्रकार की है, किस प्रकार ऋण से ग्रसित है, इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, आदिवासी इलाकों में आदिवासियों के ऋण की सुविधा क्या है बैंक संरक्षण के आधार पर? हमारे इतने संरक्षण कार्य थे उनके पीछे उद्देश्य यही था कि विभिन्न व्यक्तियों, चाहे बैंक हो, चाहे सहकारिता हो, चाहे सरकार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे भू-स्वामी हो, के जो आदिवासी ऋणी हैं उनका एक स्पष्ट मानचित्र सामने आये और उनकी ऋण-ग्रसिता का किस तरह से निवारण किया जाये, इस बात के लिये जनता शासन के दौरान एक विस्तृत योजना बनाई गई। मुझे इस बात का फख है कि राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मन्त्री, भैरोंसिंह शेखावत ने आदिवासियों को ऋण की ग्रसिता से मुक्ति दिलाने के लिये एक योजना बनाई थी।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, प्रतापगढ़ क्षेत्र, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, के बारे में मेरे पास जो आंकड़े राजस्थान सरकार से उपलब्ध हुए थे उनको आधार मानकर जो मैंने आंका है उसके आधार पर यह कह सकता हूं कि प्रतापगढ़ तहसील, जो ट्राइबल सब-प्लान एरिया के अन्तर्गत आती है, में शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कुल 15,435 परिवार हैं जिनमें से 533 परिवार बैंक के ऋणी हैं, 2951 परिवार सहकारी समितियों के ऋणी हैं, 996 परिवार सरकार के ऋणी हैं, साहूकारों के 5001 परिवार ऋणी हैं, व्यापारियों के 696 परिवार ऋणी हैं,

(श्री नन्दलाल मीणा)

भू-स्वामियों के 510 परिवार ऋणी हैं और अन्य व्यक्तियों के 251 परिवार ऋणी हैं। सभापति महोदय, इस प्रकार प्रतिशत निकाला जाये तो जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया, 65.81 प्रतिशत लोग विभिन्न व्यक्तियों के कर्जदार हैं। इसी प्रकार की स्थिति सम्पूर्ण जिला डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले की 7 तहसीलों में है। इसके अलावा, सभापति महोदय, राजस्थान में अन्य जिलों में जो जनजाति के लोग रहते हैं, हम लोगों ने सन् 1978-79 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 10 हजार की आबादी वाले जनजाति क्षेत्रों को के लिये माडा योजना के अन्तर्गत उन लोगों की आर्थिक उन्नति की दृष्टि से एक योजना बनाई। सभापति महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार सन् 80 के पश्चात् उन आदिवासियों, जो ऋण से ग्रसित हैं और जिनका आर्थिक दृष्टि से शोषण हो रहा है, को इस ऋण ग्रसिता से मुक्ति दिलाना नहीं चाहती। सभापति महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रतापगढ़ तहसील में राजस्थान सरकार ने लगभग 203 साहूकारों को कर्जा देने के लाइसेंस दिये। सभापति महोदय, मन्त्री महोदय मुझे जवाब देंगे जैसा मैंने स्पष्ट निवेदन किया था, जनजाति विकास निगम के माध्यम से सन् 80-81 में सामाजिक ऋण 750 रुपये प्रति परिवार प्रति कलेन्डर वर्ष के हिसाब से देना प्रारम्भ किया गया था। उसकी पत्नी बीमार हो, चाहे उसके बच्चे स्कूल न जा सकें, उनके एडमीशन के लिये पैसे जमा कराने हों उसके लिये किसी बैंक या निगम से वह 750 रुपया प्राप्त कर सकता था। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने न मालूम क्या सोचा, उस राशि को सीमित कर दिया और 250 रुपये तक आ गये। आज जो मुझे मन्त्री महोदय से उत्तर मिला तो, सभापति महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ किस प्रकार, मन्त्री महोदय, उनको वंचित किया जा रहा है। ना ही ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे इन लोगों को कर्ज से मुक्ति मिल सके। सभापति महोदय, उनके लिये कानून बना हुआ है, उस कानून के तहत संरक्षण देकर सरकार उन लोगों के सामने खड़ी होना नहीं चाहती।

सभापति महोदय, दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या यह है आर्थिक दृष्टि से आदिवासियों को उन्नत करने के लिये और कोई साधन हम मुहैया करायें। इस बात की चर्चा इस सदन में होती रहती है। परन्तु राजस्थान सरकार का वन विभाग जिस प्रकार आदिवासी इलाकों में आदिवासियों का शोषण कर रहा है, जिस प्रकार खातेदारों की भूमि छीन कर वृक्षारोपण कर रहा है, कल तो मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ जब वन मन्त्री का समाचार पत्रों में एक स्टेटमेंट पढ़ा, वन मन्त्री जी ने आह्वान किया है प्रदेश की जनता का कि वन भूमि विस्तार के लिये सरकार से सहयोग करें। सभापति महोदय, सन् 80 में पार्लियामेंट में इस बात का कानून पास हुआ था कि वन-संरक्षण के लिये, वायु प्रदूषण रोकने के लिये और भी वनों को एकत्र किया जाना चाहिये, और भी जमीन को ले लेना चाहिये। मुझे इस बात में बड़ी आशंका लगती है।

(श्री नन्दलाल मीणा)

राजस्थान सरकार ने इस आदिवासी इलाके में किस प्रकार जुल्म ढाये, सभापति महोदय, इस बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, 18-3-83 को विधान सभा में मेरा एक प्रश्न था कि प्रतापगढ़ तहसील में कितने खातेदारों की भूमि अवाप्त कर ली? सभापति महोदय, उनको मुआवजा नहीं दिया, ना उनको दूसरी जगह जमीन दी। मैंने प्रतापगढ़ तहसील की सिर्फ एक रेंज का जिक्र किया है। वहां 54 लोगों की जमीन पर कब्जा कर लिया। सभापति महोदय, इसी प्रकार दूसरे वन खण्डों में भी किया गया। खास तौर से मैं प्रतापगढ़ तहसील की बात निवेदन करूंगा। इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि बासवाड़ा जिले के लोगों को भी इससे प्रभावित होना पड़ा, डूंगरपुर के कितने ही लोगों को प्रभावित होना पड़ा और उदयपुर के कितने ही लोगों को प्रभावित होना पड़ा, साथ ही साथ चित्तौड़गढ़ जिले के लोगों को प्रभावित होना पड़ा। सभापति महोदय, यह कहने के पीछे भावना यह है कि इस इलाके में वन विभाग के कर्मचारी लोगों की भूमि पर जबरन कब्जा करके उन को बेदखल कर रहे हैं। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया उनके अतिरिक्त और भी लोग हैं जो सन् 70 से पूर्व किसी वन भूमि पर काबिज थे परन्तु राज्य सरकार ने, जो सन् 71 से पहले काबिज थे, इस मापदण्ड के आधार पर जिनकी भूमि का नियमन किया जाना चाहिये था, उन आदिवासियों की जमीन का नियमन नहीं किया।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने भूमि हस्तांतरण के बारे में और निवेदन करूंगा। डूंगरपुर जिले में ऐसे लगभग 8 मामले आदिवासी काश्तकारों की जमीन के हैं जो उनके खाते की जमीन थी। आपने शायद टिनेंसी एक्ट पढ़ा होगा जिसकी धारा 42 और 43 यह स्पष्ट दर्शाती है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के अलावा किसी भी जाति वालों को हस्तांतरित नहीं हो सकती और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के खाते की जमीन शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा किसी को हस्तांतरित नहीं हो सकती। सभापति महोदय, बड़े आश्चर्य के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि मैंने राजस्थान के राजस्व मन्त्री को पत्र लिखा और विधान सभा में स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिये ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया परन्तु निराश होना पड़ा। सभापति महोदय, आज उन लोगों के यहां 15-16 पर्सेंट प्रतिनिधि बैठे हैं उनमें से किसी की जुबान नहीं खुली। राजस्थान सरकार इस बात के लिये मौन है...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

कानून बना हुआ है उसके बावजूद किस प्रकार आदिवासी व्यक्तियों की भूमि गैर आदिवासियों को हस्तांतरित हो गई, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ, खासतौर से प्रतापगढ़ मे लगभग 72 शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की, 22 शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की भूमि हस्तांतरित हुई। इसी प्रकार प्रतापगढ़ पंचायत समिति में 149 शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की और 58 शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की, कुल 207 काश्तकारों की जमीन हस्तांतरित हुई।

(श्री नन्दलाल मीणा)

बांसवाड़ा जिले में 70 आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी लोगों को हस्तांतरित हुई। उदयपुर में 89 लोगों की हुई। सभापति महोदय, इसी प्रकार डूंगरपुर में 8 आदमियों की हुई जिनका केस न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे लोग भी हैं, सभापति महोदय, जो न्यायालय के दरवाजे नहीं खड़खड़ा सकते और आज दिन तक छाती पर पत्थर रख कर बैठे हैं। वे किस के सामने जाकर पुकार करें? आज यह स्थिति, सभापति महोदय, वहां की है। इसलिये मेरा आपसे यह निवेदन है कि सरकार ने जो कानून बनाया, कानून के जरिये जो अधिकार सरकार को राजस्व...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहें। बहुत लोग हैं। दूसरों को फिर अवसर नहीं रहेगा।

एक माननीय सदस्य : बहुत समय है।

श्री सभापति : बहुत समय है, बोलने वाले भी बहुत हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो डूब रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से जिनका शोषण हो रहा हैं, गिद्ध दृष्टि रख कर जिनका शोषण कर रहे हैं उनकी बात कहना चाहता हूं, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, वन विभाग और किस प्रकार.....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य, आप किस सेक्शन का हवाला दे रहे थे?

श्री नन्दलाल मीणा : 42 और 43।

सभापति महोदय, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, अक्सर पढ़ा होगा, प्रतापगढ़ तेन्दू पत्ता आदिवासियों के लिए वरदान है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आदिवासियों के लिए वरदान। यह वरदान किस अभिशाप में परिणत हो रहा है, सभापति महोदय, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इस तेन्दू पत्ता की तुड़ाई होती है, 50 पत्तों की एक गड्डी बनती है और इस प्रकार 100 गड्डियां बना लेते हैं तो वह एक मानक बोरा कहलाता है। जो एक मानक बोरा बना लेता है उसको वन विभाग या ट्रेडिंग कारपोरेशन चार रुपया देता है। सभापति महोदय, आप आदिवासी इलाके में जाइये, सिंचाई मन्त्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार 5,000 पत्ते इकट्ठे होने पर उनको चार रुपया दिया जाता है। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार उन आदिवासियों के पैसों को किस प्रकार बटोर रही है, मैं आपसे निवेदन करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

वर्ष 80-81 में 10,001 मानक बोरे इकट्ठे हुए...

श्री सभापति : दो मिनट में समाप्त करें, माननीय सदस्य। इतना समय नहीं है। बहुत से लोग बोलने वाले हैं। संक्षेप में कहें।

श्री नन्दलाल मीणा : आपकी आज्ञा हो तो मैं बैठ जाऊं।

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, इस तरह 14,66,862 रुपया राजस्थान सरकार के खजाने में आया। वर्ष 81-82 में 19,465 मानक बोरे इकट्ठे किये और 20,44,636 रुपये राजस्थान के खजाने में आये। सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ वर्ष 80-81 में आदिवासियों को क्या चुकारा किया। केवल 75,924 रुपये का चुकारा किया गया जिसकी तुलना में राजस्थान सरकार ने 14,66,862 रुपये राजस्थान के आदिवासियों की गाढ़ी कमाई से प्राप्त किये। मैं यह भी पूछना चाहता हूं आपने मिनिमाईज़ किया है डेली वेजेज को, आप 9 रुपये रोज देते हैं। सारा परिवार सब के सब मिलकर दिन में 50 गड्डी बनाते हैं उनको आप दो रुपये पकड़ा देते हैं। इस प्रकार राजस्थान सरकार आदिवासियों के पैसे खा रही है।

सभापति महोदय, मैं इतना ही नहीं कहना चाहता हूं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के सिंचाई मन्त्री जी विराजे हुए हैं, राजस्थान के आदिवासी इलाकों में माही डेम बना, कडाना डेम बना, सोम कामला अम्बा डेम और सोम कागदर परियोजना बनी और जाखम डेम का निर्माण कार्य चल रहा है। मुझे बहुत दुःख है इस बात का कि माही डेम से काफी आदिवासी प्रभावित हुए हैं जो आज दिन तक दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके बारे में माननीय सिंचाई मन्त्री जी से जवाब चाहूंगा कि आपने क्या कदम उठाये ? सभापति महोदय, माही बान्ध से कुल 4751 खातेदार प्रभावित हुए जिसमें से 1,291 आदिवासी परिवार हैं। सभापति महोदय, केवल 3951 परिवारों को राजस्थान सरकार ने भूमि आवंटित की है 1340 परिवार आज दिन तक भी बे-घरबार है। इन 3951 को खातों में भू-आवंटन किये गये हैं। पर उनको मौके पर कब्जा नहीं दिया गया है।

इसी तरह कडाना बान्ध गुजरात में बना हुआ है। राजस्थान के मन्त्री महोदय श्रीमान् अब्दुल रहमान जी चौधरी, उप मन्त्री श्रीमती कमला जी के प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया कि कडाना डेम के 885 विस्थापित परिवारों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। सभापति महोदय, जब मैंने देखा तो पता चला कि 4212 लोग ऐसे हैं जिनको आज दिन तक राजस्थान सरकार ने नहीं बसाया है। इसके परिणामस्वरूप, सभापति महोदय, हुआ यह कि ये लोग वहां से हट गये। वहां से हटने के बाद ये प्रतापगढ़ तहसील में आकर बस गये। प्रतापगढ़ तहसील के देवगढ़ में, जैसा कि पूर्व में भी निवेदन कर चुका हूं, राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जोशी ने उनको बसाया। सन् 77 के पहले आपके रिकार्ड में उनके कब्जे थे। वन भूमि पर कब्जे का उनपर केस चल रहा है, सभापति महोदय, इनके बावजूद उनके झोंपड़े जला दिये गए। आज यह हालत है कि जो सीता माता के जंगलों में बसे हुए हैं, जो पीढ़ियों से सैकड़ों वर्षों से बसे हुए हैं उनको गेम्स सैंक्चुरी के नाम पर बेदखल किया जा रहा है, उनके झोंपड़े जलाये जा रहे हैं। राजस्थान की सरकार को जब इस बात की जानकारी दी गई तो उसने एक ही जवाब दिया कि हमको तो इन्दिरा गांधी ने डण्डा दिया है उस डण्डे से मार मार कर आदिवासियों को भगा देंगे। सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य है इस बात

Page No 110

(109)

(श्री नन्दलाल मीणा)

का कि किस प्रकार आदिवासियों के साथ राजस्थान सरकार अन्याय कर रही है। अन्याय इस मायने में कि उनको जमीनें नहीं दे रही है, उनको पुनर्वासित नहीं कर रही है, मुआवजा नहीं दे रही है। जो सन् 71 से पहले से बसे हुए हैं नियमानुसार उनका रेगुलेराइजेशन भी नहीं कर रही है...

श्री परसराम मदेरणा : इन्दिरा गान्धी का कौनसा डण्डा है ?

श्री नन्दलाल मीणा : दुलाराम जी से पूछ लेना।

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने बताया क्या आपको ?

श्री नन्दलाल मीणा : हां।

श्री परसराम मदेरणा : क्या बताया ?

श्री नन्दलाल मीणा : उन्होंने यह बताया कि इन्दिरा गान्धी ने डण्डा दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : किस बात का ?

श्री नन्दलाल मीणा : आदिवासियों को मार मार कर भगाने का, उन पर अत्याचार करने का, आर्थिक शोषण का जुल्म का डण्डा।

सभापति महोदय, इसके अलावा...

श्री सभापति : बहुत संक्षेप में, माननीय सदस्य, बहुत समय ले लिया है।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं निवेदन करना चाहता हूँ डूंगरपुर जिले, बासवाड़ा जिले और उदयपुर जिले में प्रभावित हुए लोगों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, कौन मालिक है ? सरकार जहां कहीं छोटी-सी योजना बनाती है वहां अपने कर्मचारियों के रहने का इन्तजाम करती है या कोई व्यवस्था करती है लेकिन जो लोग सदियों से बसे हुए थे, जिनकी खातेदारी की जमीन थी जिनकी पीढियां खप गई, सभापति महोदय, उनको बेदखल कर दिया गया। आज दिन तक सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी कि उनको पुनः बसाने के लिए क्या किया जाय। वे जाकर जंगलों में छिप गये फिर जंगल भी कट गये। जब शिवचरण जी माथुर की सरकार आई है तो उसने डण्डा मार-मार कर उनको भगा दिया। सभापति महोदय, मुझे बड़ा खेद है, मैं चाहता हूं कि इस बारे में कोई कमेटी गठित करें जो उन आदिवासी इलाकों में जाकर उनकी समस्याओं को सुने। वे भारत सरकार तक गये। बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी राजस्थान के मुख्य मन्त्री को समय-समय पर ज्ञापन दिये परन्तु सरकार का कोई भी मन्त्री ऐसा नहीं जो उन भटकते हुए, चीखते हुए बच्चों के बारे में एक शब्द भी कहे। राजस्थान की सरकार के लिए इससे अधिक शर्म की बात और क्या हो सकती है।

सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ। प्रतापगढ़ तहसील मध्य प्रदेश से लगती हुई है। सभापति महोदय, मैंने गत सत्र में भी इस मसले को उठाया था कि वहां राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा का विवाद है। इस सीमा विवाद में राजस्थान सरकार ने किस प्रकार अपने

(श्री नन्दलाल मीणा)

हक को मध्य प्रदेश की सरकार के हाथों सौंप दिया। सभापति महोदय, मैं यह बात निवेदन करना चाहता हूं। मेरे पास प्रमाण हैं। मैंने राजस्व मंत्री जी से निवेदन किया कि राजस्थान सरकार ने अपने पक्ष को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है। सभापति महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कि चरनोट की जमीन जो प्रतापगढ़ तहसील में आराजी नम्बर 136,137,158, 159 राजपुरिया गांव, जो मध्य प्रदेश की सीमा पर लगा हुआ है, उसके लिये राजस्थान सरकार ने अपने पक्ष को प्रस्तुत नहीं करते हुए राजस्थान सरकार के मंत्री श्री प्रद्युम्नसिंह जी ने यहां तक कह दिया कि 3 से विवाद चल रहा है और 52 में यह दुबारा हुआ। दोनों के बीच समय का काफी फर्क है। मेरे नहीं बताने का कारण यह है कि दोनों तरफ से एस. डी. ओ. लेवल पर बात चल रही है, कलेक्टर को भी कहा था। यह बात सही है कि एस. डी. ओ. ने कभी रिपोर्ट भेजी है......

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, प्रतापगढ़ रियासत में सन् 29 में सैटलमेंट हुआ, 46 में सैटलमेंट हुआ और 80 में सैटलमेंट हुआ है। मध्य प्रदेश में जो सन् 38 में सैटलमेंट हुआ, सभापति महोदय, उससे पूर्व 29 में जो सैटलमेंट हुआ प्रतापगढ़ में उसके आधार पर राजस्थान सरकार ने अपना पक्ष क्यों नहीं प्रस्तुत किया, यह मेरे समझ में नहीं आता है।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कह कर समाप्त करना चाहता हूं। राजस्थान में भीषण अकाल है। चित्तौड़गढ़ जिले के लगभग 90 प्रतिशत गांव अकालग्रस्त घोषित किये हैं। प्रतापगढ़ तहसील में 531 गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित किया है परन्तु, सभापति महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि केवल 2339 लोगों को ही रोजगार दिया गया है, मतलब एक गांव में चार व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है जब कि 75 प्रतिशत से अधिक उस इलाके में खराबा है। सभापति महोदय, आपने सुना होगा कि शेरगढ़, और भी इलाकों में हत्याएं हुई हैं। धौलपुर और बाड़ी में भी इस प्रकार की हरकतें हुई हैं। यह सब आप समाचार पत्रों में देख रहे हैं। मैं तो सिर्फ सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ के आदिवासी, प्रतापगढ़ के मजदूर, प्रतापगढ़ के किसान भूख से मरने वाले नहीं हैं, मुझे तो इस बात की शंका है कि वे कहीं बड़ी बड़ी तोन्दों वालों की तोन्दें नहीं फोड़ दें। इसलिये मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इस अकाल राहत के कार्यों में राजनैतिक भेदभाव न करें। नगरपालिकाओं के अनुदान में भी भेदभाव बरता गया है। अगर इस प्रकार का भेद-भाव जारी रहा तो हम भेद-भाव का बदला लेना जानते हैं। ये कानून कायदे आपके ताक में चले जायेंगे और जनता आपसे सड़कों पर निपटेगी।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, 18, 72,54,54,000 की धनराशि राज्य सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय कर सके, सरकार

(श्री हरीसिंह)

को अधिकृत करने हेतु यह एप्रोप्रियेशन बिल सदन इसके समक्ष विचाराधीन है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, श्रीमान्, वह क्षेत्र बृज भाषा बोलने वाले जिले के अन्दर है। भरतपुर में कुछ लोगों को छोड़कर भरतपुर जिले के लिये तो यह कहना चाहिये कि समूचा जिला ही बृज भाषा बोलता है। अलवर का अधिकांश भाग बृज भाषा बोलता है और धौलपुर का भाग बृज भाषा बोलता है। भरतपुर और धौलपुर रियासतें जिस समय राजस्थान में मर्ज हुई थीं, उस समय यह प्रश्न हमारे सामने आया था और केन्द्र सरकार ने हमसे इस बात की राय ली थी कि आपको राजस्थान में मर्ज होना है या यू. पी. में मर्ज होना है। उस समय राजस्थान में मर्ज होते हुए हमने यह आशा और अभिलाषा की थी, राजस्थान में यदि हम मर्ज होंगे तो जो हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारा साहित्य है, उसकी प्रगति होगी और उस पर कोई आंच नहीं आयेगी। आज हम, श्रीमन्, यह देखते हैं कि राजस्थान के अन्दर बृज भाषा के लिए जो संरक्षण मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। बृज भाषा ऐसी भाषा नहीं है जो अलवर भरतपुर तक सीमित हो बल्कि वह ऐसी भाषा है जिसका प्रचार और प्रसार आपके उदयपुर में है। नाथद्वारा में बृज दुलारे और बृज लाड़ले नाम स्थापित हैं, उनकी सेवा, पूजा और अर्चना बृज भाषा में होती है। श्रीमन्, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनकी सेवा, पूजा और अर्चना करने वाले आज भी जो उनके भक्तजन हैं, वह बृज भाषा के अन्दर वह पद, जो सूर ने रचे हैं, वह पद, जो अन्य बृज भाषा के कवियों ने रचे हैं, गाते हैं। जयपुर में भी गोविन्ददेव जी के मन्दिर में और अन्य स्थानों पर बृज भाषा के प्रेमी आपको मिलेंगे। बृज भाषा के प्रेमियों की राजस्थान के अन्दर संख्या काफी है। लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि राजस्थान कायम हुआ है तब से लेकर आज तक किसी भी अकादमी, चाहे वह हिन्दी अकादमी हो जिसके ऊपर यह भार है, के लिए आप यह कहकर नहीं चल सकते हैं, पूरे राजस्थान में किसी भी एक कवि की एक भी रचना को प्रकाशित नहीं किया है। तो मेरी यह धारणा बनती जा रही है कि उन क्षेत्र के जो लोग हैं उनका और राजस्थान के अन्दर हमारी जो भाषा है उसका जो आदर होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं इस भावना के साथ राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर बृज भाषा अकादमी की स्थापना होनी चाहिए। जब राजस्थान में, श्रीमन् हिन्दी अकादमी है, राजस्थान के अन्दर सिन्धी अकादमी है, राजस्थान के अन्दर उर्दू अकादमी है, राजस्थान के अन्दर संस्कृत अकादमी है, राजस्थान के अन्दर राजस्थानी भाषा की अकादमी है तो फिर क्या कारण है कि राजस्थान के अन्दर बृज भाषा की अकादमी नहीं है?

श्री अहमद बक्श सिन्धी (विधि मंत्री): सभापति महोदय, क्या हिन्दी बृज भाषा से अलग है?

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई): जी हां। हिन्दी भाषा तो केवल सौ साल पुरानी है लेकिन बृज भाषा हजारों-हजारों साल पुरानी है। क्या बात कर रहे हैं आप। आप कल्पना नहीं कर सकते किसी भक्ति संगीत की

(श्री यदुनाथ सिंह)
'किसी भारतीय दादरा ठुमरी की बिना बृज भाषा के।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री यदुनाथ सिंह : 'सभापति महोदय, ज्ञान ही नहीं है मन्त्री महोदय तो। इतने बुजुर्ग हैं। हिन्दी तो बहुत बाद की भाषा है बृज भाषा हजारों-हजारों साल पुरानी है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : यह मन्त्री बेलगाम हैं, इनको लगाम लगाओ।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय स्वयं उत्तर दे लेंगे। आर्डर प्लीज।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : विधि मंत्री जी, आपने क्या फरमाया?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कोई माननीय सदस्य मन्त्री को ज्ञान दे सकता है?

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, बृज भाषा ...

श्री सभापति : यह ज्ञान देने का प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं नहीं। दे सकते हैं या नहीं?

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, रंजिश हो तो दे सकते हैं।

श्री सभापति : देने का प्रश्न ही नहीं है, ज्ञान देने का प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, यह तो व्यवस्था का सवाल है, कौन क्या चीज दे सकता है या नहीं दे सकता है। यह आपकी अनुमति के बिना नहीं दे सकते। मैं तो यह जानकारी करना चाहता हूं कि क्या कोई माननीय सदस्य किसी मन्त्री को ज्ञान दे सकता है

श्री अहमद बक्श सिंधी : यह सवाल इन्सल्टिंग का है।

श्री सभापति : ज्ञान तो जिसको लेने की इच्छा होती है, उन सभी को दिया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं। दे सकते हैं या नहीं?

श्री सभापति : ज्ञान किसी को जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता, माननीय सदस्य। विराजें। आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार ज्ञान लेने के लिए ही तो बैठी है।

एक माननीय सदस्य : ज्ञान इस तरह से नहीं लिया जा सकता।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मैं आई कैच कर सकता हूं आपकी?

यह जो सदन है, इस राज्य के बहुत बड़े पुस्तकालयों में जो ज्ञान नहीं है, उससे ज्यादा ज्ञान ट्रेजरी बेंचेज और दूसरे माननीय सदस्य यहां पर चर्चा में जो विषय आते हैं सभी प्रकार के, उससे प्राप्त करते हैं। यह कोई बात नहीं है ज्ञानवान होकर

(श्री परसराम मदेरणा)
ही इस सदन से बाहर निकलते हैं। बृज भाषा बहुत मीठी भाषा है। हिन्दी से कई भाषाएं निकलती हैं, मिलती जुलती हैं लेकिन बृज भाषा अपने आप में बहुत अच्छी भाषा है। आपने शायद सुनी होगी। आप, माननीय सदस्य, आज बृज भाषा में ही बोलें तो ज्यादा उचित रहेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, हरिसिंह। आर्डर प्लीज।

श्री हरिसिंह : मैं बृज भाषा बोल लूंगा।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा था कि माननीय विधि मन्त्री जी ने एक ऐसा प्रश्न उठाया है जिसका सम्बन्ध विधि से नहीं है, जिसका सम्बन्ध कानून से नहीं जिसका सम्बन्ध लॉ से नहीं है, माननीय सभापति महोदय, इसका सम्बन्ध साहित्य से है, इसका सम्बन्ध संस्कृति से है, इसका संबंध हमारी भावनाओं से है, इसका संबंध हमारे दिलों की इच्छाओं से है और इसका संबंध संस्कृति से है। इन प्रश्नों को अनेकों बार इस प्रकार से कहकर टाल दिया गया है कि बृज भाषा हिन्दी का ही एक अंग है। हिन्दी और बृज भाषा के अन्दर कोई फर्क नही है, यह कहकर इस प्रश्न को टाला जा रहा है अनेकों साल से। इसलिए मैं आज आपसे; इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिसको अधिक दिन तक टाला जा सके। यह निश्चित रूप से हमारी भावनाओं का सवाल है। अगर इस प्रश्न को टाला जाता है तो हमारे दिल को पीड़ा होती है, हमारे ही दिल को पीड़ा नहीं होती है बल्कि हमारे क्षेत्र के जो लाखों आदमी हैं बृज भाषा से जिनका ताल्लुक है, इस राजस्थान के अन्दर असंख्य लोग हैं, उनकी भावनाओं से इसका सम्बन्ध है। आप कहते हैं हिन्दी और बृज भाषा के अन्दर कोई फर्क ही नहीं है। जहां भाषा की बात कह कर हम को टालते हैं, हर भाषा के कवियों की एक शैली होती है हर भाषा के कवियों की एक भावना होती है। मैं आपको निवेदन करूं कि मैया मैं नाहीं माखन खायो, यह बृज भाषा है या हिन्दी है?

अन्त में मैं निवेदन करूं कि.....

एक माननीय सदस्य : यह कहां हिन्दी है?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जब रसखान कहते हैं, पाहन हों तो वही रसखान....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हरिसिंह : पाहन हों तो वही रसखान। रसखान के जो दोहे और सवैये हैं, "जो खग हों तो बसेरों करो मिली कालिन्दी कूल कदम्ब की डारिन, और जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरूं नित नन्द की धेनु मंझारन।" अनेकों रसखान के सवैया हैं।

मैं और कहूं, श्रीमान, बृज भाषा और हिन्दी के अन्दर उससे ज्यादा फर्क नहीं है जितना फर्क भगवान राम और कृष्ण में है। अगर आप कहें राम और कृष्ण में क्या फर्क है, यह भी एक ही बात है, तो क्या फर्क नहीं है? कृष्ण का जितना भी साहित्य है आपको बृज भाषा में मिलेगा और राम का जो भी साहित्य है वह बृज भाषा में बहुत कम मिलेगा। जितना भी श्रृंगार रस

(श्री हरिसिंह)

है, जितना भी वात्सल्य रस है, जितना भी आपको.....

श्री परसराम मदेरणा : मगर मैं नाही माखन खायो, ऐसा तो हमारे इधर लोकल डायलेक्ट, मारवाड़ी में भी हैं मैया मैं नाही माखन खायो।

श्री हरिसिंह : भोर भये गयँन के पीछे वंशी बट तक धायो।

श्री परसराम मदेरणा : हमारी भाषा में उसको इस तरह से कहते हैं थे मने चोर बनायो माता लड़का जान परायो।

श्री हरिसिंह : दोनो में फर्क है, साहब भोर भये गयँन के पीछे वंशी बट तक धायो। तो है बृज में जितना आपको लालित्य मिलेगा, जितना बृज के अन्दर सौन्दर्य मिलेगा, जितनी बृज के अन्दर कला मिलेगी, उस से आप राजस्थान को, श्रीमन्, अछूता क्यों रखना चाहते हैं? उस कला, उस सुन्दरता, उस प्रेम और उस रस को आप से आप बढ़ाना क्यों नहीं चाहते? मैं तो सिर्फ यह मांग करता हूं आपसे कि आप बृज भाषा की अकादमी की स्थापना कर दीजिए। मैं तो बहुत इच्छा ऐसी नहीं कर रहा आप 18,72,54,54,000 रुपये खर्च करने जा रहे हैं राजस्थान के अन्दर उसमें से करोड़ों की मांग नहीं करता, मैं तो कुछ लाखों की मांग कर रहा हूं। उस लाखों की मांग पूरा करने से राजस्थान के असंख्य लोगों के लिए आप आदर के पात्र बनेंगे। आपकी हम लोग सराहाना करेंगे, आपकी हम लोग पूजा करेंगे, आपकी हम लोग अर्चना करेंगे; आप हमारी इन भावनाओं की कद्र कीजिए। आपसे केवल यही निवेदन करूंगा।

दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, हमारे भरतपुर जिले में कॉलेज है। मैं आपको निवेदन करूं कि उस एक कॉलेज के अन्दर सात हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं, राजस्थान में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसमें इतने अधिक विद्यार्थियों को विद्याध्ययन की सुविधा दी जा रही हो सात हजार विद्यार्थी हैं कोई डिसिप्लीन मेन्टेन नहीं रह पाता, कोई शिक्षा नहीं हो पाती, लड़के बैठ नहीं पाते। वह कॉलिज एक प्रकार की इण्डस्ट्री बना हुआ है, एक प्रकार की फैक्ट्री बना हुआ है। आपने जहां और जिलों के अन्दर इस प्रकार से जो ज्यादा विद्यार्थी कॉलेजों के अन्दर पढ़ते हैं वहां उनको

(3.18 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई अध्यक्ष, पदासीन)

विभाजित किया है, आर्ट्स कॉलेज अलग से बनाया है, कॉमर्स कॉलेज अलग बनाया है, साइन्स कॉलेज अलग बनाया है। आपने अलवर में भी ऐसा किया है। तो मैं क्या राज्य सरकार से इस बात की आशा और उम्मीद करूं कि वह भरतपुर में भी इतने छात्रों की संख्या को देखते हुए आर्ट्स कॉलेज अलग, साइंस कॉलेज अलग, और कॉमर्स कॉलेज अलग स्थापित करेगी। काफी दिन से आपके समक्ष यह मांग चली आ रही है। जब एप्रोप्रिएशन बिल को राजस्थान के अन्दर स्टेट्यूट बुक पर लाने जा रहे हैं, उस समय मैं फिर आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमन् मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि किसान यह देखता है कि इस 18 अरब के प्रावधान के अन्दर उसके लिए आपने क्या प्रावधित किया है। एक छोटा-सा

(श्री हरिसिंह):
किसान जिसकी दो चार बीघा फसल है जब वह फसल पक कर तैयार होती है, उस समय ओले पड़ जाते हैं, फसल खतम हो जाती है, खाने के लिए दाने नहीं रहते, उसके लिए तो यह रहता है कि राजस्थान के इस सदन से 18 अरब का जो बजट पास किया है, ओले से फसल के नुकसान बरबाद होने के बाद उसके बच्चों के खाने के लिए एक पैसा है या नहीं, इस एप्रोप्रिएशन बिल के अन्दर। मैं, वित्त मन्त्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपको एक पाई ऐसी नहीं मिलेगी इस 18 अरब के बजट में जो किसान के लिए हो। ओले से जिसकी फसल खतम हो जाय उसके लिए आप एक पैसा भी नहीं दे सकें तो मैं क्या आशा रखूं अब नहीं दे सकते आप। आपके इस फेमिन कोड में प्रावधान है? रिलीफ कोड में है? इस प्रकार से अगर आप चाहें तब भी नहीं दे सकते। किसानों के लिए आप रिलीफ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम ऐसे आपत्ति के समय, प्राकृतिक विपदा के लिये इतने अरबों के प्रावधान के अन्दर कुछ तो उनके लिए प्रोविजन कीजिए।

किसान आज अनेक सालों से कहता चला आ रहा है कि उसको जो सब्सिडी मिलती हैं, खाद के लिए उसमें कुछ पैसा और लगाइये। आपका पैसा, आपका बजट बढ़ता हुआ चला जा रहा है लेकिन मैंने देखा है, मांग चली थी एग्रीकल्चर की उस समय भी यह बात आई थी कि हमें राजस्थान के किसानों को भी खाद के लिये सब्सिडी देनी चाहिये। जहां और स्टेट के अन्दर 33 पर्सेंट, 50 पर्सेंट तक सब्सिडी खाद के लिये है, वहां अपने राजस्थान के किसानों के लिए खाद जैसी इम्पोर्टेंट चीज पर अपने ने सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं किया है। क्या मैं सरकार से इस बात की उम्मीद करूं कि अब भी उसका इस तरफ ध्यान जाएगा व इस वर्ष में जब कभी वह इस सम्बन्ध में प्रावधान कर सके। राजस्थान के किसानों को खाद पर सब्सिडी देने के लिए निश्चित रूप से प्रावधान करेंगे?

श्रीमन्, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र में किसानों के लिए सिंचाई की कोई भी बहती नदी नहीं है। नदी नहीं होने की वजह से वहां पर सिंचाई की सुविधायें नहीं हैं। बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है; वहां पर बारानी खेती होती है, वहां पर अगर कोई आसानी से हल निकल सकता है तो वह यह है कि हमारे वहां आर डी ट्यूब वैल्स बनायें। सब करने के बाद जहां पर मीठा पानी निकले वहां पर डीप ट्यूब वेल खोदे जायें। डीप ट्यूब वेल खोदने के लिए जब राजस्थान के मुख्य मंत्री ने उस क्षेत्र का दौरा किया था उस समय इस बात का आश्वासन दिया था, आम जनता में, आम इजलास में इस बात को कह कर गये थे कि हम राजस्थान में राजस्थान डीप वेल कोर्पोरेशन की स्थापना करेंगे। वह पता नहीं, क्यों स्थापित नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से इस मामले में कोई विलम्ब नहीं करना चाहिये। आवश्यकता इस बात की है, श्रीमन्, राजस्थान डीप ट्यूब वेल कार्पोरेशन का ढांचा बहुत जल्दी तैयार करके उसका कामकाज शुरू हो जाना चाहिए। और उन जगहों, जहां सिंचाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है पर, इस प्रकार के कुओं की व्यवस्था की जानी

(श्री हरीसिंह)
चाहिये। जैसे कि मेरा भरतपुर जिला है, सवाई माधोपुर है, झुंझुनूं है, अलवर है, वहां पर डीप ट्यूब वैल कायम कर दें। हमारा किसान चाहता है कि आप डीप ट्यूब वैल खोद दीजिए चाहे पैसा उससे ले लीजिए। वे आपसे डीप ट्यूबवेल खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वहां एक्सपेरीमेंट फेल हो जावे तो उसका पैसा देने की उनकी क्षमता नहीं है। शक्ति नहीं है। इस प्रकार का काम शुरू कर दीजिए। अगर डीप ट्यूब वैल सक्सैस हो जाता है तो किसान उसको खरीद लेगा और अगर फेल हो जाता है तो उसकी कॉस्ट आप स्वयं बरदाश्त करें।

मैं इन्हीं बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं उसमें कुछ मेरी भावनाओं की बातें हैं, कुछ मेरे क्षेत्र की भावनाओं की बात है, आप निश्चित रूप से हमारी भावनाओं की कद्र करते हुए, हमारे पर कृपा दृष्टि करते हुए उन पर ध्यान देंगे। जो मैंने किसानों की मांगों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है मुझे आशा है कि उन पर भी आप निश्चित रूप से सहानुभूति-पूर्वक विचार करेंगे।

धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री पीरूराम।

श्री पीरूराम (टीबी) : अध्यक्ष महोदय, सन् 1983-84 का बजट पास होने जा रहा है। मैं कुछ गंगानगर जिले के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे यहां कुछ एरिया ऐसा है जिसमें काफी फसल हो सकती है। सन् 80 से मैं बजट देख रहा हूं। नोहर लिफ्ट कैनाल और सिद्धमुख ब्रांच की चर्चा हर बजट में आती है और कुछ उनके लिये प्रावधान भी रखा जाता है, पर मालूम नहीं यह योजनायें चालू क्यों नहीं हो रही हैं। इनसे लाखों बीघा जमीन सिंचाई होने से काश्त के काबिल होगी और काफी अन्न पैदा होगा। इसके साथ साथ वहां लोगों को, पब्लिक को जो पीने का पानी नहीं मिलता है, खारा पानी है, पीने का पानी भी मिलेगा। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इन योजनाओं से गंगानगर जिला काफी खुशहाल जिला हो सकेगा और राजस्थान व हिन्दुस्तान को काफी अन्न दे सकेगा।

दूसरी बात, मैं यह बताना चाहता हूं कि गंगानगर जिले की बांगासर माइनर··

श्री परसराम मदेरणा : किस योजना की बात की आपने ?

श्री पीरूराम : नोहर लिफ्ट कैनाल और सिद्धमुख ब्रांच।

दूसरी बात, मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां खारा पानी है। बांगासर माइनर का सरकार सर्वे कराने जा रही है इस योजना को मलकासर तक बढ़ा दिया जाये। इससे काफी जमीन सिंचित होगी। कम से कम बीस हजार बीघा जमीन सिंचित होगी। राजस्थान कैनाल के आर. डी. 125 का सर्वे हो रहा है। उससे पानी देने का प्रावधान भी है। यह सर्वे जल्दी करवाया जावे तो उचित होगा।

(श्री पीरूराम)

तीसरी बात, मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक इकरारिया माइनर है, उसका पहले से प्लान था, किराना और नीमला तक। उसे आगे बढ़ाया जावे। यहां भी पीने का पानी खारा है। वहां पर पीने का पानी मिलेगा, साथ ही, तीन चार गांवों की जमीन सिंचाई में आएगी। इससे काफी अन्न होगा। कम से कम दस पन्द्रह हजार बीघा जमीन में सिंचाई हो सकेगी। सरकार का भी इसमें खर्चा कम होगा क्योंकि जो इकरारिया माइनर चालू है उसमें बीस क्यूसेक्स पानी देने से ही यह सिंचाई योजना शुरू हो जाएगी।

चौथी बात, मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों महामहिम राज्यपाल महोदय का हमारे क्षेत्र में लक्खूवाली हैड पर पब्लिक ने स्वागत किया था तब माननीय मंत्री महोदय भी साथ थे। काश्तकारों ने मंत्री महोदय से पूछा कि सन् 55 से पहले की खातेदारी के अधिकारों का जो तीस साल से मसला रुका हुआ है उसके लिए क्या करने जा रहे हैं। तो मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया कि वह जल्दी कर रहे हैं। पिछले दिनों मुख्य मंत्री महोदय भी लक्खूवाली हैड पर गए थे। उन्होंने भी यह आश्वासन दिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अधिकारियों से भी मैंने पूछ लिया, अभी तक यही बात चल रही है कि काम हो रहा है लेकिन तीस साल से खातेदारी अधिकारों का मसला क्यों रुका हुआ है? काश्तकारों को बड़ी परेशानी है। इसलिए मेरा यह कहना है मंत्री महोदय से कि यह मसला जल्दी केबिनेट में लाकर डिसाइड करें ताकि काश्तकारों को राहत मिले।

साथ में, यह कहना चाहता हूं कि गंगानगर जिले के भूमिहीन किसानों की दरख्वास्त पहले से रोक रखी हैं उनको जमीन मिल गई थी। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि काफी तादाद में लोगों को जमीनें नहीं मिली हैं। उस टाइम में एक नियम बनाया था कि 55 की वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। सरकार को जमीन की दरख्वास्त दी, उनकी वह दरख्वास्त खारिज कर दी गई। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले के जो भूमिहीन हैं उनकी दरख्वास्तें लेकर तीसरे चरण में जो भूमि अलाट हो रही हैं उसमें उनको जमीन अलॉट कराई जावे।

अब मैं खास बात बताना चाहता हूं। आबकारी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं 1982-83 में 5 करोड़ का नुकसान, मंत्री महोदय की नीति समझो, हठधर्मी समझो या आबकारी कमिश्नर की हठधर्मी समझो, राज्य सरकार को आबकारी में गंगानगर जिले में हुआ है। किस वजह से हुआ? बोली आ गई, सरकार ने ठेकेदारों को बोली छोड़ी नहीं और सरकार खुद ने आबकारी का ठेका चलाया। रिकार्ड देख लें, इससे पांच करोड़ का नुकसान हुआ। इसमें हठधर्मी ही मानता हूं। एक और इससे बड़ा नुकसान यह हुआ कि घर-घर में दारू निकलने लग गई। जो पीते थे उससे भी ज्यादा लोग पीने लग गये क्योंकि भट्टी की दारू सस्ती मिलती है बनिस्बत यह जो ठेके की दारू होती है। इसलिए वहां ज्यादा क्राइम बढ़ गये और झगड़ा-फसाद ज्यादा होने लगे।

(श्री पीरूराम)

मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मैंने सुना है कि हनुमानगढ़ का आबकारी का ठेका देने के बारे में अभी तक सरकार तय नहीं कर पाई है कि किसको दिया जावे या नहीं दिया जावे। मैं यह एक बात बताना चाहता हूँ कि मंत्रीजी की हठधर्मी समझ लो या आबकारी कमिश्नर की हठधर्मी समझ लो या यह समझ लो कि वह ठेकेदार मिला हुआ था। इसलिये तय नहीं हुआ, पर यह अच्छा नहीं है। इससे सरकार के कोष में बहुत नुकसान पड़ता है। गांवों में घर घर में शराब निकलने लग गई है इसी नीति की वजह से। कोई-सा गांव हमारे जिला गंगानगर में नहीं बचा है जहां शराब आम तौर पर खुले धड़ल्ले से नहीं बिकती हो। मैं यह बताना चाहता हूं कि ठेकेदारों की तरफ से रायल्टी दस प्रतिशत जमा होती है उनमें काफी करोड़ों रुपया राज्य का बकाया है। आबकारी कमिश्नर लेने में असमर्थ हैं। अधिकारी मिले जुले हुए हैं। क्यों वह रुपया छोड़ रखा है? वह ठेकेदार देते नहीं हैं तो उन पर कानूनी कार्यवाही करने में सख्ती बरती जाय। राज्य का बकाया है वह लिया जाय।

इसके साथ-साथ मैं खास बातें मेरे क्षेत्र की बताना चाहता हूं। हमारे नगरपालिका क्षेत्र रावतसर के अन्दर आज तक मेरे खयाल से कोई विधायक या मंत्री जयपुर या बड़े शहरों को टाल कर नहीं गया। वह छोटा-सा गांव है। उसमें 27 किलोमीटर एरिया पूर्व से पश्चिम तक मोटूनगर से मालूविजानिये की ढाणी और 25 किलोमीटर एरिया उत्तर से दक्षिण पड़ता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वहां काश्तकारों को, अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों है नुकसान? 8 किलोमीटर एरिया के अन्दर जो जमीन आयेगी उसका 1100 रुपया बीघा के बजाय 4400 रुपया बीघा काश्तकारों को देना पड़ेगा। 27 किलोमीटर एरिया तो यह हो गया और 8 किलोमीटर जोड़ लें तो मेरा क्षेत्र सारा ही इस वजह से प्रभावित है। मेरा यह कहना है सरकार से कि यह एरिया तोड़ दें। रावतसर नगरपालिका के अन्दर 100 के करीब छोटे-मोटे चक, ढाणियां, गांव आते हैं। 77—78 में यह नगरपालिका कायम की। वहां न कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है टाइम पर, न कोई तरह की इन्कम है। मैं यह कहना चाहता हूँ, नगरपालिका का एरिया 27 किलोमीटर से तोड़कर पुराना गांव, नई मंडी, जोधों का बास, उतराता बास, करीब 15 हजार की आबादी इन चारों पांचों की बनती है, तक ही सीमित रख दिया जावे। जो बाहर के चक, ढाणी और गांव लिये हैं वह हटा दिये जावें तो काश्तकारों को भी लाभ मिलेगा। वहां कोई कार्य भी नहीं हो पा रहा है इसलिये कि वह नगरपालिका क्षेत्र में है। न बिजली लगा पाते हैं, न वाटर वर्क्स की स्कीम वहां लगा पाते हैं क्योंकि यह प्रावधान है नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका ही विकास कराये। उन ढाणियों, चकों और गांवों के विकास की गति भी रुकी हुई है। इसके साथ में एक बात बताना चाहता हूँ कि रावतसर नगरपालिका के अन्दर दो-दो, तीन-तीन महीनों से तनख्वाह कर्मचारियों को नहीं मिलती। यह क्यों नहीं मिल पाती? वहां

(श्री पीरूराम)

पर भू-खण्ड गरीबों को 20 सूत्री कार्यक्रम में देने चाहिये। गरीबों को भू-खण्ड देने का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि वहां जमीन अवेलेबल नहीं है। हमारे वहां मंडी विकास समिति की जमीन है। जिस समय नगरपालिका 77–78 में बनायी गई उस समय कोई बंटवारा नहीं किया गया, जितनी जमीन आबादी के बाद खाली पड़ी हुई थी वह सारी मंडी विकास समिति ने ले ली। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से यह भी मेरा कहना है कि मंडी विकास समिति से कुछ जमीन लेकर नगरपालिका को दी जावे ताकि 20 सूत्री कार्यक्रम भी पूरा हो सके, गरीबों को छप्पर, जमीन और प्लाट भी मिल सकें। पुरानी आबादी सैंकड़ों वर्षों से है। महारानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, माननीय सदस्या वहां की हैं उनकी आबादी है। उस टाइम के जो लोग बसे हुये हैं वह पट्टे भी नहीं ले सकते हैं। राज्य सरकार का ऐसा हुकुम है कि नगरपालिका पट्टे नहीं दे सकती है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा यह कहना है कि जो पुराने बाशिन्दे हैं उनको पट्टे देने का हुकुम डायरेक्टर, लोकल बॉडी से दिलवाया जाये। जितनी हो सके उतनी जमीन नगरपालिका को मंडी विकास समिति से दिलायी जावे ताकि वहां साधन जुट सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूं।

धन्यवाद!

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह!

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम दिया था।

श्री अध्यक्ष : है आपका नाम।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष : आप थोड़ा इन्तजार करें। आपकी बारी आ जायेगी।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय मैं बृज भाषा में बोल सकता हूं। लेकिन दिक्कत, अध्यक्ष महोदय, एक होगी कि बृज भाषा में तुम और आप शब्द कोष में भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हां, तुम कहना तो यहां पर असंसदीय होता है।

श्री यदुनाथ सिंह : यह तू ही इसमें शब्द है इसलिये शायद नाराजगी पैदा हो, आप आज्ञा दें तो ...

श्री अध्यक्ष : बृज भाषा के बारे में यहां कोई विवाद नहीं है। बृज भाषा कोई एक छोटे प्रदेश की सम्पत्ति नहीं है, भगवान कृष्ण और बृज भाषा, यह तो पूरे देश की सम्पत्ति है। इसलिये इसको आप एक संकीर्णता में किसी क्षेत्र विशेष से ...

श्री यदुनाथ सिंह : कहां ले रहे हैं हम? क्षेत्र की तो बात ही नहीं करी, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : यह उचित नहीं होगा। हिन्दी बृज भाषा की पुत्री है, इसलिये आप हिन्दी में बोल दें।

श्री यदुनाथ सिंह : ठीक है। धन्यवाद है, अध्यक्ष महोदय।

(श्री यदुनाथसिंह)

अध्यक्ष महोदय, इस साल के बजट की मांगों पर वित्त मंत्री महोदय एप्रोप्रियेशन बिल लाये हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस वर्ष के बजट का सवाल है वह पूरी तरह से राजनैतिक बजट है। कुल मिलाकर इस बजट को देखने से यह मालूम पड़ता है कि मुख्य मंत्री महोदय का एक ही प्रयास रहा है किसी प्रकार अपने दल में बढ़ रहे असंतोष को कम किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार पिछले वर्ष के बजट में वित्त मंत्री, श्री चन्दनमल जी बैद ने कृषि और बिजली की सिंचाई दरों में वृद्धि की थी उससे उत्पन्न असन्तोष की परिणति यह हो गई, इतना आतंकित उन्होंने किया कि आज सरकार के जाने की नौबत आ रही है। इसलिये जाहिर है कि नये वित्त मंत्री महोदय कोई नया टैक्स लगा नहीं सकते हैं। उन्होंने कुल मिला कर बिजली पर टैक्स लगाते हुए एक ऐसा बजट पेश किया है।

अध्यक्ष महोदय, जो तस्वीर इस बजट से उभर कर आती है वह बड़ी खराब तस्वीर उभर कर आती है। जहां तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, पिछले वर्ष वित्त मंत्री महोदय ने यह कहा था, "50.33 करोड़ का घाटा 7.92 करोड़ की शुद्ध बचत में बदल जायगा। भारत सरकार से अगले वर्ष केन्द्रीय करों के अंश के रूप में 6.57 करोड़ प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर हमारे राज्य की बचत 14.49 करोड़ होगी।" लेकिन इस वर्ष जो मंत्री महोदय ने बजट पेश किया है, बजट भाषण जो आया है, जो बजट से प्रदर्शित होता है, स्पष्ट तौर पर कहा है कि 1982-83 के प्रारम्भ में 283.46 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट चुकाने के बाद राज्य सरकार का इस वर्ष का घाटा 20.96 करोड़ हो जायेगा। यानी जो पिछले साल बजट पेश किया गया था वह साढ़े चौदह करोड़ की बचत का बजट था, वह 21 करोड़ के घाटे में परिवर्तित हो गया। इस साल का जो बजट है वह तो पिछले साल के बजट से भी ज्यादा घाटे का बजट है। 23 करोड़ से ऊपर इसमें घाटा है। इसलिये जहां तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, राज्य में विकास करने का सवाल है, एक तरफ ओवर ड्राफ्ट के मसले को भी छोड़ दिया जाये, उसको बड़ी चालाकी से वित्त मंत्री महोदय पी गये हैं। ओवर ड्राफ्ट की इन्स्टालमेन्ट सब देंगे, यह सही है कि एक साल बाद उसको देंगे लेकिन जायगा तो वह राज्य के पैसे से ही। जहां तक राज्य की आर्थिक स्थिति का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, वह बहुत खराब है, मैं आगे अपनी बात में इसको स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा, इसलिये ऐसी योजनाएं हम राज्य के विकास के लिए हाथ में लें जिसमें पूंजी कम लगे।

अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय का बजट शुरू होता है गुणगान से। गुणगान काहेका करते हैं वह? वह कहते हैं, थोक भावों में जो वृद्धि दर थी वह पिछले साथ 15.16% थी उसकी जगह इस वर्ष 2.15% रह गई। अध्यक्ष महोदय, आप बजट स्टडी की डिटेल देखेंगे तो आपको पता लगेगा, मूल्य जो गिरे हैं, वह लैस गिरे हैं। उससे कितने आदमियों को फायदा हुआ। इससे मासेज को नुकसान हुआ। जो मूल्यों में, वृद्धि दर में, गिरावट आई है

(श्री यदुनाथ सिंह)

कुछ लोगों के पास पैसा जाने से, कुछ सेक्टर में पैसा बढ़ने से वृद्धि दर कम हुई है।

जहां तक सवाल है खाद्य वस्तुओं का, मूल्य गिरे हैं बुरी तरह से 171 से अब तक के आपने बजट स्टडी में आंकड़े दिये हैं। खाद्य वस्तुओं का इंडेक्स नम्बर 377.6 बढ़ा है। इण्डेक्स नम्बर 247.8 था 71 में 81 में यह हुआ 627.4, 82 में हुआ 625.4। यह माइनस 2 फूड आर्टिकल का इण्डेक्स नम्बर आया। मतलब खेती की पैदावार की कीमत घट रही है। इसके साथ जो दूसरा मिला हुआ सेक्टर है। वह है, औद्योगिक कच्चा माल का। अधिकांश कच्चा माल हमारे देश में खेती से पैदा होता है। इसका भी मूल्य 21.8 प्रतिशत गिरा है, इण्डेक्स नम्बर 21.8 प्रतिशत गिरा है।

जहां तक सवाल है फ्यूअल, पॉवर और लुब्रीकेशन का, इसका इण्डेक्स नम्बर 52.6 बढ़ा है। मैन्युफैक्चर्ड फूड का इण्डेक्स नम्बर 42.4 बढ़ा है। मेरा कहने का मतलब यह था कि जो इन्डेक्स नम्बर के आंकड़े देते हैं वह फाल्टी होते हैं। जिस सेक्टर में ज्यादा लोग लगे हुए है उसका इन्डेक्स नम्बर गिर रहा है और जो खेती की जरूरी चीजों के इनपुट हैं, उसका इन्डेक्स नम्बर बढ़ रहा है। मासेज का पैसा कम हो रहा है और कुछ लोगों के पास पैसा सीमित हो रहा है। इस तरह से आप भाव नीचे लाने का काम कर रहे हैं उसका लाभ मासेज को नहीं हो रहा है।

दूसरा, प्रति व्यक्ति आय भी वित्त मंत्री महोदय ने बड़ी चालाकी से प्रदर्शित करने की कोशिश की है। जो स्थिर मूल्य दिखाये हैं, 1971 के बेसिस पर दिये हैं। जो इनको सुविधाजनक आंकड़े लगे वे यहां पर रखते हैं। लेकिन 1977 की स्थिर कीमतें देखेंगे तो, जो पर कैपिटा इन्कम 71 में 620 रुपये थी वह 78-79 में 642 रुपये हुई और अब 534 रुपये है। पिछले साल थी 555 रुपये और इस साल 585 रुपये है। इसका मतलब 71 में आय 620 थी उसके मुकाबले आज 585 है, उलटे प्रति व्यक्ति आय घट रही है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, हमेशा थोक मूल्यों की बात कही जाती है लेकिन जो कन्जूमर प्राइसेज बढ़ी हैं वह तो 12 प्र.श. बढ़ गई इनके आंकड़ों से ही। तो बीच में पैसा गायब हो रहा है। थोक मूल्य कम होने से कन्जूमर को क्या फायदा हुआ, फायदा तो व्यापारी को हो रहा है। तो आंकड़े भ्रमित करने वाले हैं और राज्य की स्थिति को स्पष्ट करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी के बारे में चर्चा चल रही थी। हमारे यहां नीतियां ऐसी होनी चाहिए जिनसे बेरोजगारी मिटे। हम यहां पर इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन भी 100 प्रतिशत बढ़ा लेते हैं और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी 100 प्रतिशत बढ़ा लेते हैं लेकिन पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही है उसकी ग्रोथ रेट 2.5 प्रतिशत पर एनम है, उसकी तुलना में एम्प्लायमेंट की ग्रोथ रेट राजस्थान में 1 प्रतिशत और अन-एम्प्लायमेंट की .5 प्रतिशत है। इसमें विश्लेषण की आवश्यकता नहीं कि हम ज्यादा से ज्यादा खराब हालत में जा रहे हैं।

इसलिये जहां तक राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने का सवाल है, जो इतनी

(श्री यदुनाथसिंह)

बुरी स्थिति में है, दो-तीन साधन इसको सुधारने के हैं। खेती लम्बे समय तक यहां की आर्थिक हालत को सुधारने का एक आधार हो सकता है लेकिन खेती से आय का हिस्सा घटता चला जा रहा है। इसका मतलब खेती की पैदावार दिन पर दिन घट रही है। इसलिए वे कौन से ऐसे कारण हैं जिनमें सरकार को जाने की आवश्यकता है? खेती गैर जरूरी तौर पर केपीटल इन्टेसिव हो रही है। जो काम हाथ से हो सके, माइनर इरिगेशन से हो सके उनके लिये अगर जरूरी हो तो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनाइये। अध्यक्ष महोदय, आपने इंगित किया था अपने आसन से कि जो ट्रेडीशनल रिसोर्सेज हैं, तालाब हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा काम में लें। उनको काम में नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा। जमीन से हम पानी निकालते चले जायेंगे। मुझे दुःख होता है, कृषि की पैदावार में लगातार स्टेगनेशन हो रहा है। इरिगेटेड एरिया में इजाफा नहीं हो रहा है और प्रॉडक्टिविटी बिल्कुल रुक गई है, स्टेगनेट हो गई है, जम गई है। यह सिंचित क्षेत्र की हालत है। हमारे इरिगेटेड प्रोडक्शन में तो ब्रेक-थ्रू निश्चित तौर पर हुआ लेकिन ड्राई-फार्मिंग, देश के प्रोडक्शन का 64 प्रतिशत हिस्सा ड्राई-फार्मिंग का है, में हमारे देश में ब्रेक-थ्रू नहीं हुआ। इसलिये ड्राई-फार्मिंग को किसी तरह से प्रोत्साहित किया जाय जिससे बैलेन्स्ड फूड गरीबों को मिलेगा। दुर्भाग्य से जितनी दाल, आयल-सीड्स हैं उनका भी उत्पादन दिन-प्रति दिन घट रहा है। आपने बजट भाषण में कहा कि कृषि के उत्पादन को बढ़ा पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, 17 तारीख को गवर्नर साहब के भाषण में 33 प्रतिशत डेक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बताया गया, तो 10-15 दिन में किस प्रकार से प्रॉडक्शन बढ़ा लिया? यह तो चमत्कार हो गया।

अध्यक्ष महोदय, खेती उत्पादन बढ़ाने के तीन कारक होते हैं भूमि, लेबर और केपीटल। भूमि तो ज्यादा बढ़ेगी नहीं, इतनी ही रहने वाली है बल्कि बढ़ती हुई जनसंख्या को रहने की आवश्यकता होगी तो खेती का हिस्सा और कम होने वाला है। खेती के लिए भूमि का बढ़ने की और कोई उम्मीद या सम्भावना नहीं है। लेबर आलरेडी खेती पर ज्यादा लगा हुआ है जो दिन पर दिन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जिस देश में खेती पर निर्भर रहने वालों की संख्या ज्यादा होगी वह देश गरीब रहेगा। इसलिये खेती में से लेबर निकाल कर मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर में लगाया जाए। लेबर तो पहले से ही खेती पर ज्यादा लगा हुआ है इसलिए इसका भी सवाल नहीं है। तीसरा सवाल, मुझे दुःख होता है कि खेती पर जितना केपीटल इन्वेस्टमेंट है वह बहुत कम है। देश के बाहर मैन्यूफेक्चर गुड्स पैदा करने वालों को पांच हजार करोड़ दिया जाता है ताकि वे विदेशों में अपने माल को बेच सकें या विदेशों के बाजार को कम्पीट कर सकें। इसके लिये वहां पांच हजार करोड़ की प्रतिवर्ष सब्सिडी दी जाती है लेकिन हमारे पूरे देश में जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन दिया जाता है वह चार हजार करोड़ ही दिया जाता है। इसलिये खेती की पैदावार बढ़ाने की बात करता हूं तो, अध्यक्ष महोदय, मेरे दिमाग में एक ही नक्शा रहता है कि खेती पर ज्यादा आदमी निर्भर है, पैदावार बढ़ेगी तो सरप्लस किसानों के पास बेचने के लिए होगा।

(श्री यदुनाथसिंह)

जब तक बेचने के लिए सरप्लस नहीं होगा तब तक गवेंजिग पॉवर नहीं होगी जिसके बिना इण्डस्ट्री आज नहीं तो कल स्टेगनेट हो जायेगी। इसलिए खेती की पैदावार बढ़ाना इस देश के लिए आवश्यक हैं।

जैसा मैंने पहले अर्ज किया, खेती की पैदावार बढ़ाने के जितने भी साधन हैं, पावर ले लीजिये, पावर बहुत ही कैपीटल इन्टेसिव हो गई है। पावर की सर्टेनिटी नहीं है। इसलिये पावर और इरिगेशन के बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ साथ हमें यह भी प्रयत्न करना होगा कि किस तरह से ट्रेडीशनल तरीकों को रेस्टोर किया जाय। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा, सेंट फ्युअल के तौर पर अभी अमेरिका में सर्वे हुआ था उसमें रेश्यो फलाया था तो जितनी इनपुट एनर्जी के रूप में लगती है और उसका जो आउटपुट फूड के रूप में लेते हैं वह 1:2 का रेश्यो आया। प्रोसेस के बीच एनर्जी खतम हुई वह अलग है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, अब जो एनर्जी पैदा कर रहे हैं, कामर्शियल एनर्जी बहुत महंगी है और नान-कामर्शियल एनर्जी गोबर आदि के रूप में है। हमारे यहां बहुत प्रयोग हुए लेकिन हल पर प्रयोग नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, ट्रैक्टर आये··

श्री अध्यक्ष : सूर्य की किरणें हैं, वायु की शक्ति है।

श्री यदुनाथसिंह : सभी तरह से वातावरण खराब होता है। जो फर्टिलाइजर्स हैं जिनकी टैक्नोलाजी डवलप कर रखी है उनका बहुत बुरा परिणाम सामने आने वाला है। फर्टिलाइजर्स का अन-बैलेन्स्ड यूज कर रहे हैं। केमीकल फर्टिलाइजर जमीन को खराब कर रहे हैं। उनसे 2-3 बार प्रोडक्टिविटी बढ़ती है फिर जमीन खराब हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : उनसे अनाज, दालों, सब्जी फलों का स्वाद भी बिगड़ जाता है।

श्री यदुनाथ सिंह : स्वाद भी बेकार हो जाता है। यहां तक कि जानवरों के दूध की महक गायब हो गई है।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, पशु धन से एनर्जी मिल रही है। लेकिन हमारे यहां पशुओं पर प्रयोग नहीं हुआ। इतनी उनकी नस्लें पैदा नहीं की गई। खेती की जब बात होती है, इकोनोमी की बात होती है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे राज्य की 56 प्रतिशत आय खेती से होती है, तो खेती के साथ साथ पशु-पालन को प्रोत्साहन देना होगा, फूड और एनर्जी के लिहाज से आज भी 64 प्रतिशत ट्रांसपोर्टेशन पशुधन से होता है 70 प्रतिशत खेती आज भी बैल से की जा रही है इसलिए पशु पालन पर ध्यान दिया जाय।

जहां तक बिजली का सवाल है, बिजली की स्थिति बड़ी खराब है। इस पर फिर 18 करोड़ के टैक्स लगाये हैं। इसलिये यह बजट हमारी प्रोडक्टिविटी को घटाने वाला है। 18 करोड़ का टैक्स लगाया लेकिन इसके लिये दिया कुछ नहीं। 18 करोड़ बिजली से निकालें तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि इस राशि को बिजली पैदा करने पर ही लगायेंगे। अध्यक्ष महोदय, 18 में से 1 करोड़ बिजली पर लगाया है। बिजली पर 222.03 करोड़ रखे, पिछले साल 115.16

(श्री यदुनाथसिंह)

करोड़ थे। इस साल विद्युत उत्पादन और संबद्ध सेवा ट्रांसमिशन पर रखा है 56.11 करोड़ जबकि पिछले साल 50.12 करोड़ था। ग्रामीण विद्युतीकरण पर पिछले साल 17.36 करोड़ थे, इस साल 16.63 करोड़ रह गये। मतलब खेती पर बिजली देना ही नहीं चाहते। खेती की जमीन से उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे तो मेरी समझ में नहीं आता राजकीय आमदनी को कैसे बढ़ायेंगे?

श्री परसराम मदेरणा : खेती के उत्पादन के लिए बिजली अलग से है क्या?

श्री यदुनाथसिंह : नहीं साहब, इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण का हैड अलग है। आपने शायद पढ़ा नहीं बजट''

श्री परसराम मदेरणा : वह विद्युतीकरण की बात है।

श्री यदुनाथसिंह : नये साधन बढ़ायेंगे नहीं तो फिर कैसे पैदावार बढ़ायेंगे?

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पैसा जो बढ़ाया वह 5.65 करोड़ रुपया बढ़ाया है। पिछले साल पलाना के लिये 5 करोड़ रखा थे और इस साल एक करोड़ ही रखा है। एक करोड़ रुपया 18 करोड़ रुपये में से लगाया है। राज्य का ट्रान्समिशन लास पिछले साल 24.77 करोड़ का था, यह मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया है। एक पर्सेन्ट जो ट्रान्समिशन लास है वह 1.5 करोड़ के बरांबर है इसका मतलब प्रति वर्ष 46 करोड़ रुपये का तो आपके यहां पर ट्रान्समिशन लास हो रहा है। 37 करोड़ रुपया आपका बकाया है। एक-एक करोड़ की एक-एक इण्डस्ट्री पर बकाया है। 20 करोड़ की चोरी होती है। इस प्रकार अनुमान लगायेंगे तो एक अरब तीन करोड़ रुपये का घाटा सीधा मोटे तौर पर बिजली विभाग में नजर आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, यह 1980-81 की जो रिपोर्ट आयी है, उसमें आपको नजर पड़ेगा। इस दिशा में सरकार कि जो पैसा अलाट होता है उसमें कितना प्रशासन पर खर्च हो रहा है। यदि 16 परसेन्ट से ज्यादा आप सरकारी खर्च कर देंगे तो वह नान डवलपमेन्ट हो जाएगा, यह इकानामिक्स का सीधा सिद्धांत है। अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह 1980-81 की रिपोर्ट है पर आम तौर पर यही ट्रेन्ड रहता है, खर्चा बढ़ ही रहा है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इसमें उन्होंने दिया है। "1980-81 के कुल आयोजना भिन्न व्यय पर 80-81 के प्रशासनिक व्यय की प्रतिशतता इन सैक्टरों और उन सैक्टरों में निम्न प्रकार रही :

राज्य वित्तीय सेवाएं	88%
प्रशासनिक सेवाएं	82%
सचिवालय सामान्य एवं सामुदायिक सेवाएं	85%
कला और संस्कृति	79%
चिकित्सा	67%
परिवार कल्याण	91%
शिक्षा	69%
सूचना और प्रसारण	58%
सामान्य सेवाएं	78%
कृषि और सम्बद्ध सेवाएं	60%

इतना प्रशासनिक खर्च हो रहा है।

(श्री यदुनाथसिंह)

होता यह है कि जितना पैसा इन सैक्टरों पर खर्च करने के लिये सरकार की ओर से अलाट होता है उसको खर्च नहीं कर पाती है। मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट में 17 परसेन्ट कम खर्च किया, आवास में 20 परसेन्ट कम खर्च किया। क्षेत्र का विकास में 14 परसेन्ट पैसा कम खर्च किया। श्रम और रोजगार के मद में 47 परसेन्ट पैसा कम खर्च किया है। पुनर्वास एवं सहायता में 36 परसेन्ट पैसा कम खर्च किया है। प्राकृतिक आपदाओं एवं राहत में 22 परसेन्ट पैसा कम खर्च किया। सहकारिता पर 38 परसेन्ट कम पैसा खर्च किया। लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण पर 23 परसेन्ट पैसा कम खर्च किया। सामुदायिक विकास पर 26 परसेन्ट पैसा कम खर्च किया। सिंचाई पर 14 परसेन्ट पैसा कम खर्च किया। विद्युत पर 19 परसेन्ट पैसा कम खर्च किया। इसी प्रकार सभी मद ऐसे हैं, अध्यक्ष महोदय; जिनमें हमने पैसा कम खर्च किया है। तो इसका मतलब क्या है ? जो बजट है उसका अर्थ क्या रह जाता है ? पहले तो ज्यादातर पैसा प्रशासनिक खर्च में खर्च करते हैं ····

श्री परसराम मदेरणा : यह आंकड़े आप किस से दे रहे हैं ? ऑडिट रिपोर्ट से?

श्री यदुनाथसिंह : यह 1980-81 की रिपोर्ट है यद्यपि ·

श्री परसराम मदेरणा : कल ही मिली है।···

श्री यदुनाथसिंह : जी हां। हमने तो पढ़ ली आपको देख कर आना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, राज्य का चहुँमुखी विकास हो, राज्य में बिजली पैदा हो। बिजली के लिये पानी, हम मानते हैं कि We are not a riparian State लेकिन जहां से पानी आ सकता है उसके लिये प्रयास किया जाये। हमारा परमाणु का मामला अटका पड़ा है। कोटा थर्मल पावर प्लांट के लिये जब से मैं इस विधान सभा में आया हूँ तब से हर बार यह कहा जाता है कि मई, जून में यह कमीशन हो जाएगा। हर साल यह कहा जाता है।

श्री अध्यक्ष : सत्र होता है उसमें ही दो महीने आगे की मियाद दे देते हैं।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस तरह कोटा थर्मल पावर प्लांट पूरा नहीं हो पा रहा है। मंत्री महोदय को पता नहीं, मुझे याद है पिछली साल गवर्नर महोदय ने 1981 में जो अभिभाषण यहां पर दिया था, उसमें कहा था कि हमारी जो डेली रिक्वायरमेन्ट है वह 180 लाख यूनिट की है लेकिन इस साल जब यहां पर विद्युत मंत्री महोदया उत्तर दे रही थीं तो उन्होंने कहा कि हमारी डेली रिक्वायरमेन्ट 172 लाख यूनिट है। तो क्या हमारी मांग घट गयी ? पता ही नहीं है, क्या हो रहा है। इनको मालूम नहीं है, क्या हो रहा है। इसलिए; अध्यक्ष महोदय, जितने जल्दी छोटे छोटे प्लान्ट लगेंगे उतने जल्दी बड़े प्लांट नहीं लग पायेंगे क्योंकि बड़े प्लांट में बहुत केपिटल लगेगी··

श्री परसराम मदेरणा : यह आपने गवर्नर की स्पीच से कहा है।

श्री यदुनाथसिंह : आप देख लीजिये उन्होंने 180 लाख यूनिट डेली रिक्वायरमेंट बतायी है।

श्री परसराम मदेरणा : पेज नम्बर ?

श्री यदुनाथसिंह : पेज तो देख कर बता दूंगा। जवाब दें तब देख लेना।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली का सवाल है, सिंचाई और बिजली पर ही राज्य का विकास आधारित है। बिजली से ही उद्योगों का विकास होगा। हालांकि उद्योग भी माइंस पर आधारित लगायेंगे तो संभव है कि राज्य की इकानामी में फर्क पड़े बाकी और चीजें पैदा करने से फर्क नहीं पड़ेगा।

जहां तक लिग्नाइट की बात है, हमारे मुख्य मंत्री हमेशा लिग्नाइट पर आधारित प्लांट को सुपर थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। किन्तु इससे सुपर थर्मल पावर प्लांट चलना संभव नहीं है। क्योंकि जो लिग्नाइट कोयला होता है उसमें बहुत मॉइस्चर होता है, ज्यादा दूर ले जाने से वह बिखर जायेगा। इसलिये छोटे-छोटे प्लांट लगाये जायें। बीकानेर से बाड़मेर और जोधपुर ले जायेंगे तो वह सुपर थर्मल पावर प्लांट उससे नहीं चलेगा। इसलिए मुख्य मंत्रीजी यह कल्पनाएं छोड़े और छोटे-छोटे प्लांट लगायें। इससे ट्रान्समिशन लास भी कम होगा और जो एक पावर हाउस बन्द होता है तो बरबाद पूरा एरिया हो जाता है, वह बरबाद नहीं होगा। एक जगह पर इसका असर पड़ेगा तो दूसरी जगह आप उत्पादन भी बढ़ा पायेंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार अपनी नीतियों में आमूल-चूल परिवर्तन करे और छोटे-छोटे उद्योगों को गांवों में प्रोत्साहन दे। यह तभी होगा जब कि खेती की पैदावार आप बढ़ा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में और देश में पूंजी नहीं है। हमारे देश में और पाश्चात्य देशों में यही अन्तर है। हमारी नीतियां, जो पाश्चात्य दिमाग के लोग बनाते हैं, में इसलिये गड़बड़ होती है कि हमारे यहां पर पूंजी की कमी है और लेबर सरप्लस है। वहां पूंजी की बहुलता है और लेबर की डेफिसिएन्सी है। इसलिये उनके यहां तो नीतियां ऐसी ही चाहिये कि पैसा भले ही कितना ही लगे आदमी कम लगें। हमारी यहां नीतियां ऐसी होनी चाहिये कि पैसा कम लगे और आदमी भले ही कितने लगें। इसलिए हमें नीतियों में इस तरह का परिवर्तन करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : उनके पास पैसा ज्यादा है और अपने पास आदमी ज्यादा है।

श्री यदुनाथसिंह : यही मैं कह रहा हूं। ऐसा प्लानिंग होना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में आबादी का प्रेशर और भी ज्यादा है। राजस्थान में भरतपुर में प्रति वर्ग मील सबसे ज्यादा आदमी है। पापूलेशन का एक्सप्लोजन भी सबसे ज्यादा भरतपुर में हो रहा है।

श्री यदुनाथसिंह : जी हां, हो रहा है तो क्या करें। सबसे ज्यादा आबादी भरतपुर में नहीं है। सबसे ज्यादा एक्सप्लोजन भी नहीं है। सबसे छोटी पर केपिटा होल्डिंग वहां पर है और डेन्सिटी सबसे ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि हमारी नीतियां ऐसी बनें कि पैसा ज्यादा नहीं लगे। छोटे-छोटे जो ट्रेडिशनल

(श्री यदुनाथसिंह)
हमारे काम हैं, खेती में ऐसे नये-नये आविष्कार करें जहां तक सिंचाई का मामला है, अध्यक्ष महोदय, हर बार सदन में इस बात को कहता रहा हूँ कि अलीगढ़ में मैंने ऐसा ट्यूब वेल देखा है जिसे भैंस और बैल द्वारा चलाया जाता है, बैल्ट घूम जाती है तो उसमें से पानी निकलता है चार-चार इंच मोटा पानी बहुत फोर्स से फेंकती है। इसलिए उस टैक्नोलोजी को क्यों नहीं डवलप किया जाये। इससे ऊर्जा भी नहीं लगेगी। पशु धन की जो ऊर्जा है उसको भी इग्नोर करके नहीं चलना चाहिये। इसमें सुधार किया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

चराई बन्द नहीं की जा रही है। चराई बन्द करने का प्रश्न दूसरा है इससे मैं सहमत नहीं हूँ। पुलिस का एक्शन गलत था। यह मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर सिंचाई के साधन बढ़ाये जायें, विद्युत का उत्पादन बढ़ाया जाये।

श्री परसराम मदेरणा : पशु धन की एनर्जी तो कई हजार मेगा वाट है।

श्री यदुनाथ सिंह : जी हां, है। कौन मना कर रहा है। ज्यादातर ऊर्जा पशुओं की होती है।...

श्री परसराम मदेरणा : प्रधान मन्त्री ने भी नैरोबी में यह बात कही है कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा अगर एनर्जी है तो वह पशुधन की है, बैलगाड़ी में है।

श्री यदुनाथसिंह : कहने से नहीं होता है। कुछ किताबें छापकर देश के स्तर पर बांट देने से कुछ नहीं होगा। उस पर अमल कीजिए। उस पर अमल करने की आवश्यकता है। अमल कीजिये। यहां पर पशुधन पर आज तक कोई संयोग नहीं हुआ है जो यहां कि इकोनामी में ब्रेक थ्रू करे। जो पशुधन की नस्ल है, देशी नस्ल है वह बरबाद हो रही है, भूखों मर रही है। उसको प्रिजर्व नहीं किया जा रहा है। हमारे देश की जलवायु के अनुरूप, वातावरण के अनुरूप जो साधन हैं उनको डवलप करेंगे तो, अध्यक्ष महोदय, भला होगा वरना बरबादी होती रहेगी। दिल्ली और जयपुर से जो घोषणाएं की जाती हैं समाजवाद की, वह घोषणा घोषणा ही रह जाएगी। जब जमीन पर जाकर देखते है तो वही गरीबी नजर आती है। दिन पर दिन गांव बरबाद हो रहे हैं। खेती पर आश्रित रहने वाले बरबाद हो रहे हैं। खेती पर निर्भर रहने वालों की तादाद बढ़ रही है

मंत्री महोदय, जो आप बेरोजगारी के आंकड़े दे रहे थे वे चौंकाने वाले हैं। अर्थशास्त्र के नियमों का अगर आप ध्यान रखें तो वे आंकड़े बुरी तरह से चौंकाने वाले हैं। इसलिए आप इस तरह के उद्योग धंधों को लगावें, राज्यों में दें। अशोक लीलेण्ड का कारखाना लग रहा है तो उससे आपको क्या फायदा हो रहा है मेरी समझ में नहीं आता। उसमें के आदमियों को रोजगार मिल रहा है? पैसा किसके पास जा रहा है? आपको ऐसे उद्योग धन्धे लगाने चाहियें जिससे गांवों में रोजगार मिले। महात्मा गांधी ने यही बात कही थी। उन

(श्री यदुनाथसिंह)
से बड़ा फिलासफर कोई नहीं हुआ। उनसे ज्यादा मार्क्स भी नहीं सोच पाया। उन्होंने यही कहा है कि गांव को यूनिट मानो और ऐसा काम करो जिससे पैसा कम लगे और आदमी ज्यादा लगें। इस तरह छोटे-छोटे उद्योग धन्धे लगने चाहिये। जब आप देखते हैं कि खातेदारी में नाम, रामधन, जाति कुम्हार, पेशा खेती। इसका मतलब यह है कि वह पहले कुम्हार था और अब खेती पर निर्भर है। खेती पर दबाव बढ़ रहा है।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां पर प्रतिवर्ष सैकड़ों, अरबों रुपया बड़े बांधों पर खर्च किया जा रहा है। सूखे का परमानेन्ट हल इससे नहीं होगा। गांवों में जो तालाब हैं उनको रेस्टोर करके जितना पानी मिले उसको इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक न तो पीने के पानी की समस्या हल होगी न सिचाई की समस्या हल होगी। इतना ही मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री बिहारीलाल।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि आज मेरा नम्बर लास्ट नहीं है।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) : अध्यक्ष महोदय, आज हम 1983-84 का जो बजट पेश हुआ है उसको पास करने जा रहे हैं। कई माननीय सदस्यों ने आपके समक्ष विचार रखे। मैं भी अपने विचार आपके माध्यम से रख रहा हूं। वास्तव में जो बजट पास किया जाता है वह इसलिए किया जाता है कि विकास की गति बढ़े। माननीय सदस्य सुझाव देते हैं उनके अनुसार राज चलाने वाले जो प्रतिनिधि हैं जो हमारे प्रतिनिधि बनकर बैठे हैं वे उसको व्यवस्थित तरीके से चलायें। वास्तव में जनता के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी जब तक एक नहीं होते तब तक मैं समझता हूं कि विकास की कड़ी एक नहीं होती। चाहे भ्रष्टाचार की बात कहें या कोई किसी भी प्रकार की बात रखें पर मैं समझता हूं कि तीनों कड़ियां, जनता के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी का एक होना जरूरी है। तुलसीदास जी ने कहा है कि "जहां सुमति वहां सम्पति नाना, जहां कुमति तहां बिपत विधाना।" जिस राज में ये तीनों एक नहीं हों वहां पर आप चाहे कितना ही बजट पास करलें, कितनी ही स्वीकृति दें, जो लीकेज होता इन तीनों की जिम्मेदारी है कि उस लीकेज को रोकें। जिस क्षेत्र से हम जन-प्रतिनिधि आये हैं उस क्षेत्र में आप जो बजट दे रहे हैं उसको सही तरीके से काम में लें।

मैं मेरे क्षेत्र की बात आपके सामने रख रहा हूं, मैं कोई राजस्थान की बात नहीं करना चाहता। जब मुझे चांस मिला, जनता ने मुझे चुना, करीबन ढाई साल होने को हैं, मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां अकाल पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष : पौने तीन साल हो गये।

श्री बिहारीलाल पारीक : मैं समझता हूं, आप प्रकृति से कितना मुकाबला करेंगे? प्रकृति का जब प्रकोप होता है, मैं समझता हूं, हम कितनी भावना रखें फिर भी, उससे मुकाबला नहीं कर सकते। हम केवल भावना की दृष्टि से विचार कर सही तरह से जितनी भी सेवा कर सकें, करें। इसमें

(श्री बिहारीलाल पारीक)
सहयोग की भारी जरूरत है। आज जो असहयोग हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से मेरे विचार रख रहा हूं।

एक बार बावजी चतरसिंह जी, जो बड़े सन्त हुए, आ रहे थे। एक किसान खेत में चड़स जोत रहा था तब वे वहां से निकले दिन भर, अध्यक्ष महोदय; चड़स चलता रहा और रास्ते में पानी फूट आया खेत में गया नहीं। खेत में जो काम करने वाला आदमी था, वह दिन भर देखता रहा कि अब बेल मेरे खेत में आयेगी, अब क्यारा पानी पीयेगा। तो बावजी ने कहा, "दिन आंतियों, बलक भागगिया क्यारो न पीदो एक, गैलस में पानी फूट गियो रे, राज चलावा आलो अब तो देख।" मैं मेरी भावना आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। जब से प्रजातन्त्र बना, जब से जनता को राज सौंपा, हम सभी राज के जिम्मेदार लोग हैं। हम बजट बनाते, बजट पेश करते हैं ध्वनि मत देकर। विकास को गति देने के लिए हम बजट को पास करते हैं। परन्तु दिन आंत जाय और खेत में बेल पहुँचे ही नहीं इसके लिए....

श्री अध्यक्ष : यह बीच में फूट जाता है पानी।

श्री बिहारीलाल पारीक : पानी जब फूट जाता है इसके लिए, अध्यक्ष महोदय, सरकारी अधिकारी बहुत जिम्मेदार हैं, यह मन्त्रिमण्डल बहुत जिम्मेदार है और हम लोग भी जिम्मेदार हैं। अध्यक्ष महोदय, जनता का प्रेम कब मिलेगा जब हमको जनता चुनकर भेजती है तब यह आशा रखती है कि हमारा विधायक जो विधान सभा में गया है, राजस्थान सरकार जो बजट पास कर रही है निश्चित तौर पर हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा बजट लायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हम तो केवल वार्ड मैम्बर हैं। मैं मेरी भावना से बात कह रहा हूँ हम तो केवल वार्ड मैम्बर हैं। जो मन्त्रीगण के जो स्थान होते हैं उनमें आप देख ही रहे हैं कि ये पानी का फावड़ा लेकर खड़े रहते हैं तो ज्यादा पानी इनके चला ही जाता है। हम कोशिश करते हैं कि नहीं फूटे फिर भी हमारे यहां कितना पानी आ पा रहा है उसके लिये मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। मेरा माण्डल क्षेत्र है वहां भयंकर स्थिति है।

मैं उस दिन मेरी बात रखना चाह रहा था लेकिन माननीय सदस्य ने बीच में कुछ व्यवधान कर दिया। मैंने एक बात कही थी कि यह 35 वां वर्ष जा रहा है, राज जो बना; तीस साल तक बराबर एक सा बना रहा। बीच में कुछ व्यवधान आगया....

श्री अध्यक्ष : बीच में आ गये।

श्री बिहारीलाल पारीक : जनता ने थोड़ी परीक्षा ली और उसने दूसरों को राज सौंप दिया। तो वह ऐसी गति हुई, अध्यक्ष महोदय, जैसे किसी किसान का खल्ला तैयार किया हुआ हो और दूसरे लोग आ जायें और उस किसान को भगा दें। ऐसे खल्ला किसी के हाथ में आगया....

श्री अध्यक्ष : क्यारी में पानी पहुँचे और बीच में बिजली बन्द हो जाय तो काफी देर लग जाती है वापस पहुँचने में

Page No 131

(130)

श्री बिहारीलाल पारीक : तो, अध्यक्ष महोदय, वास्तव में ऐसी ही बात हुई कि बिजली चली जाय और खेत में पानी की बेल टूट जाय। वैसी गति जो बीच में आयी उस तरफ मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना करूंगा, भावना की बात कह रहा हूँ। वास्तव में जो ढाई साल का वह जो पीरियड रहा, वह भी अकाल ही पड़ा। जो विकास करना चाहिए था जनता की मार्फत, जनता की भावना के अनुसार, वह नहीं किया। मैं उस समय सरपंच था। मेरे क्षेत्र में 700 लेवर लगी हुई थी उस समय जब कि बरसात खूब थी। यह सही है, हकीकत है। आप आंकड़े देख लीजिये। मैं एक जगह का सरपंच था। मैं जितने मजदूर लगा सकता था; लगाये। जितने आदमी लगा सकता था; लगाये। जितना धान बांट सकता था उतना बांटा। कोई देखने वाला नहीं था। जब राज के प्रतिनिधि देखते नहीं हैं तो, अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आपका बजट वैसे ही बह जाता है जैसे बावजी ने कहा कि कुएं का पानी दूसरी तरफ चला गया। ऐसी ही गति उस समय रही। जब ढाई साल समाप्त हुए, जनता ने देखा कि वास्तव में हालत खराब है, यह इस देश को बरबाद कर देंगे, फिर हम लोग जिस पार्टी में आज है उसका राज आया। उसका भी ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। ढाई साल बीत गये आपकी स्थिति भी मैं समझता हूँ, आपने कड़ी जोड़ी नहीं है।

मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय, का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, एक मन्त्री बिराजे हुए हैं, मैं समझता हूँ, बहुत सजग हैं, वे अकाल राहत मन्त्री भी रहे हैं। आप कहते हैं कि जंगल में जितने ज्यादा वृक्ष लगेंगे, बरसात उतनी ज्यादा होगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वह वन विभाग के मन्त्री जी होते तो वन कहां लगाते? जहां से मवेशी निकलते हैं, किसान गांव से बाहर मवेशियों को ले जाते हैं वहां पर ये वन लगाना चाहते हैं। वन विभाग की कितनी ही जमीन है उस पर ये कभी वन नहीं लगाते। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूँ, यह सच्ची बात है कि वन अधिकारी हर साल किसानों को लूटते हैं। मेरे क्षेत्र में तो उन्होंने इतना आतंक मचा रखा है हर साल 50-60 हजार बकरी के....

श्री अध्यक्ष : भीलवाड़ा जिले में जब यह हालत है तब और जिलों में तो हालत और भी खराब होगी।

श्री बिहारीलाल पारीक : अध्यक्ष महोदय, सरसब्ज एरिया नहीं है। मैं जानकारी दे रहा हूँ, भूल गया होऊं तो शुद्ध कर लूं कि चार आना बकरी की चराई लेते हैं उस की जगह ये एक रुपया लेते हैं। आठ महीने चराई होती है वहां ये चार आना के बजाय तीन रुपया उनसे प्रति माह वसूल कर लेते हैं। आप हिसाब लगा लो कितना उनको पैसा मिलता है।

दूसरा, जितना जंगल सरकारी अधिकारियों ने कटवाया है और जितना ये काट रहे हैं, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आपका जो विचार है आयुर्वेद की दृष्टि से, वह पूरा नहीं होगा। भौगोलिक स्थिति जो हमारे देश की बनी हुई है, सारे जंगलों में जितनी मगरियां थीं

(श्री बिहारीलाल पारीक)

वे कोरी हो गई हैं। बरसात बरसने के लिये भी कहते हैं कि ज्यादा जंगल होगा, हरियाली ज्यादा होगी तो बरसात ज्यादा होगी। जंगलों का सत्यानाश कर डाला। जो अकाल की स्थिति आयी है उसकी रोक थाम के लिए वन विभाग के अधिकारी और वन मंत्रीजी ध्यान देंगे। अकाल की बात पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अकाल हर साल पड़ता है, उसमें काम हो रहा है। हम हमारी जनता की भावना के अनुसार सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि यह रोड पक्की बननी चाहिये, यह पुलिया पक्की बननी चाहिये इस पर से गाड़ियां पास होनी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि वास्तव में करोड़ों रुपये इन रोड पर लग रहे हैं। वहां पर आज भी मैटिरियल पड़ा हुआ है। इनको ध्यान नहीं है, इनको जानकारी नहीं है, जैसे ये भूल जाते हैं। इस साल हमने रोड़ें देखी हैं। पहले जब पहाड़िया सरकार थी उस समय कलेक्टर को अधिकार बताया था ढाई लाख तक बनवाने का। हमने 10-10 टुकड़े जोड़ दिये उनको इन्होंने एक कर दिया पता नहीं कैसे व्यवस्था करते होंगे, कैसे हिसाब रखते होंगे। हमारा जो बजट पास होता है उसको कैसे लगाते होंगे? मुझे तो इस पर बड़ा असंतोष है। मैं तो यह जानकारी देना चाहता हूं कि मैंने खुद स्थिति वहां पर देखी है कि मैटीरियल खूब पड़ा हुआ है। हमने इनको उसकी जानकारी दी। हमने कहा, रोलर और लगा दीजिये रोलर दे दीजिये आप। रोलर देने से कम से कम एक सड़क पक्की हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, इनके जितने भी काम हैं उनको आप देख लीजिये। ढाई वर्ष में मेरे क्षेत्र में जितनी रोड बनी हैं एक दो को छोड़कर सब बरसात में टूट गई। उन पर ये कोई ध्यान नहीं देते। यह तो समझते हैं कि जो पैसा लग रहा है और अकाल में जो बजट आप देते हैं वह तो बिखेरने के लिये है। इनकी जिम्मेदारी नहीं है इनकी भावना राष्ट्र के प्रति नहीं है। सरकारी अधिकारी इस पर ध्यान दें। हम जनता के प्रतिनिधि है, हम लोग हमारी भावना इनको बताते हैं। हम विधान सभा में बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बीमार था, घर चला गया था इसलिये गत विधान सभा सत्र में नहीं बोला। इन्होंने अमल किया क्या? मैं आपसे अलग मिलूंगा और आपको बताऊंगा हम विधान सभा में हमारी बात कहते हैं। मन्त्री महोदय के कहने पर भी सरकारी अधिकारी उनकी बात को नहीं मानते हैं। ऐसा लगता है कि उनका आपस में मेल जोल नहीं है। पता नहीं क्या बात है। आप बजट पेश करते हैं, बजट में पैसा देते हैं मेरी समझ में नहीं आता है कि वह पैसा जाता कहां है। . .

श्री भैरोंसिंह गुर्जर (खारची) : सुपीरियर है!

श्री बिहारीलाल पारीक : मैं मेरी समस्या की बात कर रहा हूं।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, सब्सिडी के मामले में कहना चाहता हूं। अभी प्रशासन गांवों की ओर गया। मैं भी कई जगह पर गया। मैं सच्ची बात कहना चाहता हूँ, वास्तव में जो पैसा सरकारी अधिकारी दो चार वर्ष में लूटते थे, प्रशासन गांवों

(श्री बिहारी लाल पारीक)
की ओर में प्रत्येक पंचायत में एक दो दिन में लूटा है। मेरे पास प्रमाण हैं। मैंने खड़े रह कर सबसे पैसे दिलवाये हैं।

वन विभाग के बारे में एक बात कहना भूल गया था। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां एक बोरख्या पंचायत है, मैं जो बोल रहा हूं वह रिकार्ड पर आ रहा है आप पता लगा सकते हैं, बोरख्या पंचायत में कम से कम वन विभाग के अधिकारियों ने प्रत्येक व्यक्ति से 400-400 रुपये, 300-300 रुपये लिये हैं जो मैंने वापस दिलवाये हैं। मैंने 10,000 रुपया वापस दिलवाया है लेकिन फिर भी उन अधिकारियों को हटाया नहीं गया है। इसका मतलब क्या है? अध्यक्ष-महोदय, हम कैसे जी सकते हैं? इन की भावना हमारे प्रति यह बनी वापस चुनाव आयेंगे और उनका फंदा मिटे इनको वोट नहीं मिले। वो लोग वोट देने में भी भाग लेते हैं। जनता को गुमराह करने में लगे रहते हैं। कुछ एजेन्ट होते हैं, अध्यक्ष महोदय, पुलिस के मार्फत जिनका काम ही यह है, जो इनकी सहायता करने में लगे रहते हैं हम तो भावना ही बता सकते हैं। इनका इतना बड़ा गिरोह बन चुका है जिस पर यदि यह मन्त्रिमण्डल और मन्त्री महोदय ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर सरकारी अधिकारी छा जायेंगे। सरकारी अधिकारी जो कुछ जुड़ना चाहिये उसको तोड़ने में लगे हुये हैं। मैं समझता हूं कि इसी वजह से आपके बजट में लीकेज होता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ये सब भी उसमें शामिल हैं क्या?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : हां।

श्री बिहारीलाल पारीक : मैं सब्सिडी वाली बात निवेदन कर रहा था। भेड़, बकरी के लिये अनुसूचित जाति वालों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है वह पैसा किसके पास जा रहा है? प्रशासन गांवों की ओर अभियान में एक मंत्री थे और जिलाधीश महोदय थे, 12 आदमी खड़े करके मैंने कहा, इनसे हालत पूछिये। उस अधिकारी का नाम नहीं बताना चाहता। उस अधिकारी को वहां पर पेश किया। उस अधिकारी ने कहा कि अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हारी भेड़, बकरी नीलाम करा दूंगा, गड़बड़ करोगे तो किसी को लोन नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है; प्रशासन गांवों की ओर आया है मैं निश्चित तौर पर तुम्हारी मदद करूंगा। 12 आदमी मैंने खड़े किये। उन 12 आदमियों ने 400-400 रुपये उस अधिकारी को दे दिये। 100-100 रुपये कुंडी लगाने वाले डाक्टर के बाकी थे वह उन्होंने रोक लिये। मैंने उनसे कहा कि तुम यह पैसा क्यों देते हो। उन्होंने कहा, साहब, एक भैंस हमने बैंक के मार्फत ली 2500 रुपये में, उस पर 1250 रुपये की सब्सिडी अधिकारी जी ने मुझे कहा कि यह तेरे बाप का पैसा तो है नहीं, हमने 1500 के बजाय 1000 रुपये की भैंस बना दी इसलिये 500 रुपये की सब्सिडी मिली है उसमें भी हमारा हिस्सा है इसलिये मैंने यह किया। तुम्हारा क्या बिगड़ता है तुमको तो कुछ देना नहीं पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जितना भी पैसा सब्सिडी का जा रहा है वह गरीबों के पास नहीं पहुंच पाता है। गरीबों को आपका लोन भी नहीं मिलता। मैं एक बैंक का अध्यक्ष हूं, मैंने कई के पेमेंट भी रोक रखे हैं। कई लोग

(श्री बिहारीलाल पारीक)

किसी भावना से गये, हमने उनके पेमेंट भी रोके हैं। बड़े-बड़े अफसर उन अधिकारियों को बुलाकर डांटो हैं और कहा हैं कि आपने भैंस पर लोन दिया वहां पाड़ा भी मिल जाता तो हम यह रुपया सैंक्शन कर देते। अध्यक्ष महोदय, सब्सिडी की हालत यह है। यह अपना पैसा डूब जायगा इस पर आपको रोक लगानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : वसूलियां शायद जब चुनाव आयेंगे उस वक्त शुरु हो जायेगी।

श्री बिहारीलाल पारीक : फिर तो, अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना चाहिए कि लेख लिखा के लिखा मर लिख लिख काले अंक, तिल घटे ना राई बढ़े। फिर तो जो होना होगा वह होगा, अध्यक्ष महोदय। फिर तो कुछ कर भी नहीं सकते, कोई उपाय भी नहीं है। हम तो हमारी भावना के अनुसार ही बात कह सकते हैं। हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की गलत गतिविधि होती है तो हमारा फर्ज है, धर्म है, हमको जनता ने वोट देकर आपके पास विधान सभा में इसलिये भेजा हैं कि हम आपके मार्फत इन मंत्रियों से कहें और ये मंत्री सजग रहकर इस राज को चलायें। हमारी भी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदार लोग हैं क्योंकि जिन्होंने हमको वोट दिया है या नहीं दिया है उन सबके हम प्रतिनिधि हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां पर सिंचाई विभाग का कोई तालाब बना नहीं है। मैंने कई बार लिख कर दिया है। जो पुराने अकाल राहत मंत्री थे आज भी वे अकाल राहत मंत्री हैं उनको मेरे क्षेत्र में ले गया हूं। अब्दुल रहमान चौधरी आज यहां नहीं हैं उनको ले गया हूं जिनके, बाबूजी, भाग आ गये। उनको ब्लफ देना पड़ा। गरीब लोग वहां पर भयंकर धूप में आठ घन्टे काम करते हैं उनको डेढ़ रुपया इन्होंने पेमेन्ट दिया। गत विधान सभा सत्र में भी मैंने यह बात कही आज भी आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि उन गरीबों को पेमेंट आज तक नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, क्या बुरा हुआ ? जनता ने हमको चुनकर भेज दिया या तो यह बुरा हुआ, या कोई पक्षपात हुआ है तो उसकी जाँच होनी चाहिये। क्या कारण है कि उन गरीबों को आज तक पेमेंट नहीं दिया गया।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : दो साल और कहना पड़ेगा अभी तो तब पेमेंट होगा।

श्री बिहारीलाल पारीक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि एक डांग है। 6 पंचायतों ने यहां तक कहा कि चाहे हमको 13 किलोमीटर जाना पड़ा हमारे एक एक व्यक्ति को लगाइये, आप उदयपुर जिले के आदमी और लगा दीजिये पर वह बिलन की डांग बनवा दीजिये जिससे कि हमारे यहां पर एक बड़ा तालाब बन जायेगा। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, दो साल तक मेरे चिल्लाने पर भी, ध्यान आकर्षित करने पर भी आज तक एक व्यक्ति को भी नहीं लगाया।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी मार्फत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था, सिंचाई विभाग के तालाब जो अभी सुपुर्द किए उसके लिए हमने मना किया था और कहा था कि

(श्री बिहारीलाल पारीक)

जो तालाब टूट गये हैं बरसात में, उनको सुपुर्द करिये। अध्यक्ष महोदय, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इन्होंने नये तालाब सैक्शन किये। मेजा का तालाब नया सैक्शन किया। मेजा का तालाब सैक्शन कराकर जो वहां से 13 किलोमीटर दूर एक छोटा सा तालाब है गूजरों की बस्ती है, सरपंच की जिनसे नहीं पटती है उस सरपंच ने वहां पर काम नहीं करवा कर दूसरे तालाब पर काम करवा कर उन लोगों की आय बन्द करवाई। मैंने आपकी मार्फत ध्यान आकर्षित किया है। अध्यक्ष महोदय, आपकी चमक तो है, आपका डर तो है। वह अधिकारी रातों रात भगे, रात में जाकर उस आड़ तुड़वाई, उसको तहस-नहस करवाया। दूसरी जगह से लेबर ले गए, वहां से ले गए यह तो भगवान जाने। लेकिन मैं जब यहां से वापस गया तब तक तो उन्होंने आड़ तुड़वा दी। मैं आपका आभारी हूं कि कम से कम आपके डर से इन लोगों ने काम किया जिससे उस गांव को राहत मिली। मैं आपका आभारी हूं। कम से कम आपका डर तो लगा, मंत्रियों का डर तो इन अधिकारियों को नहीं है। आपका जरूर डर लगा कि विधान सभा चल रही है, कहीं अध्यक्ष महोदय ने जोरदार एक्शन ले लिया तो निश्चित रूप से हमारी नौकरी जा सकती है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, सिंचाई मंत्रीजी विराजे हुए हैं, 13 किलोमीटर दूर अकाल में काम स्वीकृत हुआ, जो आपका काम नहीं है, उसका कारण क्या है? 13 किलोमीटर दूर जाकर तालाब बन्द करवाया। अध्यक्ष महोदय, उसका कारण क्या था?

दूसरी बात, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को पानी चाहिए। पानी निकालने के लिए बिजली चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बजट तो इतना अच्छा बनाया कि आपने कोई टैक्स नहीं लगाया। बढ़िया किया। परन्तु बिजली में क्या हो रहा है। बिजली तो आप दो नहीं हो और पैसे पूरे वसूल कर रहे हो। ... को आज तक बिजली मिली नहीं है। लोग चिल्लाते हैं। जब प्रशासन गांवों की ओर गया, तब एस. ई. वगैरह ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, आपको 6 घन्टे बिजली मिलेगी और निश्चित तरीके से मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, जब अधिकारी और मंत्री हमें कह देते हैं कि निश्चित तौर पर बिजली मिलेगी तो हम भी दृढ़ होकर जनता को कहते हैं कि निश्चित तौर पर आपको पांच घंटा बिजली मिलेगी 6 की बात करते हैं हम जनता को पांच घंटे कहते हैं। यह पांच घंटे कहते हैं तो हम उसको चार घंटों के लिए कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जनता को आधा घंटा भी बिजली नहीं मिल पाती। मैं बता रहा हूं कि यह किसानों के साथ खिलवाड़ होता है। बिजली के लिये जोरदार घोषणा आप कर देते हैं। मंत्री जी को अधिकारी पूछते हैं या नहीं पूछते हैं। वगैर पूछे कहते हैं तो उनका एक्सप्लेनेशन काल करिये। बिजली नहीं हो तो मत दीजिये पर आप जो सभाओं में घोषणा करते हैं, जब लोगों का कोप आता है उसको शांत करने के लिये असत्य बोलकर, झूठ बोलकर जो यह बात कह देते हैं उसका हमारे ऊपर असर कितना होता है?

अध्यक्ष महोदय, हमारी क्या स्थिति बनती है। जब इनकी नहीं चलती है तो कहते क्यों हैं। फिर इन्होंने मीटरों का किराया बढ़ा दिया बिजली की रेट क्या

(श्री बिहारीलाल पारीक)
कर रखी है ? आज की तारीख में बिजली की स्थिति क्या है ?

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया है, माननीय सदस्य ।

श्री बिहारीलाल पारीक : अध्यक्ष महोदय, आपके क्षेत्र में भी यही स्थिति होगी । मेरे क्षेत्र में बिजली नहीं आई । हालत इतनी खराब है कि 13 तारीख को भी घेराव किया गया है । वह बात भी मैंने आपके मार्फत यहां पर रखी है । अकाल की स्थिति पर भी मैंने उस दिन प्रकाश डाला था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं ।

मेरे क्षेत्र में एक नगरपालिका है । अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 12-12, 13-13 किलोमीटर के क्षेत्र को जोड़कर नगरपालिका बना दी । छोटे-छोटे गांव मिलाकर नगरपालिका बना दी । वहां पर नल नहीं लगा सकते, पानी की टंकी तो गांव में रह गई । वहां पर कोई स्कूल नहीं खोल सकते हैं, हैंड पम्प नहीं लगा सकते हैं, वहां पर नालियां नहीं बना सकते, बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं हो सकती । वहां पर जो कर्मचारी हैं उनका 6-6 महीने का पेमेंट बाकी है ।

श्री अध्यक्ष : फेमिन का काम भी नहीं चल सकता है वहां ।

श्री बिहारीलाल पारीक : मैं आ रहा हूं उस पर, आपकी बड़ी कृपा है जो याद दिला दिया । फेमिन की स्थिति इतनी खराब है कि मुझे तारीख 17 को आपसे छुट्टी लेकर वहां बैठना पड़ा । पहले वहां पर जो लेबर लगाई थी उसको हटा दिया । उनको पता नहीं कैसे सुराग मिला कि सरकार की तरफ से काम है । मैं इनसे पूछना चाहता हूं, दिसम्बर से फरवरी तक काम किया उसके पेमेन्ट का क्या हुआ ? होली आ गयी, अध्यक्ष महोदय, परसों ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य, समय काफी हो गया है ।

श्री बिहारीलाल पारीक : दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं ।

होली आ गयी है । होली पर उस लेबर का पेमेन्ट करना बाकी है । वह सारे मेरे घर धरना देंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपसे प्रार्थना करूंगा, आप अकाल राहत मंत्री जी को निर्देश दीजिए कि वह कलैक्टर को आर्डर दें····

श्री अध्यक्ष : कोई प्रस्ताव लाओ तो कुछ करें अपन ।

श्री बिहारीलाल पारीक : अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा हुई, आपने मुझे समय दिया । मैं बातें तो बड़ी भावनात्मक कह सकता हूं, मेरा बड़ा दर्द है । मेरे यहां पितास से गोडास के बीच में एक नदी पड़ती है, एक देश से दूसरे देश में जाती है । यह ऐसी स्थिति है ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : देवेन्द्रसिंह जी आ गये हैं सुनेंगे ।

(व्यवधान)

श्री बिहारी लाल पारीक : तो मैं इनका बड़ा अहसानमंद रहूंगा । जनता ने मुझे भी यहां चुनकर भेजा है, इस बजट का हिस्सा दें । मैं तो मेरी भावनायें ही व्यक्त कर सकता हूं ।

(श्री बिहारीलाल पारीक)

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैंने आपके समक्ष मेरी भावना रखी। मैं समझता हूं, निश्चित रूप से वन विभाग के अधिकारी ठीक व्यवस्था करेंगे, अकाल राहत में पक्का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री बिहारीलाल पारीक : नगरपालिका पर वज्रपात हो रहा है। काम भी कराया, बंद भी कर दिया। पेमेन्ट नहीं हो रहा है। वह पेमेन्ट करने की कृपा करेंगे।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : भालू खां।

श्री भालू खां (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। चूरू में टैक्निकल कॉलेज खोलने का सरकार ने निर्णय लिया है, इसलिये मैं चूरू की जनता की ओर से और मेरी ओर से आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिल्डिंग दो पहले।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री भालू खां : दूसरा, मेरे क्षेत्र की समस्या के बारे में आपके माध्यम से निवेदन कर देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, चूरू हर साल भयंकर अकाल की चपेट में रहता है। वहां अकाल का स्थायी हल नहीं निकल पाता है। सरकार हर साल फेमिन में काम चलाती है लेकिन स्थायी काम नहीं होता है। वहां रेत कच्ची सड़कों पर डालते हैं। वह उड़ जाती है और कार्य वैसा का वैसा रह जाता है। मेरा यह सुझाव है कि जो भी काम कराये जायें वह पक्के, पुख्ता काम हों। जितना काम हो उतना तो आइंदा के लिये काम आये। चूरू से तारानगर के बीच में करीब 20 साल पहले रोड का काम कराया, हर साल फेमिन में काम चालू रहता है। किन्तु वह काम निपटता नहीं। 6-7 किलोमीटर तारानगर की तरफ से डामर पड़ गया, 2-3 किलोमीटर चूरू की तरफ से पड़ गया, बीच में सड़क पर धांधला जमा हुआ है। सरकार ने उस रोड को इस साल फेमिन में मंजूर किया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है उस रोड को डामर डलवा कर पूरा कराया जाये। चूरू, तारानगर, भादरा, सरसा, चण्डीगढ़ से वह रोड जुड़ती है, बहुत महत्वपूर्ण रोड है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चूरू जिले की जो समस्यायें हैं, उनके सम्बन्ध में निवेदन कर देना चाहता हूं। चूरू जिला हैड क्वार्टर है। चूरू में बस स्टैण्ड नहीं है, बस डिपो भी नहीं है। इसलिये मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि चूरू में इस साल बस डिपो खुलना चाहिये। चूरू की जनता को बहुत तकलीफ हो रही है, वहां पर बस खड़ी रहने के लिये कोई जगह नहीं है। न तो वहां बस डिपो है, न बस स्टैण्ड है। चूरू जिला हैड क्वार्टर है लेकिन वहां पर, अध्यक्ष महोदय, सूचना केन्द्र नहीं है, लोग इधर उधर सूचना के लिये भटकते फिरते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या होता है।

श्री भालू खां : मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं, पिछले साल मुझे सरकार

(श्री भालू खां)

के द्वारा यह आश्वासन मिला था कि अगले वर्ष चूरू में सूचना केन्द्र खुल जायेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि इस साल चूरू में सूचना केन्द्र खोला जाये। चूरू में देहाती क्षेत्र बहुत ज्यादा है। हॉस्पिटल के अन्दर ब्लड बैंक नहीं है। लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि सरकार ब्लड बैंक चूरू में खुलवाये ताकि जो मौतें होती हैं, उनसे लोग बच सकें। चूरू में शिशु केन्द्र नहीं है। वहां बहुत-सी औरतें अपने प्राण दे देती हैं। चूरू जिला हैड क्वार्टर है। इसलिये चूरू जिले के अन्दर शिशु केन्द्र खुलवाया जाये।

अध्यक्ष महोदय, चूरू पशुपालन का इलाका है। चूरू के अन्दर पशुओं के लिये ज्यादा से ज्यादा धनराशि दिलाई जाये ताकि पशुपालक ज्यादा से ज्यादा खरीद-फरोख्त कर सकें। अध्यक्ष महोदय, चूरू में दूध का बड़ा भण्डार है वहां चिलिंग प्लाण्ट लगाना चाहिये। चिलिंग प्लाण्ट के बगैर किसान अपना उत्पादन पूरा नहीं ला सकते। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चूरू में चिलिंग प्लाण्ट की योजना जल्दी से जल्दी लागू करें ताकि किसानों को लाभ हो सके।

अध्यक्ष महोदय, चूरू एक ऐसा जिला है जो पूरे राजस्थान को अनाज दे सकता है लेकिन वहां पानी का अभाव है। वहां जमीन बहुत अच्छी है। हमारे चूरू जिले का बॉर्डर हरियाणा व गंगानगर से जुड़ा हुआ है। सीमा से पानी गुजरता है और चूरू के लोग सीमा पर खड़े देखते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चूरू जिले में पीने के पानी और सिंचाई के लिये नहर का पानी आ जाये तो चूरू जिला भी गंगानगर से कम नहीं है। बार-बार हम चूरू वालों ने यही निवेदन किया है। मैं पिछली बार भी विधान सभा में इसी मुद्दे, चूरू जिले में पानी दिया जाये, पर बोला था। हमारे जिले में इस साल भी काफी धनराशि फेमिन में मंजूर की गयी है लेकिन वह भी रेत डालने के लिये मंजूर की गयी है। मेरा यह निवेदन है कि इस धन को अगर सही ढंग से लगाया जाये तो चूरू जिले में नहर आ सकती है। मैंने सुना है कि चूरू जिले में फेमिन रिलीफ के लिये 10 करोड़ रुपया मंजूर हुए हैं। अगर सही ढंग से काम हो तो चूरू जिले में पूरी की पूरी नहर जा सकती है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चूरू जिले में नहर लाई जाये। हम चूरू जिले के लोग इधर देख रहे हैं कि गंगानगर होती हुई जोधपुर की तरफ नहर जा रही है। हम प्यासे खड़े हैं बोर्डर पर। यह चूरू जिले की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि चूरू जिले की तरफ भी ध्यान देकर चूरू जिले में नहर लाई जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय न लेकर एक ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट रखा है, वह बहुत ही अच्छा बजट है। उसमें कोई नया कर नहीं लगाया है, इसलिये मैं बजट का स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं सरकार को, इस बजट को सही ढंग से, ईमानदारी से इस्तेमाल किया जाये।

जय हिन्द।

Page No 139

138

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक !

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हर साल बजट रखा जाता है और हर साल की तरह इस बार भी 605 करोड़ का प्रारूप केन्द्र को भेजा गया था, उसमें से केवल 450 करोड़ रुपया ऑन गोइंग स्कीम्स के लिये था। 416.74 करोड़ का बजट एक तारीख को प्रस्तुत किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके अतिरिक्त कल करीब दो अरब की सप्लीमेण्ट्री डिमाण्ड्स सदन में पुट की गयीं और पास की गयीं। आज हम जब एप्रोप्रिएशन बिल के लिये यहां विचार कर रहे हैं, जो करीब 18 करोड़ से कुछ ही अधिक है, इतनी बड़ी धनराशि का एप्रोप्रिएशन हम कर रहे हैं। इतने बड़े प्रदेश का सवाल है, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरे साल भर का कार्य है, मगर हमारी सरकार की उदासीनता देखिये, वित्त मंत्री यहां मौजूद नहीं, वित्त राज्य मंत्री यहां मौजूद नहीं हैं। अब एक वर्ष में एक बार भी सरकार गंभीरता अडॉप्ट नहीं करती है, इस समय महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारी इतनी नॉन सीरियसनेस है। यह नॉन सीरियसनेस साल भर कन्टीन्यू करती है। इस वर्ष जो बजट पुट किया है वह एक ब्यौरा है, ईयर ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादन वर्ष का और आगामी वर्ष के लिये कुछ आंकड़े दिये गये हैं। सदस्यों ने इसे यथास्थिति वाला बजट कहा है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपकी पुकार की पूर्ति हो गयी।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : वित्त मंत्रीजी का स्वास्थ्य कैसा है, अध्यक्ष महोदय ?

एक माननीय सदस्य : बीमार होते हुए भी आ गये।

श्रीमती विद्या पाठक : प्रतिगामी बजट कहा है, पर मैं इसमें कुछ ऐड करके कहना चाहूंगी कि न केवल यथास्थिति वाला बजट है, प्रतिगामी बजट है बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टता, भ्रष्टता से परिपूर्ण यह बजट है। आंकड़ों का यूटिलाइजेशन, जो वर्ष अगले वर्ष होगा, उसका एक बड़ा भौंडा प्रदर्शन है। एक बड़े विकृत रूप में उसका प्रदर्शन किया है। विकास व्यय में यहां निरन्तर कमी बतायी है। प्रतिवर्ष होने वाला घाटा बढ़ता जा रहा है, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा। इसी तरह से शुद्ध घाटा 44.80 करोड़ का रहने वाला है। ऐसा घटिया बजट पुट किया गया है इस घाटे के साथ। यह घाटा तो तब है जब यह बताते हैं कि 22 प्रतिशत बजट पिछली बार से इस बार अधिक है। यह घाटा तो तब है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कि पिछली बार का जो ओवर ड्राफ्ट था वह लांग टर्म लोन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और जिसकी इस साल इनको कोई भी किश्त चुकानी नहीं पड़ी है। सोशल सर्विसेज में घटते हुए आंकड़े हैं। 1981-82 में जो 43 प्रतिशत के आंकड़े थे वह 1983-84 में 41.96 प्रतिशत रह गये। यह जनहित के लिये सरकार की इच्छा शक्ति और सरकार की प्रवृत्ति को इंगित करते हैं।

इसी तरह जैसा अभी माननीय सदस्य ने

(4.30 म. प.)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

Page No 140

(139)

(श्रीमती विद्या पाठक)

कहा, रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन और खेती से सम्बन्धित जितनी विकास की योजनायें हैं उनमें घटते हुये आंकड़े इस बात को प्रदर्शित करते हैं, इस बात को बताते हैं कि पिछले साल विकास कतई नहीं हुआ और अगले साल भी इसकी कोई किसी तरह की संभावना नहीं है। प्रति व्यक्ति आय 1970-71 को अगर हम बेस मानते हैं तो 885 हमारे राज्य की है और उसमें से 184 रुपया तो लौट कर के राज्य कोष में ही करों के रूप में चला जाता है। यह स्थिति आज आम आदमी की सम्पन्नता की है।

दूसरा, जहां हर फाइव ईयर प्लान में साढ़े 5 से साढ़े सात प्रतिशत ग्रोथ रेट प्रति वर्ष अन्य प्रान्तों की जाती है, ऐसी कल्पना यहां भी की जाती है कि इतना तो विकास होना ही चाहिये। परन्तु 1965 से कभी भी साढ़े तीन प्रतिशत से ज्यादा किसी भी प्लान वर्ष में नहीं रही और हमारे प्रदेश की तो और भी कम है। इसके लिये एक मजाक प्रचलित है कि श्रीमती गांधी जब तक रहेंगी तब तक साढ़े तीन प्रतिशत से आगे ग्रोथ रेट बढ़ ही नहीं सकती। माननीय सभापति महोदय, रिकार्ड मेनडेज लॉस अगर हुआ है तो वह इस वर्ष में हुआ है। इस उत्पादन वर्ष 1982 में, पिछले 15-20 साल के आंकड़े निकाल कर देख लीजिये, राजस्थान में रिकार्ड मेनडेज लॉस हुआ है जिसकी संख्या 14 लाख एक हजार के आस-पास है। नुकसान कभी भी इतना नहीं रहा।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात का लाभ उठाना चाहूंगी कि माननीय वित्त मन्त्री यहां मौजूद हैं। माननीय वित्त मन्त्री जी, केन्द्र ने इस बार आय कर में लोएस्ट स्लेब में कुछ रिलेक्सेशन्स दिया। 28 फरवरी को केन्द्र का बजट पेश हुआ, एक मार्च को आप बजट लेकर सदन में आये हैं। लोअर स्लेब ऑफ इन्कम टैक्स में कुछ रिलेक्सेशन तो केन्द्रीय बजट में दिया गया मगर सरचार्ज बढ़ा दिया। इन्कम टैक्स में से 90 प्रतिशत आय जो होती है वह हमारे प्रदेश को मिलती है। लोअर स्लेब्स घटाने और सरचार्ज बढ़ाने से केन्द्र ने आपका तो शेयर कम्पेनसेट किया मगर हमको जो लॉस हुआ उसके प्रति उत्तरदायित्व आपका सदन में होना चाहिये। परन्तु न तो उसके ही बारे में आपने कहीं अखबार में कहा है, सदन में भी नहीं कहा। कोई फुट नोट के माध्यम से लिखित में भी नहीं कहा। आप इस बात को ध्यान रखिये कि केन्द्र सरकार हमें, आपको, इस प्रदेश को इकोनोमिकली बेगर बना कर रखना चाहती है, क्या करना चाहती है। आपका मौन इस बात का स्पष्ट इन्डीकेशन है कि आपकी केन्द्र में लॉबी और साख, दोनों कमजोर हैं। केन्द्र की इस साजिश को आप समझें। आप राज्य के हितों के साथ इसका समझौता नहीं करें। इसके लिये बहुत जरूरी है कि आप व सरकार विजीलेन्ट रहती। मैंने आपको आंकड़े जो बताये हैं उसमें यह आवश्यक हो गया है, आप इस बात पर भी विचार करें। सदन भी इस बात का प्रस्ताव करे, जैसा अन्य स्थानों पर होता है। यहां भी मिडटर्म में बजट के प्रयोग पर सदन में विचार होना चाहिये कि आपकी नीतियां किस तरह की चल रही हैं, बजट के छः महीने पूरे होने के बाद कितना बजट का यूटिलाइजेशन

(श्रीमती विद्या पाठक)

आप कर पाये हैं, आदि। वरना लास्ट मिनट पर्चेज जो हमेशा होती रही हैं या जो धन मेजर बजट हैड्स में इस बार भी लैप्स हुआ है वह होता ही रहेगा। इसलिये आप मेरे इस सुझाव पर भी विचार कीजिए।

चन्दनमल जी बैद ने कहा कि सी. ए. डी. योजना को आप जारी रखना चाहते हैं। आपकी आपस की लड़ाई और आपस की फूट में हमारी एक महत्वपूर्ण योजना की बलि हो गई। इसके लिये पैसा भी राज्य सरकार को खर्च नहीं करना था परन्तु आप इसे खतम करना चाहते हैं। इसके बारे में भी जवाब देंगे कि बजट में इसके लिये आपने कुछ भी राशि क्यों नहीं रखी है। इसलिये आपके बजट की बात सही मानी जाय या जो माननीय बैद जी ने यहां सदन के फ्लोर पर कहा है उस बात को सही माना जाय ?

माननीय सभापति महोदय, एक और सबसे ज्यादा खतरनाक बात है जो आंकड़े देने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर विकास खर्च कम होगा, घाटा होगा तो जनता उसको भुगत सकती है, विकास धीरे होगा तो वह कभी न कभी बढ़ाया जा सकता है मगर जो वेल्यूज का डिवेल्यूएशन इस सरकार ने अपने कर्मों से पिछले 3 वर्ष में किया है यह अनप्रिसिडेन्टेड है। माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार तो पैसे का डि-वेल्यूएशन करती है लेकिन राजस्थान की सरकार ने मान्यताओं का, सिद्धान्तों का डि-वेल्यूएशन करना शुरू किया है और यह ट्रेन्ड निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है। साधनों के डि-वेल्यूएशन का सबसे बड़ा सबूत यहां पर इरेस्पोन्सिबिली दिये जाने वाले गलत जवाब हैं। इस डि-वेल्यूएशन का सबसे बड़ा सबूत स्थगन-प्रस्ताव के समय में ट्रेजरी बैन्चेज पर कन्सर्निंग मन्त्रियों का नहीं होना है और हर बार यह जवाब देना है कि जो कुछ आप कहते हैं, सदन के अन्य प्रतिनिधि कहते हैं, सदस्य कहते हैं वह गलत है। जो अधिकारियों द्वारा पका पकाया जवाब आता है उनके अपने डिफेन्स में, उसको आप अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसते हीं नहीं। यह डिवेल्यूएशन आप सदन का कर रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों का कर रहे हैं। तीन दिन से इस सदन में चर्चा हो रही है नगरपालिका के अध्यक्षों के बारे में। उन चुने हुये प्रतिनिधियों के बारे में इस सदन में जो कुछ सदस्य कह रहे हैं वह बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, फैक्ट्स सबूत सहित आपके सामने रख रहे हैं मगर आप इस संस्था का, चुने हुये प्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं रखते। इतना उनको डि-वेल्यूएट करना चाहते हैं कि इन संस्थाओं पर से जनता की आस्था ही उठ जाय। आपके अधिकारी आप पर हावी होते चले जायेंगे। यह एक इन्डीकेशन है, इस पर आप विचार करिये। माननीय सभापति महोदय, इसका नतीजा यह हुआ है कि सरकार के प्रति जनता की भावना यह बन रही है, आज जनता कह रही है कि सदन फ्यूटाइल है, सरकार के आश्वासन के कोई मायने नहीं हैं। आज जनता यह कह रही है कि जन प्रतिनिधियों में लोगों की आस्था घटती जा रही है।

एक एक काम आप देखिये। ब्यूरोक्रेसी एण्ड पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव जो हैं उनमें

(141)

(श्रीमती विद्या पाठक)

डाइरेक्ट कनफ्रन्टेशन आपने करवा दिया। आपके मन्त्रियों और आपके अधिकारियों की नहीं बनती। आपके अधिकारी, आपके मुख्य मन्त्री को शिकायत करते हैं। आप बी. डी. ओ. और प्रमुख और प्रधान में नहीं पटने देना चाहते हैं। आपने कनफ्रन्टेशन की स्थिति बना दी है। आप अधिकारी और जूनियर और सबोर्डिनेट में नहीं बनने देना चाहते हैं उनमें कनफ्रन्टेशन की स्थिति ला दी है। डिसिप्लीनरी एक्शन जैसी कोई चीज आपके प्रशासन में कहीं दृष्टिगत नहीं होती है। कई जगह ई. ओ. और नगरपालिकाओं के चेयरमैन को लड़ा रहे हैं। चेयरमैन, नगरपालिका कार्यवाही जो आपके नियमों के अन्तर्गत है, समय पर नहीं कर पाते हैं। यह खतरा अन्य किसी प्रतिनिधि को नहीं, आप लोग स्वयं और आपकी सरकार को हो जायेगा। इस बात पर आप विचार करें। जुडिशियरी में जिस तरह से पोलिटिकलाइजेशन चल रहा है, कहने की आवश्यकता नहीं अभी दो दिन पहले ही चर्चा हुई है। यूनिवर्सिटीज को आपने टोटली पोलिटिकलाइज्ड करके रख दिया। सर्विसेज के अन्दर पे-अनामोलीज हैं, सीनियोरिटी में एनामोलीज हैं। कर्मचारियों के अन्दर जो असन्तोष है उसको आज आप नहीं बांध पा रहे हैं। उसको देखने की जरूरत है। आपकी नाक के नीचे सरकार की नाक के नीचे, मन्त्री महोदय, फर्जी हस्ताक्षरों से बिल उठाये जा रहे हैं, फर्जी हस्ताक्षरों से प्रमोशन किये जा रहे हैं, फर्जी हस्ताक्षरों से ट्रान्सफर्स किये जा रहे हैं। इसकी चर्चा रोज अखबारों में व सदन में हो रही है और आप इसके प्रति गम्भीर नहीं हैं।

इसी तरह से फोर्जरी के केसेज भी आपकी जानकारी में सदन में लाये जाते हैं। यह बड़ी गम्भीर चीजें हैं जिनके लांग टर्म रिपर्कशन्स बहुत खराब होने वाले हैं। इस गम्भीरता को आप समझें। फाइलें आपके विभागों से गायब हो रही हैं पर वे कौनसी फाइलें हैं? या तो परचेजिंग में घोटालों से सम्बन्धित हैं या भ्रष्टाचारों से सम्बन्धित हैं। फिर चाहे वह आयुर्वेद विभाग की फाइल हो, चाहे नगरपालिका सांगानेर में के. के. शंकरन जो तत्कालीन पंचायत कलेक्टर थे, ने डिमोलिशन्स के लिये जिन फाइलों पर आदेश लिखा कुछ अन आथोराइज्ड कन्सट्रक्शन को तोड़ने का, वह फाइलें हों। ऐसी फाइलें गायब हैं। इसके विपरीत अन-आथोराइज्ड कन्सट्रक्शन बढ़ते जा रहे हैं। जे. डी. ए. से फैक्ट्री डिमोलिशन की फाइल गायब हो गई। राजस्व विभाग से जमीनों के लगान की फाइल गायब हो गई। रिकार्ड बदल कर जिन्दा लोगों को मृत घोषित कर दिया। ऐसे कम से कम 6 केसेज मेरी जानकारी में हैं, जिनमें लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और उसके बाद फाइल ही गायब हो गई। अब उनको न्याय कहां मिलेगा? और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर आप किस लिये हैं यहां?

इसी तरह से मन्त्रियों के आदेशों से सम्बन्धित बहुत गम्भीर मसले हैं जिनकी चर्चा अखबारों में भी हुई है कि किस तरह से लोगों को पॉलिटिकल, राजनैतिक तरीके से गलत आदेश देते हैं जिसके कारण उन अधिकारियों को अपनी सीमायें तोड़कर मुख्य मन्त्री को वह फाइल पुट करनी पड़ती

(श्रीमती विद्या पाठक)

हैं। एक अभी इनके केन्द्रीय मन्त्री, मुझे नाम लेने में संकोच नहीं होना चाहिये पेपर में आ चुका है, पी. एस. सी. में सिफारिश के लिए श्री कलानाथराय ने शिक्षा मन्त्री को चिट्ठी लिखी है। सारी वारदातें सामने हैं उसके बावजूद हमारे विधि मन्त्री जी ने यूनिवर्सिटी को एक चिट्ठी लिखी है। वाइस चान्सलर को चिट्ठी लिख दी कि सलेक्शन होने वाला है और उसमें प्रोफेसर सुप्रिज्म फलां व्यक्ति को अपाइन्ट किया जाय। सभापति महोदय, जब कि इसके लिए चयन समिति है, सारी प्रक्रिया निर्धारित हैं। उस मामले को सदन में पुट करने की इजाजत जब हमको अध्यक्ष महोदय देंगे उसके बाद ही चर्चा की जायेगी सभापति महोदय, पत्रकारों, मजिस्ट्रेट और ऐसी संस्थाओं की जिन्हें हम आटोनामस मानते हैं, पवित्र मानते हैं।

सभापति महोदय, महात्मा गांधी की प्रतिमा को 5 अप्रेल को खण्डित किया गया। इस बारे में आपके लोक सभा अध्यक्ष ने भी चिन्ता व्यक्त की है कि यह बड़ा गलत ट्रेण्ड शुरू हो गया है। गांधीजी की प्रतिमा को खण्डित किया। 14 अप्रेल को भरतपुर में भगतसिंह की प्रतिमा को खण्डित किया। 15 अप्रेल को अलवर में अम्बेडकर की प्रतिमा पर कोलतार पोता गया। 1 नवम्बर को बापू की प्रतिमा तहस नहस कर दी गई, नेहरू की प्रतिमा की गर्दन उड़ा दी गई। पाली में बाड़वा में मोर और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। माननीय मन्त्री महोदय, मैं जानना चाहूंगी कि इनमें से कितने केसेज में आपने क्या कार्यवाही की?

इसी तरह से महिलायें, जो हमारी संस्कृति की सूचक होती हैं, का सबसे अधिक अपमान हुआ तो आपकी सरकार के टाइम में हुआ। दहेज के जितने केसेज हैं, बलात्कार से सम्बन्धित जितने केसेज हैं, सरकार के बहरे कानों में से गुजर जाते हैं। कार्यवाही शुरू हो जाती है तो, "तथ्य सही नहीं पाये गये," करके एफ. आर. लगाई जाती है। किरण हत्या काण्ड, जिसके लिये माननीय मन्त्री जी ने गत वर्ष इस सदन में आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अन्दर-अन्दर कार्यवाही होगी, मैं क्या कार्यवाही हुई? माननीय मन्त्री महोदय के आश्वासन के क्या मायने हैं? सोनी हत्या कांड की भी चर्चा सदन में हुई।

यूनिवर्सिटीज में महिलाओं की शिक्षा स्थिति के बारे में, माननीय सभापति महोदय, विशेष तौर से मैं इसलिए निवेदन करूंगी कि सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि आज के दिन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या विस्फोट की है। उसका आधार महिला अशिक्षा है। उनको बहुत रोजगार और उच्च रोजगार के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। उनको रोजगार अपार्चूनिटीज और इक्वल फैसेलिटीज की आवश्यकता है परन्तु जो महारानी कालेज, राजस्थान का सबसे बढ़िया कालेज महिलाओं का

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। शान्ति से सुनें। बातें कम करें। जोर से बातें नहीं करें।

श्रीमती विद्या पाठक : जो विद्यार्थी महिलायें हैं उनकी संख्या तो हर रोज बढ़ रही है, मगर आपको आश्चर्य होगा पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक महिला प्रोफेसर है, सिर्फ तीन महिला रीडर हैं और शेष

(श्रीमती विद्या पाठक)

लेक्चरर हैं। वे लेक्चरर ही भर्ती हुई हैं और शायद लेक्चरर ही रिटायर हो जायेंगी। अधिकांश महिला कालेज में पुरुष लेक्चरर हैं। कोई शिक्षित महिला की कमी तो है नहीं, कम्पीटिशन में वे आ जायं इसकी कमी तो है नहीं, पर सलेक्शन में सिफारिश चाहिये। इस बात पर ध्यान दिया जाय, यह बहुत जरूरी है। इसी तरह से बहुत सारी बातें शिक्षा से सम्बन्धित हैं। मैं विशेष तौर से महिला शिक्षा के विषय में कहना चाहूँगी। जहां महिलाओं की शिक्षा का प्रश्न है, एक गुरपुर ड्डा मिडिल स्कूल माननीय मन्त्री महोदय ने चार-पांच साल पहले खोला। आप दिखवा लीजिये कि तीन साल में कितनी बार शिक्षिकाओं के अभाव में वह स्कूल बन्द रहा। कितने दिन चला, आप तो यह दिखवा लीजिये। माननीय सभापति महोदय, आपको पता लग जायगा कि टीचर वहां जाती नहीं, बहुत इन्टीरियर में स्कूल है। टीचर, डॉक्टर, महिला डॉक्टर की सिक्योरिटी की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे जायं? कुछ समय के लिये तो यह व्यवस्था करनी ही पड़ेगी जब तक कि हमारा मानसिक सामाजिक वातावरण वैसा नहीं बन जाय। वहां टीचर नहीं जा पातीं। मिडिल शिक्षा तक पूल बजट की व्यवस्था है। माननीय सभापति महोदय, कल मुझे मौका नहीं मिला शिक्षा पर बोलने का, पूल बजट की व्यवस्था से सब प्रभावी अध्यापक जयपुर में ही बिराजमान रहते हैं। जयपुर के बजट में से पैसा उठाते हैं और गांवों के मिडिल स्कूल खाली रहते हैं। इस व्यवस्था पर विचार की कभी आवश्यकता नहीं समझी गई।

माननीय सभापति महोदय, मैं महिला हूं इस नाते महिलाओं की कुछ समस्या पर जोर देना चाहूंगी। मेरे को एक चिट्ठी प्राप्त हुई है। एक श्रीमती प्रमिला माथुर हैं, उन्होंने आई. जी., मुख्य मन्त्री, सबको चिट्ठी लिखी है। उनका कहना है कि उनके हसबैण्ड सी. आई. डी. में एक क्लर्क हैं जो लड़कर अलग रह रहे हैं और उनसे उनकी जान को खतरा है, उनके बच्चों की जान को खतरा है। मुझे जानकारी दी गई है उनकी सिक्योरिटी की, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। माननीय सभापति महोदय, यह नियम है कि एक आदमी अगर एक बीवी के रहते, उसको बिना डाइवोर्स किये दुबारा शादी कर लेगा तो उस पर केवल कार्यवाही ही नहीं की जायेगी बल्कि उसको नौकरी से टर्मिनेट किया जायेगा। 81 में कोटा की एक ललिता देवी से जो रीको, सवाईमाधोपुर में जे. ई एन. हैं मिस्टर रमेशकुमार, उन्होंने शादी की और 82 में दूसरी लड़की से शादी कर ली, पहली बीवी को बिना डाइवोर्स किये। उसकी जांच भी की, जो मिस्टर व्यास हैं उन्होंने जांच की मगर उस जांच का डिफेन्स क्या था? जो शादी हुई सब लोग जानते हैं, जिसके विषय में उनकी जाति समाज में चर्चा हुई, रिप्रेजेन्टेशन भेजे गये उसका क्या डिफेन्स?

माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी महिला जेल की स्थिति बहुत दयनीय है। इस बारे में मैंने बार-बार प्रश्न उठाये हैं। महिला सदन और रिटार्डेड वीमेन्स होम यहां हैं। माननीय सभापति महोदय, यह संस्था एक जेल की तरह है जिनके अन्दर हम नहीं जा सकते

(श्रीमती विद्या पाठक)

और जिनकी शिकायत वाहर नहीं आ सकती। मैं कहती हूं कि मेहरबानी करके इन्हें डिसमेन्टल कर दीजिये। ये लोग कोई अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेंगी। पर इनको क्रिमिनल डेन्स कन्सन्ट्रेशन कैम्प मत बनाइये।

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट मुझे और दें। कुछ सरपचों के बारे में भी कहना चाहूंगी। बहुत सी चिट्ठियां मेरे पास आई हैं। माननीय सभापति महोदय, जयपुर जिले के कुछ सरपंचों की चर्चा करूंगी वह भी सिर्फ उनकी जिनकी डिसिप्लीनरी एक्शन फाइनल रिपोर्ट पर मन्त्री जी पेपरवेट बन कर बैठे हैं। माननीय सभापति महोदय, एक सरपंच हैं रामनारायण शर्मा ये जयपुर जिले की मोहनपुरा पंचायत के हैं। इनकी मां के पास 25 बीघा भूमि पहले थी और आठ बीघा भूमि इनके भाई के पास थी। उनके रहते हुए इन्होंने अपनी मां को लावारिश और भूमिहीन बताते हुए भूमि आवंटित कर दी। उसके बारे में केस 69 से अब तक चला आ रहा है परन्तु इसके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। माननीय सभापति महोदय, सरपंच ठीकरिया, श्री भंवरलाल जैन के खिलाफ बगरू थाने में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई। यह भी मैं आठ साल, सात साल पहले की बात बता रही हूं। उन्होंने 15 कट्टे सीमेन्ट परमिट नम्बर 51 से एक हरिजन जाति के ऐसे व्यक्ति के नाम से ली जो तीन वर्ष पहले ही मर चुका था। इसकी एफ.आई.आर. बगरू थाने में दर्ज कराई गई, 25.1.81 को। इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मन्त्री जी को यह सब लिखित में भेजा हुआ है। पवालिया सरपंच, श्री पदमचन्द जैन, पदमचन्द, परमचन्द, श्रीचन्द अलग अलग नामों से अलग अलग जगह काम कर रहा है। यह सब जन प्रतिनिधि हैं, सरकार के डाइरेक्ट सम्पर्क में रहकर काम करते हैं। यह इस तरह से धांधली उन्होंने मचा रखी है। उन लोगों ने गांव वालों को त्रस्त कर रखा है। इरेंगुलर तरीके से लोगों से पैसा वसूल करते हैं किसी के सही काम होते हैं उसको रुकवा करके उससे पैसा प्राप्त करते हैं। सभापति महोदय, इन सभी केसेज की जानकारी मन्त्रीजी के पास है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। जयसिंहपुरा के एक सरपंच श्री लादूराम मीणा, 'प्रशासन गांवों की ओर' अभियान के दौरान एक मानिया नामक बलाई है और जो उसके साथ के 6,7 बलाई और हैं उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अब उसे खरीद की जमीन बता रहे हैं। होना तो यह चाहिये था कि यदि वह जमीन लादूराम के पास गिरवी भी रखी थी तो भी पजेशन उस हरिजन को दिलवा दिया जाता। मगर ऐसा नहीं हुआ। उतना पैसा तो वह उस जमीन पर खेती से प्राप्त कर चुके थे। जयपुर कलेक्टर महोदय को भी इस बात की जानकारी है। तहसीलदार और जो दूसरे लोग थे उनको वह जमीन मुक्त करवा कर उस बलाई जाति के व्यक्ति को दिलवानी चाहिये था। पर ऐसा उस समय नहीं किया गया, और आज तक भी नहीं किया गया है। मैं प्रश्न दे चुकी हूं, स्थगन प्रस्ताव दे चुकी हूं किन्तु आज की तारीख तक भी कोई उचित कार्यवाही अफसरों की ओर से नहीं की गई। व्यवस्था यह की जाती है, माननीय सभापति महोदय, स्पष्ट केसेज को भी किसी तरह से

(श्रीमती विद्या पाठक)

अदालत तक भेज दिया जाता है फिर चाहे लोग जो दुखी हैं; वे दुखी बने रहें।

इसी तरह से चाकसू में कन्दलाई कैम्प में वर्ष 1977 में गलत भूमि आवंटन श्री बद्री को हो गया। उसके पास पहले 18 बीघा भूमि थी, 8।। बीघा भूमि और आवंटित हो गई। मैं सदन में कह रही हूं मुझे आश्चर्य है कि सरकार क्या करती है, सदन सर्वोपरि कोर्ट माना जाता है, अगर यहीं भी गलतियों का निराकरण नहीं होता तो नीचे वाले अधिकारी क्या करेंगे ? क्यों करेंगे ? सभापति महोदय, उस 8।। बीघा भूमि का अलाटमेंट 1971 से आज तक रद्द नहीं किया गया। गलती का जब पता लगा, गांव वालों ने लिखकर एक रिपोर्ट दी कि इस आवंटन को कैंसिल किया जाना चाहिए पर वह कैंसिल नहीं किया गया। वहां के सरपंच महोदय के नाम एफ. आई. आर. भी पिछले 7-8 साल से पेंडिंग है, पर कोई कार्यवाही तक नहीं की गई। मैं पंचायत राज मंत्री पर सीधा चार्ज करना चाहती हूं और यह बताना चाहती हूं कि लाखना सरपंच श्री नाथूलाल शर्मा की 7-8 बार जांच हो चुकी, इनकी सारी पत्रावली मंत्री के पास तीन महीने से मौजूद है। अनेक सरपंचों ने लिखकर धमकी दे दी कि अगर आप इस सरपंच को सस्पेंड करेंगे तो वे बगावत कर देंगे। जब पिछली बार श्री नाथूलाल सरपंच थे तब उन्होंने सस्पेंशन की कार्यवाही की कम्पलायेंस नहीं की। कोर्ट तक ने उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया। दुबारा सरपंच के चुनाव में जीतकर आये फिर वही कार्यवाहियां कर रहे हैं। अब नयी बार सस्पेंशन की कार्यवाही के पेपर्स मंत्रीजी के पास 4 महीने से रखे हैं, 25 पेशियां पड़ चुकी हैं किन्तु उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

सभापति महोदय, महापुरा सरपंच श्री सेडूराम पर एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट में 13 चार्जेज को सही पाया गया। इस जांच पर भी मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। आज तक जांच पर कोई कार्यवाही ही नहीं की गई। इसी तरह से दूसरे केस भी हैं जिनकी फाइनल जांच पत्रावली मंत्री जी के पास है मगर कोई कार्यवाही उनके द्वारा नहीं की गई। सरपंचों में वे ही लोग दुबारा चुनकर भी आ गये। महापुरा सरपंच श्री सेडूराम ने गांव की एक मात्र तलाई,जो चरागाह की है, तक को अलाट कर दिया। जयपुर शहर वालों को अलाटमेंट किया गया है, ग्रामीण क्षेत्र वालों को अलाटमेंट नहीं किया गया। स्टेडियम के लिये तलाई को अलाट किया है जबकि तलाई किसी भी कीमत पर अलाट नहीं की जा सकती। मगर सारी निरंकुशता तब चलती है जब सरकार गूंगी और बहरी हो।

बरनाऊ सरपंच के लिए मेरे पास चिट्ठी जोधपुर से आई हुई है उनके विरुद्ध एफ. आई. आर. लाज करने के कलेक्टर और दूसरे लोगों ने शिकायत व सिफारिश लिखकर दी है। वहां लाखों का गबन है। मन्त्री जी के पास वह पत्रावली है उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। यह सब भ्रष्टाचार दिखना बंद हो गया, यह सरकार को कैसे रतोंदी हो गई। माननीय सभापति महोदय, यह भ्रष्टाचार दिखना बंद हो जाता है तो हम क्यों नहीं कहें कि सरकार खुद का इन्वाल्वमेंट है इस भ्रष्टाचार में ?......

(श्रीमती विद्या पाठक)

इन्हीं बातों के साथ आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामकंवार बैरवा!

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : सभापति महोदय, बजट पर जो चर्चा हो रही है उसमें अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। अपने इलाके की जो कमियां हैं और राजस्थान प्रदेश में जो अव्यवस्था व्याप्त है उसके लिये माननीय सदस्य अपने सुझाव दे रहे हैं। अपने इलाकों की जो कमियां हैं उसके बारे में सरकार को बता रहे हैं। सभापति महोदय, यहां की जो चर्चा है वह यहां पर ही होकर रह जाती है और विभाग उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। आपने भी यह देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जो बजट रखा गया है उसमें से तकरीबन 70-80 प्रतिशत तो विभाग के कर्मचारियों की तनख्वाह और अन्य कार्यों में ही खर्च हो जाता है और मुश्किल से 20-25 प्रतिशत विकास-कार्यों पर खर्च होता है।

सभापति महोदय, पार्लियामेंट का मेम्बर बनने का मुझे मौका मिला था तब पूरे देश में मैं घूमा था। सड़कों की हालत राजस्थान में जितनी खराब देखी उतनी किसी और प्रदेश में मैंने नहीं देखी। जो भी भ्रष्टाचार होता है, गबन होता है उसकी कोई सीमा होती है। राजस्थान में जो आज सड़क की मरम्मत करते हैं मुश्किल से एक महीना उसका मैटीरियल टिक पाता है। एक महीने के बाद वैसे के वैसे खड्डे हो जाते हैं और वही की वही सड़कों की दुर्दशा हो जाती है। कागजों में कार्य को पूर्ण रूप से पूरा होना दिखाया जाता है। इस प्रकार की राजस्थान में अव्यवस्था चल रही है। आज हमें भी महसूस हो रहा है कि हम अग्नि के ढेर पर बैठे हैं और न जाने कब हमारा खातमा हो जाय। और इसमें किसी प्रकार की व्यवस्था हो, रोकथाम...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री) : सभापति महोदय, सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है।

विनियोग विधेयक पर विचार

श्री रामकंवार बैरवा : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कभी भी हमारा खातमा हो सकता है। सरकार गहराई से इस मामले में सोचे। आज सरकार आपसी मतभेदों में, अपने ही मतभेदों की एक गुत्थी में उलझी हुई है। वह विकास कार्य करने और यहां समय देने के बजाय यहां से अनुपस्थित रहकर आपसी मतभेदों में फंसी हुई है। मैं तो देश का दुर्भाग्य समझता हूं कि एक पार्टी इस प्रकार का असंतोष बढ़ रहा है। राजस्थान के नागरिकों का विकास करने के बजाय विनाश करने की प्रवृत्ति इनकी बनती जा रही है।...

(श्री रामकंवार बैरवा)

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम माधोराजपुरा है। 9-3-83 को वहां जैसलमेर की तरफ से भेड़पालक आए और उन्होंने खड़ी फसल में भेड़ों को छोड़ दिया। वहां जो औरतें और बच्चे, खेत की रखवाली कर रहे थे उन्होंने उनको वहां से निकालने की कोशिश की तो उन भेड़पालकों ने मारपीट की। वहां से गांव वाले थाने आये। पुलिस वाले 10-20 लोग वहां गए तो दुबारा उनकी मारपिटाई पुलिस के सामने कर दी। तीसरी बार जब रोए चिल्लाए तब दोनों तरफ से लड़ाई हुई और लोगों को मामूली चोटें आईं। आज माधोराजपुरा करीब एक हजार की आबादी वाला गांव है और गरीब अमीर सब में भय का वातावरण बन गया है। जो भेड़पालक थे उन्होंने पुलिस में इस प्रकार की रपट लिखवाई कि हमारे 1300) नगद छीन लिए और ओढ़ने के कम्बल आदि और भेड़ों की चोरी करके ले गए। सभापति महोदय, जिस दिन यह घटना घटी उसके दूसरे-तीसरे दिन मुझे सूचना आ गई थी। वे लोग मुझे बुला रहे थे। लेकिन मैंने यही समझा कि भेड़पालक लोग, मुसाफिर लोग हैं और जो भी कोई घटना घटी है, आपस में ही वे कोई समझौता कर लेंगे और समस्या का निराकरण कर लेंगे। लेकिन उन लोगों ने पता नहीं कौन कौनसी जगह से टेलीफोन इत्यादि करवाकर उस गांव के जो बेगुनाह लोग थे उनको भी फंसवा दिया। उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि हमारी भेड़ों की चोरी कर ली और नोट निकाल कर ले गए। सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस घटना की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। एक तो उनकी फसलों का नुकसान हो गया, दूसरा मारपीट की। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो रही है इसलिए इसको देखा जाए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में फागी ग्राम पंचायत है। नगरपालिका जितना बड़ा उसका क्षेत्र है लेकिन अभी वहां ग्राम पंचायत ही है। सरपंच ताराचंद जैन का वैसे ही पुराना मामला था जब वह सरपंच नहीं थे। उस मामले में चालान कर उनको सस्पेंड कर दिया था। वह सरपंच श्री ताराचन्द जैन यहां से हाई कोर्ट का स्टे ले गया लेकिन उसके तुरन्त पहले राजनैतिक कारणों से नाना तोड़कर दूसरे को चार्ज दे दिया। स्टे उनको इस बात का मिला था कि सरपंच जब तक चार्ज नहीं दे तब तक वह सरपंच के पद पर बने रहें। लेकिन उन्होंने कोई चार्ज नहीं दिया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जनता के विकास का काम रुक रहा है। जब वह सरपंच ताराचन्द सस्पेंड हुआ उसके बाद दूसरा सरपंच आया है तब से काम नहीं हो रहा है। प्रधान ने भी उस ताराचन्द का स्टे देखते हुए अपनी मीटिंग में यह बात कही है कि मैं कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहता, जब स्टे इनको मिल गया है तो मैं नियमों का पालन करूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो जमीन की रेट वहां है, जितनी दिल्ली की है उससे भी ज्यादा है। 50 लाख की जमीन पर वहां बड़े लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है। जब तक आप सरपंच को बहाल नहीं करोगे, जब तक वह अपने पद पर बहाल नहीं होगा तब तक लोग नाजायज कब्जा जमीन पर करते जायेंगे। मैं कहना

(श्री रामकंवार बैरवा)
चाहता हूं कि उस ताराचन्द सरपंच को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाय। ताकि जो लाखों रुपये की जमीन पर नाजायज ढंग से कब्जा हो रहा है उसकी रोकथाम की जा सके।

दूसरा, इसके साथ-साथ ही अकाल राहत कार्य के लिए मैं कहना चाहता हूं। अकाल राहत कार्यों की कमी इस वर्ष रही। अप्रेल, मई, जून इन ढाई-तीन महीनों में कितना अकाल राहत का काम हो सकेगा? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा ··

श्री सभापति: माननीय सदस्य, असली काम तो मई, जून और जुलाई में होगा।

श्री रामकंवार बैरवा: वह ठीक है लेकिन जून, जुलाई में बरसात आ जाती है उसके कारण काम बन्द हो जाता है। तो, मेरा निवेदन है कि जिस जगह पर अकाल घोषित नहीं हुआ है और जो 50 प्रतिशत फसल प्राप्त नहीं कर सके, गिरदावरी में भी लिखा हुआ है वहां भी अकाल की स्थिति है। गलती से या राजनीतिक कारणों से उन्होंने 50 प्रतिशत नुकसान गिरदावरी में लिखा है। मेरे क्षेत्र सांगानेर, सांचरिया में भी अकाल राहत का काम खोल देना चाहिए नहीं तो प्रदेश की सरकार और भारत सरकार से जो धनराशि मिली है इस कार्य के लिए, वह सारा पैसा लेप्स हो जायगा। मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान देकर अकाल राहत कार्य जल्दी से जल्दी चालू कराने की कृपा करे।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण में करीब 342 गांव लिये हैं। इस बारे में मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं, सभापति महोदय, जयपुर में पहले सब्जियां कितनी सस्ती मिलती थीं, अब तो आप भी देखें कि आठ रुपया किलो भिन्डी मिलती है और औसतन 6 रुपये किलो से कम कोई सब्जी नहीं मिलती। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में जो गांव लिये हैं फिलहाल पंचवर्षीय योजना या अधिक लम्बे समय तक इस क्षेत्र को एग्रीकल्चर घोषित किया जाना चाहिए ताकि जयपुर के लिए सब्जियों की पूर्ति यहीं से हो सके। मैं कहना चाहूंगा कि यहां दिल्ली से ज्यादा समस्या सब्जियों की उत्पन्न हो सकती है।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से राजस्थान में पिछले 15-20 वर्ष में काफी लोगों को जमीन अलाट हुई हैं, सामूहिक रूप से खेती करने के लिए। उन जमीनों का न तो सरकार विकास करा सकी है, न वह लोग व्यक्तिगत रूप से कोई ऋण ले सकते हैं। यह तो राजस्व अभियान चलाया गया है इससे पहले मैंने सरकार को सुझाव दिया था कि उन लोगों को खातेदारी राइट दे दिया जाए जिससे वह कहीं न कहीं व्यक्तिगत रूप से ऋण प्राप्त कर सकें। लेकिन सरकार यह नहीं कर पाई। मेरा निवेदन है कि जिन लोगों को कृषि समितियों के माध्यम से जमीन दी गई थीं उनमें 90 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति के हैं। वह सोसाइटियां भंग हो गई हैं इस कारण से स्थिति यह हो गई, दूसरे लोगों को पटवारी और सरपंचों ने फार्म भरवा दिये। जो लोग अपने बाल-बच्चों

(श्री रामकंवार बैरवा)
सहित वहां बैठे हुए हैं उनसे वह जमीन छीनने की नौबत आ गई है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों को कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से जमीन दी गई है और जिनकी सोसायटी भंग हो गई हैं उनको खातेदारी राइट राज्य सरकार को अपने लेवल पर देना चाहिए, नहीं तो जो अलाटमेंट किया गया है, चक्कर चलाकर दूसरे लोग जमीन ले लेंगे और उनके पास जमीन नहीं रहेगी। यह सरपंच और पटवारी दूसरे लोगों को दे देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि उन जमीनों पर राजस्थान में 30 हजार लोग हैं, अगर प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम के तहत उनको खातेदारी राइट दे दिया जाता तो उनका भला हो सकता था। इसमें सरकार का कुछ नहीं जाता, उनको सिर्फ जमीन का खातेदारी राइट देने की बात थी, सरकार किसी और तरीके से उनको जमीन अलॉट कर सकती थी। राज्य सरकार अपने लेवल पर उनको राइट दे।

सभापति महोदय, आज प्रश्न आया था रोजगार के मामले में आपने भी बोलने में हिस्सा लिया था। रोजगार के मामले में यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सरकार वार्षिक फेमिली प्लानिंग के आंकड़े तैयार करती है उसी प्रकार से इसके भी करने चाहिए कि इस वर्ष कितने लोगों को रोजगार दिया गया। सभापति महोदय, यह बात चलने वाली नहीं है कि फेमिली प्लानिंग का लक्ष्य रख कर ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य पूरा करवायें और रोजगार की तरफ ध्यान ही नहीं देवें। यह बड़े खेद का विषय है। इस वक्त नौकरी में भी भाई-भतीजावाद चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि साढ़े आठ साल मैं पार्लियामेंट में रहा परन्तु एक आदमी को भी मैं नौकरी पर नहीं लगा सका। सभापति महोदय, मैं सीधी बात कहता हूं।

श्री सभापति : आपने यह प्रयत्न दिल से नहीं किया होगा।

श्री रामकंवार बैरवा : प्रयत्न किया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए। जो अफसर पैसा लेता वह नौकरी लगवा सकता है किन्तु कोई एम. एल. ए. या एम. पी. नहीं लगवा सकता। इस बात की गारन्टी मैं भी नहीं लेता हूं। मैं तो कहता हूं मेरे हाथ की चीज नहीं है। इस प्रकार की बातें हैं। नौकरी में भी योग्यता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति जिस कार्य के लायक हो उसको वैसी नौकरी मिले।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में वन विभाग ने काफी संख्या में कई जगहों पर पेड़ नहीं हैं, कुछ नहीं हैं, कृषि के लायक वह जमीन रुकी हुई है। मेरा यह कहना है कि जिस जगह पर पेड़-पौधे नहीं हों उस जमीन को गरीबों में बांट देना चाहिए ताकि कुछ लोग एडजस्ट हो जायें और खेती की पैदावार बढ़ा सकें।

इसी प्रकार से एक और बात मैं खनिज सम्पदा के बारे में कहना चाहता हूं। हम खनिज के पट्टे वगैरह देते हैं उनमें भी हमने देखा है, सभापति महोदय, जो लोग गरीब हैं, विशेषकर अनुसूचित जाति के है वह अधिकतर पत्थर और बजरी का काम करते हैं लेकिन उनको इनके ठेके नहीं दिए जाते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, थोड़ा संक्षेप में कहें।

श्री रामकंवार बेरवा : मैं दो एक मिनट और लूंगा।

उन्हीं लोगों को ठेका दिया जाता है जो कि बड़े लोग हैं। तो मेरा यह निवेदन है, सरकार को कम से कम यह देखना चाहिए कि कौन से व्यक्ति किस कार्य को ज्यादा संख्या में करते हैं और उन्हीं को लाभ पहुंचना चाहिए। अब आप पट्टे की खान करोड़पति और लखपति को दे दें, पत्थर की खान उसको दे दें और उस पर काम करें गरीबी? अगर आप व्यक्तिगत रूप से पट्टा नहीं देना चाहें तो उनकी सोसायटी बनाकर उनको अलाटमेंट करना चाहिए। मेरा पुरजोर शब्दों में यह निवेदन है कि जो जिस काम को करता है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं तो, सभापति महोदय, यह कहना चाहूंगा कि अगर मुझे खेती का अनुभव नहीं है तो मुझे जमीन भी नहीं देनी चाहिए, इस बात की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जो इस प्रकार के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनका भी इसमें कोटा पूरा नहीं है।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं, अनुसूचित जाति के बहुत से लोग हमारे पास आते हैं। रोस्टर प्रणाली के अनुसार जो उनका प्रमोशन होना चाहिए वह नहीं करते हैं और जो जनरल सीनियोरिटी है उसी के हिसाब से प्रमोशन करते हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा कहना है कि संविधान के अन्दर जिस प्रकार की व्यवस्था है उसके अनुसार मिनिस्टर लेवल पर एक आदेश निकालना चाहिए ताकि रोस्टर का सख्ती से पालन किया जा सके।

इसके साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि सवाई मानसिंह अस्पताल है इसमें सभापति महोदय, आप कभी पधारे हों तो देखा होगा कि जितने पलंग हैं उनमें भी दुगने लोग गलियारों में लेटे रहते हैं। इसका इतना मामला बढ़ गया कि एडजस्टमेन्ट नहीं हो पा रहा है। तो मेरा यह निवेदन है कि बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए या तो सवाई मानसिंह अस्पताल का अधिक से अधिक विस्तार किया जाना चाहिए या जयपुर के आस-पास जो बड़े कस्बे हैं, जैसे सांगानेर कस्बा है और कई कस्बे हैं, इधर जोबनेर है, फुलेरा है, उनमें अस्पताल की व्यवस्था की जानी चाहिए। कॉलेज शहर के बाहर होना चाहिए ताकि शहर में ज्यादा अव्यवस्था नहीं फैले, मेरा यह भी सुझाव है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करिये। दो मिनट में।

श्री रामकंवार बेरवा : बस समाप्त कर रहा हूं।

सिंचाई के मामले में मैं कहना चाहूंगा। कल यह बात हाउस में आई थी कि जोधपुर डिविजन में, बीकानेर और जोधपुर में बरसाती पानी इकट्ठा कर लेते हैं और उसको पीने के काम में लेते हैं। सभापति महोदय, अगर बरसाती पानी को इकट्ठा कर लेते हैं उस रेतीले इलाके में, तो जयपुर और अजमेर जिले में भी नदी नालों की संख्या बहुत अधिक है। गांवों के तालाब हैं उनका विस्तार किया जाये और नदी नालों को रोक कर उस पर जगह जगह रपट और बांध वगैरह बंधवाये जायें तो बहुत अधिक मात्रा में कुओं में पानी बढ़ सकता है और खेती की पैदावार चौगुनी हो सकती है। मैं सरकार

(श्री रामकंवार बैरवा)
से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जनता को इस तरह की नयी चीज दें ताकि लोग आकर्षित हों और उन को आगे बढ़ते हुए काम दिखाई दें। सभापति महोदय, हमारे यहां भाषणबाजी में बहुत सारी बातें होती हैं उसके बाद में कुछ नहीं होता है। ऑफिसर मौके पर जाना पसन्द नहीं करते है, चीज को देखना पसन्द नहीं करते हैं। यह कागजी काम ज्यादा चल रहा है इस समय। मेरा यह निवेदन है कि मौके पर जाकर देखें जहां कहीं भी बांध बन सकें या रपट बन सकें, वह बनवायें। इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि सड़क और यातायात की आज प्रत्येक नागरिक आशा करता है। आज प्रश्न भी इस प्रकार का आया था। सड़कों का भी एक ठोस कार्य है। अगर आप सड़कें बना देंगे तो लोगों को कस्बों में आने जाने की, अनाज और दूध ले जाने के काम में सुविधा मिलेगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, काफी समय ले रहे हैं आप।

श्री रामकंवार बैरवा : और इससे कई विकास के मार्ग खुलेंगे।

इतना ही कहना हुआ मैं निवेदन करूंगा, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री दीपचन्द जी।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरसिंह जी।

(अनुपस्थित)

श्री अमरा राम जी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : इनके बाद में मेरा नाम है ?

श्री सभापति : पहले पर्चा आउट नहीं होगा।

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, हमारा देश खुशहाल हो, हमारा प्रान्त खुशहाल हो, समृद्धिशाली हो उसके लिए हमारी सरकार की कुछ नीतियां हैं उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। आज जो आई. ए. एस. अधिकारी बैठ करके नीति बनाते हैं उसका जब पालन होता है वह बहुत ही सही रूप से नहीं होता है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि वन के बारे में जो नीति हमारी है, अभी जो नीति चल रही है, उसमें जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हमारे जितने भी वन है, नर्सरी हैं या पेड़ हैं उनके लिये देश का जितना हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसके अनुपात में जो हमें उसका प्रॉफिट मिलना चाहिये, फायदा मिलना चाहिए वह नहीं मिल सकेगा। पुराने समय में जो हमारी ओरस थी कौन उसका रक्षक था ? कोई उसका रक्षक नहीं था। न कोई रैन्जर था। और न कोई फोरेस्टर था उसके बावजूद भी हमारे अच्छे वन थे। उसके पीछे एक धार्मिक भावना थी··

श्री सभापति : पहले लोग कसम मानते थे। अब लोग कसम मानते नहीं हैं। पहले जमाने में कसम दिला देते थे।

श्री अमरा राम चौधरी : तो एक धार्मिक भावना थी जिसके कारण हर गांव के अन्दर जो एक पर्टीकूलर पोर्शन भूमि का होता था, वह ओरस भूमि किसी को

(श्री अमराराम चौधरी)

अलाट नहीं होती थी। लोगों में इस प्रकार का भय बैठा दिया जाता था कि अगर इसका कोई पत्ता भी तोड़ेगा तो वह मूर्छित हो जायेगा। इस प्रकार की धार्मिक भावना थी जिसके कारण से हमारे पेड़ पनपते रहे। लोग अब हमारे पेड़ अन्धाधुन्ध काटने जा रहे हैं। हमारे यहां विश्नोई समाज का जो इतिहास है वह यह बताता है कि वृक्ष अगर कटता है उसके लिए कोई अपने पुत्र का शीश भी कटा देता है तो उससे भी वृक्ष मंहगा है। यानी वृक्ष कटे महंगो जान, पूत कटे सस्तो जान और किसी के पुत्र है उसको वह बलिदान भी कर दे वृक्ष के लिए तो भी यह सस्ता है बनिस्बत पेड़ काटने के। हमारी जो वन के बारे में नीति है, जगह जगह रेन्जर्स वगैरह लगा रखे हैं, उसमें परिवर्तन किया जाये। मेरा यह सुझाव है कि जो काश्तकार हैं उन काश्तकारों को खेत के अन्दर या डेजर्ट एरिया के अन्दर जहां पानी हम पूरा दे नहीं सकते ऐसे खेतों के अन्दर प्रति पेड़ लगाने के लिये कुछ पैसा दें। खेजड़ी, जाल के यदि कोई भी काश्तकार अपने खेत में 10 पेड़ या 100 पेड़ लगाये या उनको तैयार करे तो उसके पीछे पैसा लगाना चाहिए। इससे डेजर्ट एरिया के अन्दर फेमिन में लोगों को सड़कों पर भी नहीं जाना पड़ेगा और आपको वन रक्षक भी नहीं रखने पड़ेंगे। कोई खर्चा नहीं होगा रेन्जर फोरेस्टर का यह वन डायरेक्टर लगा दिये और सी. सी. एफ. लगा दिये, यह कितना ही पैसा पैट्रोल में जलाते हैं। नये पेड़ लगें, कोई बीमारी हो तो उसके लिए मेडिशन्स दी जायें या कोई फलदार वृक्ष लग रहे हैं वहां तो यह बात समझ में आ रही है लेकिन यह जो डेजर्ट एरिया के अन्दर जगह जगह फेमिन में काम हो रहा है खड्डे खुदवाने का, यह तो आंधियां चलेंगी और यह खड्डे बिल्कुल खतम हो जायेंगे। इससे पेड़ लगाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। इसलिए यह खर्चा नहीं किया जाये। प्रत्येक काश्तकार, जो कम से कम एक खेजड़ी का पौधा तैयार करे दस रुपया प्रति पौधा देंगे तो मैं सही कह रहा हूं कि यह आपके पेड़ बहुत ज्यादा लग जायेंगे। पश्चिमी राजस्थान में जो बरसात नहीं होने का कारण है, अकाल निरन्तर पड़ रहा है इसकी पुनरावृत्ति भी नहीं होगी। इसलिए सभापति महोदय, सरकार को मेरा यह सुझाव है कि यह जो पढ़े लिखे लोगों के द्वारा बनाई गई नीति गांव में चल रही है इसके बारे में हमें व्यवहारिक दृष्टि से सोचना पड़ेगा। किस प्रकार से हमारी वन सम्पदा कायम रह सके और उससे हमें ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ कम खर्चा करके मिल सकें इसके लिये इस नीति के अन्दर आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, दूसरा, जो हमारे डेजर्ट एरिया के अन्दर अकाल नहीं पड़े, पानी उपलब्ध हो इसके लिए छोटी-छोटी लघु सिंचाई योजनायें हाथ में लें। डेजर्ट एरिया के अन्दर डी. पी. ए. पी. में आप छोटे-छोटे बांध लेते हैं उनको लघु सिंचाई योजना में मानें। जहां पहाड़ हों, पहाड़ों के बीच में छोटे-छोटे बांध बनाकर सिंचाई की जाय तो उससे ज्यादा लाभ हो सकता है बनिस्बत इसके कि आप बहुत बड़ी बड़ी नहरें ले जायं। राजस्थान कैनाल को आज इतने साल हो गये बाड़मेर में आने के लिये, कई बार कहा है कि बाड़मेर में लिफ्ट कैनाल

(श्री अमरा राम चौधरी)

आयेगी। मैं तो इस हाउस में तीन साल से देख रहा हूं, वैसी की वैसी हालत है आज राजस्थान कैनाल की।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान केनाल एक बहुत बड़ी योजना बनाई थी, डी. पी. धर राजस्थान में जब बाड़मेर में आये थे तब उन्होंने योजना बनाई थी कि नाचना में फलसूंड होते हुए लीक लीक ओर तक और फिर लूणी नदी के इधर आगे धोरीमन्ना तक राजस्थान नहर की लिफ्ट केनाल निकाली जायेगी। यह योजना बनाई गई थी लेकिन वह योजना आज खटाई में पड़ गई उसके बारे में कोई कार्यवाही अभी नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा• •

(5.22 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान नहर के बारे में डी. पी. धर जो भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री थे, जो योजना बनाई थी उस योजना के अनुसार राजस्थान नहर को फलसूंड होते हुए धोरीमन्ना तक ले जाना था। ऐसी योजना बनाई गई थी। हमारे डेजर्ट एरिया के अन्दर हमेशा अकाल पड़ता है इस कारण जो हमारी मवेशी हैं, भेड़ें, बकरियां, गायें हैं वे बाहर जाती हैं उसका बोझा, उसकी हड्डियां, उसकी चमड़ी कभी भी हमारे हाथ नहीं लगती है। तो आप ऐसी योजना बनाइये जिससे कि राजस्थान नहर बाड़मेर जिले में लीक नदी के सहारे सहारे फलसूंड और शेरगढ़ के किनारे होते हुए आये। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो हमेशा अकाल की पुनरावृत्ति हो रही है लाखों करोड़ों रुपये का खर्चा हो रहा है और हमारे लोगों का आर्थिक स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है उसके लिये हम कुछ काम कर सकें, ऐसी योजनायें बनाइये।

इस अकाल के अन्दर तालाब बनाने के बारे में, अध्यक्ष महोदय, आपका सही सुझाव है कि जहां पाइप लाइन नहीं जा सकती है, स्रोत नहीं हैं वहां पक्के तालाब बनाये जायें। आप खाली मिट्टी डालें तो हमारे डेजर्ट एरिया के अन्दर रेती है पानी तो उसी में चला जाता है। इस हिसाब से पक्के तालाब बनाये जायें ताकि उन तालाबों से लोगों को ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध हो सके।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ बिजली के बारे में भी हमारी समस्या है। बाड़मेर के अन्दर लिग्नाइट काफी मात्रा में मिल रहा है और सरकार बहुत अच्छी कोशिश कर रही है। दो करोड़ रुपया, एक करोड़ राजस्थान सरकार और एक करोड़ रुपया केन्द्र सरकार दे रही है, वहां पर जो काम हो रहा है उसको और तेज गति से करने के लिये। सरकार वहां बिजली का प्लांट लगाये। सरकार को बिजली उपलब्ध हो सकती है इसके लिये कोशिश करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द खनिज सम्पदा, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है, के बारे में निवेदन करूंगा। हमारे राजसर जालोर और मोकलसर के अन्दर ग्रेनाइट पत्थर मिलता है। आज जोधपुर के अन्दर टेबल, फर्नीचर वगैरह ग्रेनाइट पत्थर से बनती हैं। चोहटन जालोर, राजसर और मोकलसर में आप

(श्री अमराराम चौधरी)
सर्वे करायें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां भी बहुत बढ़िया ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट थोड़ा घटिया क्वालिटी का हो सकता है लेकिन सर्वे कराया जाये बहुत सी अच्छी किस्म का वहां ग्रेनाइट उपलब्ध हो सकता है। रामसर में जो ग्रेनाइट मिला है वह आपके जालौर से भी बढ़िया है। खेतों के अन्दर है। हमारी जो जिला कमेटी है उसमें दिखाकर के ग्रेनाइट की टाइल भी सरकार को पेश की थी। आपके जो जालौर का ग्रेनाइट है, वहां उससे बहुत ज्यादा शानदार ग्रेनाइट है। तो इस जिले के अन्दर अकाल नहीं पड़े इसका परमानेंट इलाज करने के लिये हमारे यहां उद्योग धन्धे जब तक नहीं पनपायेंगे, अध्यक्ष महोदय, तब तक हमारे देश का पैसा जो दूसरे मामलों यथा कालेजों के अन्दर, राजस्थान नहर में लगना चाहिये, हम अकाल के लिये लगाते रहेंगे और हमारे देश का विकास, हमारे देश की आर्थिक हालत अच्छी नहीं हो सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, आज पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जो बिजली उपलब्ध हो रही है, हालांकि सरकार ने इस साल बहुत अच्छा पैसा रखा है, ज्यादा से ज्यादा बिजली उपलब्ध कराई जाये, काश्तकारों को। बाड़मेर जिले में जो बिजली आती है जब यहां 7 घंटे बिजली देंगे तो वहां 3 घंटे ही बिजली पहुँचती है। कभी सिरोही से फाल्ट हो जाता है, कभी जालौर से फाल्ट हो जाता है। बाड़मेर में पीने का पानी दूर दूर के इलाके के अन्दर है वहां तो हमेशा बिजली बन्द रहती है। मेरा एक सुझाव है कि जहां जहां सरकारी कुएं हैं पेयजल के कुएं हैं उन कुओं पर बिजली लगा दें। सवाल है कि बिजली नहीं आई इसलिए पानी नहीं पहुंचा। अध्यक्ष महोदय, आज दो तीन साल से यही बात कर रहे हैं मेरा सुझाव है, जो भी स्कीम बनायें बिजली के साथ साथ आप जैनरेटर का जब तक प्रबन्ध नहीं करेंगे तब तक यह समस्या हल होने वाली नहीं है। दूसरे कारण से भी, अगर पानी नहीं आ रहा हो तो वह बताते हैं कि साहब बिजली नहीं आई। ए. ई. एन. को बात कहते हैं तो वे कहते हैं कि बिजली गई। और कोई कारण नहीं बताते। ए. ई. एन. ड्यूटी पर जाता नहीं है उसको कुछ पता नहीं रहता है। हैल्पर सो जाते हैं। जब यह दोनों आल्टर नेटिव साधन हो जायेंगे, अध्यक्ष महोदय तभी ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम के लिये वह जहां स्कीम बनी हुई है वहां सक्सेसफुल हो सकती है वरना नहीं हो सकती।

दूसरा, जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं उन सोर्सेज को अपनाना पड़ेगा सिर्फ यह नहीं हो कि धीरे-धीरे पाइप लाइन तैयार करें। जोधपुर में राणिया देसपुरा की बात इंजीनियर कर रहे थे कि वहां पानी नहीं है। मैं उनको खुद ले गया अध्यक्ष महोदय, कुछ कान्क्रीट वगैरह बाहर निकलवाई उस कारण से जहां पहले पांच मिनट मशीन चलती थी वह आज 2 घंटा, 2।। घंटा चल रही है। आज इंजीनियर कह रहे हैं कि हमें इस गांव के लिये पूरा पानी उपलब्ध हो गया। ऐसे बहुत से कुएं इस डेजर्ट एरिया के अन्दर हैं उनको यदि गहरा कराया जाये उनको बोर कराया जाये तो उन गांवों के लिये जो आप बड़ी बड़ी पाइप लाइन में पैसा खर्च कर रहे हैं वह पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। अध्यक्ष

(श्री अमराराम चौधरी)

महोदय, मेरे क्षेत्र में ऊन्डू से कुपलिया जो पाइप लाइन है उसको 15 साल हो गये पुरानी लाइन लगी हुई है। पुरानी पाइप लाइन लगने के बाद कुपलिया गांव के अन्दर एक बार भी पानी भी नहीं पहुंचा है। सन् 81 में मिलिट्री का वहां कैम्प लगा तो मिलिट्री वालों ने साहजों वाली तक पानी पहुंचा दिया जबकि कुपलिया नजदीक है। अगर ऊंडावाली से साहजों वाले तक जायें तो कुपलिया 20-30 किलोमीटर उसके नजदीक है। फिर भी वहां पानी नहीं पहुंच रहा है। इसका कारण यह है कि वहां के जो हैल्पर हैं। वहां के जो ए. ईएन. हैं, एक्स. ईएन. है वे यह टेक्निक नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से पानी पहुंचाया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां बूस्टर लगाये जायें। अगर प्रयोग के तौर पर बूस्टर लग जाता है तो वहां पानी पहुंच सकता है। नोगा में बूस्टर है। वहां हम चाहते हैं कि टंकी भेजो तो वे कहते हैं कि आपकी योजना स्वीकृत है आपको फेमिन के फंड से भी टंकी भेजें, तो भेजें कैसे। जो ऐसी पाइप लाइन लगी हुई है उन पाइप लाइनों को दुबारा खुलवा कर देखिये। वे कहीं कहीं पर तो गायब हो गई, 15 साल में। फिर क्या होगा? 15 साल में उखाड़ कर ले गये। कहीं पर गायब हो गई, कहीं टूट गई, कहीं तोड़कर ले गये आप देखिये, जगह जगह होज बने हुए हैं पर कहीं टूटी नहीं है, कहीं पाइप नहीं है। बड़ी हालत खराब है। कहीं सीमेंट टूटा हुआ है तो उसकी रिपेयरिंग नहीं की है। इस प्रकार हमने जो पैसे लगाये थे करोड़ों रुपये, लाखों रुपये वे सब नष्ट हो गये हैं। उनको पुनः चालू करने के लिये आप प्रशासन को बहुत ही एक्टिव करें। मैं सरकार से निवेदन करूंगा जब तक अधिकारी एक्टिव नहीं होंगे, उनकी पूरी देखभाल नहीं करेंगे तब तक आपकी जो भी पुरानी स्कीमें बनी हुई हैं और जहां पानी नहीं पहुंच रहा है वहां पानी आने वाले 15 सालों में भी पानी नहीं पहुंचेगे।

मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि पिछले साल मैंने एक प्रश्न किया था तो दूसरे दिन पानी पहुंचा उसके बाद नहीं पहुंचा। जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और असेम्बली में बात कहते हैं उस समय तो हमारे अधिकारी एलर्ट हो जाते हैं, तारांकित प्रश्न का जवाब देना है फटाफट जगह जगह दौड़ते हैं, जीपों से, लेकिन 15 साल से गांव प्यासा हो और वहां हौज वगैरह बने हुए हों तो भी काम नहीं होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, सरकार इस ओर पूरा ध्यान देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जहां पाइप लाइन बन चुकी है वहां से पानी जा सकता है। यह मेरा प्रेक्टिकल एक्सपीरीयन्स है, जैसा मैंने बताया कि मिलिट्री वालों ने पानी वहां से 20-30 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया है, तो वह गांव तो 20 किलोमीटर पहले है। वहां भेजने में क्या लग रहा है? वे कहते हैं, बिजली नहीं है। तो जैनरेटर दे दीजिये। महीने में एक बार भी पानी पहुंच जायगा तो गांव वाले संतोष कर लेंगे कि भाई कम से कम एक दिन तो पानी मिला ....

श्री अध्यक्ष : महीने में एक बार पहुंचने में तो और ज्यादा खराबी होगी क्योंकि लोग भरोसे रह जायेंगे और दूसरा बन्दोबस्त करेंगे नहीं। यह पानी का मामला है वह महत्वपूर्ण है।

श्री अमराराम चौधरी : हौज अगर भर जायेंगे तो कम से कम गांव वालों को काफी सहूलियत हो जायेगी। गांव में मिडिल स्कूल है वहां हैडमास्टर को भेजना चाहते हैं तो हैडमास्टर जाता नहीं है क्योंकि पीने के लिये पानी नहीं है। हीरे की ढाणी में सैकण्डरी स्कूल है। अध्यापक कहते हैं, हम तो जायेंगे नहीं। हमारे बहुत से रिश्तेदार हीरे की ढाणी में हैं वे लोग कह रहे हैं हमारा तो ट्रांसफर होना चाहिये। कारण यही है कि उनको पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। उनसे हमने कहा, अरे भाई, हम भी तो रह रहे हैं। पाइप लाइन होते हुए भी उनको पानी नहीं देंगे तो उनकी भी मजबूरी है। स्कूलों में पानी नहीं पहुंचा रहे हैं। कई प्रकार की कठिनाइयां हैं मैं उन सबके बारे में आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्रशासन को एक्टिव करें तभी हमारा देश उनन्नति कर सकता है।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपचन्द !

(अनुपस्थित)

श्री भंवरसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री कमलेन्द्रसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज सुबह मैंने एक व्यवस्था चाही थी। मैंने नियम 127 के तहत एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

ऐसा है, विशेषाधिकार हनन के कई प्रश्न, कई सूचनाएं मेरे पास प्राप्त हुई हैं। आपकी भी अभी अभी एक सूचना प्राप्त हुई है। हमारी सभा के साधारण नियम यह हैं कि बैठक प्रारंभ होने से पूर्व, इसकी सूचना दी जानी चाहिये। इसका अध्ययन किया जा रहा है। अन्य बहुत से प्रश्न मेरे समक्ष विचाराधीन हैं। उस संबंध में मांग की जाती है उनके साथ इसकी भी व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : ठीक है, धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के दो विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव मैंने दिये हैं उन पर भी विचार कर लें। एक तो अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति है और एक गणेशपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति है। इनके बारे में विशेषाधिकार के प्रश्न दिये हैं..........

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार हनन की जो सूचनायें..........

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इनका निर्णय जल्दी होना चाहिये।

(157)

श्री अध्यक्ष : वह आप सदैव कह रहे हैं। इसका निर्णय दूंगा मैं।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो विशेषाधिकार हनन के बारे में.........

श्री अध्यक्ष : चर्चा नहीं करें इस पर माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : मैं अर्ज कर दूं आपने व्यवस्था दी है। मेरा विशेषाधिकार हनन का प्रश्न 5-3-83 का पड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अब तो वह महत्वहीन हो गया।

सुश्री पुष्पा जैन : वह कैसे महत्वहीन हो गया ? आपने उस पर कोई व्यवस्था नहीं दी है। आपने मुझे यह बताया था कि व्यवस्था दूंगा।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये कुछ नहीं बोलते। × × × और हम चुप रहेंगे।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : ×××

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने जैसा अभी माननीय सदस्यों को निवेदन किया है.........

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मेरा भी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव अगस्त से पैंडिंग है।

श्री अध्यक्ष : आप इसमें, अमरचन्द जी, बोलना चाहते हैं ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आप बोलना चाहते हैं क्या, विनियोग विधेयक पर

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। बजट भाषण पर मैंने अपने कुछ विचार रखे थे उस समय मुख्य मंत्रीजी पर मैंने कुछ आरोप लगाये थे। मुख्य मंत्रीजी ने कुछ फाइल्स के लिये यह कहा था कि वे फाइल्स अध्यक्ष महोदय को दिखा देंगे और यह भी कह गये कि यदि विपक्ष के नेता देखना चाहें तो देख लें। मैं कल बोलना चाहता हूं। मैं बोलना तो आज भी चाहता था लेकिन वह स्पष्टीकरण नहीं हो सका। वह फाइल आपके पास आई या नहीं आई ? वह फाइल मुझे दिखायेंगे या नहीं दिखायेंगे ? उस प्रश्न पर पुनः मैं बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : इसकी व्यवस्था की जा रही है। पत्र लिख दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब आ जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : आ जायेगी, आज रात तक आ जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोलने का आखिरी अवसर तो कल है।

श्री अध्यक्ष : आपको दिखाना है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं फाइल देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा ?

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे बतायेंगे क्या समस्या है, मैं देखकर आपको निवेदन कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समस्या तो आपने भी सुनी है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह तो प्रोसीडिंग्स देखनी पड़ेगी। आपको दिखाने का कहा है क्या? मैं प्रोसीडिंग्स देख लूंगा। फाइल मैं अभी रात को मंगा लेता हूं। मेरे पास आ जायेंगी और कल प्रातः आप जो कोई सूचना चाहें मैं पढ़ दूंगा आप पूछते रहना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यहां हाउस में पढ़ते रहेंगे?

(व्यवधान)

नहीं, चेम्बर में।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा!

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, सारा बजट पास करने के बाद एप्रोप्रियेशन बिल के द्वारा हम आज इनको खर्चा करने का अधिकार देने जा रहे हैं। तो जहां अधिकार देने जा रहे हैं वहां मेरे कुछ सुझाव हैं। । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में सिंचाई की हालत खराब है। इस बजट को जो पास करवाया है गांवों में जहां सिंचाई की आवश्यकता है, इस प्रकार की जहां जहां आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ज्यादा से ज्यादा पैसे का सदुपयोग किया जाय, ऐसा मेरा आपके माध्यम से सरकार को निवेदन है।

साथ ही, यह भी निवेदन है कि जिन तालाबों में, नहरों में और बांधों में काश्तकारों की जमीन डूब गई है, कुएं डूब गये हैं, जमीन खराब हो गई है उनको अब तक राजस्थान सरकार ने मुआवजा नहीं दिया है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि काश्तकारों के जो राजस्व अभियान के समय केस निपटाने का प्रश्न था, वह आप नहीं निपटा पाये इसलिये आने वाले समय में संपूर्ण मुआवजा का भुगतान कर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ दूसरा मेरा निवेदन शिक्षा के बारे में है। अगर राजस्थान की शिक्षा अच्छी होगी, विद्यार्थियों को अच्छे साधन पढ़ने लिखने के मिलेंगे तो हमारा प्रांत ज्यादा अच्छी तरक्की करेगा। बीस सूत्री कार्यक्रम में अच्छी शिक्षा देने का आपके द्वारा एक कार्यक्रम तय किया गया था। अध्यक्ष महोदय, उस कार्यक्रम जो सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी मिडिल और प्राइमरी स्कूलों का चुनाव किया था उस समय हम सभी लोगों ने जिस प्रकार का तय किया था, जिन स्कूलों की डिमान्ड की थी उसके आधार पर राज्य सरकार ने स्कूलों का चुनाव किया था लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो स्वीकृतियां हो गयीं उसके बाद राज्य-सरकार ने एक आदेश दिया कि जो स्कूल 40 प्रतिशत डोनेशन देगा उसी के यहां अच्छी शिक्षा, आदर्श स्कूल का नर्माण किया जायेगा। इस प्रकार से कई स्कूल लटक गये।

(श्री हंसराज शर्मा)

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग के अन्दर जो फर्नीचर खरीदा है, अध्यक्ष महोदय, वह 24 से 28 गेज का है। आप ताज्जुब करेंगे कि जो गला हुआ पीपा होता है, उस पीपे की जो टिन होती है उस प्रकार के टिन की टेबल और कुर्सियां बनवायी हैं। वह स्कूलों में जाते जाते ही टूट गयी। विद्यार्थियों और बच्चे-बच्चियों द्वारा उस का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से जो करोड़ों रुपये का सामान खरीदा है, जिस टैण्डर के आधार पर खरीदा है, जिस कान्ट्रेक्टर से खरीदा है, कृपया आप स्कूलों में पधारें और उसका निरीक्षण करें। जिस अधिकारी ने गलती की है। जिस विभाग ने इस बजट का दुरुपयोग किया है उसके खिलाफ आप कड़ा एक्शन लें।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में अध्यापकों की बहुत कमी है इसलिये अध्यापक भी पर्याप्त मात्रा में लगायें जायें। मैं अपने जिले की बात कहूंगा, मेरे राव डिवीजन में एक महाविद्यालय है। वहां संस्कृत नहीं है। यदि आपको संस्कृत का उत्थान करना है और विद्यार्थियों को ज्यादा सहयोग देना है तो उस क्षेत्र में शिक्षा की दृष्टि से भी आपको ज्यादा से ज्यादा सहयोग देना चाहिये और संस्कृत विद्यालय खोलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराज जायें।

निलम्बन निरस्तीकरण

श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य के निलम्बन का निरस्तीकरण

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 292/2 के परन्तुक के अन्तर्गत निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

> "यह सदन संकल्प करता है कि दिनांक 11 मार्च, 1983 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव से श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य विधान सभा को सत्रावसान तक सदन की बैठक से निलम्बित किया गया था। 24 मार्च, 1983 से यह निलम्बन समाप्त किया जाय।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री देवीसिंह भाटी, विधायक, कोलायत के निलम्बन को समाप्त किया जाय ?

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया। सदन से निलम्बन निरस्त किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भाटी साहब बोलेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अब तो खुश हो, भैरोंसिंह साहब।

विनियोग विधेयक पर विचार

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय; तो मैं शिक्षा के मामले में कुछ निवेदन कर रहा था। हमारे यहां……

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विरोध करना चाहिये था आपको ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ग्रेस देखो ग्रेस ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: ग्रेस आपका नहीं, ग्रेस तो आपका आया है । आपको तो विरोध करना चाहिये था ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : किसका ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका । हम तो पहले दिन से ही····

श्री रामसिंह बिश्नोई : सदन में जिसने यह प्रस्ताव रखा था, उसको करना चाहिये था । हम तो न तो इधर थे, न उधर थे ।

एक माननीय सदस्य : Very good.

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, तो मैं इस संदर्भ में शिक्षा के मामले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । हमारे यहां जिला सवाईमाधोपुर में एन. सी. सी. में भर्ती के लिये फार्म भरे गये । विद्यार्थियों को बुलाया गया । इन्टरव्यू हुआ । उसे कैन्सिल कर दिया गया और उसके बाद टैम्प्रेरी आदेश देकर इन्टरव्यू के लिये छात्र बुलाये गये । अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा, उस इन्सपैक्टर ने जिसको चाहा उसको नियुक्त कर लिया और जिसको नहीं चाहा उसको नहीं लिया । आपको यह जानकर खेद होगा कि उसमें 15 विद्यार्थी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लेने थे । लेकिन उनको सूचित नहीं किया गया और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के विद्यार्थियों के स्थान पर सवर्ण लोगों को चयनित कर लिया । प्रत्येक विद्यार्थी से पांच-पांच हजार रुपये उन्होंने खाये । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, विद्यार्थियों की फीस ले ली, उनको भर्ती कर लिया, क्लासें चालू हो गयीं । उसके बाद हमने लिखा, जिलाधीश ने भी लिखा, और इन्सपेक्टर ने भी इस बात को स्वीकार किया कि मुझसे यह गलती हो गई है । शिड्यूल्ड कास्ट का कोटा जो था, वह सवर्णों से भर दिया है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से गलत कार्य करने वाले अधिकारियों को आप कड़ा दण्ड दें ताकि वहां शिक्षा अध्ययन में कोई परेशानी न हो ।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ आज राजस्थान में बी. एड. कालेजों की हालत बड़ी खराब है । वह कहते हैं, हम बहुत कम डोनेशन लेते हैं, 5-6-7-8 हजार । इस प्रकार के डोनेशन लेकर जो विद्यार्थी आते हैं, जो अध्यापक बनने के लिये आते हैं, कालेज वाले उनका गला घोंटते हैं । वह अपनी सारी जायदाद इस प्रकार रहन रखकर बी. एड. की ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं । इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस संदर्भ में जांच की जाये और आगे आने वाले समय के लिये लोगों को सतर्क किया जाय । राजस्थान में महिलाओं की दृष्टि से जो बी. एड. कालेजों की कमी है उसका भी प्रोविजन रखा जाय । ग्रामीण क्षेत्रों में, आने वाले समय में शिक्षा के उत्थान की दृष्टि से छोटे गांव में, जहां शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग हों, चाहे काश्तकार लोग हों, प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोले जायें । साथ ही साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिन स्कूलों का रिजल्ट अच्छा नहीं है उनके खिलाफ कड़ा

(श्री हसराज शर्मा)

एक्शन लिया जाय । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में मिडिल स्कूल, हायर सैकेण्डरी स्कूल, गुरवाल है । वहां का हैड मास्टर काफी दिनों से ससपैण्ड है । उसकी तनख्वाह गबनों में कट रही है । वह दिन में पढ़ाता है और शाम सवेरे तोंबा लेकर गांव में भिखारी की तरह जाता है और मांगकर खाता है । कलेक्टर ने लिख दिया और गांव वालों ने लिख दिया लेकिन वह मांग कर खाने के अलावा कोई काम नहीं करता है । यहां का रिजल्ट 40-45 प्रतिशत रहा । अगर इस प्रकार से शिक्षा का स्तर रहेगा तो, अध्यक्ष महोदय, क्या होगा ?

इसी के साथ-साथ मैं शिक्षा के लिये थोड़ा सा यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि गत वर्ष जिस प्रकार से आपने स्कूल खोले, जिस प्रकार से बंदर-बांट कर के अपने-अपने क्षेत्र में खा गये, अपने-अपने क्षेत्र में स्कूल खोल लिये, अपने नेताओं को भेजकर स्कूल खुलवाकर, थैलियां भेंट कराकर आप पैसा खा गये, उसके लिये आप जांच करें । मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में इस बंदरबांट की परिपाटी को छोड़कर और आवश्यकतानुसार यदि आपने स्कूल खोले तो हमारे क्षेत्र का, हमारे राजस्थान का उद्धार होगा ।

शिक्षा के बाद मैं आपको पंचायती राज के बारे में भी कुछ निवेदन करूंगा । जिस समय हमारा शासन था, हमने पंचायत-राज के माध्यम से जिन गांवों में रोड नहीं थी रोड बनायी, तालाब नहीं था तालाब बनाया, स्कूल नहीं था स्कूल बनाया, धर्मशाला नहीं थी, धर्मशाला बनायी । गांवों में जिन छोटे-छोटे कामों के लिये काश्तकार दौड़ते रहते थे हमने हमारे कार्यकाल में उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की है । आज राजस्थान के कोने-कोने तक के गांवों में उस समय के कार्य काल की उस सरकार की उपलब्धियां चमक रही हैं । जिस प्रकार से मन्दिर का एक माल चमकता है उसी प्रकार से चमक रही है । आपको यह जानकर दुःख है आज कि हमने हमारे कार्यकाल में काम किये हैं । आज की तारीख में आम पंचायतों में राजस्थान में 28 करोड़ के काम अनकम्प्लीट पड़े हुए हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन गांवों में जो अनकम्प्लीट काम पड़े हैं वे जो हमारे समय में हमने करवाये थे, उनको ईर्ष्या और राजनीतिक दृष्टि से पूरा नहीं कराया जा रहा है । सरकार ने जो पैसा लगाया है उसका उपयोग नहीं हो रहा है । इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में 28 करोड़ के अनकम्प्लीट काम जो पंचायतों के माध्यम से कराये गये थे को कृपया मेहरबानी करके पूरा करायें । हम नहीं कहेंगे कि जो काम हमारे कार्यकाल में हुआ है, उसका सेहरा हमें ही दें । इसका सेहरा आप ही बांधना लेकिन कम से कम पूरा तो करा दो, भूखे को रोटी तो खिला दो । यदि आपमें इस प्रकार की प्रवृत्ति है कि इनके कार्य काल में काम हुआ है हम नहीं करायेंगे तो आने वाले समय में, आपको अभी जो जगह मिली है वह जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आप को फिर यह बात याद आयेगी कि जो हमने किया है उसका पश्चाताप हमको भोगना पड़ रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसी संदर्भ में पंचायती राज के बारे में थोड़ा निवेदन और

(श्री हंसराज शर्मा)

करना चाहूंगा। हमारे यहां कुछ सरपंचों ने गबन किया। उसकी शिकायतें हुई, 70–80 हजार के गबन की। उसकी जांच चल रही है। जांच होने के बाद मालूम पड़ते ही विकास अधिकारी पंहुचा, ग्राम पंचायत में उसने कहा कि तुमने गबन किया है। उसके थोड़ा जो उसके पास पैसा था, उसमें से 20 हजार और दे दिये।

विकास अधिकारी जी ने उसको 12 हजार की रसीद दे दी, कच्ची रसीद और अपने घर पर आ गये। दूसरे दिन कलेक्टर को भेजा और सारे कागजात जब्त करवा कर मंगा लिये। लेकिन सरपंच भी होशियार था। उन्होंने रोकड़ में जमा खर्च कर दिया, कच्ची रसीद अपने घर पर रख ली और वह आ गया। सरपंच ने जो गबन किया था उसमें से 12 हजार रुपया विकास अधिकारी ने गबन कर लिया। उन्होंने कहीं जमा नहीं कराया। कहीं जमा-खर्च का नाम नहीं। वह जानता था कि कलेक्टर रोकड़ ले आये है लेकिन रोकड़ में जमा खर्च नहीं है। मैंने कच्ची रसीद दी है उसकी कोई वक्त नहीं है। जब यह सारा भण्डाफोड़ हुआ, तब मालूम पड़ा कि रोकड़ में भी जमा-खर्च है और इसके पास भी रसीद है। लेकिन राजस्थान के बहुत बड़े लीडर है जो, प्रदेश कांग्रेस समिति के भूतपूर्व महामंत्री हैं, उनके नेतृत्व में विकास अधिकारी को बचाया जा रहा है। उसको ससपेंड नहीं किया गया है। इसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितना दण्ड सरपंच को मिलना चाहिये उससे दुगुना-तिगुना दण्ड उस राज्य कर्मचारी को मिलना चाहिये जिसने इस प्रकार से गबन किया है।

इसी प्रकार से डवलपमेंट के अन्दर कुछ थोड़ी सी धांधलियां हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में एक निवेदन किया था इसी सदन में कि आज दूसरे विभागों से कर्मचारियों को बुलाया जाता है और उनको पदोन्नतियां दी जा रही हैं इसलिये राजस्थान के डवलपमेंट विभाग के हजारों कर्मचारियों में इस प्रकार का असंतोष है। इसी सदन के एक माननीय सदस्य जो एक मंत्री भी हैं, उस विभाग का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा ·········

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें। ऐसा है कि एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस हो रही है इसलिये इस अवसर पर आप व्यक्तिगत मामले उठाते हैं उनका कोई उत्तर आ नहीं सकता। जो समस्यायें हैं, जो कठिनाइयां हैं, त्रुटियां हैं कृपया उन्हीं तक सीमित रखें अपने आपको।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन थोड़ी सी यह बात निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में जो राजस्व अभियान शुरू हुआ है उसमें राज्य सरकार की ओर से गरीबों को जमीनों का अलाटमेंट किया गया है। लेकिन कई गरीब लगान दे रहे हैं और आज की तारीख में भी वह जमीन उनके कब्जे में नहीं है। इस प्रकार से हजारों केस हैं। इसलिये उनकी जांच करवाई जावे और जांच करके उनको कब्जा दिलाया जावे। अगर आपकी सरकार कब्जा नहीं दे सकती है तो कम से कम उसकी ऋण

(श्री हंसराज शर्मा)

मुक्त करें, उनका लगान माफ कर दें। अध्यक्ष महोदय, ऐसा भी ध्यान में आया है कि राज्य सरकार ने एक ऐसा आदेश दिया था कि गावों में जो गोचर भूमि है, जिसका पूर्व में अलाटमेंट कर दिया गया है और वे लोग उस पर काबिज नहीं हुए हैं, उन पर यदि दूसरे लोगों का कब्जा है तो उनको बेदखल कर दिया जावे। आज राजस्थान में इस प्रकार की भयंकर समस्या है, लेकिन राज्य सरकार के यहां इस प्रकार के हजारों केस पेंडिंग पड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सरकार से कहना चाहूंगा कि इस मामले की जांच करे और इस प्रकार के जो केस पड़े हुए हैं उनको उनसे मुक्ति दिलाई जावे।

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां कई गरीब लोग जिन्होंने अपीलें की और अपीलों के अन्दर उनके खिलाफ फैसेज हो गये, उन्हीं जमीनों का बड़े-बड़े लोगों को अलाटमेंट कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों को अलाटमेंट किया गया है वह राज्य कर्मचारी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भूमिहीन को जमीन देते हैं तो उससे पहले पूछते हैं कि दूसरी आय क्या है? आपकी प्रति वर्ष की इन्कम क्या है? सरकारी नौकरी में तो नहीं हो। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि एक ही समुदाय के व्यक्तियों को इस प्रकार से जमीनें अलाट कर दी गई और ऐसे गरीब 38 आदमियों को, जिनमें बेवायें थीं, सैनिक थे, अन्त्योदयी थे, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के थे, उनसे वंचित किया गया और उन अधिकारियों को वह जमीनें अलाट कर दीं। आज की तारीख में, अध्यक्ष महोदय, उस जमीन की कीमत कम से कम दो करोड़ रुपया है। उस जमीन के अन्दर पचास हजार हरे वृक्ष हैं। सरकार अलाटमेंट करते वक्त अगर काश्तकार को अलाटमेंट करती है और उसमें पांच भी वृक्ष खड़े हैं तो उनकी कोर्ट वसूल करती है। उससे कोर्ट वसूल की जाती है उसके बाद में अलाटमेंट किया जाता है पट्टे दिये जाते हैं। लेकिन मेरे सवाईमाधोपुर के अन्दर एक राज्य कर्मचारी को जिस प्रकार से जमीनें अलाट की जिसमें पचास हजार हरे वृक्ष थे, वह लाखों रुपयों की कीमत की जमीनें इतनी कम कीमत में दी हैं। आज की तारीख में दो करोड़ रुपया किसी भी समय ले सकते हैं। इसके बराबर की जमीन 275) रु. प्रति वर्ग गज में बिकी है। उस अधिकारी के नाम 48 बीघा पक्की जमीन लिखी गई है। क्योंकि कहीं न कहीं से उसको सहारा है और इतने बड़े लोगों का सहारा है जो राजस्थान स्तर के लोग हैं, केबिनेट स्तर के मंत्री हैं, फुलफ्लेज्ड मंत्री हैं। उनका येनकेन प्रकारेण उसको सहयोग है और सहयोग की आड़ में दोनों ने मिल करके यह करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति हड़पने का षडयंत्र किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि दो करोड़ की संपत्ति को जिन लोगों ने हड़पा है, जिनके पालन-पोषण में हड़पा है, जिनके नेतृत्व में हड़पा है जिनकी इसमें पार्टनरशिप है, उनकी जांच करें, उसका अलाटमेंट कैंसिल करें और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कर उनको उचित दण्ड दें।

(श्री हंसराज शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं थोड़ा सा और निवेदन आयुर्वेद मंत्री जी से भी करूंगा। आज राजस्थान के अन्दर दानदाताओं द्वारा हजारों रुपयों की बिल्डिंगें आयुर्वेद विभाग को दी गयी हैं, जमीनें दी गयी हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज की तारीख में उन जमीनों को, दानदाताओं द्वारा दी हुई इन प्रोपर्टियों को हम हमारे नाम नहीं करा पाये। जब तक यह संपत्ति आपके विभाग के नाम नहीं होगी, जब तक आप इसको विभाग के नाम लेकर पी.डब्ल्यू. डी. को हैंड ओवर नहीं कर देंगे तब तक, माननीय मंत्री महोदय, आपको अधिक बजट नहीं मिलेगा। जब बजट नहीं मिलेगा तो मेंटीनेंस कहां से करा देंगे। अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में वह जो मकान मिले हैं औषधालय के लिये, वह उनके नाम हैं। जिन खातेदारों ने, काश्तकारों ने अपनी कीमती जमीनें औषधालयों को दी हैं, आज उनके लगान लग रहा है। उनकी खातेदारी में चल रहा है और विभाग अन्धेरे में सो रहा है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आयुर्वेद विभाग में यह सब चल रहा है उस सारे मामले की जांच करायें और जांच करके सरकार वह सम्पत्ति अपने पास ले, उनकी रिपेयर करायें और ज्यादा से ज्यादा बजट पास करें ताकि उनका आसानी से संचालन हो सके, उनकी मेंटीनेंस हो सके। आज आपके आयुर्वेद औषधालयों की क्या हालत है? आप कहेंगे कि संजीवनी नहीं है। आप, मंत्री महोदय, आश्चर्य करेंगे कि संजीवनी क्यों नहीं है। राजस्थान में गाय का मूत नहीं मिला इसलिये संजीवनी की बजाय चूरण ले जाओ। अफसोस है। इतना बड़ा भारी बजट खर्च करना पड़ता है गाय के मूत के लिये लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि संजीवनी बनाने के लिये आपके पास गोबर नहीं, गाय का मूत नहीं और चूरण पकड़ा दिया। गांवों में कहते हैं काश्तकार कि हमको तो संजीवनी चाहिये। वैद्य कहता है कि चूरण ले जाओ। भाई चूरण नहीं संजीवनी चाहिये। संजीवनी नहीं है क्योंकि गाय का मूत नहीं है। आज इस प्रकार की कमियां चल रही हैं। समय पर परचेजिंग करें, समय पर व्यवस्था करें तो ज्यादा सुन्दर होगा। आपने यह भी देखा होगा कि आपकी जो लेबोरेटरीज हैं, कार्यशाला हैं उसमें घपला करने के लिये लोगों ने कह दिया कि आग लग गई है। और उस आग के नाम पर सैकड़ों-हजारों लाखों रुपयों का घपला किया है। मंत्री महोदय, आप स्वयं पधारो, देखो। यह देश के लिये, हमारे प्रांत के के लिये और खास तौर से गरीबों के लिये बहुत महत्व का विभाग है। यदि आपने इसको जरा सा भी संभाल कर रखा अच्छी तरह से ध्यान रखा तो गांव का छोटे से लेकर बड़ा, गरीब, जो आयुर्वेद विभाग से अपनी तसल्ली करता है, अपनी बिमारी मिटाता है आपको आशीर्वाद देगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा पुनः, आपने मुझे आश्वासन भी दिया है एक असेम्बली क्वेश्चन के अन्दर कि तीन करोड़ से ऊपर इस प्रकार की हमारी प्रोपर्टी है लेकिन हमारे नाम नहीं है। दानदाताओं के नाम चल रही है। खातेदारों के नाम चल रही है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बजट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जावे, समय पर कमेटी के द्वारा सामान खरीदा जावे और खरीद कर लोगों को दिया जावे।

165

(श्री हंसराज शर्मा)

इसी आधार पर मैं आपसे एक निवेदन और करके अपने विचार समाप्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप लम्बे से लम्बा भाषण कितने घण्टे दे सकते हैं ?

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, गांवों में ....

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: यह तो आपके अवसर देने का सवाल है।

श्री हंसराज शर्मा : गांवों के अन्दर एक काम और चल रहा है विकास प्राधिकरण का। अगर आप उस विकास प्राधिकरण के काले कारनामों की ओर गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। प्राधिकरण गरीबों के लिये कोई सामान खरीदता है, उसमें जो भी सब्सिडी मिलती है वह उनको देता है। कहीं बेवाओं को मशीन खरीद कर लाकर देता है और अगर चयनित परिवार में आती है तो वह देता है। गांवों में गोबर गैस की योजना चलती है तो वह वहां देता है। इसी प्रकार से उसके माध्यम से करोड़ों रुपयों के बजट का उपयोग होता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में इस प्रकार से खरीदी हुई मशीनों में मशीनें तो हैं ऊषा की, पार्ट हैं दूसरे। हमने जब यह बात कही कि बेवाओं को, जो चयनित महिलायें हैं उदरपूर्ति के लिये आज राज्य सरकार ने अन्त्योदय के आधार पर, गरीबी के आधार पर मशीनें दी हैं, कृपया मेहरबानी करके अच्छी दो लेकिन उस शख्स ने नहीं माना। उसने घपला किया। सौ-सौ रुपये एक मशीन पर। परिणाम यह हुआ कि जब डीलर में और डायरेक्टर महोदय में झगड़ा हुआ तो एण्टी-करप्शन वालों से सांठ-गांठ हुई। रुपये दिये और पकड़े गये। आज उसको बचाया जा रहा है। क्या कारण है ? इस प्रकार से दान में सरकार देती है गरीबों को पैसा देती है, वह एण्टी करप्शन में पकड़ा गया। हमारे यहां के बड़े बड़े लीडर, राजस्थान के मालिक उसके बचाव-पक्ष में हैं, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, गांवों में मैं गया। गोबर गैस के मामले में गांवों में ट्राई करके देखा है। हमने कहा, आपके यहां गोबर गैस का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, कुल 15 जगह गोबर गैस के संयंत्र काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं, जिला प्रमुख और एस. डी. एम. तीन आदमी वहां गये आप ताज्जुब करोगे, 15 में से एक का भी संयंत्र चालू नहीं था। दो गोबर गैस संयंत्र तो ऐसे बताये कि तैयार हैं। हमने कहा, कहां हैं ? बोले, खेत पर हैं। जब खेत पर गये तो कहने लगे, यहां तो खड्डा ही सीमेंट का है। संयंत्र अन्दर हैं। अन्दर गये, तो ताला लगा हुआ था। बोले, मेरी घरवाली खेत पर रोटी लेकर गयी है। जिला प्रमुख ने किवाड़ तोड़ा, अन्दर गये, एक कट्टा सीमेंट का नहीं था। न सीमेंट का कट्टा था न गोबर गैस संयंत्र का खड्डा था। उसको सारी सब्सिडी दी। हमने कहा, यह क्या किया ?

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : दो मिनट का समय बढ़ाया जाता है तत्पश्चात् स्वतः ही समाप्त हो जायेगा आपका भाषण।

विनियोग विधेयक पर विचार

श्री हंसराज शर्मा : सब्सिडी में फिफ्टी फिफ्टी हो गये । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि 50 पर्सेन्ट की जो परम्परा चल रही है, जिन हरिजनों और छोटे काश्तकारों को इंजिनों पर सब्सिडी देते हैं, बैंक लोन देता है जो इस प्रकार का सामान पर्चेज करते हैं यह बिलकुल गलत है । इसमें लाखों रुपये का घोटाला हुआ है । इसलिये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह पर्चेजिंग पावर उनके पास से छीना जाये । इसके लिये कमेटी का गठन किया जाये । जो भी सामान पर्चेज किया जाय, टेण्डर के आधार पर कमेटी के माध्यम से पर्चेज करके कमेटी के सामने उन गरीब बेवाओं, गरीब हरिजनों को उसका डिस्ट्रिब्यूशन किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये तो मैं आपका आभारी हूं हीं लेकिन साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा कि मैंने कई आपको सुझाव दिये हैं, निवेदन भी किया है, मेरे निवेदन पर आप गौर करेंगे । जो बजट आपने पास किया है, 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, आने वाले समय में 80 प्रतिशत के आधार पर ही इस बजट का उपयोग आप मेहरबानी करके गांवों में करना । हमने भी हमारे कार्यकाल में इसी प्रकार किया था । जनता आपकी जय जयकार करती रहेगी ।]

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये । भाषण समाप्त हुआ ।]

(सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

(तदनन्तर सदन की बैठक म. प. 6.02 बजे बृहस्पतिवार, दिनांक 24-3-83 के म. पू. 11 बजे तक के लिये स्थगित की हुई)।

Page No 168

(167)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 714 का ब्यौरा एवं सूची

उपभोक्ता एवं सामाजिक ऋण के लक्ष्य एवं वितरण

क्र. सं.	नाम क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय	वर्ष 80-81 में उपभोक्ता ऋण वितरण (लाखों में)		वर्ष 81-82 में उपभोक्ता ऋण वितरण (लाखों में)		विशेष विवर
		लक्ष्य	वितरण	लक्ष्य	वितरण	
1.	क्षेत्रीय प्रबन्धक उदयपुर (पूर्व)	1.00	0.95	1.50	1.39	
2.	क्षेत्रीय प्रबन्धक उदयपुर (पश्चिम)	0.75	0.73	0.50	0.38	
3.	क्षेत्रीय प्रबन्धक डूंगरपुर	0.35	0.30	0.30	0.07	
4.	क्षेत्रीय प्रबन्धक बांसवाड़ा	1.60	1.25	0.70	0.42	
	योग :	3.70	3.23	3.20	2.26	

168

लैम्पवार उपभोक्ता ऋण वितरण की सूची उदयपुर (पूर्व) सूची—अ

क्र. सं.	नाम लैम्पस	वर्ष 80–81 में उपभोक्ता ऋण वितरण		वर्ष 81–82 में उपभोक्ता ऋण वितरण		विशेष विवरण
		लक्ष्य	वितरण	लक्ष्य	वितरण	
1.	कुलमीपुरा	8500	8420	8000	7061	
2.	अरनोद	17000	10926	2000	—	
3.	वलोट	21000	21200	2000	—	
4.	अचलपुर	20000	20805	15000	12982	
5.	डाल	10000	8194	2000	—	
6.	धरियावद	11000	11247	2500	2663	
7.	लसाड़िया	2500	2500	4000	3950	
8.	काया	6000	5958	20000	16391	
9.	कुरावड़	2000	—	5000	4856	
10.	भवराना	2000	—	6500	6323	
11.	लक्कड़वास	—	—	21000	21655	
12.	देवारी	—	—	5000	4306	
13.	कानपुर	—	—	2000	1230	
14.	पारेल	—	—	1000	915	
15.	कूण	—	—	3000	3630	
16.	पारसोला	—	—	10000	11207	
17.	गिंगला	—	—	2000	2140	
18.	ओरवाड़िया	—	—	5000	7872	
19.	भलारा	—	—	10000	11461	
20.	जैताना	—	—	2000	1771	
21.	वस्सी	—	—	10000	9481	
22.	गावड़पाल	—	—	7000	6361	
23.	इन्टालीखेड़ा	—	—	5000	2920	
	योग	1,00,000	95,249	1,50,000	1,39,175	

लैम्पवार उपभोक्ता ऋण वितरण की सूची—प्रताप नगर, उदयपुर

क्र. सं.	नाम लैम्पस	वर्ष 80—81 में उपभोक्ता ऋण वितरण		वर्ष 81—82 में उपभोक्ता ऋण वितरण		विवरण
		लक्ष्य	वितरण	लक्ष्य	वितरण	
1.	बाघपुरा	10.000	9.792	1.000	—	
2.	भाड़ोल	15.000	15.700	2.000	—	
3.	कोल्यारी	4.000	3.950	5.000	5.680	
4.	फलासिया	10.000	8.925	2.000	2.000	
5.	मादड़ी	5.000	4.850	1.000	—	
6.	ओगना	5.000	6.600	4.000	4.105	
7.	गोंगला	5.000	6.325	4.000	4.500	
8.	मामेर	5.000	3.750	1.000	1.000	
9.	वास	8.000	7.2000	10.000	7.150	
10.	घरावन	5.000	5.420	1.000	835	
11.	सेमारी	—	—	2.500	2.500	
12.	गोगरूथ्य	—	—	2.000	2.250	
13.	किंवरली	—	—	2.000	2.250	
14.	मूंगथला	—	—	—	1.025	
15.	मावल	—	—	1.000	371	
16.	वड़ली	—	—	2.000	1.000	
17.	माण्डला	—	—	3.000	2.000	
18.	कोटड़ा	—	—	2.000	1.000	
19.	खेरवाड़ा	1.000	—	2.000	—	
20.	केशरियाजी	1.000	—	1.500	—	
21.	सराड़ा	1.000	—	1.000	—	
	योग	75.000	72.512	50.000	37.666	

लैम्पसवार उपभोक्ता ऋण वितरण की सूची डूंगरपुर

क्र. सं.	नाम लैम्पस	वर्ष 80-81 में उपभोक्ता ऋण वितरण		वर्ष 81-82 में उपभोक्ता ऋण वितरण		विशेष विवरण
		लक्ष्य	वितरण	लक्ष्य	वितरण	
1.	पुनाली	10.000	12.675	3.000	250	
2.	देवलपाल	2.000	3.650	3.000	3.400	
3.	भिण्डा	10.000	12.025	3.000	–	
4.	कुंआ	2.500	2.069	3.000	–	
5.	सरोदा	2.000	–	3.000	1.650	
6.	पुंजपुर	2.000	–	3.000	1.800	
7.	बिच्छीवाड़ा	2.000	–	3.000	–	
8.	सीमलवाड़ा	2.000	–	3.000	–	
9.	ओबरी	1.000	–	3.000	–	
10.	रीछा	2.000	–	3.000	–	
	योग	35.000	30.419	30.000	7.100	

लैम्पसवार उपभोक्ता ऋण वितरण की सूची--बांसवाड़ा

क्र. सं.	नाम लैम्पस	वर्ष 80-81 में उपभोक्ता ऋण वितरण		वर्ष 81-82 में उपभोक्ता ऋण वितरण		विशेष विवरण
		लक्ष्य	वितरण	लक्ष्य	वितरण	
1.	ठीकरीया	0.10	0.04	0.05	–	
2.	तलवाड़ा	0.10	0.08	0.05	0.09	
3.	गढ़ी	0.10	0.10	0.05	–	
4.	पालोदा	0.10	0.10	0.05	0.01	
5.	घाटोल	0.10	0.05	0.05	0.02	
6.	डूंगारिया	0.10	0.04	0.05	–	
7.	पीपलखूंट	0.10	0.02	0.05	–	
8.	दानपुर	0.10	0.02	0.05	0.04	
9.	बागीदोरा	0.10	0.02	0.05	0.18	
10.	गांगडतलाई	0.10	0.16	0.05	–	
11.	भूखिया	0.10	0.07	0.05	–	
12.	चांदरवाड़ा	0.01	0.10	0.05	0.08	
13.	सज्जनगढ़	0.10	0.03	2.25	–	
14.	कसारवाड़ी	0.10	0.04	2.25	–	
15.	कुशलगढ़	0. 0	0.17	2.25	–	
16.	छोटी सरवा	0.10	0.21	2.25	–	
	योग	1.60	1.25	9.60	0.42	

वर्ष 82-83 और जनवरी, 83 तक उपभोक्ता ऋण वितरण की तालिका

क. सं.	नाम लैम्पस्	जिला	राशि
1.	कुकमीपुरा	उदयपुर	41.20
2.	दलोट	,,	17000
3.	अचलपुर	,,	14770
4.	धरियावद	,,	1863
5.	कुरावड़	,,	1114
6.	लक्कड़वास	,,	1824
7.	कानपुर	,,	100
8.	कुण	,,	256
9.	पारमोला	,,	9022
10.	गीगला	,,	2131
11.	झल्लारा	,,	1165
12.	जैताणा	,,	3443
13.	बस्सी	,,	2649
14.	गावड़ापाल	,,	2369
15.	टाली खेड़ा	,,	1650
16.	पूंजपुर	डूंगरपुर	3820
17.	जोगपुर	,,	21000
18.	टामटीया	,,	11991
19.	पाडवा	,,	4898
20.	माण्डव	,,	14000

(172)

अम्बिका मछली उत्पादक सहकारी समिति लि. अम्बिका

सदस्यों की सूची वर्ष 78–79 से 81–82 तक

नावों की संख्या	नाम समिति एवं सदस्य नामला समिति		नावों की संख्या	नाम सदस्य	
1	2		1	2	
1.	1.	कालू/लिम्बा मीना	9.	27.	होमा/रुपा
	2.	रामा/कालू		28.	वीरजी/होमा
	3.	कालू/पेमा		29.	उदा/मेगा
	4.	खेमा/कालू		30.	पूंजा/रुपा
2.	5.	मोगा/कोदरा	10.	31.	गमना/रुपा
	6.	लखमा/कालू		32.	शंकर/रुपा
	7.	पूरा/चोका		33.	दुला/कुवा
	8.	कवा/चकता	11.	34.	देवा/मोगा
3.	9.	रता/धना		35.	मागा/देवा
	10.	लालू/भेरा		36.	लिम्बा/मेगा
	11.	पूजा/धन्ना	12.	37.	रूपा/भेरा
4.	12.	लाला/मावा		38.	देवा/भेरा
	13.	खेमा/मावा		39.	कसना/नवला
	14.	पूंजी/मावा	13.	40.	नमाना/वलमा
5.	15.	नारा/धना		41.	रामा/भेरा
	16.	चोका/मेगा		42.	सवा/धूला
	17.	हीरा/गोता	14.	43.	वेला/रूपा
6.	18.	गोता/कालू		44.	दामा/रूपा
	19.	देगा/गोता		45.	माना/रूपा
	20.	कोदरा/राजा	15.	46.	सवा/धूला
7.	21.	पदा/मेगा		47.	शंकर/धूला
	22.	अमरा/राजा		48.	धूला/मावा
	23.	गमना/भेरा	16.	49.	हीरा/हरजी
8.	24.	देवीलाल/कालू		50.	~~नवला/वलमा~~
	25.	~~गोता/अमरा~~		51.	मोडा/धूला
	26.	अमरा/नाथू			

Page No 174

(173)

1	2		1	2	
17.	52.	भीमा/भेरा	27.	85.	भीमा/भाता
	53.	भेरा/कालू		86.	वेला/कूबा
	54.	लिम्बा/काना		87.	वाला/नवला
18.	55.	रोडा/मेगा	28.	88.	केवल/नाथू
	56.	भेरा/मावा		89.	नगा/कोका
	57.	नोजा/भेरा		90.	शंकर/गांगा
19.	58.	भेरा/मावाबड़ा		91.	पेमा/खाता
	59.	रता/कालू	29.	92.	सवा/पदा
	60.	नारायण/वेजरा		93.	नानजी/धूला
20.	61.	वाला/राजा		94.	लाखा/धूला
	62.	मना/राजा	30.	95.	देवा/पेमा
	63.	लकमा/चोका		96.	धोखा/भरथा
	64.	कन्ना/बदा		97.	कचरा/ओझा
21.	65.	धूला/पूरा	31.	98.	पूजा/पेमा
	66.	कालू/पूरा		99.	भेरा/लाला
	67.	नोजा/भेरा		100.	भेरा/कूबा
	68.	केशा/बदा		101.	लाला/नाथू
22.	69.	होमा/पूरा	32.	102.	वेता/नाथू
	70.	वक्ता/पूरा		103.	/भ्रमरा
	71.	पूरा/पूरा		104.	
23.	72.	लिम्बा/कालू	33.	105.	/मावा
	73.	केशा/कालू		106.	/लाला
	74.	डूंगर/कालू		107.	अपाठ्य शब्द
24.	75.	मोता/मोगा	34.	108.	/वागा
	76.	धूला/भेरा		109.	
	77.	धूला/भेरा		110.	केशा/जगा
	78.	भेगा/भेगा			
25.	79.	नारा/फरजी			
	80.	हरिंगा/लाला			
	81.	शंकर/माना			
26.	82.	मागा/हरजी			कुल नावें 34
	83.	भेरा/धूला			
	84.	कूबा/परथा			कुल सदस्य 110

मिथुरी मछली उत्पादक सहकारी समिति लि., मिथुरी

सदस्यों की सूची वर्ष 77–78 से 81–82 तक

नावों की संख्या		नाम सदस्य
1		2
1.	1.	नोजा/दामा
	2.	पेमा/दामा
	3.	शंकर/नाथू
2.	1.	गोदामा/रतना
	2.	भेरा/रतना
	3.	मेगा/धूला
3.	1.	भेरा/खूमा
	2.	मोती/नाथू
	3.	मेगा/रूपा
4.	1.	नवला/काना
	2	नाथू/काना
	3	रतिया/भगा
5.	1.	धूला/भेरा
	2.	मोरू/कालू
	3.	शामा/भेरा
6.	1.	शंकर/रारू
	2.	नारु/धोला
	3.	परताव/कोलू
7.	1.	माला/नाजा
	2.	परताव/वक्ता
	3.	हमेर/कसना
8.	1.	कालू/काना
	2.	चन्दना/काना
	3.	वलोका/कसना
9.	1.	भेरा/गांगा
	2.	पदा/नगा
	3.	भगा/गांगा
10.	1.	मावा/परथा
	2.	लालू/भगा
	3.	नाथू/परता
11.	1.	हीरा/हमेरा
	2.	कला/कालू
	3.	गमेरा/भेरा
	1.	कसना/केरिग
12.	2.	वुक्ता/चोखा
	3.	माना/कसना
13.	1.	जोगा/गोता
	2.	कानिया/केवा
	3.	परिया/केवा
14.	1.	हमेरा/नाथू
	2.	रूपा/नाथू
	3.	पाला/नाथू
15.	1.	मेगा/नाथू
	2.	नाथू/मावा
	3.	कासिम/मावा
16.	1.	कालू/रामा
	2.	भ्रमरा/कालू
	3.	गला/गांगा
17.	1.	कसना/गोपा
	2.	भेरा/गोपा
	3.	दावल/दजाव
18.	1.	देवा/रामा
	2.	नारू/धूला
19.	1.	उकार/परथा
	2.	नाथू/लाला

175

1	2
20.	1. कसना/नाथू
	2. होमा/कसना
	3. कालिया/लकमा
21.	1. रोड़ा/भगा
	2. लालू/गागा
	3. नाथू/वक्ता
22.	1. देवा/भगा
	2. रामा/देवा
	3. गमेरा/देवा
23.	1. मोहन/कल्ला
	2. कजा/काला
	3. अमरा/लछा
24.	1. गेवा/धोला
	2. पदा/धोला
	3. लालू/माधा
25.	1. लकमा/भराव
	2. पीदा/जराव
	3. मोता/नाथूकटारा
26.	1. नोजा/हरजी
	2. मोहन/उमरा
	3. मेगा/गोपा
27.	1. नोगर/नोजा
	2. मोडा/गोपा
	3. अम्बा/हमेरा
28.	1. केशा/मगा
	2. वावरू/कोला
	3. पपू/अमरा
29.	1. भगा/खूमा
	2. भमरू/कोड़ा
	3. खेमा/पेमा
30.	1. खेता/खूमा
	2. लालू/पेमा
	3. नारू/कालू
31.	1. नाथू/रतना
	2. रोडा/नाड़ा
	3. मोता/माना
32.	1. अमरा/हरजी
	2. करिया/माना
	3. लिम्बा/माना
33.	1. कसना/हरजी
	2. जीवा/अमरा
	3. भेरा/उदा
34.	1. केशा/वदा
	2. पना/पदा
35.	1. पदा/नाथू
	2. गमेरा/पदा
	3. वालाराम/पदा
36.	1. मारू/उमा
	2. नाथू/माना
37.	1. भेरा/मजा
	2. नाथू/भेरा
	3. कसना/वक्ता
	1. धूला/हका
39.	1. भगा/मावा
	2. भेरा/लाला
40.	1. कसना/ओदार
41.	1. रूपा/परथा
	2. देवा/परथा
	3. देवापरथा/मावा

सराड़ी मछली उत्पादक सहकारी समिति लि., सराड़ी

सदस्यों की सूची वर्ष 77–78 से 81–82 तक

नावों की संख्या	नाम सदस्य	
1	2	
1.	1.	कांना/ऊदा
	2.	शंकर/कांना
	3.	पूरा/गणेश
	4.	कसना/गणेश
2.	5.	कजोड़/गणेश
	6.	लोगर/कजोड़
	7.	गोपा/कजोड़
3.	8.	भगा/वाला
	9.	लिबा/भगा
	10.	कालू/भगा
	11.	शंकर/जड़ाव
4.	12.	वाला/हुक्का
	13.	रता/वाला
	14.	नाथू/वाला
5.	15.	भ्रमरा/नारा
	16.	रोहा/भ्रमरा
	17.	मेघा/भ्रमरा
	18.	डूंगा/भ्रमरा
6.	19.	लोगर/नारा
	20.	राजा/मोड़ा
7.	21.	धन्ना/देवा
	22.	भेरा/कना
	23.	केसा/जालमा
	24.	गमेरा/जालमा
8.	25.	लालू/जालमा
	26.	पेमा/मावा
	27.	मावा/पूरा
	28.	चौका/राजा
9.	29.	होमा/राजा
	30.	हीरा/भेरा
	31.	केसा/राजा
	32.	राजा/पूरा
10.	33.	खिमा/भेरा
	34.	धूला/भेरा
	35.	लालू/राजा
	36.	नाथू/केसा
	37.	नारू/गमीरा
11.	38.	सवा/धूला
	39.	खेता/वक्ता
	40.	धूला/भेरा
	41.	कसना/रामा
	42.	उमा/रामा
12.	43.	मोहन/खेता
	44.	धन्ना/वक्ता
	45.	गांगा/वक्ता
	46.	हामता/लाल
	47.	खिमा/पूंजा
13.	48.	हीरा/हामता
	49.	वेला/लाला
	50.	देवा/दोला
	51.	नाथू/भेरा

1		2
14.	52.	कसना/मोड़ा
	53.	भेरा/पूँजा
	54.	पेमा/पूरा
	55.	वजिया/कसना
15.	56.	नाथू/पाहा
	57.	माना/कसना
	58.	मेगा/गागा
	59.	हिरा/गेवा
16.	60.	माना/गोता
	61.	भेरा/गल्लाला
	62.	गांगा/नाथू
	63.	गोवना/गोता
17.	64.	भेरा/नारा
	65.	गोतमा/देविग
	66.	नवला/देवा
	67.	देवा/खिमा
18.	68.	काना/रतना
	69.	नाथू/काना
	70.	मोहन/धुला
	71.	धूला/रतना
19.	72.	पूँजा/उमा
	73.	लोगर/काना
	74.	अमरा/उमा
	75.	रोड़ा/काना
	76.	
20.	77.	कुरा/भेरा
	78.	केसा/भेरा
	79.	काना/भगा
21.	80.	रामा/रोड़ा
	81.	कओड़/वरदा
	82.	मगना/भेरा
	83.	धना/पेमा
22.	84.	रागा/लालू
	85.	रोड़ा/धूला
	86.	भेरा/कालू
	87.	रूपा/कालू
	88.	कालू/धूला
23.	89.	नाथू/मोहन
	90.	घीमा/कालू
	91.	कओड़ा/लाल
	92.	केसा/देविग
	93.	रूपा/लिम्बा

1		2
24.	94.	भेरा/ओंकार
	95.	गाल/पेमा
	96.	नाथू/पेमा
	97.	गोतम/गोपा
	98.	भीमा/माना
25.	99.	सवा/माना
	100.	परता/लिम्बा
	101.	उमा/काना
	102.	धूना/लखमा
26.	103.	मोड़ा/काना
	104.	पूँजा/भगा
	105.	गला/नाथू
	106.	रता/गाला
27.	107.	मोहन/खेता
	108.	शंकर/खेता
	109.	माँगु/जड़ाव
	110.	पूँजा/गोतमा
28.	111.	भगा/गोतमा
	112.	नाथू/गोतमा
	113.	कसना/डूंगर
	114.	खिमा/कसना
29.	115.	केला/भेरा
	116.	भेरा/कजा
	117.	जाना/कालू
	118.	लालू/नाथू
30.	119.	उधा/काना
	120.	तलोका/काना
	121.	कसिया/काना
	122.	पूरा/तलोका
31.	123.	पेमा/भेरा
	124.	मोडा/देवा
	125.	केवा/काना
	126.	दाया/तोला
32.	12[illegible]	तोला/काना
	12[illegible]	वेणा/तोला
	129.	नाराण/पांचा
33.	130.	किशनसिह/भगवतसिह
	131.	उम्मेदा/रघुनाथ
	132.	इब्राहिम/कालिया
	133.	देवीसिंह/भगवत सिंह
	134.	लक्ष्मण सिंह/भगवतसिंह

(1720)

घाटी मछली उत्पादक सहकारी समिति लि., घाटी

सदस्यों की सूची, वर्ष 77 से 81-82 तक

नावों की सं.		नाम सदस्य
1		2
1.	1.	केसा/परताव
	2.	प्रताप/नवला
	3.	रामा/नगा
2.	4.	गोटू/भेरा
	5.	शंकर/गोटू
	6.	लालू/भेरा
	7.	माना/शंकर
	8.	नाथू/शंकर
	9.	लालू/दोला
4.	10.	देवलीलाल/हरा
	11.	भगा/दोला
	12.	शंकर/दोला
5.	13.	पदा/दोला
	14.	नाथू/हरा
	15.	हरा/नवला
	16.	नाथू/भेरा
6.	17.	नाथू/कालू
	18.	मेगा/अमेरा
7.	19.	लोगर/नारण
	20.	वक्ता/गोपा
	21.	रामा/कालू
8.	22.	रता/लखमा
	23.	रखमा/टिला
	24.	रोहा/भेरा
9.	25.	कशना/नाथू
	26.	लखमा/नाथू
	27.	हरलाल/हवला
10.	28.	भेरा/गोता
	29.	गोता/नारा
	30.	पूंजा/गोता
11.	31.	खिमा/धूला
	32.	केसा/धूला
	33.	कालू/वाला
12.	34.	मावा/मेघा
	35.	परता/गमना
	36.	अमेर/नाथू
13.	37.	केसा/सवा
	38.	देवीलाल/भरा
	39.	भेरा/पेमा
14.	40.	पूजा/जगन्नाथ
	41.	जीवा/रुगनाथ
	42.	वगता/रुगनाथ
15.	43.	काना/गोता
	44.	कशना/गोता
	45.	नारू/मेगा
16.	46.	भेरा/हरा
	47.	लखमा/कशना
	48.	रतीया/गोपा
17.	49.	मोड़ा/धूला
	50.	चना/तेजा
	51.	वरदा/तेजा
—	52.	गमेरा/गोता
	53.	नवला/रोड़ा

(179)

1		2	1		2
18.	54.	धन्ना/डोला	26.	95.	हरिंग/दजिंग
	55.	मावा/वज्जा		96.	पाला/वागा
	56.	रूपा/धुला		97.	पूंजा/वला
	57.	चौका/राजींग		98.	गीता/रूपा
19.	58.	नाना/नाथू		99.	पूना/माना
	59.	उदा/नाथू	27.	100.	नाथू/धूला
	60.	खेता/नाथू		101.	नैरिया/नाथू
	61.	लखमा/कसना		102.	दोला/नाथू
	62.	नाथू/भोड़ा		103.	कैसा/नाथू
20.	63.	भेरा/रोड़ा		104.	धन्ना/नाथू
	64.	रोडा/देवा		105.	रवका/मोती
	65.	शंकर/रोड़ा	28.	106.	वगता/पेमा
	66.	देवा/पाला		107.	रोड़ा/पेमा
21.	67.	मोडा/रोड़ा		108.	कालिया/रोला
	68.	नारू/रोड़ा	29.	109.	काना/रोड़ा
	69.	गेवा/धूला		110.	गोपा/नंगा
	70.	धन्ना/वागा		111.	रामा/नंगा
	71.	दलिया/धूला	30.	112.	रता/मेघा
22.	72.	देवा/मोती		113.	मेघा/लाला
	73.	कशना/देवा		114.	ओंकार/मेघा
	74.	गणेश/देवा	31.	115.	भेरा/राजींग
	75.	कालू/जगा		116.	कालू/राजींग
	76.	रोड़ा/मावा		117.	मोती/दला
	77.	होमा/देवा	32.	118.	पदा/मेघा
23.	78.	कचरा/धूला		119.	केसा/मेंगा
	79.	मेघा/पूरा		120.	मेंगा/काना
	80.	लखमा/पूरा	33.	121.	धूला/मोती
	81.	वाला/घूला		122.	रतीया/रोड़ा
	82.	मोगा/किमा		123.	नाथू/अम्बावा
	83.	धन्ना/गोता		124.	धन्ना/वागा
24.	84.	अमरा/गोवना		125.	नाथू/हीरा
	85.	काना/केवा	34.	126.	कालिया/दोला
	86.	पुरा/भेरा		127.	रामा/नाथू
	87.	शंकर/चौखा		128.	पन्ना/जीवा
	88.	शंकर/अना		129.	शंकर/उदा
	89.	कुवा/कालू			
25.	90.	रूपा/रवका	35.	130.	पूंजा/रूपा
	91.	उगा/रवका		131.	कमला/हीरा
	92.	काना/रदा		132.	गमना/उदा
	93.	केवा/नाथू		133.	कालू/रता
	94.	काना/टीला		134.	गोता/भेरा

(180)

गामड़ी मछली उत्पादक सहकारी समिति लि., गामड़ी

सदस्यों की सूची वर्ष 77–78 से 81–82 तक

नावों की संख्या		नाम सदस्य	नावों की संख्या		नाम सदस्य
1		2	1		2
1.	1.	पूना/लोगा	11.	27.	माना/नाकाजी
	2.	लिम्वा/लोगाजी		28.	चमना/नाकाजी
	3.	होमा/हरजी		29.	रुपा/कचरा
2.	4.	नारु/कानाजी	12.	30.	जगना/गोना
	5.	देवा/काना		31.	गमना/हीरा
	6.	भेरा/काना		32.	मोहन/कालू
3.	7.	दला/घूला	13.	33.	सवा/नाता
	8.	भेरा/घूला		34.	दला/मनजी
	9.	भरा/गोता		35.	पूंजा/कचरा
4.	10.	मावा/पदमाजी	14.	36.	हीमा/नाताजी
	11.	जगना/पदमाजी		37.	भेरा/नारा
	12.	काना/लोगा			
5.	13.	लाला/लखमा	15.	38.	चौका/नाताजी
	14.	शंकर/अमरा		39.	कचरा/नाताजी
	15.	गोमा/लखमा		40.	शंकर/नाताजी
6.	16.	हरजी/पदमा	16.	41.	कालू/पांचा
	17.	देवा/भीमा		42.	नानजी/कचराजी
7.	18.	हीरा/नाता		43.	माना/पेमा
	19.	रुपा/देवा			
8.	20.	हकरा/रामा	17.	44.	निम्बा/कचराजी
	21.	कालू/खेता		45.	गांगा/लिम्बा
9.	22.	चम्पा/खेता	18.	46.	देवा/अमरा
	23.	भीमा/खेता		47.	कालू/नाकाजी
10.	24.	शंकर/लखमाजी	19.	48.	वेला/पदमा
	25.	दाया/अमरा		49.	पेमा/पदमा
	26.	वेला/कशना		50.	ढंगा/हीरा

Page No 182

(184)

1		2
20.	51.	गोमा/लिम्बा
	52.	हवजी/लिम्बा
	53.	कालू/लिम्बा
21.	54.	चित्रा/डायाजी
	55.	चौका/डायाजी
	56.	नारा/केरिंग
22.	57.	पूनमचन्द/देवा
	58.	पेमा/देवा
	59.	रूपा/देवा
23.	60.	मोहन/लाल
	61	दला/देवा
	62.	हुरजी/नवला
24.	63.	पूजा/मन्ना
	64.	जोरा/मन्ना
25.	65.	टोड़ा/पेमा
	66.	गेबा/होमा
	67.	हिमता/पेमा
26.	68.	कालू/मावा
	69.	मन्जी/मावा
27.	70.	नानजी/डाया
	71.	रोड़ा/डाया
	72.	धूला/लाला
28.	73.	लालू/जगजी
	74.	देवा/लालजी
	75.	भेरा/हरजी
29.	76.	धरमा/हकरा
	77.	केसा/हीरा
	78.	पूना/वगता
30.	79.	ग्रानोड़ा/परता
	80.	केसा/बेचा
	81.	भीमा/भेरा
31.	82.	देवा/भेरा
	83.	गोता/पदमा
32.	84.	वदा/पेमा
	85.	भेरा/ग्रमरा
33.	86.	धर्मा/नाथू
	87.	कालू/नानजी

182

वीरपुरा मछली उत्पादक सहकारी समिति लि., वीरपुरा

सदस्यों की सूची वर्ष 77–78 से 81–82 तक

नावों की सं.	नाम सदस्य		नावों की सं.	नाम सदस्य	
1	2		1	2	
1.	1.	डूंगा/वेला मीणा	12.	34.	पूना/भेरा
	2.	शंकर/वेला		35.	अम्यावा/धर्मा
	3.	चमना/डंगा		36.	धूला/रामा
2.	4.	केरिंग/धर्मा	13.	37.	खेमा/डूंगा
	5.	देवा/धर्मा		38.	खेमा/रूपा
	6.	गोता/धर्मा		39.	मंजी/डूंगा
3.	7.	रूपा/वेला	14.	40.	चौका/तेजी
	8.	वदा/देवा		41.	रामा/तेजी
	9.	कालू/धूला		42.	राजिंग/खाकाजी
4.	10.	तेजी/पूंजा	15.	43.	होमा/मेगा
	11.	अम्वा/पूंजा		44.	मेगा/पूंजा
	12.	शंकर/पूंजा		45.	हवजी/मेगा
5.	13.	गमना/हीरा	16.	46.	तकता/अमरा
	14.	नाथू/हीरा		47.	हकरा/अमरा
	15.	कालू/हीरा	17.	48.	रामा/धूला
6.	16.	होमा/कालू		49.	लालू/नगा
	17.	पूरा/कालू		50.	गोता/अमरा
	18.	नाथू/कचरा	18.	51.	केसा/मावा
7.	19.	मावली/धूला		52.	नवला/मावा
	20.	महेश/		53.	धूला/वाला
	21.	दला/धूला	19.	54.	गेरा/घूमा
8.	22	नवला/वेला		55.	शंकर/केवा
	23.	गागा/नवला		56.	वाला/चौका
	24.	जीवा/वेला		57.	रामा/भेरा
9.	25.	पूंजा/लिम्वा	20.	58.	अम्वावा/पदा
	26.	होमा/डूंगरी		59.	शंकर/पदा
	27.	हकरा/गोमा		60.	पदा/अमरा
10.	28.	गोमा/दला		61.	धन्ना/पूंजा
	29.	पेमा/दला	21.	62.	कालू/लाला
	30.	लसू/भेरा		63.	भेरा/धूला
11.	31.	केवा/रूपा		64.	शंकर/वेला
	32.	भीमा/रूपा		65.	भीमा/भेरा
	33.	चतरा/उदा			

(183)

सूची–च

जयसमन्द मत्स्य सहकारी समितियों को संघ द्वारा अनुदान में वितरित जाल का विवरण

(वजन किलो में)

क्र. सं.	समिति का नाम	वर्ष 77-78	78-79	79-80	80-81	81-82	कुल योग जाल की मात्रा
1.	वीरपुरा	153	293	46	123	–	615
2.	घाटी	98	272	50	220	–	640
3.	सराड़ी	77	258	56	200	–	591
4.	मिथूडी	62	489	115	—	–	666
5.	गामडी	114	378	103	78	–	673
6.	नामला	—	372	160	—	–	532
	योग :	504	2062	530	621	–	3717

(184)

सूची—व

घाटी मछली उत्पादक सहकारी समिति लि., घाटी जाल वितरण
वर्ष 1981-82 त्रिवेदी ब्याज पर

क्र. सं.	सदस्य का नाम	वजन
1.	भेरू लाल/रोडा भील	4.200
2.	देवीलाल/हरा भील	2.200
3.	मेघा/अमरा भील	2.090
4.	अोदार/नाथू भील	2.160
5.	गेवा/दूला भील	2.180
6.	उमा/रवका भील	2.160
7.	कशना/नाथू भील	2.165
8.	उदा/नाथू भील	2.050
9.	मावा/वज्जा मीणा	2.185
10.	दूला/मोगा मीणा	2.100
11.	पदा/धोला मीणा	2.075
12.	कशना/गोता मीणा	2.160
13.	लालू/धोला	2.190
14.	बग्गा/धोला	2.180
15.	गोता/दोला	2.145
16.	देवा/मेवा	2.080
17.	देवा/पाना	2.190
18.	रामा/नंगा	2.190
19.	मोता/दामा	2.190
20.	भेरा/रामींग	2.150
21.	केशा/धुरा	2.100
22.	भेरा/हरा	2.180
		2.180
23.	अमरा/गोवना	2.190
24.	मोडा/रोडा	2.150
		2.150

क्र. सं.	सदस्य का नाम	वजन
25.	मेरिया/नाथू	2.170
		2.150
26.	मावा/मेघा	2.190
27.	नाथू/हरा	2.155
28.	नारू/रोडा	1.175
29.	वरदा/तेजा	2.170
30.	लोगर/नारायण	2.160
31.	रत्ता/लखमा	2.160
32.	जीवा/रुघनाथ	2.150
33.	रत्ता/भेजा	2.170
34.	केवा/सवा	2.180
35.	भेरा/पेरा	2.165
36.	शंकर/थोऊ	2.145
37.	वक्ता/गोपा	2.180
38.	धन्ना/तेजा	2.180
39.	पूसा/रुघनाथ	2.165
40.	नाथू/कालू	2.160
41.	माना/रोडा	2.180
42.	लालू/भेरा	2.190
43.	देविग/भेरा	2.165
44.	वक्ता/रुघनाथ	2.160
45.	मेघा/लाला	2.170
46.	माना/उदा	2.150
47.	पेमा/रूपा	2.220
48.	प्रताप/नवला	2.165
49.	पूजा/गोता	2.175
50.	नारू/भेजा	2.180

वीरपुरा मछली उत्पादक सहकारी समिति लि., वीरपुरा
जाल वितरण वर्ष 1981-82

1.	कालू/लाला	2.100	2.	धन्ना/नगजी	2.030

सूची–"ब"

मोयूड़ी मछली उत्पादक सहकारी समिति लि., गीधुड़ी को जाल वितरण

वर्ष 81–82 (विभेदी ब्याज पर ऋण)

क्र. सं.	नाम सदस्य	जाल वजन	क्र. सं.	नाम सदस्य	जाल वजन
1.	कालू/रामा	4.280	16.	[illegible]/सूमा	2.095
2.	नाथू/भेरा	2.177	17.	केसा/गेदा	4.170
3.	कोदरा/पदा	2.160	18.	जसना/वेरींगा	2.140
4.	धूला/आदोर	4.305	19.	गाजा/डाया	2.170
5.	भेरा/लाला	2.165	20.	गोता/रतना	2.200
6.	कसना/आडोर	2.070	21.	भात्ता/परता	2.160
7.	रुपा/परता	2.175	22.	नाथू/रतना	2.170
8.	भेरा/बज्जा	2.050	23.	मोहन/तला	2.130
9.	हमेरा/हरजी	2.175	24.	कजीया/तला	2.160
10.	अवता/चौका	2.090	25.	जोगा/गोता	2.180
11.	मोता/नाथू	2.170	26.	गेवा/दौला	2.160
12.	लालू/बग्गा	2.150	27.	काना/केवा	2.200
13.	खेता/खूमा	2.030	28.	धूला/भेरा	2.170
14.	हमेरा/नाथू	2.130			
15.	बसना/हरजी	2.135		योग :	66.465

सूची–ब

सराढ़ी मछली उत्पादक सहकारी समिति लि., सराडी

जाल वितरण वर्ष 1981–82

क्र. सं.	नाम सदस्य	वजन	क्र. सं.	नाम सदस्य	वजन
1.	काना/उदा	4.255	15.	भग्गा/वाला	2.170
2.	गमीरा/जालमा	4.310	16.	रोडा/अमरा	2.090
3.	खीमा/पुजा	2.075	17.	उमो/रामा	2.120
4.	वेला/लाला	2.175	18.	केशा/राजा	2.110
5.	पेमा/मावा	4.280	19.	माना/रतना	2.180
6.	कशना/गणेश	4.285	20.	देवी सिह/भगवतसिह	4.225
7.	पुरा/गणेश	2.090	21.	नाथू/वाला	2.160
8.	लोगर/नारा	4.325	22.	किशन सिह	2.185
9.	अमरा/नारा	4.195	23.	गंगा/वक्ता	2.180
10.	राजा/मोडा	2.120	24.	उदा/तेजा	2.170
11.	कशना/रामा	2.180	25.	खिमा/भेरा	2.190
12.	कशना/मोडा	4.320	26.	वाला/हक्का	2.180
13.	लालू/जालमा	2.160	27.	राजा/पुरा	2.170
14.	लिम्बा/भेजा	2.195			

187

मछली उत्पादक सहकारी समिति लि., नामला जाल वितरण वर्ष 82–83

क्र. सं.	नाम सदस्य	जाल वजन	क्र. सं.	नाम सदस्य	जाल वजन
1	2	3	1	2	3
1.	वाला/मावा	13.655	32.	अमरा/राजा	4.215
2.	भेरा/धुआ	4.195	33.	मोडा/धूला	4.210
3.	केवा/नाथू	4.105	34.	भेरा/मावा	6.150
4.	काना/अमरा	7.180	35.	धूला/भूरा	6.090
5.	पूजा/भेरा	7.215	36.	धामा/रूपा	6.155
6.	नानजी/धूला	2.100	37.	डूगा/वालू	5.045
7.	भेरा/केरग	4.250	38.	लिम्बा/कालू	5.030
8.	देवा/पेमा	4.190	39.	केशा/जग्गा	2.070
9.	कालू/पेमा	2.080	40.	नाथ/कालू	3.950
10.	धूला/भेरा	6.125	41.	कालू/पुरा	5.025
11.	जग्गा/केवा	4.160	42.	हुमा/पुरा	5.055
12.	मोता/मेगा	6.190	43.	कूला/पुरा	3.970
13.	नवला/वलमा	6.055	44.	भीमा/भेरा	3.980
14.	गोता/उमरा	6.105	45.	गीता/कालू	8.015
15.	अमरा/नाथू	2.090	46.	रोडा/मेघा	8.220
16.	वेला/कूवा	4.000	47.	लाला/साथा	5.040
17.	सवा/पदा	2.985	48.	खेमा/मात्रा	4.925
18.	पूना/चौका	3.105	49.	पुआ/मावा	4.020
19.	भीमा/भाता	2.090	50.	तारा/धन्ना	10.255
20.	मन्ना/राजा	6.155	51.	वग्गा/भेरा	3.995
21.	वला/राजा	4.320	52.	देला/रूपा	12.445
22.	रता/धन्ना	4.195	53.	पुजा/धन्ना	4.010
23.	भेरा/लाला	2.990	54.	गमाना/रूपा	4.010
24.	लिम्बा/काना	2.160	55.	मोरा/वीदरा	2.005
25.	वाला/नवला	4.050	56.	गांगा/हरजी	6.110
26.	गमाना/वलमा	13.750	57.	मोता/रूपा	3.975
27.	देवा/मेघा	4.315	58.	रूपा/भेरा	12.485
28.	गांगा/देवा	3.165	59.	कालू/टिव्वा	6.390
29.	वेला/नाथू	4.180	60.	शंकर/रूपा	6.140
30.	रामा/भेरा	4.230	61.	वक्ता/पुरा	6.175
31.	लाला/धूला	4.020	62.	होमा/रूपा	5.965

1	2	3	1	2	3
63.	पदा/मेधा	4.990	83.	सवा/धूला	1.745
64.	केसा/कालू	5.120	84.	शंकर/धूला	1.785
65.	चोखा/भंगा	6.505	85.	कूवा/परमा	1.775
67.	नारा/हरजी	5.230	86.	दंगा/गोता	1.775
68.	रता/वाग्गा	6.385	87.	भेरा/कुवा	4.065
69.	कचरा/जोजा	2.130	88.	वीरजी/हुमा	1.910
70.	मोका/परमा	4.040	89.	केसा/जग्गा	1.925
71.	भेरा/मावा	2.130	90.	शंकर/गांगा	4.025
72.	लिम्बा/मेघा	4.110	91.	नोजा/भेरा	1.920
73.	उधा/मेग्गा	2.070	92.	रता/कालू	2.240
74.	शंकर/मावा	6.035	93.	नारायण/भेरा	2.230
75.	देवा/भेरा	8.320	94.	कोदरा/राजा	2.260
76.	पूरा/जोता	2.190	95.	गमना/भेरा	2.130
77.	हरींगा/लाला	6.185	96.	दला/कूवा	2.320
78.	भेरा/कालू	4.115	97.	लखमा/कालू	2.250
79.	रामा/कालू	3.777	98.	कसना/नवला	4.670
80.	नंगा/चोखा	1.890	99.	धूला/मावा	2.250
81.	देवीलाल/कालू	5.955	100.	सवा/धुला	2.370
82.	लखमा/चोखा	1.925			

मछली उत्पादक सहकारी समिति लि., मियूड़ी जाल वितरण वर्ष 82–83

क्र. सं.	नाम सदस्य	जाल वजन	क्र. सं.	नाम सदस्य	जाल वजन
1	2	3	1	2	3
1.	लकमा/जड़ावा	6.395	8.	ओंकार/प्रथा	4.130
2.	पदा/जडावा	6.440	9.	भेवा/रामा	4.130
3.	मोहन/तला	8.525	10.	रूपा/प्रथा	4.165
4.	कालू/रामा	9.161	11.	नाथू/प्रथा	2.085
5.	कसना/ओधार	4.195	12.	देवा/प्रथा	4.150
6.	भेरा/वजा	3.945	13.	बग्गा/मावा	2.110
7.	नाथू/लाला	4.130	14.	धूला/ओदार	2.110

(189)

1	2	3	1	2	3
15.	नाथू/बेरा	4.210	31.	देवा/भग्गा	4.950
16.	केसा/भग्गा	2.060	32.	अम्बा/हमेरा	2.225
17.	कसना/नाथू	4.070	33.	मेघा/गोपा	2.340
18.	होमा/कसना	4.155	34.	पदिया/केवा	2.220
19.	भेरा/लाला	2.105	35.	मोहन/अमरा	2.295
20.	नोजा/हरजी	2.080	36.	रोड़ा/नारू	2.160
21.	लाल/भग्गा	4.245	37.	मोती/बाना	2.210
22.	कसना/केरिंग	6.280	38.	भेरा/उधा	4.465
23.	हीरा/हमेरा	4.165	39.	मोड़ा/गोपाल	2.150
24.	हम्बा/हमेरा	4.185	40.	गमेरा/भेरा	4.200
25.	पपू/अमरा	2.170	41.	मोता/नाथू	2.235
26.	मोडा/गोपा	2.160	42.	प्रताप/कालू	2.140
27.	वसिया/मावा	1.930	43.	माना/कसना	4.490
28.	कसना/गोपा	2.110	44.	रतीया/भग्गा	2.340
29.	हमेरा/नाथू	2.085	45.	तलोका/कसना	4.630
30.	रामेघा/देवा	6.455	46.	रामा/भग्गा	4.365

मछली उत्पादक सहकारी समिति लि., सराड़ी, जाल वितरण वर्ष 82–83

क्र. सं.	नाम सदस्य	जाल वजन	क्र. सं.	नाम सदस्य	जाल वजन
1	2	3	1	2	3
1.	कसना/रामा	1.120	12.	हीरा/भेरा	4.360
2.	नारायण/पांचा	4.265	13.	भग्गा/वाला	1.125
3.	बेला/लाला	3.260	14.	लिम्मा/भग्गा	1.120
4.	गमरा/जालगा	2.100	15.	वजीण/कलना	8.690
5.	पेमा/भेरा	2.145	16.	वेणीया/तोला	5.450
			17.	उमा/बाना	1.110
6.	लोगरा/कजोड़	10.795	18.	होमा–गाजा	2.140
7.	कजोड़/गबेज	2.130	19.	चौखा/राजा	2.160
8.	तलोका/काना	4.400	20.	वाला/हका	2.150
9.	तोला/काना	2.120	21.	गजा/पुरा	2.140
10.	धुला/भरा	2.120	22.	नाथु/वाला	4.410
11.	भेरा/काला	2.170	23.	रावा/नाना	4.250

1	2	3	1	2	3
24.	पुजा/गोतम	3.250	40.	भेरा/काना	2.240
25.	शंकर/काना	2.130	41.	मेघा/अचा	4.550
26.	खेमा/भेरा	2.090	42.	शंकर/जड़ावा	4.630
27.	गोड़ा/अमरा	8.240	43.	मावा/कसना	4.575
28.	खेमा/पुजा	4.125	44.	मोहन/खेता	4.575
29.	कजोड़ा/लाला	1.940	45.	गोपा/कजोड़ा	4.540
30.	अमरा/नारा	2.070	46.	सवा/धुला	4.680
31.	केसा/देविग	2.180	47.	पेमा/बुरा	4.560
32.	कानोया/भग्गा	2.150	48.	कालू/भग्गा	4.260
33.	भीमा/माना	3.940	49.	रता/वाला	4.400
34.	कसना/डूंगा	1.960	50.	धन्ना/मेघा	4.485
35.	कजोड़ा/वरदा	2.030	51.	नाथू/भेरा	4.465
36.	काना/रतना	4.190	52.	नाथू/पाला	4.445
37.	गमाना/कालू	4.040	53.	डूका/अमरा	4.610
38	खेमा/भेरा	2.190	54.	हीरा/हामता	4.395
39.	कसता/गणेश	2.290	55.	देवा/देला	4.475

मछली उत्पादक सहकारी समिति लि., घाटी
जाल का वितरण वर्ष 82-83

क. सं.	नाम सदस्य	जाल का वजन	क. सं.	नाम सदस्य	जाल का वजन
1	2	3	1	2	3
1.	उमा/रवका	1.920	10.	रसिया/रोड़ा	34.550
2.	भेरा/रोड़ा	3.845	11.	ओंकार/भेवा	2.140
3.	गोड़ा/रोड़ा	1.900	12.	दोलिया/नाथू	2.180
4.	कसना/देवा	1.925	13.	शंकर/उमा	4.490
5.	खेमा/गदूड़ा	2.080	14.	वाला/धूला	4.255
6.	पूजा/भेरा	4.560	15.	पाला/बागा	4.330
7.	पूना/मावा	2.240	16.	मोगा/सीमा	4.280
8.	गोता/रूपा	2.170	17.	होमा/देवा	2.090
9.	रवका/मोती	2.080	18.	कना/गोता	4.490

(191)

1	2	3	1	2	3
19.	हमीरा/देवा	4.390	30.	दलिया/धूला	2.270
20.	केवा/नाथू	2.160	31.	पूजा/धूला	4.460
21.	काना/केवा	2.220	32.	लखमा/पूरा	2.170
22.	शंकर/चोखा	4.610	33.	कालू/जग्गा	2.235
23.	कूवा/कालू	2.100	34.	रोड़ा/मावा	4.590
24.	लखना/कसना	2.100	35.	काना/टीला	2.345
25.	नाथू/मोडा	2.120	36.	रोड़ा/पेमा	2.275
26.	धूला/रूपा	2.090	37.	पालिया/वजा	40.640
27.	रूपा/धूला	2.220	38.	रामा/नगा	2.345
28.	कमला/हीरा	2.370	39.	केसा/नाथू	4.580
29.	कालू/रता	2.000	40.	धना/नाथू	4.620

मछली उत्पादक सहकारी समिति लि., गामडी
जाल का विवरण

क्र. सं.	नाम सदस्य	वजन	क्र. सं.	नाम सदस्य	वजन
1	2	3	1	2	3
1.	कालू/मावा	12.335	15.	चौखा/नाता	6.360
2.	खेमा/लाला	2.150	16.	हवजी/लिम्बा	4.085
3.	पूनमचन्द/देवाजी	21.155	17.	गोमा/लिम्बा	6.325
4.	सेवा/नारा	12.645	18.	समना/नारा	4.240
5.	माना/ग्रोदा	10.330	19.	देवा/अमरा	4.140
6.	काना/खेमा	4.005	20.	पूसा/लोगा	4.030
7.	मंगला/रतना	4.260	21.	दाया/ग्रमरा	3.870
8.	भेरा/नारा	4.220	22.	पूजा/मन्ना	3.835
9.	भेरा/हरजी	4.005	23.	जमना/गोमा	4.085
10.	लिम्बा/कचरा	8.525	24.	गागा/लिम्बा	7.940
11.	माना/नारा	4.135	25.	हकरा/रामा	1.900
12.	नारा/काना	6.455	26.	जगना/हीरा	1.905
13	शंकर/नाता	4.220	27.	जगना/पदमा	3.995
14.	कालू/लिम्बा	4.155	28.	हीरा/नाथा	3.780

1	2	3	1	2	3
29.	होमा/हरजी	3.970	45.	वाला/भेरा	2.190
30.	नारा/केरिंग	1.890	46.	दल्ला/धूला	2.245
31.	रूपा/देवा	1.890	47.	उनाड़ा/परता	4.665
32.	लालू/जग्गा	4.180	48.	कैसा/बेला	4.510
33.	होमा/नाथा	1.870	49.	देवा/भेरा	4.425
34.	कचरा/नाता	4.010	50.	भीमा/भैरा	4.450
35.	लिम्बा/लोगा	4.035	51.	गोता/पदमा	4.300
36.	भेरा/डाया	6.065	52.	धरमा/नाथू	4.620
37.	वेला/कसना	1.900	53.	केसा/हीरा	4.575
38.	कालू/नारा	4.033	54.	धरमा/हुकरा	4.550
39.	हरजी/पदमा	1.890	55.	कालू/नानजी	4.605
40.	देवा/काना	4.300	56.	पूना/उक्ता	4.370
41.	नानाजी/कचरा	4.270	57.	होमा/नारा	4.535
42.	भेरा/काना	4.270	58.	बदा/पेमा	4.560
43.	रूपा/कचरा	2.070	59.	गोता/भेरा	2.260
44.	रोड़ा/डाया	2.100	60.	गोविन्दलाल	6.600

मछली उत्पादक सहकारी समिति लि., वीरपुरा
जाल का विवरण 82–83

क्र. सं.	नाम सदस्य	वजन	क्र. सं.	नाम सदस्य	वजन
1.	तकता/ग्रमरा	4.310	9.	शंकर/पदा	1.920
2.	केसा/मावा	3.165	10.	ग्रम्बावा/पदा	1.775
3.	शंकर/केवा	5.190	11.	धन्ना/पूजा	2.120
4.	लालू/नंगा	4.035	12.	रामा/भेरा	2.250
5.	भेरा/धूला	4.030	13.	पदा/ग्रमरा	4.300
6.	रामा/धूला	4.325	14.	धूला/वाला	2.370
7.	नवला/माचा	2.135	15.	गोता/ग्रमरा	2.250
8.	हुकरा/ग्रमरा	1.790			

(193)

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न संख्या 715 का विवरण

परिशिष्ट–क

पाली जिले की मारवाड जंक्शन, रानी, देसूरी की विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों से चलने वाली बसों का विवरण

क. सं.	मार्ग का नाम	ग्राम पंचायत	बस नम्बर	वाहन मालिक का नाम
1	2	3	4	5
1.	वाली–रानी–देसूरी	पंचायत समिति, रानी	1. आर जे टी 2077	श्री राम लाल सादडी
		(1) बिजोवा	1. आर जे एल 8596	श्री रामलाल सादडी
		(2) बरकाना	3. आर एस क्यू 5182	श्री जयनारायण जीवराज
		(3) राणीकल्ला	4. आर एस क्यू 693	श्री जयनारायण जीवराज
		पंचयत समिति देसूरी	5. आर एस क्यू 5181	श्री भगवती लाल
		(1) नारलाइ	6. आर जे टी 5484	श्री यासीन मोहम्मद
		(2) घणेराव	7. आर जे एन 694	श्रीमती इन्द्रा देवी
			8. आर जे एस 434	श्री सन्तोष सिंह
			9. आर जे वाई 4198	श्री जगदीश प्रसाद
			10. आर जे डब्लू 3255	श्री दलपत सिंह
			11. आर जे एफ 6017	श्री राम लाल
			12. आर. जे. क्यू. 7223	श्री सन्तोष सिंह

2.	सादडी–ढोला	पंचायत समिति, राणी		
		(1) राणी खुर्द	1. आर जे टी 3101	श्री राम लाल सादडी
		(2) माण्डल	2. आर जे टी 2117	"
		पंचायत समिति देसूरी		
		(1) ढालोप	"	"
		(2) दादाई	"	"
3.	वाली–राणी–चाणोद	पंचायत समिति, राणी		
		(1) वालराई	1. आर आर एन 1251	खालसा ट्रेवल्स; फालना
			2. आर एस एन 4531	श्री बलदेव सिंह
			3. आर एस एन 397	खालसा ट्रेवल्स फालना
			4. आर आर क्यू 6502	"
			5. आर आर क्यू 7497	"
			6. आर एस एन 9532	"
			7. आर एस एन 2021	"
			8. आर आर एन 2713	"
4.	पाली–राणी	पंचायत समिति, राणी		
		(1) चांचोडी	1. आर जे टी 2003	श्री रामचन्द्र
		(2) नान्दाणा वाटुन	2. आर जे टी 1557	श्री उम्मेद सिंह
		(3) खोड	3. आर जे टी 4929	श्री मदन लाल
		(4) जवाली	4. आर जे क्यू 4575	श्री नारायण सिंह

1	2	3	4	5
		पंचायत समिति, राणी		
		(1) इन्द्रवाडा	1. आर जे क्यू 3112	श्री शंकर लाल
		(2) निपल	2. आर एस क्यू 1362	श्री भैरा राम
5.	पाली—नाडौल	पंचायत समिति, राणी		
		(1) खोड	1. आर जे वाई 3297	श्री मोहन लाल
		(2) इटन्द्रा मेडतियान	2. आर जे टी 1641	,,
		पंचायत समिति देसूरी	3. आर जे टी 4809	,,
		(1) नाडोल		
6.	पाली—देसूरी	पंचायत समिति, राणी		
		(1) धेनडी	1. आर जे एफ 1941	श्रीकाना राम
		(2) गिलावनी	2. आर जे क्यू 905	,,
		(3) सिवाज	3. आर जे टी 4307	श्री गुल्ला राम
		(4) खीवाडा	4. आर जे क्यू 2571	श्री बस्ती राम
		(5) वूसी	5. आर जे टी 5781	श्री पारसमल
		(6) शादल	6. आर जे टी 3781	श्री चम्पा लाल
		(7) निम्बडा	7. आर जे टी 1875	श्री बस्तीराम
		(8) देवली—पाबूजी	8. आर जे टी 4405	श्री बस्ती राम
		(9) सांवलता		
		पंचायत समिति, देसूरी		
		(1) डायलाणा कल्ला		
		(2) बागोल		

		पंचायत समिति, खारची			
		(1) गांती			
		पंचायत समिति, देसूरी	3.	आर आर क्यू 8175	श्री धन्नाराम
		(1) धामली	4.	आर जे टी 4813	श्री कन्हैया लाल
		(2) हिंगोला खुर्द	5.	आर एस क्यू 1363	श्री कन्हैया लाल
		(3) आउवा	6.	आर एस के 4675	श्री मोहन लाल
			7.	आर जे टी 4821	श्री काना राम
7.	रानी–राणावास–मारवाड जंक्शन	पंचायत समिति, राणी			
		(1) धारिया		आर जे डब्लू 1001	श्री किशन लाल
		(2) वणदार			
		(3) गजनीपुरा			
		पंचायत समिति, खारची			
		(1) गुढा सूर्जसिंह			
		(2) गादाणा			
		(3) सिनला			
		(4) इसाली			
		(5) राणावास			
		(6) मुलसा बावडी			
8.	सादडी–पिण्डवाडा	पंचायत समिति, देसूरी			
		(1) मादा	1.	आर जे टी 1589	श्री ओम प्रकाश
		(2) आना	2.	आर जे टी 1497	श्री भीक चन्द
			3.	आर जे डब्लू 1019	श्री प्रीतम सिंह

192

1	2	3	4	5
9.	राणी–सादडी–सेवाडी	पंचायत समिति, देसूरी		
		(1) मोरखा	1. आर जे टी 2113	श्री राम लाल सादडी
		(2) सिन्दरली	2. आर जे टी 5785	श्री रतनलाल
			3. आर जे जेड 9261	श्री जगदीश प्रसाद
			3. आर जे जेड 9261	
			4. आर एस क्यू 7741	,,
10.	बंगापुर–राणी	पंचायत समिति, देसूरी		
		(1) कोट-लक्यान	1. आरजेवाई 2685 श्री कान्तीलाल,	वाहनों के परमिट
			2. आरजेआर 5995 श्री प्रवीणसिंह राठौड़	समाप्त हो जाने के कारण मार्ग बन्द है।
11.	सोजत–देसूरी, मारवाड जंक्शन जैतारण–पिपाड, राणी एकीकृत मार्ग	पंचायत समिति, देसूरी		
		(1) सुमेर	1. आर जे एल 7889	श्री किशन लाल
		(2) मगर तलाव	2. आर जे टी 2051	श्री नारायण लाल
		(3) पनोता	3. आर जे टी 1973	श्री ओमप्रकाश
		पंचायत समिति, खारची	4. आर जे इ 901	श्री मिश्री लाल
		(1) फौलाद	5. आर एस एल 1845	श्री भंवर लाल
		(2) सिरयारी	6. आरजे क्यू 2913	श्री बंशी लाल
		(3) सारण	7. आर एस एल 1772	श्री रामचन्द्र
		(4) माण्डा	8. आर एस क्यू 1361	श्री प्रताप राम
			9. आर जे एफ 1239	श्री प्रताप राम

(5) शेखावास	10.	आर एस क्यू 1084	श्री किशनलाल
(6) राणावास	11.	आर जे वाई 6051	श्री मांगीलाल
	12.	आर जे एफ 2061	श्री किशन लाल
	13.	आर एस क्यू 3901	श्री किशन लाल
	14.	आर एस एन 2496	श्री ओमप्रकाश
	15.	आर जे टी 4957	श्री सुखराज
	16.	आर जे आई 961	श्री मोहन लाल
	17.	आर जे टी 5031	श्री घेवर चन्द
	18.	आर जे टी 1851	श्री नेमीचन्द
	19.	आर जे टी 1525	श्री नेमी चन्द
	20.	आर जे क्यू 3075	श्री भोमाराम
	21.	आर एस क्यू 2923	श्री बंशीलाल
	22.	आर एस एन 1271	श्री गोपाल राम
	23.	आर एस एन 4651	श्री राम प्रकाश
	24.	आर आर एल 7905	श्री घेवर चन्द
	25.	आर एस एन 6181	श्री शेख मोहम्मद
	26.	आर एस क्यू 1764	श्री घेवर चन्द
	27.	आर जे टी 1529	श्री गुल्ला राम
	28.	आर जे टी 4805	श्री धन्ना राम
	29.	आर जे टी 5031	श्री हनुमान दास
	30.	आर जे एफ 3163	श्री बस्ती राम

1	2	3	4	5
12.	पाली–जोजावर	पंचायत समिति, खारची		
		(1) जोजावर	1. आर जे टी 5129	श्री किशन लाल
		(2) वांता	2. आर एस एल 1765	श्री भीक जी
		(3) धनला	3. आर जे ओ 47	श्री केवल चन्द
		(4) भीमालिया		
		(5) पांचेठिया		
		(6) देवली		
		(7) जाणुन्दा		
		(8) आउआ		
13.	पाली–खारची-सोजतरोड	पंचायत समिति, खारची		
		(1) चिम्पटिया	1. आर एस एम 3964	श्री मदन लाल
		(2) नीम्बली भांण्डा	2. आर एस वाई 4318	श्री किशन लाल
		(3) बोपारी		
14.	सोजत रोड–बिन्जागुडा	पंचायत समिति, खारची		
		(1) कण्टालिया	आर एस क्यू 1457	श्री अनुवन्त सिंह
		(2) बोरनडी	आर आर क्यू 9536	श्रीमती शांति देवी
		(3) मुंसालिया		
		(4) धुंधला		
15.	सोजतरोड–समन्दिरिया	पंचायत समिति, खारची		
		सेवाज	आर जे क्यू 9210	श्री समन्दर सिंह

16	पाली–राणावास	पंचायत समिति, खारची		
		(1) वाडसा	आर जे टी 3899	श्री देवाराम
		(2) राणावास	आर जे टी 4371	श्री सूरज मल
		(3) पिठूडा कलां		
		(4) रडंवास		
		(5) गुढा राम सिंह		

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 717 की तालिका

31-12-82 को शैक्षणिक योग्यतानुसार चालू रजिस्टर

क्र. सं.	नाम नियोजन कार्यालय	मैट्रिक से कम	सैकेण्डरी	हा. सैके. ण्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर
1.	अजमेर	11657	4036	6209	2668	117
2.	अलवर	6961	4561	4789	2417	168
3.	बांसवाडा	2615	1002	1433	265	112
4.	बाड़मेर	2764	957	1221	303	3
5.	भरतपुर	9184	6716	7822	1907	—
6.	भीलवाडा	6479	1504	2554	938	37
7.	बीकानेर	8715	1901	2215	1132	38
8.	बून्दी	7762	796	1215	420	34
9.	चित्तौड़गढ	3826	1101	1746	570	9
10.	चुरू	3205	1457	1990	782	15
11.	डूंगरपुर	3218	1144	1340	565	20
12.	जयपुर	35253	12860	8075	7876	615
13.	जैसलमेर	2492	344	438	67	—
14.	जालौर	2314	610	918	271	23
15.	झालावाड़	3085	878	1017	636	4
16.	झुंझुनू	11403	3793	2918	1618	45
17.	जोधपुर	17806	3597	4447	1500	51
18.	कोटा	15595	3765	5679	2422	110
19.	नागौर	3156	3336	5196	1226	—
20.	पाली	4678	1538	2035	682	26
21.	स. माधोपुर	4914	3143	2220	1103	47
22.	सीकर	4034	2221	2716	1013	72
23.	सिरोही	2028	752	771	246	11
24.	श्री गंगानगर	6024	4860	3395	1705	23
25.	टोंक	3716	1220	1837	530	—
26.	उदयपुर	23852	3081	3504	2372	36
27.	पी. एण्ड ई.	—	—	—	5072	4260
28.	विशेष नियोजन का. (विकलांग) जयपुर	622	154	198	84	2
	योग :	207358	71324	77898	40390	5878

परिशिष्ट-4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

राजस्थान में गृह निर्माण सहकारी समितियों में प्रशासक

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में किस-किस गृह निर्माण सहकारी समिति पर सरकारी प्रशासक तैनात किये हुए हैं ? कुल कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियों पर प्रशासक तैनात करने के आदेश प्रसारित किये गये थे ?

(2) किन-किन समितियों का कार्यभार प्रशासकों ने संभाल लिया है ?

(3) किन-किन समितियों का कार्यभार संभालना शेष है ?

(4) यदि शेष है, तो क्या कारण है ?

उत्तर

(1) कुल 64 गृह निर्माण सहकारी समितियों पर प्रशासक नियुक्त किये गये हैं, सूची संलग्न है ।

(2) समस्त प्रशासकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

सूची

नाम गृह निर्माण सहकारी समिति जिनमें प्रशासक नियुक्त किये हैं :

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम		नाम गृह निर्माण सहकारी समिति
1	2		3
1.	जयपुर (शहर)	1.	सिंधी को-ओ. हॉ. सोसा. लि.
		2.	सहकारी मित्र गृह निर्माण स. स.
		3.	मित्र गृह निर्माण स. स.
		4.	आदर्श गृह निर्माण स. स.
		5.	सुदर्शनपुरा गृह निर्माण स. स.
		6.	वडोदिया वस्ती गृह निर्माण स. स.
		7.	बंसी सीतारामपुरा कच्ची वस्ती गृ. नि. सहकारी समिति
		8.	जयअम्बे गृह निर्माण सहकारी समिति लि.

Page No 204

(203)

1	2	3
		9. भारत भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि.
		10. बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि.
		11. जगजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि.
		12. श्री कृष्णा गृह निर्माण सहकारी समिति लि.
		13. ज्योति जगजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि.
		14. बजाज नगर को-ग्रो. हाउ. सोसायटी लि.,
		15. जवाहरपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति
		16. किसान गृह निर्माण सहकारी समिति
		17. लाला लाजपतराय गृह निर्माण सहकारी समिति
		18. ओमशिव गृह निर्माण सहकारी समिति
		19. विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी समिति
		20. जयपुर हसनपुरा बी गृह निर्माण सहकारी समिति
		21. आनन्द गृह निर्माण सहकारी समिति
		22. अम्भेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति
		23. बदनपुरा फकीरा की डूंगरी गृह निर्माण सहकारी समिति
		24. जलमहल गृह निर्माण सहकारी समिति
		25. अरविन्द नगर गृह निर्माण सहकारी समिति
		26. भवनेश्वरी भवन गृह निर्माण सहकारी समिति
		27. बस्सी सीतारामपुरा बी गृह निर्माण सहकारी समिति
		28. श्री मौजी हाऊ. को.-ओ. सो.
		29. सिविल लाइन्स गृह निर्माण सहकारी समिति
		30. जयपुर हाउस बिल्डिंग को. ओ. सोसायटी
		31. महेश नगर गृह निर्माण सहकारी समिति
		32. रामनगर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति
		33. मालवीय नगर हाउ. को-ओ सोसा.
		34. एवरेस्ट हाउ. को-ओ. सोसायटी
		35. श्री गणेश हाउ. को-ओ. सोसायटी
		36. इन्द्रा नगर गृह निर्माण सहकारी समिति
		37. सुभाष सिटी गृह निर्माण सह. स.
		38. हीरा को-ओ. हाउ. सोसा. लि.
		39. जय जवान गृह निर्माण सह. स.
		40. रामरामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति

1	2		3
		41.	अम्बेडकर गृह निर्माण सहकारी समिति
		42.	छी शिवा को-ओ. हाउ. सोसा. लि.
		43.	गोपालपुरा गृह निर्माण सह. स.
		44.	मदरामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति
		45.	विकास भवन गृह निर्माण सहकारी समिति
		46.	स्वर्णकार गृह निर्माण सहकारी समिति
		47.	करतारपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति
		48.	बाबा रामदेव गृह निर्माण सहकारी समिति
		49.	भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति
		50.	श्री लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति
		51.	झांकरोटा स्कीम फेज नं. 1 गृह नि. स. स.
		52.	डिस्ट्रीक स्पेश ब्रांच को-ओ. हा. सो.
		53.	टेलिफोन एम्पलाइज हाउ. को. सो.
2.	भरतपुर	54.	सहयोगी बन्धु गृह निर्माण सह. स.
3.	अलवर	55.	श्री जवाहर नगर गृह नि. स. स.
		56.	श्री राम गृह नि. स. स., अलवर
4.	अजमेर	57.	कोशलपुर गृह निर्माण सहकारी समिति
5.	ब्यावर	58.	नरायनाबाद रिफूजी हा. को. सो. विजयनगर
6.	बांसवाड़ा	59.	बांसवाड़ा आदिम जाति गृह नि. स.
7.	गंगानगर	60.	भारतीय गृह निर्माण स. स. गंगानगर
8.	उदयपुर	61.	फकरी गृह निर्माण स. स.
		62.	हमदर्द गृह निर्माण स. स.
9.	राजसमन्द	63.	राजसमन्द गृह निर्माण सहकारी समिति
10.	बाड़मेर	64.	रायनगर रिफ्यूजी को-ओ. हा. सो.

सवाई माधोपुर जिले में दुब्बीघाट बनास नदी पर पुल निर्माण का ठेका

719. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में दुब्बी घाट बनास नदी पर बन रहे पुल के निर्माण का ठेका किस वर्ष में किस ठेकेदार को दिया गया ? पुल निर्माण की निविदा शर्तों के अनुसार पुल का निर्माण कितने समय में पूरा हो जाना चाहिये था ?

(2) अब तक पुल निर्माण पूरा नहीं होने में किन-किन अधिकारियों की लापरवाही रही ? सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

(3) विगत कितने महीनों से पुल निर्माण का कार्य बन्द पड़ा है और किस कारण से ? अब सरकार इस पुल का काम कब आरम्भ करवा कर पूर्ण निर्माण कब तक करवा देगी ?

उत्तर

(1) पुल के निर्माण का ठेका वर्ष 1976-77 में मैसर्स गेमन इण्डिया लिमिटेड बम्बई को दिया गया । पुल का निर्माण अनुबन्ध की शर्तानुसार 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण होना था ।

(2) पुल का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के लिये अधिकारियों की लापरवाही नहीं रही । अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(3) माह नवम्बर, 1982 से पुल का निर्माण कार्य बन्द है क्योंकि ठेकेदार विभाग के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है । ठेकेदार के विरुद्ध अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जायेगा तथा दिसम्बर, 1984 तक पूरा किये जाने की संभावना है ।

माडा योजना से वंचित जन जाति बहुल क्षेत्र

721. श्री समरथलाल (राजगढ़) : क्या जन जाति क्षेत्रिय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में कुछ जन जाति बहुल क्षेत्र रह गये हैं जो माडा योजना के अन्तर्गत नहीं आये ?

(2) क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों को योजना में सम्मिलित करवाने का विचार रखती है ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । राज्य सरकार ने ऐसे 139 गांव व 2 नये लघु खण्ड झालरापाटन-खानपुर जिला झालावाड़ एवं लाडपुरा-रामगंज मंडी-सांगोद जिला कोटा को माडा क्षेत्र में शामिल किये जाने के प्रस्ताव 2 मार्च, 82 को भारत सरकार को भेजे हैं, जिनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर इन्हें माडा योजना में सम्मिलित कर लिया जावेगा ।

राजस्थान पथ परिवहन निगम में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दिलाई गई बसों का अनुबन्धन

722. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों को राजस्थान वित्त निगम से लोन लेकर बसें दिलाई गई थीं तथा राजस्थान पथ परिवहन निगम में अनुबन्धित के रूप में लगाई गई थीं ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत कुल कितनी बसें अनुबन्धित की गई थीं ? नाम मालिक व पता, बस नं. व अनुबन्धन की दिनांक आदि की सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या उक्त सभी बसें चल रही हैं ? यदि नहीं, तो कितनी बसें बन्द हैं तथा क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान पथ परिवहन निगम की कठोर शर्तें एवं उन गरीब व्यक्तियों की नहीं सुनने की वजह से ही मजबूरन इन बसों को बन्द करना पड़ा ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त बस मालिक अपनी समस्या के समाधान हेतु बार-बार निवेदन करते रहे हैं ? यदि हां, तो उनका क्या हल सोचा गया ?

(5) क्या सरकार अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के हित में अपने नियमों को सरल कर उन बन्द बसों को पुनः चलाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं । निगम से अनुबन्धित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की बसों के संबंध में सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) ऐसी 78 बसों में से केवल दो बसें स्वेच्छा से अनुपस्थित हैं और एक बस को अनुबन्ध मुक्त कर दिया गया है ।

(3) जी नहीं ।

(4) बस मालिक अपनी समस्या के समाधान हेतु निगम से सम्पर्क करते रहते है और निगम उनकी उचित समस्याओं के समाधान हेतु तत्पर रहता है ।

(5) नियमों की जटिलता के कारण कोई बस बन्द नहीं हुई है ।

सूचना

अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों द्वारा राजस्थान वित्त निगम से ऋण प्राप्त कर वाहन निगम में अनुबन्ध पर लगाने की सूची

क्र. सं.	वाहन स्वामी का नाम व पता	वाहन संख्या	अनुबन्ध पर लगाने की दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री किशनलाल, भंवरलाल परबतसर, नागौर	आर आर जेड 289	25-1-82
2.	श्री भागीरथमल, मूलचन्द, जयपुर	आर एन बी 1921	16-1-82
3.	श्री ओमप्रकाश, हरिकिशन, सवाई माधोपुर	आर एन बी 1952	22-1-82
4.	श्री भूवरसिंह, सत्यनारायण, जयपुर	आर एन बी 4232	22-4-82
5.	श्री बनवारी लाल, बीरबल, झुंझुनू	आर जे पी 3903	15-12-81
6.	श्री नन्दकिशोर, हजारीलाल, जोधपुर	आर आर बी 4148	15-12-81
7.	श्री श्यामलाल, मदनलाल, पिलानी	आर एन बी 8885	30-10-82
8.	श्री बन्शीलाल, भंवरलाल, पोस्ट ब्यावर, अजमेर	आर आर जेड 183	27-1-82
9.	श्री कृष्णगोपाल, भगवानसहाय, श्रीमाधोपुर सीकर	आर एन बी 339	27-1-82
10.	श्री रामखिलाडी, भरोसेलाल, सवाई माधोपुर, हिण्डौन	आर एन बी 1955	12-1-82
11.	श्री नन्दकिशोर, सूरजमल, देवली, टौंक	आर जे एक्स 2528	12-1-82
12.	श्री मोहनलाल, हरजी, ब्यावर, अजमेर	आर एस जेड 9714	10-11-82
13.	श्री रोशनलाल, प्रहलाद, अजमेर	आर एस जेड 9731	10-11-81
14.	श्री रामदेव, आशाराम, किशनगढ, अजमेर	आर आर जेड 287	27-1-81
15.	श्री सोहनलाल, पनास्वरूप, जयपुर	आर एन बी 9327	9-1-82
16.	श्री रामेश्वरलाल, डूरलाल, झुंझुनूं	आर एन बी 1051	24-12-81
17.	श्री बन्शीलाल, चुन्नीलाल, पाली	आर जे आई 8733	17-7-82
18.	श्री नन्दलाल, रामेश्वरलाल, झुंझुनू	आर जे पी 3918	15-12-81
19.	श्री दरूलाल, गोपीचन्द, ब्यावर, अजमेर	आर एस जेड 9624	11-10-81
20.	श्री प्यारचन्द, उदयलाल, भीलवाडा	आर जे ई 7619	10-1-82
21.	श्री गणपतराम, बाबूलाल, सीकर	आर एन बी 2607	9-2-82
22.	श्री प्रहलाद बैरवा, राधाकिशन, नागौर	आर आर जेड 311	25-1-82
23.	श्री बनवारीलाल, बन्शीधर, जयपुर	आर एन बी 368	4-12-81

Page No 209

(28)

1	2	3	4
24.	श्री हीरालाल, भगवानदास, चौमू, जयपुर	आर एन बी 117	10-11-81
25.	श्री रामचन्द्र, सुरेशचन्द, सीकर	आर एन बी 1655	12-1-82
26.	श्री किशोरलाल, पन्नाचन्द, जयपुर	आर एन बी 914	18-12-81
27.	कुमारी सुमनलता, श्री नानकचन्द, भुसावर, भरतपुर	आर एन बी 7959	2-11-82
28.	श्रीमती लीला बाकोलिया, बस्तीराम, जयपुर	आर जे बी 3211	12-1-82
29.	श्री प्रभुलाल, भागोता, सवाई माधोपुर	आर एन पी 224	16-11-82
30.	श्री डूंगरमल, सोहनलाल, जयपुर	आर एन बी 1072	18-12-81
31.	श्री ख्यालीराम, कन्हैयालाल, अलवर	आर एस ए 3637	5-2-82
32.	श्री भांवरदास, परसराम, जोधपुर	आर आर एन 4135	24-12-81
33.	श्री मांगीलाल, उदयराम, जोधपुर	आर एन बी 6125	7-7-82
34.	श्री लालचन्द, मनोहर, जोधपुर	आर आर एन 5817	19-5-82
35.	श्री रमेशचन्द, रामगोपाल, उनियारा, टोंक	आर जे एक्स 2557	17-3-82
36.	श्री हेमराज, भवानीशंकर, मांगरोल, कोटा	आर एस ओ 3005	9-11-81
37.	श्री फूलचन्द, गिरधारीलाल, नसीराबाद	आर आर जेड 85	12-1-82
38.	श्री रामलाल, यादलाल, नदबई, भरतपुर	आर एस डी 3105	16-1-82
39.	श्री किशनलाल, परमानन्द, जयपुर	आर एन बी 8021	17-9-82
40.	श्री लालचन्द, बाबूलाल, जयपुर	आर एन बी 7095	13-8-82
41.	श्री जगदीशप्रसाद, मुन्शीलाल, जयपुर	आर एन बी 6050	1-7-82
42.	श्री रामेश्वरप्रसाद, गणपतराम, जयपुर	आर एन बी 6115	3-7-82
43.	श्री रामप्रसाद, रामवतार, अलवर	आर एस ए 3798	17-3-82
44.	श्री पन्नाराम, रामूराम, बीकानेर	आर एस एफ 2689	20-4-82
45.	श्री सुन्दरलाल, चौथमल, उदयपुर	आर आर वाई 4653	22-7-82
46.	श्री नन्दराम, मदनलाल, दांतारामगढ, सीकर	आर एन बी 5011	21-5-82
47.	श्री ईशर, ओमप्रकाश, जयपुर	आर एन बी 3222	1-3-82
48.	श्री चुन्नीलाल, पांचीदेवी, सांगानेर, जयपुर	आर एन बी 3264	4-3-82
49.	श्री सुवालाल, गोपीलाल, पचार, सीकर	आर जे बी 3946	5-2-82
50.	श्री घीसाराम, अरनसिंह, भरतपुर	आर एस डी 3627	18-6-82
51.	श्री प्यारचन्द, सोहनलाल, उदयपुर	आर आर वाई 3215	5-2-82
52.	श्री तुलसीराम, मोहनलाल, ब्यावर, अजमेर	आर एन बी 2791	12-3-82
53.	श्री करोडीलाल, जमनालाल, जयपुर	आर एन बी 5940	19-6-82
54.	श्री धनपतराज, रामकुमार, जयपुर	आर एन बी 7875	24-2-83
55.	श्री मालचन्द, जुगलकिशोर, झुंझुनु	आर एन बी 6522	9-7-82

1	2	3	4
56.	श्री रामचन्द्र, मदनलाल, जयपुर	ग्रार एन बी 5415	7-6-82
57.	श्री गोविन्दराम, केदार, सवाई माधोपुर	ग्रार एन बी 3413	6-3-82
58.	श्री रामनारायण, देवेन्द्रकुमार, सामोद, जयपुर	ग्रार एन बी 6289	9-7-82
59.	श्री सम्पतराम, ग्रशोक कुमार, ग्रलवर	ग्रार एस ए 3933	9-4-82
60.	श्री सुभाषचन्द, बनवारीलाल, प्रतापपुरा झुंझुनू	ग्रार एन बी 2247	19-2-82
61.	श्री गिरवरप्रसाद, टीकमसिंह, नदबई, भरतपुर	ग्रार एस डी 3081	16-1-82
62.	श्री नत्थीलाल, ग्रमरसिंह, बयाना, भरतपुर	ग्रार एस डी 3691	12-7-82
63.	श्री हरीचरणलाल, मांगीलाल, सवाई माधोपुर	ग्रार जे यू 2919	13-9-82
64.	श्री चमनलाल, दीपककुमार, जयपुर	ग्रार एन बी 1971	22-1-82
65.	श्री फतेहसिंह, बुधराम मीणा, ग्रलवर	ग्रार एस ए 5802	15-3-82
66.	श्री छाजूराम, नानगराम मीणा, सवाई माधोपुर	ग्रार जे यू 3026	27-12-82
67.	श्री विरदीलाल, राजाराम, बून्दी	ग्रार एन डी 351	20-12-82
68.	श्री शंकरलाल, रामबक्स, ग्रलवर	ग्रार एस ए 5354	30-11-82
69.	शिवशंकर ट्रांसपोर्ट, हिण्डौली, बून्दी	ग्रार जे जी 3725	19-1-82
70.	श्री सोहनलाल, रामस्वरूप सूंठवाल, जयपुर	ग्रार एन बी 9327	9-11-82
71.	श्री कन्हैयालाल मीणा, टोडाभीम, सवाई माधोपुर	ग्रार एस डी 4315	2-11-82
72.	श्री कुन्दनलाल, मालीराम मीणा, सीकर	ग्रार जे बी 4181	14-10-82
73.	श्री बटोईसिंह, भोईनसिंह, धौलपुर	ग्रार एस डी 4172	23-9-82
74.	श्री ग्रोमप्रकाश, लक्ष्मीनारायण, ग्रलवर	ग्रार एस ए 4837	1-9-82
75.	श्री रमेशचन्द, गंगापुर, सवाई माधोपुर	ग्रार जे यू 2838	15-7-82
76.	श्री कैलाशचन्द, तुलछाराम खटीक, नागौर	ग्रार ग्रार जेड 881	8-4-82
77.	श्री भंवरलाल, रामदेव, ब्यावर, ग्रजमेर	ग्रार ग्रार जेड 867	1-4-82
78.	श्री कैलाशचन्द, रामकरण मीणा, दौसा, जयपुर	ग्रार एन बी 7587	1-9-82

Page No 211

(210)

मध्य प्रदेश तथा पंजाब से राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल को प्राप्त विद्युत

723. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल को मध्य प्रदेश तथा पंजाब राज्यों से किये गये समझौतों के अनुसार दिनांक 1-4-1982 से 31-12-1982 तक कितनी-कितनी यूनिट बिजली मिलनी चाहिये थी ? इस अवधि में कितने यूनिट बिजली मिली है ?

उत्तर

दिनांक 1-4-82 से 31-12-82 तक चम्बल-सतपुड़ा (मध्य प्रदेश) एवं भाखड़ा-व्यास (पंजाब) से क्रमश: 7620.54 लाख यूनिट एवं 18971.57 लाख यूनिट बिजली मिलनी चाहिये थी। इस अवधि में इन स्रोतों से क्रमश: 5996.20 लाख यूनिट तथा तथा 20185.25 लाख यूनिट बिजली मिली

खंडार तहसील के दौलतपुरा ग्राम में शरणार्थी सहकारी समिति को भूमि आवंटन

724. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई-माधोपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर की तहसील खण्डार के ग्राम दौलतपुरा में पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की एक सहकारी समिति को 625 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था ? यदि हाँ, तो उक्त जमीन इस समय किस के पास है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त जमीन को कुछ ही परिवारों द्वारा बांट ली गई है ? यदि हां, तो एक-एक परिवार का कितनी भूमि पर कब्जा है ? कृपया पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त समिति ने कोई ऋण लिया हुआ था या उसका सामान भी था ? यदि हां, तो उस ऋण को किस के द्वारा जमा कराया गया है और समिति का सामान कितनी राशि का किस के पास है ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम दौलतपुरा में पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की एक दौलतपुरा ग्राम में लक्ष्मणशाह को-आपरेटिव फार्मिंग सोसायटी लि. का गठन किया जाकर 624 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। वर्तमान में यह जमीन समिति के कब्जे में है।

(2) जी हां, 13-1-72 को अवसायक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 479 बीघा जमीन पर 15 सदस्यों ने कब्जा कर रखा है। जिसकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी हां, सहकारी विभाग के माध्यम से समिति को पुनर्वास विभाग से 34,000/- रु. का ऋण एवं 12,500/- रु. अनुदान का प्राप्त हुआ था। इस ऋण में से 9,000/- रु. का ऋण ट्रेक्टर एवं उसका अन्य सामान क्रय करने हेतु उपलब्ध हुआ था। इस ऋण का चुकारा हुआ अथवा नहीं पुनर्वास विभाग से पता लग सकता है, लेकन समिति का कुड़क किया गया सामान हरदेव पटेल को 28-6-63 को सुपुर्दगी में दिया गया था जिनका देहान्त हो गया है।

सूची

परिशिष्ट—"क"

क.सं.	नाम सदस्य	बीघा
1.	श्री हरनाम सिंह	50
2.	श्री भजनसिंह	45
3.	श्री श्रवण सिंह	45
4.	श्री जयराम	45
5.	श्री रामनारायण	25
6.	श्री लब्बाराम	20
7.	श्री हरजीत सिंह	30
8.	श्री रामभेजमल	14
9.	श्री अमोलकराम	25
10.	श्री कृपालसिंह	45
11.	श्री महेशचन्द	25
12.	श्री कुलदीपसिंह	40
13.	श्री बृजेन्द्रपाल	25
14.	श्रीमती दयावन्ती	25
15.	श्री अशोक कुमार	20
	योग:	479

बीकानेर जिले की सड़कों की मरम्मत

725. श्री सुरजाराम टाक (नोखा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की डामर की सड़कों की हालत अत्यन्त शोचनीय होने के कारण जनता को काफी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? कौन-कौन सी सड़कों के निर्माण की योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या ग्राम जसरासर से नापासर लिंक सड़क पर छोड़ा गया अधूरा कार्य ग्राम साधासर पंचायत के फाटे के कार्य को पूरा करवा दिया गया ? यदि नहीं, तो आज तक विलम्ब होने के क्या कारण हैं ? क्या जिस ठेकेदार ने सड़क का कार्य ले रखा था वो अपना अनुबन्ध भंग कर चुका है ?

(3) सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981–82, 1982–83 में कितने ग्रामों को लिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। क्या उक्त योजना के तहत खावरिया से मैनसर रोड प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले की डामर की सड़कों की हालत साधारणतया ठीक है और समय-समय पर धन की उपलब्धता के अनुसार इनका रख रखाव विभाग द्वारा किया जाता है।

(2) जी नहीं। न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश के कारण कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका है। सड़क के कार्य करने वाले ठेकेदार का अनुबन्ध समाप्त हो चुका है।

(3) पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की वर्ष 1981–82 एवं 1982–83 में कोई अलग से योजना नहीं थी। अतः वांछित सूचना का प्रश्न नहीं उठता। खावरिया-मैनसर सड़क पर कार्य राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है।

अजमेर में सांसी एवं कंजरों को गृह निर्माण हेतु अनुदान

726. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि अजमेर में सांसी एवं कंजर परिवारों को मकान बनवाने के लिये वर्ष 1979-80 में प्रति परिवार नियमानुसार 750 रुपये के स्थान पर 1000 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से 53,000/- की अनुदान राशि स्वीकार की गई ?

(2) क्या उक्त 53,000/- रुपये की अनुदान राशि से आवंटियों द्वारा भवन निर्माण करा लिये गये ? यदि हां, तो कितने और नहीं, तो क्यों ?

(3) इन 53 मकानों के प्रपोजल किस अधिकारी द्वारा तैयार किये गये थे तथा इनके निर्माण में प्रगति न होने के क्या कारण है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस मामले में अनियमितता की शिकायतों की जांच की गई थी ?

(5) क्या यह भी सही है कि जांच उसी अधिकारी द्वारा की गई जिसने उक्त मकानों की राशि स्वीकृत की थी ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या यह सही है कि नियम के अनुसार स्वीकृति का अधिकार निदेशक, समाज कल्याण विभाग को है ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी ने स्वीकृति देने के पूर्व अनुदानियों के पत्रों की भली भांति जांच जांच कराई थी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । अजमेर में 53 सांसी एवं कंजर परिवारों को मकान बनाने के लिये प्रति परिवार 1,000 रु. नियमानुसार ही स्वीकृत किये गये थे ।

(2) जी नहीं । पुनः जांच करने पर प्रार्थना-पत्र योग्य व्यक्तियों के नहीं पाये गये और स्वीकृत राशि को राज्य कोष में जमा करा दिया गया ।

(3) प्रस्ताव जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, अजमेर द्वारा तैयार किये गये थे । पूर्ण राशि राज्य कोष में जमा करादी गई है । अतः निर्माण का प्रश्न नहीं उठता ।

(4) जी हां ।

(5) जी नहीं ।

(6) जी हां । अनुदानियों के आवेदन-पत्रों की निदेशालय स्तर पर जांच करा ली गई थी । धनराशि का वितरण करने के पूर्व की गयी जांच में स्थानीय तथ्य भिन्न होने के कारण स्वीकृत राशि का भुगतान अनुदानियों को नहीं किया गया एवं स्वीकृत राशि राज्य कोष में जमा करा दी गयी ।

(213)

राज्य परिवहन निगम कार्यालय, उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में आरक्षित पदों पर नियुक्तियां

727. श्री भेरूलाल मीणा (उदयपुर-ग्रामीण) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह, बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में राज्य परिवहन निगम कार्यालयों में अनुसूचित जनजाति के नवयुवकों को आरक्षित प्रतिशत के अनुसार नियोजन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां । वांछित योग्यता, अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के के कारण अनुसूचित जनजाति के नवयुवकों को आरक्षित प्रतिशत के अनुसार नियोजन नहीं दिया जा सका ।

राजस्थान स्टेट माइन्स मिनरल लि. की मशीनों की खनन क्षमता

728. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) एवं

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान स्टेट माइन्स एवं मिनरल्स लि. उदयपुर के पास खनन कार्य में सहयोग देने तथा उपयोग में आने वाली क्या-क्या मशीनरी (शोवेल्स, डम्पर्स, ड्रिल्स, बुलडोजर्स, एयरकम्प्रेशर्स, वैंशिग प्लांट, वर्कशाप, स्टोर्स, केमिकल लेबोरेटरी आदि) हैं तथा इससे कितने टन खनिज व ओवर बर्डन के खनन की मासिक व वार्षिक क्षमता बनती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यहां के सम्पूर्ण इक्विपमेन्ट के अनुसार खनन कार्य नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि., उदयपुर के पास जो मशीनरी खनन कार्य हेतु उपलब्ध है, उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट "क" पर है । उपलब्ध मशीनों की वार्षिक खनन क्षमता लगभग 35 लाख टन है ।

(2) जी हां । विद्युत की कमी व अनिश्चितता तथा कुछ मशीनों के काफी पुराने होने के कारण क्षमता में कमी के कारण पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं हो रहा है । इन कारणों से इस वर्ष उपलब्ध मशीनों से 28 लाख टन खनन का लक्ष्य रखा गया है ।

(214)

सूची

परिशिष्ट "क"

खनन कार्य में आने वाली मशीनरी की सूची

क्र. सं.	मशीन का नाम	क्षमता	संख्या
1.	शविल		
	क–विद्युत चलित	4.6 क्यू मीटर	4
	ख–डीजल चलित	1.91 क्यू मीटर	5
2.	डम्पर		
	क–हालपेक	35 टन	16
	ख–टे रेक्स	25 टन	12
3.	ड्रिल		
	क–विद्युत चलित (i)	250 मि. मी. व्यास	2
	(ii)	150 मि. मी. व्या	2
	ख–डीजल चलित (i)	150 मि. मी. व्यास	4
	(ii)	100 मि. मी. व्यास	3
4.	क्रशिंग प्लांट	3.30 से 3.60 लाख टन प्रति वर्ष	
5.	कम्प्रेशर	350 से 600 क्यू फीट मिनट	1
6.	डोजर (i)	180 हार्स पावर	1
	(ii)	250 हार्स पावर	7
	(iii)	400 हार्स पावर	2
7.	वर्कशॉप	—	1
8.	स्टोर	—	1
9.	लेबोरेटरी	—	1

माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक चयन हेतु केन्द्रीय भूतपूर्व उपमंत्री की सिफारिश

729. श्री जीतमल जैन (अलवर):— क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय उद्योग उपमंत्री ने राजस्थान के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिख कर अनुरोध किया था कि वे दिनांक 4 अक्टूबर, 1982 को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सैकण्ड्री स्कूल के प्रधानाध्यापकों के चयन हेतु आयोजित साक्षात्कार में एक अध्यापक विशेष के चयन हेतु आयोग को सिफारिश करें।

(2) यदि हां, तो क्या भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने सिफारिश की एवं सिफारिश के आधार पर चयन हुआ ?

(3) क्या सरकार इस प्रकार की सिफारिशों को उचित मानती है ?

उत्तर

(1) विभाग में इस प्रकार का कोई पत्र उपलब्ध नहीं है।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रधानाध्यापक मिडिल स्कूल चतरपुरा (बानसूर) के विरुद्ध जांच

730. श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के तहसील बानसूर में मिडिल स्कूल चतरपुरा के हैडमास्टर श्री रमेशचन्द्र शर्मा के खिलाफ ग्रामवासियों की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर ने जांच करवाई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त जांच में स्कूल के फंड के गबन का आरोप सही पाया गया ? यदि हां, तो यह जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा कार्यालय में कब प्राप्त हुई और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामवासियों के बार-बार कहने पर भी इस हैडमास्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोटा से जयपुर की बस में गानों का प्रसार

731. श्री बालचन्द्र आर्य (उग),
श्री अनंग कुमार (झालरापाटन):
क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वाहन नं. 9240 जो कि रात्रि के 10 बजे कोटा से जयपुर चलती है उसमें दिनांक 16-12-1982 को अश्लील गाने का टेप रेकार्ड लगा हुआ था ? क्या सरकार ने निगम की बसों में ऐसे गाने के टेप रेकार्ड लगाने की अनुमति दे रखी है ?

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

(2) यदि नहीं, तो इसमें किन-किन अधिकारियों तथा चालक, परिचालक की गलती है ? उस गाड़ी में उक्त तारीख को कौन-कौन चालक, परिचालक थे ? क्या सरकार उनको दंड देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) अधिकारियों तथा चालक, परिचालक की गलती का प्रश्न ही नहीं उठता । उक्त बस में दिनांक 16-12-82 को श्री सिजाउद्दीन तथा सत्यपाल परिचालक ड्यूटी पर थे । इन्हें दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठता ।

बयाना तहसील में सिधाड़ा से धुनैनी सड़क

732. श्री जगन सिंह (बयाना): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बयाना तहसील में सिधाड़ा से धुनैनी तक सड़क बनाने की योजना है जिसका सर्वे भी किया गया था ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक चालू हो जायेगा ?

उत्तर

जी नहीं । इस सड़क को बनाये जाने की योजना अभी विचाराधीन नहीं है ।

हरिजनों को बीस सूत्री कार्यक्रम में उपलब्ध कराई गई बसें

733. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत सरकार ने हरिजन परिवारों को 1980-81 व 1981-82 में कितनी बसें उपलब्ध कराई ?

(2) इन अनुबंधित बसों को परिवहन निगम द्वारा कितने समय के लिये अनुबन्धित किया है तथा प्रति कि. मी. कितना भुगतान किया गया है ?

(3) क्या तय की गई राशि से बस की मैन्टीनेन्स एवं अन्य खर्चों को पूरा करने के बाद उक्त हरिजन गरीब परिवारों को समुचित आर्थिक लाभ मिल रहा है ? यदि हां, तो औसतन प्रति माह कितना ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा कोई बसें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं ।

(2) अनुबन्धित बसों को परिवहन निगम ने 4 वर्ष के लिये अनुबन्धित किया और 1.80 रु. प्रति कि. मी. की दर से भुगतान किया जाता है ।

(3) जिन व्यक्तियों ने बसें लगाई उन्होंने स्वेच्छा से अनुबन्ध किया है । उन्हें कितना आर्थिक लाभ हो रहा है यह सूचना राज्य सरकार के पास नहीं है ।

पंचायत व पटवार सर्किल लेसरदा (केशवरायपाटन) में भू-आवंटन

734. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे. —

(1) क्या यह सही है कि "प्रशासन गांवों की ओर" के कैम्प दिनांक 30-1-1983 से 1-2-1983 को पंचायत व पटवार सर्किल लेसरदा तहसील केशवराय पाटन जिला बूंदी में भूमि आवंटित की है?

Page No 218

(217)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

यदि हां, तो निम्न जानकारी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें :--

1. आवंटी का नाम, जाति, पता, व्यवसाय, आयु,

2. आवंटी को आवंटित भूमि का क्षेत्रफल।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कैम्प में कुछ भूमि का आवंटन यह कह कर नहीं किया कि जिलाधीश के आदेशानुसार बाद में नीलाम किया जावेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की पटल पर रखदी गई है।

(2) जी नहीं। भूमि आवंटन सलाहकार समिति ने पूर्व में खसरा नं. 472 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा नीलाम कर आवंटन करने का निश्चित किया था, लेकिन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान न होने से स्वीकृति नहीं दी गई है।

218

सूची

क्रम संख्या	नाम ग्राम व	दिनांक	नाम अलौटी	जाति	आयु	व्यवसाय	खसरा नं.	रकबा वि.वि. वीघा	विस्वां
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	केसरदा	1-2-83	श्री अजीत सिंह/जिन्दूसिह	जाट	65	खेती	1232	1	10
2.	,,	,,	मु. सुन्दर बेवा जोध	बंजारा	50	,,	332	3	9
3.	,, ,,	,,	श्री रणजीत/विसना	बन्जारा	23	,,	439	1	7
4.	रंगपुरिया	,,	श्री कजोड़ रोड़/गोपाल	धाकड़	—	,,	979	2	4
5.	लेसरदा	,,	श्री करनैल सिंह/संवसिह	जाट	55	,,	1401	2	10
6.	,,	,,	श्री कालू/माधो	कुम्हार	50	,,	1251	1	5
7.	रंगपुरिया	,,	श्री गोपाल/नन्दा	धावड़		,,	1053	2	0
8.	लेसरदा	,,	श्री लाला/मन्ना	मेघवाल	50	,,	800	1	10
9.	,,	,,	श्री बालकिशन/भंवर लाल	कुम्हार	38	,,	968–1	1	5
10.	,,	,,	श्री राधाकिश/जगन्नाथ	धारवाल	27	,,	149–2	4	0
11.	,,	,,	श्री गोपाल/कल्याण	धाकड़	48	,,	78	0	4
12.	,, —	,,	श्री पहाड़ सिंह/गुणनाम सिंह	जाट	30	,,	93	1	15
13.	नीमोदा	,,	मु. पांची/लाला	मीना	65	,,	16	1	10
14.	,,	,,	श्री ओंकार/धुनीलाल	मीना	27	,,	296–नि	3	0

Page No 220

(219)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	निमोदा, 1-2-83	श्री बिहारीलाल/गोपाल	मीना	35	खेती	296–नि	2	0
16.	अलीखेड़ा ,,	श्री मथुरालाल/जयलाल	गूजर	45	,,	726	8	17
17.	नीमोदा ,,	श्री हीरा/गंगाकिशन	मेहर	35	,,	395	2	10
18.	,, ,,	श्री देवलाल/श्योलाल	मीना	45	,,	127	1	10
19.	,, ,,	श्री खेमदा/बुर्जलाल	मीना	55	,,	16	0	15
20.	,, ,,	श्री बजरंगलाल/गणपत	ब्राह्मण	32	,,	171	0	15
21.	,, ,,	श्री धुनीलाल/धाली	मीना	50	,,	430	0	12
22.	,, ,,	श्री महावीर/नाथ	मीना	27	,,	16	9	3
23.	रंगपुरिया ,,	श्री बीलदा/शंकर	धाकड़	50	,,	1046	1	15
24.	नीमोदा ,,	छीगा/पन्ना	बैरवा	45	,,	395	5	0
25.	हाविखेड़ा ,,	श्री नाथूलाल/रामनारायण	मीना	32	खेती	294	9	
26.	नीमोदा ,,	श्री देवलाल/गजानन्द	मीना	25	,,	296	3	
27.	,, ,,	श्री श्यामलाल/ग्यारसा	मीना	45	,,	194	6	
28.	,, ,,	श्री भैरू/धन्या	राव	30	,,	296	2	
29.	,, ,,	श्री रामनिवास/गंगावत	मीना	27	,,	296 मि	3	
30.	हाजिखेड़ा ,,	श्री रामगोपाल/गोड़ू	मीना	32	,,	292/560	—	13
31.	सावरनगर ,,	श्री रमेश/जगन्नाथ	बारेट	25	,,	433	—	17
32.	,, ,,	श्री लटूर/शंकर	कुम्हार	30	,,	433	1	17
33.	नीमोदा ,,	श्री मोड़ू/जयलाल	मीना	30	,,	160	1	

34.	नीमोदा	1-2-83	श्री मन्नालाल/धूलीलाल	मीना	35	खेती	296	3	
35.	,,	,,	श्री देवीशंकर/रामदेवा	राव	40	,,	389	2	
36.	,,	,,	श्री तुलसीराम/देसीराम	मीना	40	,,	201	1	3
37.	ईश्वरनगर	,,	श्री / भागोड़ा	बैरवा	25	,,	433	1	17
38.	हाजिखेडा	,,	श्री गेन्दविहारी/रामनारायण	मीना	26	,,	294	1	
39.	ईश्वरनगर	,,	श्री मोती/विलना	हरिजन	35	मजदूरी	433	1	19
40.	नीमोदा	,,	श्री मोहन/कल्याण	राव	35	खेती	296	2	
41.	ईश्वरनगर	,,	श्री ओंकारगिरी/लालागिरी	वादजी	55	,,	235/400	1	18
42.	नीमोदा	,,	श्री रामप्रसाद/प्रभूदयाल	खाती	28	,,	113	1	6
43.	ईश्वरनगर	,,	श्री रामस्वरूप/भागीरथ	बैरवा	30	मजदूरी	433	1	17
44.	नीमोदा	,,	श्री रामभरोसी/महादेव	कुम्हार	25	खेती	295	3	
	योग		20	—	—	—	21	42	7
	2		24	—	—	—	24	45	2
कुल योग			44	—	—	—	45	87	9

सायला (जालौर) के गांवों में विद्युतीकरण

735. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सायला (जालौर) के किन-किन गांवों का विद्युतीकरण का लक्ष्य इस वर्ष की योजना में है ? क्या दादाल फीडर का कार्य इस वर्ष मार्च तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्ष 1982-83 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सायला (जालौर) के अन्तर्गत निम्न-ग्रामों का विद्युतीकरण करने की योजना थी:–

(1) विशाला
(2) माडकवाना
(3) पुनराऊ
(4) कोमता
(5) पूनावास
(6) सूरना
(7) हरमू
(8) तिलोडा
(9) नरवाड़ा
(10) दादाल

दादाल फीडर का कार्य इस वर्ष मार्च, 1983 के अन्त तक पूर्ण कर दिये जाने की आशा है।

हिण्डौन भूमि विकास बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण

736. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) एवं **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

हिण्डौन भूमि विकास बैंक ने जनवरी, 1981 से 15 फरवरी, 1983 तक किसानों को ट्यूबवैल, इंजन पम्पिंग सैट पर कितनी ऋण राशि व सहायता दी ?

उत्तर

हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक हिण्डौन ने जनवरी, 81 से 15 फरवरी, 83 तक ट्यूबवैल, इंजन पम्प सैट हेतु 108.95 लाख रुपया ऋण उपलब्ध कराया तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को ग्रामीण विकास अभिकरण से प्राप्त अनुदान 21.54 लाख रुपया की राशि दी गई।

ब्यावर–उदयपुर मार्ग पर सड़क व पुलों का निर्माण

737. श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग की ब्यावर यूनिट द्वारा ब्यावर–उदयपुर मार्ग पर 45 किलोमीटर दूर तक सड़कों एवं पुलों के निर्माण के विषय में राज्य सरकार व विभाग को कोई शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो कृपया प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) शिकायती–पत्रों की जांच क्या सरकार द्वारा कराई गई है ? यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो जांच नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

(3) पिछले दो वर्षों में इस 45 किलोमीटर तक के मार्ग पर सरकार का कितना व्यय हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रतिलिपि (प्रपत्र "क") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जांच कराई जा रही है।

(3) सन् 1981–82 एवं 1982–83 में कुल 40,25,000 रुपये व्यय हुए हैं

प्रतिलिपि

प्रपत्र-"क"

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी,
महामन्त्री,
भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान,

कार्यालय :
सी-11, एम. ए. एल. क्वार्टर,
जयपुर-302001
दिनांक 20-10-82

प्रिय श्री माथुर साहब,

व्यावर सार्वजनिक निर्माण विभाग, द्वारा व्यावर उदयपुर मार्ग पर व्यावर से 45 किलोमीटर दूर तक सड़कें एवं पुलों का जो निर्माण कार्य हुआ है उसके विषय में बहुत सारी शिकायतें मुझे प्रवास के समय मिली हैं। इस राजकीय मार्ग पर गत 2 वर्षों से सड़कों को चौड़ा करने एवं मोडों को सीधा करने का कार्य हुआ है। इस कार्य के द्वारा ही सड़क एवं पुलों की हालत एकदम खस्ता हो गई हैं, उसमें दरारें पड़ गई हैं। व्यावर से 13 कि. मी. दूर ग्राम राजियावास का पुल तो मात्र सरियों का जाल रह गया है। इसी प्रकार व्यावर से 45 किलोमीटर दूर शेरोंवालो का 60 फुट ऊचाई पर स्थित पुल की हालत भी बहुत खस्ता है। इसी क्षेत्र में नई बनी हुई सड़कों के भी यही हाल हैं। पुलों के निर्माण में जिस सीमेंट का प्रयोग किया गया है वह भी जांच का विषय है। मेरी जानकारी के अनुसार सड़कों की मोटाई 5 इंच रखी गई है जहां शायद 9 इंच रखने की आवश्यकता थी और इसी प्रकार डामर की जो परतें बिछाई गई हैं वह भी काफी पतली हैं।

मैं आशा करता हूं कि आप इन पुलों और सड़कों के निर्माण की ठीक जांच करवायेंगे एवं यदि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ हो तो वांछित बंधुओं को अवश्यमेव दण्ड देंगे।

की हुई कार्यवाही से कृपया मुझे भी सूचित करने का कष्ट करेंगे।

सधन्यवाद।

श्री सी. बी. माथुर,
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,
सा. नि. वि.

भवदीय
ह.
(ललित किशोर चतुर्वेदी)

(223)

भीलवाड़ा नगर स्थित प्रतापनगर लेबर कालोनी पर व्यय

738. श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) एवं
श्री बन्सीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भीलवाड़ा नगर स्थित प्रतापनगर लेबर कालोनी में किन किन निर्माण कार्यों पर कोलोनी निर्माण के समय से आज तक कितना कितना खर्च किया ?

(2) क्या शौचालय-सड़कें, नालियां जर्जरित अवस्था में हैं ? यदि हां, तो अब कब तक ठीक हो जायेंगी ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा स्थित श्रम कालोनी के निर्माण एवं निर्माण के पश्चात् मरम्मत आदि पर किये गये खर्च का विवरण निम्न प्रकार है :--

1. निर्माण पर खर्च 12.95 लाख रुपये ।
2. मरम्मत आदि पर खर्च

वर्ष	मरम्मत	विशेष मरम्मत
1959-60	-	26,000
1960-61	3,000	-
1961-62	3,000	-
1964-65	6,000	-
1968-69	2,000	15,700
1969-70	-	29,200
1970-71	-	7,900
1971-72	6,300	-
1972-73	1,000	-
1973-74	5,900	-
1974-75	9,900	14,500
1975-76	-	10,500
1976-77	5,800	32,500
1977-78	29,800	30,700
1978-79	3,400	15,000
1979-80	3,500	21,000
1980-81	23,100	25,000
1981-82	7,500	35,000
1982-83	23,200	40,000

खर्चा निम्नलिखित प्रकार के कार्यों पर किया गया है :—

1—लेबर कालोनी में स्थित आवास गृहों में स्थित सड़कों की हालत सुधारने में।

2—क्वार्टरों में सफेदी, कलर, वारनिश व रिपेयरिंग कार्यों पर।

3—लैट्रिन ब्लॉकों की रिपेयरिंग।

4—नालियों का निर्माण कार्य।

5—क्वार्टरों के छतों की मरम्मत।

6—क्वार्टरों के फर्श की मरम्मत।

(2) यह सही नहीं है कि शौचालय, सड़कें, नालियां जर्जरित अवस्था में हैं। मरम्मत की आवश्यकताओं को देखते हुए यथा सम्भव मरम्मत हेतु धनराशि प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जाती है।

द्विवर्षीय इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर कोर्स (देहरादून) के डिप्लोमा को समकक्ष मान्यता

739. श्री बिहारी लाल पारीक (मांडल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने निदेशक उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश, कानपुर द्वारा राजकीय पोलीटेक्निक संस्थान देहरादून से उत्तीर्ण किया हुआ दो वर्षीय इलेक्ट्रिकल सुपरवाईजर कोर्स 1959, को राजस्थान में तकनीकी शिक्षा के डिप्लोमा के समकक्ष मान्यता दे दी है? यदि हां, तो कब से?

(2) कृपया आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

घाटोल निर्वाचन क्षेत्र मुख्यावास पर आदिवासी कन्या छात्रावास का भवन निर्माण

740. श्री पूंजीलाल (घाटोल) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि घाटोल निर्वाचन क्षेत्र के मुख्यावास पर आदिवासी कन्या छात्रावास के भवन निर्माण के लिए जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत दिनांक 9-3-1981 को दो लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उप शासन सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास, जयपुर के पत्र संख्या 11250, दिनांक 9-3-1981 के अनुसार उक्त कन्या छात्रावास का भवन बनाने के लिये जमीन मांगी गई थी?

(3) क्या जिलाधीश बांसवाड़ा के आदेश संख्या 2649-92, दिनांक 28-7-1981

(श्री पूर्णलाल)

को 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि अलाट कर दी गई है ?

(4) क्या यह सही है कि समाज कल्याण मंत्री द्वारा जमीन पर कन्या छात्रावास भवन का शिलान्यास भी किया गया था ?

(5) क्या सरकार छात्रावास के निर्माण हेतु उक्त राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को अलाट करेगी ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी हां,

(2) जी नहीं। भूमि आवंटित कराने हेतु पत्र संख्या 11250; दिनांक 9-3-1981 उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा लिखा गया था।

(3) जी हां।

(4) इस संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(5) स्वीकृति ही नहीं दी गई तो राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को अलाट करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राजगढ़ तहसील के गांवों का विद्युतीकरण

741. श्री दीपचन्द (सादुलपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही कि है राजगढ़ तहसील जिला चूरू के गांव नेशल-नोरंगपुरा ठिमाऊ छोटी व बडी, डीगली-सुलखाणियां छोटा व बड़ा, जनाउ, मिठी सांखणताल-नवां-भैसली, बुठावास-रावतसर-कुजला-रबड़ी सांखू-लीलावठी-रोजी की ढाणी-निम्मा-हमीरवास-छोटा व बड़ा का विद्युतीकरण हो चुका है ?

(2) क्या यह भी सही है कि किसानों ने सिंचाई हेतु बिजली के कनेक्शन देने के लिये बिजली विभाग राजगढ़ में सन् 1979-80 1981-82 से बिजली विभाग, राजगढ़ (चूरू) में आवेदन दे रखें हैं पर बिजली विभाग सिंचाई हेतु कुओं पर बिजली के कनेक्शन नहीं दे रहा है ?? उपरोक्त गांवों के किसानों को विद्युत कनेक्शन कब तक मिल जावेगा।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, विद्युत मण्डल द्वारा राजगढ क्षेत्र में कृषि हेतु कनेक्शन दिए गए हैं। किसानों ने सिंचाई हेतु बिजली के कनेक्शन्स के लिए विद्युत मण्डल कार्यालय, राजगढ़ में वर्ष 79-80, 81 व 82 से आवेदन पत्र दिये हुए हैं। उक्त वित्तीय वर्षो में माह फरवरी 1983 तक विद्युत मण्डल कार्यालय, राजगढ़ द्वारा सिंचाई कार्य हेतु 64 कनेक्शन दिये जा चुके हैं। पैन्डिंग आवेदकों को आगामी वर्षो में मण्डल के संसाधनों एवं विद्युत की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक जिले के लिये निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप ही कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

तहसील सलूम्बर में जय समन्दका पेटा रुण भूमि

742. श्री थानसिंह मीणा (सलूम्बर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील सलूम्बर में जयसमन्द की पेटा रूण भूमि

(श्री थान सिंह)

श्री कालूलाल पुत्र माडेजी महाजन निवासी गीगंवा के नाम खाते की गयी है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आराजी के पास इसी आराजी नम्बर की भूमि दूसरे काश्तकारों को पेटा रूण अस्थाई तौर पर आवंटित की गयी है ?

(3) क्या सरकार ऐसे खातेदारी अधिकार को निरस्त करने का इरादा रखती है?

(4) क्या सरकार अन्य काश्तकारों को, जो जयसमंद पेटा रूण में हैं, स्थायी तौर पर खातेदारी अधिकार देगी ?

उत्तर

(1) जी हां। आराजी नम्बर 2323 रकबा 3 बीघा भूमि पर वर्ष 1970 में मौके पर कब्जा होने से दिनांक 9.8.72 को श्री कालूलाल की गैर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अंकित की गयी है।

(2) आराजी नम्बर 2323 के पास जयसमन्द पेटा रूण का अनसैटल्ड एरिया होकर दिनांक 10.10.80 को 246 व्यक्तियों को 122 बीघा 10 बिस्वा तथा दिनांक 27.7.81 को 10 व्यक्तियों को 5 बीघा भूमि पेटा काश्त नियमों के तहत क्रमशः 3 वर्ष व 2 वर्ष के लिये अस्थाई तौर पर आवंटित की गई है।

(3) पेटा रूण में काश्तकारी अधिनियम के प्रभावशील होने से पूर्व सैटलमेन्ट रेकार्ड में दर्ज खातेदार के अलावा अन्य लोगों को खातेदारी अधिकार देने का नियमों में प्रावधान नहीं है। अतः मामला प्रकाश में आने पर खातेदारी अधिकार निरस्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी नहीं। ऐसा कोई नियमों में प्रावधान नहीं है। अतः खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ जयपुर के महाप्रबन्धक के विरुद्ध मामले

743. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978-79, 1979-80 में यह पाया गया कि तत्कालीन एवं वर्तमान महाप्रबन्धक श्री नरेन्द्रसिंह चौहान के विरुद्ध विभिन्न मामलों में 10 लाख रु. के गबन का आरोप साबित हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस मामले की जांच चल रही है ? यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) जी नही।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ग्रामीण ऋण पत्र योजना अन्तर्गत सादुलशहर व संगरिया तहसील में क्रय ऋण पत्र

744. श्री महेन्द्रसिंह (संगरिया): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्रामीण ऋण पत्र योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण के लिए श्री गंगानगर

(श्री महेन्द्र सिंह)
जिले की सादुलशहर व संगरिया तहसीलों के कितने गांवों ने ऋण पत्र क्रय किये हैं ?

(2) इनमें से कितने गांवों को अब तक बिजली दे दी गई है ?

(3) ऐसे गांव जिन्होंने ऋण-पत्र क्रय कर रखे हैं परन्तु उन्हें बिजली नहीं मिली है उन्हें कब तक विद्युत दे दी जायेगी ?

(4) उपरोक्त तहसीलों के जिन गांवों में बिजली दी गई है उन गांवों की हरिजन कालोनियों में बिजली देने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) ग्रामीण ऋण पत्र योजना के तहत कुल 5638 व्यक्तियों द्वारा ऋण पत्र खरीदे गए । प्रार्थना-पत्र में दिये पते में जिला या तहसील का नाम अंकित नहीं होने के कारण यह ज्ञात होना सम्भव नहीं है कि गंगानगर जिले की सादुलशहर व संगरिया तहसील के कितने गांवों के निवासियों द्वारा ऋण पत्र खरीदे गये। उक्त योजना के तहत तहसील सादुलशहर एवं संगरिया के क्रमशः 35 एवं 33 गांव विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किये गये थे

(2) इन ग्रामों में से सादुलशहर तहसील के 27 तथा संगरिया तहसील के 29 ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है ।

(3) उक्त ग्रामों में से सादुलशहर तहसील के शेष 8 तथा संगरिया के 4 ग्राम जो, विद्युतकीरण हेतु स्वीकृत हैं, का विद्युतीकरण संसाधनों एवं विद्युत की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्षों के लिये बनाये जाने वाले ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम पर निर्भर करेगा । शेष ऐसे गांव, जिनके निवासियों ने ऋण पत्र खरीदे हैं तथा जिन्हें विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत नहीं किया गया है, को कब तक विद्युत दे दी जावेगी इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

(4) उपरोक्त तहसीलों के जिन गांवों में बिजली दे दी गई है, उन गांवों की हरिजन बस्तियों में बिजली देने के लिये मांगों के अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जाती है । तहसील संगरिया के ग्राम भगतपुरा रतनपुरा और भोलावाली की हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की स्वीकृति हेतु तखमीना विचाराधीन है।

पंचायत समिति नागौर एवं मूंडवा में राहत कार्य

745. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति नागौर व मूंडवा में दिनांक 1-2-1983 के बाद किन-किन गांवों में क्या क्या अकाल राहत कार्य किस-किस तारीख को किस-किस एजेन्सी के माध्यम से स्वीकृत किये गये हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत कार्यों में से किन किन कार्यों पर 21 फरवरी, 1983 तक कितने कितने मजदूर कार्यरत हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री महाराम चौधरी)

(3) स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य शुरू नहीं कराये गये हैं ? शेष कार्य कब तक शुरू करा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति नागौर एवं पंचायत समिति मूंडवा में जो अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं उनका नाम, अभिकरण, जिसके द्वारा वे संपादित हो रहे हैं एवं उनकी स्वीकृति का दिनांक तालिका में अंकित सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) स्वीकृत कार्यों पर दिनांक 21 फरवरी, 1983 एवं दिनांक 18.3.83 को कार्यरत श्रमिकों की संख्या भी तालिका में अंकित है जो सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जो स्वीकृत कार्य चालू नहीं हो पाये उनका विवरण भी तालिका में अंकित है । जिलाधीश ने बताया है कि शेष कार्य इसी साल में चालू कर दिये जावेंगे ।

तालिका

क्र. सं.	नाम पंचायत	नाम कार्य	अभिकरण	स्वीकृति का दिनांक	कार्य चालू हुआ या नहीं	दिनांक 21-2-83 की श्रमिक संख्या	दिनांक 18-3-83 की श्रमिक संख्या
1.	नागौर	1—श्री बालाजी	सा. नि. विभाग	19-1-83	हां	60	50
		2—नागौर नखा रोड़	"	5-3-83	हां	×	51
2.	मूंडवा	1—गांचला प्राचीन सड़क	"	19-1-83	हां	×	96
		2—नागौर सोयला	"	"	हां	86	110
		3—जोरावरपुरा शीलगांव सड़क	"	"	हां	×	90
		4—सीवसर आसोप सड़क	"	"	हां	×	32
		5—ग्वाल हिलोडी सड़क	"	"	हां	×	25
		6—डहरू बांध	सिंचाई विभाग	"	हां	174	167
		7—असावरी	"	"	हां	135	177
		8—जोरावर परानाडी	"	"	नहीं	—	—
		9—भडास भू संरक्षण कार्य	भू-संरक्षण (कृषि)	21-2-83	नहीं	—	—
		10—नागड़ी	"	21-2-83	नहीं	—	—
	योग:	12				455	798

यूरोपियन आर्थिक समुदाय के सहयोग से सहकारी गोदामों का निर्माण

746. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) यूरोपियन आर्थिक समुदाय के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी गोदाम बनाने की क्या योजना है? यह राजस्थान में कब प्रारम्भ हुई? कितने साल की यह योजना है तथा अब तक इस प्रोजेक्ट में क्या प्रगति हुई है?

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी गोदामों का निर्माण हो रहा है उस पर देख-रेख में कमी होने के कारण घटिया किस्म का निर्माण हो रहा है और सैंकड़ों शिकायतें सहकारी समितियों के माध्यम से प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कितने गोदामों के निर्माण में हुए घोटालों की जांच चल रही है?

(3) क्या यह सही है कि जिस धीमी गति से गोदाम निर्माण का कार्य किया जा रहा उससे निर्धारित समय में इस प्रोजेक्ट का पूरा होना संभव नहीं है? यदि हां, तो समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए क्या योजना सरकार ने बनाई है?

उत्तर

(1) यूरोपियन आर्थिक समुदाय के सहयोग से राजस्थान के सहकारिता क्षेत्र में भण्डारण क्षमता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारी समितियों के मुख्यावासों पर गोदाम बनाने की योजना है जिसके अन्तर्गत 2127.59 लाख रुपये की लागत से 2693 गोदाम निर्माण कराने का लक्ष्य है। यह योजना राजस्थान में दिनांक 1.4.79 से प्रारम्भ हुई है जो 5 वर्ष की अवधि के लिये है। इस योजना के अन्तर्गत हुई प्रगति परिशिष्ट "अ" में प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। कुल 25 सहकारी समितियों के गोदामों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। और उन सभी शिकायतों के आधार पर गोदामों के निर्माण की जांच कराई गई है। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। इस प्रोजेक्ट के तहत गोदाम निर्माण का कार्य निर्धारित समय में ही पूरा होने की सम्भावना है।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान में स्टोरेज प्रोजेक्ट के अन्तर्गत स्वीकृत गोदामों का वर्षवार विवरण एवं निर्माण की प्रगति

वर्ष	गोदाम क्षमता	स्वीकृति		निर्माण की प्रगति							कार्य प्रारंभ होना है
		लक्ष्य	स्वीकृत गोदाम	टेण्डर स्वीकृत	अमानी बेसिस पर	कार्यादेश	ले. आऊट दिया	गोदाम पूर्ण	समिति को संभलाया	निर्माण अधीन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79–80	50 मी. टन	200	200	106	66	163	150	104	84	46	50
	100 मी. टन	600	599	446	127	563	531	372	264	159	68
	250 मी. टन	25	9	6	2	7	7	2	1	5	2
	1000 मी. टन	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग:	826	808	558	195	733	688	478	349	210	120
80–81	50 मी. टन	200	263	137	74	206	183	125	86	58	80
	100 मी. टन	700	624	493	85	571	531	318	177	213	93
	250 मी. टन	25	23	21	—	20	20	12	9	8	3
	1000 मी. टन	1	2	2	—	2	2	—	—	2	—
	योग:	926	912	653	159	799	736	455	272	281	176

81-82	50 मी. टन	200	137	73	32	104	83	37	17	46	54
	100 मी. टन	400	293	252	15	248	226	122	40	104	67
	250 मी. टन	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1000 मी. टन	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग:	626	430	325	47	352	309	159	57	150	121
82-83	50 मी. टन	200	74	14	—	18	13	4	1	9	61
	100 मी. टन	400	86	41	—	23	21	4	1	17	165
	250 मी. टन	25	15	5	—	5	4	1	1	3	11
	1000 मी. टन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग:	625	275	60	—	46	38	9	3	29	237
	सहयोग:	3003	2425	1596	401	1930	1771	1101	681	670	654

(233)

परिशिष्ट "ब"

गोदाम निर्माण में प्राप्त हुई शिकायतों का विवरण

क्र. सं.	नाम समिति	शिकायतकर्ता का नाम व पता	शिकायत पर कार्यवाही	यदि शिकायत पर जांच बताई गई है तो जांच का परिणाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	मुईपाला जिला जैसलमेर	व्यवस्थापक समिति	सहायक अभियन्ता जोधपुर से जांच कराई गई है।	शिकायत झूठी पाई गई।	—
2.	सुरपुरा खुर्द जिला जोधपुर	संयुक्त रजिस्ट्रार जोधपुर	अधिशाषी अभियन्ता से जांच कराई गई है।	शिकायत सही पाई गई।	आगे की कार्यवाही की जा रही है।
3.	अलटिया जिला जोधपुर	,, ,,	अधिशाषी अभियन्ता से जांच कराई गई है।	शिकायत सही पाई गई।	
4.	मानकलाव जिला जोधपुर	सहायक परियोजना अधिकारी	अधिशाषी अभियन्ता को कार्यवाही हेतु लिखा गया है।	ठीक करवाया जा रहा है।	
5.	केवड़ा जिला जोधपुर	,, ,,	,, ,,	,, ,,	
6.	हरिवाड़ा जिला जोधपुर	,, ,,	,, ,,	,, ,,	
7.	चांचडिया जिला पाली	व्यवस्थापक समिति	अधिशाषी अभियन्ता को 17-2-83 को जांच हेतु लिखा गया।	जांच का परिणाम आना बाकी है।	

234

8.	कांसराला, जिला बाड़मेर	अधिशाषी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता बाड़मेर द्वारा जांच की जा रही है।	जांच का परिणाम आना बाकी है।
9.	मांडोली, जिला जालौर	अध्यक्ष, समिति	सहायक अभियन्ता व अधिशाषी अभियन्ता को दिनांक 14-12-82 को कार्यवाही हेतु लिखा गया है।	ठीक करवाया जा रहा हैं।
10.	भेड, जिला नागौर	प्रबन्ध संचालक	अधिशाषी अभियन्ता को 14-12-82 को जांच हेतु लिखा गया।	ठीक कराया जा रहा है।
11.	जीविन्दकलां, जिला पाली	सहायक परियोजना अधिकारी	अधिशाषी अभियन्ता को 18-11-82 को जांच हेतु लिखा गया।	ठीक कराया जा रहा है।
12.	कासेलाव जिला पाली	सहायक परियोजना अधिकारी	अधिशाषी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता को 18-11-82 को कार्यवाही हेतु लिखा है।	ठीक कराया जा रहा है।
13.	सूठांड, जिला सीकर	प्रबन्ध संचालक, सीकर	सहा. अभियन्ता ने निरीक्षण कर शिकायत दूर की गई।	जांच कर कार्य ठीक कराया जा रहा है।

	1	2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12
14.	गुढ़ाला जिला सीकर	व्यवस्थापक समिति	अधिशाषी अभियन्ता से रिपोर्ट मांगी गई है।	समिति की देखरेख में फर्श व छत कुछ प्लास्टर ठीक करवा दिया गया।	समिति ने गोदाम संभाल लिया है।
15.	वुढाना, जिला झुन्झुनू	प्रबन्ध संचालक	जांच कराई गई।	कार्य को सही करा दिया गया।	
16.	कंचरिया, जिला टौंक	अध्यक्ष समिति	शिकायत की जांच की गई है।	समस्त शिकायत दूर कर दी गई है।	गोदाम समिति को संभला दिया है।
17.	चांवडिया, जिला अलवर	प्रबन्ध संचालक, अलवर	शिकायत पर जांच की गई।	जांच कर कार्य ठीक करवाया गया।	
18.	शम्भुपुरा जिला नागौर	सहा. रजिस्ट्रार नागौर	शिकायत की जांच की गई।	जांच कर कार्यवाही की जा रही है।	ठेकेदार के भुगतान रोक दिये गए हैं व 10% जुर्माना लगाया गया है।
19.	छान जिला सवाईमाधोपुर	भूतपूर्व अध्यक्ष समिति	अधिशाषी अभियन्ता कोटा मे 29-10-82 को जांच हेतु लिखा गया है।	जांच की गई व शिकायत गलत पाई गई।	—
20.	ढोलम जिला कोटा	व्यवस्थापक समिति	शिकायत पर कार्यवाही की गई।	गोदाम की मरम्मत की जा रही है।	—
21.	जटवाड़ा जिला जयपुर	प्रबन्ध संचालक	जांच की गई।	70 प्र. श. शिकायत दूर की गई व शेष पर कार्यवाही की जा रही है।	
22.	लालपुरा जिला जयपुर	,,	,,	,,	—
23.	पापड़दा जिला जयपुर	,,	,,	,,	—
24.	काबलेश्वर जिला जयपुर	,,	,,	,,	—
25.	कोटपूतली जिला जयपुर	व्यवस्थापक क्रय विक्रय सह. स., कोटपूतली।	सहायक अभियन्ता से जांच कराई गई।	शिकायत सही नहीं पाई गई।	—

राजकीय महिला पोलीटैक्निक जयपुर में प्रवेश हेतु वरीयता सूची

747. श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय महिला पोलीटैक्निक, जयपुर में वर्ष 1982–83 के लिये प्रवेश हेतु माह अगस्त, 1982 में घोषित वरीयता सूची में अनियमितताएं हुई थीं और करीब एक माह पश्चात् 'दुबारा' वरीयता सूची घोषित की गई? यदि हां, तो क्या उपरोक्त कार्यवाही प्राविधिक शिक्षा मण्डल के नियमानुसार उचित है?

(2) उपरोक्त कार्यवाही नियमानुसार अनुचित है तो सरकार ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है और अब क्या विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। कामर्शियल आर्ट ब्रांच में 7 स्थान रिक्त रहने के कारण समाचार पत्रों में पुन: विज्ञापन देकर प्राप्त आवेदन पत्रों की वरीयता सूची के आधार पर रिक्त पदों को दिनांक 23-9-82 को भरा गया।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

अन्ता क्रय-विक्रय सहकारी समिति की शाखा के खाद के भाव

748. श्री छीतरलाल आर्य (अटरू), श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा):—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अन्ता क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, अन्ता (कोटा) की ब्रांच मांगरोल पर बिकने वाली सल्फर खाद, जो कि अनुदान देकर बेची गयी थी, की कीमत व प्राइवेट दुकानों पर बिकने वाली खाद की कीमत में भारी अन्तर था? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

(2) क्या सरकार इस प्रकार की अनियमितताओं की जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

नारायण कुण्ड (जोधपुर) के निर्माण हेतु पहाड़ी का पत्थर

749. श्री कमलेन्द्रसिंह (बल्लभनगर) :—क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जोधपुर नगर में क्या नारायण कुण्ड निर्माण कार्य हेतु महाकालेश्वर मन्दिर के पास की पहाड़ी से पत्थर (खण्डे) निकाले गये हैं? यदि हां, तो विभाग द्वारा पत्रावली पर की गई स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि स्वीकृति नहीं दी गई, तो पत्थर निकालने वाले के खिलाफ विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

यह सही है कि जोधपुर नगर में नारायण कुण्ड निर्माण कार्य महाकालेश्वर मन्दिर की पहाड़ी से पत्थर (खण्डे) निकाले गये हैं। इस खनन कार्य के लिये विभाग से किसी प्रकार की स्वीकृति जारी नहीं हुई है। वर्तमान में नियमानुसार किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि खनन की दृष्टि से यहां खानें नहीं चलाई गयी हैं वरन् रहने के मकान बनाने के लिए वहां पर खुदाई की गई है। पत्थर जो निकाला गया वह भी उसी स्थान पर ही पड़ा है।

(232)

परिशिष्ट—5

(तारांकित प्रश्न संख्या 425 का विवरण)

परिशिष्ट– "अ"

माह अक्टूबर 82 से जनवरी 83 तक निजी मंजली बसों से अनुमानित देय स्पेशल रोड टैक्स एवं वसूली का जिलेवार विवरण।

क्र. सं.	जिले का नाम	अनुमानित कर (रु. लाखों में)	वसूली (रु. लाखों में)
1.	जयपुर	27.44	18.96
2.	टोंक	2.60	2.33
3.	सवाई माधोपुर	15.00	8.20
4.	अजमेर	16.44	15.02
5.	अलवर	9.40	6.68
6.	भरतपुर	17.40	5.85
7.	सीकर	9.08	9.87
8.	झुन्झुनू	13.12	9.12
9.	उदयपुर	24.00	16.50
10.	भीलवाड़ा	23.04	15.21
11.	चित्तौड़ गढ़	15.60	12.25
12.	बांसवाड़ा	8.32	2.99
13.	डूंगरपुर	9.20	8.40
14.	कोटा	7.40	4.69
15.	बूंदी	3.96	0.77
16.	झालावाड़	5.68	4.02
17.	बीकानेर	8.00	6.39
18.	चूरू	8.00	2.50
19.	श्री गंगानगर	22.00	18.05
20.	जोधपुर	14.88	10.00
21.	जैसलमेर	3.72	1.09
22.	बाड़मेर	4.08	1.44
23.	जालोर	7.20	3.64
24.	सिरोही	2.32	1.87
25.	पाली	17.08	7.07
26.	नागौर	13.12	6.34

परिशिष्ट--6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 901 की सूची)

हड़ताल के समय सुरक्षा पर हुए व्यय का विवरण

क्र. सं.	वृत्त का नाम	रकम (लाखों में)
1.	जयपुर नगर वृत्त	4.45
2.	जयपुर जिला वृत्त	.04
3.	प्रसारण एवं निर्माण वृत्त द्वितीय	.18
4.	जोधपुर वृत्त (परि. एवं संधा.)	6.32
5.	जोधपुर (निर्माण वृत्त)	.05
6.	प्रसारण एवं निर्माण द्वितीय अजमेर	.14
7.	अजमेर वृत्त	3.02
8.	अलवर वृत्त	2.71
9.	बीकानेर वृत्त	1.54
10.	उदयपुर वृत्त	1.82
11.	कोटा वृत्त	.13
12.	कोटा उत्पादन वृत्त	.46
13.	भीलवाड़ा वृत्त	2.02
14.	झुंझुनू वृत्त	.79
15.	सीकर वृत्त	1.70
	कुल योग:	25.37

(23)

परिशिष्ट—7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 902 की सूची)

उपखण्ड सवाई माधोपुर में सैकण्डरी तथा हायर सैकण्डरी स्कूलों में संस्कृत वैकल्पिक विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या वर्ष 1982-82 में निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	संस्कृत में वैकल्पिक में छात्र संख्या			
		कक्षा 9	कक्षा 10	कक्षा 11	योग
	सैकण्डरी स्कूल (अ)				
1.	शेरपुरगिलबीपुर	40	25	—	65
2.	सूरवाल	53	53	—	106
3.	भगवतगढ़	14	11	—	25
4.	मानटाऊन सवाईमाधोपुर	105	31	—	136
5.	कुन्डेरा	29	28	—	57
6.	बाली	19	18	—	37
7.	मलारना डूंगर	54	30	—	92
8.	मूलारना चौड़	51	28	—	79
9.	पीपल्दा	38	19	—	57
10.	पीपवाड़ा	40	43	—	83
	हायर सैकण्डरी स्कूल (ब)				
1.	सवाईमाधोपुर	22	46	125	193
2.	चौथका बरवाड़ा	36	10	22	68
3.	शिवाड़	20	7	—	27
4.	रा.बा.उ. मा.वि., सवाईमाधोपुर	12	20	28	60

240

परिशिष्ट—8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 906 की सूची)

सूची—"अ"

पंचायत समिति नागौर के डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम में स्वीकृत ग्रामों की सूची :—

क्र. सं.	ग्राम का नाम
1.	सीगढ़
2.	सुखवासी
3.	गुढ़ा भगवानदास
4.	भूण्डेल
5.	कालडी
6.	जोशीपावं
7.	वरणगांव
8.	रामधनू
9.	भेड
10.	देस
11.	सातवास
12.	करुनं
13.	बावडिया

241

परिशिष्ट—9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 910 की सूची)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर खण्ड प्रथम, जयपुर।

बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोविन्दगढ़ चयनित विद्यालयों की सूची।

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम		
1	2		
1.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय हस्तेडा जो अब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय		
2.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय		नांगल गोविन्द
3.	,,	,,	धिनोई
4.	,,	,,	नांगल भरडा
5.	,,	,,	नांगल कोजू
6.	,,	,,	लोहरवाडा
7.	,,	,,	भूतेडा
8.	,,	,,	टाकरडा
9.	,,	,,	अणतपुरा
10.	,,	,,	जैतपुरा
11.	,,	,,	मण्डा-मिण्डा
12.	,,	,,	मलिकपुर
13.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय		किशनपुरा
14.	,,	,,	काजोडेरा वार्ड नं. 11
15.	,,	,,	सादरसर
16.	,,	,,	नीथवाडी
17.	,,	,,	कुशलपुरा
18.	,,	,,	सामोद
19.	,,	,,	अमरपुरा
20.	,,	,,	इटावा
21.	,,	,,	निवाणा
22.	,,	,,	खेजरोली
23.	,,	,,	गोविन्दगढ़
24.	,,	,,	हस्तेडा
25.	,,	,,	मन्हार
26.	,,	,,	सीगोद खुर्द
27.	,,	,,	आटिकला

1	2		
28.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय		छोटागुढा
29.	,,	,,	तिगरिया (छाता)
30.	,,	,,	फतेहपुरा (छाता)
31.	,,	,,	उदयपुरिया (छाता)
32.	,,	,,	तेजाजी की ढाणी (पंचायत मुख्यालय पर प्रा. वि. (क) का भवन नहीं है (मोरीजी)
33.	,,	,,	चारणवास (ग्रालीसर)
34.	,,	,,	चारणवास (धौबलाई)
35.	,,	,,	भापावास (हाडोता)

हस्ता.
जिला शिक्षा अधिकारी

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाएं), जयपुर प्रथम, जयपुर।

विधान सभा क्षेत्र गोविन्दगढ़ में वढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों को दी गई सामग्री की सूची।

क. सं.	नाम विद्यालय		सामग्री जो दी गई
1.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हस्तेडा वर्तमान रा. उ. मा. वि. हस्तेडा		स्टील रैक—एक स्टील बेंच लार्ज—5
	रा.उ. प्रा. वि.,	नांगल गोविन्द	
2.	,,	धिनोई	
3.	,,	नांगल भरडा	
4.	,,	नांगल कोजू	उप जिला शिक्षा अधिकारी, चौमू के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय को तीस-तीस दरी पट्टियां, एक विज्ञान किट, एक गणित किट व संलग्न सूची के अनुसार पुस्तकें दी गई।
5.	,,	लोहरवाडा	
6.	,,	भूतेडा	
7.	,,	टांकरडा	
8.	,,	अनन्तपुरा	
9.	,,	मण्डामिण्डा	
10.	,,	जैतपुरा	
11.	,,	मलिकपुर	

नोट :—पुस्तकें केवल उच्च प्रा. वि. को ही दी गई हैं।

हस्ता.
जिला शिक्षा अधिकारी,
जयपुर प्रथम, जयपुर।

संलग्न: सूची पुस्तक।

(243)

पुस्तकों की सूची

क्र. सं.	नाम पुस्तक	कीमत (रुपयों में)	तादाद
1	2	3	4
1.	पिंकू के कारनामें	11.50	1
2.	शेर का दिल	6.50	1
3.	चिड़ियां की दुनियां	10.00	1
4.	हंसी हंसी में	3.50	1
5.	श्री कृष्ण कथा	9.50	1
6.	श्रीबाल महाभारत	8.00	1
7.	तुलसी का ब्याह	4.00	1
8.	पहेलियां	8.00	1
9.	बाण गंगा का शेर	4.50	1
10.	श्री रामचरित मानस (सटीक मोटा टाइप) सचित्र	20.00	1
11.	संक्षिप्त महाभारत (प्रथम खण्ड	21.50	1
12.	संक्षिप्त महाभारत (द्वितीय खण्ड	22.75	1
13.	हितोपदेश (मित्र लाभ)	3.00	1
14.	झांसीकी रानी	3.00	1
15.	इन्द्र और राजा शिव	3.00	1
16.	हितोपदेश	3.00	1
17.	पंचतन्त्र (मन्द बुद्धि ब्राहमण)	3.00	1
18.	साक्षी गोपाल	3.00	1
19.	चन्द्र ललाट	3.00	1
20.	तिरुपन और कनकदास	3.00	1
21.	जातक कथाऐं	3.00	1
22.	उर्वशी	3.00	1
23.	सरदार बल्लभ भाई पटेल	5.00	1
24.	पापुलर आक्सफोर्ड डिक्शनरी	31.50	1
25.	जगदीश चन्द्र बोस	3.00	1
26.	रानी लक्ष्मीबाई	4.00	1
27.	भगवान महावीर	4.00	1
28.	लालबहादुर शास्त्री	2.00	1

1	2	3	4
29.	भारतीय पर्व त्योहार की कहानियां	5.00	1
30.	महान वैज्ञानिक	7.00	1
31.	सरल हित उपदेश	5.00	1
32.	सरल पंचतंत्र	5.00	1
33.	एक दुनियां बच्चों की	7.00	1
34.	खिलते रहें गुलाब	5.20	1
35.	डाबरा की बात	5.25	1
36.	नोनिहालों के गीत	2.25	1
37.	रवीन्द्र नाथ का बाल साहित्य	7.50	1
38.	यह किताब बच्चों की	5.50	1
39.	पिता के पत्र पुत्री के नाम	5.00	1
40.	महाराणा प्रताप	4.25	1
41.	फक्कड कबीर	6.00	1
42.	विश्व को बदल देने वाला आविष्कार–I	2.50	1
43.	विश्व को बदल देने वाला आविष्कार–II	2.50	1
44.	चिड़ियाघर में	2.50	1
45.	वाचिंग बर्डस	2.50	1
46.	युग युग की कहानियां	2.50	1
47.	पुस्तकें जो अमर हैं	2.50	1
48.	डाक टिकट की कहानी	2.50	1
49.	रेडक्रॉस की कहानी	2.50	1
50	भारत में विदेशी यात्री	2.50	1
51.	हमारी नदियों की कहानी	2.50	1
52.	विज्ञान की विभूतियां	6.00	1
53.	विश्व के महापुरुष	5.00	1
54.	जयहिन्द	6.00	1
55.	नालन्दा अध्ययन कोष (हिन्दी)	30.00	1
56.	संसार की रोमांचक घटनायें	5.00	1
57.	नैतिक कथायें	5.00	1
58.	विज्ञान के चमत्कार	5.00	1
59.	गुणों की कहनियां	4.00	1
60.	सच्चे बच्चे कितने अच्छे	10.00	1
61.	भारत के वृक्ष	4.00	1
62.	पैमिक कथायें भाग–I	4.00	1

1	2	3	4
63.	विद्यार्थी जीवन में उन्नति के उपाय	10.00	1
64.	संसार की बाल विभूतियां	10.00	1
65.	दुनियां की खोज	5.00	1
66.	भारत में राजपूत	3.50	1
67.	कुरान की कहानियां	5.00	1
68.	कुरान सार (हिन्दी साजिल्द)	8.00	1
69.	समणसूद (साजिल्द)	20.00	1
70.	गीता प्रवचन 7 (सजिल्द)	7.00	1
71.	विज्ञान के खेल	4.00	1
72.	अंतरिक्ष में भारत	7.00	1
73.	आओ भलाई को बढ़ायें	4.50	1
74.	पंजाब केसरी लाला लाजपत राय	6.00	1
75.	हवा की बातें	5.00	1
76.	आग की कहानी	5.00	1
77.	पानी	5.00	1
78.	आवाज	5.00	1
79.	आत्म कथा संपूर्ण (प्लास्टिक कवर)	10.00	1
80.	विश्व के इतिहास की झलकियां खण्ड–I	20.00	1
81.	विश्व के इतिहास की झलकियां खण्ड–II	20.00	1
82.	समय	5.00	1
83.	सिंधबाद सात यात्रायें	5.00	1
84.	गुरु गोविन्द सिंह	3.00	1
85.	मीरांबाई	2.00	1
86.	गुरुनानक देव	2.00	1
87.	भारत रत्न	12.00	1
88.	दैनिक जीवन में विज्ञान	6.00	1
89.	अच्छे रास्ते जो स्वास्थ्य बचायेंगे	6.00	1
90.	झुनझुना	4.50	1

246

—परिशिष्ट—10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 914 की सूची)

वर्ष 1981–82 में राजकीय नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की जिलेवार सूची

क्र. सं.	प्रा. वि. का नाम	पंचायत समिति
1	2	3
	जिला—चित्तौड़गढ़	
1.	नाहरगढ़	भैंसरोड़गढ़
2.	कानुपुरा	प्रतापगढ़
3.	लक्ष्मीपुरा	बेंगू
4.	भनकपुरा	प्रतापगढ़
5.	लोडियाना	भैंसरोड़गढ़
6.	केसरखेड़ी	भजेसर
7.	सांवलिया खेड़ी	भोपालसागर
8.	बावरियां काखेड़ा	भोपालसागर
9.	खेड़ा नरसिंहमाता	प्रतापगढ़
10.	उंठेल	अरनोद
11.	गोरसिया	चित्तौड़ गढ़
12.	रसिया मगरी	चित्तौड़गढ़
13.	गोपाल नगर	चित्तौड़गढ़
14.	गाजतदेवी	बड़ी सादड़ी
15.	खेडा अहीरान	डूंगला
16.	मानपुरा	बड़ी सादड़ी
17.	खेड़िया	राशमी
18.	अकोड़िया	राशमी
19.	परमेश्वरपुरा	राशमी
20.	साजनपुरा	निम्बाहेड़ा
21.	अमरथूना	भैंसरोड़गढ़
	जिला—बांसवाड़ा	
1.	नवाटापरा	भूखिया
2.	निरस्त	

1	2	3
3.	सुन्दर गांव नई आबादी माचड़िया	बांसवाड़ा
4.	रोहड़िया	भूखिया
5.	राजपुरा	भूखिया
6.	गदड़िया	बागीडोरा
7.	पाडीखेडा	घाटोल
8.	सरणा भुडमाई	घाटोल
9.	मैनखीर	घाटोल
10.	रातीहोड़ी	कुशलगढ़
11.	बरसाला	कुशलगढ़
12.	सागा	बांसवाड़ा
13.	देबरी कालू	बागीडोरा
14.	नागदेला ग्राम पंचायत चन्दू जी का गढ़ा	तह.-घाटोल
15.	अमरपुरा (डागल)	घाटोल
16.	नागारसीबदला	गढ़ी
17.	डीवा पाड़ा	गढ़ी

जिला-डूंगरपुर

1.	वार्ड नं. 2	डूंगरपुर शहरी क्षेत्र
2.	बुएला	बिछीवाड़ा
3.	पीपलागीज नागरिया	सागवाड़ा
4.	ढाणी खूजरवाली	आसपुर
5.	आंसावाफला	सीमलवाड़ा
6.	काशीपुरा	सागवाड़ा
7.	जीजवाफला (चौतरी)	सीमलवाड़ा
8.	उपौया ग्राम पं.	सीमलवाड़ा
9.	कालातलाव सेलज	डूंगरपुर
10.	सवलाना	डूंगरपुर
11.	नीमलीफला (लांवा)	डूंगरपुर
12.	लालपुरा (डूका)	सीमलवाड़ा
13.	पाडलिया (सीमलवाड़ा)	सीमलवाड़ा
14.	रंगाताफला (गंधवापाल)	बिछीवाड़ा
15.	कांकरी	आसपुर
16.	निहालपुरा	आसपुर

Page No 249

(248)

1	2	3
17.	गामड़ी	ग्रासपुर
18.	वीरपाड़ा	चौरासी
19.	बिछीवाड़ा (कन्या)	बिछीवाड़ा
20.	गुलाबपुरा	सागवाड़ा

जिला—बूंदी

1.	सामरवा ग्राम पंचायत भैरूपुरा	तालेड़ा
2.	लक्ष्मीपुरा	केशवरायपाटन
3.	दलेलपुरा	नैनवा
4.	कीरों की झोंपड़िया	नैनवा
5.	हरिपुरा	हिण्डोली
6.	रलायता	हिण्डोली

जिला—टोंक

1.	मालपुरा (कन्या) वार्ड नं. 5	मालपुरा
2.	देवली	
3.	निरस्त	
4.	सीतारामपुरा	टोडारायसिंह
5.	लक्ष्मीपुरा	टोंक
6.	राजाकी देवपुरा	उनियारा
7.	बांदली की झोंपड़ी	देवली
8.	गांगली	उनियारा
9.	टोरड़ी मसला	निवाई
10.	हरीपुरा	निवाई
11.	विजय गोविन्दपुरा	निवाई
12.	ग्रामली चारनान	लाम्बाहरिसिंह

जिला—सवाईमाधोपुर

1.	नियापुर	गंगापुर
2.	ग्राम बगड़ियां	सपोटरा
3.	दीवड़ाकलां	सवाईमाधोपुर
4.	वेड़ा हरिमान की ढाणी (तिवारा)	हिण्डौन

(249)

1	2	3
5.	गंगा सतीपुरा	सवाईमाधोपुर
6.	कालाडांडा	खण्डार
7.	ओण्डूगजर	महुवा
8.	मैनमा	हिण्डौन
9.	नरोला	खण्डार
10.	दूसरी खेड़ा	महुवा
11.	ठहरमों	महुवा
12.	जैतपुरा	बौंली
13.	माडा	सपोटरा
14.	रेड़ावल तुर्क	गंगापुर
15.	पिलौदा (कन्या)	गंगापुर
16.	गुना	नादौती
17.	नांगल शेरपुर (कन्या)	टोडाभीम
18.	मोहल्ला नोबिस्वा	टोडाभीम
19.	छेड़कापुरा	मावली
20.	नाहरगढ़ (कोडर)	करौली

जिला–नागौर

1.	कड़वासरों की ढाणी (हरसोलाव)	मेड़ता
2.	कामुण्डी की ढाणी	मूंडवा
3.	किशोरपुरा	परवतसर
4.	कैरोलाई की ढाणी	मकराना
5.	कलकलों की ढाणी	परवतसर
6.	गलनी (गुढ़ा भगवानदास)	नागौर
7.	शाहपुरा (मूंदवाल)	नरियांवडी
8.	जसवन्त गढ़ वार्ड नं. 10	लाडनूं
9.	बासड़ा कड़वा का	कुचामन
10.	प्रेमराजजी का बासड़ा	कुचामन
11.	हिरासनी	जायल
12.	मिणशाद	जायल
13.	ढिगारिया	डीडवाना
14.	गूजरों की ढाणी (श्रागुन्ता)	डीडवाना
15.	बेड़ासखुर्द	मेड़ता

1	2	3
16.	पादूकलां (कन्या)	रियांवड़ी
17.	श्यामपुरा	मेड़ता
18.	आनीता की आथूनी ढाणियां	मूंडवा
19.	घाणागांव (मून्दलाठा)	डेगाना
20.	डावड़ी खुर्द	मकराना
21.	इन्दोखां की ढाणी	मकराना
22.	नयापुरा पंचा. शिव	नावां
23.	भवानीपुरा	नावां
24.	चौमू	डीडवाना
25.	देविया का वास	नावां
26.	वार्ड नं. 1	न. पा. क्षेत्र
27.	वार्ड नं. 3	न. पा. क्षेत्र

जिला–जालोर

1.	जैताणियां का कुआ ग्रामपुर	सांचौर
2.	वंधा कुओं की स्कूल ग्राम टापी की सरहद में	सांचौर
3.	ग्राम सुराचन्द की सरहद की ढाणी कोलियान	सांचौर
4.	गोडजी	जालोर
5.	गोधन (कन्या)	जालोर
6.	सुगालिया वालोतरान	आहोर
7.	रामा (कन्या)	आहोर
8.	पुनासा नगाराम की ढाणी दातीवा	भीनमाल
9.	बनूकीढाणी (फागोतरा)	भीनमाल
10.	मन्डारडी	रानीवाड़ा
11.	मरड़ा	आहोर
12.	पूनियाखेड़ा (जेरण)	भीनमाल
13.	रोड़ा की ढाणी	भीनमाल
14.	पनकी ढाणी	भीनमाल
15.	कुड़कीवास (केरियागांव)	सांचौर
16.	लाछीवाड़ कालियों की बस्ती (ग्राम लछीवाड़ की सरहद में)	सांचौर
17.	लाडवी	भीनमाल

(251)

1	2	3
	जिला–बाड़मेर	
1.	जाटों का बेश सारला	चौहटन
2.	भगाणियों की ढाणी (ग्राम भराबा)	बालोतरा
3.	होकड़ों की बैरी (पटियाला)	बालोतरा
4.	मालियों की ढाणी गांव नवाई	बालोतरा
5.	डूडियां की ढाणी	सिणधरी
6.	खरड़	घोरीमना
7.	जोरानाडा	शिव
8.	साकलिया की बस्ती	शिव
9.	लूम्बाबास	घोरीमना
10.	पाबूबेरा	घोरीमना
11.	कपासियों की बेरी	शिव
12.	नवापुरा बाखासर नथाराम की ढाणी पं. स. चौहटन	चौहटन
13.	आलमसर में पीनगढ़ कुआ	चौहटन
14.	छातरवालों का तलाव तगाराम की ढाणी ग्राम पंचायत कोलू	बाड़मेर
15.	सुईली	सिवाना
16.	पड़िहार तेजसिंह की ढाणी	सिवाना
17.	कयार चारनाल	बालोतरा
18.	खारड़ा चारनान	बायतू
	जिला–पाली	
1.	पालना स्टेशन (कन्या)	पाली
2.	जीरवा स्टेशन	सुमेरपुर
3.	रावलाबास	पाली
4.	आई. सी. की ढाणी	पाली
5.	नाईदा (आंचिया)	सोजत
6.	कानावास	रोहट
7.	चढ़ावत ढाली	रायपुर
8.	जरवान्या	रायपुर

1	2	3
9.	झाड़िया नारपुर (गिरी)	रायपुर
10.	बैरावल	बाली
11.	राणावास स्टेशन (कन्या)	खारची
12.	भगवानपुरा	खारची
13.	तालका	खारची
14.	शिवपुरा (छपरा) पंचायत खेरवा	देसूरी
15.	कुम्भारों की ढाणी ग्राम बूती	पाली
16.	कनपुरा पंचायत खेरवा	बाली
17.	भावनगर	पाली
18.	पटेलों की ढाणी चारणोद के पास	सुमेरपुर
19.	भीमली	खारची
20.	वरियाला	सोजत
21.	डूंगजी की ढाणी	जैतारण
22.	पातूस	जैतारण
23.	कानावास	जैतारण
जिला–सिरोही		
1.	भण्डार (कन्या)	रेवदर
2.	राजगढ़	रेवदर
3.	हड़मातिया	रेवदर
4.	दानवाव	आबूरोड
5.	मातादेवी	आबूरोड
6.	चोरवाव (चन्देलों की फली)	आबूरोड
7.	मानपुर (कन्या)	आबूरोड
8.	भीरवाड़ा (सराल)	पिंडवाड़ा
9.	काना कोलर	शिवगंज
10.	सूरजपुरा	शिवगंज
11.	नयाखेड़ा	शिवगंज
12.	सुथारों का गुडा	शिवगंज
जिला–बीकानेर		
1.	जसवन्तसर	लूणकरणसर
2.	कोलासर (कन्या)	कोलायत

(253)

1	2	3
3.	पवनपुरी नागणेचीजी	शहरी क्षेत्र
4.	आर. सी. पी. कोलोनी	शहरी क्षेत्र
5.	लोहारों का मोहल्ला	शहरी क्षेत्र
6.	व्यापारियों का मोहल्ला (कन्या)	शहरी क्षेत्र
7.	बीदासर की बारी कोचरो का चौक के पास	शहरी क्षेत्र
8.	मैनसर	नोखा
9.	खेतोलाई शिम्भू	कोलायत
10.	साधुना की ढाणी	नोखा
11.	ग्राम-भोजूसर ग्राम पं. लालमदेसर	पं. बीकानेर

जिला-अजमेर

1.	भारला	अराई
2.	गणेशपुरा	अरांई
3.	गोला (कन्या)	पीसांगन
4.	बख्तावरपुर	पीसांगन
5.	राजपुरा	अराई
6.	सांकली	भिनाय
7.	लीडी (कन्या)	पीसांगन
8.	बागसुरी (कन्या)	पीसांगन
9.	नयागांव	पीसांगन
10.	नोहरिया	सिलोरा
11.	रातीडांग नगरी क्षेत्र	पुष्कर
12.	टिढाण की ढाणी	श्रीनगर
13.	गोविन्दगढ़	पीसांगन
14.	नागली	मसूदा
15.	पीपलिया	भिनाय
16.	समापा	जवाजा
17.	बाडयानगा	जवाजा

जिला-सीकर

1.	जाखला	लक्ष्मणगढ़
2.	कलवा का वास	लक्ष्मणगढ़

1	2	3	4
3.	ग्राम गिरधारी का वास	खण्डेला	[illegible]
4.	सिकड़ोला	लक्ष्मणगढ़	[illegible]
5.	ढाणी मैंकावाली ग्राम पं. डाबला	नीमकाथाना	[illegible]
6.	ढाणी चौथावाली ग्राम राजेश्वर	नीमकाथाना	[illegible]
7.	गोडियां छोटा	फतेहपुर	[illegible]
8.	बैसवा (कन्या)	फतेहपुर	[illegible]
9.	सुखसिंह का वास	खण्डेला	[illegible]
10.	सिरोटी	खण्डेला	[illegible]
11.	ढाणी हरदाका वाली	श्रीमाधोपुर	[illegible]
12.	मेहरों की ढाणी	खण्डेला	[illegible]
13.	मेहला की ढाणी	खण्डेला	[illegible]
14.	साटू (कन्या)	दांतारामगढ़	[illegible]
15.	गढ़वालों की ढाणी तन तिलोकपुरा	पिपराली	[illegible]
16.	ढाणी लाम्बावाली तन खाचरियावास	दांतारामगढ़	[illegible]
17.	शाहपुरा (कन्या)	पिपराली	[illegible]
18.	वानूडा (कन्या)	दांतारामगढ़	[illegible]
19.	स्वामी जी की ढाणी (नोछवा)	लक्ष्मणगढ़	[illegible]
20	मालियों की ढाणी (काछवा)	लक्ष्मणगढ़	[illegible]
21	रूपपुरा	धोद	[illegible]
22.	चैनपुरा	लक्ष्मणगढ़	[illegible]
23.	पनलावा (कन्या)	लक्ष्मणगढ़	[illegible]
24.	भीलों की ढाणियां तन डूडवा	लक्ष्मणगढ़	[illegible]
	जिला-झुंझुनूं		
1.	ढहचिराणा	नवलगढ़	[illegible]
2.	बाग अड़तागांव	अलसीसर	[illegible]
3.	बाडलवास का वास	झुंझुनु	[illegible]
4.	पंडतों की ढाणी	अलसीसर	[illegible]
5.	इन्द्रपुरा (कन्या)	अलसीसर	[illegible]
6.	रणजीतपुरा	चिड़ावा	[illegible]
7.	नन्दीमपुरा	चिड़ावा	[illegible]
8.	विधाना (कन्या)	चिड़ावा	[illegible]
9.	मोंगा	अलसीसर	[illegible]

1	2	3
10.	जोड़ी झाड़ूवाली तन चरावास गांव	खेतड़ी
11.	ठोठवाल	बुहाना
12.	कुशलपुरा	सूरजगढ़
13.	मेघपुरा (कन्या)	बुहाना
14.	सरवालों की ढाणी तन भाटीवास	उदयपुर वाटी
15.	रघुनाथपुरा बोजे नाई का बास पं. देरवाला	झुंझुनूं
16.	कसावा (कन्या)	नवलगढ़
17.	नया परसरामपुरा (कन्या)	नवलगढ़
18.	धीवड़ों की ढाणी तन गुढ़ा	गोड़जी
19.	मालियों की ढाणी तन पचलंगी	उदयपुरवाटी
20.	गूजरों की ढाणी तन	उदयपुरवाटी
	जिला-अलवर	
1.	तलाब (कन्या)	राजगढ़
2.	बिकानी (कन्या)	किशनगढ़
3.	खानपुर मेवान (कन्या)	किशनगढ़
4.	सुरैर (कन्या)	राजगढ़
5.	कन्ना का वास रानीजी के थान के पास	राजगढ़
6.	चोरटी का बास	रामगढ़
7.	गुवाचों को	रामगढ़
8.	बन्धेड़ों	गोविन्दगढ़
9.	ढाणी टिब्बा (नांगलवास)	बहरोड़
10.	मोडीवास.	तह. बानसूर
11.	कुड़ली	तह. बानसूर
12.	दौलतसिंह की ढाणी	तह. बानसूर
13.	मूसारी	तिजारा
14.	बहादुरी	तिजारा
15.	जहानपुरी	कोटकासिम
16.	ढाणी कस्बा मुंडावर	मुंडावर
17.	फूसावाली ढाणी	मुंडावर
18.	बरतावाली	लक्ष्मणगढ़
19.	फतेहपुर	लक्ष्मणगढ़
20.	ढाणी कन्हावास	बहरोड़
21.	ढाणी ओसियां	बहरोड़

1	2	3
	जिला—गंगानगर	
1.	कोल्हासर (नोहर)	नोहर
2.	भंगोली	नोहर
3.	60 जी. बी. बी.	अनूपगढ़
4.	बभासर	
5.	हरिजन बस्ती	विजयनगर
6.	हरिजन बस्ती	हनुमानगढ़ टाउन
7.	17 ई छोटी	अनूपगढ़ टाऊन
8.	जाटाण	
9.	पंतली (कन्या)	सादुलशहर
10.	टीबी (एम. एम.)	श्रीकरणपुर
11.	63 एफ हरिजन	श्रीकरणपुर
12.	46 आर. बी. जी.	पदमपुर
13.	नैतवाला	गंगानगर
14.	21 एम. एल.	गंगानगर
15.	जवाहर नगर	शहरी क्षेत्र
16.	7 एस. जे. एम.	अनूपगढ़
17.	मंडी घड़साना	अनूपगढ़
18.	साहुवाला (कन्या)	भादरा
19.	मून्सरी (कन्या)	भादरा
20.	भोजासर (कन्या)	भादरा
21.	चक 21 एस. टी. जी.	सूरतगढ़
22.	चाहड़सर	सूरतगढ़
23.	नगराना (कन्या)	हनुमानगढ़
24.	रामगढ़ (कन्या)	नोहर
25.	भासरांवाली (कन्या)	सादुलशहर
26.	चक 19 एच	करणपुर
27.	चक 3 बी	करणपुर
28.	चक 16 एम. डी.	हनुमानगढ़
29.	16 आर. डब्लू. डी.	नोहर
30.	ढाणी तारासिंहवाली	हनुमानगढ़
31.	10 डी. पी. एन.	नोहर
32.	सैंट्रल केटल ब्रिडिंग फार्म	सूरतगढ़

257

1	2	3
	जिला--जयपुर	
1.	झालरा	सांभर
2.	किशोरपुरा	सांभर
3.	बीचलियों की बड़ी ढाणी (बाधाज)	सांभर
4.	मालियों का मोहल्ला	विराटनगर
5.	नीमली बाघान	दूदू
6.	गवीरवाला मार्ग	दौसा
7.	धनसी की ढाणी	कोटपूतली
8.	रेलवे क्रोसिंग के पास, हसनपुरा बगीची, वार्ड नं. 32	शहरी क्षेत्र
9.	मंगाभट्टा पंचायत महेसरा	दौसा
10.	जोगियों की ढाणी	बैराठ
11.	पाटन खेड़ चमारान	बस्सी
12.	मालपुरिया	चाकसू
13.	हीरापुरा	चाकसू
14.	ग्रट्टा	सिकराय
15.	बिसनपुरा (कन्या)	दौसा
16.	सांगली (कन्या)	दूदू
17.	ग्रचलपुरा	लालसोट
18.	बजाज नगर कोलोनी	जयपुर
19.	शंकरपुरा	जमवारामगढ़
20.	सांभोर	जमवारामगढ़
21.	कानडियावाला	जमवारामगढ़
22.	नया गांव	दूदू
23.	मातड़ा	दूदू
24.	ढाणी ग्रलेड़ी तन कस्बा	शाहपुरा
25.	थलादगांव	लालसोट
26.	रठावा	लालसोट
27.	हसनपुरा	कोटपूतली
28.	नरसिंहपुरा	कोटपूतली
29.	नयाखेड़ा जगदम्बा कोलोनी, झोटवाड़ा रोड़	शहरी क्षेत्र
30.	चिमनपुरा	चौमू

1	2	3
31.	जैतपुरा (कन्या)	चौमू
32.	महांचास खुर्द	आमेर
33.	उदयपुरिया	आमेर
34.	नीमड़ी की ढाणी तन गेयनोदा	गोविन्दगढ़
35.	कोरिया का वास (केरियावास)	सांगानेर
36.	वाड़ा पं. विनोलेंकलां	लालसोट
37.	आदर्श रेगर बस्ती	दूदू

जिला—झालावाड़

1.	लोडाखेड़ा	झालरापाटन
2.	सवाखो	झालरापाटन
3.	सिन्दोल	डग
4.	किशनगढ़	डग
5.	खाखरा	मनोहरथाना
6.	भोडाखेड़ा	मनोहरथाना
7.	रसूलपुरा	पिड़ावा
8.	जैताखेड़ी	पिड़ावा
9.	दोलाड़ा	खानपुर
10.	मानपुरा	खानपुर
11.	पाटूखड़ी	खानपुर

जिला—भीलवाड़ा

1.	फारलिया खेड़ा	सुवाना
2.	छाछेड़ी (ओझाड़ा)	सुवाना
3.	कावरा	सुवाना
4.	देवपुरा	आसीन्द
5.	चाडों का खेड़ा	आसीन्द
6.	ब्राह्मणों की सरेड़ी (कन्या)	आसीन्द
7.	शंभू गढ़ (कन्या)	आसीन्द
8.	संगास	सहाड़ा
9.	सूरतसिंह का खेड़ा	सहाड़ा
10.	माताजी का खेड़ा (वर्धनी)	माडलगढ़

1	2	3
11.	उम्मेदपुरा (राजगढ़)	मांडलगढ़
12.	भूती (उमाजी का खेड़ा)	मांडलगढ़
13.	चतरपुरा	हुरड़ा
14.	परशुरामपुरा	हुरड़ा
15.	पाथरा	बनेड़ा
16.	कायमपुरा पं. सांगरिया	शाहपुरा
17.	कल्याणपुरा	शाहपुरा
18.	मालखेड़ा	शाहपुरा
19.	भंवार	जहाजपुर
20.	बूंटी	कोटड़ी
21.	खेड़ी	कोटड़ी
22.	शास्त्रीनगर	भीलवाड़ा
23.	कटाई कलम	भीलवाड़ा

जिला—कोटा

1.	गगायची	लाडपुरा
2.	माधोपुर	सांगोद
3.	धूलेट (कन्या)	सांगोद
4.	बिलखेड़ा	छबड़ा
5.	महेशपुरा	छबड़ा
6.	छतरपुरा	अटरू
7.	गरड़ा	सांगोद
8.	रामपुरा	किशनगंज
9.	कुबडा	किशनगंज
10.	चोखला	रामगंज मंडी
11.	गणेशपुरा	रामगंज मंडी
12.	किसानवास ग्राम पं. इटावा	इटावा
13.	डोउली	इटावा
14.	कनाड़ा	अन्ता
15.	चैनपुरिया	अन्ता
16.	वासखेड़ा गूगल ग्राम पं. खेड़ा सहरोल	शाहबाद

1	2	3
	जिला--चुरू	
1.	रघुनाथपुरा	रतनगढ़
2.	बालिया	तारानगर
8.	ढाणापट्टा	तारानगर
4.	वार्ड नं. 3 कस्बा	तारानगर शहरी
5.	धीरवास (कन्या)	तारानगर
6.	वांय (कन्या)	तारानगर
7.	चंगोई (कन्या)	तारानगर
8.	वार्ड नं. 9	सरदारशहर शहरी
9.	थैलासर	चुरू
10.	घांघू (कन्या)	चुरू
11.	आडसर (कन्या)	श्री डूंगरगढ़
12.	तोलियासर (कन्या)	डूंगरगढ़
13.	चांदगोठी (कन्या)	राजगढ़
14.	दांतली	राजगढ़
15.	मघाऊ	राजगढ़
16.	डालमाना ढाणी (हुड़ेरा अगूणा)	रतनगढ़
17.	पड़िहारा	रतनगढ़
18.	वार्ड नं. 10, हरिजन मोहल्ला	डूंगरगढ़
19.	सात्यू (कन्या)	तारानगर
20.	घोटड़ा	सुजानगढ़
21.	खदाया	सुजानगढ़
22.	खारा	सुजानगढ़
23.	कालूबास कस्वा	डूंगरगढ़
24.	रेवाड़ा	डूंगरगढ़
25.	उदासर चारनान	डूंगरगढ़
26.	चूरू शहर (कन्या)	शहरी क्षेत्र
27.	राजपुरा	श्री डूंगरगढ़
28.	ग्राम राजासर (बीकान कन्या प्रा. वि.)	सरदारशहर
29.	सादुलपुर (कन्या)	सादुलशहर
30.	तारानगर	तारानगर
31.	सरदारशहर	सरदारशहर

(261)

1	2	3
32.	सुजानगढ़	सुजानगढ़
33.	आडसर बास (डूंगरगढ़)	डूंगरगढ़
34.	चुरू (कन्या)	चुरू शहर
35.	पूलासर (कन्या)	सरदारशहर
36.	आनन्दसिंहपुरा	तारानगर
36.	लडणियां पं. केसावास	तारानगर
38.	मालाण बास पं. सांसू	राजगढ़
39.	कसूम्बी	राजगढ़

जिला—भरतपुर

1.	दीनपुरा	बाड़ी
2.	मोठियापुरा	बाड़ी
3.	कैथरी	धौलपुर
4.	विरोधा	धौलपुर
5.	झोर	धौलपुर
6.	कोठपुरा	धौलपुर
7.	नंगला देसवार	डीग
8.	नगला तेरहिया	सेवर
9.	नीमली	वैर
10.	सागौर	बाड़ी
11.	नंगला वन्जारा	नदबई
12.	नंगला कवई	नदवई
13.	अजयपुरा (सिरोली)	कुम्हेर
14.	रामनगर (पिचूमर)	कुम्हेर
15.	मंगला करौली (अस्तावन)	कुम्हेर
16.	नगला फागुन मजरा खूंट खेड़ा	बयाना
17.	श्यामपुरा	बयाना
18.	खकावली (कन्या)	नगर
19.	वलराका	नगर
20.	दोनारी (कन्या)	धौलपुर
21.	सियपुरा	धौलपुर
22.	रंजीतपुरा	धौलपुर
23.	नगला जदेला	रूपवास

1	2	3
24.	खरिया लोधा	रूपवास
26.	वोसोली	रूपवास
26.	गांव नया बरखेड़ा	वैर
27.	लाडुका	कामां
28.	लैलपुर	कामां
29.	रायपुर सुकेती (कन्या)	नगर
30.	हरिजन वस्ती मथुरा गेट	भरतपुर
31.	इटूकी पं. पिपरूश्रा	धौलपुर

जिला—उदयपुर

1.	कुरज	रेलमगरा
2.	निफाफा	धरियावद
3.	विनील (कन्या)	राजसमन्द
4.	कटेव नीचली पंचायत पड़ियावाड़ा	खैरवाड़ा
6.	सामलाफला मसारों की ओवरी	खैरवाड़ा
6.	नाकोली	सराड़ा
7.	सिगावली पं. सादड़ी	सलूम्बर
8.	छोटीसर चिरवा (बड़गांव)	कुम्भलगढ़
9.	मूंडला	झाड़ोल
10.	लखूनी	झाड़ोल
11.	भीलवाड़ा	बड़गांव
12.	कसनीयावड़	बड़गांव
13.	भलों का छोटा गुडा	गिर्वा
14.	रूनीजा	गिर्वा
15.	रुकमगढ़ पंचायत वामनखेड़ा	नाथद्वारा
16	कशरपुरा (पाखड़ा)	नाथद्वारा
17.	सालोदा (कन्या)	नाथद्वारा
18.	काड	सराड़ा
19.	खेरवा	सराड़ा
20.	गांधी चौराहा बूलवा	सराड़ा
21.	दुर्जनपुरा	सराड़ा
22.	खातीखेड़ा	मावली
23.	गडा की मगरी	मावली

1	2	3
24.	पलानाकलां (कन्या)	मावली
25.	माडकलां	धरियावद
26.	रातीकांकर	धरियावद
27.	हालरमगरी खूंटा	धरियावद
28.	जीवातालाव	धरियावद
29.	विनील	राजसमन्द
30.	पलसिया	खैरवाड़ा
31.	भाटडिया	सागवाड़ा
32.	वेसमा पं. डाल	सलूम्बर
33.	सामतियोत भितड़ी	सलूम्बर
34.	बीच की मगरी बामनिया	सलूम्बर
35.	कैरपुरा	सलूम्बर
36.	लथूनी	झाड़ौल
37.	बासीवाड़ा	झाड़ौल
38.	खालातोड़	वल्लभनगर
39.	पांचोरिया	वल्लभनगर
40.	बामठिया	वल्लभनगर
41.	जैताखेड़ा	भीम
42.	भैरू गुढ़ा	भीम
43.	जसवन्तगढ़ (कन्या)	गोगुन्दा
44.	रिसवदेव	भीम

जिला—जोधपुर

1.	नागौरी गेट	जोधपुर
2.	अन्दोरी बाड़ी पीलवा	फलौदी
3.	कोलूरत रायल	फलौदी
4.	जीयावेरी (नीमों का गांव)	शेरगढ़
5.	अभयसिंह की ढाणी (सेतरावा)	शेरगढ़
6.	खिलों का बास	बालेश्वर
7.	बैहचारन	ओसियां
8.	उन्दोड़ों की ढाणी	जोधपुर
9.	वासनी सैफां	जोधपुर
10.	बालाकुआ	जोधपुर

1	2	3
11.	वैरड़ों का वास (ढ़ाढ़णिया) डेरियां	शेरगढ़
12.	सू. मोतीसिंह की ढ़ाणी (डेरियां)	बालेश्वर
13.	वैरीवाला का वास (गोपालसर)	शेरगढ़
14.	वैरियां (वस्तवां)	शेरगढ़
15.	फड़ाकों की ढाणी	बिलाड़ा
16.	गोगानाडी (तेवा)	शेरगढ़
17.	कुम्हारों का वैरा	शेरगढ़
18.	जाटों का वैरा देचू	शेरगढ़
19.	जाटों की ढाणी करोड़िया महासिंह	शेरगढ़
20.	पिरोहितों का वैरा कलाऊ	शेरगढ़
21.	सिलावटों का वास (लूनी)	लूनी
22.	केतूनावां की ढाणी	बालेश्वर
23.	बामनीवैरा सुसमण्डला	बालेश्वर
24.	ग्रासोप (कन्या)	भोपालगढ़
25.	गर्जसिंहपुरा (कन्या)	भोपालगढ़
26.	रामेकुड़िया (कन्या)	भोपालगढ़
27.	सागता	भोपालगढ़
28.	उदयमन्दिर (ग्रासन)	जोधपुर
29.	मदेरणा कालोनी (कृषि मंडी के पीछे)	शहरी क्षेत्र
30.	सोढ़ों की ढाणी	सुरखासर
31.	गेवा (चोखा) (कन्या)	सुरखासर
32.	मैलों की ढाणी	सुरखासर
33.	सिन्धियों का बास रोला सरहद ग्राम वारु	बाप
34.	जाखड़ों की ढ़ाणी (कोसाना)	बिलाड़ा
35.	भडियारों की ढाणी (बोरुन्दा)	बिलाड़ा
36.	साराणों की ढ़ाणी	भोपालगढ़
37.	जरेनवड़ी ऋरेन्दड़ी)	लूनी
38.	सांगसनी	लूनी

जिला—जैसलमेर

1.	मेहरों की ढाणी	सम

(265)

परिशिष्ट--11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 916 की सूची)

परिणाम सूची सकलपुरा कुन्हाडी योजना, कोटा

लाटरी निकालने की तिथि 24-9-81

क्रमांक	नाम व पिता का नाम	आवासन मण्डल द्वारा दिये गये म. मं.
1	2	3
1.	श्री नन्द किशोर पुत्र श्री पूणी लाल	क-15
2.	,, रामनारायण पुत्र श्री रघुनाथ	क-14
3.	,, गोपाल लाल पुत्र श्री घासी जी	क-13
4.	,, भजनलाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण	क-12
5.	,, भंवरलाल पुत्र श्री किशनलाल	क-11
6.	,, लाल चन्द्र पुत्र श्री भंवरलाल	क-10
7.	,, मोडूलाल पुत्र गणेश लाल	क-9
8.	,, कुशाल चन्द पुत्र बजरंग लाल	क-8
9.	,, अभर लाल पुत्र नारायण	क-7
10.	,, मदन लाल पुत्र जेठा जी	ख-4
11.	श्रीमती निर्मला पत्नि श्री गौरीशंकर	ख-5
12.	श्री मूलचन्द्र पुत्र श्री मथुरा लाल	ख-6
13.	,, राधाकिशन पुत्र बालूराम	ख-7
14.	,, रामप्रताप पुत्र श्री बालचन्द्र	ख-8
15.	,, तेजपाल पुत्र कल्याण जी	ख-9
16.	,, राम जी पुत्र दुधाराम	च-6
17.	,, गोपाल पुत्र श्री रामनाथ	च-7
18.	,, किशनलाल पुत्र सालगराम	च-8
19.	,, किशनलाल पुत्र बुवाराम	च-9
20.	,, शंकर लाल पुत्र चुन्नीलाल	च-10
21.	,, जमना लाल पुत्र श्री कालूजी	च-11
22.	,, सुखलाल पुत्र श्री कंवरलाल	च-12
23.	,, सीताराम पुत्र श्री धुलीलाल	च-13

266

1	2	3
24.	श्री छीतरलाल पुत्र श्री भैरूलाल	च–14
25.	,, धूलीचन्द्र पुत्र श्री गेंदीलाल	ग–13
26.	,, दानमल पुत्र श्री डालूराम	ग–11
27.	,, प्रेमचन्द पुत्र श्री डूंगाराम	ग–9
28.	,, बुद्धन पुत्र श्री गणेश	क–6
29.	श्रीमती पुष्पाबाई पुत्र कान्हाजी	क–4
30.	श्री जमना लाल पुत्र श्री मेघजी	क–3
31.	,, भंवरलाल पुत्र किशनलाल	ख–1
32.	,, भंवरलाल पुत्र छीतरलाल	ख–14
33.	,, मोड़ूलाल पुत्र हुकम चन्द्र	ख–23
34.	श्रीमती कमला बाई पत्नी नेनालाल	ख–15
35.	श्री रामेश्वर दलाल पुत्र श्री विरधीलाल	ख–20
36.	,, जुगलकिशोर पुत्र कन्हैयालाल	ख–22
37.	,, दौलतराम पुत्र श्री मुकनाराम	ख–23
38.	,, रामचन्द्र पुत्र श्री कंवरलाल	ख–25
39.	,, उद्धामल पुत्र श्री नाथूराम	ख–26
40.	,, आनन्दी पुत्र डूंगाराम	ख–27
41.	,, पन्नाराम पुत्र श्री मुकनाराम	ख–29
42.	,, शंकरलाल पुत्र श्री हरीशचन्द्र	ख–30
43.	,, नाथूलाल पुत्र तेजाराम	ग–2
44.	,, देवला पुत्र मोदरलाल	ग–3
45.	,, चुन्नीलाल पुत्र धुलीलाल	ग–5
46.	,, नन्दराम पुत्र किलाराम	ग–6
47.	,, मोड़ूराम पुत्र पन्नाराम	ग–16
48.	,, मथुराराम पुत्र कान्हाराम	ग–8
49.	,, किशनलाल पुत्र नारायण	ख–28
50.	,, केशवलाल पुत्र मोतीलाल	ख–31
51.	,, कजोडराम पुत्र पांचूराम	ज–2
52.	,, चतुर्भुज पुत्र तुलाराम	ज–3
53.	,, चुन्नीलाल पुत्र डूंगाराम	ज–4
54.	,, देवलाल पुत्र रामकरण	ज–5
55.	,, गोविन्द दास पुत्र मन्नालाल	ज–6
56.	,, ग्यारसीलाल पुत्र कान्हा	ज–8

Page No 268

(262)

1	2	3
57.	श्री रखमल पुत्र डूंगाराम	ज–7
58.	,, लक्ष्मण पुत्र श्री हरीकिशन	ज–9
59.	,, घासीलाल पुत्र मन्नालाल	ज–10
60.	,, मोहनलाल पुत्र मोहाराम	ज–11
61.	,, छोटेलाल पुत्र ओंकारलाल	ज–12
62.	,, कान्हाराम पुत्र नाथूराम	ज–13
63.	,, पूरणचन्द्र पुत्र पन्नालाल	ज–15
64.	,, मोटाराम पुत्र सोलाराम	ज–16
65.	,, रामनारायण पुत्र श्री मूलचन्द्र	ज–17
66.	,, देवलाल पुत्र मन्नालाल	ज–18
67.	,, तोलाराम पुत्र सेवाराम	ज–19
68.	,, केसरीलाल पुत्र नारायण	ज–20
69.	,, लालचन्द्र पुत्र मूलचन्द्र	छ–2
70.	,, प्रभूलाल पुत्र मांगीलाल	छ–3
71.	,, देवीसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह	छ–4
72.	,, रामकिशन पुत्र हरिकिशन	छ–7
73.	,, गौरी शंकर पुत्र कान्हाराम	छ–5
74.	,, नन्दराम पुत्र पैमाराम	छ–6
75.	,, धन्नाराम पुत्र पांचूराम	छ–8
76.	,, नारायण पुत्र रामलाल	छ–9
77.	,, रामनारायण पुत्र हीरालाल	छ–10
78.	,, मोहनलाल पुत्र मोरध्वज वर्मा	छ–13
79.	,, कुन्दन मल पुत्र केला जी	छ–14
80.	श्रीमती राजरानी पत्नी प्रकाश सिह	छ–15
81.	,, रुक्या बेगम पत्नि साबुद्दीन	छ–16
82.	श्री जगदीश पुत्र नरसिंह लाल	छ–17
83.	,, मोहनलाल पुत्र सीताराम	छ–18
84.	,, अब्दुल जब्बार पुत्र अब्दुल सत्तार	छ–19
85.	,, महावीर प्रसाद पुत्र याद्धीराम	छ–20
86.	,, खेमराज पुत्र श्री चन्दाराम	ख–21
87.	,, आनन्दीराम पुत्र श्री कन्हाराम	त–2
88.	,, पानाचन्द्र पुत्र मन्नाराम	त–3
89.	,, दिनेश कुमार पुत्र घासीलाल	त–4

268

1	2	3
90.	श्री लालराम पुत्र श्री धन्नाराम	त–5
91.	,, देवलाल पुत्र घासीलाल	त–6
92.	,, गोपाल पुत्र चेतराम	त–7
93.	,, ईलाइचीराम पुत्र लाखाराम	त–10
94.	,, मन्नाराम पुत्र भवानाराम	त–11
95.	,, पोकरदास पुत्र नारायण	त–12
96.	,, तेजमल पुत्र मन्नाराम	त–13
97.	,, रामचन्द्र पुत्र मन्नालाल	त–14
98.	,, नन्दराम पुत्र देवाराम	त–15
99.	,, मोहनसिंह पुत्र लक्ष्मण	न–2
100.	,, मोहनलाल पुत्र डालूराम	न–3
101.	,, डालूराम पुत्र डोगाराम	न–4
102.	,, घनश्याम पुत्र डूंगाराम	न–5
103.	,, मोतीलाल पुत्र भंवतीलाल	न–6
104.	,, भंवरलाल पुत्र डूंगाराम	न–7
105.	,, मोडूलाल पुत्र किशोरी लाल	ख–18
106.	,, शान्तिलाल पुत्र मूलचन्द्र	ख–19
107.	,, छोटूलाल पुत्र फोताराम	ख–21
108.	,, किशन गोपाल पुत्र बिरधीचन्द्र	ख–24
109.	,, टीकमचन्द्र पुत्र रामचन्द्र जेलिया	त–8

परिशिष्ट—12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 917 की तालिका)

तालिका "अ"

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	कार्य पूर्ण होने की तिथी स्ट्रक्चर इरेक्शन	ट्रांसफार्मर लगाना	ट्रांस-फार्मर की क्षमता के.वी.ए.	वित्तीय व्यय (अनुमानित)	ट्रांसफार्मर न लगाने का कारण	विशिष्ट विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	(क) बगड़ी	जनवरी, 77	20-7-77	500	1,50,000	ट्रांसफार्मर लगाया जा चुका है।	ट्रांसफार्मर अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया एवं बड़ी क्षमता का लगा दिया गया।
	(ख) बगड़ी	—	24-9-78	1000	50,000	"	चालू है।
	(ग) बगड़ी	—	15-5-81	1000	1,50,000	"	चालू है।
			(अतिरिक्त)				
2.	(क) अटपड़ा	1979	24-12-79	500	1,50,000	"	दिनांक 13-12-81 को खराब हो गया।
	(ख) अटपड़ा	—	2-2-82	1000	50,000	"	दिनांक 24-2-1982 को खराब हो गया।
	(ग) अटपड़ा	—	26-2-82	1600	80,000	"	चालू है।
3.	बर	1978	1978	500	1,50,000	"	चालू है।

4.	(क) सैंदडा (इंडियन ऑयल कार्पो. के लिये)	सितम्बर 1980	अक्टूबर, 80	500	1,50,000	ट्रांसफार्मर लगाया जा चुका है	चालू है।
	(ख) सैंदडा (जलदाय विभाग के लिए)	जनवरी 1983	जनवरी, 83	500	1,40,000	,,	चालू है।
5.	सरदार समन्द	1977	1-6-79	500	1,50,000	,,	उक्त ट्रांसफार्मर दिनांक 6-6-79 को खराब हो गया। विद्युत भार 70 हॉ. पा. से आगे नहीं बढ़ने के कारण ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। वर्तमान में सरदार समंद को 11 के. वी. ए. पर विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है।
6.	सोजत रोड़	31-3-81	31-3-81	500	2,93,000	,,	उपरोक्त सब स्टेशन पर 1600 के. वी. ए. का ट्रांसफार्मर लगाना था। 1600 के. वी. ए. के ट्रांसफार्मर वर्ष 1981-82 एवं 82-83 में उपलब्ध न होने के कारण नहीं लगाये जा सके। उपरोक्त सब स्टेशन पर अधिक लोड होने के कारण इस के. वी. ए. के ट्रांसफार्मर को काम में नहीं लिया जा सका। इस सब स्टेशन से जिस 11 के. वी. ए. फीडर को फीड करना था वह यथावत पुराने सब स्टेशन से चालू है।

(27)

परिशिष्ट—13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 918 की सूची)

List of vehicles available in Bikaner Depot workshop

S. No.	Vehicle	S. No.	Vehicle
1.	RRG 7102	36.	RSG 2150
2.	RSB 8827	37.	RRG 6032
3.	RRM 3919	38.	RRG 9398
4.	RSG 3114	39.	RSB 1160
5.	RRG 3959	40.	RRG 6030
6.	RRM 7499	41.	RSB 536
7.	RSM 9886	42.	RNB 4729
8.	RSG 2531	43.	RRG 7107
9.	RSG 3235	44.	RRG 7108
10.	RRM 9025	45.	RRG 7106
11.	RSB 607	46.	RSB 7696
12.	RSM 9229	47.	RRG 7453
13.	RRG 6033	48.	RSG 2115
14.	RRM 8711	49.	RRG 9396
15.	RRG 5044	50.	RSG 2419
16.	RRM 5581	51.	RSB 1711
17.	RRG 5905	52.	RRG 6031
18.	RRG 7478	53.	RRM 410
19.	RRM 6111	54.	RSG 3080
20.	RRM 258	55.	RRM 3890
21.	RSG 70	56.	RRM 7453
22.	RRG 6943	57.	RSG 1893
23.	RRM 7889	58.	RND 1288
24.	RRG 7067	59.	RND 1290
25.	RRG 5860	60.	RSG 3375
26.	RSB 7688	61.	RSG 2580
27.	RSB 608		
28.	RNB 4491		
29.	RRG 3975		
30.	RSB 1332		
31.	RRM 6110		
32.	RSG 2151		
33.	RSG 2103		
34.	RRM 3945		
35.	RRM 9769		

List of vehicles of road in Divisional workshop

S. No.	Vehicle
1.	RSB 536
2.	RSG 2103
3.	RRM 3945
4.	RRG 7102

272

परिशिष्ट—14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 927 की सूचियां)

दी उदयपुर सेंट्रल कोग्रोपरेटिव बैंक लि., उदयपुर (राज.)

परिशिष्ट—"अ"

सूचना बाबत कर्मचारी सहकारी समितियों जिनकी ओर बैंक का ऋण बकाया है।

क्र. सं.	नाम समिति	पंचायत समिति	ऋण देने की दिनांक राशि	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	उदयपुर विशेष जल अनुसंधान जल वितरण कर्मचारी स. स.	गिर्वा	12800.00	4-7-74
2.	सहायक रजिस्ट्रार, कर्म. स. स.	,,	26500.00	12-9-74
3.	उदयपुर कृषि विभाग कर्मचारी स. स.	,,	16400.00	13-9-74
4.	राजस्थान विद्युत मण्डल कर्म. स. स.	,,	55408.00	22-10-74
5.	उदयपुर कृषि विभाग कर्म. स. स.	,,	29400.00	3-7-74
6.	जन स्वास्थ्य अभियन्ता कर्म. स. स.	,,	24264.00	7-2-75
7.	आर. एन. टी. मेडिकल कालेज कर्म. स. स.	,,	24080.00	20-5-75
8.	शिक्षा उप निदेशक कर्म. स. स.	,,	34760.00	20-8-75
9.	राज. प्रा. वि. कर्मचारी स. स.	,,	28500.00	3-6-77
10.	उदयपुर कार्यालय स्पेशल ऑडिटर कर्म. स.	,,	16000.00	4-8-77
11.	सविनाखेडा रा. मा. वि. कर्म. स. स.	,,	23500.00	5-4-72
12.	उप निदेशक कृषि विभाग कर्म. स. स.	,,	13540.00	10-4-74
13.	फतेह सेकण्डरी स्कूल कर्म. स. स.	,,	45000.00	16-10-71

(273)

1	2		3	4
14.	विद्यापीठ कार्यालय कर्म. स. स.	गिर्वा	13300.00	31-8-71
15.	उदयपुर उप क्षेत्रीय कर्मचारी स. स.	,,	11200.00	15-12-72
16.	रा. मा. वि. धानमण्डी कर्म. स. स.	,,	34500.00	8-9-73
17.	कंवरपदा हायर सै. स्कूल कर्म. स. स.	,,	49700.00	14-9-73
18.	माणिक्यलाल ट्राईबल रा. आई. कर्म. स. स.	,,	24400.00	3-6-77
19.	विद्यालय निरीक्षक कर्मचारी स. स.	,,	45500.00	2-2-79
20.	टी. बी. क्लिनिक कर्म. स. स.	,,	15600.00	24-3-79
21.	पंचायत समिति-बडगांव कर्म. स. स.	,,	1440.00	16-1-61
22.	पंचायत समिति राज्य कर्म. स.स.	भीम	10120.00	9-6-68
23.	पंचायत समिति राज्य कर्म. स. स.	भीम	19468.00	23-10-74
24.	नाथद्वारा कर्म. स. स.	खमनोर	31680.00	15-4-61
25.	सघन क्षेत्र कर्मचारी स. स., कांकरोली	राजसमन्द		
26.	रेलमगरा पंचायत समिति कर्म. स. स.	रेलमगरा	30000.00	15-4-75
	अवसायनाधीन समितियां:—			
27.	बीत बचत न्यायालय कर्म. स. स. उदयपुर	गिर्वा	4470.00	19-9-63
28.	एन. सी. सी. कर्मचारी स. स.	,,	8100.00	8-7-74
	उदयपुर	,,	8980.00	3-12-78
29.	उदयपुर सहकारी विभाग कर्म. स. स.	,,	12480.00	13-10-71

हस्ता.

प्रबन्ध संचालक

दी उदयपुर सेंट्रल कोग्रापरेटिव बैंक लि., उदयपुर (राज.)

परिशिष्ठ –"व"

सूचना बाबत कर्मचारी सहकारी समितियां जिनकी ओर बैंक का ऋण बकाया है—.

क्रम संख्या	नाम समिति	पंचायत समिति	अवधिपार ऋण बकाया दिनांक 31-12-82 राशि	दिनांक अवधिपार
1	2	3	4	5
1.	उदयपुर विशेष जल अनुसंधान जल वितरण कर्मचारी स. स. लि.	गिर्वा	7919.33	33-3-76
2.	सहायक रजिस्ट्रार कर्मचारी स. स.	,,	12501.87	11-5-76
3.	उदयपुर कृषि विभाग कर्म. स. स.	,,	5695.06	12-5-76
4.	राजस्थान विद्युत मंडल कर्म. स. स.	,,	24005.58	21-6-76
5.	उदयपुर कृषि विभाग कर्म. स. स.	,,	2722.23	2-3-76
6.	जन स्वास्थ्य अभियन्ता कर्म. स. स.	,,	21973.59	6-10-76
7.	आर.एन.टी. मेडिकल कालेज कर्म. स. स.	,,	13361.00	19-1-77
8.	शिक्षा उप निदेशक कर्मचारी स. स.	,,	2858.29	19-4-77
9.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय कर्म. स. स.	,,	2741.34	2-7-79
10.	उदयपुर कार्यालय स्पेशल ऑडिटर कर्मचारी स. स.	,,	4843.80	3-4-79
11.	सवनी खेड़ा राज. मा. वि. कर्म. स. स.	,,	3250.74	4-12-73
12.	उप निदेशक कृषि विभाग कर्म. स. स.	,,	1463.66	9-12-75
13.	फतह सेकण्डरी स्कूल कर्म. स. स.	,,	10824.17	15-6-73
14.	विद्यापीठ कार्यालय कर्मचारी स. स.	,,	6868.91	30-4-74
15.	उदयपुर उप क्षेत्रीय नियोजन कर्म.स.स.	,,	1650.42	14-8-74
16.	रा. मा. वि. धानमण्डी कर्म. स. स.	,,	10135.00	12-5-71
17.	कवरपदा हा. सै. स्कूल कर्मचारी स. स.	,,	17628.16	13-5-75

(275)

1	2	3	4	5
18.	माणकलाल वर्मा ट्राईबल राज. आई. कर्मचारी स. स.	गिर्वा	6241.15	2-2-79
19.	विद्यालय निरीक्षक कर्मचारी स. स.	,,	6734.41	9-10-80
20.	टी. बी. क्लीनिक कर्मचारी स. स.	,,	7303.36	24-11-80
21.	पंचायत समिति बडगांव कर्म. स. स.	,,	1440.00	15-1-62
22.	पंचायत समिति-गिर्वा कर्म. स. स.	,,	6731.62	8-6-79
23.	पंचायत समिति राज कर्मचारी स. स. स. भीम	,,	1518.03	22-6-76
24.	नाथद्वारा कर्मचारी स. स.	खमनोर	1497.01	14-4-62
25.	सघन क्षेत्र कर्मचारी स. स. कांकरोली	राजसमन्द	2243.75	15-4-76
26.	रेलमगरा पंचायत स. कर्म. स. स.	रेलमगरा	20675.70	15-4-76
			2,04,477.78	
	अवसायनाधीन समितियाः--			
27.	वित्त बचत न्यायालय कर्म. स. स. उदयपुर	गिर्वा	780.00	18-5-65 दिनांक 5-11-80 को रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया।
28.	एन. सी. सी. कर्म. स. स. उदयपुर	,,	4304.84	7-3-76
	एन. सी. सी. कर्मचारी स. स. उदयपुर	,,	1378.03	2-8-75
29.	उदयपुर सहकारी विभाग कर्मचारी स. स.	,,	3313.24	12-6-73
			9,776.11	
			2,14,253.89	

हस्ता.
प्रबन्ध संचालक

Page No 277

सूची बावत कर्मचारी सहकारी समितियां जिनकी ओर उदयपुर सेंट्रल को ओपरेटिव बैंक लि. का ऋण अवधिपार बकाया है, की वसूली की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है:—

		अवधिपार बकाया	
		राशि	दिनांक
1.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय कर्मचारी सहकारी समिति लि.	2741.34	2-7-79
2.	माणकलाल वर्मा ट्राईबल राज. आई. कर्मचारी सहकारी समिति लि.	6241.15	2-7-79
3.	विद्यालय निरीक्षक कर्मचारी सहकारी समिति लि.	6734.41	9-10-80
4.	टी. बी. क्लिनिक कर्मचारी स. स.	7303.36	24-11-80
5.	पंचायत समिति राज. कर्मचारी स. स.	1518.03	22-6-78
6.	नाथद्वारा कर्मचारी स. स. खेमनोर	1497.01	14-4-62
7.	सघन क्षेत्र कर्मचारी स. स. कांकरोली	2243.75	15-4-76
8.	रेलमगरा पंचायत समिति कर्मचारी सहकारी समिति	20675.70	15-4-78

परिशिष्ट—15

(अतारांकित प्रश्न सं. 928 की सूची)

पंचायत समितिवार वर्तमान में चालू राहत कार्य एवं श्रमिक संख्या जिला—बांसवाड़ा

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	सार्वजनिक निर्माण विभाग		सिंचाई विभाग		भू-संरक्षण विभाग		योग	
		कार्य	श्रमिक	कार्य	श्रमिक	कार्य	श्रमिक	कार्य	श्रमिक
1.	बांसवाड़ा मु. तलवाडा	12	1879	4	157	7	670	23	2706
2.	गढ़ी	17	2879	4	280	—	—	21	3159
3.	घाटोल	4	650	6	230	6	1500	16	2380
4.	पीपलखूंट	2	392	7	175	10	1277	19	1844
5.	बागीरा	2	292	4	255	3	500	9	1137
6.	आनन्दपुरी	6	798	8	867	1	190	15	1855
7.	सज्जनगढ़	3	295	7	805	2	297	12	1397
8.	कुशलगढ़	6	437	8	635	3	291	17	1363
	योग	52	7622	48	3404	32	4815	132	15841

278

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 930 की सूचना)

सांगानेर क्षेत्र

क्रमांक	नाम ग्राम पंचायत	नाम सहकारी समिति	चालू अथवा बन्द	चुनाव तिथि	नाम प्रबन्धकारिणी
1	2	3	4	5	6
1.	दैहमी कलां	1—दहमीकलां ग्राम सेवा स. स.	चालू	20-11-81	श्री किशोर सिंह-अध्यक्ष श्री राधेश्याम-उपाध्यक्ष श्री मीवाराम वागडा उपाध्यक्ष
2.		2—दहमीकलां दूध उत्पादक स. स.	चालू	14-5-76	श्री हनुमान सहाय अध्यक्ष श्री हनुमान गूजर उपाध्यक्ष श्री भंवरलाल शर्मा मंत्री
3.	भांकरोटा	1—भांकरोटा ग्राम सेवा स. स.	चालू	3-12-81	श्री सीताराम शर्मा अध्यक्ष श्री रामगोपाल उपाध्यक्ष श्री हुकमचन्द शर्मा उपाध्यक्ष
4.		2—भांकरोटा दूध उत्पादक स. स.	चालू	15-8-79	श्री वैरीसाल मीना अध्यक्ष श्री चौथमल उपाध्यक्ष श्री देवाराम मंत्री

1	2	3	4	5	6
5.	मुहाना	1—मुहाना ग्राम सेवा स. स. लि.	चालू	20-12-81	श्री म्होरीलाल अध्यक्ष श्री सोहनलाल उपाध्यक्ष श्री मनोहरलाल उपाध्यक्ष
6.	जयसिंहपुरा	1—मदाउ ग्राम सेवा स. स. लि.	चालू	2-7-82	प्रशासक
7.	कलवाड़ा	1—कलवाड़ा ग्राम सेवा स. स. लि.	चालू	30-11-81	श्री श्योनाथ अध्यक्ष श्री हनुमान उपाध्यक्ष श्री भोलू राम उपाध्यक्ष
8.	ग्रजयपुरा	1—ग्रजयपुरा ग्राम सेवा स. स.	चालू	8-9-73	श्री पांचूराम बागडा अध्यक्ष श्री हनुमान सहाय चौधरी उपा. श्री रामेश्वरलाल कोषाध्यक्ष
9.	कपूरावाला	1—कपूरावाला ग्राम सेवा स. स.	चालू	20-11-81	श्री जगदीशनारायण अध्यक्ष श्री परमानन्द उपाध्यक्ष श्री प्रभूनारायण उपाध्यक्ष
10.	श्योपुर	1—श्योपुर ग्राम सेवा स. स.	चालू	6-8-74	श्री कल्याण सहाय अध्यक्ष) कोर्ट से नये श्री नयनारायण मंत्री) चुनाव पर श्री गोरधनलाल कोषाध्यक्ष) स्थगन
11.	श्री राम की नांगल	1—सीतारामपुरी ग्राम सेवा स. स.	चालू	27-11-81	श्री महादेव अध्यक्ष श्री छीतरलाल उपाध्यक्ष श्री गिरधारी उपाध्यक्ष
12.	वाटिका	1—वाटिका ग्राम सेवा स. स.	चालू		श्री देवी सिंह अध्यक्ष) कोर्ट से नये व्यवस्थापक, मंत्री) चुनाव पर श्री रामावतार कोषाध्यक्ष) स्थगन

280

13.	मोहनपुरा	1—भाटावाला दूध उत्पादक स. स.	चालू	24-3-77	श्री रामगोपाल अध्यक्ष श्री हरिनारायण उपाध्यक्ष श्री कालूराम स. प्र. का.	
14.	बीलवां	1—बीलवां ग्राम सेवा स. स.	चालू		श्री हरीनारायण अध्यक्ष व्यवस्थापक/मंत्री श्री रामनारायण कोषाध्यक्ष	) कोर्ट से नये) चुनाव पर) स्थगन
15.		2—बीलवां दूध उत्पादक स. स.	चालू	24-3-77	श्री पुरुषोत्तमदास अध्यक्ष श्री हरीनारायण उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण स. प्र. का.	
16.	लूनिया वास	लूनियावास ग्राम सेवा स. स.	चालू	15-11-81	श्री कानसिंह अध्यक्ष श्री गंगाराम उपाध्यक्ष श्री नानकराम उपाध्यक्ष	
17.	महापुरा	1—महापुरा ग्राम सेवा स. स. लि.	चालू	11-2-82	श्री गोपीराम उपाध्यक्ष श्री बुद्धिप्रकाश उपाध्यक्ष श्री भागीरथ उपाध्यक्ष	
18.	बगरू नगरपालिका क्षेत्र	1—बगरू ग्राम सेवा स. स.	चालू		कोर्ट से नये चुनाव पर स्थगन	
19.	सांगानेर नगरपालिका क्षेत्र	1—सांगानेर ग्राम सेवा स. स.	चालू	24-3-73	श्री भंवरलाल गुप्ता अध्यक्ष श्री लालचन्द उपाध्यक्ष श्री कल्याणसहाय कोषाध्यक्ष	कोर्ट से नये चुनाव पर स्थगन
20.		2—सांगानेर सेंट्रल को. मार्के. यूनियन	चालू		प्रशासक	

1	2	3	4	5	6
21.		3—हैंडमेड पेपर मैकर्स को. सो.	चालू	8-1-82	श्री अमीर हुसैन अध्यक्ष श्री रफीक मोहम्मद मंत्री श्री अब्दुल गफार कोषाध्यक्ष
22.	दहमी कलां	1—दहमी कलां दु. उ. स. स.	चालू	18-3-81	श्री हनुमान गुर्जर अध्यक्ष श्री हनुमान–बोरा उपाध्यक्ष
23.	भांकरोटा	1—भांकरोटा दु. उ. स. स.	चालू	18-3-81	श्री चौथमल जाट–अध्यक्ष श्री प्रभुदयाल शर्मा–उपाध्यक्ष
24.		2—रामचन्द्रपुरा ऊंटी दु. उ. स. स.	चालू	5-7-80	श्री सूरजकरण–अध्यक्ष श्री रामू–उपाध्यक्ष
25.		1—नेवरा दु. उ. स. स.	चालू	18-3-81	श्री भंवर लाल–अध्यक्ष श्री मांगीलाल –उपाध्यक्ष
26.	अवानिया	1—कोदर सामुहिक कृ. स. स.	बन्द	14-10-60	श्री नाथूराम–अध्यक्ष श्री नाथूलाल बैरवा–मंत्री श्री लादूराम मूलानिया-कोषाध्यक्ष
27.	रामपुराऊंटी	1—ऊंचामगरा गृह निर्माण स. स.	बन्द		
28.		2—नरवारिया प्राथ. शाला बाल सं. स.	बन्द	26-3-62	श्री बाबूलाल शर्मा–अध्यक्ष श्री हरिनारायण शर्मा–मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा–कोषाध्यक्ष

29.	भांकरोटा	1—भांकरोटा प्राथ. शाला	बन्द	12-3-62	श्री शिवप्रसाद पारीक-अध्यक्ष श्री दामोदर प्रसाद गुप्ता-मंत्री श्री शिवशंकर—कोषाध्यक्ष
30.		2—भांकरोटा ग्रामोद्योग उत्पा. स. स.	बन्द	30-4-57	श्री शिवशंकर —अध्यक्ष श्री राधेश्याम—मंत्री श्री दामोदरप्रसाद—कोषाध्यक्ष
31.	कल्याणपुरा	1—सुखिया संयुक्त कृ. स. स.	बन्द	6-7-67	श्री सेवाराम —अध्यक्ष श्री विशम्भरदयाल—कोषा. श्री रामनिवास—मंत्री
32.		2—सुखिया प्राथ. शाला बाल स. स.	बन्द		
33.	मुहाना	1—कामधेनु दुग्ध उत्पा. स. स.	बन्द	9-6-74	श्री बोदूराम—अध्यक्ष श्री लादूराम पुरोहित—उपा. श्री रामचन्द्र—मंत्री
34.		2—मुहाना ईंट भट्टा उ. स. स.	बन्द	5-2-78	श्री प्रहलाद—अध्यक्ष श्री बाबू—मंत्री श्री प्यारिया—कोषाध्यक्ष
35.	श्योपुर	1—श्योपुर रेगर उत्पा. स. छ.	बन्द		अवसायनाधीन
36.		2—श्योपुर कृषि स. स.	बन्द		
37.	श्रीराम की नांगल	1—सीतारामपुरा चर्म उत्पा. स. स.	बन्द	18-6-63	श्री पारसराम—अध्यक्ष श्री बाबू—मंत्री श्री गुल्लाराम—कोषाध्यक्ष

283

1	2	3	4	5	6
38.	दादिया	1—दादिया प्राथ. शाला वाल स. स.	बन्द	15-3-62	श्री शैतानसिंह—अध्यक्ष श्री सीताराम—मंत्री श्री हीरालाल—कोषाध्यक्ष
39.	मोहनपुरा	1—मोहनपुरा प्राथ. शाला वाल स. स.	बन्द	28-3-62	श्री गुलाबचन्द—अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद—मंत्री श्री कल्याण सहाय—कोषाध्यक्ष
40.	बीलवा	1—मथुरावाला दुग्ध उत्पा. स. स.	बन्द		
41.		2—मनोहरपुरा रेगर उत्पा. स. स.	बन्द	7-3-66	श्री घीसाराम—अध्यक्ष श्री नाथूराम—मंत्री श्री डालूराम—कोषाध्यक्ष
42.	विधानी	1—विधानी दुग्ध उत्पा. स. स.	बन्द	27-7-77	श्री [illegible] सहाय—अध्यक्ष श्री सूजीलाल—उपाध्यक्ष श्री रामस्वरूप—स. प्र. का.
43.	गोनेर	1—गोनेर दुग्ध उत्पा. स. स.	बन्द	25-3-77	श्री गोविन्द नारायण—उपा. श्री बद्रीनारायण—अध्यक्ष
44.		2—गोनेर रेगर उत्पा. स. स.	बन्द	6-12-58	श्री बोधाराम—अध्यक्ष श्री भगवतराम—मंत्री श्री लादूराम—कोषाध्यक्ष

45.	यूनियावास	1—बन्ध्या संयुक्त कृ. स. स.	बन्द	30-3-62	श्री शंकरदास—अध्यक्ष श्री जीवनसिंह—मंत्री श्री उम्मेदसिंह—कोषाध्यक्ष
46.		2—पालड़ी मीना ईंट भट्टा उत्पा. स. स.	बन्द	16-3-62	श्री नाथूराम—अध्यक्ष श्री कजोड़मल—मंत्री श्री रामसहाय—कोषाध्यक्ष
47.		3—रूपाहेड़ा श्रमिक सेवा स. स.	बन्द	22-9-71	श्री गोविन्दराम—अध्यक्ष श्री ओंकार—मंत्री श्री लल्लूलाल—कोषाध्यक्ष
48.	दांतली	1—दांतली कोला स. स.	बन्द	9-11-59	श्री मंगलाराम—अध्यक्ष श्री रामदेव—मंत्री श्री चुनाराम—कोषाध्यक्ष
49.	जगतपुरा	1—प्रगतिशील सामु. कृ. स. स.	बन्द	24-4-66	श्री रामचन्द्र चौधरी—अध्यक्ष श्री चिन्तामणी परिहार—मंत्री श्री झाबरमल चौधरी—कोषा.
50.	महापुरा	1—जयकिसान श्रमिक ठेका स. स.	बन्द	27-3-72	श्री घनश्याम यादव—अध्यक्ष श्री रामशरण शास्त्री—मंत्री श्री मांगीलाल कोषा.
51.		2—रामचन्द्रपुरा दुग्ध उत्पा. स. स.	बन्द	31-5-76	श्री लल्लूराम—अध्यक्ष श्री रामनारायण—उपाध्यक्ष श्री हरसहाय—स. प्र.का.

1	2	3	4	5	6
52.		3—लान्या का वास प्राथ. शाला बाल स. स.	बन्द		
53.	बगरू नगरपालिका क्षेत्र	1—बगरू चर्म उत्पा. स. स.	बन्द	3-2-62	श्री नारायण—अध्यक्ष श्री त्रिलोकचन्द—मंत्री श्री सुखदेव—कोषाध्यक्ष
54.		2—बगरू कलां खटीक कृषि स. स.	बन्द	24-6-59	श्री भोमा खटीक—अध्यक्ष श्री खुशाला—मंत्री श्री नन्दाराम—कोषाध्यक्ष
55.		3—बगरू छपाई उद्योग स. स.	बन्द	25-10-77	श्री प्रभातीलाल—अध्यक्ष श्री सत्यनारायण—मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण—कोषा.
56.	सांगानेर नगरपालिका क्षेत्र	1—सांगानेर चिरा डल्यू. उत्पा. स. स.	बन्द	5-7-63	श्री बुन्दु—अध्यक्ष श्री मोहम्मद हुसैन—मंत्री श्री अब्दुल लतीफ—कोषाध्यक्ष
57.		2—सांगानेर केलिको प्रिन्टर्स क्षे. स.	बन्द	27-6-66	श्री प्रहलादराय—अध्यक्ष श्री रामस्वरूप साध—मंत्री श्री रामगोपाल—कोषाध्यक्ष
58.		3—सांगानेर राज्य कर्मचारी स. स.	बन्द		श्री नन्दगोपाल—अध्यक्ष श्री आत्माराम—मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण—कोषा.

59.	सांगानेर नगरपालिका क्षेत्र	4–शिक्षा विभाग राज्य कर्मचारी स. स.	बन्द		श्री मदनसिंह राठौर–अध्यक्ष श्री रहमतउल्ला खां–मंत्री श्री तीर्थनारायण–कोषाध्यक्ष
60.		5–सांगानेर डिफ्यूजीज मोटर ट्रांस. स. स.	बन्द		श्री तेजूमल–अध्यक्ष श्री ढालूमल–मंत्री श्री डोडीमल–कोषाध्यक्ष
61.		6–सांगानेर कुक्कुट उत्पा. स. स.	बन्द	26-11-56	श्री भूराराम–अध्यक्ष श्री जमनालाल–मंत्री श्री कस्तूरचन्द–कोषाध्यक्ष
62.		7–सांगानेर आयरन चेयर उत्पा. स. स.	बन्द		श्री जगदीश नारायण–अध्यक्ष श्री राधेश्याम–मंत्री श्री सीताराम–कोषाध्यक्ष
63.		8–तरुण सहकारी उद्योग	बन्द	14-8-71	श्री सूरजमल–अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश–मंत्री श्री गुरुध्यान प्रसाद–कोषाध्यक्ष
64.		9–सांगानेर मोटर ट्रांसपोर्ट स. स.	बन्द		श्री जमनालाल, घनश्याम
65.		10–सांगानेर सिंधी पाठशाला बाल स. स.	बन्द	27-12-61	श्री रामजीवन–अध्यक्ष श्री विशम्भर लाल–मंत्री श्री रामनिवास शर्मा–कोषा.
66.		11–सांगानेर अन्नपूर्णा स. स.	बन्द	—	श्री मांगू, कल्याण

1	2	3	4	5	6
67.		12—आदर्श पशु पालन स. स.	बन्द	31-12-63	श्री घासीराम मीणा—अध्यक्ष श्री राधाकिशन—मंत्री श्री श्योबक्स—स. प्र. का.
68.		13—एक्सपोर्ट बाल सह. समिति	बन्द	23-3-62	श्री मूलचन्द—अध्यक्ष श्री राधेश्याम—मंत्री श्री सुरेश कुमार—कोषा.
69.		14—दुर्गापुरा कृषि फार्म स. स.	बन्द		श्री श्यामलाल, घासीराम
70.		15—गोपालपुरा कृषि यंत्र स. स.	बन्द	23-4-61	श्री बजरंगलाल—अध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण—मंत्री श्री मदनलाल—कोषाध्यक्ष
71.		16—दुर्गापुरा मजदूर बीड़ी उत्पा. स. स.	बन्द		श्री रामस्वरूप, अब्दुल रजाक
72.		17—दुर्गापुरा हाथ कर्घा वस्त्र उत्पा. स. स.	बन्द		श्री जयदेव—अध्यक्ष श्री श्री नारायण—मंत्री श्री प्रभुदत्त—कोषाध्यक्ष
	भनोरिया	—	—	—	—
	ठिकरिया	—	—	—	—
	मांग्यावास	—	—	—	—
	पंवालिया	—	—	—	—
	लाखना	—	—	—	—
	शिकारपुरा	—	—	—	—

चाकसू सत्र

अतारांकित प्रश्न सं. 1580-द्वारा श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, राजस्थान विधान सभा

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	नाम सहकारी समिति	चालू अथवा बन्द	चुनाव तिथि	प्रबन्धकारिणी
1	2	3	4	5	6
1.	कुम्हारियावास	बरजठरली ग्राम सेवा सह. समिति	चालू	24-11-81	श्री रामनारायण चौधरी-अध्यक्ष, श्री जयनारायण-उपाध्यक्ष (उपभोक्ता) श्री नानूराम-उपाध्यक्ष (मार्केटिंग)
2.	चंदलाई	चन्दलाई ग्राम से. स. समिति	चालू	30-11-81	श्री इसमाइल खां-अध्यक्ष श्री हनुमान सहाय-उपाध्यक्ष (क्रय विक्रय) श्री श्यामलाल-उपाध्यक्ष (उपभोक्ता)
3.	शिवदासपुरा	शिवदासपुरा ग्रा. सेवा. सह. समिति	चालू	20-11-81	श्री राधेश्याम-अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद शर्मा-उपाध्यक्ष श्री मूलचन्द-उपाध्यक्ष (उपभोक्ता)
4.	शिवदासपुरा	यारलीपुरा ग्रा. सेवा सह. समिति	चालू	19-11-81	श्री हरिनारायण विजय-अध्यक्ष श्री नन्दलाल उपाध्यक्ष (क्रय विक्रय) श्री भोमाराम-उपाध्यक्ष (उपभोक्ता)

1	2	3	4	5	6
5.	तीतरिया	तीतरिया ग्राम सेवा सह. समिति	चालू	5-12-81	श्री नारायण सिंह–अध्यक्ष श्री जगदीशनारायण–उपाध्यक्ष (उपभोक्ता) श्री स्योजी नारायण उपाध्यक्ष (क्रय विक्रय)
6.	फादेड़ा	फादेड़ा ग्राम सेवा सह. समिति	चालू	24-11-81	श्री रेवलसिंह–अध्यक्ष श्री पदमचन्द्र जैन–उपाध्यक्ष (क्रय विक्रय) श्री रामस्वरूप–उपाध्यक्ष (उपभोक्ता)
7.	तामड़िया	तामड़िया ग्राम सेवा सह. समिति	चालू	26-11-81	श्री बंसीलाल–अध्यक्ष श्री रामप्रताप –उपाध्यक्ष (क्रय विक्रय) श्री नाथूलाल–उपाध्यक्ष (उपभोक्ता)
8.	थली	थली ग्राम सेवा सह. समिति	चालू	19-11-81	श्री गोपाल लाल –अध्यक्ष श्री जगदीश नारायण गूजर–उपाध्यक्ष क्रय-विक्रय) श्री मांगीलाल बैरवा उपाध्यक्ष (उपभोक्ता) श्री मांगीलाल बैरवा–उपाध्यक्ष (उपभोक्ता)
9.	कोथून	कोथून ग्राम सेवा सह. समिति	चालू	24-12-81	श्री जगदीश नारायण–अध्यक्ष श्री मदनमोहन–उपाध्यक्ष (क्रय विक्रय) श्री गौरू पुत्र रघुनाथ-उपाध्यक्ष (उपभोक्ता)
10.		माधोसिंह पुरा ग्राम सेवा सह. समिति	चालू	25-1-82	कानाराम गूर्जर–अध्यक्ष श्री हजारीराम–उपाध्यक्ष (क्रय विक्रय) श्री घासी खां–उपाध्यक्ष (उपभोक्ता)

11.	मण्डालिया	मण्डालिया ग्राम सेवा सह. स.	चालू	2-2-82	श्री रामनाथ गूर्जर–अध्यक्ष श्री भैरूलाल गुप्ता–उपाध्यक्ष (उपभोक्ता) श्री हरीनारायण–उपाध्यक्ष (मार्केटिंग)
12.	शकरखावदा	शंकरखावदा ग्राम सेवा सह. स.	चालू	6-2-82	श्री हरलाल गूर्जर–अध्यक्ष श्री रामस्वरूप–उपाध्यक्ष (मार्केटिंग) श्री केसरलाल बैरवा–उपा. (उपभोक्ता)
13.	छादेल	छादेल ग्राम सेवा सह. समिति	चालू	5-2-82	श्री मन्नालाल मीणा–अध्यक्ष श्री रामपाल–उपा. (क्रय विक्रय) श्री कालूराम–उपा. (उपभोक्ता)
14.	निमोरिया	निमोरिया ग्राम सेवा सह. स.	चालू	11-2-82	श्री सीताराम–अध्यक्ष श्री हरीनारायण–उपा. (क्रय विक्रय) श्री कानाराम–उपा. (उपभोक्ता)
15.	गरुड़वासी	गरुड़वासी ग्राम सेवा सह. समिति	चालू	20-12-81	श्री सज्जनसिंह–अध्यक्ष श्री पन्नालाल–उपा. (क्रय विक्रय) श्री भूपेश जाट–उपा. (उपभोक्ता)
16.	कोटखावदा	कोटखावदा ग्राम सेवा सह. समिति	चालू	10-2-82	श्री राधाकिशन–अध्यक्ष श्री किशनलाल–उपा. (क्रय विक्रय) श्री रामनिवास–उपा. (उपभोक्ता)
17.	कोटखावदा	डोवला ग्राम सेवा सह. समिति	चालू	6-12-81	श्री रामचन्द्र–अध्यक्ष श्री गोकुल–उपा. (क्रय विक्रय) श्री ग्यारसा बैरवा–उपा. (उपभोक्ता)

1	2	3	4	5	6
18.		राणोली ग्राम सेवा सह. समिति	चालू	30-11-81	श्री राधेश्याम शर्मा—अध्यक्ष श्री गुलाबचन्द मीणा—उपा. (क्रय विक्रय) श्री भैरूराम—उपा. (उपभोक्ता)
19.		दहलाला ग्राम सेवा सह. समिति	चालू	23-12-81	श्री रामफूल गूर्जर—अध्यक्ष श्री रामफूल मीणा—उपा. (क्रय विक्रय) श्री गोपाल मीणा—उपा. (उपभोक्ता)
20.	रूपाहेड़ी	रूपाहेड़ी ग्राम सेवा सह. समिति	चालू	23-1-82	श्री रामफूल गूर्जर—अध्यक्ष श्री ललित प्रसाद—उपा. (क्रय विक्रय) श्री भौरीलाल—उपा. (उपभोक्ता)
21.	चाकसू	चाकसू ग्राम सेवा सह. समिति	चालू	27-1-82	श्री नाथूलाल पारीक—अध्यक्ष श्री अनूपचन्द जैन—उपा. (क्रय विक्रय) श्री मनोहर लाल—उपा. (उपभोक्ता)
22.	बाड़ापदमपुरा	बाडापदमपुरा ग्राम सेवा सह. समिति	चालू	24-11-81	श्री रामकरण चौधरी—अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल—उपा. (क्रय विक्रय) श्री बद्रीनारायण—उपा. (उपभोक्ता)
23.	टूटोडी	टूटोडी उर्फ सूरतपुरा ग्राम सेवा सह. समिति	चालू	29-10-83	श्री जगदीशनारायण—अध्यक्ष श्री रामकरण जाट—उपा. (क्रय विक्रय) श्री राधेश्याम—उपा. (उपभोक्ता)

Page No 293

24.	तूमलीका वास	तूमलीका वास ग्राम सेवा सह. समिति	चालू	5-12-81	श्री बद्री नारायण—अध्यक्ष श्री गोविन्द नारायण—उपा. (क्रय विक्रय) श्री हरीनारायण—उपा. (उपभोक्ता)
25.	चाकसू	चाकसू हाथकरघा वस्त्र उत्पा. स. स.	चालू	27-1-81	श्री हनुमान यादव—अध्यक्ष श्री अलिशेख खां—मंत्री श्री इब्राहिम खां—कोषाध्यक्ष
26.	चाकसू	जगदम्मा श्रमिक ठेका सह. स.	चालू	22-8-80	श्री मोतीलाल—अध्यक्ष श्री नाथूलाल—मंत्री श्री कन्हैयालाल—कोषाध्यक्ष
27.	चाकसू	दहलाल मूंज बाण श्रमिक ठेका सह. स.	चालू	28-4-81	श्री हेमाराम—अध्यक्ष श्री देवीराम—मंत्री श्री जगदीश—कोषाध्यक्ष
28.	चाकसू	चाकसू भेड़ पालक सह. स. लि.	चालू	14-9-79	श्री वंशीलाल—अध्यक्ष श्री राधेश्याम—मंत्री श्री भगवान सहाय—उपाध्यक्ष
29.	चाकसू	चाकसू क्रय विक्रय सह. स. लि.	चालू	फरवरी, 76	प्रशासक
30.	चाकसू	कमला गृह निर्माण सह. समिति लि.	चालू	23-3-72	श्री नेनूराम—अध्यक्ष श्री राम सहाय—मंत्री श्री प्रभुलाल—कोषाध्यक्ष
31.	चन्दलाई	चन्दलाई चर्म उत्पा. सह. स. लि.	चालू	4-12-73	श्री रामनाथ—अध्यक्ष श्री गंगाराम—मंत्री श्री छाजूराम—कोषाध्यक्ष

1	2		4	5	6
32.	कोटखावदा	कोहल्या चर्म उत्पा. सह. स.	चालू	15-3-82	श्री मूलचन्द-अध्यक्ष श्री मूलाराम-मंत्री श्री जीवनराम-कोषाध्यक्ष
33.	चाकसू	चाकसू घाणी तेल उत्पा. स. स.	चालू	29-1-81	श्री शोभाराम-अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल-मंत्री श्री नारायण-कोषाध्यक्ष
34.	श्योदासपुरा	शिवदासपुरा गृह निर्माण सह. स.	चालू	15-3-72	श्री फूलचन्द-अध्यक्ष श्री मूलचन्द-उपाध्यक्ष
35.	कादेड़ा	दलपतपुरा गृह निर्माण सह. स.	चालू	15-7-73	श्री मांगीलाल-अध्यक्ष श्री भौंरीलाल-उपाध्यक्ष श्री गगावक्स-मंत्री श्री मूलचन्द-कोषाध्यक्ष
36.	काठावाला मानपुर	डूंबरी क्रय विक्रय सह. स. लि.	चालू	17-2-75	श्री भूराराम-अध्यक्ष श्री भौंरीलाल-मंत्री श्री रामप्रसाद-कोषाध्यक्ष श्री गोपाल-उपाध्यक्ष

294

37.	कोथून	महादेवपुरा वैखान गृह निर्माण सह. स. लि.	चालू	1-10-72	श्री नानकराम-अध्यक्ष श्री ओंकारलाल-उपाध्यक्ष श्री रामपाल-मंत्री श्री गंचू-कोषाध्यक्ष
38.	कोथून	बृजपुरा गृह निर्माण सह. स. लि.	चालू	19-1-75	श्री कल्याण-अध्यक्ष श्री मूलचन्द-मंत्री श्री कानाराम-उपाध्यक्ष
39.	चाकसू	माधोपुरा दुग्ध उत्पा. सह. स.	चालू	18-3-81	श्री माधोलाल-अध्यक्ष श्री नाथूलाल-उपाध्यक्ष
40.	चाकसू	शिवदासपुरा दुग्ध उत्पा. सह. स.	चालू	27-3-81	श्री गणपत लाल--अध्यक्ष श्री रामसहाय-उपाध्यक्ष
41.	चाकसू	चन्दलाई दुग्ध उत्पा. समिति	चालू	26-7-78	श्री किशोरसिंह-अध्यक्ष श्री मोहनसिंह-उपाध्यक्ष
42.	चाकसू	शीतला माता दुग्ध उत्पा. समिति	चालू	13-1-78	श्री नन्दकिशोर गुर्जर-अध्यक्ष श्री छीतर खां नागौरी-उपाध्यक्ष
43.	चाकसू	बाढ़ बागपुरा दुग्ध उत्पा. समिति	चालू	27-3-81	श्री भंवरलाल-अध्यक्ष श्री कालूराम शर्मा-उपाध्यक्ष
44.	चाकसू	थली दुग्ध उत्पा. समिति	चालू	27-3-81	श्री भैंजा राम-अध्यक्ष श्री भंवरराम-उपाध्यक्ष
45.	चाकसू	खेजड़ी दुग्ध उत्पा. समिति	चालू	27-3-81	श्री बंशीलाल-अध्यक्ष श्री कानाराम-उपाध्यक्ष

1	2	3	4	5	6
46.	कोटखावदा	नैनूपुरा सामूहिक कृषि	बन्द	24-12-61	श्री गंगाराम—अध्यक्ष श्री सुखदेव—मंत्री श्री ग्यारसा—कोषाध्यक्ष
47.	तामड़िया	कृपाराम कृषि सह. समिति	बन्द	24-1-65	श्री घासीराम—अध्यक्ष श्री रामसुख—मंत्री श्री छोटूराम—कोषाध्यक्ष
48.	बड़ा पदमपुरा	बल्लुपुरा सामुहिक कृषि	बन्द	24-3-71	श्री भौरीलाल—अध्यक्ष श्री गंगाराम—मंत्री श्री भौरीलाल—कोषाध्यक्ष
49.	बाड़ा मकसूदनपुरा	शिवडूंगरी श्रमिक ठेका	बन्द	3-7-79	श्री दुसैन खां—अध्यक्ष श्री घासी खां—मन्त्री श्री रामसहाय—कोषाध्यक्ष
50.	थली	थली कोली सहकारी समिति	बन्द	30-6-60	श्री श्रवण लाल—अध्यक्ष श्री आनन्दा—मंत्री श्री गंगाराम—कोषाध्यक्ष
51.	चाकसू	चाकसू वीवर्स सहकारी समिति लि.	बन्द	18-1-60	श्री सेडूराम—अध्यक्ष श्री गंगाराम—मंत्री श्री जयनारायण—कोषाध्यक्ष
52.	कोटखावदा	कोटखावदा ऊन उत्पादक स. स.	बन्द	24-7-60	श्री प्रभु लाल—अध्यक्ष श्री सेडूराम—मंत्री श्री लादूराम—कोषाध्यक्ष

53.	चाकसू	ऊन उत्पादक सह. समिति लि.	बन्द	26-1-63	श्री सुन्दरलाल—अध्यक्ष श्री राम रतन—मंत्री श्री हेमा—कोषाध्यक्ष
54.	चाकसू	चाकसू ईंट कली उत्पा. सह. स. लि.	बन्द	25-3-74	श्री मोहन लाल—अध्यक्ष श्री गोपाललाल—उपाध्यक्ष श्री केसर लाल—मंत्री
55.	चाकसू	चाकसू आदर्श खजूर पंखी उत्पा. स. स. लि.	बन्द	15-3-72	श्री राम चन्द्र—अध्यक्ष श्री हीरालाल—मंत्री श्री राम सहाय—कोषाध्यक्ष
56.	गरुड़वासी	गरुड़वासी गृह निर्माण सह. स. लि.	बन्द	31-4-76	श्री झूमा—अध्यक्ष श्री वानू—मंत्री श्री जहारी—कोषाध्यक्ष
57.	कोटखावदा	राड़ोली गृह निर्माण सह. स. लि.	बन्द	18-3-75	श्री देवी लाल—अध्यक्ष श्री शंकरलाल—उपाध्यक्ष श्री चन्दाराम—मंत्री
58.	कोटखावदा	कोटखावदा गृह निर्माण सह. स. लि.	बन्द	16-1-72	श्री लाल चन्द—अध्यक्ष श्री सुआलाल—उपाध्यक्ष श्री जगदीश नारायण—मंत्री श्री सीताराम—कोषाध्यक्ष

1	2	3	4	5	6
59.	तीतरिया	तीतरिया गृह निर्माण सह. स. लि.	बन्द	14-3-75	श्री लक्ष्मीनायायण—अध्यक्ष श्री छीतरमल—मंत्री श्री किशनलाल—कोषाध्यक्ष
60.	शिवदासपुरा	शिवदासपुरा चर्म उत्पा. सह. स. लि.	बन्द	25-2-72	श्री गणेश—अध्यक्ष श्री पांचू—मंत्री श्री पांचू पुत्र मोती—कोषाध्यक्ष
61.	कादेड़ा	कादेड़ा चर्म उत्पा. सह. स. लि.	बन्द	22-11-69	श्री मोहनलाल—अध्यक्ष श्री रामचन्द्र—मंत्री श्री प्रभूनारायण—कोषाध्यक्ष
62.	महादेवपुरा	महादेवपुरा चर्म उत्पा. सह. स. लि.	बन्द	3-6-69	श्री जगन्नाथ—अध्यक्ष श्री नाथू—मंत्री श्री घासी—कोषाध्यक्ष
63.	चाकसू	चाकसू चर्म उत्पा. सह. स. लि.	बन्द	11-3-71	श्री महादेव—अध्यक्ष श्री भगवान सहाय—मंत्री श्री नाथूराम—कोषाध्यक्ष
64.	चाकसू	लक्ष्मी चर्म उत्पा. सह. स. लि.	बन्द	25-4-79	श्री रामचन्द्र—अध्यक्ष श्री हीरालाल—मंत्री श्री चन्दाराम—कोषाध्यक्ष

65.	शिवदासपुरा	शिवदासपुरा तेल घाणी सह. स. लि.	बन्द	5-1-75	श्री भैंरीलाल—अध्यक्ष श्री भौंरीलाल—मंत्री श्री बद्रीनारायण—कोषाध्यक्ष
66.	चाकसू	चाकसू पं. स. कर्मचारी बचत व साख	बन्द	22-2-73	श्री मोतीलाल—अध्यक्ष श्री शिव कुमार मिश्र—मंत्री श्री नानगराम—कोषाध्यक्ष
67.	शिवदासपुरा	सालगरामपुरा कृषि	बन्द	10-10-72	श्री सूजीलाल—अध्यक्ष श्री कल्याण—मंत्री श्री नारायण—कोषाध्यक्ष
68.	कादेड़ा	कादेड़ा कृषि सहकारी समिति	बन्द	20-9-75	श्री गजानन्द दर्जी—अध्यक्ष श्री महाराम—मंत्री श्री मांगीलाल—कोषाध्यक्ष
69.	ताम्बड़िया	ताम्बड़िया कृषि सहकारी समिति लि.	बन्द	12-10-78	श्री दूलाराम—अध्यक्ष श्री श्योनारायण—मंत्री श्री लादूराम—कोषाध्यक्ष
70.	चाकसू	नैनवा की ढाणी कृषि	बन्द	26-2-66	श्री कालूराम—अध्यक्ष श्री कालूराम—मंत्री श्री कल्याण—कोषाध्यक्ष
	कोटखावदा	कोटखावदा कृषि सह. समिति	बन्द	20-3-64	श्री धन्ना—अध्यक्ष श्री कल्याण—मंत्री श्री खबीरा—कोषाध्यक्ष

298

1	2	3	4	5	6
72.	चाकसू	दलातपुरा कृषि सह. समिति (ए)	बन्द	22-3-75	श्री घासी–अध्यक्ष श्री गंगाबक्स–मंत्री श्री मूलचन्द–कोषाध्यक्ष
73.	चाकसू	दलातपुरा कृषि सह. समिति (बी)	बन्द	18-1-71	श्री मंगला–अध्यक्ष श्री मंगला पुत्र सुखा–मंत्री श्री घीसा–कोषाध्यक्ष
74.	चाकसू	शिवडूंगरी कृषि सामुहिक सह. स.	बन्द	14-8-71	श्री रामनारायण–अध्यक्ष श्री राम लाल–मंत्री श्री भौरी लाल–कोषाध्यक्ष
75.	चाकसू	रामपुरिया कृषि सह. समिति	बन्द	19-3-79	श्री राम कुमार–अध्यक्ष श्री दयानन्द–मंत्री श्री बद्रीनारायण–कोषाध्यक्ष
76.	चाकसू	किशनपुरा कृषि सह. समिति	बन्द	20-1-75	श्री कानाराम–अध्यक्ष श्री बद्रीलाल–मंत्री श्री जमनालाल–कोषाध्यक्ष
77.	चाकसू	लाखावा सामुहिक कृषि सह. स.	बन्द	11-9-60	श्री चन्दालाल–अध्यक्ष श्री कानाराम–मंत्री श्री मूला–कोषाध्यक्ष

78.	चाकसू	राधोपुरा संयुक्त कृषि सह. समिति	बन्द	19-9-59	श्री कल्याण—अध्यक्ष श्री शोभराम—मंत्री श्री मांग्या—कोषाध्यक्ष
79.	थली	बाढ़ बाघपुरा गृह निर्माण सह. स.	बन्द	18-3-75	श्री मूलचन्द—अध्यक्ष श्री प्रभूलाल—मंत्री श्री हरलाल—कोषाध्यक्ष
80.	तामड़िया	तामड़िया गृह निर्माण सह. स.	बन्द	1-4-75	श्री गोपीचन्द मीणा—अध्यक्ष श्री ओंकार मल—मंत्री श्री बद्रीनारायण—कोषाध्यक्ष
81.	तामड़िया	थादेड़ा दुग्ध उत्पा. सह. स.	बन्द	19-1-78	श्री जगदीश नारायण—अध्यक्ष श्री सांवतसिंह—उपाध्यक्ष
82.	तामड़िया	रूपावास दुग्ध उत्पा. सह. स.	बन्द	11-12-78	श्री नाथूलाल—अध्यक्ष श्री कल्याण सहाय—उपाध्यक्ष
83.	तामड़िया	रसूलपुरा दुग्ध उत्पा. सह. स.	बन्द	20-6-78	श्री शेरखां—अध्यक्ष श्री कल्याण—उपाध्यक्ष
84.	तामड़िया	छांन्देला दुग्ध उत्पा. सह. स.	बन्द	20-4-79	श्री मदनलाल तिवाड़ी—अध्यक्ष श्री भवरलाल—उपाध्यक्ष
85.	तामड़िया	दामोदर का बास दुग्ध उत्पा. सह. स.	बन्द	18-3-81	श्री जगदीश नारायण—अध्यक्ष श्री रामराय शर्मा—उपाध्यक्ष
86.	तामड़िया	भोज्यास दुग्ध उत्पा. सह. स.	बन्द	11-12-78	श्री शिव शंकर—अध्यक्ष श्री भौरीलाल—उपाध्यक्ष

(301)

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 931 की सूची)

संवतवार मुण्डवा पंचायत समिति में कराये गये राहत कार्यों का विवरण:--

क्र. सं.	नाम कार्य	वर्ष (संवत्) जिसमें कार्य स्वीकृत हुआ
1.	रोज कछेरा सड़क	2036, 2037
2.	जोरावरपुरा से सेखावास सिलगांव सड़क	2036, 2039
3.	नागौर मुण्डवा सड़क	2036
4.	भादना जडीसरा सड़क	2036
5.	नागौर मुण्डवा मेड़ता सड़क	2037
6.	काकोया भादना सड़क	2037
7.	भादना झादीसर सड़क	2037, 2038
8.	गवालू हिलोरी सैमी असवारी सड़क	2037, 2039
9.	मुण्डवा सांखवास सड़क	2037, 2038
10.	चूडियास चिमरानी सड़क	2037
11.	मूण्डवा मेडता सड़क	2038
12.	एप्रोच सड़क से थीरोड़	2038
13.	एप्रोच रोड से पलारी	2038
14.	मूण्डवा भाखरोद वाया बालोया बिन्या वालिया	2038
15.	खिवांसर आसोप वाया मानकपुरा सड़क	2038, 2039
16.	पांचला पाचोड़ी वाया आचीणा सड़क	2039
17.	नागौर सोयला (नागौर-जोधपुर) सड़क	2039

302

संवतवार नागौर पंचायत समिति में स्वीकृत राहत कार्यों का विवरण:—

क्र. सं.	नाम कार्य	वर्ष जिसमें कार्य स्वीकृत हुआ	
1	2	3	
1.	दाऊतरवास भोजास रोड	3036	2037
2.	करनाल वंम्मी बारागांव रोड	2026	2037
3.	नागौर चुंतीसरा गन्टीलासर उन्तवालियासर रोड	2036	2037
4.	गुडाप्रलाई रोड	2036	
5.	जाध्यासी चाऊ जरोड़ा रोड	2036	2037
6.	चिलोगीपासर रोड	2036	2037
7.	पंचोरी बीरलोका रोड	2036	
8.	पंसाला सिद्धा टंचोरी रोड	2036	
9.	पंचाला पंचोरी रोड	2027	
10.	जोरावरपुरा से सिलगांव रोड	2037	2038
11.	पंचोरी खाटोडा रोड	2037	
12.	गूंडा बसवाई रोड	2037	
13.	देह खरनाल वाया जालनियासर रोड	2037	
14.	संखवास सिरगांव रोड	2037	
15.	नागौर तांऊसर रोड	2037	
16.	वंसीकुमारी रोड	2087	
17.	मालपुरा से बेराथल रोड	2037	2038
18.	जोधपुर नागौर रोड का इम्प्रूवमेंट	2137	
19.	नागरी पंचाला सीधा रोड	2037	
20.	गुडा भगवानदास अलाई रोड	2037	
21.	इसरानवाडा पंचाला सीधा रोड	2038	
22.	बीरलोका खाटोडा सातीका पंचोरी रोड	2038	
23.	नागरी तंचाला रोड	2038	
24.	लारीआर से ताऊसर	2038	
25.	बरताथल पंचाला रोड	2038	
26.	कुरची घानरी जिला सीमा तक	2038	
27.	करनाल बासनी रोडे	2038	

1	2	3
28.	पंचाल पंचोरी वाया अचिना रोड	2038
29.	तोसलाब बड़ी रोड का इम्प्रूवमेंट	2038
30.	चाऊ श्यामसर वाया टोरडा	2038
31.	कारनू ततवास रोड	2038
32.	गन्तीनासर श्यामसर उन्तवालिया रोहीनी रोड	2038
33.	पंचोरी भोजा रोड	2038
34.	अलाई से जाख निया रोड	2038
35.	ताऊसर से फिरोद रोड	2038
36.	नागौर–नोखा रोड़	2038
37.	कारली काकू जिला सीमा तक	2038
38.	देह अनवालियासर जलनियासर रोड	2038
39.	नागौर–छळार रसालवा साधोकन पिथसिया खेतोला सोमरा रोड	2038
40.	ए–आर से माकोड़ी	2038
41.	भेर टांकला रोड	2038
42.	भण्डल निनाऊ रोड	2038
43.	रोहिनी पीपासर रोड	2038
44.	नागौर–लालगढ़ रोड	2038
45.	श्री बालाजी के मन्दिर से जाखनिया सीमा वाया रेलवे स्टेशन रोड	2039
46.	नागौर–नोखा रोड़ का इम्प्रूवमेंट	2039
47.	नागौर सोयला रोड	2038

(304)

परिशिष्ट--18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 932 की सूची)

राजस्थान राज्य में स्थापित प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की जिलेवार सूची :—

क्र. सं.	नाम जिला	नाम प्राथमिक बैंक	बैंकों की कुल सं.
1.	अजमेर	अजमेर, ब्यावर व केकड़ी प्राथमिक सह. भूमि विकास बैंक लि.	3
2.	अलवर	अलवर प्राथमिक सह. भू. वि. बैंक लि.	1
3.	बाड़मेर	बालोतरा प्राथ. सह. भू. वि. बैंक लि.	1
4.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा प्राथ. सह. भू. वि. बैंक लि.	1
5.	कोटा	कोटा एवं बारां प्राथ. सह. भू. वि. बैंक	2
6.	भरतपुर	भरतपुर प्राथ. सह. भू. वि. बैंक लि.	1
7.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा प्राथ. सह. भू. वि. बैंक लि.	1
8.	जोधपुर	जोधपुर एवं बिलाड़ा प्रा. सह. भू. वि. बैंक लि.	2
9.	बीकानेर	बीकानेर प्रा. सह. भू. वि. बैंक लि.	1
10.	बूंदी	बूंदी प्राथ. सह. भू. वि. बैंक लि.	1
11.	चित्तोडगढ़	चित्तोड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ प्राथ. सह. भू. वि. बैंक	2
12.	चूरू	चूरू प्राथ. सह. भू. वि. बैंक लि.	1
13.	धौलपुर	धौलपुर प्राथ. सह. भू. वि. बैंक लि.	1
14.	डूंगरपुर	डूंगरपुर प्राथ. सह. भू. वि. बैंक लि.	1
15.	श्री गंगानगर	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, रायसिंह नगर एवं नोहर प्रा. सह. भू. वि. बैंक	4
16.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर एवं हिण्डोन प्राथ. सह. भू. वि.बैंक लि.	2
17.	जयपुर	जयपुर प्राथ. सह. भू. वि. बैंक लि.	1
18.	जालौर	जालौर प्राथ. सह. भू. वि. बैंक लि.	1
19.	झालावाड़	झालावाड़ प्राथ. सह. भू. वि. बैंक लि.	1
20.	झुंझुनूं	झुंझुनूं प्राथ. सह. भू. वि. बैंक लि.	1
21.	नागौर	नागौर प्राथ. सह. भू. वि. बैंक लि.	1
22.	पाली	पाली प्राथ. सह. भू. वि. बैंक लि.	1
23.	सीकर	सीकर प्राथ. सह. भू. वि. बैंक लि.	1
24.	सिरोही	सिरोही प्राथ . सह. भू. वि. बैंक लि.	1
25.	टौंक	टौंक प्राथ. सह. भू. वि. बैंक लि.	1
26.	उदयपुर	उदयपुर प्राथ. सह. भू. वि. बैंक लि.	1
		योग :—	35

305

परिशिष्ट–19 आगे है

परिशिष्ट--19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 935 की सूची)

प्रपत्र-"क"

1. अन्धेर नहर के साथ मेन केनाल से वरधा
2. देहित नहर के साथ डी-3 से डी-14
3. भोनरा रेलवे स्टेशन से एस-5 तक
4. डी-54 से वड़गांव
5. डी-54 से बालडारा

परिशिष्ट-20

(अतारांकित प्रश्न संख्या 937 की सूचना)

जिला कोटा में पंचायत समिति स्तर पर दिनांक 4-11-81 से 23-11-81 तक आयोजित विकलांग शिविरों में प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण एवं उनमें से लाभान्वितों की की संख्या:—

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	दिनांक शिविर आयोजन	छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक		छात्रवृत्ति 9 से ऊपर		उपकरण सहायता श्रवण		ट्राई साइकिल		सिलाई मशीन
			प्रा.	ला	प्रा.	ला	प्रा.	ला	प्रा.	ला	प्रा
1.	शाहबाद	4-11-81	32	8	2	–	3	1	1	1	–
2.	रामगंजमंडी	5-11-81	93	44	8	2	10	6	1	1	5
3.	बांरा	6-11-81 7-11-81	84	66	7	4	5	2	3	3	9
4.	अटरू	7-11-81	64	2	8	5	4	2	2	2	–
5.	सुलतानपुर	9-11-81	75	35	5	–	5	1	2	2	–
6.	अन्ता	10-11-81	79	2	–	–	3	9	4	6	2
7.	इटावा	12-11-81	71	35	5	1	5	2	–	–	1
8.	सांगोद	15-11-81	113	–	6	–	9	–	–	–	–
9.	छीपाबड़ोद	18-11-81	101	14	9	2	9	3	3	4	1
10.	छबड़ा	19-11-81	85	39	–	1	1	1	–	–	–
11.	किशनगंज	21-11-81 22-11-81	32	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	लाडपुरा	23-11-81	56	154	2	17	3	7	2	32	2
		योग :	885	399	52	32	57	34	18	51	20

प्रा. = प्राप्त

ला. = लाभान्वित

अंग सहायता							नौकरी हेतु नियोजन करने पंजिकरण		विकलांग पेंशन		अन्य प्र. व होम में प्रवेश इकाई		रोजगार हेतु	
	कृत्रिम		केलिपर्स		बैसाखी									
ला	प्रा.	ला	प्रा.	ला	प्रा.	ला	प्रा.	ला	प्रा.	ला	प्रा.	ला	प्रा.	ला
—	2	—	—	—	—	—	5	2	35		—	—	4	4
3	2	—	32	—	39	—	21	7	51		41	—	—	—
6	—	1	—	—	—	—	15	10	22		2	—	6	6
—	3	—	7	—	—	—	7	4	37		50		—	—
—	5	1	10	—	—	—	21	9	77		38	—	—	—
—	6	—	15	—	—	1	16	7	41		50	—	3	2
1	7	2	5	—	—	—	8	4	33		—	—	14	10
—	—	2	—	—	—	—	8	3	128		—	—	—	—
—	—	3	12	—	—	—	16	12	76		33	—	29	11
—	—	3	8	—	—	—	9	4	29		—	—	20	7
—	6	—	1	—	1	—	4	1	26		—	—	8	4
10	5	3	6	—	—	—	33	28	58		—	—	16	20
20	36	15	96	—	41	1	163	91	603		214	—	100	64

परिशिष्ट-21

(अतारांकित प्रश्न संख्या 940 की सूचना)

परिशिष्ट-"अ"

प्रधान खनिज के तहत जमवारामगढ़ के क्षेत्र में विभिन्न खनिजों के स्वीकृत पट्टों की सूची :—

क्रमांक	पट्टाधारी का नाम	खनिज	क्षेत्र	अवधि	अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री गुलाब चन्द झाडचूर	सिलिका सैण्ड क्वार्टज	नि. ग्रा. जमवारामगढ़	22-1-74 से	20 वर्ष
2.	श्री राजेश कुमार महेश्वरी	सिलिका सैण्ड	,, पालड़ी तह. जमवारामगढ़	3-6-80	,,
3.	श्री राष्ट्रीय खनिज उद्योग, प्रो. मिट्ठन लाल जैन	,,	,, साऊ	26-7-80	,,
4.	श्री प्रकाशचन्द्र जैन	,,	,, जमवारामगढ़	11-2-69	,,
5.	श्री जगन्नाथ सीसावाला	,,	,, पालड़ी	26-7-66	,,
6.	श्री कैलाश कुमार पारीक	,,	,, धूला	21-10-70	,,
7.	श्री वृजेन्द्र मिनरल	,,	,, धूला	16-5-74	,,
8.	श्री सत्यदेव पारीक	,,	,, मानोता	18-3-63	,,
9.	श्री वी. एन. पारीक	,,	,, मानोता	22-10-70	,,
10.	,, ,,	,,	,, बूज	27-11-73	,,
11.	श्रीमती वीरबाला पुरोहित	सोप स्टोन आइरन ओर	,, रायसोला	5-3-77	,,

(310)

12.	श्री हनुमानसहाय गुप्ता	सोप स्टोन आइरन ओर	नि.ग्रा.	कलजपुरी	5-1067	1 से 20 वर्ष
13.	मै. अशोका मिनरल्स	,,	,,	कलजपुरी	5-10-67	,,
14.	श्री ग्यारसीलाल अग्रवाल	सोप स्टोन	,,	पीलवा	29-11-81	,,
15.	जयपुर मिनरल इन्व. सिण्डीकेट प्रा. लि.	,,	,,	डगोता	20-5-81	,,
16.	,, ,, ,,	केल्साइट	,,	,,	30-5-82	,,
17.	श्री विनयचन्द श्रीमाल	सोपस्टोन	,,	नेवर	16-5-80	,,
18.	मै. राज. खनिज एजेंसी	सोपस्टोन	,,	रायावाला	23-7-70	,,
19.	श्री प्रकाशचन्द्र जैन	डोलोमाइट सोपस्टोन फैलसपार आदि	,,	नताला	17-5-74	,,
20.	श्री विनयचन्द्र श्रीमाल	सिलिका सैंड	,,	रायसाला	11-5-81	,,
21.	श्री हरीशचन्द्र मोदी	सोप स्टोन, क्वार्टज	,,	श्रीनगर	11-5-81	,,
22.	श्री प्रकाशचन्द्र जैन	आयरन ओर	,,	नीमला	3-7-81	,,
23.	श्री हरेन्द्र व्यास	सोपस्टोन	,,	डगाता	25-2-83	,,
24.	श्रीमती चन्द्रा ढढा	सिलिका सैंड	,,	सरजाली व बूज	27-11-80	,,
25.	मै. हार्ड रॉक माइन्स	सोप स्टोन	,,	कलजपुरी	6-7-82	,,

परिशिष्ट—"ब"

जयपुर जिले में जमवारामगढ़ में चालू अप्रधान खनिज के स्वीकृत/पंजीयन शुदा खननपट्टों की सूची:—

क्र. सं.	नाम पट्टाधारी	खनिज	स्थान	तहसील	पट्टा अवधि	स्थिर भाटक
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री आनन्द कुमार शर्मा	चूना पत्थर	खरड़	जमवारामगढ़	10 वर्ष दि. 13-5-80 से	11,976.25 प्रति वर्ष
2.	श्री आनन्द कुमार शर्मा	,,	जारूण्डा	,,	22-10-80 से	11,613.00 ,,
3.	श्री अगरसिंह	,,	सानकोटड़ा	,,	,, 3-7-81 से	12,985.00 ,,
4.	श्री बृजेन्द्र मोहन पालीवाल	,,	ठानीवाड़ा	,,	,, 10-8-81 से	11,613.00 ,,
5.	श्री दीनदयाल माली	,,	सानकोटड़ा	,,	,, 18-5-82 से	11,613.00 ,,
6.	मैं. ज्योती इंटरप्राइजेज	,,	ठानीवाड़ा	,,	,, 16-8-82 से	11,613.00 ,,
7.	श्री प्रदीप पारीक	,,	गोरेट	,,	,, 14-7-82 से	11,640.00 ,,
8.	श्री रमाकान्त व्यास	,,	रायसोला	,,	,, 7-4-82 से	11,632.50 ,,
9.	श्री सत्येन्द्र कुमार जैन	,,	खरड़	,,	,, 10-6-81 से	11,936.00 ,,
10.	श्री आनन्द कुमार शर्मा	,,	गोठपालड़ी	,,	,, 12-11-81 से	11,613.00 ,,
11.	श्री श्यामलाल महेश्वरी	,,	रायसोला	,,	,, 8-12-82 से	11,612.00 ,,
12.	श्री श्यामसुन्दर शर्मा	,,	सानकोटड़ा	,,	,, 28-2-83 से	12,000.00 ,,
13.	श्री गुलाब चन्द शर्मा	मारबल	नीमला	,,	,, 27-11-80 से	12,954.00 ,,
14.	श्री गुरेन्द्र देव गुप्ता	,,	रायसोला	,,	,, 27-11-80 से	11,613.00 ,,

15.	श्री पदमाकर पाण्डे	मारबल	रायवाला	जमवारामगढ़	10 वर्ष दि.	9-9-81 से	11,613.00 प्रति वर्ष
16.	श्री अपूर्व कुमार शर्मा	चूना पत्थर	सरजोली	,,	,,	22-10-82 से	11,651.25 ,,
17.	मै. नेशनल मार्बल एण्ड मिनरल	मारबल	खाटी	,,	,,	17-9-82 से	11,250.00 ,,
18.	श्रीमती सुमनलता पारीक	चूना पत्थर	रायसोला	,,	,,	11-5-81 से	11,626.00 ,,
19.	श्री शिव कुमार अग्रवाल	,,	रायपुर	,,	,,	13-6-78 से	8,165.38 ,,
20.	,,	,,	,,	,,	,,	30-1-78 से	13,281.18 ,,
21.	मै. गोकुल नारायण आदित्य नारायण पारीक	,,	,,	,,	,,	1-4-77 से	50,043.75 ,,
22.	श्री सत्येन्द्र कुमार जैन	,,	गोरेट	,,	,,	13-8-79 से	26,026.05 ,,
23.	श्री दामोदर विजय	,,	रायपुर	,,	,,	18-11-79 से	19,600.00 ,,
24.	श्री रामकिशोर गुप्ता	चूना पत्थर मारबल	रायावाला	,,	,,	25-10-79 से	16,652.00 ,,
25.	श्री नारायण दास सिंधी	चूना पत्थर	रायावाला	,,	,,	20-8-77 से	18,938.85 ,,
26.	श्री गप्पू लाल मोदी (नवीनी.)	,,	फतेहपुरा	,,	,,	15-7-76 से	12,810.00 ,,
27.	मै. राष्ट्रीय पाषाण (नवीनी.)	,,	ढानीवाडा	,,	,,	2-7-80 से	9,364.00 ,,
28.	श्रीमती श्रीदेवी शर्मा (नवीनी.)	,,	ढानीवाड़ा	,,	,,	14-3-77 से	9,440.00 ,,
29.	श्री रामराय शर्मा (नवीनी.)	,,	खरखड़ा	,,	,,	23-2-78 से	9,364.00 ,,
30.	श्री महावीर कुमार (नवीनी.)	,,	गोरेट	,,	,,	15-4-78 से	19,162.00 ,,
31.	श्री ज्ञानचन्द अग्रवाल (नवीनी.)	,,	गोरेट	,,	,,	5-5-78 से	13,500.00
32.	श्री अर्जुन सिंह (नवीनी.)	,,	गोरेट	,,	,,	25-2-82 से	12,845.37 ,,
33.	श्री मोहनलाल अग्रवाल (नवीनी.)	,,	गोरेट	,,	,,	28-3-80 से	22,541.69 ,,
34.	श्री जानीमल सिंधी	,,	पालड़ी	,,	,,	28-11-78 से	9,305.00 ,,

1	2	3	4	5	6	7
35.	श्री रेवाचन्द सिंधी	चूना पत्थर	पालड़ी	जमवा रामगढ़	10 वर्ष 3-10-78 से	18,306.00 प्रति वर्ष
36.	श्री अपूर्व कुमार शर्मा	,,	पालड़ी	,,	,, 28-9-79 से	11,845.15 ,,
37.	श्री सत्यनारायण मोदी	,,	सरजोली	,,	,, 4-4-79 से	19,939.00 ,,
38.	श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता	,,	बरखेड़ा	,,	,, 24-2-79 से	9,440.00 ,,
39.	श्री श्रीराम वर्मा (नवीनी.)	,,	खरड़	,,	5 वर्ष दि. 5-2-80 से	9,303.00 ,,
40.	श्री रोशनलाल जैन	,,	खरड़	,,	10 वर्ष दि. 16-5-77 से	18,119.20 ,,
41.	श्री मोहनलाल शर्मा (नवीनी.)	,,	खरड़	,,	,, 13-5-80 से	15,037,00 ,,
42.	मै. जयपुर लाइमस्टोन कं.	,,	पालावास	,,	,, 4-10-78 से	57,406.25 ,,
43.	श्रीमती सुमनलता पारीक	,,	जारूण्डा		25-10-79 से	11,356.50 से ,,
44.	मै. राज. खनिज ऐजेंसी	,,	सानकोटड़ा	,,	,, 6-5-78 से	14,747.00 ,,
45.	श्री नारायण लाल शर्मा	,,	सानकोटड़ा	,,	,, 30-7-78 से	11,631.00 ,,
46.	श्री प्रकाश चन्द्र जैन	मारवल	घाटी	,,	,, 20-6-77 से	7,704.00 ,,
47.	श्री प्रकाश चन्द्र जैन	,,	नीमला	,,	,, 26-8-77 से	1,430.00 ,,
48.	मै. बाड़ीवाल ब्रीक्स बिल्डर्स	ईंट मिट्टी	भानपुरकलां	,,	,, 17-2-83 से	3,000.00 ,,

परिशिष्ट—22

अतारांकित प्रश्न संख्या 942 की सूची

परिशिष्ट "अ"

अप्रधान खनन पट्टों की सूची जिला सीकर व झुन्झुनू

क्र. सं.	नाम पट्टाधारी	खनिज	क्षेत्र का विवरण		
1	2	3	4		
1.	श्री हरि नारायण मीणा	चेजा पत्थर	400×100	नि. ग्रा.	हथोरा
2.	श्री हरि नारायण मीणा	"	200×100	"	मानगढ़
3.	श्री महावीर रोड़ी फैक्ट्री	"	50×50	"	मोती डूंगरी
4.	श्री महावीर रोड़ी फैक्ट्री	"	100×50	"	"
5.	श्री महावीर रोड़ी फैक्ट्री	"	50×50	"	"
6.	श्री निरंजन लाल	"	200×70	"	पेमावाली
7.	श्री नत्थू सिंह	बजरी	500–नदी की चौड़ाई	"	उदयपुर नांगल नदी
8.	श्री राम लाल जाट	चेजा पत्थर	250×70	"	प्रीतमपुरी
9.	श्री राम लाल जाट	"	130×50	"	प्रीतमपुरी
10.	श्री बजरंग लाल नायक	"	300×100	"	मोडिया पहाड़
11.	श्री फूलचन्द मीणा	"	50×50	"	भरतांडी डूंगरी
12.	श्री बाबूलाल कुम्हार	"	200×65	"	मोडिया पहाड़
13.	श्री मोठूराम सैनी	"	100×80	"	प्रभूसिंह की पहाड़ी
14.	श्री ज्वार सिंह	"	60×80	"	बारी पहाड़ी
15.	श्रीमती प्रेम शर्मा	"	250×75	"	मऊ पहाड़ी
16.	श्रीमती प्रेम शर्मा	"	50×75	"	"
17.	श्रीमती प्रेम शर्मा	"	100×75	"	"
18.	श्रीमती मूला बाई	"	100×200	"	ढाणी गागर की
19.	श्री गोविन्द सिंह	"	75×75	"	मोडी पहाड़ी
20.	श्री गोविन्द सिंह	"	90×50	"	"

(328)

1	2	3	4		
21.	श्री गोविन्द सिंह	चेजा पत्थर	200 × 50	मि. ग्रा.	मोडी पहाड़ी
22.	श्री प्रभादा राम	,,	60 × 80	,,	पिलानी पहाड़ी
23.	श्री कानाराम रैगर	,,	100 × 60	,,	प्रीतमपुरी
24.	श्री काना राम रैगर	,,	280 × 70	,,	,,
25.	श्री सागर मल नायक	,,	170 × 100	,,	पिलानी पहाड़ी
26.	श्री बसन्त लाल मोरवाल	,,	205 × 70	,,	मोडिया पहाड़
27.	श्री गुरुदयाल हरिजन	,,	100 × 50	,,	बन्धावाली पहाड़ी
28.	श्री धमड़ा राम नायक	,,	175 × 80	,,	मोडी डूंगरी
29.	श्री सुधीर कुमार थांडिक्य	,,	2413 × 98 603 × 50	,,	गुढ़ा
30.	श्री धन्ना पुत्र श्री नोटा	,,	180 × 90	,,	मोडी हील
31.	श्री घीसा लाल	,,	150 × 50	,,	,,
32.	श्री घमन्डा राम	,,	50 × 50	,,	,,
33.	श्री सोहनसिंह	,,	100 × 75	,,	कांवट
34.	श्री सोहन सिंह	,,	100 × 75	,,	कांवट
35.	श्री भीवाराम	,,	75 × 60	,,	काला पहाड़
36.	श्री रामसिंह ओमप्रकाश	चर्ट चेजा पत्थर	100 × 100	,,	बादलवास
37.	श्रीराम प्रताप हरिजन	चेजा पत्थर	200 × 200	,,	काला पहाड़
38.	श्री गोरधन सिंह	,,	3000 × 700 फुट	,,	देवराला
39.	श्री चिमनाराम	,,	50 × 50	,,	,,
40.	श्री चिमनाराम	,,	300 × 100	,,	,,
41.	श्री चिमनाराम	चेजा पत्थर	300 × 75	,,	देवराला
42.	श्री गणेश कुमार अग्रवाल	मारबल	733.83 है.	,,	दायरा रामपुर
43.	श्री भगवाना राम	चेजा पत्थर	150 × 65	,,	खेतपुरा
44.	श्री रामेश्वर मीणा	,,	55 × 60	,,	मोडिया पहाड़
45.	श्री बसन्त लाल मोरवाल	,,	200 × 150	,,	राजोता
46.	श्री भगवान सहाय	,,	50 × 50	,,	हथोरा
47.	श्री रामेश्वर लाल	,,	75 × 50	,,	डंडीया
48.	श्री शीशपाल चमार	,,	100 × 100	,,	खेतपुरा
49.	श्री सूरजमल	,,	200 × 50	,,	हथोरा
50.	श्री सूरजमल	,,	165 × 60	,,	,,

1	2	3	4	
51.	श्री राम प्रताप	चेजा पत्थर	140×105 नि. ग्र.	बारी पहाड़ी
52.	श्री महावीर प्रसाद	जाजरा कंकर	220×90 ,,	गुढा पोख
53.	श्री पृथ्वी राम	चेजा पत्थर	250×80 ,,	बारी पहाड़ी
54.	श्री धन्ना पुत्र मीणा	,,	140×140 ,,	मोडी डूंगरी
55.	श्री रिछपाल हरिजन	,,	85×85 ,,	टोडी
56.	श्री मनोहर लाल	,,	50×50 ,,	बारी पहाड़
57.	श्री बाबूसिंह	जाजरा कंकर	200×100 ,,	बन्दा की ढाणी
58.	श्री सत्य नारायण	चेजा पत्थर	100×100 ,,	माहवा
59.	श्री जगदीश प्रसाद	,,	5000×2000 फु. ,,	काना पहाड़
60.	श्री मनोहर लाल बलाई	,,	50×50 ,,	लोरड़ा
61.	श्री राम सहाय जाट	ईंट मिट्टी	5800 व. मी. ,,	हीरा की ढाणी
62.	श्री सुरेन्द्र पुत्र सावलराम	चेजा पत्थर	100×50 ,,	चनाना
63.	श्री अलवर हुसैन	,,	130×50 ,,	काना पहाड़
64.	श्री मोहन लाल शर्मा	,,	100×50 ,,	हथोरा
65.	श्री किशन लाल सैनी	,,	80×50 ,,	धोई
66.	श्री विष्णु दत्त सेठी	,,	100×60 ,,	मानगढ़
67.	श्री रतनलाल महाजन	ईंट मिट्टी	120×90 ,,	गांवड़ी
68.	श्री मुख्तारा मीणा	जांहरा कंकर	50×50 ,,	बूजा की ढाणी
69.	श्री श्याम सुन्दर	ईंट मिट्टी	150×125 ,,	भोज की तलाई
70.	श्री योगेश कुमार दीक्षित	चेजा पत्थर	150×60 ,,	हथोरा
71.	श्री लालूराम हरिजन	,,	100×50 ,,	खेतपुरा
72.	श्री लालूराम हरिजन	,,	150×50 ,,	खेतपुरा
73.	श्री शिव कुमार भारद्वाज	,,	100×50 ,,	पीपलपुरा
74.	श्री शिवकुमार भारद्वाज	,,	50×50 ,,	हथोरा
75.	श्री रामस्वरूप जाट	,,	100×50 ,,	पिलानी पहाड़ी
76.	श्री सुभाष चन्द्र जाट	,,	100×50 ,,	,,
77.	मै. स्वास्तिक मिनरल इण्ड.	चूनों पत्थर	80×50 ,,	देवगांव
78.	मै. स्वास्तिक मिनरल इण्ड	,,	100×40 ,,	देवगांव
79.	श्री जगदीश प्रसाद जाट	चेजा पत्थर	100×65 ,,	रायल
80.	श्री मदनसिंह	,,	120×50 ,,	मालूपुरा
81.	श्री सत्यनारायण हरिजन	,,	100×60 ,,	बराली

1	2	3	4	
82.	मोदी मिनरल ग्रा. मिल्स	मार्बल	500 × 600 फुट	नि. ग्रा. माहवा
83.	मोदी मिनरल ग्रा. मिल्स	,,	150 × 150 मी.	,, सिम्रोर
84.	श्री बनवारी लाल	,,	150 × 150 मी.	,, मातड़ी
85.	श्री नन्दलाल	,,	150 × 150 ,,	,, माकड़ी
86.	श्री नन्दलाल	,,	150 × 150 ,,	,, मावण्डा
87.	श्री मंगल सिंह	चेजा पत्थर	1200 × 400 फुट	,, नांगल
			1500 × 400 फुट	,, उदयपुर वाटी
88.	श्री सत्येन्द्र सिंह	,,	130 × 50	,, रायल
89.	श्री सुरेश कुमार	,,	130 × 50	,, हथोड़ा
90.	श्री जुग लाल सिंह	,,	130 × 50	,, गौड़
91.	श्री सोनू माइनिंग इण्ड.	चर्ट	60 × 50	,, चिराना
92.	श्री सोनू माइनिंग इण्ड.	चर्ट	80 × 50	,, गोल्याना
93.	श्री वेदप्रकाश आर्य	चूना पत्थर	1100 × 365	,, भोजनगर
94.	श्री भंवरलाल गुप्ता	चेजा पत्थर	100 × 50	,, मोडी पहाड़ी
95.	श्री राम नायक	,,	100 × 60	,, ,,
96.	श्री राम नायक		100 × 60	,, ,,
97.	श्री राम नायक	,,	60 × 50	,, ,,
98.	सर्व श्री वेस्ट केमिकल ला; स्टो.इ. प्रा. लि.	चूना पत्थर	1303.8 है.	,, माउण्डा
99.	श्री महेश कुमार शर्मा	चे. प. बजरी	राजस्व सीमा	,, अजीतगढ़
100.	श्री लक्की मीन मेक प्रा. लि.	चूना पत्थर मारबल	4 व. मी.	,, रामपुरा
101.	श्री मालाराम हरिजन	चेजा पत्थर	220 × 70	,, माहवा
102.	श्री देवीसहाय सैनी	,,	160 × 25	थोही
103.	श्री रामलाल जाट	,,	230 × 70	प्रीतमपुरी
104.	श्री भगवान सहाय	,,	60 × 50	भतोरा
105.	श्री राधाकिशन गूजर	चूना पत्थर	150 × 150	धोली डूंगरी
106.	श्री राधाकिशन गूजर	,,	150 × 150	काली डूंगरी
107.	श्री गोपाल लाइम एण्ड ला. इण्डस्ट्रीज	,,	90.9 एकड़	खिरोड़
108.	श्री रामनिरंजन तुलसयान	चेजा पत्थर	60 × 50	मोडिया पहाड़
109.	श्री रामनिरंजन तुलसयान	,,	60 × 50	,,

1	2	3	4	5
110.	श्री भैरुलाराम चमार	चेजा पत्थर	300×75 नि. ग्रा.	जय पहाड़ी
111.	श्री पीथाराम जांगिड़		230×70	पिलानी पहाड़ी
112.	श्री नागरमल चमार	,,	90×180	नारी पहाड़ी
113.	श्री द्वारिका प्रसाद जांगिड़	,,	250×150	मनसादेवी
114.	श्री द्वारिका प्रसाद जांगिड़	,,	250×150	,,
115.	श्री द्वारिका प्रसाद जांगिड़	,,	250×150	,,
116.	श्री हरीराम चमार	,,	100×300	काना पहाड़
117.	श्री नारंग लाल हरिजन	,,	100×75	जय पहाड़ी
118.	श्री सलाउद्दीन	,,	300×120	काना पहाड़
119.	श्री धन्नाराम	,,	250×100	,,
120.	श्री पन्नाराम	,,	100×400	,,
121.	श्री मदनलाल गोयल	चेजा पत्थर	200×75	नारी पहाड़ी
122.	श्री गीदाराम चमार	,,	200×75	डिगाल
123.	श्री राजसिंह यादव	,,	100×50	नारी पहाड़ी
124.	श्री नन्दराम जाट	,,	140×50	टोडी
125.	श्री श्योकरण जाट	,,	75×50	टोडी
126.	श्री सुलतान सिंह	,,	130×50	आकावाली
127.	श्री विनोद कुमार सैनी	,,	80×60	हथोरा
128.	श्री महेश कुमार अग्रवाल	मारबल	150×150	भूटोली
129.	श्रीमती भगवती देवी	,,	150×150	छावनी
130.	मैसर्स ओरियन्टल तालक प्रोड.	,,	200×150	रामपुरा

Page No 320

(319)

प्रधान खनिज के खनन पट्टों की सूची, जिला सीकर एवं झुंझुनूं (राजस्थान)

(परिशिष्ट "ब")

क. सं.	नाम पट्टाधारी	खनिज	क्षेत्र का विवरण	निकट ग्राम
1	2	3	4	5
1.	श्री मोदी मिनरल मा. मिल्स प्रा. लि.	डोलोमाइट	259 है.	माहवा
2.	" "	"	139 है.	सिंग्रोर
3.	" "	"	96-56 है.	मावण्डा
4.	" "	बेराइटीज	38-85 है.	खडगबीजपुर
5.	" "	"	304-65 है.	"
6.	" "	कैलसाइट	38-85 है.	रायपुर
7.	" "	"	32-37 है.	मावण्डा
8.	" "	क्वार्टज, सिलिका	230-98 है.	किशोरपुरा
9.	" "	सोपस्टोन	58-9 है.	खो-I
10.	" "	"	33-42 है.	खो-II
11.	" "	कैलसाइट	32-37 है.	नरोना
12.	" "	"	72-62 है.	टोलीवाली
13.	" "	माइका गारनेट	32-37 है.	उपरला मावण्डा

14.	श्री मोदी मिनरल	मा. मिल्स प्रा. लि.	केलसाइट	164-01 है.	विहारीपुर
15.	"	"	क्वार्टज सिसिका	32-37 है.	किशोरपुरा
16.	"	"	फेल्सपार, गारनेट	158-85 है.	माकड़ी
17.	श्री पूर्णमल मित्तल		क्वार्टज़	127-65 है.	राजोता
18.	श्री भगवती शरण	"	केलसाइट	96 है.	मेलाला की ढाणी
19.	श्री रामसिंह ओमप्रकाश	"	क्वार्टज, सिलिका	276-60 है.	खांडावाड़ा
20.	"	"	केलसाइट, वेराइटीज	176 है.	बादलवास
21.	"	"	केलसाइट	137 है.	"
22.	श्रीमती चन्द्रकला चौधरी		यलोग्रोकर	45-33 है	ग्रागरिया
23.	श्री फूलचन्द खटाना		क्वार्टज़, सिलिकासैण्ड	156-25 है.	मोहनपुरा
24.	श्री फतेहचन्द		केलसाइट	32-37 है.	गुहाला
25.	"	"	क्वार्टज, सिलिका	75 है.	बागोर
26.	"	"	रेडग्रोकर	120 है.	उदयपुरवाटी
27.	"	"	गारनेट	262-05 है.	भगवानपुरा
28.	"	"	पाररafेल्लाइट	103-25 है.	उदयपुरवाटी
29.	"	"	केलसाइट	126-75 है.	बासीमाल
30.	"	"	"	62-5 है.	डाडा
31.	श्री सुलतान सिंह		एसबेसटस	34-13 है.	कजा
32.	श्री बनवारी लाल अग्रवाल मिल्स प्रा. लि.		डोलोसाइट	182-66 है.	कालीडूंगरी
33.	"	"	केलसाइट	53-95 है.	लालपुर
34.	"	"	ग्रायरन ग्रोर	38-85 है.	बादलवास

1	2	3	4	5
35.	श्री नन्दलाल अग्रवाल	डोलोमाइट	42-31 है.	मालढ़ी
36.	,, ,,	,,	32-37 है.	मावण्डा
37.	श्री नन्दलाल अग्रवाल मिल्स प्रा. लि.	,,	50-04 है.	मावण्डा
38.	,, ,,	,,	72-37 है.	काली पहाड़ी
39.	,, ,,	आयरनओर	107-91 है.	तोदा
40.	,, ,,	,,	48-40 है.	बेसरढ़ा
41.	श्री रतनलाल नेगोतिया	फायरक्ले, रेड एण्ड येलोओर	100-00 है.	गुढापोख
42.	श्री मनमोहनलाल शाह	क्वार्टज सिलिकासेण्ड	100-00 है.	मानसागर
43.	श्री विजय कुमार मित्तल	क्वार्टज	51-75 है.	हीरा की ढाणी
44.	श्री विजय कुमार मित्तल मिल्स प्रा. लि.	गारनेट	50 है.	पाजी की ढाणी
45.	,, ,,	क्वार्टज, कागनाइट	50 है.	कन्हैया की ढाणी
46.	,, ,,	गारनेट	75 है.	स्वामी की ढाणी
47.	श्री निजामुद्दीन	क्वार्टज	50 है.	तिरानी
48.	श्रीमती मधु अग्रवाल	सोपस्टोन	129-50 है.	ढानी
49.	श्रीमती मधु अग्रवाल मिल्स प्रा. लि.	क्वार्टज	36 है.	बागवाला
50.	,, ,,	,,	15 है.	पाटन,
51.	,, ,,	केलसाइट	223-59 है.	नरोना,
52.	श्री राकेशकुमार एण्ड कं.	क्वार्टज	42-17 है.	बनवास,

53.	श्री गोपी लाल शर्मा	मायका	144 है.	प्रीतमपुरी
54.	श्री हरीकिशन मित्तल	केलसाइट	200 है.	रायपुर
55.	श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा	क्वार्टज, फैल्सपार	225 है.	हरदास का वास
56.	श्री विष्णु दत्त सेठी	"	63 है.	अवीनासी की ढाणी
57.	श्री हरिओम मिनरल्स	क्वार्टज	150 है.	असामपुर
58.	श्री अनन्ग कुमार	क्वार्टज, सिलिकासैण्ड	141-67 है.	लादोया
59.	श्री प्रेमचन्द शर्मा	"	87-5 है.	रामसिंह की ढाणी
60.	श्री मालसिंह तंवर	"	37-50 है.	कोलीवाला
61.	सर्व श्री चौधरी रिफेक्ट्रीज	फायरक्ले	40 है.	ककराना
62.	" "	"	72-84 है.	वीरावटी
63.	श्री किरोड़ी लाल मोदी	"	90-5 है.	"
64.	श्री भगवान दास बंसल	सोपस्टोन	356-26 है.	हीरावास
65.	श्री ओरियन्टल टाल्क प्रोडक्ट्स	केलसाइट, डोलोमोइट, चूना, पत्थर	41-13 है.	रामपुरा
66.	श्री वेस्ट केमिकल्स लाइमस्टोन इण्ड.	चूना पत्थर, केलसाइट	80 एकड़	जिलो
67.	श्री कृष्णकुमार अग्रवाल	फेल्सपार, क्वार्टज	166-33 है.	दुदावास
68.	श्री मोदी लिमिटेड, काओलीन	आयरनओर	44-3 है.	न्दोदा
69.	" "	"	88-50 है.	जमालपुर
70.	श्री हरीप्रसाद शाह	एसबेसटस, क्वार्टज	32-64 है.	खेतड़ी
71.	श्री रघुनाथ राय	रेड एण्ड यलोओकर	43-17 है.	रघुनाथगढ़
72.	श्री राधाकिशन गुर्जर	क्वार्टज, सिलिकासैण्ड	58-28 है.	सालादेरा
73.	ए-सर्व श्री पायराइट्स फास्फेट प्रा. लि.	सल्फरओर	518 है.	सलादीपुरा

322

1	2	3	4	5
73.	बी—मै. बेस्ट केमीकल्स लाइमस्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	फैल्सपार	88-50 है.	दूदावास
74.	श्री सीताराम अग्रवाल	सोपस्टोन	32-31 है.	दोसरापुरा
75.	श्री बिहारीलाल मेगोतिया	केलसाइट	223-75 है.	,,
76.	श्री बिहारी लाल मेगोतिया	केलसाइट	414-40 है.	लाका का नांगल
77.	श्री ग्यारसी लाल अग्रवाल	क्वार्टज, सिलिका	35-28 है.	सीपर
78.	श्री हिन्दुस्तान कोपर लि.	कोपर ग्रोर	234-33 है.	चान्द मारी
79.	,, ,,	गोल्ड सिल्वर	352-33 है.	7 कोलीहान
80.	,, ,,	,,	125-50 है.	बनवास
81.	,, ,,	कोपरग्रोर	481-88 है.	गोभेड़ा
82.	श्री अशोका मिनरल्स	पायरापोयलाइट	121-00 है.	महराना
83.	श्री फतेह चन्द	केलसाइट	64-75 है.	नांगलिया
84.	श्री हरि किशन मित्तल	क्वार्टज	129-50 है.	डाकेन

परिशिष्ट "स"

नीम का थाना—उपखण्ड में खनिजों से आय

वर्ष	आय
77–78	46,34,735.40
78–79	69,19,217.91
79–80	76,26,213.95
80–81	69,96,157.49
81–82	62,76,917.06

325

परिशिष्ट—**23**

(अतारांकित प्रश्न संख्या 943 की रिटर्न की प्रतिलिपियां)

FORM No. XII

(See Rule 32)

ANNUAL RETURN (For the year 1981-82)

1. Name & Address of the industrial Premises.	M/S Ram Singh Shanker Singh, Rabario Mohila Nagar, Ajmer.
2. No. & Date of Licence	11/75 Dt. 25-9-75
3. Name of the Employer	Partner—(1) Shri Ram Singh (2) Shri Shanker Singh
4. Name of the principal Employer if the employer is working as contractor for the principal employer.	Self employer
5. Average number of employees employed daily in the industrial premises.	
6. Men	10
Women	—
7. Average Monthly No. of home workers employed (i. e. who work in their homes).	315 (about)
8. Normal hours worked per week in the industrial premises.	8 hrs.

9. Number of days worked in the year in the industrial premises. 300 days

10. Number of employees who were granted leave during the calendar year.

Young persons—(a) employed in the industrial premises Nil

(b) employed in homes. Nil

Other than young persons—(a) employed in the industrial premises. 10

(b) Employed in homes. Nil

11. No. of female employees who were given maternity benefit during the year.

(a) employed in industrial premises : Nil

(b) employed in homes : Nil

Certified that the information furnished above is the best of my knowledge and belief correct.

Sd/

Dt. 25-4-82

For M/s Ram singh Shanker singh
Signature of the employer.

FORM No, XII

(See Rule 32)

Annual return 1981-82

1. Name & Address of the Industrial premises	:	M/s Chuhar Do Sher Bidi work, Shanti Nagar, Malasar Road, Ajmer.
2. No. & date of Licence	:	4/75
3. Name of employer	:	Smt. Gomabai widow Rewagari
4. Name of the principal employer of the employees contractor for a principal employer		
5. Average No. of Employes employed daily in the industrial premises	:	1
6. (1) Man	:	1
(2) Women	:	Nil
(3) Young persons	:	Nil
Male	:	Nil
Female	:	Nil
6. Average monthly number of home workers employed (i. e. who work in their house)	:	14
7. Normal hours worked per week in the industrial premises.	:	—

8. Number of days worked in the year in industrial premises : —

(a) No. of employees who were granted leave during the calendar year : —

YOUNG PERSON

(a) Employed in industrial premises : —

(b) Employed in homes : —

OTHER THAN : YOUNG PERSON

(a) employed industrial premises: —

(b) employed in homes : 14

9. No. of female Employees who were given maternity benefits during the year : —

(a) Employed in industrial premises : —

(b) Employed in homes : 14

Certified that the information furnished above is the best of my knowledge and belief correct.

Date :

Sd/-

Signature of Employer

(329)

फार्म न. 12

नियम 32

वार्षिक प्रतिवेदन 1981–1982

1.	फर्म का नाम	गोपाल बीड़ी वर्क्स कवेंडसपुरा, अजमेर
2.	लाइसेंस नं. एवं दिनांक	—
3.	नियोजक का नाम	गोपाल दास पुत्र मनीलाल
4.	प्रिन्सिपल नियोजक का नाम	—
5.	औसत कर्मचारी कारखाने में	निल
6.	औसत बाहर के कारीगर	दस (औरतें)
7.	औसत कार्य के प्रति सप्ताह	48 घंटे
8.	वर्ष में कुल दिन कार्य	280 दिन
9.	महिला कारीगरों को मेटेरनिटी लीव	निल
10.	कर्मचारी जिन्हें अवकाश दिया गया	निल

तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी से सत्य है ।

गोपाल बीड़ी वर्क्स

हस्ता.

गोपालदास

प्रोपराइटर

330

FORM No. XII

See Rule 32

Annual Return 1981-82

1. Name and address of the Industrial premises.		Khandelwal Brothers, Kaisar Ganj, Ajmer.
2. No. and date of licence	:	9/75 (1323), dt. 22.4.82
3. Name of employer	:	Mohanlal Khandelwal
4. Name of the principal employer, if the employer is working as contractor for a principal employer	:	Nil
5. Average number of employees employed daily in the industrial premises		
Men	:	2
Women	:	Nil
Young persons		
Male		
Female		
6. Average monthly number of home workers employed (i.e. who work in their home)	:	60
7. Normal hours worked per week in the industrial premises.	:	48 hours in a week
8. Number of days worked in the year in the industrial premises	:	304 days
9. Number of employees, who were granted leave during the calendar year.		

331

Out workers : Nill

Young persons

(a) Employed in the industrial premises

(b) Employed in homes.

Other than Young persons

(a) Employed in the industrial premises

(b) Employed in homes.

10. Number of female employees who were given maternity benefits during the year : Nil

(a) Employed in the industrial premises

(b) Employed in homes.

Certified that the information furnished above to the best of my knowledge and belief is correct.

Date : Sd/-

Signature of the Employer

Note : Partial attendance for less the half a shift of working day shall be neglected and attendance for half shift or more shall be treated as full attendance.

The average daily number shall be calculated by dividing the aggregate number of attendance of working day by the number of the working days in the year attendance on separates shifting, night and day shifts shall be counted separately.

The average shall be calculated by dividing the average number of workers on the home worker employment Registrar during each of the preceding 12 months by twelve.

आउट वर्क्स होने के कारण नं. 7 से 10 निल होते हैं।

हस्ताक्षर

332

Form No. XII

(See Rule 32)

Annual Return 1981–82

1. Name and address of the Ind. premises : Sewak Bidi Works Cave-
: ndaspura, Ajmer.
2. No. & date of Licence.
3. Name of employer : Sewakram
4. Name of Principal employer :
5. Average Labour Employed in Ind. Premises : Nil
6. Average home workers employed : 10 Women
7. Normal hours worked per week : 48
8. No. of days worked in the year : 300
9. No. of employes employed who were granted leave during the calendar year : Nil (All out workers)
10. No. of female employees given maternity benefits during the year : Nil

Certified that the information furnished is correct to the best of my knowledge and belief.

Sd/
(Sewak Ram)
(Signature of Employer))

333

फार्म नं. 12

रूल्स 32

एन्युअल रिटर्न 1981-1982

1.	फर्म का नाम	अमोलक वीड़ी ट्रेडिंग कम्पनी
2.	लाइसेंस सं. एवं दिनांक	--
3.	नियोजक का नाम	अमोलक चन्द जैन पुत्र श्री लिखमी चन्द जैन
4.	प्रिन्सिपल नियोजक का नाम	--
5.	औसत कर्मचारी कारखाने में	निल
6.	औसत बाहर कार्य करने वाले	6 औरतें
7.	औसत कार्य के घंटे प्रति सप्ताह	48 घंटे
8.	वर्ष में कुल कार्य के दिन	325 दिन
9.	वर्ष में महिला श्रमिकों को दी गई मेटेरनिटी अवकाश	निल
10.	वर्ष में अन्य कर्मचारियों को दिये गये अवकाश	निल

मैं तस्दीक करता हूं कि उपरोक्त विवरण सही है ।

हस्ता.

(अमोलक चन्द जैन)

21-9

(नियोजक के हस्ताक्षर)

FORM 12

Annual Return

(Rule 21 (44))

Return for the year ending the 31st December. 1981—82

1 (a) Name of establishment and postal Address M/s Suraj mal Shivbux Kaiser Gunj, Ajmer.

(b) Name and residential address of the owner RAMESH CHANDRA

(c) Name and residential address of the Managing Agent/Director Partner incharge of the day to day affairs of the establishment owned by a company, body Corporate or association. Nil

(d) Name and residential address of the Managers/agent. if any Nil

2. Number of days worked during the year Nil

3. Number of men days worked during the year 2 Person for sale on Shop only.

4. Average daily number of persons employed during the year. Nil

(a) Adults Nil

(b) Children Nil

5. Total Wages paid in cash Nil

6. Total value of the wages paid in kind. Nil

Deductions.

	No. of Days	Total Amount Rs.	P.
(a) Fines		Nil	
(b) Deduction for damages or loss			
(c) Deduction for branch of contract.			

	Purpose	Amount Rs.	P.
(a)			
(b)		Nil	
(c)			
(d)			

8. Balance of final fund in hand at the end of the year..........

Sd/—

Date.............. Signature

Designtion..............

(337)

फार्म नं. 12

नियम 32

वार्षिक प्रतिवेदन 1981-1982

1.	फर्म का नाम	मोतीलाल सम्पतलाल बीड़ी वर्क्स, पुरानी मण्डी, अजमेर
2.	लाइसेंस नं. एवं दिनांक	--
3.	नियोजक का नाम	सम्पतलाल पुत्र मोतीलाल
4.	प्रिन्सिपल नियोजक का नाम	--
5.	औसत कर्मचारी कारखाने में	3 आदमी
6.	औसत बाहर के कारीगर	11 (औरतें)
7.	औसत कार्य प्रति सप्ताह	48 घंटे
8.	वर्ष में कुल दिन कार्य	280 दिन
9.	महिला कारीगरों को मेटेरनिटी लीव	निल
10.	कर्मचारी जिन्हें अवकाश दिया गया	--

मैं तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य है।

हस्ता.

मोतीलाल सम्पतलाल

बीड़ी वाला, पुरानी मंडी

सम्पतलाल

प्रोपराइटर

FORM No. XII

See Rule 32

Annual Returns year 1981—82

1. Name of the Ind. Estb :—Janta Bidi Factory,
New Govendaspura, Ajmer.

2. No. & date of Licence :—(with office for renewal)

3. Name of employer:—Shri Dayal Parwani S/o Pohumal

4. „ „ principal employer :—Not applicable.

5. Average Labour Employed in the Ind. premises :— Nil

6. Average home workers employed :— 50 (Women)

7. Normal hours worked per week. 48

8. No. of days worked during the years :— 321

9. No. of employees who were granted leave during the calendar year. Nil

10. No. of female employees given maternity benefits during the year. Nil

Certified that the information furnished is correct to the best of my knowledge and belief.

Sd/—

(Signature of Employer)

(337)

FORM No. XII

See Rule 32

Annual Return 1981—82

1. Name of Estab. M/s Trilok Chand Hansraj. Cherandaspura, Ajmer.

2. No. & date of Licence:—

3. Name of employer:—Trilok chand S/o Hansraj.

4. „ „ Principal employer: Not applicable.

5. Average Labour Employed within Ind. premises: Nil

6. Average home workers employed: 25 (Women)

7. Normal hours worked per week: 48 Hours

8. No. of days worked during the year: 300

9. No. of employees who were granted leave duing the calendar year: Nil

10. No. of female workers given maternity benefits during the year: Nil

Sd/—
(Signature of Employer)

परिशिष्ट 24

(अतारांकित प्रश्न संख्या 944 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	नाम खनिज	वन क्षेत्र
1	2	3
1.	केलसाइट, वोलेस्टोनाइट	रिजवर्ड फोरेस्ट, कोटड़ा जिला उदयपुर।
2.	केलसाइट, सूतपत्थर, घीया-पत्थर	1–रिजर्व फोरेस्ट, प्रोटेक्टेड फोरेस्ट, पलेवा घाटी जिला उदयपुर। 2–रिजर्वड फोरेस्ट, तह. गोगुन्दा जिला उदयपुर।
3.	सूतपत्थर, घीयापत्थर	रिजर्वड फोरेस्ट तह. झाडोल जिला उदयपुर।
4.	घीयापत्थर, रेडग्रोकर, यलो-ग्रोकर, लाइमस्टोन	1–रिजर्वड फोरेस्ट, प्रोटेक्टेड फोरेस्ट, रामा प्रोटेक्टेड फोरेस्ट, जिला उदयपुर। 2–अगवा रामा रिजर्वड फोरेस्ट जिला उदयपुर। 3–कालर रिजर्वड फोरेस्ट जिला उदयपुर। 4–छोटा घाटा रिजर्वड फोरेस्ट जिला उदयपुर। 5–नाई नादरा रिजर्वड फोरेस्ट तह. गिर्वा जिला उदयपुर।
5.	घीयापत्थर, मारबल, लाइम-स्टोन, बेराइटीज, डोलो-माइट, लेडजिक	1–रिजर्व फोरेस्ट डिगरी जिला उदयपुर। 2–रिजर्व फोरेस्ट तह. सराड़ा जिला उदयपुर।
6.	घीया व सूतपत्थर, सरपेन्टाइन ग्रीन मार्वल)	रिजर्व फोरेस्ट, प्रोटेक्टिव फोरेस्ट तह. खैरवाड़ा जिला उदयपुर।
7.	घीया पत्थर, पायरोफ्लाइट केलसाइट ।	1–रिजर्व फोरेस्ट, प्रोटक्टिव फोरेस्ट, आगड ब्लॉक जिला उदयपुर। 2–रिजर्व फोरेस्ट तह. सराड़ा जिला उदयपुर।
8.	घीया पत्थर, केलसाइट, लाइम स्टोन	1–रिजर्व फोरेस्ट सरबाडिवेन ब्लाक, धोलागढ ब्लाक, पडवा ब्लाक, मानपुर ब्लॉक तह. सलूम्बर जिला उदयपुर।
9.	घीया पत्थर	मदार चारण में 64.25 है क्षेत्र तह. नाथद्वारा
10.	घीया पत्थर	बिन्नु की भागल तह. नाथद्वारा जिला उदयपुर।
11.	घीया पत्थर	डूडक, जगपुरा, मार्वल, जम्बोई जिला बांसवाड़ा
12.	एगेट	कोटड़ा, रामावीरपुरा, कोटडा खजुरान आदि जिला बांसवाड़ा।

(339)

1	2	4
13.	लाइमस्टोन (सीमेंट ग्रेड)	बारीलालपुरा, खेमरा, अमरपुरा, खेरवा एवं अन्देशवर जिला बांसवाड़ा।
14.	ग्रेफाइट	केसरपुरा, टामटांव, दुखवाड़ा जिला बांसवाड़ा
15.	लाइमस्टोन	वम्बोरा, भुजावारा, उमराई व तलाई जिला बांसवाड़ा।
16.	मारवल	त्रिपुरा सुन्दरी, बिठलदेव, भीमकुण्ड, खेमातलाई, जिला बांसवाड़ा।
17.	चुनाई पत्थर	मन्दारेश्वर, सेन्दड़ाघाटा, जिला बांसवाड़ा।
18.	सरपेन्टीन	माल, रोहनवाड़ा, जिला डूंगरपुर।
19.	घीया पत्थर	पन्टापुरा, देवपुरा, सोलज, पाटनपुरा, जिला डूंगरपुर।
20.	सैण्डस्टोन	चम्पामारी, सामरिया, हरीपुरावडला, भीन्डकीमहादेव तह. बेगू जिला चित्तोडगढ़।
21.	चायनाक्ले	कनकपुरा तह. बेगू जिला चित्तौडगढ़।
22.	चायनाक्ले एवं रेडओकर	केसरपुरा तह. भदेसर जिला चित्तौडगढ़
23.	फायरक्ले (चायनाक्ले)	लडेर तह. भदेसर जिला चित्तौडगढ़।
24.	चायनाक्ले, रेडओकर	कनोचिया तह. भदेसर जिला चित्तौडगढ़।
25.	घीया पत्थर	चिकलार तह. प्रतापगढ़ जिला चित्तौडगढ़।
26.	बैरायटीज	अनुपपुरा तह. प्रतापगढ़ जिला चित्तौडगढ़।

340

परिशिष्ट 25

(अतारांकित प्रश्न संख्या 949 का विवरण)

परिशिष्ट 1

अलवर जिले के बाहर खण्डीय कार्यालय एवं शीर्ष बैंक जयपुर के कार्यालय में ले जाई गई वाहनों का ब्योरा दि. 1-7-81 से 31-3-82 तक

जीप	संख्या	दिनांक	कहां से	कहां को
1	2	4	4	5
आर एस ए जीप	1338	6-8-81	अलवर	राजगढ़, महुवा, हिण्डोन, अलवर वाया लक्ष्मणगढ़, भरतपुर
,,	,,	19-8-81	अलवर	भरतपुर
,,	,,	20-8-81	भरतपुर	खेरली, लक्ष्मणगढ़, अलवर
,,	,,	2-9-81	अलवर	जयपुर एवं वापिस अलवर
,,	,,	6-9-81	अलवर	भरकोल, छिलोड़ी, लक्ष्मणगढ़ खुडियाना कठूमर, तसई, भरतपुर
,,	,,	8-9-81	भरतपुर	खेडली, अलवर
,,	,,	23-9-81	अलवर	जयपुर शीर्ष बैंक रजिस्ट्रार कार्यालय
,,	,,	24-9-81	जयपुर	शीर्ष बैंक एवं वापिस अलवर
,,	,,	12-10-81	अलवर	भरतपुर
,,	,,	13-10-81	भरतपुर	खेडली, अलवर
,,	,,	6-11-81	अलवर	भरतपुर
,,	,,	7-11-81	भरतपुर	खेडली, कालवाड़ी, जड़ाड़, कठूमर, टिटपुरी, अलवर
,,	,,	13-11-81	अलवर	भरतपुर
,,	,,	14-11-81	भरतपुर	अलवर
,,	,,	6-12-81	अलवर	जालूकी, लक्ष्मणगढ़, खुडियाना, कठूमर, खेडली, भरतपुर
,,	,,	8-11-81	भरतपुर	जालूकी, लक्ष्मणगढ़, जालूकी, अलवर
,,	,,	11-12-81	अलवर	जयपुर
,,	,,	13-12-81	जयपुर	थानागाजी, अलवर
,,	,,	19-12-81	अलवर	जयपुर
,,	,,	5-1-82	अलवर	भरतपुर

(341)

1	2	3	4	5
आर.एस.ए. जीप	1338	7-1-82	भरतपुर	अलवर
,,	,,	23-1-82	अलवर	भरतपुर
,,	,,	24-1-82	भरतपुर	कठूमर, तसई, तुसारी, मथुरोहेड़ा, नाटोज, डयोढाना, टिटपुरी, कठूमर
आर एस ए जीप	1337	17-9-81	अलवर	भरतपुर
,,	,,	18-9-81	भरतपुर	अलवर
,,	,,	30-1-82	अलवर	जयपुर, अलवर
,,	,,	8-2-82	अलवर	भरतपुर, अलवर
,,	,,	8-6-72	अलवर	भरतपुर
,,	,,	9-6-82	भरतपुर	खेडलीरेल, लक्ष्मणगढ़, अलवर
आर जे ए जीप	6807	8-10-82	अलवर	भरतपुर
,,	,,	9-10-82	भरतपुर	अलवर
आरएस ए जीप	1337	7-3-82	अलवर	भरतपुर
,,	,,	8-3-82	भरतपुर	खेड़ली, रामपुरापाटन, ईसरोता, रेटा, नसवारी, खुडियाना, अलवर
,,	1338	23-3-82	अलवर	जयपुर, अलवर
,,	,,	6-4-82	अलवर	कलसाड़ा, मालाखेड़ा, मौजपुर, लक्ष्मणगढ़ खुडियाना, टिटपुरी, कठूमर, भरतपुर
,,	,,	8-4-82	भरतपुर	गोविन्दगढ़, बड़ोदामेव, बहाला, अलवर
,,	,,	12-4-82	अलवर	जयपुर
,,	,,	13-4-82	जयपुर	अलवर
,,	,,	6-5-82	अलवर	भरतपुर, अलवर
,,	,,	20-5-82	अलवर	जयपुर
,,	,,	21-5-82	जयपुर	थानागाजी, अलवर
,,	,,	24-7-82	अलवर	जयपुर
,,	,,	25-7-82	जयपुर	थानागाजी, अलवर
,,	,,	29-7-82	अलवर	लक्ष्मणगढ़, खेड़लीरेल, भरतपुर
,,	,,	20-7-82	भरतपुर	खेड़ली, अलवर,
,,	,,	17-8-82	अलवर	जयपुर

1	2	3	4	5
आर.एस.ए. जीप	1338	19-8-82	जयपुर	अलवर
,,	,,	25-8-82	अलवर	जयपुर, अलवर
,,	,,	8-9-82	अलवर	खेड़ली, भरतपुर
,,	,,	10-9-82	भरतपुर	अलवर
आर जे ए कार	5508	9-7-81	अलवर	भरतपुर
,,	,,	10-7-81	भरतपुर	खेड़ली, अलवर
आर जे ए जीप	6130	6-7-81	अलवर	जयपुर
,,	,,	7-7-81	जयपुर	अलवर
,,	,,	1-1-82	अलवर	जयपुर
,,	,,	4-1-82	जयपुर	अलवर
,,	,,	16-7-82	अलवर	भरतपुर
,,	,,	17-7-82	भरतपुर	खेड़लीरेल, कठूमर, तसई, तुसारी, टिटपुरी, कठूमर,

परिशिष्ट 26

(अतारांकित प्रश्न संख्या 950 की सूचियां)

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय छात्रावासों की सूची

क्र. सं.	जिला कोष	पंचायत समिति	बजट का शीर्षक	स्थानान्तरित किये जाने वाले छात्रावास	स्वीकृत छात्र संख्या व श्रेणी
1	2	3	4	5	6
				अनुसूचित जाति	
			308	आयोजना व्यय	
1.	श्री गंगानगर	रायसिंहनगर		(1) समेजा कोठी	25 (स)
			288	आयोजना व्यय	
2.	अलवर	कठूमर		(1) कठूमर	25 (स)
				अनुसूचित जन जाति	
			288	आयोजना भिन्न व्यय	
		रेणी		(1) रेणी	35 (स)
		रेणी		(2) गढ़ी	30 (स)
				अनुसूचित जन जाति	
			288	आयोजना व्यय	

3.	टोंक	उनियारा		(1) उनियारा	25 (स)
				अनुसूचित जाति	
			288	आयोजना व्यय	
4.	बीकानेर	कोलायत		(1) कोलायत	25 (स)
			308	आयोजना व्यय	
	बीकानेर	बीकानेर		(1) छतरगढ़	30 (स)
		बीकानेर		(2) पूगल	30 (स)
		लूणकरणसर		(3) लूणकरणसर	25 (स)
				अनुसूचित जन जाति	
			288	आयोजना व्यय	
				(च) परिगणित क्षेत्र	
5.	उदयपुर	कोटड़ा		(1) कोटड़ा (कन्या)	25 (स)
		सहराड़ा		(2) चावण्ड (कन्या)	25 (स)
			288	आयोजना भिन्न व्यय	
		कोटड़ा		(1) कोटड़ा	125 (स)
		धरियावद		(2) धरियावद	115 (अ)
		सलूम्बर		(3) भंवराना	60 (व)
		झाडोल		(4) झाडोल	80 (व)
		झाडोल		(5) फलासिया	105 (अ)
		खेरवाड़ा		(6) खेरवाड़ा	60 (व)
		खेरवाड़ा		(7) छाणी	50 (व)

1	2	3	4	5	6
				अनुसूचित जाति	
			288	आयोजना भिन्न व्यय	
6.	राजसमंद	रेलमगरा		(1) रेलमगरा	60 (ब)
			288	अनुसूचित जन जाति	
				(च) परिगणित क्षेत्र	
				योजन व्यय	
7.	डूंगरपुर	आसनपुर		(1) सावला (कन्या)	60 (ब)
			288	आयोजना भिन्न व्यय	
		सिमलवाड़ा		(1) चीखली	70 (ब)
		सिमलवाड़ा		(2) कूवा	45 (अ)
		सागवाड़ा		(3) भांसोर	85 (ब)
		आसनपुर		(4) वनकोड़ा	60 (ब)
				(5) सावला	0 (ब)
			288	अनुसूचित जाति (आयोजना व्यय)	
8.	सिरोही	खेडर		(1) खेडर	25 (स)
			288	अनुसूचित जन जाति	
				आयोजना भिन्न व्यय	

8.	बांसवाड़ा	पीपलखूंट		(1) दानपुर	50 (ब)
		गढ़ी		(2) गढ़ी	100 (अ)
		गढ़ी		(3) गढ़ी (कन्या)	50 (ब)
		गढ़ी		(4) बोरी	60 (ब)
		गढ़ी		(5) लोहारिया	35 (स)
		घाटोल		(6) घाटोल	125 (अ)
		सज्जनगढ़		(7) सज्जनगढ़	70 (ब)
			288	अनुसूचित जन जाति (घ) परिगणित क्षेत्र आयोजना व्यय	
9.	चित्तौड़गढ	अरनोद		(1) सालमगढ़	25 (स)
			288	आयोजना भिन्न व्यय	
	चित्तौड़गढ	बेगू		(1) बेगूं	50 (ब)
			288	अनुसूचित जाति आयोजना व्यय	
	चित्तौड़गढ	राशमी		(1) गंगरार	25 (स)
			288	अनुसूचित जन जाति—आयोजना व्यय	
10.	सवाई माधोपुर	खण्डार		(1) खण्डार	25 (स)
		नादोती		(2) नादोती	25 (स)
			288	आयोजना भिन्न व्यय	
		महुवा		(1) महुवा	60 (स)
			288	अनुसूचित जन जाति आयोजना भिन्न व्यय	

1	2	3	4	5	6
11.	बूंदी	तालेड़ा		(1) नेमाना	50 (ब)
			288	(घ) खानाबदोस	
				आयोजना भिन्न व्यय	
		हिण्डोली		(1) हिण्डोली	45 (स)
			288	अनुसूचित जाति, आयोजना व्यय	
12.	जयपुर	सांगानेर		(1) शाहपुरा	25 (स)
		शाहपुरा		(2) राड़ावास	25 (स)
			288	अनुसूचित जन जाति, आयोजना भिन्न व्यय	
		सिकराय		(1) सिकराय	25 (स)
			288	अनुसूचित जाति, आयोजना व्यय	
13.	बाड़मेर	शिव		(1) समदड़ी	25 (स)
			288	अनुसूचित जन जाति, आयोजना भिन्न व्यय	
		चोहटन		(1) बाकासर	30 (स)
			288	अनुसूचित जाति, आयोजना भिन्न व्यय	
		चोहटन		(1) चोहटन	110 (ब)
		धोरीमन्ना		(2) धोरीमन्ना	55 (ब)
		शिव		(3) गडरारोड़	70 (ब)
			288	(घ) खानाबदोस	
				आयोजना भिन्न व्यय	
		बालोतरा		(1) पचपदरा	30 (स)
			288	अनुसूचित जाति, आयोजना भिन्न व्यय	

14.	झालावाड़	खानपुर		(1) खानपुर	45 (स)
			288	खानाबदोस, आयोजना भिन्न व्यय	
		डग		(1) चौमहला	30 (स)
15.	भीलवाड़ा	आसिन्द		(1) बदनोर	40 (स)
		शाहपुरा		(2) कुलिया	35 (स)
		जहाजपुर		(3) पण्डेर	61 (व)
16.	अजमेर	मसूदा		(1) मसूदा	35 (स)
		श्रीनगर		(1) गंगवाना	30 (स)
17.	कोटा	किशनगंज		(1) किशनगंज	40 (स)
		शाहबाद		(1) केवलाड़ा	35 (स)
		ईटावा		(1) ईटावा	50 (ब)
		अटरू		(1) अटरू	70 (व)
		अटरू		(1) कवाई	40 (स)
18.	पाली	पाली		(1) फालना	80 (व)
		बाली		(1) सेवाड़ी	60 (व)
		राणी स्टेशन		(1) राणी	50 (व)
19.	नागौर	डेगाना		(1) डेगाना	35 (स)
20.	जोधपुर	बालेसर		(1) बालेसर	60 (व)
		बाप		(6) बाप	25 (स)
		भोपालगढ़		(1) भोपालगढ़	35 (स)
21.	जैसलमेर	सम		(1) रामगढ़	30 (स)
		जैसलमेर		(1) नाचना	35 (स)
		साकड़ा		(2) रामदेव	30 (स)

राजस्थान सरकार

समाज कल्याण विभाग

स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित अनुदानित छात्रावासों की सूची वर्ष 1982 (पंचायत समिति के माध्यम से)

क्र. सं.	संस्था का नाम	छात्रावास का नाम	योजना	स्वीकृत छात्र सं.	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
	जिला—अजमेर				
1.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पीसांगन	महात्मा गांधी अनुदानित अनु. जाति छात्रावास, पीसांगन	अनु. जाति	30	
2.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिनाय	लाल बहादुर शास्त्री अनुदानित छात्रावास, भिनाय	,,	35	
	जिला—चित्तौड़गढ़				
3.	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	ठक्कर बापा छात्रावास बीराव	अनु. जन जाति	25	
4.	,, ,,	महात्मा गांधी छात्रावास, अरनोद	,,	40	
	जिला—बांसवाड़ा				
5.	जिला बांसवाड़ा सेवा संघ, बान्दरवाड़ा	आदिवासी छात्रावास, बान्दरवाड़ा	अनु. जन जाति	25	
6.	जिला बांसवाड़ा सेवा संघ, खाटू	आदिवासी छात्रावास, खाटू	,,	25	
7.	,, ,,	आदिवासी छात्रावास भूखिया (आनन्दपुरी)	,,	25	

8.	जिला बांसवाड़ा सेवा संघ, खाटू	आदिवासी छात्रावास, परतापुर	अनु. जन. जाति	50
9.	" "	आदिवासी छात्रावास, खोड़ल	"	30
10.	" "	आदिवासी छात्रावास, करजी	"	25
11.	" "	आदिवासी छात्रावास, भूंगड़ा	"	25
12.	राजस्थान बनवासी परिषद्, भीमकुण्ड	अनुदानित छात्रावास, भीमकुण्ड	"	25
13.	जिला बांसवाड़ा सेवा संघ, बागीदोरा	आदिवासी छात्रावास, बागीदोरा	"	25
14.	" "	गांधी आश्रम छात्रावास, खमेरा	"	35
15.	" "	आदिवासी छात्रावास, जौलाना	"	25
16.	जिला बांसवाड़ा सेवा संघ, बागीदोरा	आदिवासी छात्रावास, गनौड़ा	अनु. जन जाति	25
17.	" "	आदिवासी छात्रावास, अरथुना	"	25
	जिला—जोधपुर			
18.	शान्ति ज्ञानपीठ दलित वर्ग, बोठड़ी	शान्ति ज्ञानपीठ विद्या मन्दिर, बीठडी	अनु. जाति	25
19.	तहसील दलित वर्ग संघ पोकरण	डा. अम्बेडकर अनुसूचित जाति छात्रावास, लोहावट	"	35
	जिला—झुन्झुनू			
20.	नेहरू छात्रावास अलसीसर	नेहरू छात्रावास, अलसीसर	अनु. जाति	50
21.	इन्द्रा गांधी बाल निकेतन छात्रावास, अड़ावता	इन्द्रा गांधी बाल निकेतन छात्रावास, अड़ावता	"	50
22.	यादव हरिजन छात्रावास, सिंघाना	यादव हरिजन छात्रावास सिंघाना	"	35
23.	जवाहरलाल नेहरू छात्रावास, टमकोर	जवाहर लाल नेहरू छात्रावास टमकोर	"	35
	जिला—कोटा			
24.	राजस्थान आदिम जाति सेवा संघ, जयपुर	आदिवासी छात्रावास, नाहरगढ़	अनु. जन जाति	40
25.	" "	आदिवासी छात्रावास करवाथाना	"	40
26.	" "	पटेल सहरिया छात्रावास शाहबाद	"	50

1	2	3	4	5	6
	जिला—पाली				
27.	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	आदिवासी छात्रावास नाना	अनु. जन जाति	35	
	जिला—नागौर				
28.	महात्मा गांधी अनुदानित संस्था	महात्मा गांधी छात्रावास, जायल	अनु. जाति	25	
	जिला—सीकर				
29.	डा. राममनोहर लोहिया छात्रावास, डाबला-	डा. राम मनोहर लोहिया छात्रावास, डाबला	अनु. जाति	25	
	जिला—उदयपुर				
30.	आदिवासी सहयोग, समिति, जावर	अनुदानित छात्रावास, टीडी	अनु. जन जाति	50	
31.	आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	अनुदानित छात्रावास, चावड़	,,	30	
32.	,, ,,	अनुदानित छात्रावास, सेमारी	,,	30	संस्था ने छात्रावास चालू नहीं किया है।
33.	,, ,,	अनुदानित छात्रावास गोगून्दा	,,	25	
34.	,, ,,	अनुदानित छात्रावास कनोड़	,,	35	
35.	,, ,,	अनुदानित छात्रावास कुम्भलगढ़	,,	25	
36.	आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	अनुदानित छात्रावास ऋषभदेव	,,	30	संस्था ने छात्रावास चालू नहीं किया है।

37.	प्रधानाध्यापक खेरवाड़ा	अनुदानित जवाहर छात्रावास, खेरवाड़ा	अनु. जन जाति	40
38.	राजस्थान सेवक संघ, डूंगरपुर	बापा भील छात्रावास ऋषभदेव	,,	40
39.	वनवासी कल्याण परिषद्, उदयपुर	वनवासी कल्याण परिषद् छात्रावास, खेरवाड़ा	,,	25
	जिला—जयपुर			
40.	गांधी छात्रावास समिति अमरसर	गांधी छात्रावास, अमरसर	अनु. जाति	45
41.	अनुसूचित छात्रावास एवं अनु. जन जाति	अनुसूचित जाति एवं अनु. जाति छात्रावास, सैंथल	--	35
	जिला—डूंगरपुर			
42.	राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर	आदिवासी छात्रावास, बछीवाड़ा	अनु. जन जाति	78
43.	,,	आदिवासी छात्रावास कनवा	,,	35
44.	,,	आदिवासी छात्रावास बांमवाड़ा	,,	35
45.	राजस्थान सेवा संघ डूंगरपुर	आदिवासी छात्रावास- झोथरी	अनु. जन जाति	35
46.	,, ,,	आदिवासी छात्रावास, सिलवाड़ा (कन्या)	,,	80
47.	,, ,,	आदिवासी छात्रावास, सिमलवाड़ा	,,	80
48.	गोरधन विद्या विहार खड़गदा	आदिवासी छात्रावास खड़गदा	अनु. जन जाति	50

353

परिशिष्ट 27

(अतारांकित प्रश्न संख्या 477 की सूची)

राजस्थान राज्य में स्थित राजकीय मन्दिरों की संपदा में निवास कर रहे किरायेदारों में दिनांक 31-3-82 तक की बकाया किराया राशि का जिलेवार विवरण :—

क्रमांक	नाम जिला	31-3-82 तक बकाया किराये की राशि
1	2	3
1.	जयपुर	30,18,385.00
2.	अजमेर	—
3.	सीकर	—
4.	सवाई माधोपुर	1,88,780.00
5.	झुंझुनू	38,684.00
6.	भरतपुर	25,93,269.00
7.	धौलपुर	—
8.	अलवर	2,53,685.00
9.	टौंक	—
10.	जोधपुर	19,24,532.00
11.	बीकानेर	3,47,513.00
12.	बाड़मेर	—
13.	जैसलमेर	—
14.	पाली	—
15.	सिरोही	—
16.	नागौर	—
17.	चूरू	12,685.00
18.	उदयपुर	14,18,282.00
19.	भीलवाड़ा	19,819.00
20.	चित्तौड़गढ़	
21.	बांसवाड़ा	61,804.00
22.	डूंगरपुर	1,794.00
23.	कोटा	18,744.00
24.	बून्दी	9,884.00
25.	झालावाड़	30,340.00
26.	गंगानगर	199.00
27.	जालोर	—

राजस्थान राज्य के बाहर स्थित राजकीय मंदिरों के किरायेदारों में दिनांक 31-3-82 तक बकाया किराये की राशि का जिलेवार विवरण :—

1.	जिला मथुरा (उ. प्र.)	27,155.00
2.	जिला सहारनपुर (उ. प्र.)	5,513.00
3.	जिला वाराणसी (उ. प्र.)	—
4.	जिला उत्तरकाशी (उ. प्र.)	17,071.00
5.	जिला जामनगर (गुजरात)	—
	कुल योग :—	99,86,341.00

354

परिशिष्ट—28

(अतारांकित प्रश्न संख्या 455 की सूची)

प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए

वृद्धावस्था, विधवा एवं अपंग अपाहिज पेंशन पंचायत वार ब्यौरा

तहसील—कुशलगढ़, जिला—बांसवाड़ा

क्रम सं.	नाम पंचायत	वृद्धावस्था	विधवा	अपंग अपाहिज	योग
1	2	3	4	5	6
1.	मूंदिडी	1	—	—	1
2.	कलींजरा	2	—	—	2
3.	रामगढ़	3	—	2	5
4.	उन्डाला	1	—	1	2
5.	वटवास	2	—	—	2
6.	टीमेड़ा बड़ा	—	—	—	—
7.	कुशलबाड़ा	1	—	—	1
8.	सक्तपुरा	2	—	—	2
9.	वस्सी	—	—	—	—
10.	मोहकम पुरा	—	14	1	15
11.	छोटी सरवा	—	—	—	—
12.	पाटन	—	—	—	—
13.	बड़ी सरवा	—	—	—	—
14.	सीकली	—	—	—	—
15.	लोहारिया	—	—	—	—
16.	कोटड़ाराण्ना	—	—	—	—
17.	कूमठ	1	—	—	1
18.	सज्जनगढ़	3	—	—	3
19.	टांडा मंगला	4	—	—	4
20.	राठ धनराज	—	—	1	1
21.	सुन्दनी	2	—	—	2
22.	गोदा वाड़ा	1	—	—	1
23.	महुडी	—	—	—	—
24	ईटाड़ा	3	—	—	3
25.	बीलड़ी	2	—	—	2
26.	कसारवाड़ी	1	—	—	1
27.	ताम्बेसरा	1	—	—	1
28.	पाली बड़ी	2	—	—	2
29.	मंगरदा	2	—	2	4
30.	रोहनिया	—	1	—	1
31.	डूंगरा बड़ा	3	—	—	3
32.	डूंगरा छोटा	2	—	—	2
33.	जालिमापुरा	—	—	—	1
34.	मस्का बड़ा	1	—	—	1
35.	टान्डी	3	—	2	5
36.	हिम्मतगढ़	1	—	—	1
	योग :—	44	15	10	69

(35)

सूची प्रार्थना-पत्र पेंशन हेतु प्रस्तुत हुए

तहसील बांसवाड़ा

क्र. सं	नाम पंचायत	वृद्धावस्था	अपाहिज	विधवा	योग
1.	बांसवाड़ा	–	–	1	1
2.	चाचाकोटा	1	–	–	1
3.	वोरीश्रा	–	1	–	1
4.	केसरपुरा	–	–	2	2
5.	महेशपुरा	–	–	1	1
6.	पालाखासा	–	–	1	1
7.	टटुधी	–	1	2	3
8.	सरवा	–	–	1	1
9.	रजुरी	–	–	4	4
10.	जलवा	3	2	–	5
11.	गाभड़ी	–	1	–	1
12.	सुरवानिया	–	1	–	1
13.	झूपेल	1	1	–	2
14.	सीकरिया	1	–	–	1
15.	बोरवट	2	–	–	2
16.	नवागांव	–	–	1	1
17.	कुपड़ा	1	–	–	1
18.	धलकिया	1	1	–	2
19.	कुण्डला	–	1	1	2
20.	गैंलावपुरा	3	–	–	3
21.	कोहला	1	–	–	2
22,	निचलाघंटाला	–	1	–	1
	योग:—	15	10	14	39

सूची प्रार्थना-पत्र बावत पेंशन प्राप्त हुए

तहसील बागीडोरा

क्र. सं.	नाम पंचायत	वृद्धावस्था	अपाहिज	विधवा	योग
1.	कलिंजरा	1	1	–	2
2.	सुवाना	4	–	–	4
3.	नागावाड़ा	5	–	–	5
4.	बारीगामा	5	–	–	5
5.	करजी	5	–	–	5
6.	कठोदिया	5	–	4	9
7.	चोछया	2	4	–	6
8.	छींछ	4	3	–	7
9.	बतुडामामा	3	2	–	5
10.	पिण्डाराना	1	1	–	2
11.	नोमाना	9	–	–	9
12.	बागीदोरा	3	3	3	9
13.	नाहरपुर	1	–	–	1
14.	चादरवाड़ा	1	–	–	1
15.	बरगाडिया	4	–	–	4
16.	भडकोला	2	2	1	5
17.	छाजा	2	1	2	5
18.	टामटीया	8	–	–	8
19.	ठोकर	1	1	–	2
20.	आंवदरा	2	–	1	3
21.	वरे	2	–	2	4
22.	पलवा	1	–	–	1
23.	मुन्दड़ी	1	–	–	1
24.	वकलिया	–	1	3	4
25.	आनन्दपुरी	2	2	2	6
26.	हाण्डी	2	1	–	3
27.	लेकाई	1	3	1	5
28.	सानिया	1	–	–	1
	योग :—	78	25	19	122

(357)

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत

(तहसील कार्यालय घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान)

क्र. सं.	नाम पंचायत	वृद्धावस्था	विधवा	अपंग अपाहिज	योग
1.	घाटोल	1	—	—	1
2.	कानजीकागढ़ा	1	—	—	1
3.	देवढ़ा	2	—	—	2
4.	पडोलीराठौड़	1	—	—	1
5.	पडोलीगोर्धन	2	—	—	2
6.	कुवानिया	—	2	1	3
7.	डुंगरिया	3	1	1	5
8.	वाडगुन	—	—	—	—
9.	डागन	1	—	1	2
10.	भूंजड़ा	—	5	1	6
11.	खैरवा	—	2	1	3
12.	रूपजीकाखेड़ा	2	—	1	3
13.	गनोडा	1	—	—	1
14.	मोटागांव	2	2	1	5
15.	मोटाटाटड़ा	1	—	1	2
16.	धूदका	1	1	—	2
17.	बस्सीग्राला	1	1	1	3
18.	मोरडीनिचली	—	—	1	1
19.	चन्दुजीका गड़ा	—	—	—	—
20.	खेमरा	—	—		—
21.	बड़ोपडाल	3	2	1	6
22.	मंडासेन	4	—	2	6
23.	देतवाड़ा	1	—	—	1
24.	रूजिया	—	—	—	—
25.	बोरदा	2	—	—	2
26.	बडाना	2	—	—	2
27.	डूंगर	—	—	—	—
28.	जगपुरा	—	—	—	—
29.	भूवासा	3	—	—	3
30.	सेनावा	4	2	—	6
31.	नरवाली	—	—	—	—

(358)

क्र. सं.	नाम पंचायत	वृद्धावस्था	विधवा	अपंग	अपाहिज	योग
32.	कूपड़ा	—	3		—	3
33.	परथीपुरा	—	3		2	5
34.	केला मेला	—	2		1	3
35.	घंटाली	—	1		1	2
36.	डूमलावानी	—	1		—	1
37.	वोरी	—	1		1	2
38.	सोहनपुर	1	—		1	2
39.	सेमलिया	2	—		—	2
40.	पीपलखूंट	—	1		—	1
	महायोग:	41	30		19	90

(357)

राजस्व अभियान के अन्तर्गत वृद्धावस्था, विधवा एवं अपाहिज के पेंशन स्वीकृति के आवेदन पत्र प्राप्त हुए तहसील गढ़ी

क्र. सं.	नाम पंचायत	वृद्धा-वस्था	विधवा	अपाहिज	योग
1	खेरनकापारड़ा	2	–	–	2
2.	गोपीनाथ का गढ़ा	1	1	–	2
3.	आमजा	2	2	–	4
4.	उम्बाला	2	3	–	5
5.	आसन	2	3	1	6
6.	परतापुर	–	2	–	2
7.	खेडन	2	1	–	3
8.	पाराहेड़ा	1	–	–	1
9.	मालोदा	2	1	1	4
10.	लोहारिया	3	1	2	6
11.	भीमपुर	2	–	2	4
12.	भीमसौर	1	–	–	1
13.	सरेडीबड़ी	2	–	1	3
14.	गढ़ी	2	–	–	2
15.	बोरी	2	–	–	2
16.	वजवाना	2	–	1	3
17.	उड़का	2	–	–	2
18.	कोटड़ा	1	–	–	1
19.	पादेड़ी	2	–	–	2
20.	अरथूना	4	–	2	6
21.	वछतपुरा	3	–	1	4
22.	आंजना	1	–	–	1
23.	जौलाना	2	–	–	2
24.	ओडवाड़ा	–	2	–	2
25.	रेयाना	–	1	–	1
26.	भगोरा	–	1	–	1
27.	टामटीयाराठोड़	1	–	–	1
	कुल योग :	44	18	11	73

राजस्व अभियान के अन्तर्गत वृद्धावस्था, विधवा, एवं अपाहिजों की पेंशन स्वीकृति के आवेदन-पत्र जो स्वीकृत हुए –

तहसील बागीदोरा

क्र.सं.	नाम पंचायत	वृद्धावस्था	विधवा	अपाहिज	योग
1.	चोरडी	1	–	–	1
2.	नाहरपुरा	1	–	–	1
3.	चान्दरवाड़ा	4	–	–	4
4.	बरजडिया	2	1	2	5
5.	मडकोला	2	2	1	5
6.	छाजा	8	–	–	8
7.	डोकर	1	–	1	2
8.	आमलियाआम्बदारा	2	1	–	3
9.	बरेठ	2	2	–	4
10.	कलवा	1	–	–	1
11.	मुन्द्रडी	1	–	–	1
12.	बडलिया	–	–	1	1
13.	आनन्दपुरी	2	2	2	6
14.	हान्डी	2	1	–	3
15.	लंकाई	4	1	3	8
16.	सल्लोपाट	1	–	–	1
17.	कलिजंरा	1	–	–	1
18.	मुवाला	–	1	–	1
19.	नागावाड़ा	4	–	–	4
20.	बारीगामा	4	–	–	4
21.	करजी	4	–	–	4
22.	बडोदिया	3	–	–	3
23.	चोखला	1	–	–	1
24.	छींच	2	–	–	2
25.	बोडीगामा	3	–	–	3
26.	नोगामा	4	–	–	4
	कुल योग :	60	11	10	81

(3~~)

कार्यालय तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (राजस्थान)

स्वीकृति जारी की गई

क्र. सं.	नाम पंचायत	वृद्धावस्था	विधवा	अपाहिज	योग
1.	मुडारेल	3	–	–	3
2.	बडाना	2	–	–	2
3.	कुवानिया	2	–	–	2
4.	कानजी का गढ़ा	1	–	–	1
5.	मुवासा	1	–	–	1
6.	डूंगरिया	2	1	–	3
7.	रूपजी का खेढ़ा	2	–	–	2
8.	घाटोल	1	–	–	1
	कुल योग :	14	1	–	15

वृद्धावस्था, अपंग, अपाहिज एवं विधवाओं की पंचायतवार स्वीकृत पेंशन सूची

तहसील कुशलगढ़

क्र. सं.	नाम पंचायत	वृद्धावस्था	विधवा	अपंग	अपाहिज	योग
1.	मोहकमपुरा	4	–	–		4
2.	कुम्भठ	1	–	–		1
3.	छोटी सरवा	2	–	–		2
4.	सबलपुरा	2	–	–		2
5.	ऊंकाला	1	–	–		1
6.	रामगढ़	2	–	–		2
7.	कलिन्जरा	1	–	–		1
8.	बडवासा	1	–	–		1
9.	सीवली	2	–	–		2
10.	कुशलापाड़ा	4	–	–		4
11.	डूंगरा वड़ा	1	–	–		1
12.	हिम्मतगढ़	–	1	–		1
13.	मगरदा	–	1	–		1
14.	ताम्बेसरा	1	–	–		1
	कुल योग :	22	2	–		24

318

बाबत पेंशन स्वीकृति, तहसील बांसवाड़ा

क्र. सं.	नाम पंचायत	वृद्धावस्था	अपंग अपाहिज	विधवा	योग
1.	बांसवाड़ा	–	–	1	1
2.	वाचाकोटा	1	–	–	1
3.	बोरीया	–	1	–	1
4.	केशरपुरा	–	–	2	2
5.	महेशपुरा	–	–	1	1
6.	पावनवास	–	–	1	1
7.	कटुम्बी	–	1	2	3
8.	सरवन	–	–	1	1
9.	खजुरी	–	–	4	4
10.	जलवाड़ा	3	2	–	5
11.	गामडी	–	1	–	1
12.	सुरवानिया	–	1	–	1
13.	झूपेल	1	1	–	2
14.	ठीकरिया	1	–	–	1
15.	बोरपट	2	–	–	2
16.	नयागांव	–	–	1	1
17.	कूपडा	1	–	–	1
18.	धलकिया	1	1	–	2
19.	कुण्डला	–	1	1	2
20.	कुशलपुरा	3	–	–	3
21.	कोहाला	2	–	–	2
22.	निचलाघन्टाला	–	1	–	1
	कुल योग :	15	10	14	39

364

राजस्व अभियान के दौरान वृद्धावस्था, विधवा एवं अपंग अपाहिज व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई।

तहसील गढ़ी

क्र.सं.	नाम पंचायत	वृद्धावस्था	विधवा	अपंग अपाहिज	योग
1.	खेरनकापारड़ा	2	–	–	2
2.	गोपीनाथ का गढ़ा	1	1	–	2
3.	आनजा	2	2	–	4
4.	उम्बाडा	2	3	–	5
5.	आसन	2	2	–	4
6.	परतापुर	–	2	–	2
7.	सोडन	1	1	–	2
8.	पाराहेडा	1	–	–	1
9.	पालोद	2	1	–	3
10.	लोहारिया	2	1	–	3
11.	भीमपुर	2	–	–	2
12.	भीमसोर	1	–	–	1
13.	गरेडीखड़ी	2	–	–	2
14.	वोरी	2	–	–	2
15.	बजवाना	1	–	1	2
16.	उदका	2	–	–	2
17.	पापेड़ी	2	–	–	2
18.	अरथूना	2	–	–	2
19.	असरापुरा	2	–	–	2
20.	आंजना	1	–	–	1
21.	जावाना	2	–	–	2
22.	मोहनाड़ा	–	2	–	2
23.	डेयाना	–	1	–	1
24.	भगोरा	–	1	–	1
25.	टामटीय राठौड़	1	–	–	1
26.	गढ़ी	2	–	–	2
	योग :	37	17	1	55

परिशिष्ट—29

(अतारांकित प्रश्न संख्या 620 की सूची व विवरण)

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, एसोसिएशन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं का विवरण

क्र. सं.	नाम	एसोसिएशन में प्रतिनियुक्ति की तिथि	स्वीकृत प्रतिनियुक्ति अवधि का विवरण	मूल विभाग में वेतन	भत्ते	प्रतिनियुक्ति पर एसो. में वेतन	भत्ते	अवधि बढ़ाने के लिये निवेदन किया गया
1.	श्री महेशसरन सहाय	8-11-56	30-6-76 तक	58/– रु.	राज्य	80/– रु.	एसोसिएशन	30-6-84
2.	श्री रामकिशोर शर्मा	18-9-62	30-6-76 तक	70/–रु.	सरकार के	80/–रु.	के	18-8-84
					नियमानुसार		नियमानुसार	11-2-84
3.	श्रीमती महेन्द्र कौर	11-5-83	30-6-76 तक	100/–रु.		200/– रु.		11-5-84
4.	श्री अमरनाथ शेली	1-10-66	30-6-76 तक	135/– रु.		130/– रु.		1-10-84
5.	श्री प्रभूलाल खुराना	25-11-69	30-6-76 तक	205/– रु.		275/– रु.		18-12-84
6.	श्री नारायणसिंह सांखला	18-12-69	30-6-76 तक	176/– रु.		170/– रु.		18–12–84

क्र. सं.	नाम सर्कल आर्गनाइजर	सर्कल आर्ग. "ब" की वेतन श्रृंखला	वेतन	तिथि	सर्कल आर्ग. "अ" की वेतन श्रृंखला	वेतन	सर्कल आर्ग. ब व अ के वेतन में अन्तर
1.	श्री भोपालसिंह	225-15-345-20-525	365/-	8-10-75	250-20-450-25-625	390/-	25/-
2.	श्री भूपसिंह	" "	365/-	31-3-76	" "	390/-	25/-

स्टेट आर्गनाइजिंग कमिश्नर के पद पर पदोन्नत अध्यापक के वेतन का विवरण

क्र. सं.	पदाधिकारी का नाम	पदोन्नति से पूर्व			पदोन्नति किये जाने पर			मूल वेतन में अंतर
		पद	वेतन	वेतन श्रृंखला	पद	वेतन	वेतन श्रृंखला	
1.	श्री महेश सरन सहाय	सहायक स्टेट आर्ग. कमिश्नर	560/-	285-25-560-30-800	स्टेट आर्ग. कमिश्नर 5-3-74	610-	550-30-620-30-8-50	50/-

Page No 368

367

अध्यापक/अध्यापिकाओं की सूची जिनके प्रतिनियुक्ति आदेश प्रसारित नहीं हैं—

क्र. सं.	नाम	प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वीकृति किस तिथि तक चाही गई है।
1.	श्री हीरानाथ गोस्वामी सर्किल आर्गेनाइजर	30-1-76	30-1-84
2.	श्री कृष्णमोहन देवड़ा सर्किल आर्गेनाइजर	27-4-77	27-4-84
3.	श्री बद्री[illegible] सर्किल आर्गेनाइजर	13-9-77	13-9-84
4.	श्री मनसुखलाल सर्किल आर्गेनाइजर	15-3-78	15-3-84
5.	श्रीमती सर्दुल कौर, सर्किल आर्गेनाइजर	26-5-78	26-5-84